fo"k; lwph

सत्र-7 भाग (3) बृहस्पतिवार, 9 अगस्त, 2018/18 श्रावण, 1940 (शक) अंक-88

Ø-la-	fo"k;	i"B la-
1.	सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची	1—2
2.	भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगाँठ पर श्रद्धांजलि	3—4
3.	माननीय अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था	4—6
2.	ताराँकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर (41 से 50 और 61 सें 69)	7—121
3.	ताराँकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर [51 से 60 और 70 से 80 (सिवाय 46 एवं 52 के)]	121—120
4.	अताराँकित प्रश्नों के लिखित उत्तर [138 से 258 (सिवाय 139, 141—145, 147—149 151 एवं 154 के)]	191—539
8.	सदन पटल पर प्रस्तुत कागजात	539
9.	विशेष उल्लेख (नियम—280)	539—547
10.	अनुपूरक अनुदान मांगों का प्रस्तुतीकरण, विचार एवं पारण	547—553
11.	अल्पकालिक चर्चा (नियम—55)	553—610

खण्ड-06 सत्र -07 (भाग-03) अंक-89

बृहस्पतिवार 9 अगस्त, 2018 / 18 श्रावण, 1940 (शक)

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्यमेव जयते

छठी विधान सभा

सातवां सत्र

अधिकृत विवरण

(खण्ड-06, सत्र-07 (भाग-03) में अंक 86 के अंक 90 सम्मिलित हैं।)

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054

सम्पादक वर्ग

EDITORIAL BOARD

सी. वेलमुरुगन

सचिव

C. VELMURUGAN

Secretary

एम.एस. रावत

उप-सचिव (सम्पादन)

M.S. RAWAT

Deputy Secretary (Editing)

fnYyh foèkku lHkk
dh
dk;Zokgh

सत्र-7 भाग (3) बृहस्पतिवार, 9 अगस्त, 2018/18 श्रावण, 1940 (शक) अंक-89

fnYyh foèkku lHkk

lnu vijkg~u 2%00 cts leor gqvkA
lnu esa mifLFkr lnL;ksa dh lwph

1. श्री शरद कुमार
2. श्री संजीव झा
3. श्री पंकज पुष्कर
4. श्री पवन कुमार शर्मा
5. श्री अजेश यादव
6. श्री महेन्द्र गोयल
7. श्री राम चंद्र
8. श्री सुखवीर सिंह दलाल
9. श्री ऋितुराज गोविन्द
10. श्री संदीप कुमार
11. श्री रघुविन्द्र शौकीन
12. श्रीमती बंदना कुमारी
13. श्री जितेन्द्र सिंह तोमर
14. श्री राजेश गुप्ता
15. श्री अखिलेश पति त्रिपाठी
16. श्री सोमदत्त
17. सुश्री अलका लम्बा
18. श्री आसिम अहमद खान
19. श्री विशेष रवि
20. श्री हजारी लाल चौहान
21. श्री शिव चरण गोयल
22. श्री गिरीश सोनी
23. श्री जरनैल सिंह (तिलक नगर)
24. श्री राजेश ऋषि

25. श्री महेन्द्र यादव
26. श्री नरेश बाल्यान
27. श्री आदर्श शास्त्री
28. श्री गुलाब सिंह
29. कर्नल देवेन्द्र सहरावत
30. सुश्री भावना गौड़
31. श्री सुरेन्द्र सिंह
32. श्री विजेन्द्र गर्ग
33. श्री प्रवीन कुमार
34. श्री मदन लाल
35. श्री सोमनाथ भारती
36. श्रीमती प्रमिला टोकस
37. श्री नरेश यादव
38. श्री करतार सिंह तंवर
39. श्री प्रकाश
40. श्री अजय दत्त
41. श्री दिनेश मोहनिया
42. श्री सौरभ भारद्वाज
43. सरदार अवतार सिंह कालकाजी
44. श्री सही राम
45. श्री नारायण दत्त शर्मा
46. श्री अमानतुल्लाह खान
47. श्री राजू धिंगान
48. श्री मनोज कुमार
49. श्री नितिन त्यागी
50. श्री ओम प्रकाश शर्मा
51. श्री एस.के. बग्गा
52. श्री अनिल कुमार बाजपेयी
53. मो. इशराक
54. श्री श्रीदत्त शर्मा
55. चौ. फतेह सिंह
56. श्री जगदीश प्रधान
57. श्री कपिल मिश्रा

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र-7 भाग (3) बृहस्पतिवार, 9 अगस्त, 2018/18 श्रावण, 1940 (शक) अंक-89

lnu vijkgu 2-05 ct leor gqvkA

माननीय अध्यक्ष ¼Jh jkefuokl xks;y½ *पीठासीन हुए ।*

Hkkjr NkMk vknkyu dh o"kxkB ij J)ktfy

ekuuh; vè;{k% सभी माननीय सदस्यों का हार्दिक अभिनन्दन, स्वागत। जैसा कि आप सबको विदित है; आज भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में यह दिन विषेश महत्व रखता है। अंग्रेजी सत्ता को हटाने की मांग करते हुए गाँधी जी के नेतृत्व में यह आंदोलन शुरू हुआ था। इसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। गाँधी जी ने 'करो या मरो' का नारा दिया, जिससे प्रेरित होकर लाखों भारतीय इस आंदोलन में कूद पड़े। दिल्ली में आज ही के दिन 9 अगस्त, 1942 को ऐतिहासिक टाउन हाल पर स्वतंत्रता सेनानी अरूणा आसफ अली के नेतृत्व में तिरंगा झंडा फहराया गया था। इतिहासकारों के अनुसार टाउन हाल के सामने इसी दिन पुलिस ने स्वतंत्रता सेनानी रतन लाल गौतम की हत्या कर दी थी। गाँधी जी के गिरफ्तार होने के बाद दिल्ली में हड़ताल शुरू हो गई और 11 अगस्त को समस्या उस समय गंभीर हो गई जब पुलिस ने चांदनी चौक में जुलूस पर गोलियाँ चला दीं। गिरफ्तारी का वारंट निकलने के बाद

[1]*www.delhi assembly.nic.in* पर उपलब्ध।

श्रीमती अरुणा आसफ अली भूमिगत हो गईं और आंदोलन को दिशा देती रहीं। सितम्बर, 1942 तक दिल्ली से 453 लोग गिरफ्तार किए गए। अंग्रेजी सरकार ने आंदोलन को कुचलने के लिए पूरी कोशिश की लेकिन देषभक्तों की गिरफ्तारियों से जेलें भर गई तथा सरकार को यह आभास हो गया कि जनता की इच्छा के विरुद्ध भारत पर शासन करना अब संभव नहीं है। इस प्रकार यह आंदोलन देश को आजाद कराने के लिए मील का पत्थर साबित हुआ।

मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से इस आंदोलन में भाग लेने वाले सभी देशभक्तों को नमन करता हूँ जिनकी शहादत तथा सार्थक प्रयासों से ही आज हम आजाद भारत में साँस ले पा रहे हैं, जय हिन्द।

ekuuh; vè;{k }kjk O;oLFkk

मुझे श्री विजेन्द्र गुप्ता माननीय नेता प्रतिपक्ष तथा श्री ओम प्रकाश शर्मा से नियम–54 के अंतर्गत ध्यानाकर्षण तथा श्री महेन्द्र गोयल जी से नियम–55 के अंतर्गत अल्पकालिक चर्चाओं की सूचनाएं प्राप्त हुईं हैं। कल सदन जल्दी स्थगित हो गया था। आज दो दिनों की प्रश्न सूचीबद्ध दिए गए हैं। आज कार्य सूची में दर्शाए गए विषयों के अतिरिक्त किसी भी अन्य विषय पर विचार नहीं किया जाएगा। इसलिए मैं किसी भी सूचना को स्वीकार नहीं कर पा रहा हूँ। माननीय सदस्यों से अनुरोध है इस विषय में वाद विवाद न करें तथा सदन की कार्यवाही के संचालन में सहयोग दें।

Jh vke izdk'k 'kekZ ये सभी अखबारों में आ रहा है और मेरी विधान सभा में बंगलादेशी पकड़े गए हैं। चार दिन से हम नियम–54 में ये लगा रहे हैं।

ekuuh; vè;{k% अब आप सब जानते हैं...

Jh vke i:dk’k 'kek% अध्यक्ष जी रेस्पांस तो दो।

ekuuh; vè;{k% कल दिनांक 8 अगस्त, 2018 को सदन जल्दी स्थगित होने के कारण नियम–280 के तहत विशेष उल्लेख के मामले नहीं लिए जा सके थे। अतः कल 280 के जितने भी विषय थे, उन सबको पढ़ा हुआ माना जाएगा। मैं विधान सभा सचिवालय को यह निर्देश देता हूं कि कल सूचीबद्ध विशेष उल्लेख के मामलों को संबंधित विभागों में कार्रवाई के लिए भेज दिया जाए। अब प्रश्न काल होगा। पहले कल सूचीबद्ध प्रश्नों को लिया जाएगा। माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि प्रश्नों पर अनावश्यक चर्चा न करें और यदि अत्यधिक आवश्यक हो, तभी पूरक प्रश्न पूछें। आज दो दिनों के प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए समय का अधिकतम सदुपयोग किया जा सके, ये मेरी सबसे प्रार्थना है। सप्लीमेंटरी कम–से–कम जरा पूछेंगे तो उचित रहेगा।

Jh vke i:dk’k 'kek% अध्यक्ष जी...

ekuuh; vè;{k% देखिए ओम प्रकाश जी, मैं रूलिंग दे चुका हूं अपनी। नहीं, कोई बात नहीं ना। मालूम है, मुझे मालूम है।

Jh vke i:dk’k 'kek% मेरी विधान सभा में पकड़े गए।

ekuuh; vè;{k% ये सब्जैक्ट ही हमारे पास नहीं है। कानून एलजी के पास है, विधान सभा को तो एलजी ने आदेश दिया हुआ है, मैं प्रश्न न स्वीकार करूँ। भईया, एलजी से आदेश ठीक करवा लो, मैं बात करवा लूँगा। एलजी का आदेश है।

...(व्यवधान)

ekuuh; vè;{k% छोड़िए सरकार क्यों जवाब देंगे?

...(व्यवधान)

ekuuh; vè;{k% एलजी का आदेश ठीक करवा लीजिए।

...(व्यवधान)

Jh fotUnz xqIrk% आप दिल्ली में बंगला देशियों को बसाना चाह रहे हो आप?

ekuuh; vè;{k% आप अधिकारियों को बढ़ावा दे रहे हैं। आपने अधिकारियों को सर पर चढ़ा लिया है।

ekuuh; vè;{k% छोड़िए, आपको शोभा देती हैं ये बातें करना, जो आप कर रहे हैं?

...(व्यवधान)

ekuuh; vè;{k% एलजी को शोभा देती हैं ये बातें करना?

lkjHk Hkkj}kt% बैठो यार! बैठो।

...(व्यवधान)

ekuuh; vè;{k% नहीं प्लीज। प्रश्न संख्या 39 राजेश ऋषि जी, बहुत शार्ट में जल्दी से।

Jh vke izdk'k 'kek% अध्यक्ष जी, इसके ऊपर आप चर्चा करें।

ekuuh; vè;{k% मैंने रूलिंग दे दी है। ओम प्रकाश जी, मैं करबद्ध प्रार्थना कर रहा हूं...

rkjkfdr i’uk d ekf[kd mÙkj

Jh jkt’k _f"k% आरणीय गृहमंत्री जी प्रश्न सं.–41 का उत्तर देने का कष्ट करें।

...(व्यवधान)

ekuuh; vè;{k% मुझे चर्चा का अधिकार ही नहीं है। एलजी का आदेश आया हुआ है; कानून व्यवस्था पर, जो रिजर्व सब्जैक्ट है, मैं उनका असैप्ट ही नहीं कर सकता।

Jh jkt’k _f"k% अध्यक्ष महोदय, प्रष्न संख्या–41 प्रस्तुत हैः

क्या **xg e=h** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) जनकपुरी की तिहाड़ जेल में कैदियों के लिए कितने बैरिक है और इन बैरिकों में जेल मैन्युअल के हिसाब से कितने कैदियों को रखने का प्रबंध है और वास्तव में कितने कैदी रखे गए हैं;

(ख) तिहाड़ जेल में कैदियों को क्या स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा रही है;

(ग) तिहाड़ जेल में कैदियों के इलाज हेतु मेडिकल और पैरा मेडिकल का कितना स्टाफ तैनात किया गया है, पूरा ब्यौरा दें;

(घ) तिहाड़ जेल का वार्षिक बजट और पिछले पांच वर्षों में विभागानुसार व्यय किए गए फंड का विवरण क्या है;

(ङ) तिहाड़ जेल में कितने आवासीय कॉम्प्लेक्स हैं और आबंटित स्टाफ क्वाटर्स का कैटागिरी वाइज विवरण क्या है;

(च) तिहाड़ जेल परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ करने की क्या योजना है;

(छ) तिहाड़ जेल में विभिन्न क्रिया—कलापों से माहवार अर्जित किए गए राजस्व का विवरण क्या है;

(ज) तिहाड़ जेल में कितने सजायाफ्ता मुजरिम और कितने ट्रायल वाले हैं;

(झ) जेल मेन्युअल के हिसाब से प्रत्येक कैदी की प्रेस्क्राइब्ड डाइट क्या है; और

(ञ) जेल मेन्युअल और विभिन्न न्यायालयों के निर्णयों के अनुसार निर्धारित गाइड लाइन्स का विवरण क्या है?

ekuuh; xg e=h ¼Jh lR;Un tSu½ अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या—41 का उत्तर प्रस्तुत है:—

(क) जनकपुरी की तिहाड़ जेलों में कैदियों के लिए बैरिक एवं उनमें रखे जाने वाले बंदियों की संख्या निम्नलिखित है:—

जेल संख्या	क्षमता	कुल बैरिक	सेल	बंदियों की वास्तव में संख्या
1	2	3	4	5
जेल सं.—1	565	31	115	1929
जेल सं.—2	455	13	72	657
जेल सं.—3	740	49	132	2016
जेल सं.—4	740	33	80	2428

1	2	3	4	5
जेल सं.–5	750	31	14	884
जेल सं.–6	400	29	63	381
जेल सं.–7	350	29	77	605
जेल सं.–8/9	1200	88	284	1615

वर्तमान में तिहाड़ जेल की इन 303 बैरिक और 833 सैलों में 1670 कैदी एवं 8795 विचाराधीन बंदी रखे गए हैं। कैदी एवं विचाराधीन बंदियों को अलग–अलग रखने का प्रावधान है।

(ख) दिल्ली की सभी जेलों में एक औषधालय है। इसके अतिरिक्त कारागार संख्या–3 में 120 बिस्तरों के एक अस्पताल में 85 डॉक्टर्स एवं 150 पैरा मेडिकल स्टाफ उपलब्ध है जो कि बंदियों को 24 घंटे स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं प्रदान करने के लिए नियुक्त किए गए हैं। नैदानिक उपचार के लिए एक्स–रे, ई.सी.जी. एवं अन्य सुविधाएं भी यहां उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त यहां डेन्टल, आँख–नाक–कान के लिए क्लिनिक भी लगाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त बंदियों को स्वास्थ्य संबंधी विशेष उपचार प्रदान करने के लिए सुपर स्पेसिलिटी अस्पतालों में भी भेजा जाता है। कारागार विभाग द्वारा स्थापित सभी औषधालय में एम.आई.रूम भी हैं। जिसमें 10 से 20 बिस्तरों तक का प्रावधान है।

(ग) मांगी गई जानकारी संलग्नक–1 में उपलब्ध है।

(घ) तिहाड़ जेल का पिछले पांच वर्षों का वार्षिक बजट और का विवरण निम्नलिखित हैः–

क्र. सं.	वर्ष	बजट (रुपयों हजार में)	खर्चा (रुपयों हजार में)
1.	2017—18	31,63,600	30,30,479
2.	2016—17	26,83,400	25,69,847
3.	2015—16	19,49,050	18,89,057
4.	2014—15	20,70,100	20,39,328
5.	2013—14	17,37,300	14,95,372

(ङ) मांगी गई जानकारी संलग्नक—दो में उपलब्ध है;

(च) दिल्ली की जेलों में वर्तमान में तीन स्तरीय सुरक्षा का इंतजाम है। जिसमें बाहरी सुरक्षा को आईटीबीपी एवं सीआरपीएफ को दिया गया है। जबकि प्रत्येक जेल में प्रवेश द्वारा पर टीएसपी बंदियों एवं स्टाफ की सर्च के लिए नियुक्त है। जेल के आंतरिक प्रशासन के लिए दिल्ली जेल स्टाफ को नियुक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त निम्न सुरक्षा इंतजाम किए गए हैः—

1. 32 सैल फोन जैमर लगाए गए हैं।
2. जेल के प्रवेश द्वारा पर बंदियों की सर्च लेने के अतिरिक्त जेल के अंदर वार्डो में नियमित रूप से सर्च की जाती है एवं किसी भी प्रतिबंधित वस्तु के किसी बंदी के पास मिलने पर जेल नियमों के अनुसार उचित कार्रवाई की जाती है।
3. जेल मुख्यालय के द्वारा नियुक्त टीमें भी जेलों में नियमित रूप से सर्च के लिए जाती हैं।
4. जेलों के प्रवेष द्वारा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से डोर फ्रेम मैटल डिटेक्टर, बैगेज स्कैनर भी स्थापित किए गए है जिनके

द्वारा, बंदियों द्वारा लाए गए सामान की गहन रूप से सर्च के लिए जाती है।

5. इसके अतिरिक्त एफजी–1 पोल जेलों के प्रवेश द्वारा पर (मोबाइल या मैटल) से बने सामान की सर्च के लिए एवं सीसीटीवी कैमरा जेल के अंदर स्थापित किए गए हैं।

6. जेलों में सुरक्षा इंतजाम पुख्ता करने के लिए नाम के पहले अक्षर के अनुसार एवं सुरक्षा की दृष्टि से बंदियों का वर्गीकरण कर अलग–अलग जेलों में रखने के लिए नियम बनाए गए हैं जिससे बंदियों के ग्रुप बनाने की संभावना कम हो जाती है।

7. किशोर बंदियों को अलग से कारागार संख्या–5 में रखा जाता है जिससे उनकों अन्य आपराधिक प्रवृति के वयस्क बंदियों से अलग रखा जा सके।

8. महिला बंदियों को रखने के लिए कारागार संख्या–6 तिहाड़ एवं कारागार संख्या–16 मंडोली विशेष रूप से उपलब्ध है।

9. उच्च सुरक्षा वाले बंदियों के लिए केन्द्रीय कारागार संख्या–15 मंडोली भी अभी हाल ही में उपलब्ध कराई गयी है।

10. सभी जेलों में कैदियों को विचाराधीन बंदियों से अलग रखा जाता है;

(छ) मांगी गई जानकारी संलग्नक–3 में उपलब्ध है;

(ज) तिहाड़ जेल की 9 जेलों में 1670 सजायाफ्ता मुजरिम एवं 8795 अंडरट्रायल हैं।

(झ) मांगी गई जानकारी संलग्नक–4 में उपलब्ध है; और

(ञ) प्रश्न स्पष्ट नहीं है।

Annexure-I

Sanction Strength of Paramedical Staff of Central Jail Hospital, Tihar as on 31.07.2018

DOCTORS

Sl. No.	Name of the Post	Sanctioned (a)	Physically Filled (b)	Vacant C (a-b)	Remarks
1	R.M.O.	01	01	00	–
2	Medical Specialist	03	03	00	03 S.R. (Medicine) appointed on adhoc basis against this post
3	Dntist/ CAS Dental	02	02	00	02 J.R. (Dental) appointed on adhoc basis against this post
4	Jr. Specialist (Radiologist)	01	00	01	–
5	Jr. Specialist (Skin)	02	01	01	01 S.R. (Skin) appointed on adhoc basis against this post
6	Jr. Specialist (Pathologist)	01	01	00	–
7	Jr. Specialist/Specialist (Psychiatrist)	10	02+4* = 06	04	04 S.R. (Psychiatry) appointed on adhoc basis against this post
8	GDMO	67	29+2* = 61	06	*32 J.R. working on adhoc basis
9	Sr. Residents	10	09	01	–
10	Jr. Residents	15	15	00	
	Total	112	99	13	

PARA MEDICAL STAFF

Sl. No.	Name of the Post	Sanctioned	Physically Filled	Vacant	Remarks
1	2	3	4	5	6
1	Psychiatric Social Worker	17	00	17	13 newly created by Home Deptt. Vide letter No. 7032 Dt. 18.12.2017
2	Physiotherapist	04	00	04	–
3	Clinical Psychologist	15	00	15	13 newly created by Home Deptt. Vide letter No. 7032 Dt. 18.12.2017
4	Pharmacist	26	24	02	–
5	Radiographer	03	03	00	–
6	E.C.G. Technician	02	01 [on contract]	01	–
7	Lab Technician	04	04	00	–
8	Lab Assistant	03	02	01	–
9	Sister in Charge	02	00	02	*02 Staff Nurses drawing salary against this post
10	Staff Nurse	73	57	16	19 newly created by Home Deptt. Vide letter No. 7032 Dt. 18.12.2017
11	Psychiatrist Nurse	01	00	01	–

1	2	3	4	5	6
12	Dental Chair Side Assistant	02	00	02	–
13	Dental Mechanic	01	00	01	–
	Total	153	91	62	–

CLASS-IV (MEDICAL BRANCH)

Sl. No.	Name of the Post	Sanctioned	Physically Filled (Regular)	Vacant	Remarks
1	Dresser	12	03	09	–
2	Dark Room Assistant	02	01	01	–
3	Nursing Orderly	43	09	34	44 N.Os are. posted on contact against these posts against the total sanction strength of 48
4	Stretcher Bearer	12	03	09	
5	N.O Cum-Peon	06	01	05	–
6	N.O/S.B	06	00	06	–
	Total	81	17	64	–

DOCTOR AND PARA MEDICAL STAFF

Sl. No.	Group	Name of Post	Sanctioned	Filled	Vacant	Remarks
1	A	R.M.O	2	1	1	–
2	A	Medical Specialist	5	3	2	03 S.R. (Medicine) appointed on adhoc basis
3	A	Psychiatrist	2	0	2	–
4	A	Dentist	2	2	0	02 J.r. (Dental) Appohted In Adhocbasis
5	A	CAS Dental	1	0	1	–
6	A	Jr. Specialist (Radiologist)	1	0	1	–
7	A	Jr. Specialist (Skin)	1	1	0	–
8	A	Jr. Specialist (Pathologist)	1	1	0	–
9	A	Jr. Specilist (Psychiatrist)	10	6	4	04 S.R. (Psychiatry) appointed on adhoc basis against this post
10	A	GDMO	80	43	37	29+15* 14* J.R. appointed on adhoc basis
11	A	Senior Resident	18	8	10	–
12	A	Junior Resident	22	8	14	–
		Total	145	73	72	–

Sl. No.	Group	Name of Post	Sanctioned	Filled	Vacant	Remarks
1	B	Psychiatric Social Worker	17	0	17	13 newly created and merge with Medico Social Worker
2	B	Physiotherapist	4	0	4	–
3	C	Pharmacist	38	23	16	–
4	C	Radiographer	5	3	2	–
5	C	E.C.G. Technician	2	1	1	1 Filled on Contract
6	C	Lab Technician	7	4	3	–
7	C	Lab Assistant	03	02	01	Lab. Asst.-01 + 01 Staff Nurse drawing salary against this post
8	B	Sister in Charge	2	0	2	2 Staff Nurses drawing salary against this post
9	B	Staff Nurse	89	57	32	19 newly created
10	B	Psychiatrist Nurse	1	0	1	–
11	B	Clinical Psychologist	2	0	2	–
12	C	Dental Chair Side Assistant	2	0	2	–
13	C	Dental Mechanic	1	0	1	–
14	B	Clincial Psychologist	15	0	15	–
		Total	190	90	100	–

CLASS-IV MEDICAL BRANCH

Sl. No.	Group	Name of Post	Sanctioned	Filled	Vacant	Remarks
1	C	Dark Room Attendent	3	1	2	–
2	C	Dresser	18	6	12	03 on contract+3 regular
3	C	No-Cum-Peon	6	71	5	58 on contract+13 regular staff filled up post
4	C	Nursing Orderly	52			
5	C	Stretcher Bearer	12			
6	C	N.O/S.B	6			–
		Total	97	78	19	

OTHER STAFF

Sl. No.	Group	Name of Post	Sanctioned	Filled	Vacant	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
1	A	Sr. Per Asstt.	1	1	0	
2	B	Office Supdt	15	12	3	

1	2	3	4	5	6	7
3	A	Dy. Controller of Acctt	1	1	0	
4	A	Sr. Accounts Officer	2	2	0	01 Sr. AO and 01 A.O.
5	B	AAO	10	7	3	
6	8	Statistical Officer	1	1	0	
7	B	Statistical Assistant	2	1	1	
8	B	Head Clerk	28	23	5	
9	C	UDC	57	34	23	
10	C	LDC	79	35	44	
11	C	Stenographer-II	4	4	0	
12	C	Stenographer-III	3	0	3	
13	C	DEO Group-A	3	1	2	
14	C	DEO Group-B	3	2	1	
15	C	DEO Group-C	5	5	0	4 on contract + 1 regular
16	C	Driver	58	29	29	
17	C	Dispatch Rider	5	4	1	
		Total	277	162	115	

IT STAFF

Sl. No.	Group	Name of Post	Sanctioned	Filled*	Vacant	Remarks*
1	A	System Analyst	1	1	0	*One S.S.A is Physically posted in diverted capacity.
2	B	Asstt. Programmer	3	2	1	
		Total	4	3	1	

Teaching Staff

Sl. No.	Group	Name of Post	Sanctioned	Filled*	Vacant	Remarks*
1	B	Teacher	6	0	8'	
2	B	Yoga Teacher	2	0	2	
3	B	Edu. Voc. Counsellor	2	0	2	
		Total	10	0	10	.....

Total Posts	3264
Filled up Post	1771
Vacant Posts	1493

Annexure-2

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF PRISONS
[GOVT. OF NCT OF DELHI]
PRISONS HEAD QUARTER, CENTRAL JAIL TIHAR,
JANAKPURI: NEW DELHI

To

The OIC (Legal)
Prison Headquarter
Tihar, New Delhi.

Sub: Regarding total numbers of Residential Complex in Tihar Jail.

Sir,

With reference to letter no.CJ/18/Legal/34545 dated 01.08.2018 regarding the Parliament Question on Tihar Jail Residential Accomodation. In this regard, there are two residential complex i.e. New Residential complex and Old Residential Complex, Tihar Jail. The following number/type of quarters are available for residential complex.

Sl.No.	Category	No. of quarter at Tihar
1.	Type-V	07
2.	Type-IV	16
3.	Type-III	77
4.	Type-II	298
5.	Type-I	347
	Total	745

The detail list of quarter allotted are as under:

Types of Quarters	Type-I	Type-II	Type-III	Type-IV	Type-V	Total
Total no. of quarters	347	298	77	16	07	745
Pool for TSP	100	Nil	02	01	02	105
Pool for CRPF 70 Bn.	56	04	03	02	Nil	65
Pool for CRPF 89 Bn.	Nil	Nil	07	Nil	Nil	07
Allotted to ITBP	12	05	02	02	Nil	21
Allotted to Jail Officers/ officials	163	296	56	10	04	529
Total Nos of quarters lying vacant in various types	17	02	07	01	01	28

This is for your kind information please.

Annexure-3

Sales Summary (Month-wise, Section-wise of Central Jail Factory and Tihar Baking School F.Y. 2018-2019

2018-19		Carpentry	Chemical	Paper	Tailoring	Weaving	Total of Jail Factory	Mandoli Bakery	Tihar Baking School	Grand Total
April, 18	Sales	2358395	297002	1088302	71850	18966	3834515	1323254	6287301	11445070
	Self Consumption	147570	1200331	457388	0	303060	2108349			2108349
	Total	2505965	1497333	1545690	71850	322026	5942865		7610555	
	Sales	6225314	168298	1088302	71850	18966	7572731	1057359	7755132	16385222
May, 18	Self Consumption	3230	1153484	70000	376748	394590	1998052			1998052
	Total	6228544	1321782	1158302	448598	413556	9570783		8812491	
June, 18	Sales	2358395	297002	541532	50414	10251	3257594	1325065	6679256	11261915
	Self Consumption	315087	1139792	56010	238200	366790	2115879			2115879
	Total	2673482	1436794	597542	288614	377041	5373473		8004321	
July, 18	Sales	6972687	313574	1165964	29762	66346	8548333		6520000	15068333
	Self Consumption	184100	999458	297080	335063	470400	2286101			2286101
	Total	7156787	1313032	1463044	364825	536746	10834434		6520000	

Annexure-4

DIET CHART FOR PRISONERS LODGED IN TIHAR JAIL

Diet Provided to R.I. Convicts

Sl. No.	Item	Quantity
1	2	3
1.	Atta	500 grams
2.	Biscuits	30 grams
	Diet Provided to UT and S.I. Convicts	
1.	Atta	400 grams
2.	Biscuits	25 grams
	Items Provided to all Convicts/Undertrails per day	
1.	Bread	02 pieces
2.	Dal	90 grams
3.	Condiments	07 grams
4.	Salt	15 grams
5.	M. Oil	25 grams
6.	Vegetable	250 grams
7.	Rice	400 grams
8.	Gur	60 grams
9.	Imli	3.5 grams

1	2	3
10.	Milk for Tea	50 grams
11.	Tea leaf	03 grams
12.	Sugar	25 grams
13.	Potatoes with Bread (For Breakfast)	50 grams
14. .	Rice Kheer (Twice a week)	10 grams
15.	Kheer Sugar (Twice a week)	07 grams
16.	Kheer Milk (Twice a week)	25 grams
17.	Soyabean (Weekly)	25 grams

Diet provided to the Children per day

Hon'ble Supreme Court in R.D. Upadhyay Vs. State case has mentioned the following diet for the children living with their mother on the recommendation of expert Committee. Children from the ages of 6-12 months, 1-3 years and 4-6 years, respectively; Cereals and Millets 45, 60-120 and 150-210 grams respectively; Pulses 15, 30 and 45 grams respectively; Milk 500 ml (unless breast fed, in which case 200 ml); Roots and Tubers 50, 50 and 100 grams respectively; Green Leafy Vegetables 25, 50 and 50 grams respectively; Other Vegetables 25, 50 and 50. grams respectively; Fruits 100 grams; Sugar 25, 25 and 30 grams respectively; and Fats/Oils (Visible) 10, 20 and 25 grams respectively.

ekuuh; vè;{k% मैंने रूलिंग दे दी। हां, राजेश जी।

Jh fotUn xIrk% सरकार जवाब दे कि क्या–क्या व्यवस्था की जाएगी?

ekuuh; vè;{k% हाई कोर्ट का निर्णय आ गया है, उसकी क्या चर्चा करवाएंगे हम यहां? हाई कोर्ट के निर्णय पर यहां चर्चा होगी?

Jh fotUn xIrk% सरकार की जिम्मेदारी बढ़ती है।

ekuuh; vè;{k% हां, वो देखेगी सरकार।

Jh fotUn xIrk% क्या देखेगी सरकार?

ekuuh; vè;{k% चलिए। भई विजेन्द्र जी, आज प्रश्नों के उत्तर देने में फिर आप अधिकारियों को बचा रहे हैं हर बार... नहीं, बात सुन लीजिए पहले। मेरा निर्णय ये है, मैं सारे विषय समझ रहा हूं। मैं तीन साल से विषय समझ रहा हूं, मैं तीन साल से विषय समझ रहा हूं और गंभीरता से समझ रहा हूं। आप गंभीर विषय नहीं ले रहे, बैठिए।

Jh fotUn xIrk% ये आरोप–प्रत्यारोप का विषय नहीं है।

ekuuh; vè;{k% चलिए। हां, जैन साहब।

Jh fotUn xIrk% अध्यक्ष जी...

ekuuh; vè;{k% हां जैन साहब... देखिए, मैं बार बार...

ekuuh; xg e=h% (क)

(ख) दिल्ली की सभी जेलों में एक औषधालय है। इसके अतिरिक्त कारागार सं.–तीन में 120 बिस्तरों के एक अस्पताल में 85 डॉक्टर्स एवं

150 पैरा मेडिकल स्टाफ उपलब्ध है जो कि बंदियों को 24 घंटे स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं प्रदान करने के लिए नियुक्त किए गए हैं। नैदानिक उपचार के लिए एक्स–रे.ई.सी.जी. एवं अन्य सुविधाएं भी यहां उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त यहां डेन्टल, आंख–नाक–कान के लिए क्लिनिक भी लगाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त बंदियों को स्वास्थ्य संबंधी विशेष उपचार प्रदान करने के लिए सुपर स्पेसियलिटी अस्पतालों में भी भेजा जाता है। कारागार विभाग द्वारा स्थापित सभी औषधालय में एम.आई. रूम भी हैं जिसमें 10 से 20 बिस्तरों तक का प्रावधान है।

ekuuh; vè;{k% देखिए विजेन्द्र जी, मुझे मजबूर मत करिए। मैं आपसे बार–बार प्रार्थना कर रहा हूं; ये विषय कोई चर्चा नहीं कर रहा चलिए।

ekuuh; x`g ea=h% प्रश्न का उत्तर बहुत लंबा है आदरणीय अध्यक्ष महोदय।

Jh jkts'k _f"k% मैंने पढ़ लिया है। मैं सप्लीमेंटरी पूछ लेता हूं दो इसमें। एक तो क्वेश्चन का उत्तर...

ekuuh; vè;{k% हां सप्लीमैंटरी।

Jh jkts'k _f"k% एक तो यहां पर जो हमारा आवासीय है; बने हुए हैं, दोनों जगह पर बने हुए तिहाड़ जेल के अंदर इसकी सफाई की व्यवस्था पीडब्ल्यूडी देखती है जो बहुत बुरी हालत है। इसका एक ध्यान दिया जाए दूसरा, सर यहां पर जो जैमर की संख्या दिखाई गई है, जैमर लगाए गए हैं तिहाड़ जेल के अंदर जैमर लगने के बाद भी तिहाड़ जेल से अपराधी फोन करते हैं। दूसरा, जो उसके आस–पास की कालोनियां हैं, उन लोगों

के मोबाइल वहां बंद हो जाते हैं, उनके मोबाइल काम नहीं करते। जैमर बाहर काम करता है, तिहाड़ जेल के अंदर काम नहीं करता, इसका जवाब दीजिए।

ekuuh; xg e=h% अध्यक्ष महोदय, पहला तो वो सफाई के बारे में जो सुझाव दिया गया, इसको नोट कर लिया गया है। दूसरा, जैमर वाला जो ईशू है, वो खुद ही बता रहे हैं कि जैमर जो है अंदर... अगर और भी बढ़ाते हैं जो बाहर अंदर वाले जो समस्या उत्पन्न कर रहे हैं तो अभी टैक्नोलॉजी के बारे में देखते हैं; इनमें कोई सिस्टम ऐसा बने कि भई ज्यादा रेंज न हो परंतु जितनी एरिया में वो ज्यादा इफेक्टिव हो, जैमर लगाए गए हैं, जगह जगह लगाए गए हैं।

Jh jktss'k _f"k% हमारे वहां घरों में नहीं काम करता है मोबाइल। जेल के अंदर काम करता है जैमर जेल में काम नहीं करता, बाहर काम कर रहा है।

ekuuh; vè;{k% मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं, बीच में नहीं।

ekuuh; xg e=h% इसके अंदर हम आपकी बात को संज्ञान लिया जाएगा और पता करते हैं कि ऐसा क्यों हैं अगर आपकी शिकायत है कि बाहर काम नहीं कर रहे और अंदर काम कर रहे हैं; ये तो बल्कि उल्टी बात हो गई, जैमर तो अंदर ही लगे हैं तो इसको चैक कराया जाएगा।

ekuuh; vè;{k% प्रश्न संख्या—42 सोनी जी।

Jh fxfj'k lksuh% धन्यवाद, अध्यक्ष जी। लोक निर्माण मंत्री जी प्रश्न संख्या 42 का उत्तर देने की कृपा करें:

क्या **ykd fuekZ.k ea=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मादीपुर विधान सभा क्षेत्र में पी.डब्ल्यू.डी. विभाग के नालों की डिसिल्टिंग का कार्य पूरा हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो उसका पूर्ण विवरण क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो कब तक यह कार्य पूर्ण हो जाएगा और देरी का क्या कारण है;

(घ) पी.डब्ल्यू.जी. रोड और नालों पर दुकानदारों ने जो कब्जे कर रखे हैं उन पर विभाग द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो की गई कार्रवाई का पूर्ण ब्यौरा दें?

ekuuh; ykd fuekZ.k ea=h ¼Jh lR;sUnz tSu½ अध्यक्ष महोदय, प्रष्न संख्या–42 का उत्तर प्रस्तुत है:

(क) मादीपुर विधान सभा क्षेत्र में पी.डब्ल्यू.डी. विभाग के नालों की डिसिल्टिंग कार्य का प्रथम ऑपरेशन पूरा कर लिया गया है। तथापि सेकेंडरी नालियों से लगातार सिल्ट एवं कूड़ा आता रहता है, अतः डिसिल्टिंग एक निरंतर प्रक्रिया है;

(ख) यह प्रक्रिया प्रगति पर है;

(ग) सारे नालों में आसपास की कालोनी का सीवेज आता है इसके अलावा कुछ स्थानों पर नालों पर अस्थाई अतिक्रमण आदि से कार्य में बाधा आती है। एहतियात के लिए डिसिल्टिंग का कार्य 30 सितंबर तक सतत जारी रहेगा। इस वर्ष किए गए प्रयासों के कारण कहीं भी जल भराव के कारण यातायात में रूकावट की षिकायतें नगण्य नहीं है;

(घ) इन अतिक्रमण को एसटीएफ की मदद से हटाए जाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं; और

(ङ) एसटीएफ को पत्र द्वारा सूचित किया जा रहा है।

ekuuh; vè;{k% हां सप्लीमैंटरी।

Jh fxjh'k lksuh% अध्यक्ष जी, जो मादीपुर विधान सभा में... जैसे कहा गया है डिसिल्टिंग का ये जो प्रथम आपरेशन... ये प्रथम आपरेशन क्या है, मतलब थोड़ा इसके विषय में पूछना चाहूंगा?

ekuuh; ykd fuekZ.k ea=h% डिसिल्टिंग एक बार स्टार्ट होती है तो एक बारी पूरी सफाई कर दी जाती है उसके बावजूद जो छोटी नालियों से सिल्ट आती रहती है तो ये लगातार सितंबर तक लगातार चालू रहेगी। कारण क्या है कि सिल्ट एक बार निकाल दी, चार दिन बाद फिर से आ गई या उसके वेल माऊथ बंद हो जाते हैं; आने वाले रास्ते बंद हो जाते हैं, उसके सफाई की जाती है। यदि में उसको सैकेण्डरी कहा जाता है बाद में।

Jh fxjh'k lksuh% अध्यक्ष जी, इसके अंदर जो कहा गया है कि जैसे मैंने ये पूछा था कि इनके नालों पर अतिक्रमण है; 25 प्रतिशत नाला ये कहीं खुला हुआ है बाकी 75 परसेंट सारा का सारा कवर्ड है तो डिसिल्टिंग हो कैसे गई? प्रथम आपरेशन कैसे पूरा हो गया? मतलब ये सवाल है कि प्रथम ऑपरेशन कैसे पूरा हुआ जब 25 प्रतिशत नाला ही खुला है बाकी 75 परसेंट ढका हुआ है और उसके अंदर कोई रिकॉर्ड उसका जो कि बिल्कुल पूरा रिकॉर्ड चाहिए और ये भी चाहिए इसके अंदर अगर वो नाप कर पीडब्ल्यूडी देखे इसके अंदर कितना नाला ढका हुआ है; कितना प्रतिशत नाला ढका हुआ है और पता है, कितना खुला हुआ है?

ekuuh; vè;{k% गिरीश जी, शार्ट में क्वेश्चन करिए प्लीज।

Jh fxjh'k lksuh% नहीं–नहीं, ये मेरे को उसको डाटा चाहिए क्योंकि कितने किलोमीटर या मीटर में वो नाला है और कितना नाला जो है, वो खुला हुआ है और कितना ढ़का हुआ है? इसमें लिखा हुआ है अतिक्रमण, इससे पहले भी हमने लिखा था। एसटीएफ को पत्र द्वारा सूचित किया जा चुका है। काम पहले चालू हो गया, सूचित बाद में किया जा रहा है... मतलब सूचित के भी, इसको अतिक्रमण को हटाया जाए तो काम तो चालू हो गया है और सूचित बाद में किया जा रहा है उनको तो फिर वो कैसे होगा और इससे पहले क्यों नहीं किया गया?

ekuuh; ykd fuekZ.k ea=h% अध्यक्ष महोदय, जो एनक्रोचमैंट के बारे में मै बताना चाहूंगा; ये काफी सारे सदस्यों को कन्फ्यूजन है कि एनक्रोचमैंट हटाने का काम क्योंकि पीडब्ल्यूडी मेन्टेन करती है सड़कों को, पीडब्ल्यूडी का मानते है, एनक्रोचमैंट हटाने का काम एमसीडीज का है, प्राइमेरली एमसीडीज का है, साथ में एसटीएफ बनाई है जो एसटीएफ के अंदर डीएमस वगैरह होते हैं, जो एमसीडी को बुलाते हैं, पुलिस को बुलाते हैं, उसके साथ मिलकर काम होते हैं। पीडब्ल्यूडी के पास किसी भी एनक्रोचमैंट हटाने के कोई भी अधिकारी अभी तक नहीं मिले हैं। मैंने पहले भी कहा था कि अगर यहां पर माननीय सदस्य मिलकर एक कानून बना लें...(व्यवधान) मैं बता रहा हूं जो आज की सिचुएशन है अगर कानून बनाए कि ताकि वो सारी की सारी पॉवर पीडब्ल्यूडी रोड़ज पर पीडब्ल्यूडी को दे दी जाएं ताकि वो खुद ही हटा सके। अभी तक उनके पास हटाने की कोई पॉवर नहीं है।

दूसरी बात, जहां तक आरदणीय सदस्य ने बताया कि ये 75 परसेंट अगर कवर्ड है...(व्यवधान) पिछली बार ये कमिटी बनाई गई थी,

आपको याद होगा, इस काम के लिए 4 या 5 एमएलए बनाए गए थे। उन्होंने अभी तक उसके ऊपर काम करके देना है, अभी नहीं हुआ है। पिछले सेशन के अंदर ये सुलह रखी गई थी और इसके ऊपर एक कमिटी बनाई थी। अध्यक्ष जी ने खुद ही कहा था कि ये लोग मिलकर इसके ऊपर कुछ कानून का प्रारूप बनाकर तैयार करके देंगे।...(व्यवधान) तीन–चार बनाए थे, तीन–चार चीज़ों के ऊपर हुआ था।

Jh fo'k"k jfo% सर, इसमें आप रिपोर्ट मांग लीजिएगा।

ekuuh; vè;{k% आएगी, आएगी।

ekuuh; ykd fuekZ.k e=h% दूसरा, मैं पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को निर्देश देता हूं कि जो आदरणीय सदस्य ने कहा है कि पूरा बताया जाए; कौन–कौन सा हिस्सा उसका एनक्रोच्ड है और कौन–कौन से हिस्से पर एनक्रोचमैंट नहीं है और एग्जेक्टली बतायें कि कौन–कौन से नाले को साफ कर पाए हैं और कौन से नहीं कर पाए है। ये इंफोर्मेशन दो या तीन दिन के अंदर बनाकर दी जाएगी।

ekuuh; vè;{k% प्रश्न संख्या 44, श्री विजेन्द्र गुप्ता जी। मैं ये ही सोच रहा था, विजेन्द्र जी शांति से कैसे बैठ गए आज। अब देखा मैंने तो। 43 सॉरी, 43 अजय दत्त जी, पहले प्लीज।

Jh vt; nÙk% अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या–43 प्रस्तुत है:

क्या **ekuuh; ykd fuekZ.k e=h** यह बताने की कृपा करेंगे, कि:

(क) क्या अम्बेडकर नगर, वाल्मीकि मार्ग, दुर्बल नाथ मार्ग, एनबीसीसी प्लाजा, दक्षिण पुरी–तीगरी माग की मरम्मत किए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उसका पूर्ण विवरण क्या है;

(ग) क्या इन सड़कों पर विभाजक पट्टी बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो उसका पूर्ण विवरण क्या है;

(ङ) इन मार्गों के फुटपाथ बनाने के प्रस्तावों का विवरण क्या है; और

(च) यह कार्य कब तक पूर्ण हो जाएंगे?

ekuuh; ykd fuek.k e=h% अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या–43 का उत्तर प्रस्तुत है:

(क) सुदृढ़ीकरण के बारे में इन सड़कों के लिए 2019 में प्रस्ताव (डीयूई) हैं जब कि सड़क की सतह विराट सिनेमा के लिए बीआरटी से बाल्मीकि मार्ग पर काम हाल में ही अवार्ड किया गया है और जल्द ही काम शुरू करने जा रहे हैं;

(ख) बीआरटी टी पॉइन्ट से विराट सिनेमा तक बाल्मीकि मार्ग पर सड़क मरम्मत कार्य जिसका विवरण निम्नलिखित है:–

अनुमानित लागत	–	रु. 67,36,236/–
निविदा राशि	–	रु. 49,09,369/–
आरम्भ की तिथि	–	29.07.2018
समाप्ति की तिथि	–	27.08.2018, एक महीने में तैयार हो जाएगा।

(ग) इन सड़कों पर विभाजक पट्टी का कोई प्रस्ताव नहीं है;

(घ) उपरोक्त 'ग' के अनुसार लागू नहीं है;

(ङ) इन मार्गों पर नया फुटपाथ बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं हैं;

(च) उपरोक्त 'ङ' के अनुसार लागू नहीं हैं।

ekuuh; vè;{k% सप्लीमेंटरी, अजय दत्त जी।

Jh vt; nÙk% धन्यवाद, मंत्री जी। मेरे क्षेत्र में जो सड़कें अम्बेडकर नगर की हैं बाल्मीकि मार्ग से लेकर... ...(व्यवधान)

ekuuh; vè;{k% भई देखिए, क्वेष्चन करिए।

Jh vt; nÙk% अध्यक्ष महोदय, मैं क्वेश्चन ये करना चाह रहा हूं कि सर, इसमें जो विभाजक पट्टी है, वो कब तक बन जाएगी क्योंकि इसका पूर्ण विवरण नहीं है और मैं उससे संतुष्ट नहीं हूं।

ekuuh; ykd fuekZ.k ea=h% इसमें अभी जो विभाजक पट्टी है, उसका बनाने का प्रोवीजन ही नहीं है। सड़क की चौड़ाई मुझे पता नहीं अगर ये 100 फीट है या उससे ज्यादा है तो जरूर लगवा देंगे। कितने फुट की है?

Jh vt; nÙk% सर, 100 फीट से ज्यादा है।

ekuuh; ykd fuekZ.k ea=h% हां, तो इसके अंदर जो बीच में डिवाइडर है, इन सड़कों के अंदर डिवाइडर भी लगा दिए हैं, जो भी सड़क 100 फीट या उससे बड़ी है, उसमें डिवाइडर लगवा दिए गए।

Jh vt; nÙk% सर, पेड़ भी लगवा दें।

ekuuh; vè;{k% प्रश्न संख्या–44, श्री विजेन्द्र गुप्ता जी।

Jh fotsUnz xqIrk% क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पूरी दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगाने की सरकार की क्या नीति है;

(ख) क्या सरकार ने यह विचार किया है कि ये कमरे पुलिस की आवश्यकता के अनुरूप हों;

(ग) क्या सरकार इन सीसीटीवी कैमरों को आरडब्ल्यूएज और मार्केट एसोसिएशन को सौंपने पर विचार कर रही है;

(घ) क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कि इनकी रिकॉर्डिंग के साथ छेड़छाड़ न की जाए और यह पुलिस के मानकों के अनुरूप रहें, यह एहतियात बरती जा रही है;

(ङ) यदि दिल्ली पुलिस इस सबंध में कुछ नियम बनाना चाहती है तो सरकार को इसमें क्या आपत्ति है;

(च) क्या सरकार ने अन्य राज्यों से सीसीटीवी कैमरों की स्थिति का कोई तुलनात्मक अध्ययन किया है;

(छ) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है;

(ज) क्या सरकार प्रावधानों से अवगत है; 'आंध्र प्रदेश पब्लिक सेफ्टी (मेज़र्स) एनफोर्समेंट एक्ट 2013 के कुछ प्रावधान हैं; और

(झ) यदि हां, तो कृपया दिल्ली सरकार की सीसीटीवी कैमरे लगाने की प्रस्तावित नीति से उसकी तुलनात्मक स्थिति से अवगत कराएं?

---½0 ; oèkku½

ekuuh; vè;{k% भई बातचीत नहीं, प्लीज। मैं चाह रहा हूं अगले स्टार्ड क्वेश्चन ले लूं, आप लोग इसको प्लीज...

ekuuh; ykd fuekZ.k ea=h% अध्यक्ष महोदय, बड़ी खुशी की बात है कि नेता, प्रतिपक्ष ने कैमरे लगवाने के लिए जल्दी कराने के लिए एक

प्रश्न लगाया है तो इसके लिए तो मैं धन्यवाद दूंगा कि वो भी चाहते हैं कि भई, कैमरे लगें तो इसीलिए सब मिलकर अब जल्द से जल्द लगाएंगे।

अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या–44 का उत्तर निम्न हैः–

(क) 2000 कैमरे प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में लगाने का प्रस्ताव है, योजना है;

(ख) यह नीतिगत मामला है जिस पर निर्णय किया जाना है;

(ग) से (ङ) उपरोक्तनुसार;

(च) जी, नहीं;

(छ) उपरोक्तानुसार;

(ज) जी हां, जानकारी है;

(झ) उपरोक्त 'ख' के अनुसार।

ekuuh; vè;{k% हां, सप्लीमेंटरी।

Jh fotUn xIrk% अध्यक्ष जी, मेरा अभी जो 'ख' का जवाब है; यह नीतिगत मामला है जिस पर निर्णय किया जाना है। तो क्या इस तरह का कोई एजेंडा सीसीटीवी कैमरों से संबंधित कैबिनेट में प्रस्तुत हो गया है और क्या इस तरह के किसी प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिली है? दूसरा, इससे संबंधित, सीसीटीवी कैमरा से संबंधित क्या कभी कोई प्रस्ताव उप–राज्यपाल को इस संबंध में भेजा गया है। कैबिनेट के द्वारा और अगर भेजा गया है और उसका क्या परिणाम है? ये तीन प्रश्न जो हैं।

---¼0 ; oèkku½

ekuuh; ykd fuek.k e=h% आदरणीय अध्यक्ष महोदय, 'ख' के जवाब में मैं कहना चाहता हूं, जल्द ही सीसीटीवी कैमरे का प्रपोजल कैबिनेट के सामने आने वाला है और ए मैं सभी, पूरी एसेम्बली को आपके थ्रू बताना चाहूंगा कि पिछले डेढ़ साल से लगभग सीसीटीवी कैमरे की फाइल के ऊपर तरह–तरह के ओब्जेक्शंस लगाए जा रहे थे, अब ऑलमोसट सभी पूरे हो गए हैं और कैबिनेट से इसको जल्द ही पास कर दिया जाएगा। कैबिनेट के पास होने के बाद इसको दुबारा से एलजी साहब को भेज जाएगा, एक बार पहले कैबिनेट में पास हुआ था तब एलजी साहब के पास गया था।

---¼O;oèkku½

ekuuh; vè;{k% नहीं, अब कोई नहीं प्लीज।

Jh fotUnz xqIrk% अध्यक्ष जी, मुझे ये जानना है कि जो कैबिनेट से प्रस्ताव आप पारित करेंगे क्या उसको उप–राज्यपाल के पास भेजना है? जो कैबिनेट से आप पारित करेंगे प्रस्ताव, उसको भेजने की जरूरत पड़ेगी क्या?

ekuuh; ykd fuek.k e=h% ऐसा है, मैं सदन को फिर से बता देता हूं; 4 जुलाई, 2018 से पहले एलजी साहब के पास प्रपोजल जाते थे उनकी अप्रूवल के लिए, आज भी सारे प्रपोजल जाएंगे उनकी इंफोर्मेशन के लिए जाएंगे, जरूरी है।

---¼O;oèkku½

ekuuh; vè;{k% विजेन्द्र जी प्लीज, अभी कैबिनेट के पास नहीं हुआ।

---¼O;oèkku½

ekuuh; vè;{k% नहीं, प्लीज। प्रश्न संख्या–45, सुश्री भावना गौड़।

---¼O;oèkku½

ekuuh; vè;{k% नहीं प्लीज। सुश्री भावना गौड़ जी।

---¼O;oèkku½

I|Jh Hkkouk xkM% अध्यक्ष महोदय प्रश्न संख्या–45 प्रस्तुत हैः

क्या **Je e=h** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पालम विधान सभा क्षेत्र में श्रम विभाग द्वारा अप्रैल, 2015 से अब तक कितने लेबर कार्ड जारी किए, सभी का ब्यौरा उपलब्ध करवाएँ;

(ख) लेबर कार्ड धारक बनने की क्या प्रक्रिया है और इसके लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची दें;

(ग) दिल्ली सरकार द्वारा श्रमिकों के लिए चलाई जा रही सभी कल्याणकारी योजनाओं का विवरण दें;

(घ) पालम विधान सभा के चारों वार्डो में रहने वाले कौन–कौन से श्रमिक इन योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, पूर्ण ब्यौरा नाम, पता तथा फोन नं. सहित ब्यौरा दें; और

(ङ) श्रम विभाग के कौन–कौन से अधिकारी पालम विधान सभा में कार्यरत हैं, उनका विवरण नाम व फोन नं. समेत दें?

---¼O;oèkku½

ekuuh; vè;{k% नहीं, मैं नम्बर किसी को नहीं दे रहा हूं सर, प्लीज। चलिए। प्रश्न संख्या–45।

---¼O;oèkku½

ekuuh; vè;{k% हां जी?

ekuuh; Je e=h ¼Jh xkiky jk;½% अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या–45 का उत्तर निम्न है:

(क) निर्माण एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों के पंजीकरण का आंकड़ा विधान सभा के अनुसार एकत्रित नहीं किया जाता है डिस्ट्रिक्ट के अनुसार यह एकत्रित किया जाता है;

(ख) लेबर कार्ड धारक बनने की प्रक्रिया की आवश्यक दस्तावेजों की सूची संलग्न अनुलग्नक 'क' में दिया गया है;

(ग) दिल्ली सरकार द्वारा श्रमिकों को दी जाने वाली सभी योजनाओं की विस्तृत जानकारी का विवरण अनुलग्नक 'ख' पर है;

(घ) 'क' के अनुसार; और

(ङ) अधिकारियों का ब्यौरा डिस्ट्रिक्ट के अनुसार इसमें संलग्न है।

vuyXud ßdÞ

fuek.k Jfedk d ithdj.k d fy, vko';d nLrkot o ifØ;k

1. उपर्युक्त सेवाओं के लिए आवश्यक दस्तावेज/शुल्कः–

(क) फॉर्म संख्या XXVII में पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र।

(ख) आयु प्रमाण – आवेदक की आयु के समर्थन में किसी भी सरकारी एजेंसी द्वारा जारी किए गए किसी प्रमाणपत्र–दस्तावेज (जैसे मतदाता पहचान पत्र राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि)।

उपर्युक्त दस्तावेजों में से किसी एक ही अनुपस्थिति में, कार्यकर्ता द्वारा शपथ पत्र, उसकी उम/जन्म तिथि का उल्लेख, नोटरी पब्लिक द्वारा विधिवत प्रमाणित।

(ग) निर्माण क्षेत्र में 90 दिनों के रोजगार के लिए रोजगार प्रमाण–पत्र (नियोक्ता/ट्रेड यूनियन/सहायक श्रम आयुक्त द्वारा जारी)।

(घ) स्थानीय पता प्रमाण–स्थानीय पत प्रमाण के लिए निम्नलिखित दस्तोवजों में से कोई भी माना जाएगा–

1. राशन कार्ड फोटो के साथ
2. बैंक/डाकघर पास बुक (फोटो के साथ)
3. पानी का बिल
4. बिजली का बिल
5. टेलीफोन का बिल
6. मतदाता पहचान पत्र (फोटो के साथ)
7. मान्य/वैध ड्राईविंग लाइसेंस
8. आधारकार्ड
9. पासपोर्ट (भारत सरकार द्वारा जारी)
10. दिल्ली सरकार के विभागीय आयुक्त/उप आयुक्त/एसडीएम आदि द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र
11. संपत्ति/हाउस कर रसीद

12. उप पंजीयक दिल्ली के कार्यालय में पंजीकृत संपत्ति की सेल डीड
13. उप पंजीयक दिल्ली के कार्यालय में पंजीकृत किराया अनुबंध
14. नियोजित श्रमिक के संबंध में नियोक्ता/ठेकेदार द्वारा जारी 90 दिन का रोजगार प्रमाण पत्र
15. श्रम चौक श्रमिकों के संबंध में पंजीकृत निर्माण श्रमिक यूनियन द्वारा जारी 90 दिन का रोजगार प्रमाण पत्र

(ङ) स्थायी पता प्रमाण (आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र)।

(च) बैंक खाता विवरण।

(झ) मोबाइल नंबर।

(ज) 2 पासपोर्ट आार की फोटो–

(I) पंजीकरण शुल्क रु. 5/– (पंजीकरण के समय एक बार) और वार्षिक योगदान रु. 20/–.

fuek.k Jfedk dh ithdj.k ifØ;k

2- ifØ;k&

संबंधित जिले में बोर्ड स्टाफ द्वारा आवेदन की प्राप्ति।

- आवेदन की प्रविष्टि व दिनांक और अस्थायी रसीद।
- संबंधित जिले के निरीक्षण अधिकारी/श्रम अधिकारी के कार्यालय को प्रेषित करना।
- संबंधित जिले के निरीक्षण अधिकारी/श्रम अधिकारी द्वारा दस्तावेजों की पुष्टि/जांच।

- यदि दस्तावेजों में कमी है तो श्रमिक को उस कमी के बारे में सूचित करना।
- दस्तावेजों के सही पाये जाने पर संबंधित जिले के निरीक्षण अधिकारी/श्रम अधिकारी द्वारा पास करके उप श्रमायुक्त को भेजना।
- अनुमोदन अधिकारी/उप श्रमायुक्त की स्वीकृति।
- श्रमिक द्वारा अपेक्षित योगदान राशि 25/– (रुपए 20/– वार्षिक योगदान + रुपए 5/– पंजीकरण शुल्क) और योगदान व पंजीकरण शुल्क के लिए रसीद जारी करना।
- संबंधित जिले में बोर्ड कर्मचारियों द्वारा पास बुक का प्रिंटिंग।
- श्रमिक की पास बुक जारी करना।

vuqyXud ß[kÞ

fnYyh ljdkj }kjk Jfedksa ds fy, pykbZ tk jgh lHkh dY;k.kdkjh ;kstukvksa dk fooj.k

1. प्रसूति लाभ (नियम 271)– मातृत्व लाभ 30,000/– रु. (केवल दो बच्चों तक)
2. गर्भपात के लिए वित्तीय सहायता (नियम 27) (क) – रु. 3.00/– (पात्रता – पंजीकरण की तिथि से)।
3. पेंशन (नियम 273) – 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर पेंशन रु. 3,000/– प्रति माह एवं रु. 300/– की वृद्धि हर वर्ष (पात्रता – एक वर्ष की सदस्यता)।

4. मकान खरीदने या बनाने के लिए अग्रिम (नियम 274) – रु. 3,00,000/– तक की राशि का ऋण (पात्रता – दस वर्ष की सदस्यता शेष रहने पर)। रु. 5,00,000/– तक की राशि का ऋण (पात्रता – पंद्रह वर्ष की सदस्यता शेष रहने पर)।

5. अक्षमता पेंशन (नियम 386) – रु. 3,000/– प्रति माह (पात्रता – पंजीकरण की तिथि से)।

6. अपंग (नियम 275) हो जाने पर रु. 1,00,000/– तक की अनुग्रह राशि (पात्रता – पंजीकरण की तिथि से)।

7. निर्माण संबंधी उपकरणों की खरीद के लिए ऋण (नियम 276) – रु. 20,000/– (पात्रता – एक वर्ष की सदस्यता)।

8. निर्माण संबंधी उपकरणों की खरीद के लिए अनुदान [नियम 276 (क)] – (5 वर्ष में एक बार) रु. 5,000/– (पात्रता – तीन वर्ष की सदस्यता)।

9. श्रमिक की मृत्यु पर अन्त्योष्टि के लिए वित्तीय सहायता (नियम 277) रु. 10,000/– (पात्रता – पंजीकरण की तिथि से)।

10. मृत्यु लाभ का भुगतान (नियम 278) – श्रमिक की प्राकृतिक मृत्यु होने पर नामांकित/आश्रितों को रु. 1,00,000/– का मुआवजा/अनुग्रह राशि (पात्रता – पंजीकरण की तिथि से)।

    श्रमिक की कार्य के दौरान मृत्यु होने पर नामांकित/आश्रित सदस्य को मृत्यु मुआवजा/अनुग्रह राशि रु. 2,00,000/– (पात्रता – पंजीकरण की तिथि से)।

11. लाभार्थियों के लिए चिकित्सा सहायता (नियम 280)–चिकित्सा सहायता

अधिकतम रु. 2000/— तक की राशि पहले दिन से पांच दिन तक एवं रु. 200/— अतिरिक्त दिन के लिए दुर्घटना एवं पलास्टर के लिए रु. 10,000/— तक की राशि (पात्रता — पंजीकरण की तिथि से)।

12. शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता (पात्रता — (i) से (iii) पंजीकरण की तिथि से एवं (iv) से तक एक वर्ष से अधिक की सदस्यता)।

(i) कक्षा — 1 से 8 तक रु. 500/— प्रति माह।

(ii) कक्षा — 9 से 10 तक रु. 700/— प्रति माह।

(iii) कक्षा — 11 से 12 तक रु. 1000/— प्रति माह।

(iv) स्नातक स्तर रु. 3,000/— प्रति माह।

(v) आईटीआई पाठ्यक्रम सं. 4,000/— प्रति माह।

(vi) एलएलबी (पांच वर्ष) पाठ्यक्रम रु. 4,000/— प्रति माह।

(vii) पालिटैकनिक डिपलोमा पाठ्यक्रम रु. 5000/— प्रति माह।

(viii) एलएलबी (तीन वर्ष) पाठ्यक्रम रु. 3000/— प्रति माह।

(ix) इंजीनियरिंग, मेडिसन, एमबीए जैसे तकनीकी पाठ्यक्रम के लिए रु. 10,000/— प्रति माह।

(x) **njLFk f'k{kk@vkiu yÉux Ldwy@dkWyst@ikboV vè;;u vkSj ekU;rk iklr Ldwy@dkWyst@laLFkku ls iek.k i= iklr djus ds lnHkZ esa & fu;fer vè;;u ds fy, LohÑr vuqnku dk 75 ifr'krA ;g foÙkh; lgk;rk fdlh Hkh Lukrd Lrjh; ikB;Øe ds fy, dsoy ,dckjxh nh tk,xhA**

13. विवाह के लिए वित्तीय सहायता (नियम 282) – स्वयं एवं बच्चों विवाह (केवल दो बच्चों तक) के लिए वित्तीय सहायता – (पात्रता – तीन वर्ष की सदस्यता):–

(क) पंजीकृत महिला सदस्य के विवाह पर – रुपये 51,000/–

(ख) पंजीकृत पुरुष सदस्य के विवाह पर – रुपये 35,000/–

(ग) पंजीकृत सदस्य की पुत्री के विवाह पर – रुपये 51,000/–

(घ) पंजीकृत सदस्य की पुत्र के विवाह पर – रुपये 35,000/– (नियम 282)

14. पारिवारिक पेंशन – पेंशनधारक द्वारा प्राप्त की जा रही राशि का 50 प्रतिशत अथवा रु. 1,000/–, इनमें से जो अधिक हो। (पात्रता – एक वर्ष की सदस्यता)।

15. राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभ (पात्रता – पंजीकरण की तिथि से)।

16. पंजीकृत श्रमिकों व उनके परिवार के सदस्यों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना [नियम 283 (A)] (पात्रत–पंजीकरण की तिथि से)।

17. पंजीकृत श्रमिकों व उनके परिवार के सदस्यों के कौशल विकास के लिए निर्माण अकादमी की स्थापनाक करना [नियम 283 (A)] (पात्रता–पंजीकरण की तिथि से)।

18. पंजीकृत श्रमिकों को उपयोगिता की वस्तुएं उपलब्ध कराना [नियम 293 (B)] (पात्रता – एक वर्ष की सदस्यता)।

vuyXud ßxþ

ftyk nf{k.k&if'pe esa dk;Zjr vf/kdkfj;ksa dk C;kSjk

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	पद	मोबाइल नं.
1.	श्री एम.के. गौड	संयुक्त श्रमायुक्त	9810290696
2.	श्री नीरज धवन	सहायक श्रमायुक्त	25492133
3.	श्री तुका राम	लेबर आफिसर	25492395
4.	श्री आशीष अग्रवाल	इंस्पेक्टिंग आफिसर	25492132

Supplementary

vfrfjDr

➢ जिला दक्षिण विभाग में अप्रैल–2016 से जून–2018 तक प्रति वर्ष नए कार्ड व नवीनीकरण वाले लेबर कार्ड का ब्यौरा निम्न प्रकार से हैः–

क्र. सं.		नए पंजीकृत (क)	नवीनीकरण कुल (ख)	कुल (क+ख)
1.	अक्टूबर–2016 से मार्च–2017	15,842	6,364	22,206
2.	अप्रैल–2017 से मार्च–2018	10,102	12,054	22,156
3.	अप्रैल–2018 से 30 जून–2018	282	120	402

- निर्माण एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों का आंकड़ा विधान सभा अनुसार या वार्ड अनुसार नहीं बनाया जाता। विभाग में जिला अनुसार श्रमिकों का ब्यौरा उपलब्ध होता है। जिला दक्षिण पश्चिम में जून–2018 में 10105 श्रमिक बोर्ड की लाभकारी योजनाओं के पात्र है।
- जिला दक्षिण पश्चिम में आज तक कुल रजिस्ट्रेशन 1,41,914 हुए है।
- दिल्ली भवन एवं सन्निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड का कार्य श्री नीरज धवन सहायक श्रमायुक्त (फोन नं. 25492133), श्री तुका राम श्रम अधिकारी (फोन नं. 25492395) और निरीक्षण अधिकारी श्री आशीष अग्रवाल (फोन नं. 25492132) करते हैं।

ekuuh; vè;{k% हां, भावना जी, सप्लीमेंटरी।

lqJh Hkkouk xkSM% अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय श्रम मंत्री जी से पूछना चाहूंगी जिस तरह से 'क' का आपने जवाब दिया है कि जो भी ब्यौरा आपके पास उपस्थित है, वो जिला अनुसार है, क्या ऐसी कोई सरकार की योजना है कि आने वाले समय में ये ब्यौरा अलग–अलग हमारी विधान सभाओं को, विधान सभा वाइज उपलब्ध हो पाएगा?

Je ea=h% अभी आपके इस प्रश्न आने के बाद मैंने डिपार्टमैंट से मीटिंग की थी और हमने उनको निर्देश दिया है कि अब जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, उसमें विधान सभा का भी विकल्प दिया जाएगा कि वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, उसमें विधान सभा का भी विकल्प दिया जाएगा जिससे कि वो रजिस्ट्रेशन को बाद में विधान सभा वाइज शॉर्ट लिस्ट किया जा सके।

lqJh vydk ykEck% अध्यक्ष जी, सप्लीमेंटरी है, इसी का।

ekuuh; vè;{k% नहीं, इसमें मैं अलका जी, प्लीज, मैंने कोई सप्लीमेंटरी मैं एलाउ नहीं कर रहा हूं अब। केवल जिसका... नहीं, वो मंत्री जी से

बाद में कर लीजिएगा प्लीज। प्रश्न संख्या–46 का उत्तर नहीं आया है। शरद कुमार जी का ये गंभीर विषय है। प्रश्न संख्या–47 श्री पवन कुमार जी। आपका शरद जी, उत्तर नहीं आया है प्लीज। आप प्रस्तुत करिए।

Jh iou dqekj% धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।

ekuuh; v/;{k% भई एक सेकण्ड।

Jh iou dqekj% अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से...

ekuuh; v/;{k% एक सेकण्ड एक सेकेंड, शरद जी का...

Jh 'kjn dqekj% मेरा प्रश्न संख्या–46 का विकास मंत्री जी बताने की कृपा करें:

क्या **fodkl ea=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नरेला विधान सभा में कौन–कौन सी जाति के चौपाल एवं बारात घर हैं और कितनी संख्या में चौपाल और बारात घर हैं; पूर्ण विवरण दें;

(ख) बारातघर एवं चौपालों को आरडब्ल्यूएज को हैंडओवर करने के संबंध में क्या दिशा निर्देश एवं प्रक्रिया है, उसका पूर्ण विवरण दिया जाए;

(ग) नरेला विधान सभा में कितने बारातघरों एवं चौपालों को आरडब्ल्यूएज को सौंप दिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो नरेला विधान सभा में इन्हें आरडब्ल्यूएज को हैंडओवर न किए जाने के क्या कारण है?

ekuuh; v/;{k% 46 का जरा... प्रश्न संख्या–46 का उत्तर नहीं आया है वैसे एक बार बता दीजिए माननीय मंत्री जी।

ekuuh; 'kgjh fodkl e=h ¼Jh lR;Un tu½% ये रेवेन्यू को चला गया सर।

ekuuh; vè;{k% हां।

ekuuh; 'kgjh fodkl e=h% ये क्वेश्चन रेवेन्यू को ट्रांसफर हो गया।

ekuuh; vè;{k% हां।

ekuuh; 'kgjh fodkl e=h% आन्सर वगैरह के लिए। नहीं—नहीं, डेवलपमैंट से।

ekuuh; 'kgjh fodkl e=h % सर, मैं दोबारा बता देता हूं।

Jh 'kjn dekj% हां सर, दिया नहीं उन्होंने।

ekuuh; 'kgjh fodkl e=h % आप... बता दो नहीं दिया।

ekuuh; jktLo e=h ¼Jh v'kkd xgykr½% अध्यक्ष महोदय, जैसा मंत्री जी कह रहे हैं कि रेवेन्यू को ये ट्रांसफर हुआ... तो रेवेन्यू डिपार्टमैंट में चाहे वो क्वेश्चन स्टार्ड है या अनस्टार्ड है, जहां भी लैंड का इशू आया, ये पूरा डिटेल जब, जहां भी लैंड का अगर कोई भी कनेक्शन भी मिला, इनक्लूडिंग सपोज ग्राम सभा लैंड की कंपुटेशन की बात है तो रेवेन्यू डिपार्टमैंट ने ये कहके कि ये रिवर्ज सब्जेक्ट का मामला है, उसका किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया है।

ekuuh; vè;{k% नहीं, अब कुछ नहीं। पवन, पवन कुमार जी। प्रश्न संख्या—47।

Jh iou dekj% धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय। मैं माननीय मंत्री जी से प्रश्न संख्या 47 का जवाब पूछना चाहूंगाः

क्या **ykd fuek.k e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि आदर्श नगर विधान सभा के महेंद्रा पार्क क्षेत्र स्थित भामाशाह पार्क में लोक निर्माण विभाग ने ओपन जिम लगाए थे;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि उपरोक्त जिम के उपकरण पूर्णतया खराब है जिन्हें प्रयोग नहीं किया जा सकता;

(ग) क्या विभाग को इस संबंध में स्थानीय विधायक से शिकायतें प्राप्त हुई थी;

(घ) क्या उन शिकायतों पर विभाग द्वारा कोई कार्रवाई की गई है;

(ङ) क्या खराब उपकरण लगाने वाली कंपनी के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई है, उसका पूर्ण विवरण दें;

(च) यदि कोई कार्रवाई नहीं की गई है, तो उसके क्या कारण हैं; और

(छ) इन खराब उपकरणों को कब तक बदला दिया जाएगा ताकि जनता इनका इस्तेमाल कर सके?

Jh ljUn flg % लैंड मार्क की घोषणा... ये गांव के अंदर 40 साल से योजना चकबंदी चल रही है पूरे गांव की जमीन...

ekuuh; vè;{k% सुरेन्द्र जी, रह जाएगा। इस पर मैं बात करूंगा, बात करके क्या करना है, कैसे करना है, करेंगे डिस्कस। प्रश्न संख्या–47।

ekuuh; ykd fuek.k e=h ¼Jh lR;Un tu½% अध्यक्ष महोदय, प्रष्न संख्या–47 का उत्तर प्रस्तुत है:

(क) जी हां, यह सत्य है;

(ख) जी, नहीं। भामाशाह पार्क में ओपन जिम के उपकरण लगाने का कार्य दिसम्बर, 2016 में पूर्ण किया गया था, जिसकी वारण्टी अवधि एक वर्ष थी, जो दिसम्बर, 2017 में पूर्ण हो गई। ओपन जिम के उपरकणों का प्रयोग क्षमता से अधिक, एक साथ कई उपयोगकर्ताओं के कारण खराबी आई थी जिसे कम्पनी द्वारा तत्काल ठीक करवाया जाता है;

(ग) जी हां;

(घ) इस संबंध में शिकायतों के प्राप्त होने पर तत्काल उपकरणों को कम्पनी द्वारा ठीक कराया जाता रहा है;

(ङ) उपकरण मैसर्स अरिहन्त गार्डन जिम इक्विपमैण्ट मेक के लगाए गए हैं तथा उपकरणों को ठीक करने के लिए कम्पनी को जब भी शिकायत हेतु सम्पर्क किया गया; मैसर्स अरिहन्त द्वारा वारण्टी अवधि में उसे तुरन्त ठीक करा दिया गया। यद्यपि उसके द्वारा बार–बार यह सूचित किया गया कि उपकरणों में खराबी, उन्हें क्षमता से अधिक एक साथ कई आदमियां के चढ़ने से मशीनों का दुरुपयोग होने के कारण हो रही है। मैसर्स अरिहन्त द्वारा यह भी जानकारी दी गई कि इसी मेक के समान उपकरण दिल्ली में कई जगह लगाए गए हैं तथा वहां ऐसी कोई शिकायत नहीं है। अतः कम्पनी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं बनती है;

(च) उपरोक्त 'ङ' के अनुसार लागू नहीं; और

(छ) चूंकि इन उपकरणों की वारण्टी अवधि पूर्ण हो चुकी है अतः उपकरणों की वार्षिक अनुरक्षण सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु अनुरक्षण सेवाएं देने वाली कम्पनियों से संपर्क किया जा रहा है ताकि इन उपकरणों की देखरेख के लिए वार्षिक अनुरक्षण अनुबंध किया जा सके जिससे उपकरणों

की देखरेख सुनिष्चित की जा सके। वार्षिक अनुरक्षण सेवाएं देने के अनुबंध से संबंधित कार्य लगभग दो महीने में पूर्ण करने का लक्ष्य है।

ekuuh; vè;{k% सप्लीमेंटरी:

Jh iou dqekj% अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या हम ये जिस दोबारा से नई मशीनें वहां पे नहीं लगा सकते क्या? क्योंकि वहां पर पीडब्ल्यूडी का केवल एक मात्र पार्क है ये; दिल्ली सरकार का आदर्श नगर विधान सभा में और वहां पे हमारी बहुत बदनामी हो रही है। भई, दिल्ली सरकार द्वारा पीडब्ल्यूडी द्वारा लगाया गया जिम है। बंदना जी के यहां शालीमार बाग में जो है, जिम लगा था। दो ढ़ाई साल पहले मैं खुद जाता रहा हूं वहां पे, पार्क में शालीमार बाग में भी। तो कौन सी कम्पनी थी, मुझे पता नहीं, वो बहुत अच्छा जिम था। ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक मशीन पर कई लोग एक बार में चढ़ जाएं जैसा कि जवाब में बताया गया है अधिकारियों द्वारा, एक मशीन पे ज्यादा आदमी... एक मशीन पे एक बार में एक ही आदमी एक्सरसाईज कर सकता है कुछ भी। ज्यादा आदमी एक मशीन पे एक बार में एक्सरसाइज कर ही नहीं सकते, तो अध्यक्ष महोदय कुछ ऐसा कोई सिस्टम हो जैसे वारंटी खत्म हो गयी है; जवाब में है, तो उसको रिपेयर आप सुबह पाइप को वेल्डिंग करेंगे, शाम को वो फिर लेटा हुआ मिलता है वहां पे। अच्छा मेरे आफिस के पास ये पार्क है, वहां से काफी वृद्ध लोग, बच्चे जो हैं मेरे आफिस में बैठ जाते हैं आ के कि एमएलए साहब, वो पाईप फिर लुढ़क गया है आपका, वहां पे मशीन खराब है।

ekuuh; vè;{k% क्वेश्चन, क्वेश्चन।

Jh iou dqekj% मैं मंत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई ऐसा सिस्टम प्रावधान हो जाए, भले ही मैं एमएलए फण्ड दे दूं या कुछ कि कोई अच्छी कम्पनी, कोई अच्छा और जिम लग जाए, उसमें जो है।

ekuuh; vè;{k% चलिए।

ekuuh; ykd fuek.k e=h% अध्यक्ष महोदय, मैं डिर्पामैंट को निर्देश दूंगा कि अभी से जो मेंटेनेंस हैं, वो पांच साल के लिए दी जाए, रेट कॉन्ट्रेक्ट के ऊपर। ये एक साल के रेट कॉन्ट्रेक्ट में दिक्कत लग रही है मुझे कि कम्पनी के एक साल में जिम्मेदारी खत्म हो गयी। अब वो कहेगा किसी और से रिपेयर करा लो, तो उसको अगर पांच साल से पहले से ही रिपेयर करना होगा तो काम भी अच्छा करेगा, उसको कर देते हैं। जो अगर रिपेरिंग से वियोंड खराब हे तो वो चैंज करा दिया जाएगा।

ekuuh; vè;{k% प्रश्न संख्या–48।

Jh ,l-d- cXxk% पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर 48 का आन्सर देने का कष्ट करें:

क्या **ykd fuek.k foHkkx e=h** जी यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पटपटगंज–झील रोड पर स्ट्रीट लाइटों को शिफ्ट करने, फुटपाथ एवं सेन्ट्रल वर्ज बनाने का कार्य कब तक पूर्ण कर दिया जाएगा;

(ख) पुश्ता रोड ताज एन्कलेव व रानी गार्डन बस स्टॉप के बीच एक एफओबी बनाने का काम कब तक पूर्ण कर दिया जाएगा;

(ग) कृष्णा नगर विधान सभा में नालों की सफाई के लिए दिए गए कॉन्ट्रेक्ट का पूर्ण विवरण क्या है;

(घ) क्या उपरोक्त नालों की सफाई का काम तय शेड्यूल के मुताबिक किया गया;

(ङ) क्या यह सत्य है कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम के पार्षद ने शास्त्री नगर (एसडीएम कार्यालय) के निकट पीडब्ल्यूडी की जगह पर अतिक्रमण किया है;

(च) यदि हां, तो इस अतिक्रमण को हटाने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है; और

(छ) कृष्णा नगर विधान सभा में पदापित किए गए लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों का संपर्क विवरण क्या है?

ekuuh; ykd fuek.k e=h% अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या–48 का उत्तर प्रस्तुत है:

(क) लोक निर्माण विभाग द्वारा बिजली की सेवा प्रदान करने वाली बीएसईएस से इन स्ट्रीट लाइट के खम्भों को स्थानांतरित करने हेतु निवेदन किया है। इस विषय में अभी कार्य का अनुमान प्रतिक्षीत है।

इस पटपटगंज–झील सड़क पर एक छोर पर फुटपाथ पहले से ही है जिसके ऊपर अनिधकृत कब्जा किया हुआ है, जिसको हटवाने हेतु एसटीएफ से कहा गया है। एक बार जब बिजली के खम्भों का स्थानांतरण हो जाएगा तब जगह की उपलब्धता को देखते हुए मध्य पट्टिका को बनाने हेतु उचित कार्रवाई की जाएगी।

(ख) यह प्रस्ताव एफओबी की सब कमेटी से पास हो चुका है। परन्तु एफओबी बनाने का प्रस्ताव अभी एफओबी/सबवे कमेटी से अनुमोदित होना शेष है जिसमें 5–6 माह का समय लग सकता है;

यह कार्य ए एंड ई/एस की प्राप्ति के बाद नौ महीने के अंदर समाप्त कर दिया जाएगा;

(ग) कृष्णा नगर विधान सभा में बरसाती नालों की सफाई हेतु अलग से टेंडर नहीं किया गया है। एवं संयुक्त टेंडर जिसमें पटपडगंज (आंशिक) विश्वास नगर (आंषिक) लक्ष्मी नगर व कृष्णा नगर विधान सभा क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले बरसाती नालों की सफाई का प्रावधान लिया गया है, यह कार्य अभी प्रगति पर है;

(घ) नालों की सफाई का कार्य समय–सीमा के अनुसार निम्नलिखित कारणों से नहीं हो पाया है;

सिल्ट के विस्तारण के लिए डम्पिंग ग्राउंड की उपलब्धता न होने की वजह से कार्य शुरू होने में कुछ विलम्ब हुआ। सिंघोला खामपुर ग्राम के पास निगम ने मई 18 में डम्पिंग हेतु आज्ञा प्रदान की थी। इस आज्ञा के बाद ही कार्य पूर्ण समर्पित रूप से शुरू हो पाया, कुछ कार्य अभी प्रगति पर है।

(ङ) जी हां;

(च) उपरोक्त विषय में अतिक्रमण के बारे में एसटीएफ जो कि अतिक्रमण हटवाने के लिए नोडल एजेंसी है, को सहविस्तार सभी तथ्यों के साथ अवगत कराया जा चुका है;

(छ) कृष्णा नगर विधान सभा में अधिकारियों के नाम और फोन नंबर दिए गए हैं;

dk;ikyd vfHk;rk@lgk;d vfHk;rk dfu"B
vfHk;rk njHkk"k uEcj

श्री इकबाल सिंह (पूर्वी रोड)	श्री विरेन्द्र कुमार श्री हरीष चन्द्र भट्ट	मो. मुस्तकीन श्री दीपांकर कोली	22429726 23379328
022752056 9910925748 श्री जी.के. बंसल (भवन पूर्वी) मंडल 9643708215 श्री अजय चन्देकर (पूर्वी विद्युत) मंडल 8800862231			

ekuuh; vè;{k% सप्लीमेंटरी।

Jh ,l-d- cXxk% सर (ङ) में क्वेश्चन था मेरा कि क्या यह सत्य है कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम के पार्षद ने शास्त्री नगर (एसडीएम कार्यालय) के निकट पीडब्ल्यूडी की जगह पर अतिक्रमण किया है। आन्सर है; जी हां। नेक्स्ट है, यदि हां तो, इस अतिक्रमण को हटाने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही हैं सर ये पार्षद ने 20 साल से ज्यादा घेर रखी है। दो बार खाली कराई है, लेकिन उसके बाद ये अपना कब्जा क्यों नहीं ले रहे हैं पीडब्ल्यूडी वाले, तो मंत्री... कांग्रेस का है, कांग्रेस पार्टी का है, कई जगह घेर रखी हैं; डीडीए की भी। तो मैं पूछना चाहता हूं मंत्री जी से कि कब तक ये जगह वापस लेंगे उनसे हटवा कर, कितना टाइम और लगेगा, इसमें?

ekuuh; ykd fuek.k e=h% अध्यक्ष महोदय, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जितनी भी एन्क्रोचमैंट है, उसको हटाने की दो ही एजेंसीज है; मेनली एमसीडी है और दूसरी एसटीएफ की निगरानी में है, वो भी एमसीडी करती है, तो पीडब्ल्यूडी अपने हाथ से किसी को हटा नहीं सकता है। एसटीएफ को फिर से बोल दिया गया है। मशीन से हटवा देंगे, ठीक है? तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एसटीएफ के पास जितनी भी रिक्वेस्ट गयी हुई है, पूरी दिल्ली की एसटीएफ को एक बार बुलाके जा भी डीएम्स के पास होती है, उनको बुलाके उनसे बात करते हैं कि सारी जगह एन्क्रोचमैंट हटाएं।

ekuuh; vè;{k% प्रश्न संख्या–49, श्री अखिलेशपति त्रिपाठी जी।

Jh vf[kys'kifr f=ikBh% अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय राजस्व मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वो प्रष्न संख्या–49 का उत्तर देने का कष्ट करें:

क्या **jktLo e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि सब–रजिस्ट्रार के पास डाक्युमेंट्स का पंजीकरण कराने हेतु एप्वाएंटमैंट के लिए जनता को एक महीने से भी अधिक की प्रतीक्षा करनी पड़ती है;

(ख) क्या सरकार द्वारा इस व्यवस्था में कोई अनियमितताएं पाई गई है;

(ग) क्या सरकार जनता के हित में इस व्यवस्था को स्ट्रीमलाइन करने के लिए कोई कदम उठा रही है;

(घ) क्या यह भी सत्य है कि कुछ सब–रजिस्ट्रार कार्यालयों में एप्वाएंटमेंट की प्रतीक्षा अवधि को कम करने हेतु कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो क्या इन कदमों को दिल्ली के सभी सब–रजिस्ट्रार कार्यालयों में उठाया जाएगा?

ekuuh; jktLo ea=h ¼Jh dSyk'k xgyksr½% अध्यक्ष महोदय उत्तर इस प्रकार हैः

(क) जी नहीं, दिनांक 2.08.2018 की स्थिति के अनुसार केवल पीतमपुरा सब रजिस्ट्रार कार्यालय को छोड़कर किसी भी सब रजिस्टार ऑफिस में 0 दिन से लेकर 11 दिन की प्रतीक्षा अवधि से ज्यादा नहीं है। पिछले छः महीनों में दिल्ली के उप पंजीयकों द्वारा पंजीकरण किए गए दस्तावेजों की सूची संलग्न हैं;

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रतीक्षा का समय कुछ महीने पहले दो सब रजिस्टार आफिस; कश्मीरी गेट एवं जनकपुरी में बढ़ गया था। इसके समाधान के लिए इन सब रजिस्टार ऑफिस में दस्तावेज प्रस्तुती समय को 2.00 बजे पीएम से 2.30 पी.एम. तक बढ़ाया गया तथा टाइम स्लॉट में एक संख्या की वृद्धि की गयी;

(घ) उपरोक्त 'ग' के अनुसार; और

(ङ) यदि आवश्यकता हुई तो विभाग द्वारा आवश्यक आदेश जारी किया जाएगा;

ekuuh; vè;{k% सप्लीमेंटरी।

Jh vf[kys'kifr f=ikBh% मंत्री जी, एक उत्तर आया है पीछे पूरक सामग्री प्रश्न संख्या–49 का कि पीतम पुरा उप–पंजीयक कार्यालय में दस्तावेजों के रजिस्ट्रेशन कराने के लिए ज्यादा इंतजार का निम्नलिखित कारण है, जैसा पहले भी कहा गया है कि बहुत ज्यादा इंतजार करना पड़ रहा है तो जैसे और दो जगह किया गया, क्योंकि मेरा क्षेत्र इसी तरफ

पड़ता है तो यहां एक–एक, डेढ़–डेढ़, महीने, दो–दो महीने का मिल रहा है तो इसके लिए जल्दी, शीघ्र कराने के लिए अन्य जगहों की तरह क्या कदम उठा रही है सरकार, सूचना देने का कष्ट करें?

Jh idt i"dj% मंत्री महोदय, हमारा भी बिल्कुल एक समान समस्या है। अगर इस समस्या का...

ekuuh; v/;{k% सप्लीमेंटरी देखिए, कल वालों में मैं प्लीज एलाउ नहीं करता। ताकि मैं आज के सप्लीमेंटरी कुछ ले सकूं।

ekuuh; jktLo ea=h% अध्यक्ष महोदय, जैसे ये चीज पता चली तो आलरेडी आदेश दे दिए गए हं कि एक कांउटर को बढ़ा दिया जाएगा और टाइम स्कोर को भी इन्क्रीज कर दिया जाएगा ताकि वेटिंग पीरिएड है, वो मिनीमैक्सिमम फोर टु फाइव डेज़ इमीडिएटली, इमीडिएटली तुरंत...

Jh vf[ky'k ifr f=ikBh% अच्छा एक जैसा कि कहा गया है इसी में कि अधिकार क्षेत्र सघन बसा है और बहुत बड़े एरिया को कवर करता है तो इसको और अच्छा करने के लिए, एरिया कम करने के लिए मॉडल टाउन पटवार घर एक सब–रजिस्ट्रार ऑफिस खोला जाना था जो ढका गांव में खोला जाना था, उसके बारे में सरकार की अभी क्या नीति है; उसके बारे में बताएं और कब तक खुल जाएगा वो?

jktLo ea=h% कुछ अभी मालूम नहीं है लेकिन जो वेटिंग पीरिएड को कम करने के लिए तुरंत जो आदेश दे दिए गए हैं कि काउंटर बढ़ाए जायें और जो टाइम लिमिट है, उसको भी बढ़ाया जाए।

Jh vf[ky'k ifr f=ikBh% कॉपी जरा जल्दी भिजवा दें।

ekuuh; v/;{k% प्रश्न संख्या 50, सौरभ जी।

Jh lkSjHk Hkkj}kt% माननीय जीएडी मंत्री प्रश्न संख्या–50 का उत्तर देने की कृपा करें:

क्या **lkekU; iz’kklu ea=h** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सत्य है कि बीजेपी के कुछ विधायकों ने दिल्ली सचिवालय में धरना प्रदर्शन किया था;

(ख) यदि हां, तो किन अधिकारियों ने इन विधायकों को धरने पर बैठने की अनुमति दी थी, पूर्ण विवरण दें;

(ग) जिन अधिकारियों ने इन विधायकों को दिल्ली सचिवालय के अंदर गद्दे ले जाने की अनुमति दी, उनका विवरण क्या है;

(घ) जिन अधिकारियों ने इन विधायकों तथा अन्य व्यक्तियों को सचिवालय भवन की छत पर जाकर बैनर प्रदर्शित करने हेतु जाने की अनुमति प्रदान की थी, उनका विवरण क्या है;

(ङ) क्या दिल्ली सचिवालय की सुरक्षा के इस उल्लंघन के संबंध में कोई जांच की गई थी;

(च) यदि हां, तो उस जांच का विवरण क्या है;

(छ) दिल्ली सचिवालय की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी अधिकारियों का नाम व पदनाम बताएं; और

(ज) दिल्ली सचिवालय में सुरक्षा उल्लंघन तथा अनधिकृत व्यक्तियों को प्रवेश करने के लिए उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई न करने के क्या कारण है?

lkekU; iz’kklu ea=h ¼Jh xksiky jk;½ अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या–50 का उत्तर प्रस्तुत हैः

(क) संसद के एक माननीय सदस्य और विधान सभा के चार माननीय सदस्य 13.06.2018 के अपराह्न को मुख्यमंत्री कार्यालय परिसर में आए और 19.06.2018 की शाम तक मुख्य मंत्री कार्यालय परिसर में बने रहे;

(ख) सामान्य प्रशासन विभाग ने इस सम्बन्ध में कोई अनुमति जारी नहीं की;

(ग) सामान्य प्रशासन विभाग ने इस सम्बन्ध में कोई अनुमति नहीं दी थी;

(घ) सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके लिए भी कोई अनुमति नहीं जारी की;

(ङ) इस संबंध में एसीपी (सुरक्षा), दिल्ली पुलिस, दिल्ली सचिवालय से एक स्पष्टीकरण मांगा गया था।

(च) एसीपी (सुरक्षा), दिल्ली पुलिस, दिल्ली सचिवालय की रिपोर्ट संलग्न है। इस विषय में आईपी एस्टेट पुलिस स्टेशन में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा केस दर्ज करने के लिए एक शिकायत दी गयी है;

(छ) दिल्ली सचिवालय भवन की सुरक्षा दिल्ली पुलिस के पास है। श्री एच.आर. मलिक, ए.सी.पी., दिल्ली पुलिस, दिल्ली सचिवालय की सुरक्षा के इंचार्ज हैं; और

(ज) दिल्ली सचिवालय भवन में संसद के माननीय सदस्यों और विधान सभा के माननीय सदस्यों के प्रवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं है और दिल्ली सचिवालय भवन के अंदर उनके आवाजाही पर भी कोई प्रतिबंध नहीं है।

अध्यक्ष महोदय इसके जो भी इसमें दो बातें और जोड़ना चाहता हूं कि ये दूर्भाग्यपूर्ण है। दिल्ली सचिवालय के अंदर भारतीय जनता पार्टी के माननीय सांसद और चार माननीय सदस्य दिल्ली विधान सभा के, दिल्ली सचिवालय के अंदर गए और उन लोगों ने दिल्ली सचिवालय के छत पर जाकर के और ये अध्यक्ष महोदय, ये न सिर्फ माननीय सांसद हैं, न सिर्फ माननीय विधायक हैं; इसमें लोगों के हुजूम के साथ ये छत पर चढ़े हैं

और वहां पर बैनर लहराया गया था। जब जांच में जब रिपोर्ट मंगायी गई दोनों पुलिस से, पुलिस ने ये रिपोर्ट दिया कि दिल्ली के सचिवालय के अंदर की जो रिस्पोंसिबिलिटी है सुरक्षा की, वो सिक्योरिटी से सब रिपोर्ट मांगी गई तो उनका बयान भी इसमें संलग्न है कि उन्होंने सीएम कार्यालय के बाहर भी बैनर लगाने पर ओब्जेक्शन किया; उनको धमकाया गया। जब छत पर ये सारे लोग जा रहे थे तब भी उनको रोका सिक्योरिटी के लोगों ने और उनको धमकाया गया और जबरदस्ती ये सारी भीड़ लेकर के छत पर गए, वो सारा तथ्य रिपोर्ट आने के बाद फिर डिपार्टमैंट ने, जीएडी ने, जो दिल्ली सचिवालय के कंट्रोलिंग अथोरिटी है; जीएडी ने पुलिस को दोबारा कंप्लैंट किया है कि इस पर एफआईआर दर्ज करके और इस पर कानून सम्मत कार्रवाई की जाए।

ekuuh; vè;{k% मैं सिर्फ एक सप्लीमेंटरी, सौरभ जी। नहीं, प्लीज। ये अगले आज के, आज।

Jh lkjHk Hkkj}kt% अध्यक्ष जी मैं इसके अंदर एक।

ekuuh; vè;{k% न, किसी को...

...(व्यवधान)

ekuuh; vè;{k% नहीं देखिए। प्लीज, सौरभ जी को अपना सप्लीमेंटरी, सप्लीमेंटरी सौरभ जी को, सौरभ जी।

Jh lkjHk Hkkj}kt% अध्यक्ष जी इसके अंदर सप्लीमेंटरी है। ये जो रिपोर्ट इन्होंने...

ekuuh; vè;{k% सौरभ जी, प्लीज, सौरभ जी, सप्लीमेंटरी आप पूछिए, जल्दी पूछिए।

Jh lkSjHk Hkkj}kt% सर, इसके अंदर ये है तो रिपोर्ट लगी हुई है एच.आर. मलिक, एसीपी दिल्ली सेक्रेटेरिट के अंदर उन्होंने ये लिखा हैः 'However you may depute some officer from GAD to view the video footage and we will also assist in identifying those people who had installed the banner on the roof top.'

तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या जीएडी ने और दिल्ली पुलिस ने मिलके वीडियो क्लिप को देख के एमपी, एमएलए के अलावा जो अनअथोराइज्ड पीपल थे; वहां पे बहुत सारे लोग थे, उनको आईडेंटिफाई किया है या नहीं किया? दूसरा, क्या एफआईआर दर्ज हो चुकी है और तीसरा क्योंकि वहां पर वीडियोज बनाई गयी और वो न्यूज पे चली। मुझे जो जानकारी है; सेक्रटेरिएट के अंदर वीडियो कैमराज जो हैं; न्यूज के लिए लाने अलाउड नहीं हैं तो वो कैसे संभव हुआ कि वहां पे वीडियो बनाके न्यूज में प्रसारित हुए, इसे बारे में तीन सवाल हैं।

ekuuh; lkekU; iz'kklu ea=h% माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी...

ekuuh; vè;{k% चलिए—चलिए।

ekuuh; lkekU; iz'kklu ea=h% जो पुलिस ने जो वीडियोज की बात की थी, अखबार की जो सारी रिपोर्टिंग है, वो सारा संलग्न करके डिपार्टमैंट की तरफ से पुलिस को केस दर्ज करने के लिए एप्लीकेशन दी गई है लेकिन अभी तक सूचना के अनुसार अभी तक कोई एफआईआर पुलिस की तरफ से दर्ज नहीं हुई है।

ekuuh; vè;{k% आज के प्रश्न, नहीं, अब कुछ नहीं इस पे प्लीज। प्रष्न संख्या—61 आज के स्टार्ड क्वेश्चन, श्री ओम प्रकाश शर्मा जी।

Jh fotsUnz xqIrk% एलजी साहब के दफ्तर में जो क्रिमिनल ट्रेस

पासिंग करी... मुख्य मंत्री, उप मुख्य मंत्री चारों कम्परिट जो हैं, उसके बारे में सरकार...

Jh vke i:dk'k 'kek% नहीं–नहीं, सारा ठेका तुम्हारे पास है।

ekuuh; vè;{k% चलिए, ओम प्रकाश जी, आप अपना क्वेश्चन चालू करिए। प्लीज।

Jh vke i:dk'k 'kek% अरे! बोल तो लेने दे भाई।

ekuuh; vè;{k% चलिए–चलिए, चालू करिए।

Jh vke i:dk'k 'kek% अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या–61 प्रस्तुत हैः

क्या **ifjogu e=h** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सत्य है कि बुराड़ी में ट्रांसपोर्ट अथोरिटी का निरीक्षण करते समय माननीय मुख्यमंत्री ने वहां गंभीर अनियमितताएं पाई;

(ख) निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं का विवरण क्या है;

(ग) इन अनियमितताओं को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या यह सत्य है कि पहले सभी ट्रांसपोर्ट कार्यालय व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करने के लिए अधिकृत थे; और

(ङ) इन सभी कार्यालयों को केन्द्रीयकृत करने एवं केवल बुराड़ी अथॉरिटी को सटिफिकेट जारी करने के लिए अधिकृत करने के क्या कारण थे?

ekuuh; ifjogu ea=h ¼Jh dSyk’k xgyksr½ अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या–61 का उत्तर प्रस्तुत हैः

(क) माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक 17.7.2018 को बुराड़ी स्थित परिवहन 147 विभाग की ऑटो रिक्शा एवं टैक्सी यूनिट का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान कुछ उपस्थित व्यक्तियों के द्वारा इस यूनिट में दलालों के होने की शिकायत की गयी थी। इसके अतिरिक्त विभिन्न कार्यों में देरी होने की भी शिकायत की गयी थी;

(ख) उपरोक्तानुसार;

(ग) ऑटो रिक्शा एवं टैक्सी यूनिट में वाहन चालकों तथा परमिट धाराकों के अतिरिक्त किसी भी अन्य व्यक्ति का प्रवेश निषेध कर दिया गया है। आदेश की प्रतिलिपी संलग्न है।

ऑटो–रिक्शा एवं टैक्सी तथा अन्य वाहनों के फिटनेस के कार्य को प्राइवेट सैन्टर को दिए जाने का प्रस्ताव बना दिया गया है तथा स्वीकृति हेतु विचाराधीन है।

ऑटो–रिक्शा एवं टैक्सी यूनिट में चालकों की भारी भीड़ को देखते हुए इस कार्य को विकेन्द्रीकृत करने का प्रस्ताव बना दिया गया है;

(घ) माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा विभागीय आई.ए. नंबर 316, डब्ल्यूपी(सी) नं. 13029/1985 में दिल्ली में ऑटो परमिटों की संख्या 55000 से बढ़ाकर एक लाख कर देने का आदेश दिया गया था। इतनी भारी संख्या के परिमटों के समयबद्ध निपटान हेतु सूरजमल विहार, सराए काले खॉ और राजा मार्डन के मोटर लाईसैंसिंग अधिकारियों को भी परमिट व फिटनेस देने हेतु अधिकृत किया गया था। यह एक अंतरिम व्यवस्था थी जो विशेष कार्य के लिए की गई थी। आदेश दिनांक 16.8.2012 की प्रतिलिपी संलग्न है; और

(ङ) उपरोक्त।

I¡yXu

TRANSPORT DEPARTMENT: GNCTD AUTO RICKSHAW & TAXI UNIT, BURARI, DELHI-110084

No.F.DC/ARU/TU/2018/2270-75 Dated:- 21-7-18

<u>OFFICE ORDER</u>

Subject:- Regarding restrictions of entry of any unauthorized persons in the premises of auto-rickshaw and taxi unit, Burari

Reference inspection of Hon'ble Chief Minister of Delhi along with Hon'ble Minister of Transport, Secretary-cum-Commissioner (Transport) and Special Commissioner (Transport) on dated 17.07.2018 at Auto-rickshaw Unit Burari, Delhi, it was complained that some unauthorized persons are also visiting this office frequently.

I am directed to restrict the entry of any unauthorized person in the premises of auto-rickshaw and taxi unit with immediate effect, only the registered owners/ purchasers of vehicles including the designated employees of authorized dealers/ licensees will be allowed in the premises of Auto-rickshaw and Taxi Unit, Burari.

It is hereby ordered that only the owner/permit holder of Auto Rickshaw & Taxies including the designated employees of authorized dealers/licensees will be allowed to enter the office premises of Auto Rickshaw & Taxi Unit, Burari.

The permit holders are advised to bring the Pan Card, Election Card etc. to establish their identity at the time of entry.

MLO (ARU/TU)

Copy for information to:-

1. Spl. Secretary to the Hon'ble Chief Minister of Delhi
2. Secretary to the Hon'ble Minister of Transport
3. OSD to Secretary-cum-Commissioner (Transport)
4. PS to Special Commissioner (ARU & TU)
5. Dy. Commissioner, ARU & TU, Burari
6. MLO, Fitness, Burari

TRANSPORT DEPARTMENT
GOVERNMENT OF NOT OF DELHI
5/9 UNDER HILL ROAD, DELHI-110054

No. F. in Lo/ARU/PPT/04/1160-1175 dated. 16.08.12

CIRCULAR

In compliance of Hon’ble Supreme Court order no. 333 in IA No. 316 in WP (C) No. 13029/1985 competent authority has authorized vide Public Notice F.No.DC(ARU)/TPT/2011-12/1143 dated 08.03.2012 MLOs of Surajmal Vihar, Sarai Kale Khan and Raja Garden zones in addition to Auto Rickshaw Unit. Buran to grant registration/fitness and permit of new TSRs The terms and condition of permit and eligibility criteria is mentioned in the public notice dated 08 08.2012 as enclosed herewith. To ensure compliance of above, following should be strictly adhered:-

(1) The new TSR should be CNG fuelled model approved by the Transport Department, Govt. of NCT, Delhi

(2) The MLO shall ensure to verify the driving licence/PSV badge from the data available in the Transport Department to ascertain the eligibility

(3) MLO should also verify from MLO Headquarter, MLO Taxi Unit & MLO Auto Rikshaw Unit to ensure that the applicant do not possess any other transport vehicle or TSR in his name before grant of registration/fitness and permit

(4) MLO shall ensure that the electronic fare meter integrated with GPS/ GRS device should be from manufacturers or suppliers having certification from DIMTS to ensure that GPS/GRS device integrated with fare meter is as per specification of the Command Control Centre established by the DIMTS and the electronic fare meter should be duly certified by the Controller, Weights and Measurement.

(5) System Analyst shall ensure that software should automatically check the status of reservation quota status and preference to women applicant as stipulated in the above public notice.

(6) The MLO shall ensure that proper arrangement of hardware and staff and requisite counters displaying the information for the applicants for fresh TSRs be made on priorities.

(7) All MLOs should arrange requisite number of fitness certificates forms and any other form required under the rules as per format similar to Auto Rikshaw Unit, Burari for the sake of uniformity DC (ARU) shall ensure to provide necessary assistance in this regard to the concerned MLOs.

(8) DC (Ops) shall issue necessary direction regarding constitution of Board of Inspectors in Zones Surajmal Vihar, Sarai Kale Khan and Raja Garden for issuance of registration/fitness and permit to TSR.

(9) System Analyst shall assess software and hardware requirement in three zones, namely Surajmal Vihar, Sarai Kale Khan and Raja Garden to start functioning similar to ARU Unit, Burari for issuing registration/ fitness and permits on receipt of requisition of concerned MLO.

(10) MLOs Surajmal Vihar, Sarai Kale Khan and Raja Garden shall submit file relates to above through DC (Ops.).

(11) Specimen of Form under rule-53 of DMVR-1993 is enclosed.

This issue with approval of competent authority.

(J.P. Sharma)
Dy. Commissioner (AR Policy)

End: As above

Copy for information & necessary action to:–

1 The Managing Director & CEO, DIMTS Ltd., 1st Floor, Maharana Pratap ISBT Building, Kashmere Gate, Delhi-110006

2. The Deputy Commissioner (Ops.), Transport Department, Govt. of NCT of Delhi.

3. The System Analyst, Transport Department, Delhi.

4. All MLOs Transport Department, Delhi..

(J.P. Sharma)
Dy. Commissioner (AR Policy)

layXu

jk"Vªh; jktèkkuh {ks= fnYyh ljdkj
vuqlfpr tkfr@vuqlfpr tutkfr@vU; fiNM+k
oxZ dY;k.k foHkkx
ch&Cykd] f}rh; ry] fodkl Hkou] vkbZ-ih-
,LVsV] ubZ fnYyh&110002

bZ&fMfLVªDV iksVZy ij vkosnu djus ds fn'kk&funsZ'k

1. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व आवेदकों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रवृत्ति योजनाओं का विवरण विभाग की वेबसाइट *www.scstwelfare.delhi.govt.nic.in* पर देख लें।

2. छात्र केन्द्रीय प्रयोजित योजना/राज्य प्रायोजित योजनाओं में से केवल एक ही योजना का लाभ ले सकता है।

3. ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व, छात्र अपने शैक्षणिक दस्तावेज, जाति प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र जो कि प्रधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया हो एवं आवेदन पत्र भरने की तिथि को वैद्य हो। तथा छात्र की बैंक की पासबुक की प्रतिलिपि, शैक्षणिक वार्षिक फीस रसीदें, छात्र का आधार संख्या एवं पासपोर्ट साईज फोटो की जांच कर लें।

4. आवेदक वार्षिक शुल्क के कालम में अंकित राशि अदा की गई फीस रसीद के आधार पर ही भरें और फीस रसीद को अपलोड करें।

5. छात्र अपना आवेदन ऑनलाइन करने के पष्चात् एवं फाइनल सबमिट करने से पूर्व पुनः अपने सम्पूर्ण विवरण की सावधानीपूर्वक जांच कर लें पदोपरन्त ही छात्र अपने आवेदन पत्र को फाइनल सबमिट करें।

6. छात्र सुनिश्चित करें कि बैंक खाता संख्या व विवरण जो भरा है वो आधार से सीडेड हो और खाता चालू हो।

7. छात्र जिन्होंने वर्ष 2016–17 में आवेदन पहले से ही पंजीकरण ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर किया है वे नवीनीकरण का ही विकल्प चुने।

8. छात्र अपना मोबाइल नं. सक्रिय रखें ताकि आवेदन पत्र की स्थिति से अवगत कराया जा सके।

9. आवेदक दी गई गलत/अधूरी जानकारी पोर्टल पर भरने के लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा।

10. आवेदक प्रणाली द्वारा जारी की गई लॉगइन आईडी संभाल कर रखें ताकि भविश्य में ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर अपनी आवेदन की स्थिति का निरीक्षण कर सकें।

vuyXud ßdÞ

1- vu|lfpr tkfr@vu|lfpr tutkfr@vU; fiNMk ox@vYil|[;d len|k;k d fo|kfFk;k ¼d{kk 1 ls 12½ dk LVs'kujh ¼y[ku lkexh½ [kjhnus d fy, foÙkh; lgk;rk&

कक्षाएं	छात्रवृत्ति	आय सीमा	आय प्रमाणपत्र
(1 कक्षा से 8 तक) (कक्षा से 12 तक) दिल्ली सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पब्लिक स्कूल/दिल्ली सरकार स्कूल/दिल्ली सरकार द्वारा सहायता प्राप्त स्कूल/केंद्रीय विद्यालय/एनडीएमसी/दिल्ली छावनी बोर्ड/दिल्ली नगर निगम परिषद	रु. 1000/– प्रति वर्ष	रु. 2,00,000/– वार्षिक	स्व घोषित

2- vu|lfpr tkfr@vu|lfpr tutkfr@vU; fiNMk ox@vYil|[;d len|k;k d fo|kfFk;k ¼d{kk 1 ls 12½ dk Nk=ofÙk@;kX;rk Nk=ofÙk&

कक्षाएं	छात्रवृत्ति	आय सीमा	आय प्रमाणपत्र
(1 कक्षा से 12 कक्षा तक)	(i) अ.ज./अ.जन./अल्पसंख्यक 1 से 8 कक्षा रु. 1000/– प्रति वर्ष (अंक %	अनुसूचित जाति/जनजाति कोई आय	स्व घोषित (केवल अन्य पिछड़ा वर्ग/

दिल्ली सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पब्लिक स्कूल/दिल्ली सरकार स्कूल/दिल्ली सरकार द्वारा सहायता प्राप्त स्कूल/केंद्रीय विद्यालय/एनडीएमसी/दिल्ली छावनी बोर्ड/दिल्ली नगर निगम परिषद	की कोई सीमा नहीं) (ii) अन्य पिछड़ा वर्ग (6 से 8) के लिए:– 55 से 60% अंक पिछली कक्षा रु. 600/– प्रति वर्ष 60% से ऊपर अंक पिछली कक्षा रु. 720/– प्रति वर्ष उपर्युक्त (i) और (ii) के दावों के लिए 9 से 10 कक्षा:– रु. 1620/– प्रति वर्ष (55 से 60% अंक पिछली कक्षा) रु. 2040/– प्रति वर्ष (60% से ऊपर अंक पिछली कक्षा) 11 से 12 कक्षा:– रु. 3000/– प्रति वर्ष (55% से 70% अंक पिछली कक्षा) रु. 4500/– प्रति वर्ष (70% से ऊपर अंक पिछली कक्षा)	सीमा नहीं अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक रु. 2,00,000/– वार्षिक	अल्पसंख्यक समुदाय)

3- vu|lfpr tkfr@vu|lfpr tutkfr@vU; fiNMk ox@vYi l|[;d le|nk;k ds fo|kfFk;k V;|'ku Qhl dh vnk,xh&

कक्षाएं	ट्यूशन फीस अदाएगी	आय सीमा	आय प्रमाणपत्र
(1 कक्षा से 12 कक्षा तक) दिल्ली सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पब्लिक स्कूलः—	60,000/— तक की वार्षिक आय के लिए 100	रु. 2,00,000/— वार्षिक	राजस्व विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा जारी
पिछली कक्षा में (6 से 12) के लिए न्यूनतम 50% अंक और 80% उपस्थित	60,001/— से 2,00,000/— तक के वार्षिक आय के लिए 75%		

4- dkyt vkj 0;kolkf;d l|LFkkuk e| vè;;ujr vu|lfpr tkfr@vu|lfpr tutkfr@vU; fiNMk ox@vYi l|[;d le|nk;k ds fo|kEFk;k dk ;kX;rk Nk=ofÙk&

कक्षाएं	छात्रवृत्ति	आय सीमा	आय प्रमाणपत्र
कॉलेज/तकनीकी/ व्यावसार्यिक संस्थान) पिछले परीक्षा में न्यूनतम सरकार द्वारा	(i) हॉस्टल में रहने वाले छात्रों के लिए रु. 9,648/— से 22,320/— प्रति वर्ष	(i) अनुसूचित जाति/जनजाति कोई आय सीमा नहीं	राजस्व विभाग, दिल्ली

60% अंक	(ii) गैर–हॉस्टल (डे स्कॉलर) छात्रों के लिए रु. 5,040/– से रु. 11,520/– प्रति वर्ष (कोर्स के आधार पर)	(ii) अन्य पिछड़ा वर्ग/ अल्पसंख्यक रु. 2,00,000/– वार्षिक

5- Mk- ch-vkj- vEcsMdj Vkil Z iqjLdkj

कक्षाएं	छात्रवृत्ति	आय सीमा	आय प्रमाणपत्र
टापर्स छात्रों की सूची सूचीबद्ध शिक्षण संस्थान से मांगी जाती है।	8000 रुपये प्रति कोर्स	कोई आय सीमा नहीं	लागू नहीं होता है।

dsUn&iks;kftr dk;Øe ¼lkekftd U;k; vkSj vf/kdkfjrk ea=ky;] Hkkjr ljdkj½

1- vU; fiNM+k oxZ fo|kfFkZ;ksa ds fy, iksLV eSfVªd LdkWyjf'ki ;kstuk&

कक्षाएं	छात्रवृत्ति	आय सीमा	आय प्रमाणपत्र
(कक्षा 11, 12 एवं उच्च शिक्षा)	अनुरक्षण भत्ता होस्टलर रु. 260/– से रु. 750/– प्रति माह गैर हॉस्टल (डे स्कॉलर) रु. 160/– से रु. 350/– प्रति माह अन्य भत्ते तथा शुल्क, योजना के अनुसार	अन्य पिछड़ा वर्ग रु. 1,00,000/– वार्षिक	राजस्व विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा जारी

2- vU; fiNMk ox fo|kFk;k d fy, ih efVd Ldkyjf'ki ;ktuk&

कक्षाएं	छात्रवृत्ति	आय सीमा	आय प्रमाणपत्र
(कक्षा 1 से 10) दिल्ली सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पब्लिक स्कूल/दिल्ली सरकार स्कूल/दिल्ली सकार द्वारा सहायता प्राप्त स्कूल/केंद्रीय विद्यालय/एनडीएमसी/दिल्ली छावनी बोर्ड/दिल्ली नगर निगम परिषद	होस्टलर (3 से 10):– रु. 500/– प्रति माह (दस महीनों के लिए) गैर–हॉस्टल (डे स्कॉलर) (1 से 12):– रु. 100/– प्रति माह (दस महीनों के लिए) (पिछली कक्षा में न्यूनतम उपस्थिति 60% से अधिक)	रु. 2,50,000/– वार्षिक	स्व घोषित

3- vulfpr tkfr fo|kFk;k d fy, ih efVd Ldkyjf'ki ;ktuk&

कक्षाएं	छात्रवृत्ति	आय सीमा	आय प्रमाणपत्र
कक्षा 9 और 10	डे स्कॉलर रु. 225/– प्रति माह 10 महीनों के लिए और बुक और एडहॉक अनुदान प्रति वर्ष रु. 750/–	रु. 2,50,000/– वार्षिक	स्व घोषित

	होस्टलर रु. 525/– प्रति माह 10 महीने और बुक और एडहॉक अनुदान प्रति वर्ष रु. 1000/–		

4- vu|lfpr tkfr fo|kFk;k d fy, ikLV efVd Ldkyjf'ki ;ktuk&

कक्षाएं	छात्रवृत्ति	आय सीमा	आय प्रमाणपत्र
(कक्षा 11, 12 एवं उच्च शिक्षा)	अनुरक्षण भत्ता होस्टलर रु. 380/– से रु. 1200/– प्रति माह डे स्कॉलर रु. 230/– से रु. 550/– प्रति माह अन्य भत्ते तथा शुल्क, योजना के अनुसार	अनुसूचित जाति रु. 2,50,000/– वार्षिक	राजस्व विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा जारी

(विस्तृत जानकारी के लिए विभाग की आधिकारिक वेबसाइट *www.scstwelfare.delhigovt.nic.in* देखें।

ekuuh; vè;{k% सप्लीमेंटरी।

Jh vke i:dk’k 'kek% माननीय मंत्री जी, मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो ‘क’ का जो प्रश्न है, इसमें जो शिकायतें आई, उन शिकायतों के विषय में क्या कार्रवाई की गई, कृपया बताने का कष्ट करें?

---¼0 ;oèkku½

ekuuh; vè;{k% उनका उत्तर है न ये। नहीं, मैं किसी ओर को सप्लीमैंटरी अलाउड नहीं... नहीं विजेन्द्र जी, प्लीज, मुझे आज ए क्वेश्चन. .. आप समय खराब कर रहे हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। प्लीज, मैंने जो आज 10 लिए हैं 10 मैं ये लेना चाहता हूं। नहीं, मैं इसमें नहीं, ओम प्रकाश जी का आ गया। मैं और कोई सप्लीमैंटरी इसमें अलाउ नहीं कर रहा हूं।

Jh fotUn xIrk% अध्यक्ष जी...

ekuuh; vè;{k% मैं नहीं कर रहा हूं। सप्लीमैंटरी आप ओम प्रकाश जी को बता दीजिए, वो ही पूछेंगे।

Jh vke i:dk’k 'kek% ये झुलझुली गांव, नजफगढ़ में जो फुल्ली ओटोमेटिड फिटनेस टैस्टिंग सैंटर है, ये कब शुरू होगा और अभी तक क्यों नहीं हुआ?

ekuuh; vè;{k% हां, जी।

ekuuh; ifjogu e=h% अध्यक्ष महोदय, ये जवाब अभी जो पढ़ के सुनाया, उसी में जवाब है कि बेसिक जो शिकयतें थी कि दलालों की एण्ट्री पर कोई रिसेट्रिक्शन नहीं है, तो अनऑथोराइज्ड लोगों की एण्ट्री बैन कर

दी गई है और होल्डर जो है, वो ओलरेडी लगा दिया गया है। जहां तक भीड़ की बात है...

---¼O;oèkku½

ekuuh; vè;{k% भई आप सब बोलेंगे, ये ठीक नहीं है।

ekuuh; ifjogu e=h% जहां तक बात भीड़ की है, उसको देखते हुए जो फिटनेस देने की जो कार्रवाई है, वो डिसैंटरलाइज करने का निर्णय ले लिया गया है। जहां तक बात झुलझुली सैंटर की है, झुलझुली सैंटर ओलरेडी ऑपरेशनल है, वहां जितनी भी स्कूल की बसें हैं, वो वहां...

Jh fotUn xIrk% ---¼O;oèkku½

ekuuh; vè;{k% भई ये फिर... ये शब्द निकाल दिया जाए, विजेन्द्र गुप्ता जी ने, जगदीश जी, विजेन्द्र जी। ये शब्द जो उन्होंने बोला, ये निकाल दिया जाए।

ekuuh; ifjogu e=h% सदन में आना छोड़ देना फिर।

ekuuh; vè;{k% विजेन्द्र जी, आप मुझसे बात करिए, विजेन्द्र जी।

ekuuh; ifjogu e=h% चलिए, अगर आप झूठे हुए तो इस सदन में आना छोड़ देना, इस सदन में आना छोड़ देना फिर।

ekuuh; vè;{k% विजेन्द्र जी, आप मुझसे बात करिए। विजेन्द्र जी, आप मुझसे बात करिए आप।

Jh fotUn xIrk% ---¼O;oèkku½

ekuuh; ifjogu e=h% अगर, नहीं आप मेरी बात का जवाब दें, आप मेरी बात का जवाब दें। अगर झुलझुली फिटनेंस सैंटर चालू हुआ तो इस सदन में आना छोड़ देना फिर आप।

Jh fotUn xIrk% फुल्ली ओपरेटेड है?

Jh ekuuh; ifjogu e=h% फुल्ली ओपरेटिड का मतलब क्या है?

ekuuh; vè;{k% विजेन्द्र जी, सारी दिल्ली जानती है, अथोरिटीज में कितना भ्रष्टाचार है, और उसको संरक्षण मिला हुआ है, पूरी दिल्ली जानती है, दिल्ली का एक–एक नागरिक जानता है, बैठिए आप।

Jh fotUn xIrk% झुलझुली वाला...

---½0 ;oèkku½

ekuuh; vè;{k% विजेन्द्र जी, आप बात करिए मुझसे। विजेन्द्र जी, इधर बात करिए। जितना उन्होंने बोला है, ये xxx[2] भी बोलें, ये मंत्री को कहें xxx बोल रहे हैं, ये जो मर्जी आए बोलें!

---½0 ;oèkku½

ekuuh; vè;{k% नहीं, आपने मुझसे बात ही नहीं की। आप मुझसे बात करिए। बैठ जाइए, मैं कोई अलाउ नहीं कर रहा हूं। आपने 15 मिनट सदन के खराब कर दिए हैं। अथोरिटीज में गंदगी है; कौन नहीं जनता, एक लाइसेंस लेना है तो रिश्वत देनी पड़ती है। आप उन सबको बचा रहे हैं, भ्रष्ट कम नहीं है अथोरिटीज। बैठिए, नितिन जी, आप बैठिए प्लीज। प्रष्न संख्या–62, सुश्री भावना गौड़।

---½0 ;oèkku½

विजेन्द्र जी?

---

xxx[2] चिह्नित शब्द असंसदीय होने पर सदन की कार्यवाही से हटाया गया।

ekuuh; vè;{k% अथोरटिज में भ्रष्टाचार की चर्चा मांग लीजिए कल के लिए, नहीं मैं अभी नहीं, झा साहब, मैं अलाउ नहीं कर रहा हूं, नितिन जी बैठिए, जो विजेन्द्र जी ने बोला सारा कार्रवाई से निकाल दीजिए। xxx[2] चिह्नित शब्द असंसदीय होने पर सदन की कार्यवाही से हटाया गया।

---¼O;oèkku½

ekuuh; vè;{k% सुश्री भावना गौड़ जी।

l|Jh Hkkouk xkM% माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उप मुख्य मंत्री जी से, क्वैश्चन नम्बर–62 का उत्तर चाहूंगीः

---¼O;oèkku½

ekuuh; vè;{k% विजेन्द्र जी, आपने 15 मिनट लिए हैं... पूरे 15 मिनट ले लिए हैं। सौरभ जी, आप भी बोलिए, 15 मिनट, आप बोलिए। 15 मिनट का समय दे रहा हूं। मैं संजीव झा को 15 मिनट का समय दे रहा हूं। बोलिए, संजीव झा जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं, बोलिए अब। नहीं, आप सब कुछ बोल चुके हैं। संजीव झा जी, बोलिए। आप बैठिए अखिलेश जी। सभी माननीय सदस्य शांत हो जाएं। बोलिए, संजीव जी।

ekuuh; vè;{k% आप सुन के जाइए अब, मैदान छोड़के न जाएं, आप मैदान छोड़के भाग रहे हैं।

¼foi{k d lHkh lnL;k dk lnu l ofgxeu½

Jh l tho >k% अध्यक्ष महोदय, विजेन्द्र गुप्ता जी ने सदन में एक आरोप लगाया था मंत्री जी पे और आपने उस कार्यवाही को एक्सपंज कर

---

xxx[2] चिह्नित शब्द असंसदीय होने पर सदन की कार्यवाही से हटाया गया।

दिया गया था लेकिन उसके बावजूद दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर ने उसको छापा है और उसमें लिखा है कि विधान सभा में ऊर्जा, परिवहन सचिव से दुर्व्यवहार का मामला और इसमें कहीं ये मेन्शन नहीं किया गया कि उसको एक्सपंज कर दिया गया था तो ये विशेषाधिकार का मसला बनता है। मेरा आपसे निवेदन है कि दोनों पेपर को आप प्रिविलेज में बुलाएं और फिर इनसे पूछा जाए कि जब ये सदन में एक्सपंज कर दिया गया था, उसके बावजूद ये न्यूज कैसे छापा गया।

ekuuh; vè;{k% आप लिखके शिकायत कीजिए इसकी कॉपी लगा के। नहीं सौरभ जी, प्लीज, इसी पे समय खराब हो जाएगा। ये माननीय सदस्यों के बहुत गंभीर प्रष्न हैं।

Jh lkjHk Hkkj}kt% सर, बहुत जरूरी है।

ekuuh; vè;{k% सौरभ जी, आज जो मर्यादा मैंने तय की थी; सोचा था, 20 स्टार्ड क्वेश्चन ले लूंगा।

Jh lkjHk Hkkj}kt% सर, दो मिनट सर, ये बहुत जरूरी है। ये जो प्रश्न है प्रश्न नम्बर–61, सर ये प्रश्न जो है, इसके ऊपर अपने आप में इस पूरी विधान सभा की अस्मिता टिकी हुई है। आप ये समझिए इस प्रश्न का उत्तर जो था, ये बड़ी मुश्किल से, बड़ी जद्दोजहद से, ये प्रश्न का उत्तर जो है, इस विधान सभा के पटल तक पहुंचा है। इस प्रश्न के उत्तर इससे पहले की विधान सभा तक पहुंचता, इसका उत्तर अखबारों तक पहुंचा, इसका उत्तर... एक फिक्टीशियस एक संथा बनाई गई, एसोसिएशन बनाई गई, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन बनाई गई ऑफिसर्स की, उस तक पहुंचा और इस प्रश्न का जवाब गलत दिया जाए और मिसलीड किया जाए इस पूरे हाउस को, इसका दबाव मंत्री के ऊपर बनाया गया। बाकायदा ट्रांसपोर्ट

कमिशनर ने इसका दबाव बनाया, ट्रांसपोर्ट कमिशनर की नहीं चली, जब ट्रांसपोर्ट कमिशनर की नहीं चली तो सारे एमएलओज को, जो इसके अंदर भ्रष्टाचार के अंदर जिनके ऊपर आरोप लग रहे थे, उनको इसके अंदर लिया गया, उनकी रातों–रात एक झूठी एसोसिएशन बनाई गई, उसका प्रेस रिलीज अखबारों को दिया गया और दो दिन तक ये दबाव जो है, मंत्री के ऊपर बनाया गया कि इसका जो जवाब है वो सही जवाब इस विधान सभा तक न पहुंचे। अध्यक्ष जी, मेरा आपसे से निवेदन है कि आप इसके अंदर एक जाँच कराइए कि क्यों एक मंत्री के ऊपर अफसरों ने अलग–अलग तरीके से दबाव बनाया कि इस हाउस को मिसलीड किया जाए। ये सीधा–सीधा मुझे लगता है, विशेषाधिकार का मामला है कि यहां पर एक मिसलीडिंग जवाब जो है, इस विधान सभा तक पहुंचे।

ekuuh; vè;{k% चलिए, सुश्री भावना गौड़ जी।

I|Jh Hkkouk xkM% अध्यक्ष महोदय, मैं महिला एवं बाल विकास मंत्री से प्रष्न संख्या–62 का उत्तर चाहूंगी।

क्या **efgyk ,o cky fodkI e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पालम विधान सभा में स्थित आंगनवाड़ी केन्द्रों का विवरण क्या है;

(ख) इन आंगनवाड़ी केन्द्रों के सुपरविजन के लिए उत्तरदायी अधिकारियों का संपर्क विवरण क्या है;

(ग) इन आंगनवाड़ी केन्द्रों में बच्चों को क्या–क्या सुविधाएं दी जाती है;

(घ) क्या इन आंगनवाड़ी केन्द्रों में दी जाने वाली सेवाओं में सुधार करने की सरकार की कोई योजना है;

(ङ) 'Early Childhood Education' योजना के अंतर्गत अभिवावकों एवं आंगनवाड़ी सोसायटी को ट्रेनिंग देने के प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है;

(च) प्रोत्साहित आंगनवाड़ी उन्नयन कार्यक्रम का विवरण क्या है;

(छ) क्या आंगनवाड़ी केन्द्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाने तथा आंगनवाड़ी वर्करों को मोबाइल फोन देने की सरकार की कोई योजना है;

(ज) यदि हां, तो इसे पालम विधान सभा में कब तक लागू कर दिया जाएगा;

(झ) क्या अतिरिक्त आंगनवाड़ी वर्करों को भर्ती करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है; और

(ञ) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है?

ekuuh; mi e|[; e=h ¼Jh euh"k fl lkfn;k½ अध्यक्ष महोदय, प्रष्न संख्या–62 का उत्तर प्रस्तुत है:

(क) व (ख) पालम विधान सभा में स्थित आंगनवाड़ी केन्द्रों का विवरण तथा उनके सुपरविजन के लिए उत्तरदायी अधिकारियों का संपर्क विवरण की सूची 'क' पर[3] संलग्न है।

(ग) पालम विधान सभा क्षेत्र में आंगनवाड़ी केन्द्रों में बच्चों को जो सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, उनका पूर्ण विवरण इस प्रकार है:

1. पूरक पोषाहार

2. अनौपचारिक शाला पूर्व शिक्षा

[3]*www.delhiassembly.nic.in* पर उपलब्ध।

3. पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा
4. बच्चों का आधार नामांकन
5. स्वास्थ्य जांच
6. प्रतिरक्षण
7. संदर्भ सेवाएं

उपरोक्त अंतिम तीन सेवाएं आंगनवाड़ियों में स्वास्थ्य विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है;

(घ) आंगनवाड़ी केन्द्रों में सेवाओं में सुधार के लिए सभी परियोजनाओं में निम्न कार्य किए जा रहे हैं;

1. पूरक पोषाहार के अंतर्गतः—

   बच्चों व महिलाओं को दिए गए जाने वाले पूरक पोषाहार की दरों में वृद्धि की गयी है, जिसको शीघ्र ही लागू कर दिया जाएगा।

   आंगनवाड़ी द्वारा पूरक पोषाहार वितरित करने के लिए नए गैर—लाभार्थी संगठन को चयन करने की प्रक्रिया आरंभ की जा चुकी है।

2. प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चों की देख—रेख और उनके सर्वागींण विकास हेतु शिक्षा नीति (ईसीसीई) के अनुसार पर्यवेक्षिकाओं एवं कार्यकर्ताओं को समय—समय पर प्रषिक्षण दिया जा रहा हैं;

3. आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता द्वारा बच्चों एवं महिलाओं का स्वास्थ्य और पोषण स्तर सुधारने के लिए महिला मडल मीटिंग का आयोजन तथा जागरुकता अभियान द्वारा माताओं का टीकाकरण, संपूर्ण पोषाहार और स्वास्थ्य शिक्षा संबंधी सामर्थ्य बढ़ाया जा रहा है;

4. क्षेत्र में वास्तविक बच्चों का आंगनवाड़ी में रजिस्ट्रेशन हेतु आधार नंबर के लिए नामांकन किया जा रहा है ताकि क्षेत्र के सभी बच्चों तक आंगनवाड़ी की सेवाएं पहुंच सके। कुल 2,36,903, बच्चों का आधार नामांकन किया जा चुका है व बाकी बच्चों के नामांकन की प्रक्रिया भी चल रही है;

5. स्वास्थ्य जांच, प्रतिरक्षण एवं संदर्भ सेवाएं लाभार्थियों के लिए आंगनवाड़ियों में स्वास्थ्य विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है;

6. सभी आंगनवाड़ियों में सीसीटीवी कैमरे और आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए मोबाइल फोन उपलब्ध कराने की योजना को अमल में लाने का कार्य प्रगति पर है ताकि प्रत्येक आंगनवाड़ी की गतिविधियों पर निगरानी की जा सके;

7. आंगनवाड़ी की गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए अधिक उपलब्ध कराने हेतु हब केन्द्र शुरू किए गए हैं। वर्तमान में अभी तक 390 आंगनवाड़ी केंद्रों को मिलाकर 110 आंगनवाड़ी हब बनाए गए हैं। इन सभी हब केन्द्रों में बिजली, पानी, शौचालय व खुले स्थान की सुविधाएं उपलब्ध है;

8. समेकित बाल विकास परियोजनाओं में 1051 अभिभावकों और आंगनवाड़ी समितियों का गठन किया जा चुका है ताकि समिति की निगरानी में आंगनवाड़ी केन्द्र की गतिविधियों व समस्याओं का समाधान किया जा सके।

(ङ) इस संबंध में उपलब्धियां निम्न हैः

विभाग ने विज्ञापन द्वारा समितियां गठित करने के लिए प्रस्ताव आमंत्रित करके कुल 1051 समितियां गठित की जा चुकी हैं जिसमें कुल 12,612 सदस्य है;

इन सभी सदस्यों की (ईसीसीई) ट्रैनिंग हेतु प्रषिक्षण का प्रारूप तैयार कर लिया गया है;

इस प्रषिक्षण के लिए (ईसीसीई) निपुण पदाधिकारी नामांकित किए जा चुके हैं; सभी सदस्यों को 525 समूहों में वर्गीकृत किया जा चुका है;

इस संबंध में प्रस्ताव अनुमोदन हेतु योजना विभाग में प्रेषित किया जा चुका है; अनुमोदन आने के पश्चात् प्रशिक्षण प्रक्रिया किया जा चुका है;

इस संबंध में प्रस्ताव अनुमोदन हेतु योजना विभाग में प्रेषित किया जा चुका है; अनुमोदन आने के पष्चात् प्रषिक्षण प्रक्रिया शीघ्र शुरू कर दी जाएगी;

(च) प्रोत्साहित आंगनवाड़ी उन्नयन कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों के लिए बेहतर सुविधा जैसे मेज, कुर्सी इत्यादि उपलब्ध करवाने हेतु मॉडल आंगनवाड़ी बनाने का प्रावधान है। इसी प्रक्रिया के अंतर्गत तीन या उससे अधिक आंगनवाड़ियों को एक बड़े स्थान हब के नाम से संचालित किया जाना है जिससे क्षेत्र के बच्चों व महिलाओं को बेहतर ढंग से पोषण व स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं दी जा सके। इसी प्रयास में अभी तक 390 आंगनवाड़ी केन्द्रों को मिलाकर 110 आंगनवाड़ी हब बनाए जा चुके हैं।

(छ) जी, हां।

(ज) पालम विधान सभा क्षेत्र में आंगनवाड़ी केन्द्रों में सीसीटीवी कैमरे तथा आंगनवाड़ी वर्करों को मोबाइल फोन देने की सरकार की योजना लागू करने संबंधी समय–सीमा के बारे में कुछ कहना संभव नहीं है।

(झ) व (ञ) जी हां, सरकार का और अधिक आंगनवाड़ी वर्कर्स नियुक्त करने का प्रस्ताव है जिसमें जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारियों द्वारा आंगनवाड़ी वर्कर्स के रिक्त पदों को भरने का कार्य प्रगति पर है तथा शीघ्र ही साक्षात्कार की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाएगी।

ekuuh; vè;{k% सप्लीमेंटरी।

lqJh Hkkouk xkM% अध्यक्ष महोदय, मेरा सप्लीमेंटरी है; इसमें सीसीटीवी कैमरा लगाने की बात की है। ये सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए क्या आंगनवाड़ियों में जो सीसीटीवी लगेंगे उसके लिए आपके पास अलग से बजट है या क्या जो हमें सब विधान सभाओं में 2000 सीसीटीवी लगाने की अभी अनुमति सरकार से मिली है। उसके अंतर्गत क्या विधायक अपनी मर्जी से आंगनवाड़ियों में सीसीटीवी कैमराज लगा सकते हैं? पहला सप्लीमेंटरी है।

ekuuh; vè;{k% बस, एक ही करिए प्लीज।

lqJh Hkkouk xkM% सर, मैं साथ–साथ दूसरा भी पूछ लूं।

ekuuh; vè;{k% हां, पूछ लीजिए।

lqJh Hkkouk xkM% क्या एमएलए लेड जो है हमारा वो आंगनवाड़ियों के विकास के लिए या कुछ अलग से सुविधाएं देने के लिए खर्च कर पाएंगे आने वाले समय में।

ekuuh; mi eq[; ea=h% अध्यक्ष महोदय, पहला सवाल आंगनवाड़ी में सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए बजट से संबंधित है। जहां तक मुझे याद है, क्योंकि वित्त मंत्री के रूप में भी मैंने इस पर डिसीजन लिया था और डब्ल्यूसीडी मिनिस्टर के रूप में भी हमने सीसीटीवी हरेक आंगनवाड़ी में सीसीटीवी लगाने के लिए बजट रखा है और इस पर कितना बजट

रखा है, कैसे रखा है, उसकी जानकारी माननीय सदस्या को अलग से उपलब्ध करा देंगे। लेकिन अलग से बजट अलोटिड है इसके लिए। दूसरा आने एमएलए फण्ड को आंगनवाड़ी में खर्च करने के लिए बात कही है। अभी इस तरह का कोई प्रस्ताव हमारे पास नहीं है; मुझे ठीक से ये जानकारी नहीं है कि यूडी मिनिस्टर के द्वारा जो एमएलए फण्ड की गाइडलाइंस को रिव्यू करने का काम किया जा रहा है, उसमें क्या–क्या चीजें शामिल है। पर अगर माननीय सदस्या का कोई ऐसा प्रस्ताव हो कि एमएलए फण्ड को भी वो किसी विशेष परिस्थितियों में आंगनवाड़ी के किसी विशेष योजना में लगाना चाहती हैं तो उसका उल्लेख मुझे एक पत्र द्वारा सूचित कर दें, मैं उसको कोशिश करूंगा कि आंगनवाड़ी में एमएलए फण्ड उसको शामिल कर लेंगे।

ekuuh; vè;{k% नहीं, अब नहीं, भावना जी, प्लीज। प्रश्न संख्या–63 जगदीश प्रधान जी।

Jh txnh'k ièkku% अध्यक्ष जी, प्रश्न संख्या–63 प्रस्तुत हैः

(क) क्या यह सत्य है कि यूपी, हरियाणा एवं अन्य राज्यों से टैक्सियां बिना वैध परमिट के दिल्ली में चल रही है;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि झारखंड जैसे राज्यों के वाहन भी एम्बुलेंस के नाम पर दिल्ली में चल रहे हैं;

(ग) अन्य राज्यों के वाहनों की अनुमति देने के लिए सरकार की क्या नीति है;

(घ) इस गैर–कानूनी गतिविधि को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) इन वाहनों को दिल्ली में प्रवेश करने से रोकने में सरकार क्यों नाकाम रही है? साथ–साथ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट चाहता हूं प्रार्थना करना चाहता हूं हाथ जोड़कर कि मेरा प्रश्न संख्या–60 जो कल की डेट में था जो कई लाख लोगों की जिन्दगी से जुड़ा हुआ है, उस पर एक मिनट अगर मुझे बोलने की आप इजाजत दें।

ekuuh; vè;{k% नहीं, अब उसमें नहीं एलाउ होगा। देखो उसमें 50 तक मैंने लिए हैं।

Jh txnh'k ièkku% नहीं, इस पर मैं कुछ नहीं बोल रहा।

ekuuh; vè;{k% नहीं, प्लीज।

Jh txnh'k ièkku% उसका जवाब भी नहीं चाह रहा मैं।

ekuuh; vè;{k% नहीं, अब उसका जवाब अब... नहीं देखिए ये सभी विधायक मांगेंगे।

Jh txnh'k ièkku% सर, आधा मिनट लगेगा।

ekuuh; vè;{k% जगदीष जी, देखिए, मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूं।

Jh txnh'k ièkku% जी, मैं इस जवाब से संतुष्ट नहीं हूं।

ekuuh; vè;{k% किसके जवाब से। आप वो लिखकर दीजिए मैं देख लूंगा।

Jh txnh'k ièkku% धन्यवाद।

ekuuh; vè;{k% प्रश्न संख्या–63, माननीय मंत्री जी।

ekuuh; ifjogu e=h% अध्यक्ष जी, जवाब इस प्रकार है:—

(क) जी, हां।

(ख) ऐसा संज्ञान में नहीं है।

(ग) अन्य राज्यों के पंजीकृत परिवहन वाहन दिल्ली में राष्ट्रीय परमिट ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट तथा राज्यों के बीच पारस्परिक समझौतों के तहत दिल्ली में प्रवेश कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य राज्यों की टैक्सियां ओला, उबर इत्यादि एग्रीगेटरस के माध्यम से चल रही है जिनको रेगुलेट करने के लिए लाइसेंसिंग एंड रेगुलेशन ऐप्प बेस्ड एग्रिगेटर्स रूल्स बना दिए गए थे। उसको अंतिम रूप देने के लिए मुख्यमंत्री के आदेश से हाई पॉवर कमिटी का गठन किया गया है, उसकी रिपोर्ट आना बाकी है। रिपोर्ट आने के बाद नियम लागू किए जाएंगे;

(घ) गैर–कानूनी रूप से चलते पाए गए वाहनों के विरुद्ध समय–समय पर परिवहन विभाग की प्रवर्तन शाखा द्वारा मोटर वाहन अधिनियम तथा इसके अंतर्गत बने नियमों के तहत ऐसे वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है।

(ङ) परिवहन विभाग की प्रवर्तन शाखा ऐसे वाहनों का प्रवेश रोकने के लिए मोटर वाहन अधिनियम तथा इसके अंतर्गत बने नियमों के तहत लगातार कार्रवाई करती रहती है। बिना वैध परमिट के दिल्ली में चलती पायी जाने वाली व अन्य राज्यों से आने वाली टैक्सियों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम 1988 तथा इसके अंतर्गत बने नियमों के तहत निरन्तर कार्रवाई की जाती है। 1/5–2018 से 30.06.2018 के दौरान की गयी कार्रवाई का विवरण निम्नलिखित है:—

वाहन विवरण कुल वाहन चालक चालान मालिक के चालान कुल बंद वाहन टैक्सी (अन्य राज्य) 404 404 157 171.

ekuuh; vè;{k% सप्लीमेंटरी। वैसे माननीय मंत्री जी, ये बड़ी गंभीर मामला है; क्या यह सत्य है कि यूपी, हरियाणा एवं अन्य राज्यों से टैक्सियां बिना वैध परमिट के दिल्ली में चल रही है। ये बड़ा गंभीर मामला है।

ekuuh; ifjogu e=h% ये बिल्कुल सही कह रहे हैं स्पीकर सर। जो दूसरे स्टेट्स की भी टैक्सीज हैं, जो दिल्ली के अंदर सवारी उठाकर और दूसरी जगह नहीं छोड़ सकती, वो चल रही हैं और मेरे ख्याल से जो पॉलिसी हम बनाने जा रहे हैं, उसमें इन सभी टैक्सियों को दिल्ली का परमिट लेना कंप्लसरी रहेगा।

ekuuh; vè;{k% सुश्री अलका लाम्बा जी प्रश्न संख्या–64।

lqJh vydk ykEck% धन्यवाद अध्यक्ष जी, प्रश्न संख्या–64 प्रस्तुत हैः–

क्या **ekuuh; mi eq[; e=h** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सत्य है कि पेन्शन आवेदन में बिंदी लगी फोटो इस्तेमाल करने वाली विधवा महिलाओं के पेन्शन आवेदन विभाग द्वारा अस्वीकृत किए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस आधार पर कितने आवेदन अस्वीकृत किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार को आवेदकों के पति असहयोगात्मक एवं अषिष्ट व्यवहार करने वाले स्टाफ के विरुद्ध कोई शिकायते मिली हैं; और

(घ) स्टाफ को इस संबंध में संवेदनशील बनाने के लिए क्या कदम उठाए जाने प्रस्तावित है?

ekuuh; vè;{k% मंत्री जी।

ekuuh; mi e[; e=h% अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या–64 का उत्तर प्रस्तुत है:

(क) और (ख) जी, नहीं, ये सत्य नहीं है;

अध्यक्ष महोदय ये दोनों प्रश्न के संदर्भ में मुझे ये कहना है कि माननीय विधायिका जी ने जो सवाल किया है; 'क्या ये सत्य है कि पेन्शन आवेदन में बिंदी लगी फोटो इस्तेमाल करने वाली विधवा महिलाओं के पेन्शन आवेदन विभाग द्वारा स्वीकृत किए जा रहें, यदि हां, तो इस आधार पे कितने आवेदन अस्वीकृत किए गए हैं?' मैंने इसके जवाब में ये ही कहा है कि जी नहीं, ये सत्य नहीं है लेकिन इसके बावजूद मैं क्योंकि मेरे अपने रिकॉर्ड में विभाग के रिकॉर्ड में ऐसी कोई हमारे पास सूचना नहीं है। लेकिन मैं माननीय सदस्या से और बाकी सब सदस्यों से कहना चाहता हूं कि अगर इस तरह की कोई शिकायत... क्योंकि ये संभव है कि हमारे रिकॉर्ड में न हो पर जैसे ही ये प्रश्न मेरे संज्ञान में आयात तो मुझे खुद इसपे चिंता हुई की ऐसा कैसे हो सकता है कि... तो इसके इसलिए मैंने कहा कि मुझे लगा कि शायद इस प्रश्न पूछने का कोई तो संदर्भ होगा। उस संदर्भ के मैं अपने जवाब देने के जिम्मेदारी से इतर जा के माननीय सदस्यों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर इस तरह की कोई सूचना आपके पास में है या सदस्य के पास में या अन्य सदस्यों के पास में... तो उसे मुझे अवगत जरूर करवा दें क्योंकि ये डिपोर्टमैंट की ऐसी कोई प्रॉब्लम है जिसको हम पोलिसी लेवल पर प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है कोई अपने लेवल पर इसमें गड़बड़ी कर रहा हो या कुछ समूह किसी मिस–अंडरस्टेंडिंग के कारण गड़बड़ कर रहे हैं, हम उसको दुरूस्त कर देंगे। अगर कोई एक मिनट... मैं पूरा जवाब दे देता हूं लेकिन क्योंकि इसमें मैंने 'जी नहीं, ये सत्य नहीं है' ये लिखा था। ये बात ठीक है कि ऐसा हमारे नॉलेज में कुछ ऐसा है तो उसको दे दें मुझे।

(ग) विभाग के पास दो शिकायतें आई हैं। हां, मैं बता रहा था कि ये क्योंकि सवाल ये है कि आवेदकों के प्रति सहयोगात्मक एवं अशिष्ट व्यवहार करने वाले स्टाफ के विरुद्ध कोई शिकायत मिली थी;

विभाग के पास लिखित दो शिकायतें आई हैं। इस प्रकार के मामले आते हैं तो जिला स्तर पर कार्यरत कर्मचारी के प्रति तुरंत कार्रवाई की जाती है; और

(घ) मुख्यालय एवं जिला कार्यालय द्वारा समय–समय पर निर्देश जारी किए गए हैं एवं आवेदकों के प्रति सहयोगात्मक व्यवहार करने के लिए स्टाफ को प्रोत्साहित किया जाता है। जिला अधिकारी अपने जिले के कर्मचारियों का पर्यवेक्षण भी करते हैं।

ekuuh; vè;{k हां, अलका जी।

Jh vydk ykEck अध्यक्ष महोदय, 70 विधान सभाएं हैं और 70 विधायकों ने अधिकतर ने गर्दन हिलाई कि इनके यहां ऐसा होता है। लेकिन शिकायतें पूरी 70 में कितनी बताई गई जब मैंने पूछा तो; दो। ये कोई भी यकीन नहीं करेगा कि पूरी दिल्ली में 70 विधान सभाओं में सिर्फ दो लिखित में शिकायतें विभाग के पास आई हैं। तो मुझे लगता है... और दूसरी बात अगर दो भी आई हैं तो कृपया जानकारी दें कि ये किस तरह की शिकायतें थी और क्या कार्रवाई की गई है और तीसरा और अंतिम क्वेश्चन जब आप किसी की पेन्शन रिजेक्ट करते हैं तो क्या आप कारण मेन्शन करते हैं। सिर्फ ये बताया गया है रिजेक्ट। कारण क्या है, वो नहीं बताया जाता और ये सारा मामला गुलाबी बाग हमारी पेंशन दफ्तर का है, धन्यवाद।

ekuuh; mi e[; e=h% मैं माननीय विधायक जी से रिक्वेस्ट करूंगा और बाकी सदस्यों से भी मेरा आग्रह रहेगा कि इसमें जो भी शिकायतें हैं, जैसे दो शिकायतों की जानकारी जो आई हैं, मैं दे दूंगा। उसके अलावा कोई अगर शिकायत की गई है और वो हमारे रिकॉर्ड में नहीं है, उल्लेख में नहीं है। उसका हम मतलब उसका भी फिर हम जवाबदेही तय करेंगे कि बाकी शिकायतें यहां संज्ञान में क्यों नहीं लाई गई हैं। जहां तक आपने बताया है कि... लास्ट में आपने कहा कि रिजक्ट होने का कारण उसका में समीक्षा करके सदन को सूचना दे देंगे कि उसपे अभी क्या स्थिति है और अगर उसमें कोई सुधार किया जा सकता है तो क्या किया जा सकता है।

ekuuh; vè;{k% सिर्फ प्रोमिला टोकस जी। महिलाओं से थोड़ा एक। नहीं–नहीं, अब नहीं, प्लीज।

Jherh ifeyk Vkdl% अध्यक्ष जी मेरी विधान सभा में एक रामा देवी है, उसकी एक्सेप्ट की गई 28.2.2018 को और अब कल वो लेडी वहां पे गई तो उन्होंने रिजेक्ट करके उन्होंने दे दिया कि आप दोबारा फार्म भरिए। वो ही जो अभी अलका जी ने बताया; कोई बताया नहीं, पहले एक्सेप्ट की, अब उन्होंने कहा दोबारा फार्म भरिए और एक अध्यक्ष जी, मेरे ही वार्ड में मेरी विधान सभा क्षेत्र में विडो लेडी है, उसकी डेढ़ साल की पेन्शन नहीं आई है; अभी लास्ट में छः महीने की पेन्शन बता रहे हैं, वो 15 हजार दी है। तो ये इतना गंभीर मुद्दा और एक जो विडो पेन्शन है, उसमें एक ये मेन्शन कर दिया है; वही जो हिन्दी में लिखा हुआ होता है, पहले पेज पे वो ही एक वो बनाके देते हैं इंगलिश में और उनको बार–बार घुमाते हैं इसपे साइन करवाकर लेके आइए। इसपे नाम भरवा

के ले के आइए, वो ही सेम चीज। तो ये बहुत गंभीर मुद्दा है क्योंकि विडो लेडी है, कुछ अनपढ़ हैं जो उनको पता नहीं है, बार–बार चक्कर काटते हैं।

ekuuh; mi e[; e=h% ये पेन्शन... गरीबों की सहायता, ये सब हैं भी अधिकतर ऐसे ही उनके लिए जो हेवनोट्स हैं और जिनके पास शिक्षा की संभावनाएं थोड़ी कम ही है। मैं इनके आपके ग्रिवेंस से सहमत हूं। इसको हम अंग्रेजी वाले पूरे फार्म को हिन्दी में भी करवा देंगे। कोई भी ऐसा डाक्युमैंट नहीं होगा जो सिर्फ या तो मतलब हिन्दी में हो या अगर किसी कारण से अंग्रेजी में भी है तो हिन्दी में जरूर हो उसका और जे व्यक्तिगत दो शिकायतें आपने की हैं रमा देवी की एक और उसका मुझे आप दे दीजिएगा, उसका मैं चैक करा के आपको सूचना दे दूंगा।

l|Jh vydk ykEck% जबकि दफ्तर एक है; मंत्रालय अलग है। काफी कन्फयूजन होता है, काफी लोगों को परेशानी आ रही है।

Jh ifeyk Vkdl% अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूं वो जो हिन्दी में वो तो है, एक इंगलिश में और देते हैं बाद में।

ekuuh; vè;{k% बोल दिया मंत्री जी ने, जवाब दिया है भई।

ekuuh; mi e[; e=h% इसकी जानकारी आप मुझे दे दीजिए डब्ल्यूसीडी और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट दोनों अलग पेंषन डील करते हैं। सोशल वेलफेयर की पेन्शंस अलग हैं। डब्ल्यूसीडी क्योंकि महिला विभाग से संबंधित है, इसलिए उसमें है पर इस पर विचार किया भी जा सकता है... मैं अभी कोई आश्वासन नहीं दे सकता यहां पे।

Jh iroh.k dekj% डब्ल्यूसीडी की 8–10 साल से पेन्शन आ रही है बीच में उसकी एक साल, डेढ़ साल पेन्शन बंद हो गई। अब उसको नया

फार्म भरने का कहा जाता है। तो पुरानी एक डेढ़ साल की जो पेन्शन है, वो उसकी खत्म कर दी जाएगी। नए फार्म के हिसाब से उसकी पेन्शन आती है। तो पिछले एक डेढ़ साल की पेन्शन उसकी कहां गई?

ekuuh; mi e|[; e=h% देखिए, मैं सभी साथियों से कहना चाहूंगा कि पूरक प्रश्न का जो आग्रह है, वो ही रहता है कि जो सवाल पूछा गया है, उससे संबंधित अगर कोई डायरेक्ट प्रश्न बनता है पर जितने भी ग्रिवेंसिज हैं, आप मुझे अलग से भी लिखके दे दें। ये जरूरी नहीं है कि मेरे पास हर सवाल का यहां जवाब होगा। उसको एड्रेस कराने की कोशिश करेंगे।

ekuuh; vè;{k% भई अब बैठिए। प्रश्न संख्या 65, श्री बग्गा जी।

Jh ,l-d- cXxk% क्या **ifjogu e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृष्णानगर विधान सभा में नई बसें लाने का सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है;

(ग) दिल्ली की सड़कों पर वास्तव में कितनी बसें चल रही है;

(घ) वर्तमान में परिवहन विभाग में कार्यरत स्टाफ का पदवार विवरण क्या है;

(ङ) उन ई–रिक्शा ओपरेटरों का विवरण क्या है, जिन्हें सब्सिडी दी गई है;

(च) जिन ई–रिक्शा ऑपरेटरों के सब्सिडी नहीं दी गई है, उनका विवरण क्या है; और

(छ) इन व्यक्तियों को अभी तक सब्सिडी ने मिलने के क्या कारण हैं?

ekuuh; ifjogu e=h% अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या–65 का उत्तर प्रस्तुत हैः

(क) व (ख) जी, नहीं।

(ग) कम्प्यूटर अभिलेख के अनुसार दिनांक 01.08.2018 को दिल्ली में 18515 बसों के पास वैध परमिट हैं;

(घ) वर्तमान में परिवहन विभाग में कार्यरत स्टाफ की पदवार सूची अनुलग्नक 'क' और 'ख' पर संलग्न है;

(ङ) दिनांक 30.06.2018 तक 50340 रजिस्टर्ड ई–रिक्शा आपरेटरों में से 37479 आपरेटरों को सब्सिडी दी जा चुकी है। इसके अतिरिक्त 2362 ई–रिक्शा आपरेटरों को सब्सिडी देने का कार्य प्रगति पर है;

(च) सभी ई–रिक्शा ऑपरेटरों को सब्सिडी दी जा सके, इसके लिए निम्नलिखित प्रयास किए गएः–

1. विभिन्न अखबारों में दिनांक 24.06.2017, 28.10.2017, 08.04.2018 एवं 05.05.2018 को सार्वजनिक सूचनों द्वारा अनुरोध किया गया कि ऐसे सभी पंजीकृत ई–रिक्शा मालिक जिनके सब्सिडी के दावे लम्बित हैं, वे सभी ई–रिक्शा मालिक एक रद्द किए हुए चैक की प्रतिलिपि आदि के साथ संबंधित एमएलओ कार्यालय, जहां उनका ई–रिक्शा पंजीकृत है, जमा करवाएं;

2. सभी मोटर वाहन अधिकारियों द्वारा समय–समय पर ऐसे सभी पंजीकृत ई–रिक्शा मालिक जिनके सब्सिडी के दावे लम्बित हैं, उनके उपलब्ध फोन पर सम्पर्क किया गया;

3. सभी विधायकों को ई–मेल द्वारा दिनांक 26.03.2018 एवं 05.04.2018 को ऐसे सभी पंजीकृत ई–रिक्शा मालिक जिनके सब्सिडी के दावे लम्बित है, सूची भेजी गई तथा अनुरोध किया गया कि उनके क्षेत्र में ऐसे जितने भी ई–रिक्शा मालिक हैं उनका बैंक अकाउंट आईएफएस कोड आदि का विवरण उपलब्ध करवाए ताकि उनको सब्सिडी प्रदान की जा सके;

4. ई–रिक्शा रजिस्टर्ड डीलरों के माध्यम से भी समय–समय पर प्रयास किया गया कि वह ऐसे सभी पंजीकृत ई–रिक्शा मालिक जिनके सब्सिडी के दावे लम्बित है उनके बैंक अकाउंट/आईएफएस कोड आदि का विवरण उपलब्ध करवाएं ताकि उनको सब्सिडी प्रदान की जा सके;

5. सभी मोटर वाहन अधिकारियों ने दिनांक 17.07.2018 को हुई बैठक में सुनिष्चित किया कि उपरोक्त तिथि तक उनके कार्यालय में कोई भी ई–रिक्शा सब्सिडी का आवेदन लंबित नहीं है।

उपरोक्त सभी प्रयासों के पश्चात् भी शेष 10499 ई–रिक्शा आपरेटरों के बैंक खाते, आईएफएस कोड आदि का विवरण प्राप्त न होने के कारण इन ई–रिक्शा आपरेटरों को अभी तक सब्सिडी प्रदान नहीं की जा सकी है; इस संदर्भ में प्रयास जारी है तथा जैसे ही इन ई–रिक्शा आपरेटरों में से जिस किसी का भी बैंक खाता/आईएफएस कोड का विवरण प्राप्त हो जाएगा, उसको सब्सिडी प्रदान कर दी जाएगी।

vu|yXud d

Present functioning staff in Transport Department (Cadre)

Category	Designation of the Post	Number of Sanctioned Posts	Filled Posts
1	2	3	4
	Gazetted		
Group-A	Secretary Cum-Commissioner (Tpt)	1	1
	Spl. Commissioner (Tpt)	0	2
	Joint Commissioner (Tpt)	2	0
	Addl. Commissioner (UTCS)/ DANICS JG-II	1	0
	Controller of Accounts	1	0
	Dy. Commissioner (Plg. and Stat)	1	1
	Deputy Controller of Accounts	1	1
	Sr. Accounts Officer	1	1
	Sr. System Analyst	1	1
	System Analyst	2	2
	Asstt. Director (Plg)	2	2
	Total	13	11

1	2	3	4
Group-B	Dy. Commissioner (UTCS)	5	5
	Vigilance Officer	1	0
	Administrative Officer/Gr.I (DASS)	10	3
	Accounts Officer	1	1
	Asstt. Programmer	10	3
	Sr. P.A/Stenographer Gr.I	2	2
	AAO	9	4
	Statistical Officer/Research Officer	4	1
	Non-Gazetted		
Group-B	Head Clerk	20	9
	Total	62	28
Group-C	Statistical Investigator/Assistant	18	3
	Stenographer	16	4
	DEO	19	17
	UDC	70	67
	LDC	184	46
	Total	307	137
	Grand Total	382	176

vuyXud [k

Present functioning staff in Transport Department (Ex-cadre)

Category	Designation of the Post	Number of Sanctioned Posts	Filled Posts
1	2	3	4
Group-A	Jt. Comm.	2	0
	DY. Comm.	5	4
	Total	7	4
Group-B	Enf. Off.	10	2
	PCO	20	18
	Asstt. Secy. (STA)	1	0
	Technical Officer	1	0
	MLO	24	21
	CMVI	1	0
	Workshop Supdt	1	0
	MVI	44	10
	PLTI	38	17
	HQI	6	1
	Inspectors Enforcement	13	7
	Total	159	76

1	2	3	4
Group-C	DI	5	2
	RSI	6	0
	DTI	8	0
	Sub-Insp.	72	21
	ASI	75	59
	Head Constable	218	88
	Foot Constable	419	4
	Driver	16	14
	Class-IV	120	74
	Total	939	262
	Grand Total	1105	342

ekuuh; vè;{k% सप्लीमेंटरी।

Jh ,l-d- cXxk% ये कोई मेडिकल स्कीम है?

ekuuh; vè;{k% नहीं, दोबारा बोल दीजिए।

Jh ,l-d- cXxk% डीटीसी के रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए कोई मेडिकल स्कीम दिल्ली सरकार की है कोई? दूसरा, बस शेल्टर बनाने के लिए सरकार के क्या कार्यक्रम हैं?

ekuuh; ifjogu e=h% इससे कनेक्टिड नहीं है सवाल ये।

ekuuh; vè;{k% डीटीसी का तो कनेक्टेड है। बस शेल्टर का नहीं है। दोबारा बोल दीजिए एक बार डीटीसी वला, कर्मचारियों वाला।

Jh ,l-d- cXxk% सर, क्या डीटीसी के रिटायर्ड कर्मचारी जो रिटायर्ड हो जाते हैं, उनके लिए केशलेस या कोई ऐसी मेडिकल की स्कीम है दिल्ली सरकार के पास?

ekuuh; ifjogu e=h% सर, मेडिकल.. स्पीकर सर दिस इज... मैं ये ही अनुरोध कर रहा हूं कि इन सवालों में से कोई भी ये कनेक्टिड नहीं है।

ekuuh; ifjogu e=h% इससे कनेक्टेड नहीं है सवाल।

ekuuh; vè;{k% डीटीसी का तो कनेक्टेड है, बस शेल्टर का नहीं है। दुबारा बोल दीजिए एक बार।

Jh ,l-d- cXxk% सर, क्या डीटीसी के रिटायर्ड कर्मचारी जो रिटायर्ड हो जाते हैं, उनके लिए केशलेस या कोई ऐसे मेडिकल की स्कीम है, दिल्ली सरकार के पास?

ekuuh; ifjogu e=h% सर, स्पीकर साहब मैं ये अनुरोध कर रहा हूं कि इन सवालों में से कोई भी ये कनेक्टेड नहीं है।

ekuuh; vè;{k% चलिए। प्रश्न संख्या–66, श्री नितिन त्यागी जी।

Jh fufru R;kxh% अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से प्रश्न संख्या–66 निम्नानुसार प्रस्तुत हैः

(क) पिछले 5 वर्षों में अनु.जा./जनजाति के छात्रों को स्कॉलरशिप देने हेतु आबंटित किए गए बजट का वर्ष–वार विवरण क्या है;

(ख) इस अवधि के दौरान अनु.जा./जनजाति के छात्रों को स्कॉलरशिप के रूप में वास्तव में भुगतान की गई राशि का वर्ष–वार विवरण क्या है;

(ग) छात्रों को इन स्कॉलरशिप्स को प्राप्त करने के लिए क्या मानदंड एवं प्रक्रिया है;

(घ) आवेदन की प्रक्रिया कितने समय में पूर्ण कर ली जाती है; और

(ङ) भावी लाभार्थियों तक इन योजनाओं का प्रचार करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

ekuuh; vè;{k% माननीय मंत्री जी।

lekt dY;k.k e=h% अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या–66 का उत्तर प्रस्तुत है:–

(क) वर्ष	आवंटित राशि (रु. करोड़ों में)
2013–14	293.12/–
2014–15	253.10/–
2015–16	297.63/–
2016–17	314.99/–
2017–18	289.94/–

(ख) वर्ष	व्यय राशि
2013—14	263.87/—
2014—15	246.26/—
2015—16	257.66/—
2016—17	88.83/—
2017—18	221.52/—

(घ) 1. आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण करने की कोई समय—सीमा निर्धारित नहीं है। वर्ष 2017—18 के लिए ये प्रक्रिया 9 दिसम्बर, 2017 से शुरू की गई थी जिसकी अंतिम तिथि 31 जनवरी, 2018 रखी गई थी, इसे बढ़ाकर 28 फरवरी, 2018 और फिर 31 मार्च, 2018 और अंत में 10 अप्रैल 2018 तक कर दिया गया था, इस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त हुए आवेदनों को संबंधित स्कूल व संस्थानों द्वारा ऑन—लाइन सत्यापित किया जाता है। फिर उन्हें संबंधित उप—निदेशक, शिक्षा विभाग के द्वारा अनुमोदित किया जाता है और अंत में अनुमोदित आवेदनों को डीएससीएसटी विभाग द्वारा छात्रवृत्तियों का विवरण ऑन—लाइन प्रक्रिया द्वारा ही किया जाता है;

2. आवेदन विद्यालयों एवं स्थानीय निकायों द्वारा संचालित विद्यालयों के विद्यार्थियों को मैरिट छात्रवृत्ति एवं स्टेशनरी खरीदने के लिए वित्तीय सहायता का भुगतान इन विद्यालयों से प्राप्त बल्क डाटा के आधार पर शीघ्र ही ऑन—लाइन भुगतान कर दिया जाता है;

(ङ) भावी लाभार्थियों तक इन योजनाओं का प्रचार/जानकारी हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू एवं पंजाबी के समाचार पत्रों के माध्यम से प्रमुख स्थानों पर होर्डिंग द्वारा, पम्पलेट बटवाकर एवं विभाग द्वारा संचालित 1031 हेल्पलाइन के माध्यम से लाभार्थी आवश्यक जानकारी एवं शिकायत दर्ज कराते हैं;

ekuuh; vè;{k% सप्लीमेंटरी।

Jh fufru R;kxh% दो छोटे–छोटे पूरक प्रश्न हैं; एक तो ये इसमें जो प्रश्न का 'च' है इसमें पूछा है; ह्वाट इज द... सॉरी। डी, जिसमें within what time frame is the application process completed. मतलब एक एप्लीकेशन कितने टाइम में पूरी होती है। ये पूरा का पूरा जो है, इतनी सारी एप्लीकेशन कितने इन्डिविज्युअल जो लगाता है, वो कितने दिन के अंदर–अंदर पूरी हो जाती है। उसको कितने दिन में पैसा मिल जाता है, ये प्रश्न है। आवेदन, ठीक है। एक तो ये है और दूसरा है कि जो हमारे प्रॉसपेक्टिव जो ये स्कॉलरशिप सीकर्स हैं। जो एस.सी./एस.टी. या किसी भी और इसी समाज से आते हैं, उन तक ये बात कैसी पहुंचती है? क्या जहां पर वो पढ़ते हैं, जिन शिक्षा संस्थानों में वो पढ़ते हैं, क्या वहां पर इस तरीके के कोई वो दिया जाता है एडवरटिजमेंट। और अखबारों में कहां पर दिया जाता है? कभी मैंने आज तक इसके होर्डिंग नहीं देखें हैं... परसनली स्पीकिंग। और मैंने तो नहीं देखें हैं। आई एम श्योर। आपने पता नहीं कितनों ने देखें होंगे। तो सर इसका प्रॉपर नहीं होता है किसी भी तरीके से एडवरटाइज और जो अल्टीमेटली सीकर्स हैं और इसमें एक क्वेश्चन और पूछा था जो यहां पर किताब में मिसिंग है जो मैंने लिखित में दिया था कि कितने नम्बर ऑफ स्टूडेंट्स गॉट हाउ मेनी गॉट स्कॉलरशिप, इतने दिनों में?

ekuuh; vè;{k% माननीय मंत्री जी।

ekuuh; lekt dY;k.k ea=h ¼Jh jktsUnz iky xkSre½ सप्लीमेंटरी ... कहें तो ये कापी अगर नहीं है तो मैं भिजवा देता हूं सभी सदस्यों को। मैं माननीय सदस्यों को इसकी पूरी एक कॉपी आज ही इनको मेल करवा देता हूं कि कितनी–कितनी वर्षवार किस–किस मद में कितने–कितने स्कॉलरशिप दी गयी। मेरे पास पूरा डाटा, आप कहें तो मैं पूरा उसको पढ़ देता हूं।

ekuuh; vè;{k% नहीं, अब पढ़ने में समय लगेगा।

ekuuh; lekt dY;k.k ea=h% ठीक है। तो वो सारी आपको आज ही मैं मेल करवा देता हूं।

ekuuh; vè;{k% उनका उत्तर।

lekt dY;k.k ea=h% और जो इन्होंने पहला सवाल किया, वो मैं आपको बता देता हूं, कि जितने भी राष्ट्रीय अखबार हैं, जो नामी अखबार है। जिनको यूज्वली लो पढ़ते हैं, उन सबमें बकायदा एड के द्वारा सूचना दी जाती है और होर्डिंग्स भी लगते हैं। ऐसा नहीं है कि होर्डिंग नहीं लगते लेकिन हम ये कोशिश करेंगे; आगे और ज्यादा बेहत्तर करें। स्कूलों को भी सूचना दी जाती है और उनको... जब वो एप्लाई कर देते हैं अगर उसमें कोई डिफिसिएन्सी होती है तो उनको, उनका जो नम्बर हेता है मोबाइल नम्बर, उस पर बकायद मेसैज दे के भी हम सूचना देते हैं और स्कूलों को भी चिट्ठी भेज के हमने सूचनाएं दी हैं।

Jh fufru R;kxh% Sir, 90 percent of SCèST students do not know about such schemes. Their parents do not know about such schemes and Sir जो है सर, शोषित समाज है वो। जन–जागरण अभी तक उनका नहीं हुआ है। अगर उन तक नहीं पहुंचेगी... हमें थोड़ा सा और एक्टिव सेना पड़ेगा सर,

उन तक... लोगों तक। एमएलए आफिस तक पहुंचाइए। बस्ती विकास केन्द्र होते हैं, वहां पर लगाइए और जहां—जहां स्कूल है, वहां पर लगाइए और उनके पैरेन्टस को जो है, जागरूक करना बहुत जरूरी है।

ekuuh; vè;{k% समाज कल्याण मंत्री।

ekuuh; lekt dY;k.k e=h% देखिए, 2017—18 में 1852917 लोगों को स्कॉलरशिप सैंक्शन की गयी है। तो इतनी बड़ी संख्या अगर कर रही है तो इसका मतलब उनको सूचना मिलती है। लेकिन और बेहत्तर तरीके से मिल जाए तो हम सरे सदस्यों को भी उसकी जानकारी समय—समय पर देते रहेंगे ताकि वो अपने माध्यम से भी प्रचार कर सकें। मेरे संज्ञान में ऐसा कोई नहीं है कि एमएलएज के यहां सब पर बोर्ड लगाया जाए।

ekuuh; vè;{k% सदस्यों की इच्छा ये है कि स्कूलों में लग जाए जहां पब्लिक आती है। वहां कुछ जानकारियां लग जाएं तो जरा उचित रहेगा। इसमें एक चीज की जानकारी दे दीजिए सदन को। दो मिनट... कि 2018—19 के लिए जैसा आपने 17—18 के लिए बोला। नितिन जी क्वेश्चन नहीं पूछ सके... मैं पूछ रहा हूं। 9 दिसम्बर, 2017 से शुरू हुआ। इस वर्ष 2018—19 से किस डेट से शुरू करने वाले हैं?

ekuuh; lekt dY;k.k e=h% अभी तो पिछले वाले क्लीयर कर रहे हैं। अब नए की अभी मुझे जानकारी नहीं है। मैं लेके जानकारी दे दूंगा सदन को कि इस वाला जो नया सेशन शुरू हो रहा है, उसकी कब से शुरू कर रहे हैं। वो जानकारी मैं उपलब्ध करा दूंगा कल।

---¼O;oèkku½

ekuuh; vè;{k% नहीं, अब नहीं। श्री महेन्द्र गोयल जी। प्रश्न संख्या—67।

Jh egUnz xks;y% अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से प्रश्न संख्या–67 प्रस्तुत है:

(क) रिठाला विधान सभा में विधवाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु वित्तीय सहायता के लिए दिनांक 22.03.2018 से 25.7.2018 के दौरान कितने आवेदन प्राप्त हुए;

(ख) इन आवेदनों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस वित्तीय सहायता की राशि को पिछले साल के 30000/– रुपए से बढ़ाकर 50000/– रुपए करने की घोषणा की थी;

(घ) इस घोषणा को लागू न किए जाने के क्या कारण है; और

(ङ) इसे कब तक लागू कर लिया जाएगा?

ekuuh; vè;{k% माननीय मंत्री जी।

ekuuh; mi eq[; ea=h% अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से प्रश्न संख्या–67 का उत्तर निम्न प्रकार से है:

(क) रिठाला विधान सभा में विधवाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु वित्तीय सहायता के लिए दिनांक 22.03.2018 से दिनांक 25.07.2018 के दौरान कुल 20 आवेदन प्राप्त हुए;

(ख) इन आवेदनों की वर्तमान स्थिति ये है:

स्वीकृत–15

निरस्त–02

विचाराधीन–03; और

(ग) से (ङ) ऐसा कोई प्रस्ताव अभी विभाग के पास विचाराधीन नहीं है।

ekuuh; vè;{k% सप्लीमेंटरी।

Jh egUn xk;y% अध्यक्ष महोदय, मेरे हिसाब से इसी सदन के अन्दर तीस हजार से बढ़ाकर पचास हजार रुपए की राशि की गयी थी जो शायद यहां पर सदस्यों का भी हो और शायद मंत्री जी को भी ध्यान में हो। जिस समय हमारी पेंशन बढ़ाई गई थी। हजार से दो हजार; पन्द्रह सौ से ढ़ाई हजार। तो उसी समय बच्चों की शादी के लिए जो विधवा और बेटी है, उसकी शादी के लिए तीस हजार से बढ़ाकर पचार हजार रुपए की गयी थी। मैं इस प्रश्न के उत्तर से संतुष्ट नहीं हूं और मंत्री जी के ध्यान में यदि कोई आती है तो देख लें एक बार।

ekuuh; vè;{k% माननीय उप मुख्यमंत्री।

ekuuh; mi e|[; e=h% अध्यक्ष महोदय, विभाग के क्योंकि जब ये प्रश्न का जवाब हम लोग तैयार कर रहे थे तो मैंने भी। जब हम इस प्रश्न का जवाब तैयार कर रहे थे। मैंने विशेष रूप से बजट घोषणाओं को पढ़ा था। मुझे ये था कि कहीं किसी संदर्भ में विधायक जी प्रश्न पूछ रहे होंगे; मैंने अपने बजट घोषणाओं को चेक किया था; उसमें मुझे ऐसी घोषण नहीं थी, मेरे संज्ञान में नहीं आयी। लेकिन जहां तक मुझे याद आ रहा है, मैं और क्रॉस चेक कर लूंगा फैक्टस। जैसे कि कुछ सदस्य याद करके बता रहे हैं कि बीस हजार से तीस हजार किया गया था, इसको चेक करा लेता हूं मैं।

ekuuh; vè;{k% अब नहीं, समय पूरा हो रहा है प्लीज।

Jh egUn xk;y% धन्यवाद अध्यक्ष जी, एक 'ख' का और उत्तर है, जो दो पेन्शन निरस्त दी गई है; मेरा मंत्री जी से यह निवेदन है कि जो पेंषन निरस्त की जाती है क्योंकि वो अटेस्ट एमएलए ऑफिस से होकर आती है तो ऑफिसर निरस्त करने के कारण यदि एमएलए ऑफिस में भी बता देंगे तो शायद आसानी रहेगी उसको पूरा करवाने के लिए।

ekuuh; mi e|[; e=h% यह पेन्शन से संबंधित नहीं है। यह विधवा की पुत्रियों के विवाह हेतु सहायता के लिए है, जिसमें दो आवेदन निरस्त हुए हैं। यह विचार उनका ठीक है कि अगर एमएलए ऑफिस से आ रहे हैं तो निश्चित रूप से वहां सूचना जानी चाहिए तो अगर कोई निरस्तर हो रहा है तो उसकी सूचना एमएलए ऑफिस को दी जाएगी; ऐसी व्यवस्था कर देंगे।

Jh egUnz xk;y% धन्यवाद।

l|Jh Hkkouk xkM% अध्यक्ष महोदय, एक सप्लीमेंटरी?

ekuuh; vè;{k% भावना जी, प्लीज।

l|Jh Hkkouk xkM% अध्यक्ष महोदय, एक छोटा सा क्वेश्चन है।

ekuuh; vè;{k% इसमें नहीं, प्लीज। श्री सही राम जी। मैं एक क्वेश्चन लास्ट ले रहा हूं, समय हो गया है।

Jh lgh jke% अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या–68 प्रस्तुत हैः

क्या **lekt dY;k.k e=h** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) तुगलकाबाद विधान सभा में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पेन्शन पाने वाले व्यक्तियों का विवरण क्या है;

(ख) कितने वर्तमान पेन्शनधारकों को बढ़ी हुई पेंषन मिल रही है और कितने पेन्शनधारकों को बढ़ी हुई पेन्शन नहीं मिल रही है; पूर्ण विवरण दें;

(ग) क्या सरकार का विभिन्न श्रेणियों की पेन्शन राशि को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है;

(ङ) उन पेन्शनधारकों का विवरण क्या है जिनकी पेन्शन दूसरों के एकाउंट में भेज दी गई; और

(च) भविष्य में इस प्रकार की गलतियों को रोकने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

ekuuh; vè;{k% मंत्री जी।

ekuuh; lekt dY;k.k ea=h% अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या–68 का उत्तर इस प्रकार हैः

(क) तुगलकाबाद विधान सभा क्षेत्र में पेन्शन पाने वाले लाभार्थियों का विवरण मई, 2018 तक का इस प्रकार हैः

वृद्धावस्था पेन्शन	2417
विकलांग पेन्शन	613
दिल्ली पारिवारिक लाभ योजना	21
विधवा पेन्शन	2090

विवरण सीडी में संलग्न[4] है;

(ख) योजना अनुसार विवरण निम्न प्रकार हैः–

योजना	लाभार्थी (पेन्शन बढ़ी हुई दर से)	लाभार्थी (पेन्शन पुरानी दर से)
वृद्धावस्था पेन्शन	1883	534
विकलांग पेन्शन	491	122

(ग) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है;

(घ) उपरोक्त (ग) के अनुसार लागू नहीं होता;

[4]*www.delhiassembly.nic.in* पर उपलब्ध।

(ङ) इस तरह का कोई विवण उपलब्ध नहीं है;

अपितु बैंकों द्वारा आधार गलत मैप होने के कारण कई बार लाभार्थियों की पेन्शन दूसरों के एकाउंट में चली जाती है। संज्ञान में आते ही, ऐसे केसों में त्रुटि में सुधार तुरंत पेन्शन सही खाते में प्रेषित कर दी जाती है; और

(च) इस संदर्भ में बैंकों के साथ समन्वय कर इस तरह की गलतियों को रोकने का प्रयास विभाग द्वारा किया जा रहा है।

ekuuh; vè;{k% सप्लीमेंटरी पूछिए।

Jh lgh jke% अध्यक्ष जी, मैं इसे विडम्बना कहूं या क्या कहूं, इसी में दर्शाया गया है कि जब पेन्शन बढ़ा गई है तो यह 534 लोगों की क्यों नहीं बढ़ी! इसी में विकलांग की भी है; जब 491 लोगों की बढ़ी है तो 122 की क्यों नहीं बढ़ी? मेरा सप्लीमेंटरी यह है कि किन अधिकारियों की गलती से उन लाभार्थियों को लाभ नहीं मिला नंबर—एक, नंबर—दो, इनको लाभ कब तक मिल पाएगा? मेरी दो सप्लीमेंटरी है।

ekuuh; lekt dY;k.k e=h% अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं सभी सदस्यों को, चूंकि सभी का यह प्रश्न हो सकता है, यह जो आधार मैपिंग एनपीसीआई पोर्टल की अनिवार्यता की वजह से बैंक भी अपडेट नहीं थे और वो नई कर पा रहे थे जिसकी वजह से नहीं हुआ। लेकिन अब हमने पहली कैबिनेट का जो पिछला डिसिजन था जिसकी वजह से एनपीसीआई पोर्टल पर आधार मैपिंग जरूरी था जिसकी वजह से बढ़कर नहीं आ रही थी। वो अनिवार्यता अभी पिछली कैबिनेट की मीटिंग में हटा दी गई है और आज की नई दर पर, बढ़ी हुई दर पर एकाउंट में भेजा जा रहा है तो एक महीने के अंदर ज्यादातर लोगों की बढ़ी हुई दर पर ऑटोमैटिक पेन्शन पहुंच जाएगी।

Jh lgh jke% एक साल बढ़े हुए हो गया है उनकी पेन्शन दूसरों के खातों में जा रही है उसकी भी कोई जानकारी दी?

ekuuh; lekt dY;k.k ea=h% क्या दोबारा बताना?

Jh lgh jke% नेट पर आ रही है; सरकार के यहां से रिलीज हो रही है पेन्शन, लाभार्थी के खाते में जा नहीं रही है, वो पेन्शन अध्यक्ष जी, जा कहां रही है?

ekuuh; lekt dY;k.k ea=h% एक्चुली इसका एक कारण है; पिछले सालों में जो केन्द्र सरकार ने जन–धन योजना शुरू की और उसमें लोगों ने अपने केन्द्र के नेताओं को खुश करने के लिए उनके एकाउंट गांवों में खुलवा दिए। सदस्यों को खुद को नहीं पता कि उनका एकाउंट वहां पर खुल गया; उसमें व्यवस्था यह है कि जिस बैंक के एकाउंट में उनका आधार कार्ड सीडिंग होगा, ऑटोमैटिक पेन्शन उसी एकाउंट में पहुंच जाती है तो कई दफा सदस्यों को ही नहीं पता होता है कि उसका एकाउंट कहीं दूसरी जगह खुला हुआ है और जब वो पता लगता है तो फिर उसको उसी तरह वापस करने की व्यवस्था होती है।

Jh lgh jke% नहीं सर, बाहर के लोगों की नहीं, दिल्ली के लोगों की है।

lekt dY;.k ea=h% दिल्ली में रह रहे हैं लेकिन...

---¼O;oèkku½

ekuuh; vè;{k% सही राम जी, नहीं।

Jh lgh jke% सर, मैं लिस्ट भी दे चुका हूं तीन बार मंत्री जी को, लेकिन उनकी पेन्शन आज तक लागू नहीं हुई है।

ekuuh; vè;{k% आप लिखकर दे दीजिए, कहीं कोई दिक्कत है तो उसको देखेंगे।

Jh lgh jke% लिखकर दे चुका हूं सर।

ekuuh; vè;{k% चलिए, अब श्री कैलाश गहलौत, माननीय परिवहन मंत्री दिल्ली मैट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि. के वार्षिक प्रतिवेदन (2016–17) की हिंदी–अंग्रेजी प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करेंगे।

duZy noUnz lgjkor% अध्यक्ष महोदय, एक मिनट का समय... (व्यवधान)

ekuuh; vè;{k% कर्नल जी, अब हो गया। देखिए, मैंने आज बहुत क्वेष्चन कराए हैं।

duZy noUnz lgjkor% मेरे चारों सवाल नहीं लगे. ...(व्यवधान)

ekuuh; vè;{k% अब प्लीज। उत्तर आ गया उसका। अब नहीं, प्लीज। सारा बिजनैस रह जाएगा। प्लीज, मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं।

duZy noUnz lgjkor% मेरा आपसे आग्रह है।

ekuuh; vè;{k% प्लीज बैठिए।

duZy noUnz lgjkor% एक विषय पर बोलने के लिए विधान सभा में डेढ़ घंटे का सफर करके यहां पर आते हैं अगर जो एक वाक्य बोलने का भी मौका न मिले तो यह चिंता का विषय है। मेरा आपसे आग्रह है कि मेरे जो दो लाख लोग हैं उनकी आवाज को एक–आध बार सुनने का मौका दिया जाए। मेरी बात यह है कि कल जो है चार सवाल लगाए थे राजस्व विभाग के।

ekuuh; vè;{k% प्रश्न संख्या–69 आपका है, आप पूछ लीजिए।

duZy noUnz lgjkor% एक मिनट सर।

ekuuh; vè;{k% मैं कुछ नहीं अलाउ करूंगा। कर्नल जी, मैं और कुछ अलाउ नहीं करूंगा। कर्नल जी, मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा। मैं प्रश्न संख्या–69 आपको दे रहा हूं, जो मैंने छोड़ दिया था। देखा है मैंने अभी। आपका है आप उसको सदन पटल पर रख दीजिए। पूछ लीजिए मंत्री जी से।

duly noUn lgjkor% अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या–69 का उत्तर देने का कष्ट करें।

क्या **[kk| ,o vkifr e=h** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सत्य है कि बिजवासन विधान सभा में नए राशन कार्ड जारी नहीं किए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो कब से और उसके क्या कारण है;

(ग) क्या नई उचित दर दुकानें आबंटित करने से पूर्व इसकी सूचना विधायक को दी जाती है; और

(घ) बिजवासन विधान सभा में उचित दर दुकानों एवं राशन कार्डधारकों का विवरण क्या है?

[kk| ,o vkiwfr e=h ¼Jh bejku gqlSu½% अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या–69 का उत्तर प्रस्तुत हैः

(क) जी नहीं;

(ख) उपरोक्तानुसार लागू नहीं;

(ग) ऐसा कोई प्रावधान नहीं है; और

(घ) बिजवासन मंडल की दुकानों तथा उनकी कार्ड पोजिशन की प्रति संलग्न है।

Annexure

Circle – 36 (Bijwasan)

Sl. No.	FPS Detail	FPS Address
1	2	3
1.	100700500001 [3306] M/s Ramesh Chand	Village Samalka
2.	100700500002 [3912] M/s Saini Co A Store	Sahabad Mohamad Pur
3.	100700500003 [4129] M/s Rameshwar Dayal	Raj Nagar II
4.	100700500004 [4251] M/s Sua Ram Hari Ram Prasad	Prasad Raj Nagar II
5.	100700500005 [5179] M/s Ram Sarup	Pur Ext
6.	100700500006 [5443] M/s GVKS Ltd.	Bamnoli
7.	100700500007 [5884] M/s Srichand	M/s Srichand Bijwasan
8.	100700500008 [5898] M/s Surender and Company	Company Mahipal Pur
9.	100700500009 [5973] M/s Sarla Devi	M/s Sarla Devi Bijwasan
10.	100700500010 [6263] M/s Bimla Devi	Kapashera, Farm
11.	100700500011 [6503] M/s Prabhu Dayal	Nagar II
12.	100700500014 [6839] M/s Om Provuan Store	Raj Nagar Il
13.	100700500015 [7276] M/s Dhanavir Singh	India Employes,CGHS
14.	100700500016 [7293] M/s Shri Krishna	Village Bijwasan
15.	100700500017 [7312] M/s Anna Purn Store	Raj Nagar II
16.	100700500018 [7313] M/s Aeyarmen Store	Raj Nagar II
.17	100700500019 [7345] M/s Ram Avtar	Samalka
18.	100700500020 [7361] M/s Yadav Rashan Shop	Shop Kapashera

Phase-1 AAY	Phase-1 Members in AAY	Phase-1 PRS	Phase-2 AAY	Phase-2 Members in AAY	Phase-2 PRS	Total	Total Members
4	5	6	7	8	9	10	11
29	108	119	503	931	3139	1079	3750
24	85	146	557	689	2363	859	3005
0	0	20	85	569	2508	589	2593
0	0	14	56	704	2484	718	2540
20	54	82	322	1024	4145	1126	4521
70	291	75	331	556	2034	701	2656
20	64	84	350	585	2029	689	2443
6	19	92	378	845	2879	943	3276
0	0	83	364	624	2376	707	2740
0	0	34	129	756	3434	790	3563
0	0	38	142	631	2326	669	2468
0	0	39	202	544	2637	583	2839
38	146	150	627	783	2661	971	3434
76	298	319	1312	867	2733	1262	4343
1	5	31	155	592	2901	624	3061
5	15	152	613	598	2216	755	2844
14	58	42	194	633	2253	689	2505
86	341	155	618	657	2631	898	3590

1	2	3
19.	100700500021 [7480] M/s Tara Chand	Village Rangpuri
20.	100700500022 [7918] M/s Sahravat Store	Village Bijwasan
21.	100700500023 [7942] G-116 B Raj Nagar	Nagar II
22.	100700500024 [7952] M/s Yadav Co a Store	Village Kapashera
23.	100700500025 [8279] M/s G.V.K.S. Ltd.	Dhulsiras
24.	100700500026 [8387] M/s Prahlad Chand	India Employes, CGHS
25.	10070050027 [8386] M/s Neha Fare Prais Shop	Shop Rangpuri Pahari
26.	100700500028 [8674] M/s R.S. Store	Mahipalpur
27.	100700500029 [8678] M/s Sharma Store	Village Samalka
28.	100700500031 [8722] M/s Mogha Store	Nagar II
29.	100700500032 [8723] M/s Bala G, Store	Nagar II
30.	100700500033 [8868] M/s Shiva Store	Nagar II
31.	100700500034 [8885] M/s Dube Store	Nagar II
32.	100700500035 [9269] M/s Ansul Sehrawat	Assigned
33.	100700500036 [9271] M/s Ambika Store	Bijwasan
34.	100700500037 [9270] M/s Dhanoshera Store	Store Not Assigned
35.	100700500038 [9268] M/s Deepanshu Store	Bharthal
36.	100700500039 [9338] M/s Abhilasha Store	Shiv Mandlr B Block
37.	100700500040 [9336] M/s Lilawati Singh	Kapashera
38.	100700500041 [9337] M/s Hanuman Singh Store	Hotel Matka Wali Gali
39.	100700500042 [9415] M/s Narain Store	VPO Bijwasan Bijwasan
40.	100700500043 [9413] M/s Kishank Raj Arihant	Market, Plot No-1238
41.	100700500044 [9414] M/s Pooja Store	Mark Raj Nagar-II
	Total	

4	5	6	7	8	9	10	11
96	477	138	619	635	2346	869	3442
133	513	388	1633	804	3279	1325	5425
1	4	41	161	640	2388	682	2553
7	26	20	75	860	2752	887	2853
154	681	233	1001	465	1904	852	3586
36	135	124	508	590	2120	750	2763
138	529	170	742	931	3434	1239	4705
18	77	105	446	656	2331	779	2854
77	356	332	1557	428	1451	837	3364
6	24	95	377	656	2414	757	2815
0	0	122	500	533	2620	655	3120
0	0	37	155	751	2671	788	2826
0	0	13	51	747	2662	760	2713
0	0	4	14	856	3104	860	3118
51	198	74	317	1067	4300	1192	4815
20	87	46	211	542	1808	608	2106
7	34	6	28	80s	2859	821	2921
0	0	24	94	667	1943	691	2037
0	6	35	142	1080	3485	1115	3627
0	0	54	210	840	2574	894	2784
0	0	0	0	804	2747	804	2747
0	0	0	0	816	2932	816	2932
0	0	9	41	817	2825	826	2866
		3745	15820	29581	108698	34459	129143

ekuuh; vè;{k% सप्लीमेंटरी।

duly noUn lgjkor% महोदय, यह जो जवाब है, ये फैक्चुअली कनकरेक्ट है। नौ महीने से बिजवासन विधान सभा में एक भी राशन कार्ड नहीं बनवाया गया है। वहां के लोग जो हैं, इस चीज से प्रताड़ित हैं। कोशिश कर रहे हैं लगातार, दफ्तर से चिट्ठियां गई हैं और जो प्रश्न का उत्तर आया है, वो बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। इसके अलावा अगर जो है, विधायक को नई दुकान बनवाते समय उसमें शामिल न किया जाए प्रक्रिया में और एक डिप्टी कमिशनर एसडीएम ही शामिल करे तो यह मेरे ख्याल से जमीनी स्तर पर कोई... ...(व्यवधान)

ekuuh; vè;{k% क्वेश्चन करिए ना आप। आप क्वेश्चन करिए, सहरावत जी।

duly noUn lgjkor% मैंने आपको तथ्य बताया है जो उत्तर आया है, वो गलत है।

ekuuh; vè;{k% बताइए।

[kk| ,o vkifr e=h% इसमें क्या गलती है, आप मुझे लिखकर बताएं। उस पर कार्रवाई कराते हैं।

rkjkfdr i’uk d fyf[kr mÙkj

46- Jh 'kjn dekj % क्या **ekuuh; fodkl e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नरेला विधानसभा में कौन–कौन सी जाति के चौपाल एवं बारात घर है और कितनी संख्या में चौपाल और बारात घर है, पूर्ण विवरण दें;

(ख) बारातघर एवं चौपालों को आरडब्ल्यूएज को हैंडओवर करने के संबंध में क्या दिशा–निर्देश एवं प्रक्रिया है, उसका पूर्ण विवरण दिया जाए;

(ग) नरेला विधान सभा में कितने बारातघरों एवं चौपालों को आरडब्ल्यूएज को सौंप दिया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो नरेला विधान सभा में इन्हें आरडब्ल्यूएज को हैंडओवर ना किए जाने के क्या कारण है?

¼lcfèkr foHkkx ls i’u dk mÙkj ikIr ugh gqvkA½

51- Jh eukst dekj ¼ क्या **ekuuh; m|kx e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोंडली विधानसभा में डीएसआईआईडीसी की कितनी औद्योगिक इकाइयां है;

(ख) कितनी इकाइयां आबंटित की जा चुकी है और कितनी खाली पड़ी है; और

(ग) वर्ष–2015 से अब तक इन इकाइयों को दी गई सुविधाओं का विवरण क्या है?

ekuuh; m|kx e=h ¼ (क) और (ख) कोंडली विधानसभा क्षेत्र में कल्याणपुरी एवं खिचड़ीपुर में कुल 388 वर्क्स स्टेशन/लघु औद्योगिक इकाइयों का प्रावधान है जिसमें से 379 ईकाई आवंटित हैं एवं वाकी 9 खाली हैं।

(ग) इन इकाइयों को डीएसआईआईडीसी द्वारा वर्ष 2015 के बाद अन्य सुविधाओं के साथ निम्न सुविधायें दी गई हैः—

1. पट्टा के आधार पर आवंटन के मामलों में ब्याज की दर 18 प्रतिषत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दी गई है।

2. लाइसेन्स फीस/पट्टा के आधार पर आवंटित इकाइयों के एक मुस्त खरीद हेतु 2007 में लाई गई योजना को अभी भी लागू रखा गया है और वर्ष 2015 से अब तक 20 आवंटियों ने इसका लाभ उठाया है।

52- dqekjh jk[kh fcMyk ¼ क्या **ekuuh; jktLo e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की मंगोलपुर खर्द में बढ़े हुए लालडोरा (ईएलडी) को नियमित करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो उसका पूर्ण विवरण क्या है; और

(ग) इस गांव की 'आबादी और रिहायशी आबादी' की वर्तमान स्थिति क्या है?

¼lacfèkr foHkkx ls iz'u dk mÙkj izkIr ugha gqvkA½

53- Jh egUnz xks;y ¼ क्या माननीय शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण विकास बोर्ड द्वारा रिठाला शहरीकृत गांव के लिए 5 विकास कार्य प्रस्तावित किए गए है;

(ख) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है;

(ग) उक्त प्रस्ताव कब प्राप्त हुए और कब स्वीकृत हुए, तिथि का विवरण दें;

(घ) यह कार्य कब तक वास्तविक रूप से निष्पादित होंगे;

(ङ) इन परियोजनाओं के निष्पादन में देरी के क्या कारण है;

(च) क्या माननीय मंत्री के निर्देषानुसार डीएसआर–2014 के तहत सभी कार्यों के निष्पादन हेतु वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजा गया है; और

(छ) इस विषय में संबंधित विभागों की टिप्पणियों का विवरण क्या है?

ekuuh; 'kgjh fodkl e=h % (क) जी, हां।

(ख) और (ग) विवरण संलग्न है।

(घ) सभी औचारिकताओं के पूर्ण होने के उपरांत संबंधित क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा निष्पादन किया जायेगा।

(ङ) परियोजनाओं के निष्पादन में मुख्यतः राजस्व विभाग तथा क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा भूमि स्थिति से संबंधित आवश्यक जानकारी, जैसे कि – राजस्व रिकॉर्ड, अतिक्रमण, कानूनी स्थिति इत्यादि की आन्तरिक स्रोतो से एकत्रित करने में समय लगता है।

(च) जी, हां।

(छ) वित्त विभाग ने दिनांक 14.05.2018 से पूर्व दिल्ली ग्रामीण विकास बोर्ड द्वारा अनुमोदित सभी कार्यों को डीएसआर–2014 के तहत क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा बनाये गये अनुमानों को स्वीकृति प्रदान कर दी है।

Annexure

Sh. Mohinder Goyal, Hon'ble MLA

Sl. No.	Name of work	Executing Agency	Detail of work approved by DVDB in its meetings dated (Road, Drain, Water body etc.)	Name of PC/AC	Name of Village	Estimate amount (in lacs)	Date of receipt of proposal	Date of approval by DVDB
1.	Construction of Phrini road from house no. 801 to Rice Mill Kh. No. 904 and Phrini road from Hero Honda Chowk to Supplementary Drain in Village Rithala	I&FC	Road	Rithala	Rithala	524.3	01.01.2018	19.1.18
2.	Construction of main entrance gate in Rithala village at various location in Rithala AC-06	I&FC	Gate	Rithala	Rithala	21.02	08.02.2018	12.2.18
3.	Development of Shamshan Ghat at village Rithala	I&FC	Road	Rithala	Rithala	114.89	10.02.2018	12.2.18
4.	Demolishing and reconstruction of three storeyed Harijan Chaupal at Village Rithala in Rithala AC-06	I&FC	Chaupal	Rithala	Rithala	267	15.02.2018	12.2.18
5.	Development of road and galies at Rithala Village in Rithala Assembly Constituency-06	I&FC	Road	Rithala	Rithala	473.4	20.02.2018	12.2.18

54- Jh vkn’k 'kkL=h % क्या **ekuuh; 'kgjh fodkl e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली ग्रामीण विकास बोर्ड ने दिल्ली के विभिन्न गांवों के प्रस्तावित कार्यों को लेने की प्रक्रिया में संशोधन किया है;

(ख) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है;

(ग) प्रस्तावित कार्यों को लेने की वर्तमान प्रक्रिया क्या है;

(घ) दिल्ली ग्रामीण विकास बोर्ड के तहत प्रस्तावित कार्यों के प्रस्ताव एवं निष्पादन में ग्रामीण विकास समिति की क्या भूमिका है;

(ङ) उक्त बोर्ड के अंतर्गत कौन–कौन से काम किए जा सकते है; और

(च) दिल्ली ग्रामीण विकास बोर्ड के तहत विकास कार्यों को करवाने के लिए कौन–कौन से गांव पात्र है, पूर्ण विवरण दे?

ekuuh; 'kgjh fodkl e=h % (क) जी नहीं।

(ख) लागू नहीं होता।

(ग) दिल्ली ग्रामीण विकास बोर्ड के कार्यों के क्रियान्वयन के लिए जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) की प्रतिलिपि संलग्न है।

(घ) गांवों में उपलब्ध सुविधाओं तथा वांछित आवश्यक सुविधाओं की प्राथमिकताओं को जानने के लिए बेसिक सर्वे में बोर्ड की सहायता के लिए प्रत्येक गांव में एक ग्राम विकास समिति का गठन किया जाता है। समिति के सदस्य पारित परियोजना की निगरानी में क्षेत्रीय एम.एल.ए. की सहायता करेंगे।

(ङ) दिल्ली ग्रामीण विकास बोर्ड के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य किये जा सकते हैः—

- गांवों की सड़कों का निर्माण एवं पुर्ननिर्माण।
- गांवों के तालाबों का विकास कार्य।
- गांवों के पार्क, खेल के मैदान, व्यायामशाला, पुस्तकालय तथा शमशान घाटों का निर्माण कार्य।
- गांवों में पानी की निकासी का निर्माण कार्य।
- गांवो की चौपाल, बारातघर तथा सामुदायिक केन्द्रों का निर्माण कार्य/मरम्मत कार्य।
- गांवों के दूसरे अन्य कार्य जैसे कि पीने के पानी की सुविधा तथा सड़कों की बिजली का कार्य इत्यादि।

(च) दिल्ली ग्रामीण विकास बोर्ड के तहत विकास कार्यों को करवाने हेतु दिल्ली के समस्त ग्रामीण एवं शहरीकृत गांव पात्र है।

fooj.k

OFFICE OF THE PROJECT DIRECTOR
(RURAL DEVELOPMENT)
DEVELOPMENT DEPARTMENT
GOVERNMENT OF NCT OF DELHI
GROUND LEVEL, KASHMERE GATE ISBT, DELHI

No.4/(63)PDRD/Admn/2017/151-200 Dated: 10.01.18

OFFICE MEMORANDUM

In supersession of ail previous orders/OMs and consequent upon constitution the Delhi Village Development Board (DVDB) in place of erstwhile Delhi Rural Development Board (DRDB), the Competent Authority is pleased to notify the following **Standard Operating Procedure (SOP)** for dealing with project proposals related to the rural and urban villages to be dealt by the Rural Development unit of Development Department which are recommended by Hon'ble MLAs/Hon'ble MPs:–

1. The area MLA/MP shall give a request for the proposed work/scheme, alongwith the estimate of the said scheme by the Executing Agency, to the Rural Development:

(A) WORKS TO BE UNDERTAKEN BY THE RD UNIT:

The following nature of works may be recommended by the Hon'ble MPs/MLAs in the rural and urban villages of NCT of Delhi in Lal Dora areas, sizra roads and public utilities on Govt. land, except in unauthorized colonies of any status and resettlement colonies and JJ bastis felling under the jurisdiction of DUSIB:–

(i) Construction of approach roads/ link roads/village roads.

(ii) Development of Ponds/Water Bodies.

(iii) Development of cremation grounds, parks, playgrounds, vyamshalas, village libraries.

(iv) Construction of drainage facilities.

(v) Construction/repair/ maintenance of chaupals, baratghars, community centres.

(vi) Other need based works, like drinking water facility, street lights etc.

The works will be executed by the land/asset owning agency as far as possible. Works will be carried out by the Executing Agency which had done it earlier or by any other agency only after obtaining the NOC from land/asset owning agency/ previous Executing Agency, as the case may be.

(B) WORKS NOT TO BE UNDERTAKEN BY THE RURAL DEVELOPMENT:

(i) Constructions/repairs/maintenance works of schools falling in the domain of Directorate of Education/MCD;

(ii) Constructions/repairs/maintenance works of dispensaries/primary health centres/hospital, falling in the domain of Health Department/ MCD;

(iii) Constructions/repairs/maintenance works of Anganwadis, etc., falling in the domain of Social Welfare Department; and

(iv) Constructions/repairs/maintenance works of Election Department/State Election Commission.

2. The Rural Development unit shall acknowledge the receipt of only those project proposals of Hon'ble MPs/MLAs, which are accompanied by detailed estimates prepared by the Executing Agency. It is made clear here

that project proposals which are not accompanied by detailed estimate shall not be accepted by the Rural Development unit.

3. The project proposals alongwith detailed estimates prepared by the concerned Executing Agency will be forwarded by the Rural Development unit to the concerned DM within 10 days of its receipt for seeking land status/encroachment report/litigation report, on the nine point proforma given in (4) below:

4. After receipt of the case file from the Rural Development unit, the Revenue Dept. shall give a clear report and recommendation on the **noting portion** covering following points:–

(i) Revenue records of the land for the proposed work (specific to sizra/ non-sizra status);

(ii) Total area of the land;

(iii) Ownership of the land;

(iv) Status of the land;

(v) Whether the land has been fenced/walled earlier? lf so, details thereof;

(vi) Litigation position of the land, if any, with details thereof;

(vii) Status of encroachment(s), if any, with details thereof;

(viii) Whether the village is Rural or Urban, Unauthorised Colony of any status, Resettlement Colony, JJ Basti; and

(ix) Whether the work is required in public interest and specific recommendations of the DM thereof.

5. This report should be forwarded by the DM to the Rural Development unit within a period of 30 days of receipt of proposal.

6. After receipt of requisite land status report from the DM Office, the Rural Development unit will send the file to the concerned Executing Agency within 10 days for preparing the final proposal, as per financial guidelines, along with the following necessary information:–

   (i) Whether it is a new work or renovation/repair work;

   (ii) Total length of the road (length and width) and whether there is any variation in the width of the road at any point (in case of a road scheme);

   (iii) Whether the entire stretch of the road is to be repaired/re-laid/partly re-laid or any portion in good condition is to be left out;

   (iv) When was the work last executed and what was the cost thereof alongwith details of the funding department? If the proposed work was done by any other Executing Agency, then its NOC would be mandatory;

   (v) 2-3 photographs of the proposed site from different positions;

   (vi) Certificate that there is no duplication /splitting of work by the Executive Engineer of the concerned Executing Agency;

   (vii) Certificate that the estimate have been prepared on the basis of field inspection/survey; and

   (viii) Whether the road has outlived its life?

7. If the land belongs to DJB/Delhi Waqf Board/Haryana/UP Irrigation Department/Railways or any other land owning department/agency, then NOC of the concerned department/agency is mandatorily required to be submitted by the concerned Executing Agency alongwith the proposal.

8. The Executing Agency will send the complete proposal to the office of PD(RD) within 15 days of receipt of the proposal.

9. After receipt of file from the concerned Executing Agency with complete proposal and necessary information envisaged at 6 above, the Rural Development unit will examine and put-up all the project proposals, complete in all respect, for consideration in the meeting of DVDB for taking appropriate decision.

10. The project proposals approved by DVDB will be put-up by the Rural Development unit to the competent authority within 11 days for obtaining AA & ES.

This issues with the prior approval of Hon'ble Minister of Development, GNCT of Delhi.

(A.K. GAMBHIR)
DY. DIRECTOR(RD)

To

The Chairman, Vice Chairmen and all members of DVDB

No. 4/(63)PDRD/Admn./2017/151-200 Dated: 10.01.18

Copy for information and necessary action to:

1. Secretary to Hon'ble Minister of Development, GNCT of Delhi, Delhi Secretariat,

2. PS to Secretary-cum-Development Commissioner, 5/9, Under Hill Road, Delhi-54

3. PA to Project Director(RD)/SDC, 5/9, Under Hill Road, Delhi-54.

(A.K. GAMBHIR)
DY. DIRECTOR(RD)

55- Jh vkse izdk'k 'kekZ ¼ क्या **ekuuh; lkekU; iz'kklu ea=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रियों और विधायकों के विदेशी दौरों के लिए नियमों एवं प्रावधानों का विवरण क्या है;

(ख) वर्ष 2015 से अब तक दिल्ली सरकार के मंत्रियों द्वारा की गई विदेश यात्राओं का विवरण दे;

(ग) इन यात्राओं का क्या उद्देश्य था तथा इन दौरों से वापस आने के बाद क्या कोई रिपोर्ट्स दी गई;

(घ) उपरोक्त यात्राओं में मंत्रियों के साथ जाने वाले व्यक्तियों, यात्रा की अवधि तथा स्थानों का पूर्ण विवरण दें; और

(ङ) इन यात्राओं पर कितना खर्च आया?

ekuuh; lkekU; iz'kklu ea=h ¼ दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों से सूचना एकत्रित की जा रही है/सूचना एकत्रित होने पर सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

56- Jh f'kopj.k xks;y ¼ क्या **ekuuh; mi eq[; ea=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मोती नगर विधानसभा में स्थित निजी अस्पतालों, बैंक्वट हॉल, होटल, फैक्टरी एवं रेस्टोरेंट का विवरण क्या है।

(ख) इन सभी के लिए अग्नि सुरक्षा मानक कया हैं।

(ग) इन सभी को किस आधार पर फायर सेफ्टी क्लीयरेंस सर्टिफिकेट/एन.ओ.सी. दिया जाता है।

(घ) मोती नगर विधानसभा में स्थित जिन भवनों को फायर विभाग एन.ओ.सी./क्लीयरेंस सर्टिफिकेट दिए गए हैं उन सभी के नाम और पता सहित विस्तृत ब्यौरा दें।

(ङ) विभाग द्वारा हाईराइज बिल्डिंग में आग लगने की घटनाओं को रोकने हेतु किए गए उपायों का विवरण दें।

(च) कीर्तिनगर और मोती नगर विधानसभा के फायर स्टेशनों में कार्यरत विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों एवं वाहनों का विस्तृत ब्यौरा दें।

(छ) जितनी भी गाड़ियां हैं वो कितने कार्यरत हैं और कितने नहीं है तथा वाहनों के पूरे दस्ते को ना लगाए जाने के क्या कारण हैं; और

(ज) इन फायर स्टेशनों की कार्यक्षमता को सुधारने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं।

ekuuh; mi e[; e=h % (क) दिल्ली अग्निशमन सेवा विभाग में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार मोती नगर व कीर्ति नगर में स्थित निजी अस्पताल, बैंक्वट हॉल, होटल, फैक्टरी एवं रेस्टोरेंट का विवरण संलग्न है। (अनुलग्नक–क)

(ख) दिल्ली फायर सर्विस एक्ट–2007 वे नियम–2010 के अंतर्गत अग्नि सुरक्षा मानक नियम–33 में दिए गए मानकों के अनुसार होने चाहिए, जो कि संलग्न है। (अनुलग्नक–ख)*

(ग) अग्नि सुरक्षा मानक नियम–33 के अनुसार पाए जाने पर फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट जारी किया जाता है।

---

*www.delhiassembly.nic.in पर उपलब्ध।

(घ) वांछित ब्यौरा संलग्न है। (अनुलग्नक–ग)*

(ङ) हाई राइज़ बिल्डिंगों में आग लगने की घटनाओं को रोकने के लिए दिल्ली फायर सर्विस एक्ट–2007 व नियम–2010 के नियम–33 में दिए गए सभी मानकों के अनुसार सुनिश्चित किए जाते हैं। यह सभी मानक नेषनल बिल्डिंग और लॉज–2016 के अनुसार पाए जाने पर फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। नियम–33 के मानकों की सूची संलग्न है।

(च) मोती नगर दमकल केन्द्र पर 50 अधिकारी व कर्मचारी कार्यरत हैं और 07 अग्निशमन वाहन हैं। कीर्ति नगर दमकल केन्द्र पर 26 अधिकारी व कर्मचारी कार्यरत हैं और 05 अग्निशमन वाहन हैं।

(छ) मोती नगर व कीर्ति नगर दमकल केन्द्र पर सभी अग्निशमन वाहन कार्य योग्य हैं। कर्मचारियों की कमी की वजह से सभी वाहनों को एक साथ नहीं भेजा जा सकता है।

(ज) विभाग में अति–आधुनिक तकनीक युक्त उपकरण खरीदने के लिए आवश्यक कार्रवाई जारी है।

57- Jh tjuly flg th % क्या माननीय **jktLo e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजा गार्डन में डीएम (वेस्ट) के कार्यालय हेतु नए भवन का निर्माण किया गया है;

---

*www.delhiassembly.nic.in पर उपलब्ध।

(ख) इस परियोजना का, निर्माण कार्य शुरू होने एवं पूर्ण होने की तिथि तथा उस पर हुए खर्च सहित, पूर्ण विवरण क्या है;

(ग) क्या इस भवन का इस्तेमाल शुरू हो गया है तथा क्या इसका कोई विधिवत उद्घाटन हुआ था;

(घ) उपरोक्त भवन कब तक पूरी तरह फंक्शनल होगा तथा उसमें कब तक पब्लिक डीलिंग शुरू हो जाएगी;

(ङ) कब तक इसका विधिवत उद्घाटन होगा;

(च) क्या उपरोक्त भवन गुणवत्ता एवं सुरक्षा मानकों पर खरा उतरता है; और

(छ) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है?

ekuuh; jktLo e=h % (क) जी हां।

(ख) लोक निर्माण विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार वस्तुस्थिति निम्न प्रकार है:—

1. इस परियोजना का निर्माण कार्य शुरू होने की तिथि 13.01.2015 है।
2. पूर्ण होने की तिथि 13.06.2018 है।
3. इस परियोजना पर अभी तक कुल खर्च तकरीबन 32.6 करोड़ हुआ है।

(ग) जी, हां। इस भवन का इस्तेमाल शुरू हो गया है। विधिवत उद्घाटन अभी शेष है।

(घ) इस भवन में पब्लिक डीलिंग 30.07.2018 से शुरू हो चुकी है।

(ङ) भवन के विधिवत उद्घाटन के लिए फाइल भेज दी गई है।

(च) जी हां, उपरोक्त भवन गुणवत्ता एवं सुरक्षा मानकों पर खरा है।

(छ) इस कार्य का निष्पादन केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (CPWD) के विनिर्देशों (Guidlines) के अनुसार किया गया है तथा इसकी गुणवत्ता (Quality) एवं सुरक्षा मानक समय–समय पर तृतीय गुणवत्ता आश्वासन पार्टी (Third Party) द्वारा आंकी गई है तथा वैद्युत कार्यों की गुणवत्ता एवं सुरक्षा मानकों की जांच से संबंधित अनापत्ति ग्रामीण–पत्र मुख्य वैद्युत निरीक्षक एवं अग्निशमन विभाग द्वारा जारी हो चुका है।

58- Jh euftUnj flag fljlk % क्या **ykd fuekZ.k foHkkx ea=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि राजौरी गार्डन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग की अधिकतर सड़कें अत्यंत दयनीय अवस्था में है जहां पर बड़े–बड़े गड्ढे है जिसके कारण वहां दुर्घटनाएं होती रहती है;

(ख) इन सड़कों की पूर्ण रूप से मरम्मत कब तक हो जाएगी;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि उपरोक्त सड़कों के दोनों और स्थित

नाले–नालियों बुरी तरह बंद पड़े है और उनकी वर्षों से सफाई नहीं हुई है;

(घ) क्या यह भी सत्य है कि 100 फुटा रोड (पटेल चौक सड़क) और रोड़ संख्या–29 (गुरु गोबिन्द सिंह अस्पताल के पास) की साथ स्थित नालों की पिछले 15 वर्षों से डिसिल्टिंग नहीं हुई है;

(ङ) क्या यह भी सत्य है कि उपरोक्त सड़कों के सेंट्रल वर्ज और फुटपाथ पर ग्रिल नहीं लगी है अथवा गायब है तथा वे अत्यंत बुरी स्थिति में है; और

(च) यदि हां तो इनकी पूर्ण रूप से मरम्मत कब तक कर दी जाएगी?

ekuuh; ykd fuek.k foHkkx e=h % (क) इस क्षेत्र में जहां भी सड़क पर गड्ढे होते है उनको रिपेयर करके दूर कर दिया जाता है। पांच सड़कों (i) 80ft. Chowkhandi Road, (ii) Sakti Mandir Marg, (iii) Najafgarh Road (Raja Garden to Subhash Nagar), (iv) Tanki Wala Marg, (v) Road No.28 की Dense Carpeting का कार्यकाल लगभग पांच वर्ष पूरा हो चुका हैं। इन सड़कों का Benkelman Test के लिए कार्रवाई की जा रही हैं ताकि शीघ्र Dense Carpeting का कार्य हो सके। गड्डो का रिपेयर सूचना प्राप्त होते ही निर्धारित समयवधि में करा दिया जाता है।

(ख) इन सड़कों की पूर्ण मरम्मत वित्त वर्ष 2018–19 में कर दी जाएगी।

(ग) सड़कों के दोनों और स्थित नाले–नालियों की सफाई चल रही है। लो.नि.वि.के नाले में दिल्ली नगर निगम के कॉलोनियों के गलियों के नाले मिलने के कारण व सीवर के अवैध कनेक्शन होने के कारण गारबेज फिर फिर भर जाती है। यह एक सतत् प्रक्रिया है।

(घ) जी, नहीं। 100 फुटा रोड पटेल चौक सड़क के नालों की डिसिल्टिंग निरन्तर कराई जा रही हैं। लो.नि.वि. के नाले में दिल्ली नगर निगम के कॉलोनियों के गलियों के नाले मिलने के कारण व सीवर के अवैध कनेक्षन होने के कारण गारबेज फिर भर जाती हैं जिसे बार–बार सफाई करानी पड़ती हैं। रोड सं.–29 के साथ स्थित नालों की सफाई की जा रही है।

(ङ) पटेल चौक सड़क के सेंट्रल वर्ज पर ग्रिल लगाने का कार्य किया जा रहा है।

(च) ग्रिल लगाने का कार्य एक माह में कर दिया जाएगा।

59- Jh l tho >k % क्या **ekuuh; Je e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली सरकार की अस्थायी और कंट्रैक्चुअल कर्मचारियों को सीधे संबंधित विभाग द्वारा लगाए जाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो यह योजना कब से लागू की जाएगी;

(ग) इस योजना से कौन–कौन से कर्मचारी लाभान्वित होंगे; और

(घ) विभाग द्वारा इन कर्मचारियों को सीधे वेतन भुगतान करने के मैकेनिज्म का पूर्ण विवरण दें?

ekuuh; Je e=h % (क) ठेका श्रम (नियमन तथा उन्मूलन) अधिनियम, 1970 की धारा 4 के अंतर्गत दिल्ली ठेका सलाहकार श्रम बोर्ड का पुनर्गठन दिनांक 14.11.17 को अधिसूचना द्वारा किया गया। यह 13 सदस्यों का एक त्रिपक्षीय बोर्ड है। बोर्ड के अध्यक्ष माननीय श्रम मंत्री हैं और इनके सदस्यों में दिल्ली विधान सभा के दो माननीय विधायक भी सदस्य हैं, इनके अतिरिक्त सरकार के प्रतिनिधि, नियोक्ता और कर्मचारी पक्ष के प्रतिनिधि शामिल हैं।

बोर्ड की पांचवीं बैठक दिनांक 18.07.2018 को आयोजित की गयी, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि प्रथम चरण में सरकारी विभागों में ठेकेदारों को हटाकर विभाग ठेकेदारों के श्रमिकों को सीधे विभाग में ठेके पर नियुक्त करेगा।

(ख) बोर्ड ने प्रस्ताव पारित कर श्रम विभाग को सौंप दिया है, जो सभी विभागों से सूचना एकत्रित कर कैबिनेट नोट पेश करेगा। कैबिनेट की स्वीकृति के पश्चात यह योजना लागू की जाएगी।

(ग) इस योजना से ठेके पर काम कर रहे सभी कर्मचारी लाभान्वित होंगे, जो भिन्न–भिन्न विभागों में काम कर रहे है।

(घ) सरकार द्वारा योजना की स्वीकृति के पष्चात संबंधित विभाग द्वारा सीधे ही कर्मचारी के खाते में वेतन भुगतान किया जाएगा।

60- Jh txnh'k ièkku % क्या **ekuuh; ykd fuekZ.k foHkkx ea=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि 60 फुट और उससे अधिक चौड़ी सड़कों की देखभाल लोक निर्माण विभाग करेगा;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि अभी भी इस श्रेणी की कई सड़कें लोक निर्माण विभाग को नहीं सौपी गईं हैं;

(ग) करावल नगर विधान सभा क्षेत्र की ऐसी सड़कों का विवरण क्या है; और

(घ) ये सड़कें रखरखाव के लिए लोक निर्माण विभाग को कब तक सौंपी जाएंगी?

ekuuh; ykd fuekZ.k foHkkx ea=h % (क) जी हां, यह सत्य है।

(ख) इस विषय में विभाग को कोई जानकारी नहीं है।

(ग) लोक निर्माण विभाग में यह विवरण उपलब्ध नहीं है।

(घ) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

70- Jh fotsUnz xqIrk % क्या **ekuuh; ifjogu ea=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्हीकल फिटनेट का काम 5000 फिटनेस सेंटर्स को आउटसोर्स करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या यह सत्य है कि माननीय मुख्यमंत्री ने इन फिटनेस सेंटर्स को 10 दिन के भीतर परिचालित करने के निर्देष दिए थे;

(ग) अब तक कितने फिटनेस सेंटर्स परिचालित किए गए हैं;

(घ) इन सेंटर्स के निरीक्षण हेतु निजी रूप से नियुक्त किए गए अधिकारियों का विवरण क्या है;

(ङ) इन सेंटर्स पर फिटनेस सर्टिफिकेषन के लिए कौन–सा सिस्टम इस्तेमाल किया जा रहा है; और

(च) इन सेंटर्स पर कौन–सी अथॉरिटी यह सर्टिफाई करेगी कि वाहन में लीफ–स्प्रिंग, पॉजिशन क्लैमपिंग, सेंटर बोल्ट, शैकल्स व अन्य तकनीकी पहलू पूर्ण हो रहे हैं तथा वाहन सड़क पर चलने के योग्य है?

ekuuh; ifjogu e=h % (क) व्हीकल फिटनेस का काम 5000 फिटनेस सेंटर्स को आउटसोर्स करने का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) माननीय मुख्यमंत्री द्वारा फिटनेस सेंटर्स को जल्दी विकेन्द्रीकृत करने के आदेष दिए गए है।

(ग) प्रस्ताव बना दिया गया है तथा स्वीकृति हेतु विचाराधीन है।

(घ) कोई नहीं।

(ङ) कोई नहीं।

(च) अभी विचाराधीन है।

71- Jh lnhi dqekj ¼ क्या **ekuuh; lekt dY;k.k e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए वर्ष 2014—15, 2015—16 तथा 2016—17 के लिए आबंटित किए गए फंड जिस उद्देश्य के लिए दिए गए थे उसके लिए पूर्ण रूप से इस्तेमाल कर लिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसका वर्षवार एवं योजनावार विवरण क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(घ) नई योजनाओं को प्रस्तुत करने तथा विभिन्न योजनाओं के लिए आबंटित फंड को समुचित रूप से उपयोग करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

ekuuh; lekt dY;k.k e=h ¼ (क) समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का विवरण संलग्न है। सभी योजनाओं के निर्धारित वित्तीय लक्ष्य प्राप्त कर लिये गये हैं।

(ख) वर्ष—वार एवं योजना—वार विवरण संलग्न* है।

(ग) उपरोक्त 'क' व 'ख' के अनुसार लागू नहीं होता।

(घ) वर्तमान में कोई नई योजनाएं प्रस्तुत करने का प्रस्ताव नहीं है। वर्तमान में चल रही योजनाओं के विषय में (क) के अनुसार, अभी कोई नये कदम उठाने की आवश्यकता नहीं है।

---

*www.delhiassembly.nic.in पर उपलब्ध।

72- Jh tjuly flag % क्या **ekuuh; [kk| ,oa vkiwfrZ ea=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मल्टीप्लेक्स एवं सिनेमा थियेटरों में खाद्य वस्तुओं जैसे पापकार्न, बैवरेजिस, आइसक्रीम इत्यादि के प्राइजिंग सिस्टम से अवगत हैं;

(ख) क्या सरकार के पास इन वस्तुओं के मूल्यों को नियंत्रित करने का कोई मैकेनिज़्म है;

(ग) यदि हां तो इसका विवरण क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि इन स्थानों पर ये वस्तुएं ऊंची दरों पर बेची जा रही हैं;

(च) क्या उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने हेतु कोई प्रावधान है जिससे उन्हें इन वस्तुओं को ऊंची दरों पर न खरीदना पड़े और

(छ) यदि नहीं तो क्या सरकार का उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए कोई कानून लाने का कोई प्रस्ताव है

ekuuh; [kk| ,oa vkiwfrZ ea=h % (क) किसी भी वस्तु की अधिकतम कीमत निर्धारित करना उसके उत्पादक का काम है।

(ख) हां, माप तोल विभाग यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी प्री–पैकेज वस्तु उस पर अंकित अधिकतम मूल्य से अधिक नहीं बिके।

(ग) यदि कोई विक्रेता किसी भी वस्तु को उस पर अंकित अधिकतम मूल्य से ज्यादा कीमत पर बेचता है तो विभाग के निरीक्षकों द्वारा उसका चालान अंडर रूल 18(2)/32(2) पीसीआर के तहत बुक किया जाता है।

(घ) लागू नहीं।

(ङ) विभाग के निरीक्षक द्वारा दैनिक निरीक्षण के दौरान या किसी और माध्यम से विभाग को ये पता चलता है कि इन स्थानों पर एमआरपी से अधिक मूल्य पर वस्तुएं बेची जा रही हैं तब विभाग के निरीक्षकों द्वारा उसका चालान अंडर रूल 18(2)/32(2) पीसीआर के तहत बुक किया जाता है।

(च) यदि कोई विक्रेता किसी भी वस्तु को उस पर अंकित अधिकतम मूल्य से ज्यादा कीमत पर बेचता है तो विभाग के निरीक्षकों द्वारा उसका चालान अंडर रूल 18(2)/32(2) पीसीआर के तहत बुक किया जाता है।

(छ) लागू नहीं।

73- I|Jh jk[kh fcMyk ¼ क्या माननीय **mi e|[; e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंगोलपुरी विधानसभा के आंगनवाड़ी केन्द्रों में बच्चों को क्या–क्या सुविधाएं दी जा रही है;

(ख) क्या सरकार द्वारा आंगनवाड़ी वर्कर्स के लाभ के लिए की गई घोषणाएं लागू कर दी गई हैं;

(ग) यदि हां, तो मंगोलपुरी विधानसभा में उन वर्करों का विवरण क्या है जो इससे लाभांवित हुए है;

(घ) क्या सरकार का और अधिक आंगनवाड़ी वर्कर्स नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है?

ekuuh; mi e[; e=h % मंगोलपुरी विधानसभा क्षेत्र में आंगनवाड़ी केन्द्रों द्वारा बच्चों को जो सुविधएं उपलब्ध कराई जाती है उनका पूर्ण विवरण इस प्रकार हैः–

1. पूरक पोषाहार
2. अनौपचारिक शाला पूर्व शिक्षा
3. पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा
4. बच्चों का आधार नामांकन
5. स्वास्थ्य जांच
6. प्रतिरक्षण
7. संदर्भ सेवाएं

उपरोक्त अंतिम तीन सेवाएं आंगनवाड़ियों में स्वास्थ्य विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है।

(ख) जी, हां। सरकार द्वारा आंगनवाड़ियों वर्कर्स के लाभ के लिए की गई घोषणाएं लागू कर दी गई है। जिसके अंतर्गत वर्करों को अगस्त 2017 से बढ़ा हुआ मानदेय भत्ता दिया जा रहा है। दिल्ली सरकार द्वारा वर्कर्स के लिए अगस्त 2017 से मानदेय भत्ते में प्रति माह की गई वृद्धि इस प्रकार है:–

विवरण	भारत सरकार सरकार	दिल्ली भत्ता	कुल मानदेय
पूर्व मानदेय भत्ता	1800 रुपए	3200 रुपए	5000 रुपए
वृद्धि उपरांत मानदेय भत्ता	1800 रुपए	7878 रुपए	9678 रुपए

प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चों की देखरेख और उनके सर्वांगीण विकास हेतु शिक्षा नीति (ECCE) के अनुसार पर्यवेक्षिकाओं एवं कार्यकर्त्ताओं को समय–समय पर प्रषिक्षण दिया जा रहा है।

(ग) इसका विवरण 'क' पर संलग्न है।

(घ) और (ङ) जी, हां। सरकार का और अधिक आंगनवाड़ी वर्कर्स नियुक्त करने का प्रस्ताव है जिसमें विभाग के अंतर्गत जिला महिला एवं बाल विकास विभाग अधिकारियों द्वारा आंगनवाड़ी वर्कर्स के रिक्त पदो को भरने का कार्य प्रगति पर है।

fooj.k

Details of Anganwadi Workers under Mangolpuri Constituency

ICDS Project – Mangolpuri

Sl.No.	AWC No.	Name of the AWW
1	2	3
1.	1	Vacant
2.	2	Vacant
3.	3	Vacant
4.	4	Vacant
5.	5	Sunita
6.	6	Prabha
7.	7	Krishna
8.	8	Sumiti
9.	9	Vacant
10.	10	Pushpa Rani
11.	11	Usha
12.	12	Renu Bala
13.	13	Amresh Wati
14.	14	Surender Kaur
15.	15	Pushpa

1	2	3
16.	16	Vacant
17.	17	Santosh
18.	18	Hemlata
19.	19	Deepak
20.	20	Sheela
21.	21	Minakshi
22.	23	Kavita
23.	24	Jyoti
24.	25	Asha
25.	26	Sheela
26.	27	Vacant
27.	28	Seema
28.	29	Shyamkiram
29.	30	Ramlesh
30.	31	Geeta
31.	137	Rekha
32.	44	Bimla
33.	46	Shashi
34.	58	Kailash

1	2	3
35.	143	Ashu
36.	32	Vacant
37.	33	Vacant
38.	34	Vacant
39.	35	Geeta
40.	36	Lalita
41.	37	Sunita
42.	38	Neelam Chawla
43.	39	Vacant
44.	40	Vacant
45.	41	Dilla
46.	42	Kiran
47.	43	Sunita
48.	45	Geeta
49.	47	Usha
50.	48	Asha
51.	49	Bimla
52.	50	Meena Gupat
53.	51	Vacant

1	2	3
54.	52	Rosy
55.	53	Sangeeta
56.	54	Vacant
57.	55	Satish Kumari
58.	56	Susham Shukla
59.	57	Vacant
60.	59	Seema
61.	66	Harvender
62.	67	Shashi
63.	68	Gaytri
64.	75	Anarkal
65.	83	Asha
66.	84	Lalita
67.	85	Vacant
68.	139	Prveen
69.	140	Poonam
70.	141	Meena Jani
71.	142	Ritu
72.	144	Kavita

1	2	3
73.	60	Shanti
74.	61	Vacant
75.	62	Divya
76.	63	Sarita
77.	64	Veena Yadav
78.	65	Saroj
79.	69	Sushma
80.	70	Alka
81.	71	Bhawani
82.	72	Rajni
83.	73	Rashmi
84.	74	Urmila
85.	76	Pushpa
86.	77	Shilpi
87.	78	Anu
88.	79	Krishna
89.	80	Vacant
90.	81	Renu
91.	82	Maya

1	2	3
92.	86	Santosh
93.	87	Kamla
94.	88	Kiran
95.	89	Indermani
96.	90	Sunder
97.	91	Champa
98.	92	Renu
99.	102	Vacant
100.	108	Sheela
101.	109	Vacant
102.	110	Vacant
103.	111	Vacant
104.	112	Leena
105.	113	Kusum
106.	114	Vacant
107.	115	Birmati
108.	116	Suman Gupta
109.	117	Sonia
110.	118	Vacant

1	2	3
111.	119	Sushila
112.	120	Vacant
113.	121	Urmila
114.	122	Renu
115.	123	Poonam
116.	124	Vacant
117.	125	Kamlesh
118.	126	Vacant
119.	127	Nirmala
120.	128	Sushila Devi
121.	129	Rajni
122.	130	Vacant
123.	131	Amra
124.	132	Poonam
125.	133	Varsha
126.	134	Vacant
127.	135	Darshana
128.	136	Sheela
129.	138	Harveen

1	2	3
130.	93	Sunita
131.	94	Prembai
132.	95	Vacant
133.	96	Veermati
134.	97	Sudesh
135.	98	Premwati
136.	99	Veena Chouhan
137.	100	Veena Pandy
138.	101	Neeta
139.	103	Veena
140.	104	Sapna
141.	105	Chandra
142.	106	Maya
143.	107	Vacant
	ICDS Mangolpur Khurd	
144.	1	Mamta
145.	25	Vacant
146.	26	Vacant
147.	27	Kavita Rani

1	2	3
148.	28	Jyoti
149.	29	Bimla
150.	30	Anju Bala
151.	31	Priyanka
152.	32	Mamta
153.	33	Rekha Devi
154.	34	Vacant
155.	35	Aachal
156.	36	Nandini
157.	37	Suman Malik
158.	38	Shila
159.	39	Sunita
160.	40	Usha
161.	41	Brijbala
162.	42	Ravita
163.	43	Rajesh
164.	44	Anita
165.	45	Paras
166.	46	Anita

1	2	3
167.	47	Namita
168.	49	Pinki
169.	50	Asha
170.	51	Ramesh Kumari
171.	52	Jyoti
172.	53	Vidhu
173.	54	Babli Rani
174.	55	Rajni
175.	56	Mamta
176.	57	Vacant
177.	58	Geeta
178.	59	Preeti
179.	60	Deepa
180.	61	Madhu
181.	62	Shalini
182.	63	Meenu
183.	64	Vacant
184.	65	Krishna
185.	66	Parvesh

1	2	3
186.	67	Sharjhan
187.	68	Seema Devi
188.	69	Babita
189.	70	Usha
190.	71	Neetu
191.	72	Sanju
192.	73	Neha
193.	19	Vacant
194.	20	Pratibha
195.	21	Vacant
196.	22	Kamlesh
197.	23	Vacant
198.	24	Rintu Mishra
	ICDS Rohini I	
199.	10	Vacant
200.	11	Poonam Sexena
201.	12	Anju
202.	13	Vacant
203.	14	Sunita

74- Jh lqjsUnz flag % क्या **ekuuh; ifjogu e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों में बसंत विहार अथॉरिटी में पदापित किए गए एमएलओज का विवरण क्या है;

(ख) सरकार द्वारा बसंत विहार अथॉरिटी में किए गए निरीक्षण/छापेमारी का विवरण क्या है;

(ग) इन निरीक्षणों/छापेमारी के परिणामस्वरूप जिन अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई, उस कार्रवाई का विवरण क्या है;

(घ) पिछले दो वर्षों में नये ड्राइविंग लाइसेंस/ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण/कमर्शियल लाइसेंस के लिए प्राप्त हुए आवेदनों का विवरण क्या है;

(ङ) उपरोक्त आवेदनों में से स्वीकृत/अस्वीकृत हुए आवेदनों का विवरण क्या है;

(च) नये लाइसेंस के लिए आवेदन करने हेतु क्या प्रक्रिया एवं मानदंड हैं; और

(छ) क्या किसी आवेदक के पास ड्राइविंग स्कील एवं अन्य योग्यताएं होने के बावजूद उसका आवेदन इस आधार पर अस्वीकृत कर दिया जाता है कि उसे कम्प्यूटर का ज्ञान नहीं है?

ekuuh; ifjogu e=h % (क) पिछले दो वर्षों में वसंत विहार अथॉरिटी में पदापित किये गये एमएलओज का विवरण निम्नलिखित हैः—

1. एस.के. मिश्रा (अगस्त 2015 से 08.06.2017)

2. संपत नायक (09.06.2017 से 24.04.2018)

3. एम जॉनसन (25.04.2018 से अब तक)

(ख) और (ग) माननीय परिवहन मंत्री द्वारा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वसंत विहार अथॉरिटी का निरीक्षण दिनांक 07 नवंबर 2017 को किया गया था।

इस निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि ऑनलाईन सुविधा होने के बावजूद वहां पर छपे हुए फॉर्म उपलब्ध थे तथा कार्यालय द्वारा ऐसे फॉर्म प्राप्त भी किए जा रहे थे जोकि ऑनलाईन व्यवस्था को अनुपयोगी बनाता था, इसलिए इसे समाप्त करने का निर्देष दिया गया था।

आम जनता की मदद के लिए वहां हैल्प डेस्क की व्यवस्था करने का भी निर्देष दिया गया था।

इन निर्देषों का अनुपालन कर दिया गया है।

डिप्टी कमिश्नर ऑपरेषन–I ने 13/12/2016 को वसंत विहार अथॉरिटी ने निरिक्षण किया था और कुछ भी अवांछनीय नहीं पाया गया।

(घ) और (ङ) एनआईसी से उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार फरवरी 2017 से जुलाई 2018 तक नए ड्राईविंग लाइसेंस/ड्राईविंग लाइसेंस का नवीनीकरण/कमर्षियल लाइसेंस के लिए 650437 आवेदन प्राप्त हुए।

उपरोक्त आवेदनों में से 589702 आवेदन स्वीकृत हुए तथा 60735 आवेदन विभिन्न चरणों पर लंबित हैं।

(च) नए लाइसेंस बनाने हेतु आवेदक को सर्वप्रथम लर्निंग लाइसेंस बनवाना होता है जोकि 6 महीने के लिए मान्य होता है। आवेदक द्वारा

अपेक्षित दस्तावेज जांच/सत्यापित कराने के पश्चात आवेदक को लर्निंग लाईसेंस से संबंधित परीक्षा उर्त्तीण करनी होती है। परीक्षा उर्त्तीण करते ही उसी दिन आवेदक को लर्निंग लाइसेंस दे दिया जाता है। लर्निंग लाईसेंस हेतु निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होते है।

1. आवेदन पत्र/फॉर्म 1
2. आवेदक की 2 पासपोर्ट फोटो
3. वैध फॉर्म 1ए
4. लर्निंग लाईसेंस देने के लिए आवेदन पत्र फॉर्म 2.
5. स्वंय सत्यापित घर के पते की कॉपी।
6. स्वंय सत्यापित आयु प्रमाणपत्र।
7. स्वयं सत्यापित शिक्षा योग्यता की कॉपी–कम से कम 8वीं कक्षा पास।
8. निर्धारित शुल्क।

आवेदक को लर्निंग लाइसेंस प्राप्त करने के 01 महीने पश्चात व 06 महीने तक स्थायी लाईसेंस के लिए आवेदन करना होता है। आवेदक को वाहन चालन परीक्षा के पष्चात स्थायी लाईसेंस दे दिया जाता है।

(छ) जी, नहीं।

75- Jh eukst dqekj % क्या **ekuuh; ifjogu e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोंडली विधान सभा में अशोक नगर एवं मयुर विहार मेट्रो स्टेशनों पर फीडर बस सेवा उपलब्ध है;

(ख) मयुर विहार फेज–3 और कल्याण पुरी बस टर्मिनल से चलने वाली डीटीसी बसों के रूट एवं नंबर का विवरण क्या है;

(ग) क्या कोंडली विधान सभा में नये बस स्टैंड बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो जिन स्थानों पर ये बस स्टैंड बनाए जाएंगे, उसके सहित, इसका पूर्ण विवरण क्या है?

ekuuh; ifjogu e=h ¼ (क) जी, नहीं।

(ख) मयुरविहार फेज–3 से चलने वाली डीटीसी बसों का विवरण परिशिष्ट–क पर है, तथा कल्याणपुरी बस टर्मिनल से चलने व होकर गुजरने वाली डीटीसी बसों का विवरण परिशिष्ट–ख पर है।

(ग) जी, हां।

(घ) बस स्टैंड स्थान की सूची

क्र.सं.	स्थान का नाम	की ओर
1	2	3
1.	कल्याणपुरी (टर्मिनल)	त्रिलोकपुरी
2.	कल्याणपुरी (टर्मिनल)	त्रिलोकपुरी
3.	कल्याणपुरी (टर्मिनल)	त्रिलोकपुरी
4.	घरोली डेरी फाम	कल्याणपुरी
5.	घरोली डेरी फाम	मयूर विहार

1	2	3
6.	मयूर विहार	टर्मिनल
7.	मयूर विहार	टर्मिनल
8.	मयूर विहार फेस–I	नोएडा रोड़
9.	मयूर विहार फेस–I	त्रिलोक पुरी
10.	मयूर विहार फेस–I (टर्मिनल)	इन साईड टर्मिनल
11.	मयूर विहार फेस–I (टर्मिनल)	इन साईड टर्मिनल
12.	मयूर विहार फेस–I (टर्मिनल)	इन साईड टर्मिनल
13.	मयूर विहार फेस–I (टर्मिनल)	इन साईड टर्मिनल
14.	मयूर विहार फेस–I पी.के.टी. (आर्य समाज)	त्रिलोकपुरी
15.	मयूर विहार फेस–I पी.के.टी. (आर्य समाज)	नोएडा रोड़
16.	त्रिलोकपुरी 36 ब्लॉक	मायापुरी
17.	त्रिलोकपुरी 36 ब्लॉक	त्रिलोकपुरी
18.	त्रिलोकपुरी 26 ब्लॉक	त्रिलोकपुरी
19.	त्रिलोकपुरी 26 ब्लॉक	मायापुरी
20.	कोंडली क्रॉसिंग	गाजीपुर
21.	कोंडली क्रॉसिंग	कोंडली

1	2	3
22.	गाजीपुर डेरी फाम	कोंडली
23.	गाजीपुर डेरी फाम	गाजीपुर
24.	डीडीए मार्किट गाजीपुर	गाजीपुर
25.	डीडीए मार्किट गाजीपुर	कोंडली क्रॉसिंग
26.	मायापूर विहार–III कोरा कॉलोनी	नोएडा
27.	सीआरपीएफ कैंप	नोएडा
28.	सीआरपीएफ कैंप	मयूर विहार
29.	ए–ब्लॉक मयूर विहार–III	मयूर विहार
30.	ए–ब्लॉक मयूर विहार–III	नोएडा
31.	भारती पब्लिक स्कूल	नोएडा
32.	भारती पब्लिक स्कूल	मयूर विहार
33.	न्यू कोंडली ए–I	मयूर विहार
34.	न्यू कोंडली ए–I	नोएडा
35.	मयूर विहार–III क्रॉसिंग	नोएडा
36.	मयूर विहार–III क्रॉसिंग	मयूर विहार
37.	मयूर विहार–III क्रॉसिंग	कोंडली
38.	दालू पूरा (सेवाग पम्प)	कोंडली
39.	दालू पूरा (सेवाग पम्प)	मयूर विहार
40.	मल्टी जिम	मयूर विहार

1	2	3
41.	मल्टी जिम	दालू पूरा
42.	हाई लैंड अपार्टमेंट	दालू पूरा
43.	हाई लैंड अपार्टमेंट	मयूर विहार
44.	डॉक्टर अपार्टमेंट	दालू पूरा
45.	डॉक्टर अपार्टमेंट	मयूर विहार

ifjf'k"V d

Route Originating from Mayur Vihar Phase-3 Paper Market

Route No.	From	To	No. of Buses
1	2	3	4
34A	Mayur Vihar Phase-III, Paper Market	Lado Sarai Terminal	15
118 EXT	Mayur Vihar Phase-III, Paper Market	Mori Gate (T)	17
211	Mayur Vihar Phase-III, Paper Market	Mori Gate (T)	15
211B	Mayur Vihar Phase-III, (Via Paper Market)	Mori Gate (T)	8 Trips
Exp. 344	Mayur Vihar Phase-III, (Via Paper Market)	AIIMS	2 Trips
348	Mayur Vihar Phase-III, Paper Market	Mori Gate (T)	7

1	2	3	4
378	Mayur Vihar Phase-III, Paper Market	Kendriya Terminal	6
398	Mayur Vihar Phase-III, Paper Market	Dhaula Kuan	9
493	Mayur Vihar Phase-III, Paper Market	Mehrauli Terminal	10
611	Mayur Vihar Phase-III, Paper Market	Dhaula Kuan	21
Exp. 611B	Mayur Vihar Phase-III, Paper Market	Nehru Place	2 Trips
611 DND Exp.	Mayur Vihar Phase-III, Paper Market	R.K. Puram Sec-1	2 Trips
0118 Ext NS	Mayur Vihar Phase-III, Paper Market	Mori Gate (T)	1
	Total Buses		101+14 Trips

ifjf'k"V [k

Route Originating from Kalyan Puri Terminal

Route No.	From	To	No. of Buses
306	Kalyan Puri	Nehru Place Terminal	12
309	Kalyan Puri	Anand Parbat	39
344	Kalyan Puri	Hauz Khas (T)	1
391	Kalyan Puri	Kendriya Terminal	3
	Total Buses		55

Route Passing through Kalyan Puri

Route No.	From	To	No. of Buses
1	2	3	4
33	Noida Sec-43 P.C. Sadar Pur	Bhajan Pura	51
33A	Noida Sector-43 (Police Chowki Sadar Pur)	Badar Pur Khadar Shank No. 27	2
118 Ext.	Mayur Vihar Phase-III, Paper Market	Mori Gate (T)	17
211	Mayur Vihar Phase-III, Paper Market	Mori Gate (T)	15
307A	Mayur Vihar Phase-II	N.D. Rly. Station Gate No. 2	5
319	Noida Sec-43 (Police Chowki Sadar Pur)	Shahdara (T)	13
319A	Noida Sec-43 (Police Chowki Sadar Pur)	Shahdara (T)	3
Exp. 344	Mayur Vihar Phase-III (Via Paper Market)	AIIMS	2 Trips
348	Mayur Vihar Phase-III, Paper Market	Mori Gate (T)	7
378	Mayur Vihar Phase-III, Paper Market	Kendriya Terminal	6
390	Mayur Vihar Phase-I Terminal	Kendriya Terminal	3

1	2	3	4
611	Mayur Vihar Phase-III, Paper Market	Dhaula Kuan	21
Exp. 611B	Mayur Vihar Phase-III, Paper Market	Nehru Place	2 Trips
Yamuna Mudrika (+)(-)	ISBT Kashmere Gate (Nityanand Marg)	ISBT Kashmere Gate (Nityanand Marg)	16
0118 Ext NS	Mayur Vihar Phase-III, Paper Market	Mori Gate (T)	1
	Total Buses		160 + 4 Trip

76- Jh vt; nÙk % क्या **ekuuh; lekt dY;k.k e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अम्बेडकर नगर विधान सभा में विकास कार्यों के लिए क्षेत्रीय विधायक से विभाग को प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो उनका विवरण क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

ekuuh; lekt dY;k.k e=h % (क) जी, हां।

(ख) अम्बेडकर नगर विधान सभा क्षेत्र (एसी–48) से सात प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। जिनका विवरण अनुलग्नक 'क' में वर्णित है।

(ग) उत्तर संख्या ख के अनुसार लागू नहीं होता।

अनुलंग्नक "क"

AC-48 Name of MLA Sh. Ajay Putt (Ambedkar Nagar)

Sl. No.	Details of Proposal	Name of Executing Agency	Executing Agency (I&FCèDUSIB)
1	2	3	4
1.	Providing and Fixing security gate in different blocks of Madangir J.J. Colony in Ambedkar Nagar Assembly Constituency (AC-48)	DUSIB	The Executive Engineer C-6, DUSIB 1, Ring Road, Kilokari, Maharani Bagh Delhi-14
2.	Providing and fixing of Benches in parks and public place in JJ Colony Khanpur, Madangir and Pushp Vihar in Ambedkar Nagar Constituency (AC-48)	I&FC Deptt.	The Executive Engineer CD-V, GNCT of Delhi, near Parayavaran office complex, Saidulajaib, Delhi-30
3.	Providing and fixing of benches in parks and public place in Dakshinpuri, Madangir and Pushp Vihar	I&FC Deptt.	The Executive Engineer CD-V, GNCT of Delhi, near Parayavaran office complex, Saidulajaib, Delhi-30

CD	Estimated Cost (in Lakh)	Month	Date of receipt of Proposal	Reasons for Pendency
5	6	7	8	9
C-6	90.49	July	09.07.18	Under process of release of AèA and EèS
CD-V	24.29	July	16.07.18	Under process
CD-V	25.8	July	16.07.18	Under process

1	2	3	4
	area in Ambedkar Nagar Constituency (AC-48)		
4.	Development of Roadè Streets Pavement Block (BF, D1, E1) at Village Madangir Colony (AC-48)	I&FC Deptt.	The Executive Engineer CD-V, GNCT of Delhi, near Parayavaran office complex, Saidulajaib, Delhi-30
5.	Development of Roadè Streets Pavement Block (J&G1) at Village Madangir Colony (AC-48)	I &FC Deptt.	The Executive Engineer CD-V, GNCT of Delhi, near Parayavaran office complex, Saidulajaib, Delhi-30
6.	Development of Roadè Streets Pavement Block (A-1, C-1) at Madangir Colony (AC-48)	I&FC Deptt.	The Executive Engineer CD-V, GNCT of Delhi, near Parayavaran office complex, Saidulajaib, Delhi-30
7.	Development of Roadè Streets Pavement Block (B-1) at Village Madangir colony (AC-48)	I&FC Deptt.	The Executive Engineer CD-V, GNCT of Delhi, near Parayavaran office complex, Saidulajaib, Delhi-30

5	6	7	8	9
CD-V	84.43	July	16.07.18	Under process
CD-V	87.11	July	16.07.18	Under process
CD-V	61.96	July	16.07.18	Under process
CD-V	81.43	July	16.07.18	under process
Total	455.51			

77- Jh iou d|ekj 'kek ¼ क्या **ekuuh; ifjogu e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि मुख्य जीटी रोड पर आदर्श नगर विधान सभा के आजदपुर गांव का बस टर्मिनल होने के कारण भारी जाम लगा रहता है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस टर्मिनल को किसी अन्य उपयुक्त स्थान पर शिफ्ट करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

ekuuh; ifjogu e=h ¼ (क) जी, नहीं। आजादपुर टर्मिनल के बाहर फल बेचने वालों की रेहड़ियों, लोहारों इत्यादि के द्वारा रोड पर अवैध कब्जे के कारण ही जाम लगता है।

(ख) उपरोक्तानुसार।

(ग) उपरोक्तानुसार

(घ) उपरोक्तानुसार

78- Jh lkeukFk Hkkjrh ¼ क्या **ekuuh; lekt dY;k.k e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मालवीय नगर विधान सभा में अ.जा./ज.जा./अ.पि.व./अल्पसंख्यक से संबंध रखने वाले लोगों की जनसंख्या का कॉलोनी/वार्ड वाइज विवरण क्या है;

(ख) इन आंकड़ों को जानने के लिए जनगणना कब की गई थी;

(ग) किसी क्षेत्र को अनु.जा./जन.ज./अ.पि.व./अल्पसंख्यक ब्लॉक घोषित करने के लिए क्या मानदंड हैं;

(घ) सरकार इन ब्लाक्स में क्या सुविधाएं दे सकती हैं;

(ङ) दिल्ली में अनु.जा./जन.ज./अ.पि.व./अल्पसंख्यक वर्ग में किन किन जातियों को शामिल किया जाता है;

(च) दिल्ली में इन श्रेणियों के कल्याण के लिए कौन–कौन सी विषिष्ट योजनाएं हैं;

(छ) क्या दूसरे राज्यों के अनु.जा./जन.ज./अ.पि.व./अल्पसंख्यक को दिल्ली में अनु.जा./जन.ज./अ.पि.व./अल्पसंख्यक स्वीकार किया जाता है अथवा इस उद्देष्य के लिए उन्हें प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना पड़ता है;

(ज) क्या अनु.जा./जन.ज./अ.पि.व./अल्पसंख्यक क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए विधायकों के पास फंड उपलब्ध है, और

(झ) यदि हां, तो इस मत के अंतर्गत कौन कौन से कार्य किए जा सकते हैं उसके सहित इसका पूर्ण विवरण क्या है?

lekt dY;k.k e=h % (क) जनगणना कार्य निदेशालय दिल्ली से प्राप्त सूचना के अनुसार जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार मालवीय

नगर विधान सभा के अनु.जा./जन.ज./अ.पि.व./अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों की कॉलोनी वाइज डाटा उपलब्ध नहीं है।

जनगणना कार्य निदेषालय दिल्ली से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 2011 में की गई जनगणना के आंकड़ों के आधार पर मालवीय नगर विधानसभा के अंतर्गत केवल अनुसूचित जाति/अनु.जनजाति से संबंध रखने वाले लोगों की जनसंख्या का वार्ड वाइज विवरण निम्नलिखित हैः–

वार्ड नं. जनसंख्या	कुल जाति	अनुसूचित जनसंख्या	अनुसूचित जनजाति
161	35888	3790	0
162	37426	2510	0
163	12864	740	0
164	37288	3207	0

- जनगणना कार्य निदेषालय, दिल्ली के पास अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित व्यक्तियों की आबादी का कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है तथा अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित व्यक्तियों की आबादी के आंकड़े केवल जिला स्तर पर उपलब्ध है।

(ख) जनगणना कार्य निदेशालय दिल्ली से प्राप्त सूचना के अनुसार अंतिम जनगणना वर्ष 2011 में की गई थी।

(ग) जनगणना कार्य निदेशालय दिल्ली से प्राप्त सूचना के अनुसार निदेशालय के द्वारा अनु.जा./जन.ज./अ.पि.व./अल्पसंख्यक ब्लॉक घोषित नहीं किए जाते है।

(घ) इस विभाग द्वारा "अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बस्ती सुधारीकरण योजना" का संचालन किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत जनगणना निदेशालय द्वारा जारी वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर उन प्रंगणक ब्लॉकों में जहां पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों की आबादी 33 प्रतिशत से अधिक है वहां पर सुधारकार्य करवाये जाते है। मालवीय नगर विधान सभा से संबंधित उपरोक्त वर्णित प्रंगणक ब्लॉकों का वार्ड वाइज विवरण तथा योजना के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों की सूची अनुलग्नक 'क' पर संलग्न है।

(ङ) दिल्ली में 36 अनुसूचित जातियों को केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रपति की अधिसूचना 1951 के तहत केन्द्र शासित प्रदेश दिल्ली होने के नाते यथावत अधिगृहित किया गया है और इसमें किसी जाति को सम्मिलित अथवा हटाने हेतु संसद सशक्त है।

अनुसूचित जातियां दिल्ली में अधिसूचित नहीं है।

अन्य पिछड़ा वर्ग की 65 जातियों, पिछड़ा वर्ग आयोग दिल्ली की समय समय पर सिफारिशें के आधार पर दिल्ली सूची में अधिसूचित की गयी हैं तथा केन्द्र सरकार द्वारा केवल 57 जातियों को सूची में अधिसूचित किया गया है।

(च) दिल्ली में निम्न श्रेणियों की लिए चलायी जा रही विशिष्ट योजनाओं का विवरण इस प्रकार हैं।

'kf{k.kd fodkl

1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक समुदायों के जातियों (कक्षा 1 से 12) को स्टेशनरी (लेखन सामग्री) खरीदने के लिए वित्तीय सहायता।

2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थियों (कक्षा 1 से 12) को छात्रवृत्ति/योग्यता छात्रवृत्ति।

3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थियों को ट्यूशन फीस की अदायगी।

4. कॉलेज और व्यावसायिक संस्थानों में अध्यनरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थियों को योग्यता छात्रवृत्ति।

5. डॉ.बी.आर. अम्बेडकर टॉपर पुरस्कार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/तकनीकी डिग्री छात्रों में से।

6. अन्य पिछड़ा वर्ग विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना।

7. अन्य पिछड़ा वर्ग विद्यार्थियों के लिए प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना।

8. अनुसूचित जाति विद्यार्थियों के लिए प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना।

9. अनुसूचित जाति विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना।

10. जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना एससी छात्रों के लिए।

11. KISS के सहयोग से गांव ईसापुर में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक/अनाथों के कमजोर वर्ग के लिए आवासीय विद्यालय।

12. छात्रावास अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग छात्र एवं छात्राओं के लिए।

13. व्यावसायिक तकनीकी छात्रवृत्तियां।

vkfFkd ,oa lkekftd fodkl

14. अंर्तजातीय विवाह को प्रोत्साहन के लिए 2.50 लाख रुपया तक दिया जाता है।

15. अनुसूचित जातियों पर होने वाले अत्याचार के लिए प्रशासन के संज्ञान में लाने के बाद रुपए 85000 से रुपए 8,25,000 तक दिया जाता है।

16. बस्तियों का सुधारीकरण।

17. दिल्ली स्वरोजगार योजना एससी/एसटी/ओबीसी/अल्पसंख्यकों के लिए।

18. DSFDC द्वारा एससी/एसटी/ओबीसी युवाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना चलाई जा रही है जिसके तहत विभिन्न व्यवसायों का प्रषिक्षण NSIC तथा ATDC के सहयोग से देती है।

(छ) राजस्व विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार दूसरे राज्यों के अनु. जा./जन.ज./अ.पि.व./अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को उनके पिता को जारी दूसरे राज्य के प्रमाण पत्र के संदर्भ में जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। जिसकी मान्यता उस दूसरे राज्य में ही होती है। इसके अतिरिक्त अगर वह जाति सैंट्रल लिस्ट में भी होती है तो उसे जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

(ज) उत्तर संख्या 'घ' में वर्णित योजना के अंतर्गत क्षेत्रीय विधायकों की अनुशासा पर विकास कार्य करवाये जाते है।

शहरी विकास विभाग, दिल्ली सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार MLALADS गाइडलाइंस के अनुसार सभी विधानसभा क्षेत्रों के विधायकों को विधायक निधि से कार्य करने के लिए प्रतिवर्ष 4 करोड़ रुपए का फंड प्रत्येक विधायक को उपलब्ध कराया जाता है।

(झ) योजना के अंतर्गत करवाये जाने वाले कार्यों की सूची उत्तर संख्या 'घ' के अंतर्गत अनुलग्नक 'क' में दे दी गई है। शहरी विकास विभाग, दिल्ली सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्तमान MLALADS गाइडलाइंस

के अनुसार जो कार्य किए जा सकते हैं, उनकी सूची अनुलग्नक 'ख' में संलग्न है।

vu|yXud ßdÞ

List of improvement works can be under taken under the scheme of "Improvement of SC/ST Basties"

1. Repair/construction of common bathrooms and community latrines.
2. Repair/relaying of side drains and pavements.
3. Kharanja/repair of kucha roads (brick edge soling).
4. C.C. flooring of approach roads of kharanjas.
5. Repair/construction of community centre/chaupal.
6. Construction of Multiservice facilitation centers to be operated in collaboration with different Govt./Private Agencies.
7. Development of Parks and providing benches in public parks.
8. Development of Sports complex.
9. Installation of street lights including high mast lights for safety and security of people living in the SC/ST Basties.
10. Installation of CCTV Cameras for security of SC/ST persons.
11. Laying water and sewer lines and construction of main drains.
12. Construction of gymnasium.
13. Construction of library.
14. Construction of dispensary.

15. Setting up of Schools including residential schools.
16. Construction/Renovation/Alteration of Ambedkar Bhawan auditorium.
17. construction of reservoir.
18. overhead water tank for DJB water.
19. Setting up of vocational schools.
20. Construction of commercial shed for providing tea stall, cobbler shop, tailor shop, other petty economic activities under the scheme.
21. Construction of sub-ways wherever found technically feasible.
22. Hostel for working women and school girls.
23. Construction of culverts, foot-bridges/bridges.
24. Crematoriums or development of burial grounds.
25. Construction of tube wells and water tanks for providing drinking water to the people or execution of other works which may help in this respect.
26. Provision of common services/community services including maintenance of group toilets, courtyard, common path and similar other services in privately owned katras subject to the stipulations that no ceiling on individual works or on total quantum or works per MLA will be imposed.
27. Bus Stop and Bus ‘Q’ Shelter.
28. Garbage Collection Centre like one’s in NDMC Area.
29. Solar Traffic Lights.

30. The development/Strengthening of common areas/common facilities/ common passages/balconies/Courtyards/Common stairs/toilet blocks and various facilities in the slum complexes developed by Slum and JJ Department and other such residential complexes allowed under the scheme.

31. Provision of PVC Over head tanks for portable water storage in JJ Clusters and unauthorized colonies.

32. The above is not exhaustive but merely an illustrative list of activities for which funds may be released under the scheme. It will be open to the Department to release funds for any other purpose connecting with the needs of the local SC residents; Decision in this regard will be taken with the prior approval of Minister in Charge after taking into consideration percentage of SC population in the particular locality.

Projects, based on the recommendations of the area MLA, may be executed by any of the executing agencies of the Government, after getting NOC from agency concerned, wherever required, in consultation with/concurrence of the Administrative Department concerned.

43-(Assembly) Malviya Nagar

Ward No.	Name of Area
161	Malviya Nagar
162	Village Hauz Rani
163	Safdariaq Enclave
164	Hauz Khas

Ward No. 163

Sl. No.	Ward No.	Name of Town/ Census Town/ Village	Name of District	Name of Tahsil	Enumeration Block No.
1	2	3	4	5	6
1	0163	DMC (U) 7001	South 09	Hauz Khas 001	0002
2	0163	DMC (U) 7001	South 09	Hauz Khas 001	0004-2
3	0163	DMC (U) 7001	South 09	Hauz Khas 001	0087
4	0163	DMC (U) 7001	South West 08	Vasant Vihar 003	0038
5	0163	DMC (U) 7001	South West 08	Vasant Vihar 003	0047
6	0163	DMC (U) 700)	South West 08	Vasant Vihar 003	0054
7	0163	DMC (U) 7001	South West 08	Vasant Vihar 003	0055
8	0163	DMC (U) 7001	South West 08	Vasant Vihar 003	0072
9	0163	DMC (U) 7001	South West 08	Vasant Vihar 003	0073

Extent of the Population Enumeration Block	Top_P	SC_P	%SC
7	8	9	10
Hauz Khas-Pahari Basti C.N. 141-269, Sports Complex, Petrol Pump, Health Fitness Centre	473	195	41.23
Village Hauz Khas C.N, 103-120	405	202	49.88
Harizan Basti, C.N. 1-13, Rose Garden, Distt-Park Hauz Khas, Table Tennis Complex, PH store, taxi stand, DJB water tank deer park restaurant, picnic tiuts, T. huts, T. shop, chowkidar room, school	128	47	36.72
Safdarjung Enclave B-5 DDA janta flats No. 107-207 B-2 mkt 1-23 shops and office, taxi stand, mother dairy, pump house, T. shop and park	655	299	45.65
Humayunpur Village C.N. 1-66	684	278	40.64
Humayunpur Harijan Basti C.N. 1-51	555	253	45.59
Humayunpur Harijan Basti C.N. 52-96	604	425	70.36
Safdarjung Enclave, Safdarjung Hospital Staff Qtrs 1-96 water tank PWD office, pump house and T. huts	604	238	39.4
Safdarjung Enclave, Safdarjung Hospital Staff Qtrs 97-192 ESS Temple and Club	645	285	44.19

1	2	3	4	5	6
Ward No. 164					
1	0164	DMC (U) 7001	South 09	Defence Colony 002	0022
2	0164	DMC (U) 7001	South 09	Defence Colony 002	0023
3	0164	DMC(U) 7001	South 09	Defence Colony 002	0051
4	0164	DMC (U) 7001	South 09	Defence Colony 002	0055
5	0164	DMC (U) 7001	South 09	Defence Colony 002	0056
6	0164	DMC (U) 7001	South 09	Defence Colony 002	0058
Ward No. 161					
1	0161	DMC (U) 7001	South 09	Hauz Khas 001	15
2	0161	DMC (11)7001	South 09	Hauz Khas 001	0033 Slum
3	0161	DMC (U) 7001	South 09	Hauz Khas 001	36
4	0161	DMC (U) 7001	South 09	Hauz Khas 001	40
5	0161	DMC (U) 7001	South 09	Hauz Khas 001	47
6	0161	DMC (U) 7001	South 09	Hauz Khas 001	51
Ward No. 162					
1	0162	DMC (U) 7001	South 09	Hauz Khas 001	0001 (Slum)
2	0162	DMC (U) 7001	South 09	Hauz Khas 00l	0002 (Slum)
3	0162	DMC (U) 7001	South 09	Hauz Khas 001	0062 (Slum)
4	0162	DMC (U) 7001	South 09	Hauz Khas 00l	0011
5	0162	DMC (U) 7001	South 09	Hauz Khas 00l	0014
6	0162	DMC (U) 7001	South 09	Hauz Khas 001	0023
7	0162	DMC (U) 7001	South 09	Hauz Khas 00l	0024

7	8	9	10
Yusuf Sarai, Harijan Basti CN 1-60	542	438	80.81
Yusuf Sarai, Harijan Basti CN 61-120	443	199	44.92
Maszid Moth CN 1-50	476	258	54.2
Maszid Moth CN 201-250	340	184	54.12
Maszid Moth CN 251-300	361	231	63.99
Maszid Moth CN 351-400	681	408	59.91
STC & MMTC housing society Block B H.No. 97-160, Block A H.No.97-160, Including DESU office, Water Tank, Park, School and Aurbindo College	84	30	35.71
Shivalik Block-B Indira Camp T. huts CNI-90	704	290	41.19
Begumpur Park CN 1-61	640	294	45.94
Begumpur Village CN 199-275	613	483	78.79
Kalu Sarai Village (near Begumpur) CM 1-40	709	359	50.63
IIT Camps A-l to A-4 (24 qrts each). A-16, Block-9, Block-14 and Block-15 State Bank, Health food centre and park	375	175	46.67
Shivalik Block-C Balmiki Camp T-Huts CN 1-135	780	548	70.26
Shivalik Block-C Balmiki Camp T-Huts CN 136-246	768	302	39.32
Shivalik Block-C Balmiki Camp T-Huts CN 247-270	327	146	44.65
Village Hauz Rani CN 301-350	454	277	61.01
Village Hauz Rani CN 451-500	469	185	39.45
Village Khirki CN 78-153	551	199	36.12
Village Khirki CN 154-230	512	189	36.91

vu|yXud ß[kÞ

As per existing Guidelines 2012, list of Permissible Works are as under:–

i. Construction of school buildings.

ii. Construction of community halls/barat ghars/chaupals, other durable assests for public use on public/government land.

iii. Construction of sub-ways wherever found technically feasible.

iv. Hostels specially for working women or girl schools.

v. Public libraries.

vi. Construction of culverts, foot-bridges/bridges.

vii. Public toilets at different locations.

viii. Sports complexes.

ix. Crematoriums or development of burial grounds.

x. Construction of tube-wells and water tanks for providing drinking water to the people in villages, towns or cities, of execution of other works which may help in this respect.

xi. Construction of roads and drains including part roads, approach roads, link roads as per approved layouts.

xii. Sanitation.

xiii. Development of parks (except earth filling, planting of saplings, apply of compost manure)

xiv. Computers to schools

xv. Street lighting

xvi. Provision of common services/community services including maintenance of group toilets, courtyard, common path and similar other services in privately owned katras subject to the stipulations that no ceiling on individual works or on total quantum of works per MLA will be imposed.

xvii. Bus Stop and Bus ‘Q’ Shelter

xviii. Garbage collection Centre like one’s in NDMC area.

xix. Solar Traffic Lights.

xx. Provision of Ambulances/Refuse Collectors

xxi. Rain Water Harvesting in government and public buildings and places including buildings and places of Local Bodies.

xxii. The funds upto the limit of Rs. 35 lakh per MLA per year shall be released on the request of the concerned MLA for Relief to the victims of Natural Disaster/National Calamity declared by the Govt. and shall be credited into the L.G./CM. Relief fund.

xxiii. The development/strengthening of common areas/common facilities/ common passages balconies/Courtyards/Common stairs/toilet blocks and various facilities in the slum complexes developed by Slum and JJ Department and other such residential complexes is allowed under the Scheme.

xxiv. Shifting of HT/LT lines (funds would be released as per laid down procedure by Power Department, GNCTD).

xxv. Mobile vans for public library purpose only.

xxvi. Benches for public parks.

xxvii. Porta Cabins with over 20 years of durability on Government land after obtaining NOC from the land owning agency.

xxviii. Provision of PVC Overhead Tanks for portable water storage in JJ Clusters and Unauthorized Colonies.

xxix. Provision of Porta Cabins with durability over 20 years in areas other then NDMC and Lutyen's Zone, on Government land after obtaining NOC from land owing agencies, for use as Temporary Offices for Resident Welfare Associations. The construction of Porta Cabins will also be allowed for setting up of Kendriya Bhandar, Mother Dairy Booth. Amul and Safal Outlets etc.

List of Permissible Works as per Orders of the UD Department are as under:–

1. Inclusion of Installation of Gym Machine/Equipment in Open Park under MLALAD Scheme.

2. Inclusion of Permission for expenditure for Rs. 10.00 Lakh per constituency per year for the control of Dengue under MLALAD Scheme.

3. The MLALAD fund can be utilised for installation of CCTV/camera in residential area.

4. Works inside cooperative group Housing Society can be carried out through MLALAD fund.

5. Inclusion of High Mast Light at Road crossings, near Flyovers and Under-passes, Parks, Stadium and Golf Ground, Truck and Bus Terminals, Parking Lots, Market Complex developed by Government or any Government agency.

79- Jh vt;'k ;kno % क्या **ekuuh; ifjogu e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डीटीसी के सेवानिवृत्त कर्मचारी कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पात्र हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का सेवानिवृत्त कर्मचारियों को यह सुविधा देने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यह योजना कब तक लागू हो जाएगी?

ekuuh; ifjogu e=h % जी नहीं, सेवानिवष्त कर्मचारियों के लिये कैशलेस मैडिकल स्कीम का प्रावधान नहीं है।

(ख) डीटीसी में मैडिकल स्कीम केवल कार्यरत कर्मचारियों के लिये वर्ष 1991 से डीटीसी बोर्ड रेजोलेशन संख्या 82/1991 के अनुसार क्रियान्वित है जब कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए डीटीसी बोर्ड के रेजोलेशन संख्या 109/2008 के अनुसा DGEHS स्कीम का प्रावधान किया गया था। परंतु दिल्ली सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान न किये जाने के कारण सेवानिवष्त कर्मचारियों को DGEHS स्कीम देय नहीं हो पाई।

(ग) और (घ) जी नहीं।

80- Jh fotsUnz xxZ ½ क्या **ekuuh; [kk| ,oa vkiwfrZ ea=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि हॉल ही में कुपोषण एवं भुखमरी के कारण दिल्ली में तीन बच्चों की मौत हो गई;

(ख) दिल्ली के प्रत्येक नागरिक तक विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का पहुंचना सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(ग) जो लोग पात्र एवं जरूरतमंद होने के बावजूद राशन की सुविधा प्राप्त नहीं कर पाते उन्हें पहचानने के लिए विभाग ने क्या कदम उठाये हैं;

(घ) क्या ऐसे लोगों को विशेष राशन कार्ड जारी करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है;

ekuuh; [kk| ,oa vkiwÆr ea=h ½ (क) जी हां, मंडावली दिल्ली में तीन बच्चों की मृत्यु हुई है। विभाग इससे अवगत है। राजस्व विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार मृत्यु का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं है।

(ख) पात्रता के आधार पर एनएफएसए/पीडीएस योजना के तहत राशन देने की योजना इस विभाग द्वारा लागू की जा रही है।

(ग) पात्र परिवारों से सार्वजनिक सूचना एवं विज्ञापन के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत नियमानुसार कार्ड जारी किया जाता है।

(घ) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत केवल एएवाई व पीआर कार्ड का प्रावधान है।

(च) उपरोक्तानुसार।

vrkjkfdr i'uk d fyf[kr mÙkj

138- Jh ltho >k % क्या **ekuuh; jktLo e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि पिछले चार महीनों के दौरान विभाग द्वारा जिला विकास समिति (मध्य) के समानांतर कोई दूसरी अन्य समिति गठित किये जाने का प्रयास किया गया जिसका अध्यक्ष क्षेत्र के सांसद को बनाया जाना था;

(ख) यदि हां, तो इसकी अनुशंसा किस अधिकारी ने की; और

(ग) क्या इस समिति की कोई बैठक आयोजित हुई?

ekuuh; jktLo e=h % (क) ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के निर्देषानुसार सभी जिलों में संसद सदस्यों की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति (दिशा) का गठन किया जाना था। इस संदर्भ में जिला मध्य में दिशा समिति को गठित करने का प्रयास जारी है।

(ख) उपरोक्त।

(ग) नहीं, तथापि इस संदर्भ में एक अनौपचारिक पूर्व बैठक दिनांक 20.06.2018 को जिला मध्य में विभिन्न विभागों के साथ आयोजित की गई थी।

139- Jh lathoo >k % क्या **ekuuh; jktLo e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बुराड़ी विधान सभा क्षेत्र में ग्राम सभा की सभी जमीनों के खसरा नंबर सहित सूची उपलब्ध कराई जाए;

(ख) किन किन ग्राम सभा जमीनों को अलग–अलग विभागों को आबंटित किया जा चुका है; सूची उपलब्ध कराई जाए;

(ग) क्या यह सत्य है कि कुछ भू–माफियाओं ने वेस्ट कमल विहार पंप हाउस के पीछे ग्राम सभी की जमीन पर कब्जा कर लिया है;

(घ) यदि हां, तो विभाग द्वारा इस दिषा में क्या कार्रवाई की गई है?

¼lcafèkr foHkkx ls iz'u dk mÙkj izkIr ugha gqvkA½

140- lqJh Hkkouk xkSM % क्या **ekuuh; jktLo e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 01 अप्रैल 2015 से लेकर आज तक पालम विधानसभा क्षेत्र में सिविल डिफेंस के कितने वालिंटियर पंजीकृत किए गए;

(ख) इनमें से प्रशिक्षित किए गए वालिंटियर की संख्या बताते हुए उनके नाम, फोन नं. और टोकन नं. सहित पूर्ण विवरण दें; और

(ग) कितने वालिंटियर कार्य पर लगाए गए, पूर्ण विवरण दें?

ekuuh; jktLo e=h ¼ (क) 01 अप्रैल, 2015 से लेकर आज तक पालम विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत दक्षिण पष्चिमी व नई दिल्ली जिला में सिविल डिफेंस के 1040 वांलिटिंयर भर्ती (पंजीकृत) किए गए।

(ख) 1. नागरिक सुरक्षा के दक्षिण पश्चिम जिला में प्रशिक्षित किये गए ना.सु. स्वयंसेवकों की संख्याः 285 (संलग्न सूची में क्रम सं.1 से 285 तक उल्लेखित)

2. नागरिक सुरक्षा के नई दिल्ली जिला में प्रशिक्षित किये गए ना.सु. स्वयंसेवकों की संख्याः 20 (संलग्न सूची में क्रम सं. 286 से 305 तक उल्लेखित)

3. प्रशिक्षित ना.सु. स्वयंसेवकों की कुल संख्या 305

(ग) 30 नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों को परिनियोजित (Deployed) किया गया।

1. नागरिक सुरक्षा के दक्षिण पष्चिम जिला में परिनियोजित (Deployed) किये गए ना.सु. स्वयंसेवकों की संख्याः 25 (संलग्न सूची में क्रम सं. 1 से 25 तक उल्लेखित)।

2. नागरिक सुरक्षा के नई दिल्ली जिला में परिनियोजित (Deployed) किये गए ना.सु. स्वयंसेवकों की संख्याः 5 (संलग्न सूची में क्रम सं. 26 से 30 तक उल्लेखित)।

माननीया विधान सभा सदस्या सुश्री भावना गौड़ द्वारा दिल्ली विधान सभा में उठाये गये अतारांकित प्रश्न संख्या 140 दिनांक 08.08.2018 के संबंध में।

(ख) से संबंधित जानकारी इस प्रकार है:—

दक्षिण पश्चिम व नई दिल्ली जिला में प्रशिक्षित नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों के नाम, फोन नं. एवं भर्ती नंबरों का विवरण संलग्न है*।

141- l|Jh Hkkouk xkM+ % क्या **ekuuh; jktLo e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि पालम विधानसभा के अंतर्गत खसरा नंबर 33/17/232/6, जे.बी.एम स्कूल के सामने खसरा नंबर 614 एवं 32/9 की ग्राम सभा की जमीनों पर कुछ लोगों द्वारा अवैध कब्जा करके अनाधिकृत निर्माण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो ये अवैध कब्जे किन लोगों द्वारा किए गए हैं;

(ग) क्या दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग द्वारा उक्त अवैध कब्जा करने वालों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(च) क्या उपरोक्त अवैध कब्जों के लिए किसी अधिकारी/कर्मचारी की जिम्मेदारी तय की गई है;

---

*www.delhiassembly.nic.in पर उपलब्ध।

(छ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

¼lcfèkr foHkkx l i'u dk mÙkj ikIr ugh gvkA½

142- lJh Hkkouk xkM ¾ क्या **ekuuh; jktLo e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार पालम विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कौन–कौन सी भूमि ग्राम सभा के अंतर्गत आती है; भूमि के लैंडमार्क और खसरा सहित विवरण उपलब्ध कराए;

(ख) क्या यह सत्य है कि ग्राम सभा का कुछ भाग रख–रखाव के लिए डीडीए को सौंप दिया गया है;

(ग) यदि हां तो स्थानांतरित भूमि का पूर्ण ब्यौरा दे;

(घ) क्या यह सत्य है कि पालम क्षेत्र की ज्यादातर भूमि पर अवैध कब्जे कर अवैध निर्माण हो चुका है;

(ङ) यदि हां तो ऐसी भूमि का ब्यौरा दें;

(च) उन अवैध कब्जों के खिलाफ संबंधित विभाग ने क्या कार्रवाई की; और

(छ) बची हुई भूमि पर कब्जे अथवा अवैध निर्माण न हो, उसके लिए विभाग ने क्या योजना बनाई है?

¼lcfèkr foHkkx l i'u dk mÙkj ikIr ugh gvkA½

143- duy non lgjkor % क्या **ekuuh; jktLo e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भू–अभिलेखों के ऑटोमेशन के कार्य में कितनी प्रगति हुई; और

(ख) ग्रामसभा तथा सार्वजनिक भूमि पर होने वाले अतिक्रमणों को सेटेलाइट की सहायता से रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

¼lcfèkr foHkkx ls iz'u dk mÙkj iklr ugh gqvkA½

144- duy non lgjkor % क्या **ekuuh; jktLo e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिजवासन गांव की चकबंदी कब से चल रही है;

(ख) क्या यह सत्य है कि चकबंदी के दौरान रजिस्ट्री बंद कर दी जाती है; और

(ग) बिजवासन गांव की ग्रामसभा भूमि चकबंदी से पहले कितनी थी और आज की स्थिति क्या है?

¼lcfèkr foHkkx ls iz'u dk mÙkj iklr ugh gqvkA½

145- duy non lgjkor % क्या **ekuuh; jktLo e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कापसहेड़ा तहसील में माननीय वित्तीय आयुक्त दिल्ली द्वारा भेजे गये रिमांड केस की वास्तविक स्थिति क्या है;

(ख) वित्तीय आयुक्त द्वारा भेजे गये कितने रिमांड केस का निपटारा कापसहेड़ा तहसील द्वारा किया गया; और

(ग) पिछले तीन सालों में निपटारा किए गए रिमांड केसों का संपूर्ण विवरण प्रदान करें?

¼lacfèkr foHkkx l i'u dk mÙkj ikIr ugh gqvkA½

146- Jh duly noUn lgjkor % क्या **ekuuh; jktLo e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपने पिता की हत्या के अपराध में जेल में बंद किसी व्यक्ति को अपने पिता की संपति में हक मिल सकता है; और

(ख) कापसहेड़ा तहसील जिला दक्षिण–पश्चिम में विरासत एवं इंतकाल के कुल कितने आवेदन विचाराधीन हैं एवं किस कारण से विचाराधीन हैं?

ekuuh; jktLo e=h % (क) कानून, न्याय एवं विधि विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिता की सम्पत्ति में हक विधि में उत्तराधिकार अधिनियम एवं संबंधित केस के तथ्य एवं हालात के अधार पर निर्भर है।

(ख) कापसहेड़ा तहसील जिला दक्षिण–पश्चिम में कुल 183 विरासत एवं इंतकाल के आवेदन विचाराधीन है। जिनमें बार–बार नोटिस जारी करने के पश्चात भी या तो आवेदन दाखिल खारिज के लए सी.ओ./तहसीलदार के सामने अपना पक्ष रखने के लिए पेश नहीं हो पाते और या तथ्यों की कमी पाई जाती है।

147- Jh duly noUn lgjkor ¼ क्या **ekuuh; jktLo e=h** यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामसभा भूमि समालका एवं कापसहेड़ा की वास्तविक स्थिति क्या है;

(क) जिस ग्रामसभा भूमि पर रास्ता नहीं लगा एवं जो ग्रामसभा भूमि किसी अन्य व्यक्ति के साथ खाता शामिल है, उस पर भू–राजस्व विभाग द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है;

(ग) ग्रामसभा भूमि कापसहेड़ा एवं समालका की भूमि का खसरा नं. और सिजरा प्रदान किया जाए; और

(घ) ऐसी कितनी शिकायतें ग्रामसभा भू–राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करने के लिए जिला दक्षिण–पश्चिम को प्राप्त हुई है?

¼lcfèkr foHkkx ls iz'u dk mÙkj izkIr ugha gqvkA½

148- Jh jktsi'k _f"k ¼ क्या **ekuuh; jktLo e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र के वार्ड 155, 165, 175 और 185 में ग्राम सभा की कितनी और कौन–कौन सी जमीन है और इन जमीनों का क्या मौजूदा स्टेटस है;

(ख) ग्राम सभा की अतिक्रमण की गई जमीनों पर अतिक्रमण हटाने के लिए विभाग द्वारा क्या कार्रवाई की गई, इसकी विस्तृत जानकारी दें;

(ग) क्या ग्राम सभा और अनाधिकृत जमीनों और मकानों की रजिस्ट्री हो सकती है;

(ख) यदि हां, तो किस आधार पर;

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(च) जनकपुरी और कापासहेड़ा रजिस्ट्रार के ऑफिस में सीतापुरी, महावीर एन्कलेव पार्ट–2 और 3, चाणक्य प्लेस पार्ट–1 और 2, महिंद्रा पार्क, जीवन पार्क में मार्च 2015 से जुलाई 2018 तक में की गई मकानों की रजिस्ट्री का पूर्ण विवरण दें;

(छ) क्या गलत खसरा नंबर डाल कर करवाई गई रजिस्ट्री मान्य है;

(ज) क्या रजिस्ट्री विभाग होने वाली रजिस्ट्री की प्रॉपर्टी की जांच करता है;

(झ) अगर हां तो उसकी प्रक्रिया क्या है;

(ञ) यदि हां तो उसके क्या कारण हैं;

(ट) क्या यह सत्य है कि शिव नगर, जी ब्लॉक प्लॉट न.144, 145, 35 के 5 मालिकों में से एक मालिक जिसके नाम का रेड कॉर्नर नोटिस इंटरनेशनल कोर्ट ने जारी किया हुआ है, इस मालिक की अनुपस्थिति में रजिस्ट्री की गई है; और

(ठ) क्या रजिस्ट्री वैध है; विवरण दें?

¼lcfèkr foHkkx ls i'u dk mÙkj ikIr ugh gvkA½

149- Jh idt i"dj % क्या **ekuuh; jktLo e=h** जी यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एन.सी.आर. दिल्ली के अंतर्गत दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग के रिकार्ड के अनुसार प्रत्येक एस.डी.एम के क्षेत्राधिकार में कितने सरकारी भूखंड हैं जिन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है; उनके खसरा नंबर एवं क्षेत्रफल सहित सूची उपलब्ध कराएं;

(ख) उक्त भूखंडों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या यह सत्य है कि प्रत्येक राजस्व जिले में कुछ भूखंड पंजाब एक्ट की आड़ में कब्जे हुए हैं;

(घ) इस प्रकार के भूखंडों की जिलेवार सूचना उपलब्ध कराएं;

(ङ) पंजाब एक्ट के अंतर्गत कब्जादार दर्ज करते समय पटवारी एवं एस.डी.एम. कौन थे; इनकी जिलावार सूचना उपलब्ध कराएं और

(च) इस प्रकार कब्जा की गई जमीनों को कब्जा मुक्त कराने के लिए अब तक विभाग ने क्या–क्या कार्रवाई की गई; कृपया पूर्ण विवरण दें?

¼lcfèkr foHkkx l i’u dk mÙkj ikIr ugh gvkA½

150- Jh txnh’k ièkku % क्या **ekuuh; 'kgjh fodkl e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि देश के किसानों को भारत सरकार से न्यूनतम समर्थन मूल्य वृद्धि और फसल बीमा का लाभ मिल रहा है, लेकिन दिल्ली के किसान इससे वंचित है;

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण है;

(ग) सरकार ने अब तक दिल्ली को कृषि राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया, इसमें क्या रुकावटें सामने आ रही हैं; और

(घ) क्या सरकार दिल्ली का कृषि राज्य का दर्जा पुनः बहाल करने पर विचार करेगी ताकि यहां के किसानों का केन्द्र सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके?

ekuuh; 'kgjh fodkl e=h % (क) जी, नहीं यह सत्य नहीं है। दिल्ली के जो किसान अपनी उपज को भारतीय खाद्य निगम को बेचते है उन्हें भारत सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य वृद्धि का लाभ मिल रहा है।

फसल बीमा योजना का लाभ दिल्ली के किसानों को नहीं मिल रहा है। फसल बीमा केन्द्र सरकार की योजना है तथा इसके तहत 2 कंडिशन्स अनिवार्य हैं:—

1. पिछले 10 वर्षों से फसल काटना प्रयोग (क्राप कटिंग प्रयोग)।

2. मौसम का पूर्वानुमान लगाने हेतु मौसम पूर्वानुमान प्रयोगशाला।

ये सुविधाएं दिल्ली में उपलब्ध नहीं हैं।

हमने इस संबंध में भारत सरकार से दोनों कंडिशन्स से छूट हेतु पत्र व्यवहार किया गया था, ताकि फसल बीमा योजना को दिल्ली में लागू किया जा सके। भारत सरकार से इस संबंध में उत्त अपेक्षित है।

(ख) —उपरोक्त—

(ग) इस संबंध में कोई भी मामला विचाराधीन नहीं है।

(घ) –उपरोक्त–

फसल बीमा योजना के अलावा केन्द्र सरकार की निम्न योजनाओं को दिल्ली में लागू किया जा रहा है:–

- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना।
- परम्परागत कृषि विकास योजना।
- कृषि तकनीकी प्रबन्धन एजेन्सी (ATMA)।
- कृषि अभियान्त्रिकी योजना।

151- Jh euftnj flag flj lk % क्या **ekuuh; jktLo e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार सभी गांवों में लालडोरा क्षेत्र बढ़ाने पर विचार कर रही है;

(ख) क्या सरकार को इस संबंध में डिवीजनल कमिष्नर से निर्धारित दो सप्ताह की समयावधि में रिपोर्ट मिल गई है;

(ग) इस प्रस्ताव के उद्देश्य व कारण क्या हैं;

(घ) इस संबंध में चकबंदी प्रक्रिया की स्थिति क्या है;

(ङ) क्या सरकार द्वारा गांवों में चकबंदी प्रक्रिया पूरी करने के लिए समयावधि 15 दिल की निर्धारित है; और

(च) क्या माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों और केन्द्र सरकार के नियमों को देखते हुए लालडोरा बढ़ाए जाने की अनुमति दी जा सकती है?

¼lcfèkr foHkkx ls iz'u dk mÙkj izkIr ugha gqvkA½

152- Jh tjuly flg% क्या **ekuuh; jktLo e=h** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) यदि किसी कारणवश ई. स्टॉम्प पेपर इस्तेमाल न हो पाये तो इसको रिफंड करवाने की क्या प्रक्रिया है;

(ख) यह रिफंड कितने दिनों में आ जाता है व इस पर क्या शुल्क लागू होता है;

(ग) दिल्ली के अलग अलग सब रजिस्ट्रार ऑफिसेज में ई. स्टॉम्प पेपर रिफंड के कितने मामले लंबित हैं;

(घ) समय से अधिक डिले के लिए कौन अधिकारी जिम्मेवार हैं; और

(ङ) क्या तय समय से अधिक डिले होने पर आवेदक को ब्याज दिया जाता है?

ekuuh; jktLo e=h% (क) आवेदक को कलेक्टर ऑफ स्टॉम्प को शपथ पत्र, क्षतिपूर्ति बांड, पैन कार्ड, पहचान पत्र के साथ रिफंड आवेदन पत्र के साथ आवेदन करना होता है। यदि कागजात सही पाये जाते है तथा आवेदन स्टैम्प पेपर खरीदने के 6 महीनों के अंदर किया गया हो तो संबंधित कलेक्टर ऑफ स्टैम्प, इंडियन स्टैम्प एक्ट के धारा 54 के अंतर्गत 10 प्रतिशत की कटौती के पष्चात रिफंड जारी कर सकता है।

(ख) इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। इंडियन स्टैम्प एक्ट के धारा 54 के अंतर्गत 10 प्रतिषत की कटौती के पश्चात रिफंड जारी किया जाता है।

(ग) ई स्टॉम्प रिफंड का कार्य सब रजिस्ट्रार ऑफिसेस में नहीं एसडीएम/कलेक्टर ऑफ स्टैम्प के ऑफिस में होता है। राजस्व मुख्यालय में दिनांक 01.08.2018 तक लंबित मामलों का विवरण निम्न है:—

1. ऐसे आवेदन जो स्टैम्प पेपर खरीदने के 6 महीनों के बाद किया हो — 395
2. ऐसे आवेदन जो स्टैम्प पेपर खरीदने के 6 महीनों अंदर किया हो — 198

(घ) यदि आवेदन में कोई कमी पायी जाती है तो प्रार्थी को विसंगति नोटिस जारी किया जाता है। जिसके पूर्ति के पष्चात कलेक्टर ऑफ स्टैम्प इंडियन स्टैम्प एक्ट में दिये गये प्रावधानों के अनुसार फैसला लेता है। इंडियन स्टैम्प एक्ट में रिफंड करने की कोई समय सीमा निश्चित नहीं की गयी है।

(ङ) जी, नहीं।

153- Jh vf[kys'k ½ क्या **ekuuh; jktLo e=h** यह बताने की कृ पा करेंगे कि :

(क) मॉडल टाउन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत अप्रैल, 2015 से लेकर अब तक सिविल डिफेंस में कितने वांलिटिंयर पंजीकृत किए गए हैं;

(ख) कितने वांलिटिंयर पंजीकृत प्रशिक्षित किए गए;

(ग) प्रशिक्षित किए गए उन वांलिटिंयर के नाम, फोन नंबर एवं टोकन नंबरों का पूरा विवरण क्या है; और

(घ) उपरोक्त कुल वांलिटिंयर्स में से कितने वांलिटिंयर्स को कार्य पर लगाया गया है; और

(ङ) उनका पूरा ब्यौरा क्या है?

ekuuh; jktLo e=h % (क) मॉडल टाउन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत नागरिक सुरक्षा के उत्तरी व मध्य जिला में अप्रैल, 2015 से लेकर अब तक सिविल डिफेंस में 662 वांलिटिंयर भर्ती (पंजीकृत) किये गए।

(ख) 1. नागरिक सुरक्षा के मध्य जिला में प्रशिक्षित किये गए ना.सु. स्वयंसेवकों की संख्याः 71 (संलग्न सूची में क्रम सं. 1 से 71 तक उल्लेखित)।

2. नागरिक सुरक्षा के उत्तरी जिला में प्रशिक्षित किये गए ना.सु. स्वयंसेवकों की संख्याः 165 (संलग्न सूची में क्रम सं. 72 से 236 तक उल्लेखित)।

3. प्रशिक्षित ना.सु. स्वयंसेवकों की कुल संख्याः 236.

(ग) प्रशिक्षित किए गए वांलिन्टियर्स के नाम, फोन नंबर एवं भर्ती संख्या का विवरण सूची में संलग्न है।

(घ) 24 नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों को परिनियोजित किया (Deployed) गया।

(ङ) 1. नागरिक सुरक्षा के मध्य जिला में परिनियोजित (Deployed) किये गए ना.सु. स्वयंसेवकों की संख्याः 06 (संलग्न सूची में क्रम सं. 1 से 6 तक उल्लेखित)।

2. नागरिक सुरक्षा के उत्तरी जिला में परिनियोजित (Deployed) किये गए ना.सु. स्वयंसेवकों की संख्याः 18 (संलग्न सूची में क्रम सं. 7 से 24 तक उल्लेखित)।

माननीय विधान सभा सदस्या श्री अखिलेश पति त्रिपाठी द्वारा दिल्ली विधान सभा में उठाये गये अतारांकित प्रश्न संख्या 153 दिनांक 08.08.2018 के संबंध में।

(ग) से संबंधित जानकारी इस प्रकार हैः–

मध्य व उत्तरी जिला में प्रषिक्षित नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों के नाम, फोन नं. एवं भर्ती नंबरों का विवरण संलग्न है*।

154- Jh l[kohj fl g nyky % क्या **ekuuh; jktLo ea=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कंझावला के ग्रोथ सेंटर में राजस्व विभाग द्वारा भूमि के अवैध आबंटन संबंधी कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) इन शिकायतों के निपटान हेतु राजस्व विभाग ने क्या कार्रवाई की है;

(ग) मुंडका विधानसभा क्षेत्र के सभी गांवों में प्रत्येक की ग्रामसभा भूमि का क्षेत्रफल कितना–कितना है, भूमि के खसरा नंबर सहित विवरण दें;

(घ) मुंडका विधानसभा क्षेत्र में कितने सजरा रोड हैं, विवरण में प्रत्येक सजरा रोड का नंबर और वह किस स्थान पर है, यह भी सूचित करें;

*www.delhiassembly.nic.in पर उपलब्ध।

(ङ) मुंडका विधानसभा क्षेत्र में क्षेत्रीय विधायक व आम जनता की ओर से दिनांक 1 जनवरी, 2015 के बाद से अवैध निर्माण के संबंध में एसडीएम पंजाबी बाग के कार्यालय में कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं और इन षिकायतों पर क्या कार्रवाई की गई;

(च) एसडीएम पंजाबी बाग की ओर से मुंडका विधानसभा क्षेत्र में दिनांक 1 जनवरी, 2015 के बाद तोड़फोड़ की कितनी कार्रवाइयां की गईं, की गई कार्रवाई का स्थान व अन्य विवरण उपलब्ध कराएं;

(छ) क्या नांगलोई मेट्रो रेल स्टेषन के समीप 'बनिया की दुकान' भवन का निर्माण वैध है;

(ज) मुंडका विधानसभा क्षेत्र का प्रत्येक पार्क किस स्थान पर स्थित है और उसकी देखरेख के लिए कौन–सी एजेंसी उत्तरदायी है; और

(झ) इस क्षेत्र के किन किन पार्कों का हस्तांतरण एमसीडी को कर दिया गया है; पूर्ण विवरण उपलब्ध कराएं?

¼lcfèkr foHkkx l i’u dk mÙkj ikIr ugh gvkA½

155- Jh vf[ky’k ifr f=ikBh % क्या **ekuuh; ykd fuek.k foHkkx e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मॉडल टाउन विधान सभा क्षेत्र में पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आने वाली किस किस गली और सड़क के सुधार व मरम्मत के लिए पिछले 3 सालों में क्या–क्या कार्य कराए गए और इन पर कितनी धनराशि विभाग के द्वारा खर्च की गयी।

(ख) क्या यह सत्य है कि पीडब्ल्यूडी के द्वारा पिछले 3 वर्षों निर्मित कई बिल्डिंगों और सड़कों में मॉडल टाउन विधानसभा क्षेत्र के कार्यों में गुणवत्ता की कमी की कई शिकायतें आई हैं;

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार की लापरवाही से निपटने के सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं;

(घ) मॉडल टाउन विधान सभा क्षेत्र में पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आने वाले नालों की सफाई व देखरेख में भारी लापवाही से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं;

(ङ) पिछले तीन सालों में मॉडल टाउन विधान सभा क्षेत्र के पीडब्ल्यूडी के दिए गए एमएलए फंड के कार्यों की जानकारी व उनकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(च) मेरी विधानसभा में पीडब्ल्यूडी के द्वारा पिछले 3 वर्षों में कितनी बिल्डिंग्स, सड़क, गलियां बनाई गयीं, उस पर कितनी धनराशि खर्च हुई, आगे और कितने प्रोजेक्ट्स पेंडिंग हैं, इसकी विस्तृत जानकारी दें?

ekuuh; ykd fuek.k foHkkx e=h % (क) मॉडल टाउन विधान सभा क्षेत्र में माल रोड (किंग्सवे कैम्प से आजादपुर), स्टेडियम रोड एवं लाला औचिन्त राम मार्ग पर रिसरफेसिंग का कार्य कराया गया है। ब्रह्म कुमारी मार्ग पर यभासम्भव माईक्रोसरफेसिंग का कार्य कराया गया है। गुरुद्वारा नानक प्याऊ के सामने सर्विस रोड पर सीमेंट कंक्रीट सतह सुधार कार्य कराया गया जिससे लगभग रुपए 350 लाख खर्च हुए। इस विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत सड़कों के रखरखाव के वर्षवार खर्चे का ब्योरा निम्नलिखित है:–

वर्ष 2016—17 में खर्च धनराशि 279 लाख।

वर्ष 2017—18 में खर्च धनराशि 29 लाख।

वर्ष 2018—19 में खर्च धनराशि 27 लाख।

(ख) जी, हां निम्न सड़कों की शिकायतें आई हैं:—

1. मॉल रोड

2. रोड नं. 48

(ग) उपरोक्त कार्यों कह गुणवत्ता में कमी नहीं पाई गई जिनका ब्यौरा निम्न है:—

1. लोक निर्माण विभाग की गुणवत्ता इकाई टीम एवं तृतीय पक्ष गुणवत्ता इकाई (TPOA) द्वारा इस मॉल रोड कार्य की जांच की गई जिसमें कार्य की गुणवत्ता ठीक पाई गई है।

2. तृतीय पक्ष गुणवत्ता इकाई (TPOA) द्वारा रोड नं. 48 कार्य की जांच की गई जिसमें कार्य की गुणवत्ता ठीक पाई गई है।

(घ) लो.नि.वि. के अंचल के अंतर्गत आने वाले बरसाती नालों की सफाई व देखरेख में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं करी जा रहीं है। वर्षा आने के पश्चात तुरंत ही बरसाती पानी की निकासी हेतु पूरा ध्यान दिया जाता है व बैलमाउथ व अन्य किसी नालों के पानी के बहाव में किसी भी रोक को हटा दिया जाता है। इसके लिए अतिरिक्त स्टाफ/आकस्मिक लेबर व वाहन का प्रबंध रखा हुआ है।

बरसाती नालों की सफाई के कार्य को समय से करवा दिया दिया गया है तथा सफाई का कार्य अभी भी निरंतर प्रगति पर है क्योंकि लोक निर्माण विभाग की स्टोंम वाटर ड्रेन (बरसाती नाली) में कालोनी की नालियों से लगातार घरेलू पानी जिसमें सीवेज मिश्रित होता है तथा कचरा, सडी गली फल सब्जियां, प्लास्टिक की थैलिया, गोबर इत्यादि नालों में निरंतर प्रवाहित होने कारण सफाई का कार्य जारी है।

(ङ) ऐसा कोई कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा नहीं कराया जा रहा है।

(च) इस विभाग द्वारा कोई नई सड़क, भवन, गली नहीं बनाई गई है और कोई प्रोजेक्ट पेंडिंग भी नहीं है। इस विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत सड़कों के रखरखाव के वर्षवार खर्चे का ब्योरा निम्नलिखित हैः—

वर्ष 2016—17 में खर्च धनराशि 279 लाख।

वर्ष 2017—18 में खर्च धनराशि 29 लाख।

वर्ष 2018—19 में खर्च धनराशि 27 लाख।

156- Jh vf[kys'k ifr f=ikBh % क्या **ekuuh; ykd foHkkx e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली में पीडब्लूडी की सड़कों पर जल रही सोडियम लाइटों को एलईडी में परिवर्तित करने की विभाग की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो यह योजना कब तक शुरू की जा सकेगी, और

(ग) कब तक यह कार्य पूरा किया जा सकता है?

ekuuh; ykd fuek.k foHkkx e=h % (क) जी हां, यह सत्य है।

(ख) सरकार द्वारा स्वीकृति मिलने के बाद यह योजना शुरू की जाएगी।

(ग) स्वीकृति मिलने के उपरान्त एक वर्ष के अंदर इसको कार्यान्वित कर दिया जाएगा।

157- Jh iou dekj 'kek % क्या **ekuuh; ykd fuek.k foHkkx** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि आदर्श नगर में मेन जीटी रोड पर शाह आलम बांध पर बने रोड का एक हिस्सा पूरी तरह से कबाड़ियों एवं अन्य कुछ लोगों द्वारा कब्जा करके बंद कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को इस वर्षों पूर्व पुराने कब्जे, अतिक्रमण की जानकारी है; और

(ग) यदि हां, तो इस अनधिकृत कब्जे को हटवाने हेतु क्या कोई कारगर योजना तैयार की गई?

ekuuh; ykd fuek.k foHkkx e=h % (क) शाह आलम बांध रोड मार्च, 2012 में दिल्ली नगर निगम से लो.नि.वि. को स्थानान्तरित हुआ था एवं जो भी अतिक्रमण स्थानान्तरण के पहले से मौजूद था उसके अलावा कोई नया अतिक्रमण नहीं हुआ है। समय समय पर एम.सी.डी. तथा एस. टी.एफ के द्वारा अतिक्रमण हटाए जा रहे है जिसमें लोक निर्माण विभाग द्वारा लोजिस्टिक असिसटेंस प्रदान की जी रही है।

(ख) उपरोक्त 'क' अनुसार।

(ग) उपरोक्त 'क' अनुसार।

158- Jh iou dqekj 'kekZ % क्या **ekuuh; ykd fuekZ.k foHkkx ea=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि आदर्श नगर विधान सभा क्षेत्र में जहांगीरपुरी मैट्रो स्टेषन से आजादपुर सिग्नल तक रोड के दोनों साइड की फुटपाथ पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है;

(ख) यदि हां, तो क्या विभाग ने इस मेन जी.टी. रोड की फुटपाथ बनाने, ग्रिल लगवाने व वृक्षारोपण करवाने संबंधी कोई योजना तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक उपरोक्त कार्य पर अमल किया जाएगा?

ekuuh; ykd fuekZ.k foHkkx ea=h % (क) जहांगीरपुरी मैट्रो स्टेशन से आजादपुर सिग्नल तक रोड के दोनो साईड की फुटपाथ पूरी तरह क्षतिग्रस्त नहीं है अपितु कुछ जगहों पर क्षतिग्रस्त है जिसकी मरम्मत के लिए प्राक्कलन बनाया जा रहा है एवं यह कार्य नवम्बर 2018 तक पूर्ण कराए जाने का लक्ष्य है।

(ख) फुटपाथ की मरम्मत का कार्य नवम्बर 2018 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। ग्रिल लगाने के लिए व्यवहार्यता आदि तथ्यों की जांच करके कार्रवाई की जाएगी।

वृक्षारोपण का कार्य करवाने के लिये निविदा आमंत्रित कर ली गई है तथा कार्य 30 सितम्बर 2018 तक पूर्ण कर लिये जाने का लक्ष्य है।

(ग) उपरोक्त 'ख' अनुसार।

159- Jh iadt i"dj % क्या **ekuuh; ykd fuekZ.k foHkkx e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत लोक निर्माण रोड मेंटेनेंस के अंतर्गत 1 अप्रैल, 2015 से 30 जून, 2018 की अवधि के बीच आये सूचना के अधिकार के आवेदनों की सूची और उन आवेदनों को दिए गए उत्तरों का पूर्ण विवरण क्या है;

(ख) तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत लोक निर्माण स्कूल विंग के अंतर्गत 1 अप्रैल, 2015 से 30 जून, 2018 की अवधि के बीच आये सूचना के अधिकार के आवेदनों की सूची और उन आवेदनों को दिए गए उत्तरों का पूर्ण विवरण क्या है; और

(ग) तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत लोक निर्माण फ्लाई ओवर विंग के अंतर्गत 1 अप्रैल, 2015 से 30 जून, 2018 की अवधि के बीच आये सूचना के अधिकार के आवेदनों की सूची और उन आवेदनों को दिए गए उत्तरों का पूर्ण विवरण क्या है?

ekuuh; ykd fuekZ.k foHkkx e=h % (क) तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र 1 अप्रैल, 2015 से 31.03.2016 तक मंडल एम–313 (मंडल उत्तर सड़क) के अंतर्गत था। इस दौरान इस विधानसभा के सड़कों से संबंधित 33 आर.टी.आई. प्राप्त हुई थी जिनका संतोजनक निष्पादन कर दिया गया है। अप्रैल, 2016 से आज तक इस विधानसभा क्षेत्र की सड़कों की देखरेख, मंडल सी.एन.डी रोड़ के अंतर्गत है। इस दौरान इस क्षेत्र से सीधे तौर पर संबंधित किसी भी आर.टी.आई. की सूचना शून्य है।

(ख) तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत लोक निर्माण स्कूल विंग के अंतर्गत 1 अप्रैल, 2015 से 30 जून, 2018 की अवधि के दौरान ऐसा कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग फ्लाई ओवर विंग के अंतर्गत ऐसा कोई भी आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

160- Jh iadt iq"dj % क्या **ekuuh; ykd fuekZ.k foHkkx ea=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली निम्नलिखित सड़कों का आर.ओ.डब्ल्यू क्या है;

(ख) वर्तमान में सड़कों पर कितनी फीट कब्जा है, कौन कौन कब्जेदार हैं;

(ग) निम्नलिखित सड़कों से स्थाई तौर पर अतिक्रमण हटाने के लिए विभाग ने क्या क्या कार्रवाई की है और कब तक इन सड़कों को अवैध कब्जे से मुक्त कराया जाएगाः—

1. घंटाघर चौक से मलका गंज चौक होते हुए हंसराज कॉलेज के गेट तक;
2. घंटाघर चौक से रोशनआरा रोड़ पर पुल बंगश मेट्रो स्टेशन तक;
3. घंटाघर चौक से सब्जीमंडी पुलिस स्टेशन तक;
4. विजय नगर डबल स्टोरी हुनमान मंदिर से पोलो रोड तक;
5. किंग्सवे कैंप चौक से बुराड़ी रोड़ पर रिंग रोड तक;

6. पटेल चेस्ट रेड लाईट से कैंप चौक तक;
7. अवतार सिंह मार्ग पर;
8. रोड़ नंबर 48 पर।

(घ) तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग से संबंधित निम्नलिखित नालों की सफाई की वर्ततान में क्या स्थिति है; और

(ङ) क्या तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग से संबंधित निम्नलिखित नालें तकनीकी रूप से ठीक और अवरोधमुक्त हैं:—

1. बंदा बहादुर मार्ग पर सिग्नेचर अपार्टमेंट से लेकर गांधी बिवाहार बांध तक;
2. घंटाघर चौक से सब्जी मंडी पुलिस स्टेशन तक;
3. घंटाघर चौक से मलका गंज चौक तक;
4. माल रोड़ परिवहन विभाग के कार्यालय से लेकर नेहरु विहार फ्लाईओवर सिग्नेचर ब्रिज तक?

ekuuh; ykd fuek.k foHkkx e=h % (क) तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सड़कों की आर.ओ.डब्ल्यू की सूची संलग्न (अनुसंलग्नक—1) है।

(ख) वर्तमान में सड़कों के साथ बने फुटपाथ पर रेहड़ी, पटरी, जीना रेम्प व भवन शामिल है। इनमें से कुछ एमसीडी की लाईसेन्स एवं भवन विभाग से संबंधित है।

(ग) अतिक्रमण डीटीएफ/एसटीएफ/एमसीडी द्वारा चलाये गये अभियान द्वारा किया जाता है। सड़क संख्या 1. से 6. में अतिक्रमण कई बार हटाया

गया है। अवतार सिंह मार्ग पर झुग्गी झोपड़ियों द्वारा काफी अवैध कब्जा किया गया है। यह अतिक्रमण डीटीएफ/एसटीएफ द्वारा हटाया जायेगा।

रोड नंबर 48 पर अतिक्रमण है जो कि डीटीएफ/एसटीएफ द्वारा हटाया जायेगा।

(घ) इस विभाग के अंतर्गत आने वाली सीमा बरसाती पानी में नालो की सफाई की गई है परंतु सिवेर जुड़ा होने के कारण ये नाले दिन में भी भरे रहते है।

(ङ) 1. बंदा बहादुर मार्ग पर सिग्नेचर अपार्टमेंट से लेकर गांधी विहार बांध तक बरसाती पानी के नालों की सिवर लाईन जुड़ी हुई हैं। इसलिए बत्रा सिनेमा के सामने जलभराव होता है।

2. घंटाघर चौक से सब्जी मंडी पुलिस स्टेशन तक एवं

3. घंटाघर चौक से मलका गंज तक (यहां पर जी.टी. रोड से लगने वाली गलियों का पानी जीटी रोड की बरसाती नाली में जुड़ता है। कुछ जगहों पर सीवर के कनैक्शन भी है।

4. माल रोड परिवहन विभाग के कार्यालय से लेकर नेहरु विहार फ्लाईओवर सिग्नेचर ब्रिज तक : यहां पर ट्रक पार्किंग व सड़क से लगने वाली कुछ गलियों का पानी सड़क की बरसाती नाली में जुड़ता है एवं कुछ जगहों पर सीवर के कनैक्षन भी है अतः इन सड़क पर तकनीकी सुधार की आवष्यकता है।

यह उत्तर माननीय मंत्री, लोक निर्माण विभाग की स्वीकृति से जारी किया गया है।

vu|yXud&1

Roads of Timarpur Constituency under C&ND-Roads

Name of MLA : Sh. Pankaj Pushkar
Name of Constituency : Timarpur

Sl. No.	Name of Road/Building	Right of Way (In Mtrs.)
1	2	3
1.	BBM Road from Hakikat Nagar, Red Light to Mukherjee Nagar Bandh	24.00
2.	60ft Road from Aggarwal Sweets to Nulife Hospital between BBM Road and Burari Road	18.00
3.	Sant Parmanand Colony Road	24.00
4.	Burari Road from Kingsway Camp to Road No. 50	30.00
5.	Wazirabad Flyover	60.00
6.	Munshi Ram Road	18.00
7.	Parmanand School Road	18.00
8.	Swaroop Nagar Road	18.00
9	Police Chowki to Mandir Ortram Lane	18.00
10.	Tagore Park Main road	18.00
11.	Road in Tagore Park from H.No. 213 to Gote Chakkar	18.00
12.	Road in tagore Park from H.No. 37 to H.No. 64	18.00

1	2	3
13.	BBM Road to Jahangirpuri Drain	24.00
14.	University Road from Mall Road to Petrol Pump Ward-10	18.00
15.	Khalsa College road from Mall Road to Roop Nagar (Gurutegh Bahadur Road)	24.00
16.	Chhatra Marg Road from Mail Road to Malka Gunj Chowk	24.00
17.	Shiriya Mishra Marg from Jai Jawan Tea Stall to Moris Nagar Thana	30.00
18.	Sudhir Bose Marg from Chouburjja Chowk to ACP Office	18.00
19.	Mahatma Gandhi Road (Ring Road)	66.00
20.	Road No. 48	24.00
21.	Vijay Nagar main road from Royal Palace to E-11 Vijay Nagar	18.00
22.	Surjit Singh Marg Camp Chowk to Najafgarh Drain	24.00
23.	G.T. Road from Baraf Khana Chowk to Clock Tower	24.00
24.	Roshnara Road from Pulbanash Metro Station to Hans Raj College.	24.00
25.	Timarpur road from Mall Road crossing to Wazirabad Crossing	$\frac{30+18}{2}$
26.	Lucknow Road from Mall Road to P.S. Timarpur	18.00

161- Jh lq[kohj flag nyky % क्या **ykd fuekZ.k foHkkx ea=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोक निर्माण विभाग की कितनी शाखाएं हैं और उनके क्या–क्या उत्तरदायित्व हैं;

(ख) मुंडका विधान सभा से संबंधित लोनिवि के सभी एग्जीक्यूटिव इंजीनियरों के नाम, मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर बताएं

(ग) दिनांक 1 जनवरी 2017 से मुंडका विधानसभा क्षेत्र में लोनिवि के उद्यान विभाग द्वारा किए गए कार्यों की सूची दें

(घ) लोनिवि ने मुंडका विधानसभा क्षेत्र के विद्यालयों में कुल कितनी राशि खर्च की है, विद्यालयवार विवरण उपलब्ध कराएं।

(ङ) दिनांक 1 जनवरी 2015 के बाद से लोनिवि द्वारा मुंडका विधानसभा क्षेत्र में कितने पौधे लगाए गए और उनमें से कितने अभी तक बचे हुए है।

(च) मुंडका विधानसभा क्षेत्र में लगाए गए पौधों के संरक्षण के लिए लोनिवि के उद्यान विभाग द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं।

(छ) क्या लोनिवि ने स्क्रैप व्यापारियों को अपने ट्रक सर्विस लेन में खड़ा करने की अनुमति दी हुई है

(ज) यदि हां, तो किस नियम के अंतर्गत; और

(झ) यदि नहीं, तो इन ट्रकों को वहां से हटवाया क्यों नही गया।

ekuuh; ykd fuek.k foHkkx e=h % (क) लोक निर्माण विभाग की तीन शाखाएं है।

1. सिविल, 2. वैद्युत, 3. उद्यान

दिल्ली सरकार के आधीन सड़कों एवं भवनों के रखरखाव संबंधित कार्य किया जाता है।

(ख) 1. श्री मनीष कौशिक, कार्यपालक अभियंता (सिविल),
लो.नि.वि. मंडल पश्चिम सड़क–2
दूरभाष नं.–01120723897
मो.नं.–9650167297

2. श्री डी.वी.एस. कन्सल, कार्यपालक अभियंता, (सिविल)
लो.नि.वि. मंडल पश्चिम भवन–1
दूरभाष नं.–28520373
मो.नं.–9873601920

3. श्री जसवंत सिंह उपनिदेशक (उद्यान),
दूरभाष नं.–011–23319119
मो.नं.–9810177868

4. श्री विनोक कुमार गुप्ता, कार्यपालक अभियंता (विद्युत),
दूरभाष नं.–011–25459518

5. ई. उदय वीर सिंह, कार्यपालक अभियंता,
शिक्षा अनुरक्षण मंडल, पश्चिम,
मोबाइल नंबर : 9968070724
ऑफिस टेलीफोन नंबर : 011–25843702, 011–25841268

6. श्री कृष्णा पाल, कार्यपालक अभियंता,
षिक्षा अनुरक्षण मंडल, उत्तर पश्चिम
मोबाइल नं. : 9599952740
टेलीफोन नं. : 011–27062530

(मुंडका विधानसभा के अंतर्गत रोहतक की तरफ जाने वाली रेलवे लाइन के दाई तरफ के स्कूलों में अतिरिक्त नए कमरों के निर्माण एवं पक्का स्कूल भवन के निर्माण का कार्य देखते है)

(ग) 1 जनवरी 2017 से मुंडका विधानसभा क्षेत्र में उद्यान मंडल द्वारा कोई निविदा आमंत्रित नहीं की गई है केवल विभागीय मालियों के द्वारा रखरखाव का कार्य किया गया है।

(घ) 1. मुंडका विधानसभा क्षेत्र के विद्यालयों के सिविल कार्यों का विवरण Annexure-I and II में संलग्न है।

2. विद्युत कार्यों का विवरणः–

स्कूल का नाम	वर्ष 2017–18	वर्ष 2018–19
सर्वोदय कन्या विद्यालय, कंझावला	रु. 4,81,348	रु. 2,28,966
सर्वोदय कन्या विद्यालय, कराला	रु. 4,73,163	–

(ङ) दिनांक 1 जनवरी 2015 के बाद लोनिवि उद्यान मंडल द्वारा मुंडका विधानसभा क्षेत्र में कोई भी नए पौधे नहीं लगाए गये है।

(च) मुंडका विधानसभा क्षेत्र में लगाए गए पौधों के संरक्षण के लिए वॉटर टैंकरों से आवश्यकता अनुसार समय समय पर पानी दिया जा रहा है एवं जहां जहां आवश्यकता होती है वहां पर ग्रिल लगाई जा रही।

(छ) लो.नि.वि. ने स्क्रैप व्यापारियों को अपने ट्रक सर्विस लेन में खड़ा करने की कोई अनुमति नही दी हुई है।

(ज) यह अनधिकृत रूप से खड़े रहते है इसकी जिम्मेदारी स्थानीय ट्रैफिक पुलिस की है।

(झ) यह दिल्ली ट्रैफिक पुलिस से संबंधित है।

Annexure-I

	Madipur Vidhan Sabha		Expenditure
	1		2
54	EOR to Sarvodaya Kanya Vidyalaya No. 2, Punjabi Bagh, New Delhi, (SH.- Laying of kola Stone in damaged floor of class rooms and fixing ceramic glazed wall tiles in all the class rooms). Mundka Vidhan Sabha	ईओआर से सर्वोदय कन्या विद्यालय संख्या 2, पंजाबी बाग, नई दिल्ली। (एसएचः – कक्षा के कमरों की क्षतिग्रस्त मंजिल में कोटा पत्थर डालना और सभी कक्षा कमरों में सिरेमिक ग्लेजेड दीवार टाइल फिक्सिग)।	2488944.00

	1		2
	Mundka Vidhan Sabha		
21	EOR to GSKV, Mundka, New Delhi. (SH:- Repair of girls and boys toilet and covering one side staircase opening and other ancillary repair work of GSK.V Mundka)	ईओआर से जीएसकेवी, मुंडका, नई दिल्ली। (एसएचः – लड़कियों और लड़कों के शौचालय की मरम्मत और एक तरफ सीढ़ी खोलने और जीएसकेवी मुंडका के अन्य सहायक मरम्मत कार्य को कवर करना)।	901269.00
61	EOR to Sarvodaya Kanya Vidyalaya, Ranhaula, New Delhi, (SH:- Regarding boundary wall of acquired land).	ईओआर से सर्वोदय कन्या विद्यालय, रणहोला, नई दिल्ली। (एसएचः – अधिग्रहित भूमि की सीमा दीवार के बारे में)।	2077848.00
71	EOR to Govt. Boys Senior Secondary School, Tikri Kalan, New Delhi. (SH:- Raising of boundary wall and misc. works).	सरकार के लिए ईओआर लड़के सीनियर सेकेंडरी, स्कूल, टिकरी कलान, नई दिल्ली। (एचएसः – सीमा दीवार और विविध कार्यों का निर्माण)।	811665.00
181	EOR to Govt. Girls Secondary School, Baprola Vihar, New Delhi. (SH:- Rain water harvesting).	सरकार के लिए ईओआर गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल, बाप्रोला विहार, नई दिल्ली। (एसएचः – वर्षा जल संचयन)।	811665.00
191	EOR to Govt. Boys Sr. Sec. School at Tikri Kalan (1617001) (SH:- Construction of rain water harvesting system for newly constructed building, concrete slab and table for dining area mid day meal distribution and concrete benches for the park/green area.	सरकार के लिए ईओआर लड़के सीनियर सेक। टिकारी कलान में स्कूल (1617001)। (एसएचः – नव निर्मित भवन, कंक्रीट स्लैब और डाइनिंग क्षेत्र के लिए टेबल मिड डे भोजन वितरण और पार्क/हरी क्षेत्र के लिए ठोस बेच के लिए वर्षा जल संचयन प्रणाली का निर्माण।	882885.00

अनुलग्नक-II

विद्यालय में नये कमरे का निर्माण कार्य का विवरण

	विद्यालय का नाम	संख्या	व्यय राशि (करोड़ में) (जून 2018 तक)
1.	GGSSS J.J.-2 Colony Nangloi, New Delhi	20 no class room	11.54 (Approx.)
2.	SKV Mundka, Delhi	84 no. class room + 1 M.P. Hall	14.47
3.	GSKV Tikrikalan, Delhi	68 no. class room	18.83
4.	GBSSS Tikrikalan, Delhi	68 no. class room + 1 M.P. Hall	
5.	SKV, Karala, Delhi	44 class room	8.76

162. श्री श्रीदत्त शर्मा : क्या **माननीय लोक निर्माण विभाग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार घोंडा विधानसभा के अंतर्गत आने वाले गामड़ी घौंडा रोड को मास्टर प्लान 2021 के अंतर्गत पांचवा पुस्ता गामड़ी से घौड़ा चौक तक चौड़ा करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब तक कर दिया जायेगा;

(ग) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं?

ekuuh; ykd fuek.k foHkkx e=h % (क) मास्टर प्लान 2021 के अनुसार इस रोड़ का चिन्हित (डिमार्केशन) कराने के लिए राजस्व विभाग को अनुरोध किया गया है व अतिक्रमण हटाने के उपरांत ही सड़क की चौड़ाकरण का कार्य किया जाएगा।

(ख) उपरोक्त (क) के अनुसार।

(ग) उपरोक्त (क) के अनुसार।

163- Jh egn xk;y % क्या **ykd fuek.k foHkkx e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि अवंतिका से कंझावला जाने वाली सड़क बहुत जगह से टूटी हुई है;

(ख) इस सड़क का मरम्मत कब करवायी गयी थी;

(ग) लोक निर्माण विभाग की सड़कों को पुन बनवाने की क्या नीति है, और

(घ) इस सड़क की मरम्मत करने की सरकार क्या योजना है?

ekuuh; ykd fuek.k foHkkx e=h % (क) अवंतिका से कंझावला जाने वाली सड़क पर हर साल सर्विस प्रदाता एजेंसियों जैसे से टाटा पॉवर लिमि., दिल्ली जल बोर्ड आदि द्वारा बार–बार कार्य किया गया है जिसकी वजह से सड़क की जगह–जगह से खुदाई करने के कारण सड़क टूट गई है जिसके रेस्टोरेशन का कार्य करवाया जा रहा है।

(ख) यह सड़क वर्ष 2014 में बनाई गयी थी। मरम्मत का कार्य लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जिसे जरूरत के अनुसार कराया जा रहा है।

(ग) लोक निर्माण विभाग की सड़कों का सुदृढ़ीकरण 5 वर्ष के बाद कराया जाता है।

(घ) इस सड़क का सुदृढ़ीकरण का कार्य 2019 में प्रस्तावित है। इसे तय समय पर करा लिया जायेगा।

164- Jh jkts'k _f"k % क्या **ykd fuekZ.k foHkkx ea=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोक निर्माण का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का बजट, इस हॉस्पिटल में बनाई गई कैनोपी की लागत और इस का शेड्यूल वर्कऑर्डर का विवरण उपलब्ध करें;

(ख) तिहाड़ जेल और तिहाड़ कॉम्प्लेक्स में मार्च, 2017 से आज तक कौन–कौन से काम किए गए और कितने के थे, परा ब्यौरा टेंडर कॉपी के साथ दें;

(ग) जनकपुरी में पंखा रोड साइकिल पथ पर स्ट्रीट लाइट कब लगाई गई थी और यह स्ट्रीट लाइट्स का काम आज तक क्यों नहीं पूरा हुआ;

(घ) कार्य में विलंब होने पर स्ट्रीट लाइट लगाने वाले ठेकेदार पर क्या कार्रवाई की गई पूर्ण विवरण दे तथा इसकी टेंडर कॉपी भी प्रस्तुत करें;

(ङ) पंखा रोड और नजफगढ़ रोड पर हो रहे अवैध निर्माण और अवैध कब्जे पर पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा क्या–क्या कार्रवाई की गई; पूर्ण विवरण और दस्तावेज प्रस्तुत करें;

(च) पंखा रोड पर बनने वाले फुट ओवर ब्रिज की वर्तमान स्थिति क्या है और यह कब से बनाया जाएगा;

(छ) पीडब्ल्यूडी जनकपुरी की पंखा रोड, डाबड़ी चौक और सड़क के सेंटर डिवाडर पर वृक्षारोपण की क्या योजना है;

(ज) पीडब्ल्यूडी हॉर्टिकल्चर विभाग द्वारा जनकपुरी में नष्ट हुए पुराने पेड़ों के बदले नए पेड़ कब लाए जायेंगे, पेड़ लगाने की समयबद्ध सूची दें;

(झ) डाबड़ी चौक के सर्किल में पेड़ पौधे को पानी देने की क्या व्यवस्था है इस सर्किल में बोरिंग कब तक होगी?

ekuuh; ykd fuek.k foHkkx e=h % (क) इस संबंध में तकनीकी स्वीकृति रुपए 23,53,000/– कैनोपी की लागत 18,19,971/– है। करार सं. 51 का.अभि./स्वा.द.प./एम–123/2015–1

(ख) (1) तिहाड़ जेल और तिहाड़ काम्पलैक्स में मार्च 2017 के बाद से आज तक किये गये सिविल कार्यों का ब्यौरा Annexure-II में में संलग्न है।*

(2) विद्युत कार्यों का ब्यौरा अनुबंध (क) में संलग्न है।*

(3) उद्यान मंडल द्वारा किये गए कार्यों का ब्यौरा निम्नलिखित हैः–

(क) जेल मुख्यालय परिसर में बागवानी लगाने का कार्य किया गया जिसका मात्र खर्चा रुपए 2,15,479/–

(ख) केन्द्रीय कारागर में 7 में बागवानी लगाने का कार्य किया जिसका खर्चा मात्र रुपए 2,49,941/– है।

*www.delhiassembly.nic.in पर उपलब्ध।

(ग) जनकपुरी में पंखा रोड सर्विस लेन पर स्ट्रीट लाइट आउटर रिंग रोड पर विकासपुरी से मीरा बाग तक पुरानी लगी हुई स्ट्रीट लाइट को विस्थापित कर लगाया गया था, यह कार्य नवंबर 2014 में पूर्ण कर दिया था।

(घ) इस स्थान पर कार्य समय से पूर्ण हो गया था अतएव ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की गयी। टेन्डर की कॉपी संलग्न है।

(ङ) पखा रोड और नजफगढ़ रोड पर हो रहे अवैध निर्माण और अवैध कब्जे हेतु दिल्ली नगर निगम को अवैध कब्जा हटाने हेतु अनुरोध किया गया है।

(निम्न विवरण पत्र संलग्न है।*)

पत्र सं. 2106 दिनांक 20.07.18

पत्र सं. 376 दिनांक 05.02.18

पत्र सं. 581 दिनांक 28.02.18

पत्र सं. 48 दिनांक 04.06.18

पत्र सं. कैम्प दिनांक 07.05.18

(च) पंखा रोड पर बनने वाले फुट ओवर ब्रिज जिसका सामूहिक सत्यापन अलग अलग विभागो द्वारा किया गया तथा जीवन पार्क के पास इसे बनाने के लिए स्वीकृति प्रदान की गयी है जिसे अग्रिम कार्यवाही हेतु सबवे कमेटी को प्रेषित किया गया है। सबसे कमेटी के अनुमोदन एवं प्राकलन के स्वीकृति के बाद कार्य कराया जाएगा।

(छ) पीडब्ल्यूडी जनकपुरी की पंखा रोड रोड डाबरी चौक और सड़क

*www.delhiassembly.nic.in पर उपलब्ध।

के सेंटर डिवाइडर पर पौधारोपण के लिए करार हो गया है तथा शीघ्र कार्य शुरू हो जाएगा। जिसका विवरण संलग्न हैः–

करार संख्या	:	16/DDH/PWD/2018-19;
अनुमानित लागत	:	रुपए 25,63,365/–
निविदा राषि	:	28,17,138/–
प्रारंभ की तिथि	:	23.07.2018
समाप्ति की तिथि	:	22.10.2018

(ज) पीडब्ल्यूडी हार्टिकल्चर विभाग द्वारा जनकपुरी में नष्ट हुए पुराने पेड़ों के स्थान पर नए पेड़ लगाने का कार्य असालतपुर रोड से शुरू कर दिया है तथा अगस्त अंत तक कार्य पूण हो जाएगा।

(झ) डाबरी चौक के सर्किल में पेड़ पौधे को टेंकर के माध्यम से पानी दिया जाता है तथा बोरिंग लगाने का कार्य अक्टूबर माह तक कर दिया जाएगा।

165- Jh eukt dekj % क्या **ykd fuek.k foHkkx e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि कोंडली पुल पर लगने वाले भारी जाम से क्षेत्रवासियों को निजात दिलाने की लोक निर्माण विभाग की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना पर कब से कार्य आरंभ कर दिया जाएगा;

(ग) क्या कोंडली विधान सभा क्षेत्र में 60 फुट से ज्यादा चौड़ी डीडीए की सड़कों को पूर्वी दिल्ली नगर निगम को हैंडओवर करने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो यह कार्य कब तक हो जाएगा?

ekuuh; ykd fuekZ.k foHkkx ea=h % (क) जी हां, इस क्षेत्र को जाम मुक्त करने के लिए दल्लुपुरा रोड के नाम से योजना यूटीपेक में दिनांक 10.08.16 से लंबित है।

(ख) यूटीपेक की स्वीकृति के बाद योजना का अनुमान सक्षम अधिकारी की स्वीकृति हेतु भेजा जाएगा एवं संस्तुति के पश्चात कार्य आरंभ होगा।

(ग) यह लोक निर्माण विभाग से संबंधित नहीं है।

(घ) उपरोक्त 'ग' के अनुसार लागू नहीं।

166- Jh vt; nÙk % क्या **ykd fuekZ.k foHkkx ea=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अंबेडकर नगर में पिछले 3 सालों में हॉर्टिकल्चर द्वारा कितने पेड़ लगाये गये; पूरे क्षेत्रफल का विवरण दें;

(ख) बीआरटी रोड के पास हॉर्टिकल्चर विभाग द्वारा पेड़–पौधे न लगाने के क्या कारण हैं;

(ग) लोक निर्माण विभाग पेड़ पौधों के लिए पानी की व्यवस्था कहां से करता है और हर वर्ष पेड़ों में पानी देने पर कितनी राशि खर्च की जाती है; और

(घ) दिल्ली में कितने हॉर्टिकल्चर के कहां कहां नियमित व स्थाई कितने माली तैनात हैं?

ekuuh; ykd fuekZ.k foHkkx ea=h % (क) अंबेडकर नगर में लो.नि.वि. के अधीन आने वाली सड़के बहुत भीड़–भाड़ वाली है तथा सड़कों

के किनारे गाड़ी पार्क होती है या ठेली लगी रहती है, वहां पेड़ लगाने की गुंजाइश नहीं है अतः कोई पेड़ नहीं लगाये गये है।

(ख) बीआरटी रोड पर पुर्नविकास (redevelopment) होना है, इसलिए अभी पेड़–पौधे नहीं लगाये गये है।

(ग) लो.नि.वि. द्वारा पौधों में पानी देने की व्यवस्था दिल्ली जल बोर्ड के मलजल उपचार संयंत्र (STP) से टैंकर द्वारा की जाती है। अम्बेडकर नगर में पौधों में पानी देने के लिए कोई धनराशि खर्च नहीं की गई है।

(घ) अम्बेडकर नगर – 1 माली तैनात है।
BRT Coridor - 17 Malis
(Bhairon Marg to Khanpur, including two flyover)

167- Jh fxjh'k lkuh % क्या **ykd fuek.k foHkkx ea=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2017–18 में पीडब्लूडी विभाग द्वारा मादीपुर विधानसभा क्षेत्र में पीडब्लूडी विभाग सिविल, इलैक्ट्रिकल, बागवानी, प्रोजेक्ट व अन्य द्वारा किये गये कार्यों का विवरण व उन पर व्यय राशि का पूर्ण ब्यौरा दिया जाए; और

(ख) 2019–20 में मादीपुर विधानसभा क्षेत्र को और बेहतर बनाने के लिए किये जाने वाले कार्यों का पूर्ण ब्यौरा क्या है;

ekuuh; ykd fuek.k foHkkx ea=h % (क) मादीपुर विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2017–18 में :

(1) लोक निर्माण विभाग द्वारा मादीपुर विधानसभा क्षेत्र में लोक निर्माण

विभाग सिविल द्वारा सड़क पर किये गये कार्यों की सूची अनुसंलग्नक (क) में संलग्न है।

वर्ष 2017—18 में मादीपुर विधानसभा के अंतर्गत विद्यालय पर सिविल खर्चा अनुसंलग्नक (ख) में संलग्न है।

(2) वर्ष 2017—18, लोक निर्माण विभाग द्वारा मादीपुर विधानसभा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग विद्युत विभाग द्वारा किये गये कार्य अनुसंलग्नक (ग) में संलग्न है।

(3) वर्ष 2017—18 में लोक निर्माण विभाग के उद्यान विभाग द्वारा मादीपुर विधानसभा क्षेत्र में उद्यान कार्यों का अनुरक्षण किया गया तथा 3,00,000/— रुपए खर्च हुए।

(ख) वर्ष 2019—20 में मादीपुर विधानसभा क्षेत्र को और बेहतर बनाने के लिए किये जाने वाले सड़क कार्यों की सूची अनुसंलग्नक (घ) में संलग्न है।

मादीपुर विधानसभा क्षेत्र में इस कार्यालय द्वारा Priority-II के अंतर्गत निम्नलिखित स्कूलों में एस.पी.एस. कक्षाओं का निर्माण प्रस्तावित हैः—

विद्यालय का नाम	संख्या
GBSSS No. 1 Punjabi Bagh	52 no. class rooms.
SKV No. 2 Punjabi Bagh	16 no. class rooms.
SKV No. 2 Madipur	16 no. class rooms.
GGSSS No. 1 Madipur	28 no. class rooms.

vuqlyXud&d

o"kZ 2017&18] esa ihMCY;wMh foHkkx }kjk ekWulwu foèkkulHkk {ks= esa ihMCY;wMh foHkkx flfoy }kjk fd;s x;s dk;ksZ dh lwph

Sl.No.	Name of work	Expenses
1	2	3
1	M/R and M/O various roads under PWD Division West Road-2, New Delhi during 2017-18. SH:- Providing services of maintenance vehicle with required labour, material and T&P etc. for round the clock maintenance of roads and drains during the rainy season under West Road-24.	496817
2	A/R and M/O various roads under West Road-2 during 2016-17. SH:- Repair of footpath and drain on various roads under Sub-Division West Road-24.	2783951
3	A/R and M/O various roads under PWD Division West Road-2 during 2017-18. SH: - Painting of kerb stone and railing etc. of roads under Sub-Division WR-24.	1388440
4	A/R & M/O various road under PWD West Road-2, Delhi during 201 7-18. SH:- Repairing of pot holes and patches work on Rohtak Road from Peeragarhi Chowk to Punjabi Bagh round about, club road, Bhagat Singh Colony Road sod Service Road SD-24.	2044768

1	2	3
5	A/R & M/O various road under PWD West Road-2, Delhi during 2017-18. SH:- Providing and placing precast RCC rectangular cover and manhole on missing points of various road drains under Sub Division WR-24.	1223734
6	A/R & M/O various road under PWD West Road-2, Delhi during 2017-18. SH:- Repair of footpath and drain at Krishan Gyan Mandir Marg under Sub Division WR-24.	2246901
7	A/R & M/O various road under PWD West Roed-2, Delhi during 2017-18 SH:- Repair of brick toe wall, culvert wall, railing and other Misc. work on NH-10 (Delhi Rohtak Road) under Sub Division WR-24.	2058700
8	A/R and M/O to various roads under PWD Division West Road-2 during 2017-18. SH:- Repair of CC berni and providing and fixing missing railing on various roads under Sub Division WR-24.	2351857
9	A/R and M/O to various roads under PWD Division West Road-2 during 2017-18, SH- Repair of footpath and central verge at Club Road and adjacent road (NLA. road, V.K. Qutla, Marg) under Sub Division WR-24.	3262704

10	A/R and M/O to various roads under PWD Division West Road-2 during 2017-18. SH:- Raising and repair of boundary wall along road no. 29. Madipur and providing and placing of precast jerssy barrier under Sub Division West Road-24.	761559
11	A/R and M/O various roads under Division West Road-2, New Delhi during 2017- 18. SH:- Repair of footpath and drain at Paschim Puri Chowk to New Slum Qtr. Under Sub Division WR-24.	Work is in Progress
12	A/R and M/O various roads under Division West Road-2, New Delhi during 2017-18. SH: - Renovation of Horticulture Nursery at Road No 29 and Sub Division office at Road No. 28.	Work is in Progress
13	A/R and M/O various roads, under Division West Road-2, New Delhi during 2017-I8. SH:- Miscellaneous repair work related with various roads. under Sub Division WR-24.	2305665
14	A/K and M/O various roads and Division West Road-2, New Delhi during 2017-18. SH:- Thermoplastic paint on roads under Sub-Division WR-24.	1579279
15	A/R and M/O various roads under PWD Division West Road-2 during 2017-18 SH:- Painting kerb stone and railing etc. of roads under Sub-Division WR-24.	1586135

1	2	3
16	A/R and M/O various roads under Division West Road-4 New Delhi during 2017-18 SH:- Providing and deploying JCB Machine dumper etc. for removal of encroachment and disposal of malba from roads under Sub Division WR-24.	616387
17	A/R and M/O various roads under Division West Road-2, New Delhi during 2017-18. SH:- Repairing and replacing of old damaged kerb stone and providing and fixing of steel railing in various roads under Section-2, Sub Division WR-24.	Work is in Progress
18	Repair of footpath and drain at (i) Road No. 41 Punjabi Bagh and (ii) road from H. No. 250 to Shiv Mandir Road under Sub-Division WR-24 during 2017-18.	Work is in Progress
19	A/R and M/O various roads under Division West Road-2, New Delhi during 2017-18. SH:- Repair of footpath on VK Gulla Marg and Madipur main Village Road under Sub-Division WR-24.	Work is in Progress
20	A/R and MO to various roads under West Road-2 Division during 2017-18. SH:- Comprehensive desilting of drains of various categories and sizes along PWD roads under Sub Division West Road-24.	Work is in Progress
	Total:-	24706897

vu|l yXud&[k

	Madipur Vidhan Sabha		Expenditure
54	EOR to Sarvodaya Kanya Vidyalaya No. 2, Punjabi Bagh, New Delhi, (SH.- Laying of kola Stone in damaged floor of class rooms and fixing ceramic glazed wall tiles in all the class rooms). Mundka Vidhan Sabha	ईओआर से सर्वोदय कन्या विद्यालय संख्या 2, पंजाबी बाग, नई दिल्ली। (एसएचः – कक्षा के कमरों की क्षतिग्रस्त मंजिल में कोटा पत्थर डालना और सभी कक्षा कमरों में सिरेमिक ग्लेजेड दीवार टाइल फिक्सिंग)।	2488944.00
	Mundka Vidhan Sabha		
21	EOR to GSKV, Mundka, New Delhi. (SH:- Repair of girls and boys toilet and covering one side staircase opening and other ancillary repair work of GSK.V Mundka)	ईओआर से जीएसकेवी, मुंडका, नई दिल्ली। (एसएचः – लड़कियों और लड़कों के शौचालय की मरम्मत और एक तरफ सीढ़ी खोलने और जीएसकेवी मुंडका के अन्य सहायक मरम्मत कार्य को कवर करना)।	901269.00
61	EOR to Sarvodaya Kanya Vidyalaya, Ranhaula, New Delhi, (SH:- Regarding boundary wall of acquired land).	ईओआर से सर्वोदय कन्या विद्यालय, रणहोला, नई दिल्ली। (एसएचः – अधिग्रहित भूमि की सीमा दीवार के बारे में)।	2077848.00
71	EOR to Govt. Boys Senior Secondary School, Tikri Kalan, New Delhi. (SH:- Raising of boundary wall and misc. works).	सरकार के लिए ईओआर लड़के सीनियर सेकेंडरी, स्कूल, टिकरी कलान, नई दिल्ली। (एचएसः – सीमा दीवार और विविध कार्यों का निर्माण)।	811665.00
181	EOR to Govt. Girls Secondary School, Baprola Vihar, New Delhi. (SH:- Rain water harvesting).	सरकार के लिए ईओआर गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल, बाप्रोला विहार, नई दिल्ली। (एसएचः – वर्षा जल संचयन)।	811665.00
191	EOR to Govt. Boys Sr. Sec. School at Tikri Kalan (1617001) (SH:- Construction of rain water harvesting system for newly constructed building, concrete slab and table for dining area mid day meal distribution and concrete benches for the park/green area.	सरकार के लिए ईओआर लड़के सीनियर सेक। टिकारी कलान में स्कूल (1617001)। (एसएचः – नव निर्मित भवन, कंक्रीट स्लैब और डाइनिंग क्षेत्र के लिए टेबल मिड डे भोजन वितरण और पार्क/हरी क्षेत्र के लिए ठोस बेच के लिए वर्षा जल संचयन प्रणाली का निर्माण।	882885.00

vuqlyXud&x

o"kZ 2017&18] esa ihMCY;wMh foHkkx }kjk eknhiqj fo/kkulHkk {ks= esa ihMCY;wMh foHkkx byfDVªdy }kjk fd;s x;s dk;ksZa dk fooj.k o mu ij O;; jkf'k dk iw.kZ fooj.k

Sl. No.	Name of Work	Name of School	Agreement No.	Tendered Amount	Expenditure
1	Renovation of MP Hall at Sarvodaya Kanya Vidyalaya, Basai Darapur, New Delhi.	Sarvodaya Kanya Vidyalaya, Basai Darapur	12/AE(E)/PWD EMSD West-13/ 2017-18	267595	328417.00
2	Providing electrical wiring, fans, USD fittings and Split type Air Conditioners in MP Hall at Govt. Girls Sr. Sec. School No. 1, Madipur. (School ID 1515028)	Govt. Girls Sr. Sec. School No. l, Madipur	31/EE(E)/PWD West Elect./2017-18	1233440	1538131
3	Installation of 02 Water Coolers at GGSSS, Raghubir Nagar, New Delhi. (Code 1515030).	Govt. Girls Sr. Sec. School, Raghubir Nagar	26/AB(E)/PWD EMSD West-13/2018-19	105786	129677.00
	Total				1996225

vuqlyXud&?k

2019&20 e eknhij foèkkulHkk {k= dk vkj cgrj cuku d fy, fd; tku oky dk;k dh lph

Sl. No.	Name of work/Plan	Remarks
1.	Strengthening of Rohtak Road (NH-10) from Punjabi Bagh Round about to Metro Pillar No. 526 under PWD, Maintenance Division West-2 Roads, New Delhi	Rs. 46,07,31,700/- vide his letter no. 23(182)/Circle West/PWD/1701 dated 20.05.2016 to further submit to Ministry of Road Transport and Highways (MORTH)
2.	Strengthening of roads Club Road, Road No. 33, N.A. Road, Madipur Main Village Road under PWD Sub Division WR-24	Estimate sent to SE (West) vide this office letter no. 20(5)/D.B.M-112/ 1147-H dated 17.03.2018

168- Jh f'ko pj.k xk;y % क्या **ykd fuek.k foHkkx e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूरी मोती नगर विधान सभा में पीडब्लूडी की किस–किस रोड पर कितने अवैध कब्जे हैं, विस्तृत ब्यौरा दें;

(ख) इन अवैध कब्जों को हटाने के लिए कब–कब क्या कार्रवाई की गई;

(ग) भविष्य में भी किस–किस रोड पर क्या कार्रवाई होनी है;

(घ) आचार्य भिक्षु हॉस्पिटल मोती नगर विधान सभा के लिए पीडब्लूडी का कितना बजट है; उसका विस्तृत ब्यौरा दें, और

(ङ) मोती नगर विधान सभा में सभी सर्वोदय स्कूलों के लिए पीडब्लूडी का कितना बजट है उसका विस्तृत ब्यौरा दें?

ekuuh; ykd fuek.k foHkkx e=h ¼ (क) एम.डी.एम. पटेल नगर द्वारा किये गये चिन्हित (Demarcation) डिमार्केशन के अनुसार रिंग रोड पर राजा गार्डन में मायापुरी फ्लाईओवर तथा मार्बल मार्केट तक अतिक्रमण है। यह मामला अभी उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

(ख) एसटीएफ द्वारा अवैध कब्जों को हटाया जाता है उसके लिए समय समय पर लोक निर्माण विभाग संसाधनों के द्वारा उचित सहायता प्रदान करता है।

(ग) उपरोक्त 'ख' अनुसार।

(घ) वर्ष 2018–19 के दौरान अस्पताल का बजट रुपए 125 लाख है। इस बजट से अस्पताल में नये कार्य कराए जाते हैं।

(ङ) इस विभाग में सभी स्कूलों का इकट्ठा बजट प्राप्त होता है। उसमें अलग–अलग विधान सभा क्षेत्रों में आने वाले स्कूलों के लिए अलग से बजट आबंटन का प्रावधान नही है।

मोती नगर विधान सभा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग द्वार द्वितीय प्राथमिकता के अंतर्गत निम्नलिखित स्कूलों में एसपीएस कक्षाओं का निर्माण

प्रस्तावित है जिसकी अनुमानित लागत 49.40 करोड़ रुपए है। परंतु शिक्षा विभाग से प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय स्वीकृति प्रतीक्षित है।

विद्यालय का नाम	संख्या
SV Jaidev Park	38 no. class rooms
SV East Punjabi Bagh	78 no. class rooms
SBV Moti Nagar	28 no. class rooms
SKV Moti Nagar	32 no. class rooms
SKV Basai Darapur	54 no. class rooms
G(Co-ed) SSS Karampura, Industrial Area	40 no. class rooms

169- Jh fotsUnz xqIrk % क्या **ykd fuekZ.k foHkkx ea=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि लोक निर्माण विभाग मंत्री ने 27 मार्च को सदन में आश्वासन दिया था कि 15 जून तक सभी नालों की सफाई करवा दी जाएगी;

(ख) क्या यह सत्य है कि सफाई का काम अत्यधिक धीमा होने के कारण 8 जून को मंत्री महोदन ने नालों की सफाई की तारीख को 15 दिन बढ़ाते हुए सदन को आश्वासन दिया था कि 30 जून तक यह काम पूरा हो जाएगा;

(ग) क्या यह सत्य है कि मानसून आने पर विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार 83 प्रतिशत सड़कों पर स्थित नालों की सफाई का काम अधूरा रहा;

(घ) क्या यह सत्य है कि 1034 सड़कों में से मात्र 227 अर्थात् 27 प्रतिषत सड़कों पर स्थित नालों की सफाई का काम ही पूरा हो पाया;

(ङ) क्या यह सत्य है कि 209 सड़कें ऐसी हैं जिन पर एक भी नाले की सफाई पूरी नहीं हो पाई;

(च) क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार द्वारा निर्धारित समय में नालों की सफाई न कर पाने के कारण दिल्ली की विभिन्न सड़कों पर पानी भर गया;

(छ) जगह–जगह पानी भरने के क्या कारण थे;

(ज) क्या सरकार ने इस विषय में कोई दंडात्मक कार्रवाई की है;

(झ) यदि हां, तो उसका विवरण दें; और

(ञ) सरकार किस प्रकार सुनिश्चित करने जा रही है कि अब सड़कों पर जल भराव न हो?

ekuuh; ykd fuek.k foHkkx e=h % (क) जी हां, यह सत्य है।

(ख) जी हां, नालों की सफाई करते समय अन्य विभागों द्वारा कई व्यवधान/अतिक्रमण के कारण मंत्री महोदय ने तिथि 30 जून तक सफाई संपूर्ण करने के लिए कहा था।

(ग) जी नहीं, यह सत्य नहीं है।

अधिकांश नालों की सफाई का कार्य लगभग समय–सीमा पर करा दिया गया था व कुछ नालों पर सफाई का कार्य अभी चल रहा है क्योंकि पूर्वी दिल्ली एवं दक्षिण दिल्ली में डम्पिंग ग्राउंड की उपलब्धता न होने की वजह से निगम से सिल्ट निष्पादन की अनुमति 05/2018 में ही प्राप्त हुई है जिसमें सिल्ट निष्पादन के लिए सिघोंला खामपुर ग्राम के पास जगह व अनुमति दी गई थी। अनुमति प्राप्त होने के उपरांत ही कार्य पूर्ण व समर्पित रूप से शुरू हो पाया है।

(घ) जी नहीं, यह सत्य नहीं है।

(ङ) जी नहीं, यह सत्य नहीं है।

(च) सड़क के किनारे बने लगभग सभी बरसाती नालों की सफाई बरसात आने से पहले प्रथम चरण अनुसार करवा दी गई थी।

जल भराव का कारण केवल नाले की सफाई ना होना ही नही होता है बल्कि कई अन्य कारणों से भी जल भराव की समस्या अस्थाई रूप से उपस्थित हो जाती है जिसका निवारण भी तुरंत कर दिया जाता है। यह अस्थाई जलभराव समस्या निम्नलिखित कारणों से हो सकती हैः–

(i) बेल माउथ के मुंह के ऊपर कचरा या पॉलिथीन इत्यादि का फंस जाना जोकि सफाई करने उपरांत तुरंत ठीक हो जाता है।

(ii) कई नालों के अंदर मिश्रित प्रवाह का होना। कुछ नालों में बरसाती पानी के साथ–साथ गलियों के सीवर के कनैक्शन भी जुड़े हुए हैं। जिनका वजह से बरसाती नालों में गाद्द (Silt) बार–बार भर जाती है व पानी के बहाव पर असर डालती है। इन नालों में बार–बार गाद निकाल कर प्रवाह को ठीक करके पानी का निष्पादन कर दिया जाता है।

(iii) लोक निर्माण विभाग के कुछ बरसाती नालों के आउटफॉल अन्य विभाग द्वारा जैसे कि एमसीडी व बाढ़ नियंत्रण विभाग के नालों में मिलते है। कभी–कभी इस आउटफॉल की जगह पर अवरोध होने के वजह से जलभराव की समस्या हो जाती है। इस समस्या का तुरंत निष्पादन कर दिया जाता है।

(छ) उपरोक्त (घ) के अनुसार।

(ज) जी, नहीं।

(झ) उपरोक्त (ज) अनुसार लागू नहीं।

(ञ) सड़कों पर जलभराव की समस्या न हो इसके लिए एक 24 घंटे संचालित नियंत्रण कक्ष स्थापित किया हुआ है। सभी सेवा प्रदाता विभाग जैसा कि लोक निर्माण विभाग, बाढ़ नियंत्रण, एमसीडी, डीएसआईडीसी व अन्य विभागों के साथ संयुक्त उच्चतम (मुख्य सचिव) स्तर पर बैठक करके किसी भी जलभराव की समस्या व उसके निष्पादन का हल निकाला जाता है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस से भी लगातार संपर्क करके चिन्हित जलभराव के स्थानों की निगरानी की जा रही है। इसके अतिरिक्त आकस्मिक समस्या हेतु अतिरिक्त लेबर व वाहनों का बंदोबस्त लोक निर्माण विभाग के मंडल स्तर पर किया जाता है।

170- l|Jh vydk ykEck % क्या **ykd fuekZ.k foHkkx e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चांदनी चौक विधानसभा क्षेत्र के लिए आज तक कितने मोहल्ला क्लीनिक स्वीकृत किए गए हैं;

(ख) लोक निर्माण विभाग द्वारा चांदनी चौंक विधानसभा क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों की अद्यतन स्थिति क्या है; और

(ग) चांदनी चौक विधानसभा क्षेत्र में कितनी सड़कें लोक निर्माण विभाग के अधिकार क्षेत्र में हैं?

ekuuh; ykd fuek.k foHkkx e=h % (क) चांदनी चौक विधान सभा क्षेत्र के अंदर दो मोहल्ला क्लीनिक का कार्य हो चुका है, हैल्थ डिपार्टमेंट ने एक साईट चिन्हित की है, जिसकी व्यवहार्यता की जांच की जा रही है।

(ख) 1. SPM मार्ग पर NMV लेन एवं फुटपाथ के सुधार का कार्य प्रगति पर है। कार्य 31.08.2018 तक समाप्त करने का टारगेट नियत किया गया है।

2. उर्दु बाजार रोड के फुटपाथ का सुधार कार्य प्रगति पर है। यह कार्य 31.08.2018 तक समाप्त करने का टारगेट नियत किया गया है।

3. चांदनी चौक रोड एवं जामा मस्जिद क्षेत्र के पुर्नविकास की योजना का कार्य तथा SPM मार्ग पर दंगल मैदान की पार्किंग के कार्य हेतु वांछित योजना से संबंधित कार्य चल रहा है।

4. चांदनी चौक में दीवान हाल के पास SKV स्कूल एवं मोरी गेट स्थित गोखले मार्ग पर राजकीय सर्वोदय विद्यालय में नर्सरी रूम का निर्माण कार्य चल रहा है। यह कार्य 31.08.2018 तक समाप्त करने का टारगेट नियत किया गया है।

(ग) लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत 20 सड़कें हैं जिसकी सूची (संलग्नक–1) संलग्न है।

Annexure I

Sl. No.	Name of Road	Starting Point	End Point	Length of road	Constituency
1.	Road No. 47	ISBT Kashmiri Gate	Tis Hazari Road Light (Mori Gate X-ing)	1.000	Chandni Chowk
2.	Bhagwan Road	Bhagwan Das Chowk	Toe of the flyover	1.200	Chandni Chowk
3.	Rajpur Road	Tis Hazari Road Light	Civil Lines Thana Light	2565	Chandni Chowk
4.	Approach Road	Boulevard Road	City Wall (Mother Diary)	0.260	Chandni Chowk
5	Approach Road	Boulevard Road	Nienlson Road	0.215	Chandni Chowk
6.	Hamilton Road	Phool Mandi	Pul Mithai	0.246	Chandni Chowk
7.	Gokhle Road	ISBT Metro Station	G..T. Road	0.876	Chandni Chowk
8.	Sarai Food Road	Baraf Khana Chowk	Pul Mithai	0.710	Chandni Chowk
9.	Lothian Road	Ritz Cinema	Lothian Bridge	1.100	Chandni Chowk
10.	SPM Marg	Culcutta Bridge	Avanti Bai Chowk	1.480	Chandni Chowk

11. HC Sen Road	Chandni Chowk	Kodiya Pull	0.400	Chandni Chowk
12. Khari Bawali Road	Church Mission Road	Lahori Gate	0.427	Chandni Chowk
13.	Chandni Chowk	Pali Balan	0.430	Chandni Chowk
14. Naya Bazar Road	SPM Marg	Lahori Gate	0.580	Chandni Chowk
15. Zorawar Singh Marg	Lahori Gate Chowk	Kucha Mohattar Khan	1.320	Chandni Chowk
16. Mori Gate Road	S.P. Marg	City Wall	0.380	Chandni Chowk
17. Dewan Hall Road	Chandni Chowk	Mori Sarai	0.270	Chandni Chowk
18. Chandni Chowk Road	Lalquila	Fatehpuri Mosque	1.290	Chandni Chowk
19. N.S. Marg	W. Point Old Iron Bridge	Lothian Bridge	1.400	Chandni Chowk
20. Jama Masjid Road	N.S. Marg	W-Point old Iron Bridge	1.481	Chandni Chowk
Total			17.654	

171- Jh l[kohj flg nyky % क्या माननीय **Je e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुंडका विधानसभा क्षेत्र से संबंधित श्रम विभाग के कर्मचारियों का विवरण क्या है;

(ख) दिनांक 10 फरवरी, 2017 के बाद से श्रम विभाग द्वारा मुंडका विधानसभा क्षेत्र में मारे गए छापों या काटे गये चालानों का विवरण क्या है;

(ग) रा.रा.क्षे.दि. सरकार के श्रम विभाग के कार्य और उत्तरदायित्व क्या है;

(घ) मुंडका विधानसभा क्षेत्र में श्रम विभाग के साथ कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों का पूर्ण विवरण क्या है; और

(ङ) उक्त संदर्भित गैर सरकारी संगठनों में से प्रत्येक को कितनी–कितनी राशि स्वीकृति की गई है?

ekuuh; Je e=h % (क) मुंडका विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत दो जिला श्रम कार्यालय (पश्चिम एवं उत्तर–पश्चिम) आते हैं।

(1) पष्चिम जिला के श्रम संबंधी शिकायतों का निपटान श्रम विभाग के श्रम कल्याण केन्द्र, कर्मपुरा, दिल्ली स्थित पश्चिम जिले के कार्यालय में किया जाता है।

(2) उत्तर–पश्चिम जिला के श्रम संबंधी शिकायतों का निपटान श्रम

विभाग के श्रम कल्याण केन्द्र, नीमड़ी कॉलोनी, अशोक विहार फेज–4, दिल्ली स्थित उत्तर–पश्चिम जिले के कार्यालय में किया जाता है।

इन जिलों में कार्यरत अधिकारियों का विवरण संलग्नक 'क' में वर्णित है।

(ख) दिनांक 10 फरवरी, 2017 के बाद से श्रम विभाग द्वारा मुंडका विधानसभा क्षेत्र में बाल श्रम से संबंधित 3 छापे मारे गये, जिसमें 58 बाल श्रमिक मुक्त कराये गये और न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अंतर्गत 01 चालान मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के न्यायालय में प्रेषित किया गया।

(ग) श्रम विभाग, दिल्ली सरकार का मुख्य रूप से संगठित व असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रहे कर्मचारियों को भिन्न भिन्न श्रम प्रावधानों के अंतर्गत उनके वैधानिक हितों की रक्षा करने का जिम्मा है, जिससे कि औद्योगिक शांति बरकरार रह सके एवं कर्मचारियों का शोषण न हो। विभाग द्वारा श्रम प्रावधानों का प्रबंधकों द्वारा उल्लंघन करने की परिस्थितियों में प्रोसिक्यूशन/चालान इत्यादि करने की कार्यवाही भी की जाती है। श्रम विभाग की तकनीकी शाखा द्वारा बिजली के उपक्रम व कारखाना संबंधित, लिफ्ट संबंधित एवं बॉयलर संबंधित लाइसेंस/अनुमति भी दी जाती है।

(घ) श्रम विभाग किसी भी गैर–सरकारी संगठन के साथ कार्य नहीं करता है।

(ङ) उपरोक्त अनुसार लागू नहीं।

lyXud&^d*

if’pe ftyk] Je foHkkx d dk;ky; e dk;jr vfèkdkfj;k dk fooj.k

क्र.सं.	पदनाम	अधिकारियों का नाम	दूरभाष सं.
1.	संयुक्त श्रमायुक्त	श्री एस.सी. यादव	011—25412680
2.	सहायक श्रमायुक्त	श्री संजय गुप्ता	011—25100467
3.	श्रम अधिकारी	श्री ए.के. बिरुली	
4.	निरीक्षण अधिकारी	श्रीमती सोनिया ठाकरान	
5.	श्रम निरीक्षक	श्री नीरज भारद्वाज	
6.	श्रम निरीक्षक	श्री चंद्रहास	

mÙkj&if’pe ftyk] Je foHkkx d dk;ky; e dk;jr vfèkdkfj;k dk fooj.k

क्र.सं.	पदनाम	अधिकारियों का नाम	दूरभाष सं.
1.	संयुक्त श्रमायुक्त	श्री लल्लन सिंह	011—27305892
2.	सहायक श्रमायुक्त	श्री के.एम. सिंह	011—27308082
3.	श्रम अधिकारी	श्री आर.एम. पार्थसारथी	
4.	श्रम निरीक्षक	श्री दीपक कुमार	
5.	श्रम निरीक्षक	श्री सतबीर सिंह	

172- Jh vkn'k 'kkL=h % क्या **Je ea=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रमिकों के संरक्षण के लिए पिछले तीन सालों में किए गए उपायों की जानकारी;

(ख) श्रमिकों का वेतन विसंगतियों को ठीक करने व काम की दशा के हिसाब से वेतन सुनिश्चित करने के लिए पिछले तीन सालों में क्या उपाय किए गए;

(ग) अकुशल श्रेणी के श्रमिकों को नियोक्ता द्वारा किये जाने वाले शोषण से बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे है;

(घ) द्वारका विधानसभा क्षेत्र में बहुत से लोग छोटे–छोटे संस्थानों में काम करते हैं, लगातार उन लोगों से शिकायत मिलती है कि नियोक्ता संस्थान द्वारा उन्हें उचित वेतन और सुविधाएं नहीं मिलती; बोलने पर काम से निकाल देने की धमकी दी जाती है; इस प्रकार के शोषण से मुक्ति के लिए किस प्रकार की व्यवस्था उपलब्ध है; और

(ङ) दिल्ली सरकार द्वारा न्यूनतम वेतन की अधिसूचना के बावजूद बहुत से संस्थान श्रमिकों को कम वेतन देते है, इससे निपटने के क्या उपाय है?

ekuuh; Je ea=h % (क) गत तीन वर्षों में श्रम विभाग को जब–जब श्रम कानूनों के उल्लंघन की षिकायत प्राप्त हुई है, इसके आधार पर प्रबंधकों के विरुद्ध भिन्न–भिन्न श्रम प्रावधानों के अंतर्गत जैसे न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948, ठेका श्रम अधिनियम 1970, बोनस अधिनियम 1965, दिल्ली दुकान एवं संस्थापना अधिनियम 1954 इत्यादि–इत्यादि के अंतर्गत मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में चालान/प्रोसिक्यूशन प्रेषित किये गये हैं। प्रबंधकों

एवं कर्मचारियों के मध्य विवादों को सुलझाने के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अंतर्गत संराधन कार्यवाही की जाती है और यदि संराधन कार्यवाही के दौरान विवाद सुलझाये नहीं जाते हैं तो इन विवादों को माननीय श्रम न्यायालय को प्रेषित किये जाते हैं।

(ख) श्रम विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा हाल ही में दिनांक 03.03.2017 को एक अधिसूचना जारी कर न्यूनतम वेतन में 37 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गयी। इसके अनुसार अकुशल श्रमिका को 13,350/– रुपए प्रति माह, अर्द्धकुशल श्रमिक को 14,698/– रुपए प्रति माह तथा कुशल श्रमिक को 16,182/– रुपए प्रति माह वेतन निर्धारित किया गया।

इसके अतिरिक्त "न्यूनतम वेतन दिल्ली (संषोधित) अधिनियम, 2017" जारी किया गया है। जिसके अंतर्गत प्रबंधकों द्वारा न्यूनतम वेतन न दिए जाने के विरुद्ध 20,000/– रुपए से 50,000/– रुपए तक जुर्माना व 3 साल की सजा का प्रावधान किया गया है।

(ग) उपरोक्त प्रष्न ख के उत्तर में वर्णित।

इसके अतिरिक्त प्रभावित कर्मचारी, अधिसूचित अधिकारी के समक्ष अपना वेतन संबंधित दावा लगा सकता है, सुनवाई के पश्चात अधिकारी द्वारा उचित आदेष पारित किए जाते हैं, जिसमें 10 गुना तक का मुआवजा दिया जाता है।

(घ) जब भी इस प्रकार की शिकायतें श्रम विभाग को प्राप्त होती हैं, श्रम विभाग के जिला अधिकारियों द्वारा भिन्न–भिन्न श्रम प्रावधानों के अंतर्गत प्रबंधकों के विरुद्ध चालान/प्रोसिक्यूशन की कार्यवाही की जाती है।

(ङ) श्रम विभाग द्वारा 03.03.2017 को अधिसूचना जारी करके न्यूनतम वेतन की दरें 37 प्रतिशत बढ़ाई गयी, परंतु इस अधिसूचना के विरुद्ध माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में 82 याचिकायें दाखिल की गयी, विभाग द्वारा माननीय न्यायालय में अपना उत्तर/पक्ष सरकारी वकील के माध्यम से रखा गया एवं माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 7 मार्च 2017 को यह आदेश जारी किए गए कि श्रम विभाग द्वारा याचिकाकर्ता एवं अन्य के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी।

173- Jh fxjh'k lkuh ¼ क्या **Je ea=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मादीपुर विधानसभा क्षेत्र में विभाग द्वारा पिछले तीन वर्षों में कितने लेबर कार्ड बनाए गए, सभी का विवरण उपलब्ध किया जाये;

(ख) दिल्ली सरकार द्वारा श्रमिकों को दी जाने वाली सभी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी जाये।

(ग) लेबर कार्ड धारक बनने की क्या प्रक्रिया और इसके लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची क्या है।

(घ) दिल्ली में लेबर कार्ड बनाने के लिए किन–किन सामाजिक संस्थाओं को अधिकृत किया गया है, उनका विवरण उपलब्ध किया जाये;

(ङ) किसी संस्था द्वारा नियमों का उल्लंघन कर लेबर कार्ड बनाने पर विभाग इस पर क्या कार्रवाई करता है?

ekuuh; Je ea=h ¼ (क) निर्माण एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों के पंजीकरण का आंकड़ा विधानसभा के अनुसार एकत्रित नहीं किया जाता है। यह आंकड़ा जिला अनुसार बनाया जाता है।

(ख) दिल्ली सरकार द्वारा श्रमिकों को दी जाने वाली सभी योजनाओं की विस्तृत जानकारी का विवरण अनुलग्नक "क" पर है।

(ग) लेबर कार्ड धारक बनने की प्रक्रिया की आवश्यक दस्तावेजों की सूची संलगित अनुलग्नक "ख" में दिया गया है।

(घ) दिल्ली में लेबर कार्ड बनाने के लिए किसी भी सामाजिक संस्था को अधिकृत नही किया गया है।

(ङ) उपरोक्त के संदर्भ में लागू नही होता है।

vuqyXud ßdÞ

fnYyh ljdkj }kjk Jfedksa ds fy, pykbZ tk jgh lHkh dY;k.kdkjh ;kstukvksa dk fooj.k

1. प्रसूति लाभ (नियम 271) — मातृत्व लाभ 30,000/— रु. (केवल दो बच्चों तक)
2. गर्भपात के लिए वित्तीय सहायता (नियम 27) (क) — रु. 3.00/— (पात्रता — पंजीकरण की तिथि से)।
3. पेंषन (नियम 273) — 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर पेन्शन रु. 3,000/— प्रति माह एवं रु. 300/— की वृद्धि हर वर्ष (पात्रता — एक वर्ष की सदस्यता)।
4. मकान खरीदने या बनाने के लिए अग्रिम (नियम 274) — रु. 3,00,000/— तक की राशि का ऋण (पात्रता — दस वर्ष की सदस्यता शेष रहने पर)। रु. 5,00,000/— तक की राशि का ऋण (पात्रता — पंद्रह वर्ष की सदस्यता शेष रहने पर)।

5. अक्षमता पेन्शन (नियम 386) – रु. 3,000/– प्रति माह (पात्रता – पंजीकरण की तिथि से)।

6. अपंग (नियम 275) हो जाने पर रु. 1,00,000/– तक की अनुग्रह राशि (पात्रता – पंजीकरण की तिथि से)।

7. निर्माण संबंधी उपकरणों की खरीद के लिए ऋण (नियम 276) – रु. 20,000/– (पात्रता – एक वर्ष की सदस्यता)।

8. निर्माण संबंधी उपकरणों की खरीद के लिए अनुदान [नियम 276 (क)] – (5 वर्ष में एक बार) रु. 5,000/– (पात्रता – तीन वर्ष की सदस्यता)।

9. श्रमिक की मृत्यु पर अंत्योष्टि के लिए वित्तीय सहायता (नियम 277) रु. 10,000/– (पात्रता – पंजीकरण की तिथि से)।

10. मृत्यु लाभ का भुगतान (नियम 278) – श्रमिक की प्राकृतिक मृत्यु होने पर नामांकित/आश्रितों को रु. 1,00,000/– का मुआवजा/अनुग्रह राशि (पात्रता – पंजीकरण की तिथि से)।

    श्रमिक की कार्य के दौरान मृत्यु होने पर नामांकित/आश्रित सदस्य को मृत्यु मुआवजा/अनुग्रह राशि रु. 2,00,000/– (पात्रता – पंजीकरण की तिथि से)।

11. लाभार्थियों के लिए चिकित्सा सहायता (नियम 280)–चिकित्सा सहायता अधिकतम रु. 2000/– तक की राशि पहले दिन से पांच दिन तक एवं रु. 200/– अतिरिक्त दिन के लिए दुर्घटना एवं पलास्टर के लिए रु. 10,000/– तक की राशि (पात्रता – पंजीकरण की तिथि से)।

12. षिक्षा के लिए वित्तीय सहायता (पात्रता – (i) से (iii) पंजीकरण की तिथि से एवं (iv) से तक एक वर्ष से अधिक की सदस्यता)।

(i) कक्षा – 1 से 8 तक रु. 500/– प्रति माह।

(ii) कक्षा – 9 से 10 तक रु. 700/– प्रति माह।

(iii) कक्षा – 11 से 12 तक रु. 1000/– प्रति माह।

(iv) स्नातक स्तर रु. 3,000/– प्रति माह।

(v) आईटीआई पाठ्यक्रम सं. 4,000/– प्रति माह।

(vi) एलएलबी (पांच वर्ष) पाठ्यक्रम रु. 4,000/– प्रति माह।

(vii) पालिटैकनिक डिपलोमा पाठ्यक्रम रु. 5000/– प्रति माह।

(viii) एलएलबी (तीन वर्ष) पाठ्यक्रम रु. 3000/– प्रति माह।

(ix) इंजीनियरिंग, मेडिसन, एमबीए जैसे तकनीकी पाठ्यक्रम के लिए रु. 10,000/– प्रति माह।

(x) **njLFk f'k{kk@vkiu yÉux Ldy@dkyst@ikboV vè;;u vkj ekU;rk ikIr Ldy@dkyst@lLFkku l iek.k i= ikIr dju d lnHk e & fu;fer vè;;u d fy, LohÑr vunku dk 75 ifr'krA ;g foÙkh; lgk;rk fdlh Hkh Lukrd Lrjh; ikB;Øe d fy, doy ,dckjxh nh tk,xhA**

13. विवाह के लिए वित्तीय सहायता (नियम 282) – स्वयं एवं बच्चों विवाह

(केवल दो बच्चों तक) के लिए वित्तीय सहायता – (पात्रता – तीन वर्ष की सदस्यता):–

(क) पंजीकृत महिला सदस्य के विवाह पर – रुपये 51,000/–

(ख) पंजीकृत पुरुष सदस्य के विवाह पर – रुपये 35,000/–

(ग) पंजीकृत सदस्य की पुत्री के विवाह पर – रुपये 51,000/–

(घ) पंजीकृत सदस्य की पुत्र के विवाह पर – रुपये 35,000/– (नियम 282)

14. पारिवारिक पेन्शन – पेन्शनधारक द्वारा प्राप्त की जा रही राशि का 50 प्रतिशत अथवा रु. 1,000/–, इनमें से जो अधिक हो। (पात्रता – एक वर्ष की सदस्यता)।

15. राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभ (पात्रता – पंजीकरण की तिथि से)।

16. पंजीकृत श्रमिकों व उनके परिवार के सदस्यों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना [नियम 283 (A)] (पात्रत–पंजीकरण की तिथि से)।

17. पंजीकृत श्रमिकों व उनके परिवार के सदस्यों के कौशल विकास के लिए निर्माण अकादमी की स्थापनाक करना [नियम 283 (A)] (पात्रता–पंजीकरण की तिथि से)।

18. पंजीकृत श्रमिकों को उपयोगिता की वस्तुएं उपलब्ध कराना [नियम 293 (B)] (पात्रता – एक वर्ष की सदस्यता)।

vuqyXud ß[kÞ

fuekZ.k Jfedksa ds iathdj.k ds fy, vko';d nLrkost o izfØ;k

1- mi;qDr lsokvksa ds fy, vko';d nLrkost@'kqYd&

(क) फॉर्म संख्या xxvii में पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र।

(ख) आयु प्रमाण – आवेदक की आयु के समर्थन में किसी भी सरकारी एजेंसी द्वारा जारी किए गए किसी प्रमाणपत्र–दस्तावेज (जैसे मतदाता पहचान पत्र राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि)। उपर्युक्त दस्तावेजों में से किसी एक ही अनुपस्थिति में, कार्यकर्ता द्वारा शपथ पत्र, उसकी उम/जन्म तिथि का उल्लेख, नोटरी पब्लिक द्वारा विधिवत प्रमाणित।

(ग) निर्माण क्षेत्र में 90 दिनों के रोजगार के लिए रोजगार प्रमाण–पत्र (नियोक्ता/ट्रेड यूनियन/सहायक श्रम आयुक्त द्वारा जारी)।

(घ) स्थानीय पता प्रमाण–स्थानीय पत प्रमाण के लिए निम्नलिखित दस्तोवजों में से कोई भी माना जाएगाः–

1. राषन कार्ड फोटो के साथ
2. बैंक/डाकघर पास बुक (फोटो के साथ)
3. पानी का बिल
4. बिजली का बिल
5. टेलीफोन का बिल

6. मतदाता पहचान पत्र (फोटो के साथ)
7. मान्य/वैध ड्राईविंग लाइसेंस
8. आधारकार्ड
9. पासपोर्ट (भारत सरकार द्वारा जारी)
10. दिल्ली सरकार के विभागीय आयुक्त/उप आयुक्त/एसडीएम आदि द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र
11. संपत्ति/हाउस कर रसीद
12. उप पंजीयक दिल्ली के कार्यालय में पंजीकृत संपत्ति की सेल डीड
13. उप पंजीयक दिल्ली के कार्यालय में पंजीकृत किराया अनुबंध
14. नियोजित श्रमिक के संबंध में नियोक्ता/ठेकेदार द्वारा जारी 90 दिन का रोजगार प्रमाण पत्र
15. श्रम चौक श्रमिकों के संबंध में पंजीकृत निर्माण श्रमिक यूनियन द्वारा जारी 90 दिन का रोजगार प्रमाण पत्र

(ङ) स्थायी पता प्रमाण (आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र)।

(च) बैंक खाता विवरण।

(झ) मोबाइल नंबर।

(ज) 2 पासपोर्ट आार की फोटो–

(I) पंजीकरण शुल्क रु. 5/– (पंजीकरण के समय एक बार) और वार्षिक योगदान रु. 20/–.

fuek.k Jfedk dh ithdj.k ifØ;k

2- ifØ;k&

- संबंधित जिले में बोर्ड स्टाफ द्वारा आवेदन की प्राप्ति।
- आवेदन की प्रविष्टि व दिनांक और अस्थायी रसीद।
- संबंधित जिले के निरीक्षण अधिकारी/श्रम अधिकारी के कार्यालय को प्रेषित करना।
- संबंधित जिले के निरीक्षण अधिकारी/श्रम अधिकारी द्वारा दस्तावेजों की पुष्टि/जांच।
- यदि दस्तावेजों में कमी है तो श्रमिक को उस कमी के बारे में सूचित करना।
- दस्तावेजों के सही पाये जाने पर संबंधित जिले के निरीक्षण अधिकारी/श्रम अधिकारी द्वारा पास करके उप श्रमायुक्त को भेजना।
- अनुमोदन अधिकारी/उप श्रमायुक्त की स्वीकृति।
- श्रमिक द्वारा अपेक्षित योगदान राशि 25/– (रुपए 20/– वार्षिक योगदान + रुपए 5/– पंजीकरण शुल्क) और योगदान व पंजीकरण शुल्क के लिए रसीद जारी करना।
- संबंधित जिले में बोर्ड कर्मचारियों द्वारा पास बुक का प्रिंटिंग।
- श्रमिक की पास बुक जारी करना।

174- Jh fotsUnz xqIrk % क्या **ekuuh; Je ea=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली सरकार के पास इस समय कितना कंस्ट्रंक्षन वर्कस सैस जमा है;

(ख) उपरोक्त का 2014–15, 2015–16, 2016–17 तथा 2017–18 का विवरण दें;

(ग) उपरोक्त वर्षों में प्रतिवर्ष कितना सैस किन–किन मदों में खर्च किया गया;

(घ) उपरोक्त वर्षों के दौरान कितने–कितने मजदूर पंजीकृत थे;

(ङ) सरकार ने इनकी संख्या बढ़ाने के लिए क्या–क्या उपाये किये;

(च) इस उपरोक्त सैस को किन–किन योजनाओं पर व्यय किया जा सकता है; विस्तृत जानकारी दें; और

(छ) सरकार किस प्रकार सुनिश्चित करती है कि सैस का लाभ उन्हीं मजदूरों तक पहुंचे जिनके लिए ये योजना बनाई गई है?

ekuuh; jkTLo ea=h % (क) दिल्ली सरकार के पास जून 2018 तक कुल 2065 करोड़ रुपए कंस्ट्रंक्शन वर्कस सैस जमा है।

(ख) वर्ष 2014–15 = रुपए 253 करोड़

वर्ष 2015–16 = रुपए 208 करोड़

वर्ष 2016–17 = रुपए 185.65 करोड़

वर्ष 2017–18 = रुपए 199 करोड़

(ग) वर्ष 2014–15 = प्रशासनिक खर्च = रुपए 2.14 करोड़

वर्ष 2014–15 = कल्याण खर्च = रुपए 1.79 करोड़

वर्ष 2015–16 = प्रशासनिक खर्च = रुपए 2.18 करोड़

वर्ष 2015–16 = कल्याण खर्च = रुपए 22.04 करोड़

वर्ष 2016–17 = प्रशासनिक खर्च = रुपए 3.02 करोड़

वर्ष 2016–17 = कल्याण खर्च = रुपए 19.42 करोड़

वर्ष 2017–18 = प्रशासनिक खर्च = रुपए 3.99 करोड़

वर्ष 2017–18 = कल्याण खर्च = रुपए 72.54 करोड़

(घ) वर्ष 2014–15 = 115080,

वर्ष 2015–16 = 152289,

वर्ष 2016–17 = 210478,

वर्ष 2017–18 = 231250

(ङ) • सरकार ने इनकी संख्या बढ़ाने के लिए समय समय पर कैंप लगाए है।

- हर जिला कार्यालय में योजनाओं से संबंधित बैनर लगाए गए है।
- श्रमिक यूनियनों को श्रमिकों के पंजीकरण की जानकारी देने के लिए कहा गया है।
- दिल्ली राजपत्र में दिनांक 23.04.2018 में कई विभागों के सहायक अभियंताओं (सिविल एवं इलैक्ट्रिल) को अधिकृत किया है।

• कार्य को और सुचारू रूप से करने हेतु 7 मैनेजरों की नियुक्ति आईसीएसआईएल के द्वारा विभिन्न जिलों में की गई है।

• कई लाभकारी योजनाओं में मिलने वाली राशि बढ़ा दी गई है।

(च) दिल्ली सरकार द्वारा श्रमिकों को दी जाने वाली सभी योजनाओं की विस्तष्त जानकारी का विवरण अनुलंगन "क" पर है।

(छ) दिल्ली भवन एवं सन्निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड द्वारा निर्माण मजूदों को उनकी पात्रता के आधार पर बोर्ड में पंजीकृत करके सुनिश्चित करती है कि सैस का लाभ उन्हीं मजदूरों तक पहुंचे जिनके लिए ये योजना बनाई गई है। इसके अलावा बोर्ड द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन ही सैस का लाभ दिया जाता है।

vuqyXud ßdÞ

fnYyh ljdkj }kjk Jfedksa ds fy, pykbZ tk jgh lHkh dY;k.kdkjh ;kstukvksa dk fooj.k

1. प्रसूति लाभ (नियम 271) – मातृत्व लाभ 30,000/– रु. (केवल दो बच्चों तक)

2. गर्भपात के लिए वित्तीय सहायता (नियम 27) (क) – रु. 3.00/– (पात्रता – पंजीकरण की तिथि से)।

3. पेन्शन (नियम 273) – 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर पेन्शन रु. 3,000/– प्रति माह एवं रु. 300/– की वृद्धि हर वर्ष (पात्रता – एक वर्ष की सदस्यता)।

4. मकान खरीदने या बनाने के लिए अग्रिम (नियम 274) – रु. 3,00,000/– तक की राशि का ऋण (पात्रता – दस वर्ष की

सदस्यता शेष रहने पर)। रु. 5,00,000/- तक की राशि का ऋण (पात्रता - पंद्रह वर्ष की सदस्यता शेष रहने पर)।

5. अक्षमता पेंशन (नियम 386) - रु. 3,000/- प्रति माह (पात्रता - पंजीकरण की तिथि से)।

6. अपंग (नियम 275) हो जाने पर रु. 1,00,000/- तक की अनुग्रह राशि (पात्रता - पंजीकरण की तिथि से)।

7. निर्माण संबंधी उपकरणों की खरीद के लिए ऋण (नियम 276) - रु. 20,000/- (पात्रता - एक वर्ष की सदस्यता)।

8. निर्माण संबंधी उपकरणों की खरीद के लिए अनुदान [नियम 276 (क)] - (5 वर्ष में एक बार) रु. 5,000/- (पात्रता - तीन वर्ष की सदस्यता)।

9. श्रमिक की मृत्यु पर अंत्योष्टि के लिए वित्तीय सहायता (नियम 277) रु. 10,000/- (पात्रता - पंजीकरण की तिथि से)।

10. मृत्यु लाभ का भुगतान (नियम 278) - श्रमिक की प्राकृतिक मृत्यु होने पर नामांकित/आश्रितों को रु. 1,00,000/- का मुआवजा/अनुग्रह राशि (पात्रता - पंजीकरण की तिथि से)।

    श्रमिक की कार्य के दौरान मृत्यु होने पर नामांकित/आश्रित सदस्य को मृत्यु मुआवजा/अनुग्रह राशि रु. 2,00,000/- (पात्रता - पंजीकरण की तिथि से)।

11. लाभार्थियों के लिए चिकित्सा सहायता (नियम 280)-चिकित्सा सहायता अधिकतम रु. 2000/- तक की राशि पहले दिन से पांच दिन तक

एवं रु. 200/— अतिरिक्त दिन के लिए दुर्घटना एवं पलास्ट्र के लिए रु. 10,000/— तक की राशि (पात्रता — पंजीकरण की तिथि से)।

12. शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता (पात्रता — (i) से (iii) पंजीकरण की तिथि से एवं (iv) से तक एक वर्ष से अधिक की सदस्यता)।

(i) कक्षा — 1 से 8 तक रु. 500/— प्रति माह।

(ii) कक्षा — 9 से 10 तक रु. 700/— प्रति माह।

(iii) कक्षा — 11 से 12 तक रु. 1000/— प्रति माह।

(iv) स्नातक स्तर रु. 3,000/— प्रति माह।

(v) आईटीआई पाठ्यक्रम सं. 4,000/— प्रति माह।

(vi) एलएलबी (पांच वर्ष) पाठ्यक्रम रु. 4,000/— प्रति माह।

(vii) पालिटैकनिक डिप्लोमा पाठ्यक्रम रु. 5000/— प्रति माह।

(viii) एलएलबी (तीन वर्ष) पाठ्यक्रम रु. 3000/— प्रति माह।

(ix) इंजीनियरिंग, मेडिसन, एमबीए जैसे तकनीकी पाठ्यक्रम के लिए रु. 10,000/— प्रति माह।

(x) **njLFk f'k{kk@vkiu yÉux Ldy@dky t@ikboV vè;;u vkj ekU;rk ikIr Ldy@dky t@lLFkku l iek.k i= ikIr dju d lnHk e & fu;fer vè;;u d fy, LohÑr vuqnku dk 75 ifr'krA ;g foÙkh; lgk;rk fdlh Hkh Lukrd Lrjh; ikB;Øe d fy, doy ,dckjxh nh tk,xhA**

13. विवाह के लिए वित्तीय सहायता (नियम 282) – स्वयं एवं बच्चों विवाह (केवल दो बच्चों तक) के लिए वित्तीय सहायता – (पात्रता – तीन वर्ष की सदस्यता):–

(क) पंजीकृत महिला सदस्य के विवाह पर – रुपये 51,000/–

(ख) पंजीकृत पुरुष सदस्य के विवाह पर – रुपये 35,000/–

(ग) पंजीकृत सदस्य की पुत्री के विवाह पर – रुपये 51,000/–

(घ) पंजीकृत सदस्य की पुत्र के विवाह पर – रुपये 35,000/– (नियम 282)

14. पारिवारिक पेंषन – पेन्शनधारक द्वारा प्राप्त की जा रही राशि का 50 प्रतिशत अथवा रु. 1,000/–, इनमें से जो अधिक हो। (पात्रता – एक वर्ष की सदस्यता)।

15. राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभ (पात्रता – पंजीकरण की तिथि से)।

16. पंजीकृत श्रमिकों व उनके परिवार के सदस्यों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना [नियम 283 (A)] (पात्रत–पंजीकरण की तिथि से)।

17. पंजीकृत श्रमिकों व उनके परिवार के सदस्यों के कौषल विकास के लिए निर्माण अकादमी की स्थापना करना [नियम 283 (A)] (पात्रता–पंजीकरण की तिथि से)।

18. पंजीकृत श्रमिकों को उपयोगिता की वस्तुएं उपलब्ध कराना [नियम 293 (B)] (पात्रता – एक वर्ष की सदस्यता)।

175- Jh vke izdk'k 'kekZ ¼ क्या **ekuuh; Je ea=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों में अब ठेके के कर्मचारियों की नियुक्ति सीधे सरकार करेगी;

(ख) इससे कितने कर्मचारियों के लाभान्वित होने की आशा है;

(ग) इस प्रस्ताव के कब तक कार्यान्वित हो जाने की आशा है;

(घ) दिल्ली सरकार किस नियम के अंतर्गत सीधे नियुक्ति करने जा रही है;

(ङ) क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों तथा केन्द्र सरकार के निर्धारित नियमों के अंतर्गत ये नियुक्तियां की जायेंगी; इसकी विस्तृत जानकारी दें;

(च) क्या इस विषय में विधि तथा वित्तीय विभाग की सहमति ली गई;

(छ) यदि हां, तो उनकी क्या टिप्पणियां थीं; और

(ज) यदि नहीं, तो इस पर इन विभागों की सहमति क्यों नहीं ली गई?

ekuuh; Je ea=h ¼ (क) ठेका श्रम (नियमन तथा उन्मूलन) अधिनियम, 1970 की धारा 4 के अंतर्गत दिल्ली ठेका सलाहकार श्रम बोर्ड का पुनर्गठन दिनांक 14.11.2017 को अधिसूचना द्वारा किया गया। यह 13 सदस्यों का एक त्रिपक्षीय बोर्ड है। बोर्ड के अध्यक्ष माननीय श्रम मंत्री हैं और इनके सदस्यों में दिल्ली विधान सभा के दो माननीय विधायक भी सदस्य हैं, इनके अतिरिक्त सरकार के प्रतिनिधि, नियोक्ता और कर्मचारी पक्ष के प्रतिनिधि शामिल हैं।

बोर्ड की पांचवीं बैठक दिनांक 18.07.2018 को आयोजित की गयी, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि प्रथम चरण में सरकारी विभागों में ठेकेदारों को हटाकर विभाग ठेकेदारों के श्रमिकों को सीधे विभाग में ठेके पर नियुक्त करेगा।

(ख) ठेके पर काम कर रहे सभी कर्मचारी लाभान्वित होंगे, जो भिन्न–भिन्न विभागों में काम कर रहे हैं।

(ग) बोर्ड ने प्रस्ताव पारित कर श्रम विभाग को सौंप दिया है, जो सभी विभागों से सूचना एकत्रित कर कैबिनेट नोट पेश करेगा। कैबिनेट की स्वीकृति के पश्चात यह योजना लागू की जाएगी।

(घ) ठेका श्रम (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 के अंतर्गत।

(ङ) जी, हां।

(च) योजना बनाने के पश्चात, विधि तथा वित्तीय विभाग से सलाह/सहमति ली जाएगी।

(छ) उपरोक्त अनुसार लागू नहीं।

(ज) उपरोक्त अनुसार लागू नहीं।

176- Jh iou dqekj 'kekZ % क्या **ekuuh; m|kx e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डीएसआईआईडीसी औद्योगिक क्षेत्र जहांगीर पुरी के अंतर्गत आने वाली सड़कों एवं नालों का रख–रखाव व सफाई का कार्य डीएसआईआईडीसी के अधीन है;

(ख) यदि हां, तो वहां की खस्ताहाल सड़कों व नालों की सफाई संबंधी कार्य लंबे समय से लंबित पड़े हैं, उक्त संबंध में क्या डीएसआईडीसी कोई प्रस्ताव बना रही है;

(ग) यदि हां, तो उसकी समयावधि कब तक की है; और

(घ) उपरोक्त नालों में फैक्ट्रियों से बहने वाला केमिकलयुक्त गंदे पानी की उचित निकासी के लिए डीएसआईडीसी ने क्या कोई योजना बना रखी है?

ekuuh; m|kx e=h % (क) जहांगीर पुरी के पास निम्न तीन औद्योगिक क्षेत्र स्थित हैः–

1. राजस्थानी उद्योग नगर
2. एस.एम.ए.
3. एस.एस.आई

इनमें से केवल राजस्थानी उद्योग नगर औद्योगिक क्षेत्र का सड़कों एवं नालों का रख रखाव डीएसआईआईडीसी के अधीन है तथापि सफाई का कार्य उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अधीन है।

(ख) डीडोम एक्ट 2010 की अधिसूचना के पश्चात् डीडीए द्वारा विकसित राजस्थानी उद्योग नगर के रख रखाव की जिम्मेदारी डीएसआईआईडीसी को हस्तांतरित किया गया है हालांकि डीडीए द्वारा इस औद्योगिक क्षेत्र की लीज़ राईट स्थानान्तरित नहीं किये गये।

(ग) उद्योग विभाग दिल्ली सरकार द्वारा प्रदत्त अनुदान से वर्ष 2012–13 में इस औद्योगिक क्षेत्र के सड़कों एवं नालियों का कुल राशि लगभग 7 करोड़ 13 लाख खर्च कर उन्नयन किया गया है।

डीएसआईआईडीसी द्वारा नालियों के डीसिल्टिंग का कार्य प्रतिवर्ष किया जाता है।

(घ) राजस्थानी उद्योग नगर, एसएमए एवम एसएसआई से आने वाले कैमिकलयुक्त गंदे पानी एवं अन्य द्रवीय कचरे का निष्पादन राजस्थानी उद्योग नगर में स्थित सीईटीपी में किया जाता है।

177-Jh iou dqekj 'kekZ % क्या **ekuuh; m|ksx ea=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि डीएसआईडीसी औद्योगिक विकास के लिए समय समय पर इच्छुक व्यक्तियों व संस्थाओं को प्लाट उद्योग धंधे के लिए अलॉट करती रही है;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि अलॉटी व्यक्ति या संस्था को अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए पूर्व में डीएसआईडीसी ऋण (permissionto mortgage) लेने के लिए एनओसी देती रहती है;

(ग) यदि हां, तो क्या डीएसआईडीसी वर्तमान में भी ऋण के लिए एनओसी दे रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है?

ekuuh; m|ksx ea=h % (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) जी हां, आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने पर एनओसी दिया जाता है। एनओसी के लिए आवेदन पत्र, आवश्यक दस्तावेजों का विवरण तथा अन्य विस्तृत जानकारी डीएसआईआईडीसी की वेबसाइट *www.dssidc.org* के पुनर्स्थापन शीर्षक के अंतर्गत उपलब्ध है।

(घ) उपरोक्त कथानुसार लागू नही है।

178-Jh vkn'k 'kkL=h % क्या **m|kx e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोगों को रोजगार और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय और पिछले तीन वर्षों में नये व्यापारिक संस्थानों की स्थापना की जानकारी:;

(ख) दिल्ली के अंदर इंडस्ट्रीयल एरिया कहां–कहां हैं, इन विशेष क्षेत्रों में किस प्रकार की इंडस्ट्री लगाई जा सकती है;

(ग) इंडस्ट्रीयल एरिया के विकास और नई इंडस्ट्री खड़ी करने के लिए सरकार द्वारा किस प्रकार के उपाय किए गए हैं, पिछले 3 सालों का विस्तृत विवरण,

ekuuh; m|kx e=h % (क) लोगों को स्वरोजगार एवं मान्य व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये है:–

1. जी.एस.टी पंजीकरण को ऑनलाइन कर दिया गया है। जी.एस.टी पंजीकरण के पहले निरीक्षण की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है।

2. दिल्ली शॉप एंड एस्टेवलिसमेन्ट एक्ट के तहत दुकानों का पंजीकरण एवं उद्योग आधार मेमोरेन्डम को ऑनलाईन कर दिया गया है। जो कि आवेदकों को तत्काल प्रदान कर दिया जाता है।

3. व्यवसायिक, औद्योगिक सहित सभी प्रकार के मकानों के नक्शे स्वीकृति हेतु सिंगल बिन्डो क्लेरेन्स सिस्टम लागू किया गया है।

4. बिजली एवं पानी के नए कनेक्शन पाने के लिए आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाईन कर दी गई है साथ ही इनके बिलों का भुगतान भी ऑनलाईन कर दिया गया है।

5. दिल्ली खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड दो योजनाओं का कार्यान्वयन करता है उनके नाम हैंः—

अ. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, (प्र.रो.सृ.का.)

ब. राजीव गांधी स्वावलंबन रोजगार योजना (रा.गा.स्वा.रो.यो.)

पिछले 3 वर्षों में औद्योगिक एवं व्यापारिक संस्थानों की संख्या में बढ़ोत्तरी उद्योग आधार पोर्टल पर दर्ज है, जो निम्नलिखित हैः—

वर्ष 2015—16	—	5823
वर्ष 2016—17	—	6717
वर्ष 2017—18	—	7441

(ख) वांछित सूचना संलग्नक (क) व (ख) पर संलग्नित* है।

(ग) उद्योग विभाग/डीएसआईआईडीसी दिल्ली में तीन नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित कर रही हैः—

1. मल्टी लेवल मेनुफैक्चरिंग हव, रानी खेड़ा, मुंडका

179-Jh vkn'k 'kkL=h % क्या **ekuuh; m|kx e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

*www.delhiassembly.nic.in पर उपलब्ध।

(क) दिल्ली में वर्तमान में कितने वृहद, मध्यम व लघु उद्योग–धन्धे स्थापित हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों में इनमें कितनी बढ़ोत्तरी हुई;

(ग) इनके ठीक नियमन के लिए क्या प्रयास किये गये हैं;

(घ) पिछले तीन सालों में कितने नये औद्योगिक क्षेत्र/व्यापारिक क्षेत्र विकसित किए गए;

(ङ) क्या सरकार की नये औद्योगिक क्षेत्र/व्यापारिक क्षेत्र विकसित करने की कोई योजना है;

(च) यदि हां, तो उनका विस्तृत ब्यौरा क्या है:

(छ) इन औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर, कर्मचारियों की मजबूती व सुरक्षा व शोषण को रोकने के लिए बनाये गये नियमों की जानकारी दें: और

(ज) द्वारका विधान सभा क्षेत्र में पिछले तीन वर्षों में व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाने, नये मध्यम वे छोटे उद्योगों की स्थिति क्या है?

ekuuh; m|kx e=h % (क) दिल्ली में वर्तमान में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित वृहद, मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म उद्योग धंधे स्थापित हैं:–

वृहद	–	000
मध्यम	–	542
लघु	–	13274
सूक्ष्म	–	55289

(ख) पिछले 3 वर्षों में इनमें वर्षानुसार (वित्तीय) बढ़ोतरी की संख्या उद्योग आधार पोर्टल पर दर्ज है, जो निम्नलिखित हैः—

वर्ष 2015—16	—	5823
वर्ष 2016—17	—	6717
वर्ष 2017—18	—	7441

(ग) उद्योगों के नियमन के लिये डीपीसीसी द्वारा प्रदूषण संबंधित नीतियां जारी की जाती है। जिनका परिपालन पूर्ण रूप से औद्योगिक लाईसेंस जारी करते समय दिल्ली नगर निगम द्वारा किया जाता है। लाईसेंस प्रक्रिया को अति सरल बना दिया गया है।

(घ) और (च) उद्योग विभाग/डीएसआईआईडीसी दिल्ली में तीन नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित कर रही हैः—

1. डीएसआईआईडीसी द्वारा रानी खेड़ा में 147 एकड़ भूमि पर बहुमंजिला औद्योगिक समूह जिसमें लघु एवं सेवा से संबंधित प्रदूषण रहित एवं शून्य जल निस्तारक लघु और सेवा से संबंधित उद्योग स्थापित करने के लिए औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया जा रहा है।

2. नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्रीज, आई.टी. पार्क, बापरोला।

   डीएसआईआईडीसी द्वारा 52 एकड़ भूमि पर बापरोला में सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रदूषण रहित एवं शून्य जल निस्तारक उद्योग स्थापित करने के लिए औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया जा रहा है।

3. इन्टीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टॉउनसिप, कंझावला।

डीएसआईआईडीसी द्वारा कंझावला में 920 एकड़ भूमि पर लघु एवं सेवा से संबंधित प्रदूषण रहित उद्योग स्थापित करने के लिए औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया जा रहा है।

(छ) श्रम विभाग के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर एवं कर्मचारियों की सुरक्षा हेतु कारखाना अधिनियम 1948, औद्योगिक विवादों के निपटाने हेतु विवाद अधिनियम 1947, स्वास्थ्य संबंधित मामलों के लिए कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 तथा कार्य करते समय/कार्यकाल में कर्मचारियों के क्षतिग्रस्त/मृत्यु होने की स्थिति में कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 उपलब्ध हैं।

(ज) द्वारका विधान सभा क्षेत्र में कोई नियमित औद्योगिक क्षेत्र स्थापित नहीं है।

180- Jh l|[kohj flg nyky % क्या **ekuuh; m|kx e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डीएसआईआईडीसी द्वारा गांव टीकरी कलां, दिल्ली–41 में बनाए जा रहे फ्लैट्स की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या डीएसआईआईडीसी तथा अन्य संबद्ध संस्थाएं गांव टीकरी कलां में बनाए जा रहे फ्लैट्स की स्थिति से संतुष्ट है;

(ग) गांव टीकरी कलां में बनाए जा रहे फ्लैट्स की गुणवत्ता की जांच के लिए क्या डीएसआईआईडीसी द्वारा कोई निरीक्षण किया गया है;

(घ) गांव टीकरी कलां में बन रहे फ्लैट्स की घटिया गुणवत्ता को देखते हुए संबद्ध विभाग/अधिकारियों/संस्था के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(ङ) उक्त निर्माण में संलग्न कंपनियों की सूची उपलब्ध कराएं; और

(च) क्या दिल्ली के सभी या कुछ पार्कों का हस्तांतरण एमसीडी को कर दिया गया है; पूर्ण विवरण उपलब्ध कराएं?

ekuuh; m|kx e=h % (क) डीएसआईआईडीसी द्वारा टिकरी कलां में बनलाए जा रहे फ्लैटों की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है।

1. 4560 फ्लैटों का कार्य 34.75 प्रतिशत हुआ है।

2. 2720 फ्लैटों का कार्य 57.75 प्रतिशत हुआ है।

3. 3320 फ्लैटों का कार्य 41.20 प्रतिशत हुआ है।

(ख) कार्य की प्रगति असंतोष जनक है।

1. 4560 फ्लैटों के कार्य का टेका 22/12/2016 को निरस्त कर दिया गया है।

2. 2720 एवं 3320 फ्लैटों का कार्य जुलाई 2017 से ठेकेदार द्वारा बिना कारण बंद है। इस संदर्भ में ठेकेदारों के विरुद्ध उपयुक्त कार्यवाही की जा रही है।

(ग) जी हां, भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा नियुक्त एमएसवी इंटरनेशनल एवं डीएसआईडीसी द्वारा नियुक्त श्री राम इंस्टिट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च, ने समय समय पर कार्य के गुणवत्ता का निरिक्षण किया है।

(घ) गांव टीकरी कलां में ब रहे मकानों की गुणवत्ता घटिया नहीं है।

(ङ) कंपनियों की सूचीः–

1. 4560 फ्लैट – मैसर्स, सुप्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया लिमिटेड, सुप्रीम हाउस, प्लॉट नं.94/सी प्रतापगढ़ आईआईटी, मुंबई के सामने, पोवाई, मुंबई–400076

2. 2720 फ्लैट – मैसर्स, पांधे इंफ्रोकोंस प्राइवेट लिमिटेड 157/सी, रेलवे लाईन्स, सोलापुर–413001, महाराष्ट्र (भारत)

3. 3320 फ्लैट – मैसर्स, पांधे इंफ्रोकोंस प्राइवेट लिमिटेड 157/सी, रेलवे लाईन्स, सोलापुर–413001, महाराष्ट्र (भारत)

(च) डीएसआईआईडीसी द्वारा एमसीडी को कोई भी पार्क स्थान्तरित नहीं किया गया है।

181- l|Jh jk[kh fcMyk % क्या **ekuuh; 'kgjh fodkl e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि मंगोलपुरी विधानसभा क्षेत्र में 25 गज से छोटे मकानों में विभिन्न प्रकार की छोटी–2 फैक्ट्रियां नियमों की अवहेलना कर चलाई जा रही है।

(ख) क्या ऐसी फैक्ट्रियों को लेकर कोई योजना सरकार के विचाराधीन है।

(ग) यदि हां, तो उसका पूरा विवरण दें।

(घ) वर्ष 2010 से लेकर अब तक मंगोलपुरी विधानसभा क्षेत्रमें उद्योग विभाग द्वारा कुल कितनी बार और कब ऐसे उद्योगों पर छापामारी/निरीक्षण की कार्रवाई की गई।

(ङ) यह छापेमारी/निरीक्षण की कार्यवाही किन अधिकारियों के नेतृत्व में की गई।

(च) क्या सही रिपोर्ट देने पर विभाग द्वारा संबंधित अधिकारी/कर्मचारी पर अब तक कोई कार्यवाही हुई है। पूर्व ब्यौरा उपलब्ध कराये।

(छ) क्या है सत्य है कि वर्तमान में उद्योग विभाग द्वारा ऐसी फैक्ट्रियों को रोकने के लिए मंगोलपुरी विधानसभा क्षेत्र में संघन निरीक्षण अभियान चलाने की कोई योजना प्रस्तावित है।

(ज) यदि हां, तो पूर्ण विवरण उपलब्ध कराये।

(झ) वर्तमान समय में इस विधानसभा क्षेत्र में चल रही गतिमान फैक्ट्रियों को रोकने के लिए भी निरीक्षण/छापेमारी की जाती है और

(ञ) यदि हां, तो पूर्ण ब्यौरा उपलब्ध कराये।

ekuuh; 'kgjh fodkl ea=h % (क) **mÙkjh fnYyh uxj fuxe %** इस प्रकार का कोई भी सर्वे फैक्ट्री लाइसेंसिंग विभाग, उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) **mÙkjh fnYyh uxj fuxe %** फैक्ट्री लाईसेसिंग विभाग, उत्तरी दिल्ली नगर निगम के संज्ञान में जब भी कोई अनाधिकृत औद्योगिक गतिविधियां आती है तो उसपर डीएमसी एक्ट के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जाती है जैसे बिजली पानी के कनैक्शन काटना एवं सील करना।

(घ) **mÙkjh fnYyh uxj fuxe %** फैक्ट्री लाईसेसिंग विभाग, उत्तरी

दिल्ली नगर निगम द्वारा मंगोलपुरी विधानसभा क्षेत्र एवं रोहिणी क्षेत्र में दिनांक 01.04.2016 से 31.07.2018 तक 175 इकाइयों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। सूची अनुलग्नक 'क' पर संलग्न है।

(ङ) **mÙkjh fnYyh uxj fuxe %** दिनांक 01.04.2016 से 31.07.2018 तक निम्न अधिकारियों (फैक्ट्री लाईसेसिंग निरीक्षकों के नेतृत्व में उपरोक्त कार्यवाही की गईः–

1. श्री राजेन्द्र सिंह रावत : 06.04.2016 से 14.12.2017 तक
2. श्री अनिल मान : 15.12.2017 से 12.07.2018 तक
3. श्री श्याम लाल : 13.07.2018 से वर्तमान में कार्यरत

(च) **mÙkjh fnYyh uxj fuxe %** ऐसा कोई मामला संज्ञान में नही आया।

(छ) **mÙkjh fnYyh uxj fuxe %** जी नहीं, परंतु उत्तरी दिल्ली नगर निगम समय–समय पर अपने अधीनस्थ आने वाले क्षेत्रों का निरीक्षण करता रहता है और यदि कोई अनधिकृत गतिविधि चलती पाई जाती है तो उसके विरुद्ध डीएमसी एक्ट के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

(ज) **mÙkjh fnYyh uxj fuxe %** उपरोक्त 'छ' के अनुसार।

(झ) **mÙkjh fnYyh uxj fuxe %** दिनांक 01.04.2017 से 31.07.2018 तक की गई कार्यवाही की सूची अनुलग्नक 'ख' पर संलग्न है।*

(ञ) **mÙkjh fnYyh uxj fuxe %** उपरोक्तानुसार।

---

*www.delhiassembly.nic.in पर उपलब्ध।

182- Jh fxjh'k lkuh % क्या **ekuuh; m|kx e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मादीपुर विधानसभा क्षेत्र में डीएसआईआईडीसी के कितने शेड हैं;

(ख) इसके रख–रखाव की जिम्मेदारी किस विभाग की है;

(ग) इन शेड्स की मरम्मत कब–कब की गई, पूर्ण विवरण दें; और

(घ) इन शेड्स की पुनः कब मरम्मत की जाएगी?

ekuuh; m|kx e=h % (क) मादीपुर विधानसभा क्षेत्र में डीएसआईआईडीसी के 190 शैड है जिसे आबंटियों को लाइसेंस डीड/हायर परचेज एग्रीमेंट के आधार पर आबंटित किया गया है।

(ख) से (घ) इसके रख–रखाव की जिम्मेदारी क्रमशः लाइसेंस डीड के पैरा 18, 19 तथा 21 व हायर परचेज एग्रीमेंट के पैरा 3 तथा 13 के अनुसार आबंटियों की है।

183- lJh vydk ykEck % क्या **ekuuh; m|kx e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बवाना औद्योगिक क्षेत्र में कुल कितने प्लाट निकाले गए;

(ख) इनमें से कितनों की लीज हो चुकी है;

(ग) इनमें से कितनों की लीज नहीं हुई;

(घ) लीज न होने के क्या कारण है; और

(ङ) क्या लीज का समय निकल जाने के बाद खरीदार को पुनः एक और अवसर देने पर सरकार विचार कर रही है?

ekuuh; m|kx e=h % (क) बवाना औद्योगिक क्षेत्र में अब तक 16006 प्लाट आवंटित किए गये है।

(ख) अभी तक 1315 प्लाट की लीज नहीं हुई हैं।

(ग) अभी तक 1315 प्लाट की लीज नहीं हुई हैं।

(घ) लीज न होने के मुख्य कारण इस प्रकार हैः—

1. आवंटी द्वारा कब्जा न लेना।
2. आवंटी द्वारा आवेदन न करना।
3. आवंटी द्वारा आवश्यक औपचारिकताएं पूरी न करना।
4. आवंटी द्वारा स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी न करना।

(ङ) जिन आबंटितयों ने दस वर्ष के अंदर भवन निर्माण कर लिया है उनको एक अवसर प्रदान करने हेतु विचार किया गया है।

184- Jh fxjh'k lkuh % क्या **ekuuh; fodkl e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभाग के अधीन आने वाली मंडी में कितनी ऐसी दुकानें है जो अभी तक खाली पड़ी हैं, पूर्ण विवरण दें।

(ख) ये दुकानें किस आधार पर आवंटित की जाती हैं।

(ग) क्या दुकानों के सामने पड़े खाली शैड को किराए पर दिया जाता है।

(घ) यदि नही तो ऐसे लोगों पर क्या कार्यवाही की जाती है।

ekuuh; fodkl ea=h % (क) कुल 108 दुकानें खाली पड़ी हैं। जिनका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

1. नजफगढ़–01
2. केशोपुर–26
3. नरेला–22
4. म.मु. एवं अंडा मंडी समिति–09
5. फल एवं सब्जी मंडी गाजीपुर–50

(ख) उपरोक्त लिखित दुकानें ई ऑक्शन के द्वारा आवंटित की जायेंगी।

(ग) नहीं।

(घ) समय–समय पर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जाती है।

185- Jh vke izdk'k 'kekZ % क्या **ekuuh; fodkl ea=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गाजीपुर में आधुनिक फूल मंडी और प्रदर्शनी केन्द्र विकसित करने की दिशा में क्या प्रगति हुई है।

(ख) उपरोक्त कार्य के लिए कितनी 'राशि आवंटित की गई और कितनी खर्च हुई';

(ग) गाजीपुर में आधुनिक सुविधाओं से युक्त मछली और पॉल्ट्री बाजार विकसित करने की योजना पर अब तक क्या प्रगति हुई; और

(घ) सरकार ने कितनी मंडियो में ई–मंडी परियोजना लागू कर दी है?

fodkl e=h ¼ (क) गाजीपुर मंडी में आधुनिक फूल मंडी और प्रदर्शनी केन्द्र विकसित करने हेतु नक्शे बनाये जा चुके है। यह नक्शे सभी सिविक एजेंसियों द्वारा स्वीकृत हो चुके है। अभी तक डीडीए द्वारा कम्पोजीशन फीस की मांग करने के कारण यह नक्शे डीडीए द्वारा जारी नहीं किए गए थे परंतु विभाग के अथक प्रयासों से 26.4.18 को कम्पोजीशन फीस को माफ करवा लिया गया है। वास्तुकार को इसका डीपीआर बनाने का आदेश दिया जा चुका है। अतः यह डीपीआर बोर्ड द्वारा स्वीकृत होने के उपरांत शीघ्र इस कार्य को कार्यान्वित करने के लिए सभी नियमों का पालन करते हुए निविदायें आमंत्रित की जायेंगी।

(ख) उपरोक्त अनुसार अभी कोई राशि इस कार्य के लिए आवंटित नहीं की गई है और न ही खर्च हुई है।

(ग) मछली मंडी का कार्य पूर्ण हो चुका है। गाजीपुर मंडी में पॉल्ट्री मंडी विकसित करने हेतु भी नक्शे बनाये जा चुके हैं। यह नक्शे सभी सिविक एजेंसियों द्वारा स्वीकृत हो चुके हैं। अभी तक डीडीए द्वारा कम्पोजीशन फीस की मांग करने के कारण यह नक्शे डीडीए द्वारा जारी नहीं किए गए थे परंतु विभाग के अथक प्रयासों से 26.4.18 को कम्पोजीशन फीस को माफ करवा लिया गया है। वास्तुकार को इसका डीपीआर बनाने का आदेश दिया जा चुका है। अतः यह डीपीआर बोर्ड द्वारा स्वीकृत होने के उपरांत शीघ्र इस कार्य को कार्यान्वित करने के लिए सभी नियमों का पालन करते हुए निविदायें आमंत्रित की जायेंगी।

(घ) ई–मंडी योजना को किसी मंडी में लागू नहीं किया गया है किंतु प्रयास जारी है।

186- Jh txnh'k iæekku ½ क्या **ekuuh; fodkl e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली ग्रामीण विकास बोर्ड के ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे की सुविधाएं जुटाने के लिए किन–किन योजनाओं पर काम कर रहा है;

(ख) क्या दिल्ली ग्रामीण विकास बोर्ड का दायरा बढ़ाकर उसमें ग्रामीण और शहरी दोनों तरह के गांवों को सम्मिलित कर लिया गया है;

(ग) वर्ष 2017–18 में बोर्ड को कितनी राशि आवंटित की गई और उसमें से कितनी राशि व्यय की गई;

(घ) वर्ष 2018–19 में इस मद के अंतर्गत कितनी राशि आवंटित की गई;

(ङ) वर्ष 2017–18 व 2018–19 के अंतर्गत कौन–कौन से विकास कार्य किये गए; और इन पर योजना अनुसार कितना व्यय आया?

ekuuh; fodkl e=h ½ (क) दिल्ली ग्रामीण विकास बोर्ड दिल्ली के ग्रामीण एवं शहरीकृत गांवों के लालडोरा क्षेत्र, सिजरा ताकि सरकारी भूमि पर सार्वजनिक सुविधाओं वाले निम्नलिखित विकास कार्यों की संस्तुति करता है:–

- गांवों की सड़कों का निर्माण एवं पुर्ननिर्माण।
- गांवों क तालाबों का विकास कार्य।
- गांवों के पार्क, खेल के मैदान, व्यायामशाला, पुस्तकालय तथा शमशान घाटों का निर्माण कार्य।
- गांवों में पानी की निकासी का निर्माण कार्य।

- गांवों की चौपाल, बारातघर तथा सामुदायिक केन्द्रों का निर्माण कार्य/मरम्मत का कार्य।
- गांवों के दूसरे अन्य कार्य जैसे कि पीने के पानी की सुविधा तथा सड़कों की बिजली का कार्य इत्यादि।

(ख) जी, हां।

(ग) वर्ष 2017—18 में बोर्ड को कुल 100 करोड़ रुपए आवंटित किये गए थे तथा उसमें से 98.64 करोड़ रुपए व्यय किये गए।

(घ) वर्ष 2018—19 में बोर्ड को कुल 200 करोड़ रुपए आवंटित किये गए है।

(ङ) विवरण संलग्न है।*

jk t xkj fun'kky;

187-Jh vkn'k 'kkL=h % क्या **ekuuh; jk t xkj e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नए रोजगार पैदा करने के लिए सरकार की आगे की कार्य योजना की विस्तृत जानकारी;

(ख) बढ़ती बेरोजगारी की स्थिति से निपटने के लिए विद्यालय और कॉलेज स्तर पर रोजगार से संबंधित नए पाठ्यक्रम की वर्तमान स्थिति और आगे की कार्य योजना की जानकारी; और

(ग) द्वारका विधान सभा क्षेत्र की द्वारका जैसी अति पिछड़ी विधानसभाओं में रोजगार पैदा करने के क्या उपाय किये जा रहे है; और

(घ) इन क्षेत्रों के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु क्या सरकार किसी विशेष योजना बनाने पर विचार कर रही है?

---

*www.delhiassembly.nic.in पर उपलब्ध।

jktxkj e=h % (क) नए रोजगार पैदा करने का मैंडेट ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस रुल्स के अनुसार रोजगार विभाग का नहीं है।

(ख) अ – उच्च शिक्षा स्तर परः– सूचना संग्लग्नक 'क' अनुसार।

ब – तकनीकी शिक्षा स्तर परः– सूचना संग्लग्नक 'ख' अनुसार।

स – विद्यालय स्तर परः– सूचना संग्लग्नक 'ग' अनुसार।

(ग) उपरोक्त 'क' अनुसार लागू नहीं है।

(घ) विभाग द्वारा अभी ऐसी कोई विशेष योजना बनाने का प्रस्ताव नही है।

GOVT. OF NCT OF DELHI
DIRECTORATE OF HIGHER EDUCATION
B-WING, 2nd FLOOR, 5 SHAM NATH MARG, DELHI-54.

DHE.5(45)/2018-19/3782 Dated: 02.08.2018

To,

The SERO,
Directorate of Employment,
Govt. of NCT of Delhi,
5, Sham Nath Marg,'D-Block,
New Delhi-110054

Sub: Reply of Legislative Assembly Question No.187 (Unstarred) listed for 08.08.2018.

Sir,

Kindly refer to your letter No.F.5(113)/Emp/Admn./LA/2018/202 dated 31.07.2018 on the above referred subject, for preparing the reply of Question No. 187 for part B as per information made available the universities/institutions under this Directorate is given as under:–

Name of College/University	Rojgar related course
1	2
National Law University	The University is offering BALLB (Hons), 5 Years LLM and PhD programmes through regular mode and also offering following programmes through online/distance/personal contact mode: 1. Post Graduate Diploma in Environmental Law and Policy (PGDELP). 2. Post Graduate Diploma in Urban Environmental Management and Law (PGDUEML) 3. Post Graduate Diploma in Tourism and Envioronmental Laws (PGDTEL) 4. LLM Pro-It is being offering by the University through distance/personal contact mode. Further, the University is also considering the proposals to stard 3 years LLB Programme and also some Diploma Programmes subject to availability of additional infrastructure on the additional land.

1	2
Ambedkar University	The University has launched School of Vocational Studies (SVS) in the year 2017. SVS offers three year B.Voc. programmes in the following fields:– 1. Tourism and Hospitality 2. Retail Management 3. Early Childhood Centre Managements Entrepreneurship The Centre for English language Education (CELE) is also going to launch a three months certificate programme to train graduates to teach English language proficiency It is expected that the participants of certificate programme will become self employable. AUD Centre for Incubation, Innovation and Entrepreneurship (ACIIE) also trains graduates and helps them to become entrepreneurs. The other undergraduate and postgraduate programmes of AUD also focus on imparting skills among students which will help them in world of work. All the programmes of AUD have practical field based curriculum which help them translate theory info practice. Master of Business Administration (MBA), MA in Education, MA in Education in Early Childhood Care and Education, M.Des (Social Design),

1	2
	MPhil in Development Practice, and M Phil Psychoanalytic Psychotherapy are practice based programme which focus on creating professionals who are ready to enter the world of practice/ work.
GGSIP University	1. Career guidance and placement cell for the following subscription:– • Assocham – Architect of Corporate India • FICCI – Voice of India Business and Industry • CII – Indian Industry association stage of Development the industry • AIMA – Source using professional capacity 2. Continued international academic associations membership and regular cooperation with foreign universities. 3. Summer training with selected industries/ companies for internship placements and other projects Formal functional conmpromise. 4. Skills development programs, industrial workshops, employability assessment system test and industry academic coordination.

1	2
	5. The necessary academic ability of students, skills intercollegiate programs for growth and value subject approach and a multi-functional orientation.
	6. For self-enrichment and academic exploration, electives and auditing courses provisions.
	7. Relevant to be required courses improvement and Upgrade.
	8. Srwaginn Development Cultural programs Coaching feature for. sporting activities.
	Apart from the above teaching methods and arrangements, university and association is guaranteed in Prdut colleges that centered teaching methods use of Are expected to include the following new courses/present session
	• Registered nurses and registered basic post babysitter BSc Nursing Course.
	• B.A. (Honors English) Cousre.

Yours faithfully

(ARVIND JAIN)
ADMN. OFFICER, DHE

187- Jh vkn'k 'kkL=h % क्या **if'k{k.k ,o rduhdh f'k{kk foHkkx e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बढ़ती बेरोजगारी की स्थिति से निपटने के लिए विद्यालय और कॉलेज स्तर पर रोजगार से संबंधित नए पाठ्यक्रम की वर्तमान स्थिति और आगे की कार्य योजना की जानकारी, और

if'k{k.k ,o rduhdh f'k{kk foHkkx e=h % (क) अकादमिक वर्ष 2015–16 से 900 सीटों के साथ प्रौद्योगिकी के 09 सरकारी संस्थानों में (B.Voc) पाठ्यक्रम UGC/AICTE द्वारा अनुमोदित,कौशल विकास पर आधारित है और GGSIP विश्वविद्यालय से संबद्ध है। यह पाठ्यक्रम कौशल और व्यावसायिक शिक्षा पर आधारित है जो राष्ट्रीय कौशल योग्यता प्रारूप (National Skill Qualification frame work) के अनुरूप है। उद्योग जगत की आवश्यकता के अनुसार औद्योगिक प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया गया है।

187- Jh vkn'k 'kkL=h % क्या **jktxkj ,o Je e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नए रोजगार पैदा करने के लिए सरकार की आगे की कार्य योजना की विस्तृत जानकारी;

(ख) बढ़ती बेरोजगारी की स्थिति से निपटने के लिए विद्यालय और कॉलेज स्तर पर रोजगार से संबंधित नए पाठ्यक्रम की वर्तमान स्थिति और आगे की कार्य योजना की जानकारी; और

(ग) द्वारका विधान सभा क्षेत्र की द्वारका जैसी अति पिछड़ी विधान सभाओं में रोजगार पैदा करने के क्या उपाय किये जा रहे है; और

(घ) इन क्षेत्रों के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु क्या सरकार किसी विशेष योजना बनाने पर विचार कर रही है?

ekuuh; jktxkj ,o Je e=h % (क) यह प्रश्न शिक्षा विभाग से संबंधित नहीं है।

(ख) दिल्ली सरकार द्वारा 273 सरकारी विद्यालयों में निम्नलिखित रोजगार–परक व्यावसायिक पाठ्यक्रम चलाये जा रहे हैः–

1. ऑटो मोबाइल टेक्नोलॉजी
2. फाइनेन्सियल मार्केट मेनेजमेंट
3. इंफॉरमेशन टेक्नालॉजी
4. रिटेल
5. सिक्योरिटी
6. ट्रेवल एंड टूरिज्म

(ग) शिक्षा विभाग से संबंधित नहीं हैं।

(घ) शिक्षा विभाग से संबंधित नहीं हैं।

188- Jh fotUnz xIrk % क्या **ekuuh; jktxkj e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्षानुसार रोजगार कार्यालयों द्वारा कितने प्रार्थियों को पंजीकृत किया गया और कितने प्रार्थियों को रोजगार उपलब्ध कराए गए;

(ख) उपरोक्त प्रार्थियों को किन–किन उद्योगों, कार्यालयों व विभागों में लगाया गया किन–किन पदों वे पे–स्केल अथवा वेतन पर लगाया गया; और

(ग) उपरोक्त तीन वर्षों में विभाग को कितना–कितना बजट आबंटित किया गया था और कितना–किना व्यय हुआ?

ekuuh; jktLo e=h % (क)

वर्ष	पंजीकृत प्रार्थियों संख्या	रोजगार प्राप्त प्रार्थियों की संख्या
2015	133018	176
2016	72521	102
2017	87138	66

(ख) 1. जिन–जिन विभागों और पदों पर प्रार्थी को नियोजक द्वारा लिया गया है उनकी सूची संलग्न है (सूची संलग्न)

2. जहां तक पे–स्केल का अथवा वेतन से संबंधित मामला है, यह अभिलेख रोजगार विभाग एकत्रित नहीं करता है;

(ग)

वित्तीय वर्ष	विभाग का कुल आबंटित बजट (लाख में)	खर्च (लाख में)
2015–16	674.34	638.46
2016–17	796.80	720.18
2017–18	952.00	794.46
2018–19 (30.07.2018 तक)	1003.00	256.61

DIRECTORATE OF EMPLOYMENT
GOVT OF NCT OF DELHI
PLACEMENT RECEIVED DURING THE YEAR 2015

Sl. No.	Month	Name of Org.	Name of Post	Placement Total
1	Jan. 15	DTC	Cont. Conductors	59
2	Jan. 15	CBI	Steno	1
3	June 15	DIPP, Min Of Commerce	Canteen Attendant	4
4	July 15	LIC of India	Temp. Watermen	66
5	Sep. 15	Air Force Station	LDC	2
6	Sep. 15	Air Force Station	MTS	2
7	Oct. 15	Vinay Nagar Bengali Sr. Sec. School	TGT (Hindi)	1
8	Oct. 15	Ministry of Tribal Affairs	Staff Car Driver	1
9	Oct. 15	Engineers India Ltd.	Apprentice Draftwman (MECH)	5
10	Nov. 15	MAMC	Safai Karamchari	4

11	Dec. 15	Air Force Station	LDC	3
12	Dec. 15	Intelligence Bureau	Waterman	26
13	Dec. 15	DHQ Security Troops	Painter	1
14	Dec. 15	DHQ Security Troops	Washerman	1
			Total	176

DIRECTORATE OF EMPLOYMENT
GOVT OF NCT OF DELHI
PLACEMENT RECEIVED DURING THE YEAR 2016

Sl. No.	Month	Name of Org.	Name of Post	Placement Total
1	2	3	4	5
1	Jan. 16	Air Force Record Office	Hindi Typist	1
2	Feb. 16	Films Division	Peon	1
3	Feb. 16	Air Force Record Office	LDC	1
4	April 16	SIDBI	Development Assistant	2
5	July 16	SGNKGG School	Asst, Teacher	1

1	2	3	4	5
6	July 16	SGNKGG School	Waterman	1
7	July 16	SGNKGG School	PGT Fine Arts	1
8	July 16	Yakult Danone India Pvt. Ltd.	Sales Executives	1
9	July 16	Yakult Danone India Pvt. Ltd.	Trainee Executive - QC	1
10	July 16	IHM, Pusa	Foreman	1
11	July 16	LIC Of India	Temp. Waterman	26
12	July 16	Hmdavss School	Water Carrier	1
13	July 16	CCICIL	Typist Cum Asstt	1
14	July 16	Bank Of India	Safai Karmachari	2
15	July 16	Indian Air Force	Dhobi	1
16.	July 16	National Science Centre	Technician	1
17	July 16	National Science Centre	LDC	1
18	Juy.16	Indian Air Force	Lascar	1
19	Aug. 16	Kerala EDU SSS	PGT (Commerce)	1
20	Aug. 16	Nirmal Pri School	Chowkidar	1

21	Aug. 16	Hindustan Vidyut Products Ltd	Officer (IT)	1
22	Aug. 16	Hindustan Vidyut Products Ltd	Asst. Manager (IT)	1
23	Aug. 16	Hindustan Vidyut Products Ltd	Manager (IT)	1
24	Aug 16	Indian National Science Academy	Assistant-I (F&A)	1
25	Aug. 16	Indian National Science Academy	Assistant-I	3
26	Aug. 16	Raj RIF	MTS	3
27	Aug. 16	Family Court	Staff Car Driver	1
28	Aug. 16	Delhi Kanada SSS	TGT (Hindi)	1
29	Aug 16	Delhi Kanada SSS	TGT (Sanskrit)	1
30	Aug. 16	Delhi Kanada SSS	TGT (Drawing)	1
31	Aug. 16	Delhi Kanada SSS	TGT (Music)	1
32	Aug. 16	Delhi Kanada SSS	Asstt. Teacher	2
33	Aug. 16	DGQA	CMD	1
34	Aug. 16	CCIL	Steno Gr. I	1
35	Aug. 16	MOL&E	Canteen Attendant	2
36	Aug. 16	NIC	Wash Boy	1

1	2	3	4	5
37	Aug. 16	NIC	Junior Hindi Translator	1
38	Aug. 16	NIC	Canteen Attendant	1
39	Aug. 16	Arya Vedic Pathshala	Primary Teacher	3
40	Aug. 16	Rawalpindi SSDSSS	TGT English	1
41	Aug. 16	Rawalpindi SSDSSS	Librarian	1
42	Aug. 16	Rawalpindi SSDSSS	PGT Commerce	1.
43	Aug. 16	Rawalpindi SSDSSS	TGT Hindi	1
44	Sep 16	CSMRS, GOI	Steno Gr.II	1
45	Sep. 16	Bank of India	Safai Karmachari Sepoy	5
46	Sep. 16	OIDC of Daman and DIV	Driver	3
47	Sep. 16	OIDC of Daman and DIV	Group D	1
48	Sep. 16	ISRO	Technician	1
49	Sep. 16	Delhi Kanada SSS	LDC	1
50	Sep. 16	PNB	Peon	2
51	Sep. 16	DUSC School	Peon	1

52	Sep. 16	CAVMSS School	PGT ENG	1
53	Sep. 16	F&N Board	Staff Car Driver	1
54	Sep. 16	UPSC	Staff Car Driver	3
55	Nov. 16	CVD	Fireman	4
			Total	102

DIRECTORATE OF EMPLOYMENT
GOVT OF NCT OF DELHI
PLACEMENT RECEIVED DURING THE YEAR 2017

Sl. No.	Month	Name of Org.	Name of Post	Placement Total
1	2	3	4	5
1	May. 17	Air Force Central	LDC	1
2	May. 17	Air Force Central	LDC	1
3	May. 17	CFSI	Dist. Asstt.	1
4	May. 17	Hindustan Urban Infrastructure Ltd.	Asstt. Manager Budgeting and MIS	1

1	2	3	4	5
		Hindustan Urban Infrastructure Ltd.	CS Trainee	1
4	Aug. 17	LIC of India	Water Carrier	35
5	Aug. 17	Lok Sabha Sectt	Junior Clerk	17
6	Dec. 17	Air Force Station	MTS	1
7	Dec. 17	Air Force Station 31 Movement Control Unit	MTS	1
8	Dec. 17	SGHK Girl School	TGT (Eng)	1
9	Dec. 17	SGHK Girl School	TGT (Maths)	1
10	Dec. 17	SGHK Girl School	TGT (N SC)	1
11	Dec. 17	SGHK Girl School	TGT (PB)	1
12	Dec. 17	226 Coy Asc Sup Type G	Mazdoor	2
13	Dec. 17	226 Coy Asc Sup Type G	TIN Smith	1
			Total	66

189-Jh txnh'k ièkku % क्या **ekuuh; jktxkj eR=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में रोजगार विभाग के मुख्यालय, विभिन्न कार्यालयों तथा रोजगार एक्सचेंजों के अनुसार स्वीकृत तथा रिक्त पदों की विस्तृत जानकारी क्या है;

(ख) उपरोक्त पद कब से रिक्त है और उन्हें भरने के लिए कब–कब क्या–क्या कदम उठाये गए है;

(ग) किस–किस पद के अधिकारी व कर्मचारी दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों में डायवर्टिड केपेसिटी में और कब से भेजे गए है;

(घ) इसके क्या कारण है कि स्टॉफ की कमी के बावजूद भी इस विभाग से अधिकारी व कर्मचारी अन्य विभागों में भेजे गए?

ekuuh; jktLo eR=h % (क) अनुलग्नक 'क' अनुसार।

(ख) कैडर के पदों को भरने की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार के सेवा विभाग की है समय–समय पर इस विभाग द्वारा सेवा विभाग को इस बारे में अवगत कराया गया है। कैडर के रिक्त पदों को सेवा विभाग समय–समय पर भरता रहता है। एक्स कैडर पद पांच वर्ष से अधिक समय से रिक्त है। एक्स कैडर पदों के संबंध में प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा इस विभाग के कार्यभार का अध्ययन किया गया है तथा प्रशासनिक सुधार विभाग ने इन पदों ाको विलुप्त (Lapse) हो जाने के लिये संस्तुति दी है, जिस पर उचित निर्णय हेतु प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ग) अनुलग्नक 'ख' संलग्न है।

(घ) इस विभाग में कार्यभार के अनुपात में स्टॉफ की कमी महसूस नहीं हुई है।

vu|yXud ßdÞ

Revised & Latest Sanctioned Strength in r/o Directorate of Employment, Govt. of IMCT of Delhi as on 01.06.2018

Note: (P) represents posted notionally for pay purpose only

Sr. No.	Name of the Post	Group	Total Post Sanctioned	No. of Post filled	No. of Post Vacant	Cadre Controlling Authority
1	2	3	4	5	6	7
			CADRE STAFF			
1.	Jt. Director	A	1	1	0	Services Deptt.
2.	Dy. Director	A	1	1(P)	0	
3.	SREO	B	19	6+10(P)	3	
4.	Gr-I (DASS)/Supdt./ AEO	B	24	9	15	
5.	Gr-II (BASS)/Head Clerk	C	12	2	10	
6.	Gr-III (DASS)/UDC	C	29	5	24	
7.	Gr-IV (DASS)/LDC	C	132	5	127	
8.	Gr-I (Steno)	B	1	1(P)	0	

9.	Gr-II (Steno)	C	6	3+3(P)	0	
10.	Gr-III (Steno)	C	4	0	4	
11.	Accounts Officer	B	0	0	0	Finance Deptt.
12,	AAO	B	1	1	0	
13.	Statistical Officer	B	6	2	4	Planning Deptt.
14.	Statistical Asstt.	B	11	2	9	
15.	Asstt. Programmer	B	1	0	1	Information Technology Deptt.
16.	DEO, Gr-C	c	1	1.	0	
17.	DEO, Gr-B	C	3	1	2	
	Sub-Total		252	53	199	
	EX-CADRE STAFF					
18.	Jt. Director	A	1	0	1	
19.	SREO (Ex-Cadre)	B	3	0	3	
20.	Planning Officer	B	1	0	1	
21.	Welfare Officer	B	1	0	1	
22.	Psychologist	B	1	0	1	
23.	OIO	B	1	0	1	
24.	ACC	B	3	0	3	

1	2	3	4	5	6	7
25.	Bradma Supervisor	B	4	2	2	
26.	AMO/BMO	B	12	1	11	
27.	Tech. Asstt.	B	9	2	7	
28.	Technical Officer	B	1	1	0	
29.	Driver	C	5	3	2	
30.	Dispatch Rider	D	1	1	0	
31.	Peon	D	42	5	37	
32.	Chowkidar	0	7	4	3	
33.	Sweeper	D	5	2	3	
34.	SCC	D	7	3	4	
35.	Farash	D	1	1	0	
36.	Cleaner	D	2	0	2	
37.	Peon-cum-sweeper	D	1	1	0	
38.	Mali	D	1	0	1	
39.	Daftari	D	3	0	3	
40.	Machine Attendant	D	1	1	0	
41.	Chair Retainer	D	1	1	0	
	Sub-Total		114	28	86	

vuyXud ß[kÞ

Dte. of Employment
Govt. of IMCT of Delhi
IARI Complex, Pusa
Delhi-110012

Following Officers/Officials are on the strength of Dte. of Employment for pay purpose only and are on diverted capacity of other departments since their date of joining in Dte. of Employment:–

Sl. No.	Name and Designation	Date of Diverted Order
1	Rakesh Bhatnagar, Jt. Commissioner	21.12.2017
2	Vinay Kaushik, SREO	26.04.2016
3	Manish Jain, SREO	01.09.2015
4	Buniyad Singh, SREO	26.04.2016
5	Pawan Parvesh, SREO	07.03.2016
6	Chandra Shekhar, SREO	10.05.2016
7	Sanjay Jain, SREO	26.04.2016
8	J.B. Kapil, SREO	05.08.2017
9	Pawan Kr. Jayant, SREO	21.10.2017
10	Lokesh Kr. Rastogi, SREO	03.10.2017
11	Rajni Sharma, Steno Gr-I	31.07.2017
12	Sh. Brahm Prakash, Driver	05.01.2010
13	Sh. Ravinder Singh, Steno Gr-II	20.11.2017
14	Sh. Madan Lai, Steno Gr-II	01.11.2017
15	Sh. Amit Anand, Steno Gr-II	20.03.2018

190- Jh egUn xk;y % क्या **ekuuh; ykd fuekZ.k foHkkx ea=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि माननीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री की अध्यक्षता में दिल्ली में वाई–फाई हॉट स्पॉट बनाने के लिए एक समिति का गठन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो समिति के सभी सदस्यों की सूची उपलब्ध करवाई जाये;

(ग) उस समिति के गठन से वर्तमान समय तक में समिति द्वारा की गई बैठकों व उन बैठकों में लिये गए निर्णयों की पूर्ण जानकारी दी जाए; और

(घ) आईटी विभाग द्वारा इस वित्त वर्ष में कुल कितने वाई–फाई, हॉटस्पॉट बनाए, पूर्ण जानकारी दें?

ekuuh; ykd fuekZ.k foHkkx ea=h % (क) इस बारे में लोक निर्माण विभाग में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ख) उपरोक्त 'क' अनुसार लागू नहीं है।

(ग) उपरोक्त 'क' अनुसार लागू नहीं है।

(घ) उपरोक्त 'क' अनुसार लागू नहीं है।

191- Jh fotsUn xqIrk % क्या **ekuuh; dkjkxkj ea=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली की विभिन्न जेलों में कितने कैदियों की क्षमता स्वीकृत है और वर्तमान में इन जेलों में कुल कितने कैदी रखे गए हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों में कैदियों ने कितनी बार कानून–व्यवस्था की समस्या उत्पन्न की है और इसके परिणामस्वरूप कितने लोग हताहत हुए हैं;

(ग) हाल के वर्षों में सरकार ने कानून और व्यवस्था की समस्याओं को न्यूनतम करने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(घ) विचाराधीन कैदियों की उचित चिकित्सकीय देखभाल तथा भोजन को सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रबंध हैं;

dkjkxkj e=h ¼ (क) दिल्ली की जेलों में कुल 10026 बंदियों को रखने की स्वीकृत क्षमता है जिसके विरुद्ध दिनांक 20.7.2018 को इन जेलों में 15454 बंदी रखे गए हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों में तीन बार मार्च–2017, सितंबर–2017 एवं नवंबर–2017 में कानून–व्यवस्था की गंभीर समस्या उत्पन्न हुई थी जिसमें कुछ बंदियों को चोटें आईं थी। जिसके लिए उनके खिलाफ हरी नगर थाने में उचित कार्यवाही हेतु सूचना भी दर्ज करवाई गयी थी।;

(ग) जेलों में कानून और व्यवस्था की समस्याओं को न्युनतम करने के लिए प्रशासन द्वारा निम्नलिखित कदम उठाये गए हैं:–

1. जेलों में सुरक्षा इंतजाम पुख्ता करने के लिए नाम के पहले अक्षर के अनुसार एवं सुरक्षा की दृष्टि से बंदियों का वर्गीकरण कर अलग–अलग जेलों में रखने के लिए नियम बनाए गए हैं जिससे बंदियों के ग्रुप बनाने की संभावना कम हो जाती है।

2. मानसिक परामर्श के लिए एन.जी.ओ. के द्वारा 60 विशेषज्ञों को अनुमति प्रदान की गई है जो कि जेलों में बंदियों की मानसिक हालत को सुधारने में मदद करेंगे।

3. क्षमता से अधिक बंदियों की समस्या से निबटने के लिए नई जेलों का निर्माण भी किया गया है।

4. 436ए का क्रियान्वयन भी अंडर ट्रायल रिव्यू कमिटी के द्वारा किया जाता है।

5. हर महीने एक लोक अदालत तिहाड़ जेल परिसर में लगाई जाती है जिसमें छोटे अपराध के बंदियों को उनकी स्वेच्छा से निष्पादन हेतु रखा जाता है।

6. बंदियों को लीगल एड की सुविधाएं प्रदान करना।

7. अत्याधुनिक उपकरणों का उपयोग भी जेलों में किया जा रहा है।

8. सीसीटीवी कैमरों का उपयोग भी इन समस्याओं को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

(घ) दिल्ली की सभी जेलों में एक औषधालय हैं इसके अतिरिक्त कारागार संख्या–3 में 120 बिस्तरों का एक अस्पताल भी है। इन औषधालयों एवं अस्पताल में 85 डॉक्टर्स एवं 150 पैरा मेडिकल स्टॉफ उपलब्ध है जो कि बंदियों को 24 घंटे स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं प्रदान करने के लिए नियुक्त किए गए हैं। नैदानिक उपचार के लिए एक्स–रे, ईसीजी एवं अन्य सुविधाएं भी यहां उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त यहां डेन्टल, आंख–नाक–कान के लिए क्लिनिक भी लगाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त बंदियों को स्वास्थ्य संबंधी विशेष उपचार प्रदान करने के लिए सुपर स्पेशयलटी अस्पतालों में भी भेजा जाता है। कारागार विभाग द्वारा स्थापित सभी औषधालय में एमआई रुम भी हैं। जिसमें 10 से 20 बिस्तरों तक का प्रावधान है।

जेल प्रशासन द्वारा बंदियों को दिया जाने वाला भोजन मेडिकल

ऑफिसर एवं जेल के अधिकारियों द्वारा जांचा जाता है। बंदियों को जेल में दिये जाने वाले खाने का डाइट चार्ट संलग्न है।

(ङ) 1. कैदियों की सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से जेलों की विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों सीसीटीवी कैमरे लगवाये गये हैं जिससे किसी भी स्थान पर उत्पन्न हुई स्थिति को काबू किया जा सके।

2. जेल के प्रवेश द्वार बंदियों की सर्च लेने के अतिरिक्त जेल के अंदर वार्डो में नियमित रूप से सर्च की जाती है एवं किसी भी प्रतिबंधित वस्तुएं जैसे मैटल से बनी वस्तुएं जो किसी अन्य बंदी को नुकसान पहुंचा सकती है, को जेल में जाने से रोका जा सकता है।

3. जेलों के प्रवेश द्वार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से डोर फ्रेम मैटल डिटेक्टर, एक्स–रे स्कैनर भी स्थापित किए गए है जिनके द्वारा बंदियों द्वारा लाये गये सामान की गहन रूप से सर्च की जा सकती है।

4. जेलों में सुरक्षा इंतजाम पुख्ता करने के लिए नाम के पहले अक्षर के अनुसार एवं बंदियों के वर्ग के अनुसार अलग–अलग जेलों में रखने के लिए नियम बनाए गए हैं जिससे बंदियों के ग्रुप बनाने की संभावना कम हो जाती है।

5. किशोर बंदियों को अलग से कारागार संख्या–5 में रखा जाता है जिससे उनको अन्य आपराधिक प्रवृत्ति के वयस्क बंदियों से अलग रखा जा सके।

6. महिला बंदियों सुरक्षा की दृष्टि से कारागार संख्या–6, तिहाड़ एवं कारागार संख्या–16 मंडोली में अलग रखा जाता है।

(च) सरकार बंदियों को जेल से छूटने के बाद समाज में स्थापित करने के उद्देश्य से वित्तिय सहायता प्रदान करती है जिससे बंदी जेल के दौरान सीखे गए कौशल को इस्तेमाल कर अपना कोई काम स्थापित कर सके।

Annexure

DIET CHART FOR PRISONERS LODGED IN TIHAR JAIL

Diet Provided to R.I. Convicts

Sl. No.	Item	Quantity
1	2	3
1.	Atta	500 grams
2.	Biscuits	30 grams
	Diet Provided to UT and S.I. Convicts	
1.	Atta	400 grams
2.	Biscuits	25 grams
	Items Provided to all Convicts/Undertrails per day	
1.	Bread	02 pieces
2.	Dal	90 grams
3.	Condiments	07 grams
4.	Salt	15 grams
5.	M. Oil	25 grams
6.	Vegetable	250 grams
7.	Rice	400 grams
8.	Gur	60 grams
9.	Imli	3.5 grams

1	2	3
10.	Milk for Tea	50 grams
11.	Tea leaf	03 grams
12.	Sugar	25 grams
13.	Potatoes with Bread (For Breakfast)	50 grams
14. .	Rice Kheer (Twice a week)	10 grams
15.	Kheer Sugar (Twice a week)	07 grams
16.	Kheer Milk (Twice a week)	25 grams
17.	Soyabean (Weekly)	25 grams

Diet provided to the Children per day

Hon'ble Supreme Court in R.D. Upadhyay Vs. State case has mentioned the following diet for the children living with their mother on the recommendation of expert Committee. Children from the ages of 6-12 months, 1-3 years and 4-6 years, respectively; Cereals and Millets 45, 60-120 and 150-210 grams respectively; Pulses 15, 30 and 45 grams respectively; Milk 500 ml (unless breast fed, in which case 200 ml); Roots and Tubers 50, 50 and 100 grams respectively; Green Leafy Vegetables 25, 50 and 50 grams respectively; Other Vegetables 25, 50 and 50. grams respectively; Fruits 100 grams; Sugar 25, 25 and 30 grams respectively; and Fats/Oils (Visible) 10, 20 and 25 grams respectively.

192- Jh iadt iq"dj % क्या **ekuuh; i'kklu e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों के पदनाम के अनुसार स्थायी सीयूजी नंबर दिए गए हैं;

(ख) क्या अधिकारियों के ट्रांसफर के साथ उस पद पर कार्यरत अधिकारी का नंबर बदल जाता है; अलग–अलग विभागवार स्थिति से अवगत कराएं;

(ग) किन किन विभागों के अधिकारियों को पदनाम के अनुसार निश्चित सीयूजी उपलब्ध सीयूजी नंबर गए हैं; सूची उपलब्ध कराएं, और

(घ) अधिकारी के स्थानान्तरण के साथ अधिकारी का मोबाइल नंबर बदलने से होने वाली जन–असुविधा से बचने की सरकार की क्या कार्य योजना है?

ekuuh; lkekU; i'kklu e=h % (क) से (च) दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों से सूचना एकत्रित की जा रही है/सूचना एकत्रित होने पर सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

193- Jh jkts'k _f"k % क्या **ekuuh; mi&eq[; e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फॉयर सर्विसेज में कितने कर्मचारी कार्यरत हैं, उनका पूर्ण विवरण दें।

(ख) कितने स्टॉफ की कमी है और इनकी बहाली कब तक की जाएगी।

(ग) क्या यह सत्य है कि फॉयर बिग्रेड की 60 फॉयर टेंडर 6 महीने से खड़ी है।

(घ) यदि हां तो उन गाड़ियों को किस कारण से उपयोग में नहीं किया जा रहा है।

(ङ) जनकपुरी में फॉयर सर्विसेज द्वारा जनकपुरी के किन–किन हॉस्पीटल, होटल्स, फैक्ट्रीज और रेस्टोरेंट्स को फॉयर क्लीयरेंस दी गई है।

(च) क्लीयरेंस देने के मानक क्या हैं पूर्ण विवरण दें और क्लीयरेंस की कॉपी भी उपलब्ध करवाएं।

(छ) डिस्ट्रीक सेंटर की सभी बिल्डिंग्स और एंबियंस मॉल की बिल्डिंग को दिए गए फॉयर क्लीयरेंस की कापी प्रस्तुत करें।

(ज) क्या यह सत्य है कि जनकपुरी में फॉयर सर्विसेज के लिए डिस्ट्रीक सेंटर के पास जमीन अलॉट है।

(झ) यदि हां, तो यह फॉयर स्टेशन कब बनाया जाएगा।

(ञ) फॉयर सर्विसेज के पास मल्टीस्टोरेज बिल्डिंग्स में लगने वाली आगे को बुझाने की क्या योजना है।

(ट) क्या सरकार की मल्टीस्टोरीज़ के लिए नई अति–आधुनिक लिफ्ट वाली फॉयर की गाड़ियों को खरीदने की कोई योजना है, और

(ठ) क्या तंग गलियों में आग लगने पर आग बुझाने हेतु बाइक फॉयर टेंडर की सरकार की योजना है।

ekuuh; mi&e|[; e=h % (क) दिल्ली फॉयर सर्विस में कर्मचारियों की सूची संलग्न है। (अनुलग्नक—क)

(ख) उपरोक्त क के अनुसार

(ग) हां, यह सत्य है। लेकिन यह गाड़यां अप्रैल 2018 से खड़ी है।;

(घ) यह गाड़ियां दिल्ली में डीजल गाड़ियों के नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के प्रतिबंध की वजह से खड़ी हैं। इस संदर्भ में एनजीटी में याचिका दायर है।

(ङ) सूची संलग्न हैं। (अनुलग्नक—क)

(च) दिल्ली फॉयर सर्विस एक्ट—2007 व नियम—2010 के अंतर्गत अग्नि सुरक्षा मानक नियम—33 में दिये गये मानकों के अनुसार होते हैं (अनुलग्नक—ग)

(छ) कापी संलग्न है। (अनुलग्नक—घ)

(ज) असत्य है। जनकपुरी डिस्ट्रीक सेंटर के पास कोई जमीन अलॉट नहीं है।

(झ) कृपया उपरोक्त उत्तर (ज) देखें।

(ञ) सभी मल्टीस्टोरेज़ बिल्डिंग्स में आग को बुझाने के लिए इंटरनल फिक्सड फॉयर फाइटिंग उपकरणों का प्रावधान है इसके अतिरिक्त उंची सीड़ियां (हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म) उपलब्ध हैं।

(ट) हां, इस वर्ष के अंतर्गत इन वाहनों को खरीदने की योजना है।

(ठ) विभाग के पास अभी दस बाईक फॉयर टेंडर है। इसके अलावा 11 छोटी गाड़ी (क्यूआरटी) भी है।

vuyXud ßdþ

Consolidated Staff Position in Delhi Fire Service as on 30-04-2018

Number of Posts

Sl. No.	Name of the posts	Sanctioned Filled	Promotion	Filled Direct	Total Filled	Vacant Promotion	Vacant Direct	Total Vacant posts
1	Director	1	1	–	–	1	–	–
2	Chief Fire Officer	5	2	–	2	1	2	3
3	Dy. Chief Fire Officer	5	5	–	5	–	–	–
4	Divisional officer	9	1	2	3	5	1	6
5	Asst. Divisional Officer	24	21	–	21	3	–	3
6	Station Officer	90	28	03	31	17	42	59
7	Sub Officer	172	115	16	131		41	41
8	Leading Fireman	422	350		350	72	–	72
9	Fire, Operator/ Fireman	2367	–	1142	1142	–	1225	1225
10	Radio Telephone Operator	100	–	35	35	–	65	65
	Total	3195	523	1198	1721	98	1376	1474

vuyXud ß[kÞ

UNSTARRED VIDHAN SABHA QUESTION NO 193
INDL = NIL

	Hotel		
1	Hilton (Piccadily Hotel) Distt. Centre Janak Puri	FSC	761/20.04.2018
	Hospital		
1	Mata Chanan Devi Hospital C 1 Janak Puri	FSC	1374/06.09.2016
2	Suraksha Diagnostic Pvt. Ltd. C 1/2 Janak Puri	NOCNR	764/29.03.2016
	Restaurant		
1	The Pindi Rest. At C 1/122 Janak Puri For VM Enterprises (Indian Cuisine)	FSC	344/03.03.2016
2	Barbeque Nation B-L/623 Janak Puri	FSC	1206/08.07.2015
3	Dilli Darbar (Sampoorna Dakshin) F 20 UGF Distt. Centre Janak Puri Delhi	FSC	395/20.03.2015
4	Columbus Restt, Shop No 29 Distt Centre Janak Puri	NOC	1718/10.06.2009
5	Mc Donalds Family Rest R 1 Janak Palace Janak Puri	FSC	'86/12.01.2018
6	Jmd Hotels P Ltd Bemisal Restt. B 26 27 Comm Centre B Block Janak Puri	FSC	305/24.02.2016
7	KFC Restt. UGF C 1/33 Lal SaP Mandir Marg Janak Puri	FSC	1093/16.05.2018
8	Burger King Unit No. G 5 Orchard Road Janak Puri West Metro Station At Multilevel Car Parking Commercial Complex	FSC	2016/09.11.2015
9	Haldiram Products GF 10 11 Unity One Mall and MLCP PRKG Janak Puri Near JKP Metro Station	FSC	1375/06.09.2016
10	Barbeque Nation Restaurant Unit No. 206 SF Unity One SF Janak Puri West Metro Station	SC	923/03.06.2016

FSC – Fire Safety Certificate

vu|yXud ßxþ

33. Minimum standards for fire prevention and fire safety for buildings.

(1) The minimum standards for fire prevention and fire safety for buildings as may be applicable with reference to the height of the building and class of occupancy for the purposes of section 32 and section 35 of the Act shall be as are provided in the building bye-laws or National Building Code of India 2005 relating to the following matters:–

(1) Access to building

(2) Number, Width, Type and Arrangement of exits.

(3) Protection of Exits by means of fire check door (s) and or pressurization.

(3) Compartmentation.

(4) Smoke Management System.

(5) Fire Extinguishers.

(6) First-Aid Hose Reels.

(7) Automatic fire detection and alarming system.

(8) MOEFA.

(10) Public Address System.

(11) Automatic Sprinkler System.

(12) Internal Hydrants and Yard Hydrants.

(13) Pumping Arrangements.

(14) Captive Water Storage for fire fighting.

(15) Exit Signage.

(16) Provision of Lifts.

(17) Standby power supply.

(18) Refuge Area.

(19) Fire Control Room.

(20) Special Fire Protection Systems for Protection of special Risks:

27. Classes of occupancies likely to cause a risk of fire. The following classes of occupancies for the purposes of sub-section (1) of section 25 of the Act shall be construed to likely cause a risk of fire, namely:–

(1) Pandal having seating capacity more than 50 persons or covered area more than 50 square meters.

(2) Residential buildings (other than hotels and guest houses) having height more than 15 meters or having ground plus four upper stories including mezzanine floor.

(3) Hotels and guest houses having height more than 12 meters having ground plus three upper stories including mezzanine floor.

(4) Educational buildings having height more than 9 meters or having ground plus two upper stories including mezzanine floor.

(5) Institutional buildings having height more than 9 meters or having ground plus two upper stories including mezzanine floor.

(6) All Assembly buildings.

(7) Business buildings having height more than 15 meters or having ground plus four upper stories including mezzanine floor.

(8) Mercantile buildings having height more than 9 meters or having ground plus two upper stories including mezzanine floor.

(9) Industrial buildings having covered area on aII floors more than 250 square meters.

(10) Storage buildings having covered area on all floors more than 250 square meters.

(11) All Hazardous buildings having covered area on all floors more than 100 square meters.

(12) Underground Structures.

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
HEADQUARTERS: DELHI FIRE SERVICE: NEW DELHI-110001

No. /F.6/DFS/MS/Mall/SZ/2017/33 Dated 06.01.17

FIRE SAFETY CERTIFICATE

Certified that the Ambiance Mall, located at Plot No.2, Nelson Mandela Road, Vasant Kunj, New Delhi comprises of three tier Basement, Ground floor and 3 Upper Floors was granted FSC by this department vide letter No. F6/DFS/MS/2013/SZ/1140 dated 30.10.2013. The premises was re-inspected by the officer concerned of this department on 27.12.2016 in the presence of

Mr. I.P. Singh (Chief Security Officer) and found that the said Mall building have deemed complied with the fire prevention and fire safety requirements in accordance with rule 33 of the Delhi Fire Service Rules, 2010 and that the premises is fit for occupancy class **"Mixed Occupancy (Mercantile & Assembly)"** with etfect from 09.01.2017 for a period of three years in accordance with rule 36 unless renewed under rule 37 or sooner cancelled under Rule 40 and subject to compliance of the conditions under rule-38 of the Delhi Fire Service Rules, 2010.

Issued on 09.01.17 at New Delhi by.

(Vipin Kental)
Chief Fire Officer
Tel: 011-23412225

Copy to:-

1. The Joint Director (Bldg.) C&I DDA, Vikas Sadan, INA, New Delhi.

2. Sh. Vinod Garg (Authorized Signatory), Ambiance Mall, located at Plot No. 2, Nelson Mandela Road, Vasant Kunj, New Delhi

Conditions for the validity of fire safety certificate:

1. All the means of escape/entry/exit shall be kept free from any obstruction.

2. All the fire safety arrangements provided therein shall be maintained in good working condition at all time as seen during inspection. Any loss of life or property due to non-functional fire safety measures shall be at the responsibility to the management.

3. All the staff members must know the correct method of operation of firefighting system.

4. The owner occupier shall submit a declaration every year in Form 'K' provided in the first schedule of Delhi Fire Service Rules 2010. The form is available on *www.dfs.delhigovt.nic.in*.

5. This fire safety certificate may not in any way be treated as regularization of unauthorized construction, if any.

6. "The owner/occupier shall apply for renewal o this Fire Safety Certificate to the Director in Form 'J' [sub rule (1) of rule 37] along with a copy of this Certificate, six months prior to its expiry."

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
HEADQUARTERS: DELHI FIRE SERVICE:
NEW DELHI-110001

No. F6/DFS/MS/2015/WZ/1647 Dated: 10.09.2015

FIRE SAFETY CERTIFICATE

Certified that **Ambience Tower, 2B-2, Twin District Center, Sector-10, Rohini, Delhi** comprised of **03 Basement +Ground+09 upper floors,** owned /occupied by Ambience Towers Pvt. Ltd, have complied with the fire prevention and fire safety requirement in accordance with rule 33 of the Delhi Fire Service Rule, 2010 and verified by the officer concerned of Fire Service on **19.08.2015** in the presence of **Mr. Katyal & SH. Shanti Kumar (Project Manager)** and the building/premises is fit for occupancy **Class Business**

Building (Mall) with effect from **10.09.2015** the date of issue os this certified for a period of three years in accordance with rule 36 unless renewed under rule 37 or sooner cancelled under Rule 40 and subject to compliance of the conditions under rule- 38 of the Delhi Fire Service Rule,2010.

Conditions for the validity of fire safety certificate:

1. Means of escape shall not be kept locked of bolted from outside and shall be easily open able by guests in an event of emergency.

2. All employees shall be acquainted with the use and maintenance of all the firefighting installation/equipment's.

3. The fire suppression / protection, arrangements provided are to minimize losses, if maintained in good working condition. These system cannot give any guarantee that there will be no fire or losses in the event of one.

4. Any loss of fire and property due to non-functional and removal of fire safety arrangements and other installations shall be the responsibility of the license.

5. This report may not in any way be treated as regularization of unauthorized construction, if any.

6. The basement shall be used strictly as per the provisions of building bye laws.

7. No changes in the building effecting means of the escape arrangements shall be made by management without approval from DFS.

8. The escalators sealed by management with bison boards shall not be

opened after getting due approved of scheme from DFS and its implementation.

9. The owner / occupied shall apply for renewal of this Fire Safety Certificate to the Director of Form 'j' [sub rule (1) of rule 37] along with a copy of this certificate,six months prior to its expiry".

10. The owner / occupier shall submit a declaration every year in form "k" provided in the first schedule of Delhi Fire Safety Rules 2010. The form is available on www.dfs.Delhigovt.nic.in

11. Any opening made horizontally or vertically or maintenance & other purpose shall be sealed to check the spread of fire & smoke horizontally or vertically.

12. The set back areas shall be checked by DDA.

Issued on 10.09.15 at New Delhi.

(Santokh Singh)
Chief Fire Officer
Delhi Fire Service
Tel. -011-23424250

Copy to:-

1. Dy. Director (Building) C&I, DDA C-1, 2nd floor, Vikas Sadan, New Delhi.

2. Ambience tower, 2B-2, Twin District Center, Sector-10, Rohini, Delhi

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI HEADQUARTERS: DELHI FIRE SERVICE: NEW DELHI-110001

No. F6/MS/DFS/98/1603 Dated: 17.08.98

To

Sh. Ashok Aggarwal
Commercial Manager,
Sudarshan Housing &Finance Ltd.,
Sagar Complex, L.S.C.,
New Rajdhani Enclave,
Vikas Marg,
New Delhi

Sub: Issuance of NOC from fire safety point of view in r/o Plot No. 14, Distt. Centre Janakpuri, New Delhi.

Sir,

Kindly refer your letter No. SHFL: TOWER: 98-99 dt. 28.7.98 on the subject cited above. In this connection it is to inform you that the Inspection of the aforesaid premises has been carried out by the tees of officers of this deptt. to see the compliance of the fire safety recommendations issued by this deptt. wide letter No. F.6/DFS/MS/8P/96/541 dt. 14.4.96 and F.6/MS/DFS/98/146 dt. 03.8.98.

During the course of Inspection the fire safety measures such as Underground and overhead water storage tanks, wet riser/down comer system, hose reels, sprinkler system, automatic detection system, PA system, mannual alarm

system, exit signs, smoke check doors, floor marking and portable fire extinguishers were checked/operated and found in good working condition at the time of inspection.

In the view of above said satisfactory fire protection measures in building, this deptt. has no objection from fire safety point of view, subject to the condition that this deptt. cannot be held responsible for any lapse in workability of fire safety arrangements during any emergency. The management shall make sure the fire safety/fire fighting arrangements provided therein shall be kept in good working condition all the time.

Yours faithfully,

DY. CHIEF FIRE OFFICER
FOR CHIEF FIRE OFFICER
DELHI FIRE SERVICE

HEADQUARTERS: DELHI FIRE SERVICE: NEW DELHI.

No. F.6/DFS/MS/92/790 **Dated: 27.04.92**

To

Sh. M.L. Ticku
General Manager,
Ajay Enterprises Ltd.,
International Trade Tower,
Nehru Place,
New Delhi-110019.

Sub: Fire Inspection of Vishal Tower, Plot No. 10. Distt. Centre, Janak Puri, New Delhi-110058.

Sir,

Please refer to your letter No. AEL/VT/WDC/92, dated 7.4.92 on the subject cited above. In this connection it is to inform you that the re-inspection of above said premises has been carried out by Dy. Chief Fire Officer R.C. Sharma accompanied by Asstt. Div. Officer Umed Singh on 9.10.91 to see the compliance of the directives of this department communication to you vide letter No.F.6/MS/DFS/86/146 dated 10.2.87 and the shortenings observed during the earlier inspection carried out on 3.2.92.

During the course of inspection the following points were observed:–

1. The Management (M/s. Ajay Enterprises Ltd.) have been provided a pacca road on the eastern side(Police Station Side) and the build. approachable by the fire appliance from police Stn. Side. The construction of read work on West side is in progress by DDA.

2. The other fire protection arrangements/systems such as underground and overhead storage tank for fire fighting purpose. Wet riser system ,hose reel, hose-box, fire service Inlets, yard hydrants, draw-off connection, fire-pumps, P.A. system, sprinkler system in the entire bldg., Portable fire extinguishers. ISI mark, fire detection and alarm system, illuminated exit signs, fireman's switch in two lifts have been provided. All the fire fighting equipments /installation were checked and found in functional condition at the time of earlier inspection.

3. All horizontal and vertical shafts have been sealed.

4. Fire/smoke check doors have been provided in the lift and staircase lobby and place where it required for the purpose of segregation.

5. Stand by generator has been provided in he basement and found functional.

6. Refuge area have been provided on the 4th, 6th and 9th floor.

7. Sump Pump have been provided and found functional.

8. Inter communication system have been provided in the entire bldg.. and found functional.

9. Mechanical ventilation system have been provided on the basement for taking out the smoke /hot gases in case of fire. The system was operated and found in working condition at the time of inspection.

Keeping in view the above, Delhi Fire Service has no objection from fire safety and means of escape point of view for the occupancy of the said bldg. However, the following directives must be strictly adhered to:–

1. Means of escape shall always be kept free of any obstruction for quick evacuation.

2. Clear unobstructed access way all around the bldg. must be maintained for free movement of fire/rescue appliances to effect the safe fire fighting and rescue operations.

3. All employees shall be acquainted with the use of and maintenance of the fire fighting installation/equipments.

4. All the fire fighting installation/equipments seen during the inspection shall be available in good repairs at all times. Any lapse rendering fire fighting equipments non-functional shall be at the risk and responsibility of the management and liable for action under the Delhi Fire Prevention and Fire Safety Act, 1986, rule there under made in 1987.

Yours Faithfully,

DY. CHIEF FIRE OFFICER
DELHI FIRE SERVICE.

Copy to:-

Sh. Shashi Kant
Dy. Director (Bldg.) Comml,
DDA, Vikas Sadan,
INA, New Delhi

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI HEADQUARTERS: DELHI FIRE SERVICE: NEW DELHI-110001

N.F6/DFS/MS/Complaint/2017/SZ/2893 Dated: 8.11.17

To,

The Chairman,
Public Grievance Monitoring System,
Govt. of NCT of Delhi, I.P. Estate
New Delhi

Sub: Regarding obstructions at exit points due to parking, pots, cement pipes etc. and not maintaining fire safety standards at Suneja Tower-1, 7, District Center, Janakpuri, New Delhi-110058.

Sir,

This has reference to you letter PGMS ID 2017005816 dated 27.09.2017 on the subject cites above. In this regard it is to inform you that the inspection of above mentioned premises has been carried out by the officers concerned to this department on 17.10.2017 after served an entry notice vide letter no. ADO/JKP/338 dated 16.10.2017.

During the course of inspection it was observed that the aforementioned building is comprised of Basement, ground floor plus six upper floors. The premise is accessible to fire appliances through South East & South East only. The following shortcomings were observed:–

1. Internal road blocked by SDMC parking.
2. Lift lobby and fire check doors are missing at each floor level.
3. Electrical shafts doors are not having fire check doors.
4. Electrical, telephone and fire shafts are not sealed at numbers of places.

5. Ventilation system is missing at basement level.
6. Lift communication and floor marking are missing.
7. Lift shaft pressurization not provided.
8. Emergency lighting not provided.
9. Hose reel system is not functional.
10. House boxes are without 02 fire hoses and 01 branch pipe.
11. Automatic fire detection and alarm system found missing at each floor level.
12. MOEFA found missing.
13. PA System is missing.
14. Sprinkler System are removed at few places and are not functional.
15. Internal fire hydrants are not functional.
16. Yard hydrants system is not functional.
17. Fire Pumps of 2400 LPM (03 no.'s) capacity One Diesel driven pump and two electrical plus one Jockey pump found not functional.
18. Illuminated exit signs are missing.
19. Fire Control Room is non-functional.
20. There are offices in basement instead of storage.

Hence above mentioned shortcomings were issued to Sh. M. Ansari (Estate Manager), Sureja Tower-I, 7, District Center, Janakpuri, New Delhi-110058 vide letter no. ADO/JKP/340 dated 17.10.2017 and given 90 days (i.e. upto 5.01.2018) time to rectify the above mentioned shortcomings.

Your's Faithfully,

(VIPIN KENTAL)
CHIEF FIRE OFFICER

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
HEADQUARTERS: DELHI FIRE SERVICE: CONNAUGHT PLACE, NEW DELHI-110001

No. F6/DFS/MS/2018/09 Dated: 11.5.18

SHOW CAUSE

Whereas the building named Suneja Tower-I, Plot no.- 7, District Center, Janakpuri, New Delhi-110058 is covered under Rule 27(7) of Delhi Fire Services Rules 2010.

And Whereas a notice for entry as per section 33(1) was given on 16.10.2017 vide letter no. ADO/JKP/338 dated 16.10.2017 and the building was inspected on 17.10.2017 to verify the status of fire safety measures in accordance with provisions under Rule 33 of aforesaid Rules and the notice for carrying out the directions of the Nominated Authority under sections 43(2) granted 90 days timeunder the provisions of Rule 39(1) was given vide letter no. ADO/JKP/340 dated 17.10.2017 and 90 days additional time under the provisions of Rule 39(2) was given v ide letter no. ADO/JKP/73 dated 08.03.2018.

And Whereas, after expiry of 180 days time period building was re inspected on dated 16.04.2018 and observed that the fire safety measures mentioned in the letter no. ADO/JKP/340 dated 17.10.2017 have not been provided/maintained in good working conditions as required under the Rules.

Now, therefore, I, VIPIN KENTAL (C.F.O. South), Delhi Fire Services and empowered under the Act hereby call upon you to Show Cause as to Why the building b e not declared unfit for continuance of occupancy from fire safety point of view and issue order for disconnection of electricity and water supply beside intimation of other penal action as per the Delhi Fire Service Act 2007 and Rules 2010.

You reply must reach to the undersigned within fourteen (14)days from date of issue of this show cause notice failing which it shall be presumed that you have nothing to submit and action will be in initiated without any further notice.

(VIPIN KENTAL)
CHIEF FIRE OFFICER
DELHI FIRE SERVICE

To,

Mr. M. Ansari (Estate Manager),
Suneja Tower-I, Plot no.-7, District Center,
Janakpuri, New Delhi-110058

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
HEADQUARTERS: DELHI FIRE SERVICE: CONNAUGHT PLACE, NEW DELHI-110001

No. F6/DFS/MS/2017/SZ/226, 7 Dated: 1.9.17

To,

Sh. S.K. Anand (General Secretary),
Suneja Tower-II Flat Owners Welfare Association (Regd.), 210,
Suneja Tower-II, District Center, Janakpuri, New Delhi-110058.

Sub: Regarding issuance of Fire Safety Certificate in r/o Plot No.-12, Suneja Tower-II, District Center, Janakpuri, New Delhi-110058.

Sir,

This has reference to your letter No. STII/FOWA/2017/05/02 dated 05.05.2017 on the subject cited above. In this regard it is to inform you that the above said premises has been inspected by the officers concerned of this

department on 12.8.2017 to ensure the compliance shortcomings already issued vide this office letter No. F6/DFS/MS/2015/953 dt. 12.5.2015. Sh. Kuldeep Singh (Maintenance In-charge) was present at the time of inspection.

During the course of inspection it was observed that the aforementioned Basement, Ground Floor (Shops), Upper ground floor plus eight upper floors (Offices). The NOC was issued vide letter no. F6/DFS/MS/92/2051 dated 23.11.92. The building is approachable to the fire fighting vehicles. The existing fire protection arrangements such as Fire Extinguishers, Hose Reel System, Automatic Sprinkler system, Fire Pumps, Over Head water storage tank etc. are provided in the premises. The electrical wiring was seen concealed and the electric supply was passing through MCB's. The following shortcomings were observed:–

1. Fire Check doors are missing in the basement.
2. Automatic fire detection/manual alarm were found partially provided.
3. Illuminated exit signs are missing at few places.

You are advised to rectify the above-mentioned shortcomings for taking further action as necessary for grant of Fire Safety Certificate.

Your'sFaithfully,

(VIPIN KENTAL)
CHIEF FIRE OFFICER

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
HEADQUARTERS: DELHI FIRE SERVICE:
CONNAUGHT PLACE, NEW DELHI-110001

E-mail:-*cfohq.dlfire@nic.in* Fax: - 011-23412593
No. F6/DFS/MS/2018/09 Dated: 11.5.18

ORDER

Whereas the building named Suneja Tower-II, Plot No.-12, District Center, Janakpuri, New Delhi-110058 is covered under Rules27(7) of Delhi Fire Services Rules 2010.

And Whereas the building was inspected on 01.05.2015 to verify the status of fire safety measures in accordance with the provisions of the law and it was observed that requisite fire safety measures were not provided and a time period 60 days was granted vide letter no. F6/DFS/MS/2015/1653 dated 23.07.2015 to rectify the shortcomings.

And Whereas, again the building was re-inspected on 20.10.2015 to verify the compliance of shortcoming already pointed out by this department on12.05.2015 and observed that the fire safety measures mentioned/pointed out have not been provided/maintained in good working condition as required under Rules, and again time period 90 days was granted vide letter no. F6/DFS/MS/2015/1653 dated 23.07.2015 to rectify the shortcomings.

And Whereas, the building was again re-inspected on 20.10.2015 to verify the compliance of shortcomings already pointed out by this department on 12.10.2015 and observed that the fire safety measures mentioned/pointed out at SI no. 1,2,4,5,6,7& 8 have not been provided/maintained in good working condition as required under the Rules.

And Whereas, a Show Cause notice was issued vide letter no. F6/DFS/MS/2015/08 dated 03.11.2015 for which reply has been submitted vide letter no. Nil dated 17.11.2015 by the owners/occupiers and found not satisfactory.

Now, therefore, I Dr. G.C. Mishra, Chief Fire Officer, Delhi Fire Service being competent authority under sub Rule 3 of 38 Delhi Fire Service Rules 2010 having satisfied myself that building is not safe for the occupancy and thus

hereby order to disconnect electricity and water supply to your premises with immediate effect in the interest of public safety till such time the required minimum fire safety standards are provided/found functional in the building and verified by Nominated Authority.

(DR. G.C.MISRA)
CHIEF FIRE OFFICER
DELHI FIRE SERVICE

Copy to:-

1. The Chief Executive Officer, Consumer Hearing Cell, BSES Rajdhani Power Limited, District Center Janakpuri, Vikaspuri, New Delhi-110058, with the request to disconnect electricity supply to the entire building and compliance report sent to this department for records.

2. The Chief Executive Officer, Delhi Jal Board, Varunalaya Phase-II, Karol Bagh, New Delhi- with the request to disconnect water supply to the entire building and compliance report sent to this department for records.

3. The Estate Manager, Suneja Tower II, Plot No. 12, District Center, Janakpuri, New Delhi 110058.

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
HEADQUARTERS: DELHI FIRE SERVICE: CONNAUGHT PLACE, NEW DELHI-110001

No. F6/DFS/MS/2015/S2/2085 Dated: 19.11.15

FIRE SAFETY CERTIFICATE

Certified that the **Janak Puri Club,** Plot No.17, Janak Puri District Center

Complex, Janak Puri, New Delhi-110058 is comprised of two Basements, Ground Plus three Upper Floors (2ndBasement is sealed with brick wall). The first basement is used as parking, ground floor having reception, dinning halls, kitchen, bars & offices, first floor having party hall, kitchen, card rooms, carom room, second floor having halls and third floor having 07 guest rooms. The above mentioned club building was inspected by the officers concerned of this department on 26.09.2015 in the presence of Sh. Prem Singh Choudhary (Manager) and fire safety requirement in accordance with rule 33 of the Delhi Fire Services Rules, 2010 and that the building/premises is fit for occupancy class Group D assembly building w.e.f. the date of issue of this certificate for a period of three years in accordance with rule 36 unless renewed under rule 37 or sooner cancelled under Rule 40 and subject to compliance of the conditions under rule-38 of the Delhi Fire Services Rules, 2010 printed overleaf.

Issued on 19.11.15 at New Delhi.

Yours Faithfully,

(Dr. G.C. Misra)
Chief Fire Officer
T.No. 23414333

Copy to:-

The Manager
Janak Puri Club, Plot No. 17,
Janak Puri District Center Complex
Janak Puri, New Delhi-110058

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI HEADQUARTERS: DELHI FIRE SERVICE (DFS), NEW DELHI

No. F6/MS/DFS/98/707 Dated: 31.03.98

To,

Deputy Chief Engineer,
Life Insurance Corporation of India (LIC),
2nd Floor, "Jeewan Prakash",
25, Kasturba Gandi Marg,
New Delhi 110001

Sub: Inspection of the Divional Office Bldg.-III at Plot No. 13, Janakpuri Distt. Centre, Janakpuri, New Delhi

Sir,

This has reference to your office letter No. Engg/DO III/5219 dated 17.03.98 on the subject captioned above. In this regard, I am to inform you that the above said building was re-inspected by a team of officers headed by Shri R.O. Sharma, Deputy Chief Fire Officer, along with Divisional Officer Shankar Road Fire Station. Shri. G.K. Sachdeva (Electrical Engineer of L.I.C) alongwith his team of Engineers were also present during the said inspection

During the course of the inspection the Fire Safety/Fire Fighting Equipments such as Automatic Sprinkler System in the basement, Ground Floor and Upper Ground Floor, Wet Riser System at each floor level, Hose Reel, Hose Boxes alongwith hoses, couplings, Branch Pipes, Automatic Fire Detection System with heat/Smoke Detectors, Manual Call Alarm System(Electrically Operated),Talk-Back System, Exit Signs, D.G. Set of KVA cap Pump house

in the basement with 4 Nos. of Pumps (3 Electrically operated) and One No. Diesel driven Main Fire Pumpset were found installed in the basement. All the above Systems/Equipments were checked/operated and were found in good working condition at the time of inspection.

The building is comprised of:–

Basement, Ground Floor, Upper Ground Floor, 1st-5th Floors. The Basement will be used for Utility Services such as Pumpsets, Electrical Switchgear room etc. The electric sub station and transformer will be installed at the G.F. Ievel at a later stage after obtainingapproval of site for thesame from D.V.B and all fire safety measures as per the Indian electricity Rules will be ensured by the L.I.C. and D.V.B. The transformer shall not be installed in the basement.

The G.F. and Upper G.F. will be used for shops/offices and the upper portion of the building will be used for Office space.

There are 5 Nos. Lifts in the building out of which 2 No were in operation during inspection and Firemans Switch in both these lifts were installed and in working condition.

The Fire/Smoke Check Doors have been seen installed an appropriate places as recommended by the deptt. The management must obtain appropriate test certificates for the fire Smoke Check doors from the Contractor and shall be kept in the records.

A number of fire extinguishers of different type :-

Carbon Dioxide, Water-002 Foam and DCP type of different ratings of "VIJAY" make were seen installed ateach Floor level. The LIC shall also obtain tent certificates and DOE certificates in respect of the extinguishersfrom the Contractor.

WATER SUPPLY

One Number of underground Water storage tend of 2,00, 000 ltrs approx cap and One No of Overhead water tank of cap 20, 000 litres cap (For Sprinkler System) have been provided with replenishment arrangement both from the city Mains and Tube well as well have also been provided.

The FireControl Room has been erected near the Main Entrance lobby and the same will be, Manned 24 hours a day by themanagement LIC. It is suggested that as per the recommendation No. 22 ofthe Annexure ofthe letter from DFS dated15/2/94 a qualified Fire Officer with experience of not less than3 years shall be appointed for the building.

Inview of the above said satisfactory fire safety/Fire Protection arrangements, the management of L.I.C. have compiled with the directives already communicated to them vide this deptt. letter No. F.6/DFS/S/94/217 dated 15.2.94. As such this deptt. has NO. OBJECTION for occupancy of the building subject to the following conditions:–

(A) The Fire Fighting and Fire Safety equipments seen during inspection shall be kept in good working condition all the time. Any lapse rendering these equipments out of order shall be at the risk and responsibility of the Management

(B) Means of-Fire Escape as provided in the building shall not be kept locked/bolted and shall always be available for easy movement of the occupants in case of any emergency.

(C) All occupants/Security staff shall be trained in the fire protection and fire safety equipments. How the management of L.I.C can request the CF0, DFS for imparting training to their staff.

(D) Good house keeping must be insisted upon by the management of L.I.C.

(E) Additions and alterations must not be undertaken by the management of L.I.C. unless a written permission of the authority having jurisdiction and only sanctioned materials for the interior decoration as approved by the authorities shall be used.

A photocopy of the set of directives as issued to the L.I.C. from this deptt. Is enclosed herewith for strict compliance.

CHIEF FIRE SERVICE
DELHI FIRE SERVICE

HEADQUATERS: DELHI FIRE SERVICES:
NEW DELHI-110001.

No. FE/DFS/MS/91/1417 dated: 28.8.91

To

Shri Vimal Nagpal,
General Manager (S),
Ansal Housing Finance & Leasing Ltd.,
16, CGF, Indra Prakash,
21, Barakhamba Road,
New Delhi-11001.

Sub: No objection Certificate for building of Plot No. 11, District Centre, Janak Puri, New Delhi

Dear Sir,

Please refer to your office letter No. AHCL/91/F-11 dated 12.7.91 on the above mentioned subject. In this connection, I am to inform you that the building at Plot No. 11, has inspected by Dr. Chief Fire Officer-III and Asstt.

Divisional Officer Umed Singh of this department with a point of view of see the compliance/implemention of the Fire Protection measures and means of escape arrangements in accordance with the directives of Chief Fire Officer vide this office letter No. F.6/DFS/MS/86/1704 dated 25.11.86.

During the course of inspection, it was seen that all the fire protection and means of escape arrangements has been incorporated in the building such as sprinkler installation, wet riser system, hose reel, underground water storage tank, automatic heat detection system, manual fire alarm system, first aid fire fighting applicance, P. System, stand by generator, mechanical ventillation system, refuge area, fire/smoke check foors, fireman switch in lifts, compartmentations and exit facilities etc. All the above fire protection and fire fighting equipments found in perfect functional condition at the time of inspection.

In view of the above, this department has No Objection for the occupancy of the said building from fire safety and means of escape arrangements point of view. However, the following directives must be strictly adhered to:-

1. Means of escape shall always be kept free of any obstructions for quick evacuation.
2. Clear un-obstructed access ways all around the building must be maintained for free movement of fire/rescue appliances to effect the safe fire fighting and rescue operations.
3. All employees shall be acquainted with the use and maintenance of fire fighting installations/equipments.
4. All fire fighting installations/equipments as seen during the inspection shall be available in good working order at all the time. Any lapse, rendering fire fighting equipments non-functional shall be at the rise\k and responsibility of the management.

5. Other recommendations such as pertitions, panellings, false ceiling etc. shall be strictly as per the directives vide letter referred to above.

6. The ventilation shaft shall also be sealed as proposed.

7. The D.D.A. shall remove the R.C.C. platers for free movement of fire/rescue appliances. The parking kerb should also be suitablyy reduced in a way that these should be 9 meters turning circle available for free movement of fire applicances.

Your faithfully,

DY. CHIEF FIRE OFFICER
for CHIEF FIRE OFFICER
DELHI FIRE SERVICE

Copy to:- The Dy. Director (Layout), D.D.A.

194- Jh i.dt i"dj % क्या **ekuuh; xg e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के सभी पुलिस थाना क्षेत्रों की और इनके थानाध्यक्षों की सूची उपलब्ध कराएं;

(ख) दिल्ली के विभिन्न थाना क्षेत्र से संबंधित आबादी कितनी है;

(ग) दिल्ली के प्रत्येक थाना क्षेत्र में कितने पुलिसकर्मी उपलब्ध हैं;

(घ) दिल्ली में कुल कितने पुलिसकर्मी वीआई सुरक्षा में संलग्न हैं;

(ङ) दिल्ली में प्रत्येक स्तर के पुलिसकर्मी को मिलने वाला वेतनमान, सुविधाएं, भत्ते, अवकाश के दिन का विवरण क्या है;

(च) मानक के अनुसार प्रति हजार आबादी पर कितने पुलिसकर्मी होने वांछित हैं; और

(छ) वर्तमान में दिल्ली में प्रति हजार आबादी पर कितने पुलिसकर्मी उपलब्ध हैं?

¼lcfèkr foHkkx ls i'u dk mÙkj iklr ugh gqvkA½

195- Jh l|[kchj flg nyky% क्या **ekuuh; [kk| ,o vkifrl e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुंडका विधानसभा क्षेत्र में उचितदार दुकानों के विरुद्ध दिनांक 1.1.15 के बाद से कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) उक्त सभी शिकायतों की प्रतियां उपलब्ध कराएं?

jktLo e=h % (क) मुंडका विधानसभा क्षेत्र में उचित दर दुकानों के विरुद्ध दिनांक–1.1.15 के बाद 21 शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) प्रतिलिपियां सीडी में संलग्न है।*

196-Jh vt; nÙk % क्या **ekuuh; [kk| ,o vkifrl e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन सालों में अंबेडकर नगर में कितनी उचित दर दुकानें टर्मिनेट की गई हैं;

(ख) नई दुकानों के अलॉटमेंट की क्या कोई योजना है; और

(ग) नये राशनकार्ड कब से बनने शुरू हो जायेंगे;

ekuuh; [kk| ,o vkifrl e=h % (क) सर्कल 48 अंबेडकर नगर विधान सभा क्षेत्र में 2 दुकानें टर्मिनेट हुई हैं।

---

*www.delhi assembly.nic.in पर उपलब्ध।

(ख) जी नहीं।

(ग) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत राशन कार्ड बनाना एक सतत प्रक्रिया है।;

197- Jh l|jUn flg ½ क्या **ekuuh; [kk| ,o vkifr e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली छावनी विधानसभा क्षेत्र में नये राशन कार्ड बनाये जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो कितने आवेदन स्वीकृत हुए और कितने रद्द किये गए; उसका संपूर्ण विवरण दें;

(ग) नये राशन कार्ड में नाम जोड़ने/हटाने एवं बेपीएल राशन व अन्य राशन कार्ड से संबंधित कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं; उसका पूर्ण विवरण दें;

(घ) दिल्ली छावनी के राशनकार्ड धारकों को सरकार द्वारा क्या क्या कार्यभार हैं; और;

(ङ) दिल्ली छावनी सर्कल नंबर 38 में कितने कर्मचारी कार्यरत हैं और उनके क्या क्या कार्यभार हैं; और

(च) दिल्ली छावनी विधानसभा में राशन धारकों को राशन कौन सी प्रणाली के तहत वितरित किया जाता है; उसका पूर्ण विवरण दें?

ekuuh; [kk| ,o vkifr e=h ½ (क) जी हां, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत नए राशन कार्ड बनाना एक सतत प्रक्रिया है।

(ख) दिनांक 31.07.2018 तक 22 नए कार्ड जारी करने के आवेदन स्वीकार किए गये हैं, तथा आगे का कार्य प्रगति पर है।

(ग) कुल 170 नाम जोड़ने के तथा 30 नाम काटने के आवेदन स्वीकार किए गए है।

(घ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत कार्डधारकों को सकार द्वारा राशन नियमानुसार उपलब्ध कराया जाता है, ए.ए.वाई. कार्डधारी को प्रति माह 25 किलो गेहूं 10 किलो चावल तथा 1 किलो चीनी प्रतिकार्ड दी जाती है तथा पी.आर. कार्डधारी को 4 किलो गेहूं 1 किलो चावल प्रति व्यक्ति दिया जाता है।

(ङ) दिल्ली छावनी सर्कल 37 के एफएसओ श्री प्रमोद कुमार के पास सर्कल 38 का अतिरिक्त प्रभार है। एक एलडीसी, दो डाटा एन्टरी ओपरेटर तथा एक एमटीएस कार्यरत है।

(च) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन उपलब्ध कराया जाता है।

198- Jh fxjh'k lkuh % क्या **ekuuh; [kk| ,o vkiirh e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मादीपुर विधानसभा क्षेत्र में राशन कार्ड धारकों की संख्या कितनी है;

(ख) वर्ष 2017 से अब तक कितने नये कार्ड बने हैं; उनका विवरण दिया जाये; और

(ग) जिन कार्ड धारकों के राशन कार्ड निरस्त किये गए हैं; उनका भी ब्यौरा दिया जाये?

ekuuh; [kk| ,o vkifrl e=h % (क) वर्तमान में मादीपुर विधानसभा क्षेत्र में कुल 23822 राशन कार्डधारी है।

(ख) विधानसभा क्षेत्र मोदीपुर में 01.01.2017 से कुल 135 राशन कार्ड बनाए गए हैं जिनका ब्यौरा निम्न है:—

कार्ड श्रेणी	कुल राशन कार्ड
एएवाई	19
पीआरएस	42
पीआर	74

(ग) विधानसभा क्षेत्र मोदीपुर में 01.01.2017 से 01.08.2018 तक कुल 2082 राशन कार्ड निरस्त किए गए हैं। सूची सी.डी. में संलग्न है।*

199- Jh vkn'k 'kkL=h % क्या **ekuuh; [kk| ,o vkiwfrZ e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में राशन की दुकानों की वर्तमान स्थिति क्या है, पिछले 3 वर्षों में कितनी नई दुकानें खोली गईं और गड़बड़ियां पाए जाने पर कितनी दुकानों को बंद किया गया;

(ख) नई राशन की दुकान खोलने के क्या प्रावधान हैं, कितनी आबादी पर एक दुकान खोलने का मानक है;

(ग) राशनकार्ड धारकों तक उचित राशन पहुंचाने के लिए क्या नये नियम लाये गए हैं; राशन चोरी को रोकने के लिए किस प्रकार के उपाय लाए गए हैं;

(घ) द्वारका विधानसभा के अंतर्गत कितनी राशन की दुकानें हैं; पिछले

*www.delhi assembly.nic.in पर उपलब्ध।

3 वर्षों में इनमें कितनी बढ़ोतरी हुई, गड़बड़ी की शिकायत पर कितनी दुकानों पर कार्यवाही की गई;

(ङ) नये राशन कार्ड बनाने, नये नाम जोड़ने के संबंध में क्या नियम लाए गए हैं; और

(च) घर–घर राशन पहुंचाने के महत्वकांक्षी योजना की विस्तृत जानकारी क्या है, इसको किस प्रकार क्रियान्वित किया जायेगा, इसका विवरण दें?

[kk| ,o vkifr! e=h % (क) दिल्ली में अगस्त 2018 माह की एलोकेशन के अनुसार कुल 2132 राशन की दुकानें हैं। 01.01.2015 से 31.07.2018 (3 वर्ष) में 202 नई दुकाने खोली गई तथा गड़बड़ियां पाये जाने पर कुल 103 दुकानों को बंद किया गया है।

(ख) एक हजार कार्ड पर नई राशन की दुकान खोलने का प्रावधान है। राशन की दुकान पर सामान्यतः 1200 कार्ड लगाए जा सकते हैं।

(ग) राशन कार्डधारकों तक उचित राशन पहुंचाने के लिए तथा चोरी को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गये है

1. कार्डधारकों एसएमएस द्वारा राशन दुकान पर पहुंचने की सूचना दी जाती है।
2. कार्डधारी महीने में कभी भी अपना राशन ले सकते हैं।
3. दुकानदार के विरुद्ध राशन संबंधी किसी भी शिकायत के लिए हेल्पलाईन नं 1967, 1800, 110841 पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
4. एफसीआई डिपो से राशन ट्रक द्वारा बाहर निकलने पर इसकी

सूचना सतर्कता समितियों तथा संबंधित अधिकारियों को एसएमएस द्वारा दी जाती है

5. ट्रक चालान संबंधी विवरण विभाग के पोर्टल पर भी दर्शाया जाता है।

(घ) द्वारका विधानसभा में वर्तमान में 45 राशन की दुकानें हैं। समय समय पर दुकानों का निरीक्षण किया जाता है। गड़बड़ी की शिकायत मिलने पर विभाग द्वारा उचित कार्यवाही की जाती है। मंडल के अंतर्गत कोई नई दुकान नहीं खोली गयी है। शिकायत पर 04 दुकानों के लाइसेंस रद्द किये गये।

(ङ) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत राशनकार्ड में नाम जोड़ना एक सतत प्रक्रिया है।

(च) यह योजना अनुमोदन हेतु लंबित है।

200- Jh lkeukFk Hkkjrh % क्या **ekuuh; [kk| ,oa vkiwfrZ e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभाग में नये राशन कार्ड बनाने और पुराने राशन कार्डों में नये सदस्यों के नाम जोड़ने प्रारंभ कर दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र के एतद संबंधी आवेदकों की सूची उनके आवेदन की तिथि व आवेदन पर होने वाली कार्यवाही की वर्तमान स्थिति सहित उपलब्ध कराएं;

(ग) मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाली राशन कि दुकानों की पूरी सूची उनके पते, मालिक के नाम, पते व मोबाइल नंबर

के अतिरिक्त दुकान से संबंध राशन कार्ड धारकों के ब्यौरे (कार्डधारक का नाम, पता, श्रेणी, मोबाइल नंबर, अंतिम बार राशन प्राप्त करने की तिथि) सहित उपलब्ध कराएं;

(घ) इन दुकानदार के विरुद्ध यदि कोई शिकायत हो तो उसकी वर्तमान स्थिति की जानकारी भी प्रदान करें;

(ङ) क्या यह सत्य है कि राशन कार्ड पर चीनी की आपूर्ति बंद कर दी गई है;

(च) यदि हां, तो बंद करने के कारण बताते हुए यह भी बताएं कि क्या भविष्य में इसे दोबारा प्रारंभ किया जायेगा;

(छ) इस समय विभाग द्वारा जारी किये जाने वाले राशनकार्डों की कितनी श्रेणियां हैं और उनके लिए क्या पात्रता है;

(ज) क्या यह सत्य है कि इनमें से कुछ कार्ड 'बीपीएल' श्रेणी के माने जाते हैं;

(झ) यदि हां, तो एतद् संबंधी पूर्ण विवरण उपलब्ध कराएं;

(ञ) क्या यह सत्य है कि राशनकार्ड का बनाया जाना भारत सरकार की अनुमति पर निर्भर करता है;

(ट) यदि हां, तो अब, जबकि भारत सरकार ने नये राशन कार्ड बनाने पर रोक लगा दी है/अनुमति वापस ले ली है तो 'बीपीएल' कार्ड के निजी अस्पताल में ईडब्लूएस श्रेणी में दाखिला जैसे अन्य अनेक उपयोग के मद्देनजर 'बीपीएल' कार्ड बनवाने के लिए एक व्यक्ति को क्या करना होगा; और

(ठ) सतर्कता समितियों व इसके सदस्यों की भूमिका है, इनके निर्माण व कार्यक्षेत्र संबंधी पूरा विवरण उपलब्ध कराएं तथा मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में ऐसी सभी समितियों व उनके सदस्यों की सूची समितियों की अब तक हुई बैठकों की 'मीटिंग मिनट्स' के साथ पूरी जानकारी तथा बैठक में लिए गए निर्णयों पर 'एक्शन टैकन रिपोर्ट भी प्रदान करें?'

ekuuh; ykd fuek.k foHkkx e=h % (क) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत नए राशन कार्ड बनाना तथा पुराने राशन कार्ड में नाम जोड़ना एक सतत प्रक्रिया है।

(ख) सीडी संलग्न है।

(ग) सीडी संलग्न है।

(घ) ऐसी कोई शिकायत लंबित नहीं है।

(ङ) और (च) पहले 6 किलोग्राम चीनी प्रति माह एएवाई व पीआरएस को दी जाती थी। अब भारत सरकार की वर्तमान योजना के अनुसार 1.7.17 से एएवाई कार्ड धारकों को एक किलोग्राम चीनी प्रति माह वितरित की जा रही है।

(ज) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

(झ) उपरोक्तानुसार लागू नहीं।

(ञ) जी नहीं।

(ट) ट के अनुसार लागू नहीं।

(ठ) मंडल सतर्कता समिति का विवरण सीडी में संलग्न है।*

---

*www.delhi assembly.nic.in पर उपलब्ध।

201- d|ekjh jk[kh fcMyk % क्या **ekuuh; LokLF; e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंगोलपुरी विधानसभा क्षेत्र में मदर डेयरी के कुल कितने बूथ हैं;

(ख) क्या मदर डेयरी का सैम्पल तय समय पर जांच के लिए भेजा जाता है।;

(ग) यदि हां, तो उसकी पूरी प्रक्रिया क्या है; और

(घ) प्रत्येक मदर डेयरी बूथ पर कुल कितने व्यक्तियों की विभाग द्वारा अनुमति दी गई है?

ekuuh; LokLF; e=h % (क) मंगोलपुरी विधानसभा क्षेत्र में 26 मदर डेयरी बूथों/दुकानों को लाइसेंस जारी किया गया है।

(ख) जी हां।

(ग) विभाग द्वारा नमूने उठाकर अगले कार्य दिवस तक जांच के लिए लैब में भेजे जाते है, जहां नमूने की जांच करने के उपरांत 14 दिनों के अंदर लैब के द्वारा संबंधित अधिकारी को रिपोर्ट भेजी जाती है। तदुपरांत, संबंधित अधिकारी नमूने की जांच रिपोर्ट के आधार पर अगली कार्यवाही करता है। नमूने की रिपोर्ट खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के मानक के अनुसार नहीं होने पर उन खाद्य विक्रेताओं के विरुद्ध विधिवत कार्रवाई होती है।

(घ) खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत यदि कोई खाद्य विक्रेता पंजीकरण/लाइसेंस लेता है तो इस तरह की संबंधित सूचना की अनुमति की जरूरत नहीं है।

202- Jh fotUn x|rk % क्या **[kk| ,o vkifr e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय राजधानी में राशन कार्डों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या यह सत्य है कि आधार कार्ड से लिंक करने के बाद कुछ नकली राशन कार्ड पाए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो इनकी संख्या क्या है;

(घ) इस समय कुल कितने राशन कार्डों से राशन लिया जा रहा है;

(ङ) कितने राशन कार्डों से राशन नहीं लिया जा रहा है;

(च) क्या यह सत्य है कि जिन राशन कार्डों पर निर्धारित अवधि बीत जाने के बाद भी राशन नहीं लिया जाता वे रद्द कर दिए जाते हैं;

(छ) यदि हां, तो सरकार ने चालू वित्त वर्ष में ऐसे कितने राशन कार्ड रद्द किये हैं;

(ज) इस समय सरकार के पास कितने प्रार्थना पत्र नये राशन कार्ड बनने की प्रतीक्षा कर रहें हैं और

(झ) सरकार इन आवेदकों को कब तक राशन काड। जारी कर देगी?

[kk| ,o vkifr e=h % (क) राजधानी में राशन कार्डों की संख्या माह अगस्त, 2018 की एलोकेशन के अनुसार 19,42,681 है।

(ख) 14 कार्डों को छोड़कर शेष सभी राशन कार्ड आधार लिंक्ड है।

(ग) उपरोक्त "ख" के अनुसार लागू नहीं।

(घ) ईपोज पोर्टल पर उपलब्ध अप्रैल माह 2018 के कार्ड धारियों तथा ऑफ लाइन राशन वितरण के लिये उपलब्ध विवरण के अनुसार कुल 15,38,238 कार्ड धारकों ने राशन लिया था। एनएफएस पोर्टल दिल्ली पर उपलब्ध माह जून 2018 की गेहूं और चावल की मात्रा (42090.15 क्विंटल) के आधार पर लगभग 2,60,000 कार्डधारियों ने राशन नहीं लिया।

(ङ) उपरोक्त "ख" के अनुसार लागू नहीं।

(च) जी हां, उनकी पात्रता की जांच करने के उपरान्त उनके कार्ड रद्द कर दिए जाते हैं।

(छ) चालू वित्त वर्ष में 06.08.2018 तक 2,52,542 राशन कार्ड रद्द किये गये।

(ज) वर्तमान में कुल 1,33,524 आवेदन पत्र लंबित हैं।

(झ) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत नये राशनकार्ड बनाना एक सतत प्रक्रिया है।

203- Jh euftUnj flag fljlk % क्या **ekuuh; [kk| ,oa vkiwfrZ ea=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि राजौनी गार्डन विधानसभा में रहने वाले राशन कार्ड धारकों को राशन की कम सप्लाई दी जा रही है;

(ख) क्या यह सत्य है कि यहां की ज्यादातर दुकानें महीने में करीब दस दिन तक बंद रहती हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या इस अनियमित एवं कम राशन की सप्लाई से लोगों को होने वाली दिक्कत के लिए सरकार ने इन दुकानदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई की है; और

(घ) इस क्षेत्र के लोगों को नियमित रूप से पूरा राशन मिलना कब शुरू हो जायेगा?

ekuuh; [kk| ,o vkifr e=h % (क) जी नहीं, परंतु इस संदर्भ में कोई शिकायत प्राप्त होने पर विीााग द्वारा जांच की जाती है और शिकायत के सत्यापित होने पर नियमानुसार उचित कार्यवाही की जाती है।

(ख) उपरोक्त (क) अनुसार।

(ग) उपरोक्तानुसार लागू नहीं।

(घ) विभाग द्वारा सभी कार्डधारकोंको उनकी अर्हता अनुसार पूर्ण राशन का आवंटन किया जाता है।

204- Jh vke idk'k 'kek % क्या **ekuuh; [kk| ,o vkifr e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ऐसी शिकायतें मिली हैं कि राशन कार्ड धारकों के फिंगर प्रिंट मशीन से नहीं मिल रहें हैं?

(ख) सरकार किस प्रकार सुनिश्चित कर रही है कि राशन कार्ड धारकों को फिंगर प्रिंट न मिल पाने के कारण कोई परेशानी न हो;

(ग) ऐसे कितने राशन कार्ड धारक हैं जिनके फिंगर प्रिंट नहीं मिल रही है;

(घ) इनके लिए सरकार ने क्या वैकल्पिक व्यवस्था की है;

(ङ) क्या सरकार ने राशन कार्ड धारकों को हेल्पलाइन नंबर देने की जानकारी देने के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन छपवाए हैं; और

(च) यदि हां, तो उनका विवरण दें?

[kk| ,o vkifr! e=h % (क) वर्तमान में इ–पोज द्वारा 25.04.2018 से राशन वितरण बंद होने पर ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है।

(ख) कार्ड धारकों के फिंगर प्रिंट न मिलने के कारण विभाग द्वारा आदेश दिनांक– 28.12.2017, 13.02.2018 तथा 12.02.2018 के द्वारा मैन्युली राशन वितरण के आदेश जारी किए गए;

(ग) इ पोज पोर्टल उपलब्ध सूचना के आधार पर जनवरी, 2018 से अप्रैल 2018 तक 68664 बायोमैट्रिक फेलियर पाए गए।

(घ) उपरोक्त ख के अनुसार

(ङ) जी हां।

(च) समाचार पत्र की संख्या	दिनांक
आठ	03.06.2014
दस	15.07.2014
इक्कीस	15.09.2014

205- Jh iou dqekj 'kek % क्या **ekuuh; [kk| ,o vkifr! e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि आदर्श नगर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले आजादपुर गांव में विगत कुछ समय पूर्व राशन की तीन दुकानें बंद कर दी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो अब क्षेत्रीय निवासियों को किस उचित दर दुकान से राशन मिल रहा है;

(ग) ये उचित दर दुकान आदर्श नगर से लगभग कितनी दूरी पर हैं;

(घ) क्या बंद की गई दुकानों के सीान पर नई दुकानों के आवंटन संबंधी कोई प्रक्रिया जारी की गई है;

(ङ) यदि हां तो क्या उसकी कोई समय अवधि निर्धारित की गई है;

(च) क्या उक्त वर्तमान समस्या के समाधान हेतु कोई कोई वैकल्पिक व्यवसीा की गई है; और

(छ) क्या दिल्ली सरकार द्वारा घर–घर राशन पहुंचाने की योजना निकट भविष्य में आरंभ होने जा रही है?

ekuuh; [kk| ,o vkifr! e=h % (क) जी हां।

(ख) आजादपुर गांव में इस समय तीन एफपीएस नंबर 5254, 5743 तथा 7386 द्वारा राशन का वितरण किया जा रहा है।

(ग) ये उचित दर राशन दुकान आदर्श नगर से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है।;

(घ) जी नहीं।

(ङ) उपरोक्त घ के अनुसार लागू नहीं।

(च) जी हां। उक्त कार्डधारियों को उचित दर राशन संख्या 5254, 5743 तथा 7386 द्वारा राशिन का वितरण किया जा रहा है।

(छ) यह योजना अनुमोदन हेतु लंबित है।

206- Jh idt dekj % क्या **ekuuh; [kk| ,o vkifr! e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सहायक आयुक्त उत्तर के आदेश संख्या

नं. एसी(एन) एफ एंड एस/एफपीएस–5509/2015/136–43 दिनांक 25.04.15 के द्वारा उचित दर दुकान संख्या 5509 के लाइसेंस को रद्द करने का प्रमुख कारण लाईसेंस धारी द्वारा लिखित रूप में दिया बयान था जिसमें लाइसेंसधारी ने कहा था कि मैंने अपनी दुकान का लाइसेंस किराये पर दे रखा है और मेरा उस दुकान से अब कोई लेना–देना नहीं है;

(ख) यदि हां तो फिर ये दुकान कैसे बहाल कर दी गई;

(ग) कितने भिखारियों को राशनकार्ड जारी किया; सूची उपलब्ध करें;

(घ) फुटपाथ पर रहने वाले कितने लोगों को राशन कार्ड जारी किये गये;

(ङ) यदि नहीं तो क्यों; और

(च) हर जरूरतमंद को राशन कार्ड जारी न किये जाने के कारण घटित किसी अप्रिय घटना के लिए कौन जिम्मेदार होगा?

ekuuh; [kk| ,o vkifr! e=h ¼ (क) सत्य है।

(ख) दिल्ली निर्दिष्ट खंड (वितरण का विनियमन) आदेश 1981–Delhi Specified Articles (Regulation of Distribution) Order, 1981 - के खंड 6 के तहत परिभाषित अपीलीय प्राधिकारी द्वारा आदेश संख्या No.SS/F&S/FPS Appeal/2015/202-204 दिनांक 08.05.2015 (अपील नं. 30/2015) के द्वारा सहायक आयुक्त उत्तर के आदेश संख्या नं. एसी (एन) एफ एंड एस/एफपीएस–5509/2015/136–43 दिनांक 25.04.15 को निरस्त करते हुए उचित दर दुकान संख्या 5509 को पुनः बहाल कर दिया गया जिसमें मुख्य कारणों में से एक लाइसेंसधारी का कैंसर से पीड़ित होना तथा जिसे लाइसेंसधारी ने उपरोक्त दुकान किराये पर दे रखा था।

तथा उसने अपने पत्रांक दिनांक 21/03/2013 के माध्यम से अपने चिकित्सकीय कारणों का हवाला देते हुए एफपीएस 5509 में अपने भतीजे (चिराग चावला) को हिस्सेदार बनाने के लिए विभाग को निवेदन किया था, जिसे आदेश दिनांक 16/05/2018 को स्वीकृत कर लिया गया।

(ग) मांगे गए प्रारूप में रिकॉर्ड का रख रखाव नहीं किया जाता है।

(घ) –उपरोक्त–

(ङ) –उपरोक्त–

(च) विभाग द्वारा राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया जारी है और जो भी राशन के लिए जरूरतमंद है वो अपने संबंधित मंडल कार्यालय व ऑनलाईन में जरूरी निर्दिष्ट दस्तावेजों के साथ राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं।

207- Jh jkt:'k xqIrk % क्या **ekuuh; [kk| ,o vkiwfrZ e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नियमित राशन आपूर्ति के लिए कौन उत्तरदायी है;

(ख) मानसून में राशन–परिवहन के लिए क्यपा प्रक्रिया है;

(ग) मानसून में राशन की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं;

(घ) वजीरपुर विधानसभा क्षेत्र में कितनी राशन की दुकाने सरेंडर की गई है;

(ङ) क्या राशन की नई दुकानें खोलने की कोई योजना है; और

(च) क्या डोर स्टेप डिलीवरी में इन दुकानों की कोई भूमिका है?

ekuuh; [kk| ,o vkifr! e=h ½ (क) नियमित राशन आपूर्ति के लिए दिल्ली स्टेट सिविल सप्लाई कॉपोरेशन, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग तथा खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अंतर्गत आने वाले राशन दुकानों के लाइसेंसधारी सामूहिक रूप से उत्तरदायी है।

(ख) अनुबंध के अनुसार परिवहन ठेकेदार की खाद्यान्न जारी होने से लेकर उचित दर दुकान तक पहुंचाने के लिए पूर्णतया बाध्य है। जिसके लिए वह मानसून में तिरपाल वगैरह का इंतजाम करता है।

(ग) इस प्रश्न का उत्तर (ख) में निहित है।

(घ) इस कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्डों के अनुसार, जनवरी 2018 से अभी तक वजीरपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 05 लाइसेंसधारी ने अपने एफपीएस लाइसेंसों को सरेंडर किया है–

(ङ) जी नहीं, कोई योजना विचाराधीन नही है।

(च) डोर स्टेप डिलीवरी योजना अनुमोदन हेतु विचाराधीन है।

208- I|Jh Hkkouk xkM ½ क्या **ekuuh; [kk| ,o vkifr! e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राशन कार्डधारी के बिना लिखित में दिए, उसका राशनकार्ड दूसरी उचित दर दुकानों पर बदला जा सकता है।

(ख) यदि हां, तो उसका क्या आधार है;

(ग) अनाधिकृत कार्डधारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जाती है;

(घ) पालम विधानसभा क्षेत्र में ऐसे कितने कार्डधारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है;

(ङ) क्या यह सत्य है कि राशन की उचित दर दुकानों से बायोमैट्रिक मशीने हटने के बाद कुछ कार्डधारकों को हर दुकान से राशन देने से मना किए जाने की शिकायतें मिली हैं;

(च) यदि हां तो उसके क्या कारण थे;

(छ) क्या यह सत्य है कि कुछ लोग पालम विधानसभा क्षेत्र में ठेके पर राशन की दुकाने चला रहे हैं;

(ज) यदि हां तो उसका क्या ब्यौरा है;

(झ) क्या एक ही व्यक्ति कई कई राशन की दुकाने चला सकता है;

(ञ) यदि हां तो इसका क्या मानदंड है;

(ट) सही से राशन वितरण नहीं करने वाले दुकानदारों के खिलाफ विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जाती है; और

(ठ) पिछले तीन वर्ष में कितनी उचित दर राशन दुकानों के दुकानदारों ने पालम विधानसभा क्षेत्र में अपना लाईसेंस सरेंडर किया है;

ekuuh; [kk| ,o vkiwfrZ e=h % (क) जी, हां।

(ख) सभी दुकानों पर कार्डधारियों की संख्या को समान करने के लिए (रेशनलाईजेशन) द्वारा राशन कार्डों को दूसरी दुकानों पर लगाया जा सकता है।

(ग) अनाधिकृत कार्डधारी का तात्पर्य स्पष्ट नहीं हैं किन्तु कार्ड के गलत पाए जाने पर नियमानुसार कार्यवाही कर उसे रद्द कर दिया जाता है।

(घ) अनाधिकृत कार्डधारी का कोई मामला संज्ञान में नहीं आया है।

(ङ) हां। बायोमेट्रिक मशीन हटने के उपरांत कार्डधारी केवल उसी दुकान से राशन ले सकते है जिस दुकान पर उसका कार्ड पंजीकृत है।

(च) पोर्टेबिलिटी प्रक्रिया के अंतर्गत राशन का वितरण केवल ई–पोज के माध्यम से ही संभव है।;

(छ) इस प्रकार का कोई मामला संज्ञान में नहीं आया है।

(ज) लागू नहीं।

(झ) जी, नहीं।

(ञ) लागू नहीं।

(ट) ऐसे दुकानदारों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कार्यवाही की जाती है।

(ठ) पालम विधानसभा क्षेत्र की दो दुकानों ने अपने लाईसेंस सरेंडर किया है।

209- lJh Hkkouk xkM % क्या **ekuuh; [kk| ,o vkifr e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पालम विधानसभा क्षेत्र में अप्रैल 2015 में कितनी राशन की दुकानें थी और अब इन दुकानों की संख्या कितनी है;

(ख) वर्तमान में चल रही राशन की उचित दर दुकानों के नाम, पते, डीलर का नाम फोन नंबरों का क्या विवरण है;

(ग) इन दुकानों पर कार्ड आवंटन की संख्या व श्रेणियों का वार्ड–वाईज क्या ब्यौरा है?

(घ) प्रत्येक राशन की दुकान को कार्ड किस आधार पर आवंटित किए जाते हैं;

(ङ) किसी विधानसभा क्षेत्र में राशन की उचित दर दुकानों की संख्या किस आधार पर तय की जाती है;

(च) पालम विधानसभा क्षेत्र में क्या फर्जी राशन कार्ड पाए गए हैं;

(छ) यदि हां तो उसका क्या ब्यौरा है;

(ज) उक्त फर्जी राशन कार्डों के लिए कौन अधिकारी दोषी है तथा विभाग द्वारा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(झ) राशन की दुकानों तक राशन पहुंचाना सीधे सीधे किसका उत्तरदायित्व होता है;

ekuuh; [kk| ,o vkifrl e=h % (क) पालम मंडल में अप्रैल 2015 में 60 राशन की दुकानें थी। अब 56 दुकानें कार्यरत हैं।

(ख) सूची संलग्न है।

(ग) सूची संलग्न है।

(घ) आदेश सं.– F.3(40)/2013/F&S/P&C/NFSA/Part File-IX/536-544 दिनांक – 21.5.14 के अंतर्गत

(ङ) उचित दर दुकानों की संख्या कार्डधारियों की संख्या पर निर्भर करती है।

(च) इस प्रकार का कोई मामला संज्ञान में नहीं आया है।;

(छ) उपरोक्त।

(ज) लागू नहीं।

(झ) दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटिड, (DSCSC Ltd.)

Annexure

Sl. No.	FPS Status	FPS Detail	Contact No.	Phase-1		Phase-2	Total
				AAY	PRS	PR	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Active	100700600001 [1856] M/s Hari Provijan Store	9868141500	0	15	161	176
2	Active	100700600003 [5338] M/s Mohan and Company	9350915493	0	36	452	488
3	Active	100700600005 [5731] M/s Vijay Vats	9015333020	0	28	445	473
4	Active	100700600006 [5869] M/s M.L. Sharma Rajender Prasad	9871459686	32	153	639	824
5	Active	100700600007 [5971] M/s Karan Singh	9213774842	0	0	252	252
6	Active	1d0700600008 [5972] M/s Subhash Kumar Jain	9810794957	0	30	352	382
7	Active	100700600009 [6381] M/s Dada Dev Store	9350900245	1	79	541	621
8	Active	100700600010 [6509] M/s Laxmi Store	9873239250	0	29	544	573
9	Active	100700600011 [6609] M/s Swroop Store	8750272613	0	5	490	495
10	Active	100700600013 [6706] M/s Maya Store	9212345017	1	32	552	585
11	Active	100700600014 [6758] M/s Chandarbhan Radhe Shyam	9212261841	2	67	268	337

12	Active	100700600015 [7047] M/s Panna Lal Dalip Kumar	9868880558	5	40	335	380
13	Active	100700600019 [7274] M/s Majnu Devi Sabar Mal	9911999993	4	54	406	464
14	Active	100700600020 [7279] M/s Saraswati Store	9899384325	5	75	516	596
15	Active	100700600021 [7283] M/s Goyal Rashan Shop	9250143010	0	23	234	257
16	Active	100700600022 [7287] M/s Ram Kumar	9211330163	0	8	209	217
17	Active	100700600023 [7288] M/s Pramod Kumar	9811797150	4	44	322	370
18	Active	100700600024 [7289] M/s Jai Pan Singh	9311809247	1	8	455	464
19	Active	100700600025 [7290] M/s Haravinder Singh	9313140807	9	77	467	553
20	Active	100700600026 [7310] M/s Mittal Praobijanal Store	9899031153	7	22	442	471
21	Active	100700600027 [7328] M/s Pawan Store	9213586353	3	85	513	601
22	Active	100700600028 [7893] M/s Ram Store	9990109382	1	46	558	605
23	Active	100700600029 [7894] M/s Vishwas Store	9212321600	0	33	516	549
24	Active	100700600030 [7939] M/s Vinod Kumar Aggrawal	8800814143	14	54	271	339
25	Active	100700600031 [7940] M/s Krishna Kamar Stare	9350179467	0	7	500	507

1	2	3	4	5	6	7	8
26	Active	100700600033 [7946] M/s Goyauntarpraijaj	9891467844	0	49	486	535
27	Active	100700600035 [8285] M/s Tyagi Store	9212012371	0	0	202	202
28	Active	100700600037 [8399] M/s Nirmal Store	9810955081	3	58	518	579
29	Active	100700600038 [8413] M/s Mohan Store	9818979001	4	99	507	610
30	Active	100700600040 [8447] M/s Vishnu Store	9013017367	0	107	691	798
31	Active	100700600041 [8472] M/s Shiva Store	9891374688	0	18	461	479
32	Active	100700600042 [8503] M/s Sonu Store	9810926339	2	78	665	745
33	Active	100700600043 [8551] M/s Santosh Store	9871367501	0	75	466	541
34	Active	100700600044 [8558] M/s Sunny Store	9213040186	3	45	526	574
35	Active	100700600045 [8578] M/s Mohit Store	9213545175	0	59	590	649
36	Active	100700600046 [8579] M/s Varma Store	9289624650	0	69	376	445
37	Active	100700600047 [8587] M/s Janta Store	8802334282	4	102	630	736
38	Active	100700600048 [8652] Shree Sitla Store	9953296123	0	74	797	871
39	Active	100700600049 [8699] M/s Niraj Store	9212124499	2	80	432	514
40	Active	100700600050 [8718] M/s Shiv Shakti Store	9999193535	0	20	577	597

41	Active	100700600051 [8724] M/s Sharma Store	8383986457	0	28	251	279
42	Active	100700600052 [8725] M/s Bhardwaj Store	9871014907	0	59	156	215
43	Active	100700600053 [8776] M/s Vardhman Store	9868567742	1	22	211	234
44	Active	100700600054 [8777] M/s Bala G Store	9212790573	0	22	211	233
45	Active	100700600057 [8921] M/s Keshav Store Palam Extension	9312897175	0	44	612	656
46	Active	100700600058 [8935] M/s Garg Fare Parais Shop	9212464648	7	180	328	515
47	Active	100700600059 [8973] M/s Sumitra Store	9250685186	0	11	496	507
48	Active	100700600060 [9009] M/s Sharma Store	9312241223	24	82	566	672
49	Active	100700600061 [9012] M/s Sveta Store	9818137262	3	53	438	494
50	Active	100700600062 [9023] M/s Shanti Store	9868523841	13	42	504	559
51	Active	100700600063 [9024] M/s Upadhyay Store	9958352535	9	32	439	480
52	Active	100700600065 [9078] Shri Balaji Store	9818168606	7	147	508	662
53	Active	100700600066 [9089] M/s Aggarwal Provisional Store	9015028424	0	7	243	250
54	Active	100700600067 [9090] M/s Pooja Store	8700822675	2	23	.211	236
55	Active	100700600068 [9091] M/s Shree Shyam Ji Store	9999282861	5	69	620	694
56	Active	100700600069 [9092] Shri Shyam Store	9312426874	3	41	482	526

210- Jh l[kohj Çlg nyky % क्या **ekuuh; ifjogu e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अधिकतर बस डिपो गांवों की भूमि पर स्थित होने के बावजूद दिल्ली के गांवों में क्लस्टर बस सेवा क्यों उपलब्ध नहीं कराई गई है;

(ख) विभाग द्वारा उन ग्रामीण सेवाओं के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है जो गांवों तक अपनी सेवाएं नहीं देते;

(ग) एमईपी इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. के चार्ज लेने के बाद दिल्ली सरकार के राजस्व में कमी आई है या वृद्धि हुई है; कारण भी बतायें;

(घ) एमईपी इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. के चार्ज लेने के बाद कितने वाणिज्यिक वाहनों को ग्रीन टेक्स न देने के कारण रोका गया है;

(ङ) ऐसे वाहनों के विरुद्ध परिवहन विभाग अथवा अन्य संबद्ध विभागों द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(च) मुंडका विधानसभा क्षेत्र में कितने सीएनजी टेस्टिंग सेंटर हैं, उनका विवरण उपलब्ध कराएं; और

(छ) मुंडका विधानसभा क्षेत्र में कितने सीएनजी टेस्टिंग सेंटर के पास वैध लाइसेंस तथा कंप्लीटिंग सर्टिफिकेट है?

ekuuh; ifjogu e=h % (क) जुलाई, 2018 तक ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित तीन क्लस्टर बस डिपो निम्नलिखित हैं:–

(क) कंझावला डिपो (ख) कैर डिपो (ग) दिचाऊ डिपो–II

उपरोक्त डिपो से परिचालित क्लस्टर बसों का विवरण निम्नलिखित हैं:–

क्र. सं.	डिपो का नाम	रूटों की संख्या	परिचालन की जाने वाली क्लस्टर बसों की संख्या
1.	कंझावला डिपो	7	93
2.	कैर डिपो	14	69
3.	दिचाऊ डिपो–II	13	154
	कुल योग	34	316

इसके अतिरिक्त रूट संख्या 161 (सुल्तानपुर डबास से पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन) पर जल्द ही तीन कलस्टर बसों का परिचालन शुरू कर दिया जायेगा।

(ख) परिवहन विभाग की प्रवर्तन शाखा मोटर वाहन अधिनियम 1988 तथा इसके अंतर्गत बने नियमों के तहत समय समय पर ऐसी ग्रामीण सेवाओं के विरुद्ध कार्यवाही करती रहती है। 01.05.2018 से 30.06.2018 के दौरान की गई कार्यवाही का विवरण निम्नलिखित है:–

वाहन विवरण	कुल वाहन	कुल चालान	कुल बंद वाहन
ग्रामीण सेवा	479	798	347

(ग) मैसर्स एमईपी इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपर लि. द्वारा टोल टैक्स (पथकर) व पर्यावरण व क्षतिपूर्ति शुल्क वसूली का कार्य का चार्ज संभालने के पश्चात् दिल्ली सरकार के राजस्व जोकि पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क के रूप में है,

कमी आई है तथा यह कमी ठेकेदार द्वारा दी गई स्पष्टीकरण अनुसार मुख्यतया सीएनजी चालित व्यवसायिक वाहनों की संख्या में हुई बढ़ोत्तरी के फलस्वरूप हुई है। डीजल व पेट्रोल चालित वाहन लगातार सीएनजी वाहनों में परिवर्तित हो रहे हैं। दिल्ली सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एफ. 10(13)/ईएनवी/2015/436–458 दिनांक 21.01.2016 द्वारा सीएनजी व्यवसायिक वाहनों को पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क देयता से मुक्त रखा गया है। इसके अतिरिक्त ईस्टर्न पैरिफैरल एक्सप्रेस–वे के आरंभ के फलस्वरूप दिल्ली में प्रवेश करने वाले व्यवसायिक वाहनों में काफी कमी आई है।

(घ) बिना पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क दिए हुए व्यवसायिक वाहनों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाती है।

(ङ) ऐसे वाहन परिवहन विभाग की प्रवर्तन शाखा के संज्ञान में नहीं आए है।

(च) मुंडका विधानसभा क्षेत्र में सीएनजी लीकेज टेस्टिंग सेंटर संलग्न 'क' पर दिए गए है।

(छ) उपरोक्त सभी सीएनजी लीकेज टेस्टिंग सेंटरों के पास परिवहन विभाग से अधिकृत वैध प्रपत्र है। इन सेंटरों का कोई कम्पलीटिंग सर्टिफिकेट नहीं होता है।

l;yXu ^d*

मुंडका विधान क्षेत्र में निम्नलिखित सीएनजी लीकेज टेस्टिंग सेंटर हैः–

1. इंद्रप्रस्थ ऑटो सेंटर खसरा नं.86/3/1, गली नं. 7 सी., मुंडका उद्योग नगर, दिल्ली

2. दिल्ली परिवहन निगम कंझावला डिपो, कंझावला, दिल्ली

3. इन्द्रप्रस्थ ऑटोमोबाईल्स प्राईवेट 82/9, फ्रिनी रोड, मुंडका इडस्ट्रीयल एरिया, मुंडका

4. मेटल टैक मोटर्स प्राईवेट लिमिटेड प्लॉट नं.809, ग्राम टीकरी कंला रोहतक रोड़, दिल्ली

5. झाकड़ ऑटोमोबाईल्स खसरा नं.82, राष्ट्रीय मार्ग–10 मुंडका दिल्ली

6. एसटी मोटर्स, खसरा नं.44/33, आईपी मोटल के पास, घेवरा मोड़, राष्ट्रीय मार्ग–10

7. टीकरी सर्विस स्टेशन, राष्ट्रीय मार्ग–10, 1564/1/1/2, टीकरी बार्डर, दिल्ली रोहतक रोड़, दिल्ली–110041

211- Jh egUn xk;y % क्या **ekuuh; ifjogu e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि विभाग द्वारा डीटीसी बसों में महिला सुरक्षा गार्ड लगाये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान में यह कितनी बसों में यह व्यवस्था है;

(ग) क्या यह सत्य है कि सरकार की वर्तमान में यह संख्या बढ़ाने की योजना है; और

(घ) यदि हां, तो इसके लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

ifjogu e=h % (क) जी, हां।

(ख) वर्तमान में 2 Civil Defence Volunteers (CDV) हैं जो कि पूर्वी क्षेत्र के राजघाट–प्रथम तथा हसनपुर डिपो में एक–एक तैनात है।

(ग) और (घ) राजस्व विभाग, दिल्ली सरकार से उपयुक्त संख्या में CDV, न मिलने के कारणा इनकी संख्या में वृद्धि नहीं हो पाई हैं।

212- Jh vt; nÙk % क्या **ekuuh; ifjogu e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि तुगलकाबाद से अंबेडकर नगर होती हुई साकेत को कनेक्ट करने वाली मेट्रो लाइन पर सरकार विचार कर रही है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; पूर्ण विवरण दें;

(ग) यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा होगा;

(घ) क्या यह सत्य है कि चिराग दिल्ली से अंबेडकर नगर बीआरटी खानपुर चौक मैट्रो लाइन पर सरकार विचार कर रही है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ekuuh; ifjogu e=h % (क) से (ङ) दिल्ली एमआरटीएस परियोजना के प्रस्तावित फेस–IV के निम्नलिखित छह कॉरिडॉर्स में से एरोसिटी–तुगलकाबाद कॉरिडॉर और लाजपत नगर–साकेत जी ब्लॉक कॉरिडॉर शामिल हैः–

क्र.सं.	कॉरिडॉर	लंबाई (km.)
1	2	3
1.	आर.के. आश्रम–जनकपुरी वेस्ट	28.92
2.	इंद्रलोक–दिल्ली गेट–इंद्रप्रस्थ	12.58
3.	एरोसिटी–साकेत–तुगलकाबाद	20.20

1	2	3
4.	लाजपत नगर–चिराग दिल्ली–साकेत जी ब्लॉक	7.96
5.	मुकुंदपुर–बुरारी–मौजपुर	12.54
6.	रीठाला–बवाना–नरेला	21.73
	कुल	103.93

फेस–IV की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, दिल्ली सरकार और आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के विचाराधीन है।

213- Jh fxjh'k lkuh % क्या **ekuuh; ifjogu e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मादीपुर विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न रूटों पर चलने वाली एसी, नॉन एसी, क्लस्टर सेवा तथा प्राइवेट बसों का, विवरण दिया जाये;

(ख) यह जांचने की क्या प्रक्रिया है कि ये बसे नियत समय सारणी के अनुसार चल रही हैं;

(ग) निरीक्षण के लिए उत्तरदायी संस्था का नाम भी बतायें;

(घ) इन बसों पर निगरानी करने के लिए विभाग हेतु जनवरी 2018 से जो कदम उठाए जा रहे हैं, उनका विवरण दें; और

(ङ) मादीपुर विधानसभा क्षेत्र में संबंधित अधिकारियों/ कर्मचारियों का संपर्क ब्यौरा दें?

ekuuh; ifjogu e=h % (क) मादीपुर विधानसभा क्षेत्र में दि.प.नि. की अनुसूचित बसों का एसी व नॉन एसी के आधार पर विवरण **ifjf'k"V ^d*** पर है। तथा क्लस्टर सेवा का विवरण **ifjf'k"V ^[k*** पर है।

(ख) क्षेत्रीय चौकिंग कर्मियों द्वारा समय–समय पर बसों का निरीक्षण किया जाता है तथा संबंधित डिपो द्वारा ड्राईवर मीमो की जांच की जाती है कि वह नियत समय–सारिणी के अनुसार चल रही है।

(ग) संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय तथा संबंधित डिपो निरीक्षण के लिए उत्तरदायी होते हैं। डिपोस्तर पर ड्राईवर मीमो का निरीक्षण किया जाता है।

(घ) इन बसों पर निगरानी के लिए क्षेत्रीय चौकिंग कर्मियों द्वारा लाइन पर बसों के परिचालन को चैक किया जाता है जिसका विवरण कर्मचारी द्वारा अपनी चौकिंग सीट पर दिया जाता है।;

(ङ) संबंधित अधिकारियों के संपर्क नंबर निम्न प्रकार हैः–

1- fnYyh ifjogu fuxe

क्षेत्रीय प्रबंधक (पश्चिम)
दिल्ली परिवहन निगम,
मायापुरी डिपो, मायापुरी
दिल्ली–110064 दूरभाष
सं.–011–28113525

डिपो प्रबंधक (केशोपुर)
दिल्ली परिवहन निगम,
केशोपुर, दिल्ली दूरभाष
सं.–011–28335901

2- fMe'l dh DyLVj cl

- परिवहन विभाग हैल्पलाईन (011–42400400)
- ऑपरेशन कंट्रोल सेन्टर डिम्स (011–43090200, 011–45396342)
- बस पेसेंजर फीड बैक फॉर्म (www.dimts.in)
- ई–मेल *info@dimts.in*

Next Bus ऐप द्वारा

ifjf'k"V ^d*

Route Originating & Passing through Madi Pur Constituency

Route No.	From	To	AC Buses	Non AC Buses	Total Buses
1	2	3	4	5	6
219	Old Delhi Rly.Station	Qumruddin Nagar	0	2	2
219 STL	Old Delhi Rly.Station	Hiran KudnaX-Ing	4	1	5
233	Old Delhi Rly. Station/ Mori Gate (T)	Nihal Vihar T-Point	0	2 Trip	2 Trip
234	Tilak Nagar	Harsh Vihar	0	23	23
308	Tilak Nagar	Delhi Gate	0	1	1
408	Raghubir Nagar F-Blk.	Nizamuddin Rly. Station	0	5	5
410	Khiala Restt. Colony	Jal Vihar (T)	0	10	10
442	Azad Pur Metro Station	Nehru Place Terminal	4	18	22
448	Punjabi Bagh Terminal	Hamdard Nagar	15	0	15
448A	West Enclave	Hamdard Nagar	0	4 Trip	4 Trip
448B	Madipur JJ Cly	Ambedkar Nagar (T)	0	2	2
479	Punjabi Bagh Terminal	Badar Pur Border	0	23	23

1	2	3	4	5	6
529 Spl	Nangloi	Nehru Place Terminal	6 Trip	0	6 Trip
567	Quamruddin Nagar	Sarai Kale Khan (ISBT)	17	2	19
567A	Mundka Village	Nehru Place Terminal	0	4	4
568	S.J.Terminal	Mangol Puri Q-Blk.	2	5	7
568A	Nehru Place Terminal	Mangol Puri Q-Blk.	0	2 Trip	2 Trip
569	S.J.Terminal	Sultan Puri D-Blk.	5	9	14
801	Inder Lok Metro Station	Kapas Hera Border/ Shahbad Mohd. Pur	0	2	2
808	Tilak Nagar	Mangol Puri Q-Blk.	0	4	4
810	Uttam Nagar Terminal	Kend. Terminal	0	4	4
813	Mangla Puri	ISBT K. Gate	0	5	5
816	Uttam Nagar Terminal	Old Delhi Rly. Station	0	9	9
817	Inder Lok Metro Station	Kair/ Sai Baba Mandir	3	16	19
820	Subhash Nagar	Shivaji Stadium	0	3 trip	3 Trip
830Ext	Khyala JJ Colony	Anand Vihar ISBT	0	1 Trip	1 Trip
832	Janak Puri D-Blk.	Tri Nagar Jai Mata Mkt.	0	7	7

842	Raghubir Nagar F-Blk.	ISBT K. Gate	0	1	1
849	Tilak Nagar	Quamruddin Nagar	0	4Trip	4Trip
857	Raghubir Nagar F-Blk.	Anand Vihar ISBT	0	2	2
861A	Uttam Nagar Terminal	Jahangir Puri E-Blk.	4	33	37
871	Vikas Puri H-Blk.	Shivaji Stadium	0	3 Trip	3 Trip
889	Hari Nagar C/Tower	Rohini Sec-27	0	8	8
891	Hari Nagar C/Tower	Jahangir Puri E-Blk.	0	25	25
908	Karampura (T)	Sultan Puri	0	4	4
910	Nangloi Syed	Shivaji Stadium	7	13	20
910A	Nihal Vihar (T Point)	N.D Rly Stn	0	2	2
912	Vishnu Garden N.W. Chowk	Burari Village	0	9	9
917	Madipur JJ Cly	Dehli Sectt.	0	4	4
926	Old Delhi Rly. Station	Tikri Border	4	7	11
928	Karam Pura Terminal	Garhi Randhala	0	5	5
934	Karam Pura Terminal	Neelwal Village	0	2	2
935	Azad Pur(T)	Majra Dabas	0	3	3

1	2	3	4	5	6
937A	Old Delhi Rly. Station	Sultan Puri	13	10	23
940	Shivaji Stadium	Mangol Puri Q-Blk.	0	6	6
940A	Inder Puri	Mangol Puri Q-Blk.	0	2	2
943	Anand Vihar ISBT	Sultan Puri Terminal	0	4	4
944	KENDRIYATerminal	Sultan Puri	2	6	8
949	Delhi Sectt.	Tikri Border	6	15	21
949A	Jheel	Sawda JJ Clusters	0	5	5
949EXT	Sarai Kale Khan (ISBT)	Sawda JJ Clusters	0	5	5
953	Karol Bagh (T)	Mangol Puri Q-Blk.	0	4 Trip	4 Trip
954	Delhi Sectt.	Sultan Puri Terminal	1	14	15
962	KENDRIYATerminal	Kanjhawala Village	0	1	1
962A	Shivaji Stadium	Majra Dabas	0	2	2
963	Shivaji Stadium	Bakarwala JJ Cly.	0	2	2
966	Nizamuddin Rly. Station	Quamruddin Nagar	22	6	28
966EXT	Nizamuddin Rly. Station	Mangol Puri Q-Blk.	6	2	8

966B	Nizamuddin Rly. Station	Sultan Puri	0	2	2
978	Azad Pur (T)	Najafgarh	2	21	23
980	Pragati Maidan	Quamruddin Nagar	1	6	7
991	Shivaji Stadium	Mubarakpur Dabas	0	7	7
GL-91	Shivaji Stadium	Mundka	6	0	6
072	ISBT K. Gate	Najaf Garh Terminal	0	2 Trip	2 Trip
0926	Old Delhi Railway Station	Tikri Border	0	2	2
0929	Old Delhi Railway Station	Mubarak Pur Dabas	0	2 Trip	2 Trip
TMS(+)	Maya Puri Chowk	Maya Puri Chowk	0	5	5
TMS(-)	W.P. Depo/ L.P. Nagar	W.P. Depo/L.P. Nagar	1	10	11
WDMS(+)	Madhu Vihar/S.P. depot	Madhu Vihar/S.P.Depot	0	2	2
WDMS(-)	Madhu Vihar/S.P. depot	Madhu Vihar/S.P.Depot	0	2	2
NCR	N.D. Rly. Stn. Gate No. 2/Karam Pura (T)	Bahadur Garh	4	23	27
	Total Buses		129+6 trip	430+27 trip	559+33 trip

ifjf'k"V ^[k*

Annexure 2(a) (Question no. 213): Routes originating from Madipur Vidhan Sabha Constituency

Sl No.	Route No.	From	To	No. of Cluster Buses in operation
1	TMS+	Punjabi Bagh Terminal	Punjabi Bagh Terminal	19
		Via Punjabi Bagh, Basai Darapur		
2	85	Punjabi Bagh Terminal	Anand Vihar ISBT	10
		Via Punjabi Bagh, Basai Darapur		
3	479	Punjabi Bagh Terminal	Badarpur Border	31
		Via Punjabi Bagh, Basai Darapur		
4	448	Punjabi Bagh Terminal	Hamdard Nagar	9
		Via Punjabi Bagh, Basai Darapur		
5	408	Raghubir Nagar F Block	Nizamuddin Railway Station	4
		Via Tagore Garden, Raghubir Nagar		
		Total		73

214- Jh lkeukFk Hkkjrh % क्या **ekuuh; ifjogu e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में पड़ने वाले सभी डीटीसी बस स्टैंडों की सूची, उनके अवस्थिति–पते, उनके निर्माण तिथि, वहां रुकने वाली बसों के रूटों की जानकारी के साथ दें;

(ख) क्या इन सभी बस स्टैंडों पर वे समस्त सुविधाएं उपलब्ध हैं जो एक आदर्श बस स्टैंड पर होनी चाहिए;

(ग) डीटीसी बस स्टैंडों को किन विशिष्टताओं से युक्त किए जाने की योजना है और उनके संदर्भ में मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में पड़ने वाले बस स्टैंडों की स्थिति क्या है;

(घ) मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में परिवहन विभाग की हैज़खास बस टर्मिनल और मालवीय नगर गोल चक्कर की परिसंपत्तियों सहित समस्त परिसंपत्तियों की पूरी सूची उपलब्ध कराएं और बताएं कि उनकी क्या उपयोगिता है और क्या उनका पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है;

(ङ) क्या मालवीय नगर गोलचक्कर बस टर्मिनल का सीमांकन हुआ है और यदि नहीं हुता तो क्या इसे शीघ्रातिशीघ्र किया जाना संभव है;

(च) अधोहस्ताक्षरी द्वारा वांछित बस रूटों पर बसें उपलब्ध कराने संबंधी अनुरोध की क्या स्थिति है जो कि विशेषकर अर्जुन नगर, सफदरजंग एन्क्लेव, कृष्ण नगर, राज नगर, हुमायूंपुर, ग्रीन पार्क तथा मालवीय नगर के निवासियों के लिए हैं;

(छ) मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र की कॉलोनियों और ब्लाक्स के निवासियों को 'लास्ट माइल कनेक्टिविटी' के तहत मालवीय नगर, हौज खास, ग्रीन पार्क, आईआईटी व स्वामी नगर मैट्रो स्टेशन से जोड़ने हेतु अधोहस्ताक्षरी के मिनी बसें चलाने के अनुरोध की क्या स्थिति है;

(ज) प्रस्तावित नई 'लो फ्लोर' बसों में से कितनी बसें मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में चलाई जाएंगी, पूर्ण विवरण प्रदान करें; और

(झ) दिल्ली के बस रूटों पर यात्रा करते हुए किन श्रेणियों के यात्रियों को किराए से छूट प्राप्त है?

ekuuh; ifjogu e=h ¾ (क) मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में पड़ने वाले बस स्टॉपों की सूची तथा वहां से गुजरने वाले रूटों का विवरण बस स्टॉप का नाम व दिशा सहित विवरण **ifjf'k"V&d** पर 3 पेजों में उपलब्ध है।

(ख) मालवीय नगर विधानसभा में आधुनिक बस शेल्टर अच्छी स्थिति में हैं तथा दिल्ली परिवहन निगम द्वारा पूर्व में बनाए गए बस–शेल्टर के पुनःनिर्माण की आवश्यकता है।

(ग) दिल्ली में 1397 बीक्यूएस को बनाने की प्रक्रिया को पुनः आरंभ करने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा आतंरित एवंम बाह्म विशेषज्ञों की एक समिति गठित की गई थी। समिति द्वारा लागत ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, सार्वभौमिक मानव आराम, लागत प्रभावशीलता और सशक्त डिजाइन को ध्यान में रखते हुए निविदा आमंत्रित करने के लिए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है। सरकार से अनुमोदन के पश्चात शीघ्र ही निविदाएं आमंत्रित की जाएंगी। निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात जैसे ही सफल निवेदक का चयन हो जाता है, मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में दिल्ली परिवहन निगम द्वारा निर्मित पुराने बस स्टैंडों के स्थान पर आधुनिक बस क्यू शेल्टर बनाने का कार्य शुरू हो जाएगा।;

(घ) मालवीय नगर गोल चक्कर दिल्ली परिवहन निगम की संपत्ति नहीं है। अतः मालवीय नगर गोल चक्कर की परिसंपत्तियों का ब्यौरा उपलब्ध कराना संभव नहीं है। हॉजखास टर्मिनल का क्षेत्रफल 6635 स्क्वायर मीटर

है। इस टर्मिनल पर दिल्ली परिवहन निगम का पास अनुभाग, सीएनजी लीकेज सेंटर एवं एसबीयू ऑफिस का परिचालन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त हॉजखास टर्मिनल से बस यट सं.—344, 335 व 765 का परिचालन किया जा रहा है। हॉजखास बस टर्मिनल का पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है।

(ङ) मालवीय नगर गोलचक्कर बस टर्मिनल दिल्ली परिवहन निगम की संपत्ति नहीं है। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि इसका सीमांकन हुआ है या नहीं।

(च) पिछले एक वर्ष में श्री सोमनाथ भारत, माननीय विधायक से दो पत्र प्राप्त हुए, जिनका दिया गया जवाब **ifjf'k"V&[k** पर 2 पेजों में उपलब्ध है।

(छ) दिल्ली मैट्रो रेल कॉर्पोरेशन द्वारा 427 एसी मिनी सीएनजी/इलैक्ट्रिक बसों को चलाने की योजना प्रस्तावित है। इसी योजना के तहत मालवीय नगर विधान सभा क्षेत्र की कॉलोनियों और ब्लॉक्स के निवासियों को 'लास्ट माइल कनेक्टिविटी' के तहत मैट्रो स्टेशन से जोड़ने हेतु रूटों का प्रावधान है।

वर्तमान में दि.पि.नि. के बेड़े में बड़ी बसें है, मिनी बसें दि.पि.नि. के बेड़े में नही होने के कारण यह प्रश्न दिल्ली परिवहन निगम से संबंधित नहीं है।

(ज) नई बसों के आने के उपरांत इसका निर्धारण किया जाएगा।

(झ) किराए में छूट से संबंधित पत्र की छाया प्रति परिशिष्ट—ग पर 4 पेजों में उपलब्ध है।

ifjf'k"V&d

List of Malvia Nager Vidhan Sabha Area-43

Sl No.	Name of Bus Stop	Towards	PLACE(NEAR)	Route Passing
1	2	3	4	5
1	AIIMS Ring Road	Dhaula Kuan	AIIMS	323, 392, 392B, 398, 400, 433, 442, 460, 479, 507, 540, 542, 543, 543A, 544, 544A, 567, 567A, 611, 611A, 623, 623A, 623B, 711, 711A, 724, 724A, 724C, 727, 984A, TMS+, Anad Vihar-G.Gaon
2	AIIMS Ring Road	Asram	Kedwai Nager	323, 392, 392B, 398, 400, 433, 442, 460, 479, 507, 540, 542, 543, 543A, 544, 544A, 567, 567A, 611, 611A, 623, 623A, 623B, 711, 711A, 724, 724A, 724C, 727, 984A, TMS+, Anad Vihar-G.Gaon
3	Hauz rani	Shekh Sarai	Hauz Rani Mkt.	448A, 493, 534, 534A, 548, OMS(+)
4	Hauz rani	Press Enclave	City Walk	448A, 493, 534, 534A, 548, OMS(-)
5	Adhachini Vill.	Katwaria Sarai	Hariyana Tourism land	448A, 448B, 511, 511A, 523, 680, OMS(+)
6	Adhachini Vill.	MMTC	Hariyana Tourism land	448A, 448B, 511, 511A, 523, 680, OMS(-)
7	MMTC/STC/PTS	PTS	MMTC Colony	448, 448B, 502, 505, 516, 517, 519, 523, 536, 680, 725, OMS(-)

8	PTS Press Enclave Road	Saket	Police Tr. School	413, 448A, 448B, 493, 534, 534A, 680, OMS(-)
9	PTS	MMTC	PTS School	448, 448B, 502, 505, 516, 517, 519, 523, 536, 680, 725, OMS(+)
10	Gitanjali	Hans Raj Marg	PNB Bank	448, 448B, 493, 500, 512, 522A, 534, 534A, 548, 680, OMS(+)
11	Gitanjali	MMTC	In front of PNB Bank	448, 448B, 493, 500, 512, 522A, 534, 534A, 548, 680, OMS(+)
12	Saket A Block	MMTC	R-Pithora Culture Club	448A, 448B, 493, 500, 512, 522A, 534, 534A, 548, 680, OMS(+)
13	Saket A Block	Hans Raj Marg	Metro St. Malvia Nager	448A, 448B, 493, 500, 512, 522A, 534, 534A, 548, 680, OMS(-)
14	Press enclave	MMTC	Press enclave	448A, 448B, 493, 522A, 534A, 548,
15	Press enclave	Hans Raj Marg	Huaz Khas Marg	448, 448B, 493, 500, 512, 522A, 534, 534A, 548, 680, OMS(-)
16	Hauz rani	MMTC	Max Hospital	448, 448B, 493, 522A, 534, 534A, 548,
17	Hauz rani	Saket Mkt.	Hauz Rani Mkt.	448A, 448B, 493, 500, 512, 522A, 534, 534A, 548, 680, OMS(-)
18	Bhavisha Nidhi Enclave	Begampur	Shivalik Enclave	413, 419EXT, 500, 503, 512, 520, 522A, 522EXT, 542, 548
19	Arvindo Collage	Chirag Delhi	In Front of Arvindo Collage	413, 500, 512, 522A, 548

1	2	3	4	5
20	MMTC/STC	Lado Sarai	MMTC/ STC	448A, 502, 505, 516, 517, 519, 523, 536, 548, 680, 725, OMS(-)
21	Adhachini	Lado Sarai	BSES Office	5O2, 505, 511, 511A, 516, 517, 519, 523, 536, 548, 605, 725
22	Mother School	Lado Sarai	Mother School	502, 505, 548
23	Mother School	Lado Sarai	Mother School	511, 511A, 516, 517, 519, 536, 605, 725
24	IITGate	Lado Sarai	Aazad Apartment	502, 503, 505, 511, 511A, 516, 517, 519, 536, 605, 725
25	Padmini Enclave	I IT Gate	Padmini Enclave	335, 344, 507, 542
26	Padmini Enclave	IITGate	Padmini Enclave	335, 344, 502, 503, 505, 512, 516, 517, 519, 536, 542, 548, 605, 725
27	Hauz Khas	Poorvanchal	In Front Of mazidia	335, 344, 502, 503, 505, 512, 516, 517, 519, 536, 542, 548, 605, 725
28	Yusuf Sarai	Lado Sarai	Yusuf Sarai Mkt.	335, 344, 502, 503, 505, 512, 516, 517, 519, 536, 542, 548, 605, 725
29	AIIMS Arvindo Marg	Lado Sarai	AIIMS	335, 344, 502, 503, 505, 512, 516, 517, 519, 536, 542, 548, 605, 725
30	TB Hospital	AIIMS	TB Hospital	413, 493, 534, 534aA
31	TB Hospital	AIIMS	TB Hospital	502, 505, 516, 517, 519, 523, 536, 725
32	PTS	AIIMS	Police Tr. School	502, 505, 516, 517, 519, 523, 536, 680, 725, OMS(+)

33	MMTC/PTS	AIIMS	In Front of MMTC/ STC	502, 505, 516, 517, 519, 536, 725
34	MMTC/PTS	AIIMS	In Front of MMTC/ STC	523, 680, OMS(+)
35	Adhchini	AIIMS	Opp. Adhchini Vill.	502, 511, 511A, 516, 517, 519, 536, 605, 725
36	Mother School	AIIMS	Opp. Mother School	502, 505, 605, 725
37	Mother School	AIIMS	Opp. Mother School	511, 511A, 516, 517, 519, 536
38	IITGate	AIIMS	MTNL Office	335, 344, 502, 503, 505, 507, 512, 516, 517, 519, 536, 542, 548, 605, 725
39	Padmini Enclave	AIIMS	Opp. Chor Minar	335, 344, 502, 503, 505, 507, 512, 516, 517, 519, 536, 542, 548, 605, 725
40	Huaz Khas	AIIMS	Masjid	335, 344, 502, 503, 505, 507, 512, 516, 517, 519, 536, 542, 548, 605, 725
41	Yusuf Sarai	AIIMS	West Ansari Nager Colony	335, 344, 502, 503, 505, 507, 512, 516, 517, 519, 536, 542, 548, 605, 725
42	S.J. Hospital	AIIMS	S.J. Hospital	335, 344, 502, 503, 505, 507, 512, 516, 517, 519, 536, 542, 548, 605, 725
43	NT Gate	Vasant Vihar	IIT Main gate Depot	507, 620, 764, 765
44	NT Gate	Nehru Place	SDA Mkt.	507, 620, 764, 765
45	Sarpriya Vihar	Vasant Vihar Depot	Sub Way	503, 512, 520, 542, 548

1	2	3	4	5
46	Sarpriya Vihar	Vasant Vihar Depot	Sub Way	511, 511A, 520, 764
47	Sarpriya Vihar	Nehru Place	Laxman Public School	503, 511, 511A, 512, 520, 542, 548, 620, 764, 765
48	Punchsheel	Nehru Place	RBI Colony	511, 511A, 540, 764
49	Punchsheel	Vasant Vihar Depot	In Front of RBI Colony	511, 511A, 540, 764
50	Sadana Enclave	Vasant Vihar Depot	Sadana Enclave	511, 511A, 540, 764
51	Sadana Enclave	Nehru Place	In Front of Sadana Enclave	511, 511A, 540, 764
52	PNB Gitanjanli	Arvindo Marg	Quila Rai Pithora	448A, 493, 500, 512, 522A, 534, 534A, 548, 680, OMS(+)
53	PNB Gitanjanli	Press Enclave	PNB Gitanjanli	448A, 493, 500, 512, 522A, 534, 534A, 548, 680, OMS(-)
54	Gitanjali Enclve	Arvindo Marg	Gitanjali Mkt.	413, 500, 512, 522A, 548
55	Arvindo Collage	Begampur	Arvindo Collage	413, 500, 512, 522A, 548
56	Arvindo Collage	Press Enclave	Delhi Jal Board Office	413, 500, 512, 522A, 548
57	Malvia nager	Arvindo Marg	Malvia Nager	413, 500, 512, 522A, 548

58	Malvia Nager, Shivalik Main Road	Bhavishanidhi Enlcave	In Front of Malvia Nager	413, 500, 512, 522A, 548
59	Begam Pur Shivalik	Andruj Ganj	Begampur	413, 500, 512, 522A, 548
60	Begampur	Arvindo Marg	In Front of Begam pur	413, 500, 512, 522A, 548
61	Bhavishanidhi Enlcave	Andruj Ganj	Bhavishanidhi Enlcave	413, 500, 512, 522A, 548
62	Bhavishanidhi	F Block Malvia Nagar	In Front of Bhavishanidhi Enlcave	413, 500, 503, 512, 520, 522A, 542, 548
63	Malvia Nager Corner	F Block Malvia Nagar	Malvia Nagar Corner Mkt.	419EXT, 503, 511EXT, 520, 522EXT, 542
64	Malvia Nager More	F Block Malvia Nagar	Tumb Malvia Nagar	419EXT, 503, 511EXT, 520, 522EXT, 542
65	Malvia Nagar Mkt.	Bhavishanidhi Enlcave	Central Bank	419EXT, 503, 511EXT, 520, 522EXT, 542
66	Malvia Nagar	F Block Malvia Nagar	Neel Block Malvia Nagar	503, 520, 542
67	Malvia Nagar	F Block Malvia Nagar	F Block Terminal	503, 520, 542
68	F Block Malvia Nagar	Malvia Nagar	A Block Shivalik	419EXT, 503, 511EXT, 520, 522EXT, 542

1	2	3	4	5
69	Malvia nager-1	Malvia Nagar Bazar	Block Malvia Nagar	503, 520, 542,
70	Malvia nager-2	Malvia Nager Bazar	Neel Block Malvia Nagar	519EXT, 511EXT, 522EXT.
71	Punchsheel Club	Khel Gaon	RBI Colony	413, 419EXT, 500, 522A, 522EXT, 540
72	Punchsheel Club	Malvia Nager	In Front of RBI Colony	413, 419EXT, 500, 522A, S22EXT, 540
73	Huaz Khas Terminal-1	PTS	Huaz Khas Terminal	335,
74	Huaz Khas Terminal-2	PTS	Huaz Khas Terminal	344
75	Huaz Khas Terminal-3	PTS	Huaz Khas Terminal	620
76	Huaz Khas Terminal-4	PTS	Huaz Khas Terminal	765
77	Huaz Khas Terminal-5	PTS	Huaz Khas Terminal	_
78	Huaz Khas Terminal-6	PTS	Huaz Khas Terminal	
79	Africa Avenu	Poorvanchal Hostal	Africa Avenu	512, 536, 544, 610, 610A, 610B, 615
80	Africa Avenu	Minto Road	Musical Park	512, 536, 544, 610, 610A, 610B, 615

81	Africa Avenu	As ram	Sarojini Nager	578, 578A, 623, 623A, 623B, 711A, 727
82	Africa Avenu	Dhola Kuan	Naroji Nager	623, 623A, 623B, 711, 711A
83	Kamal Cinema	Mohmand Pur	Dairy Office	610A, 611, 621
84	Green Field School	Kamal cinema	Greem Field Main Gate	610A, 611, 621
85	Green Field School	Mohmand Pur	OAK Green Field School	610A, 611, 621
86	S.J. Enclave	Mohd. Pur	S.J. enclave Bus Terminal	544A, 610A
87	S.J. Enclave NCC Office	S.J. Market	S.J. Enclave NCC Market	544A, 610A
88	Sanskrit Vidya Pith	NCERT	In Front of Sanskrit Vidya Pith	448A, 448B, 511, 511A, 523, 680, OMS(-)
89	Sanskrit Vidya Pith	Munirka	Sanskrit Vidya Pith	448A, 448B, 511, 511A, 523, 680, OMS(+)
90	Katwaria Sarai	NCERT	Katwaria Sarai	448A, 448B, 511, 511A, 623, 680, OMS(-)
91	Katwaria Sarai	Munirka	Statical Institute	448A, 448B, 511, 511A, 623, 680, OMS(+)
92	Qutab Hotel	Munirka	Qutab Hotel Bldg.	448A, 448B, 511, 511a, 523, 680, OMS(+)

1	2	3	4	5
93	Qutab Hotel	NCERT	In Front of Qutab Hotel	448A, 448B, 511, 511a, 523, 680, OMS(-)
94	NCERT	Adhchini	NCERT Main Gate	448A, 448B, 511, 511a, 523, 680, OMS(-)
95	NCERT	Katwaria Sarai	CRPF Camp	448A, 448B, 511, 511A, 523, 680, OMS(+)
96	Niti Bagh	Andrews Ganj	DDA Park Gate No.-11	413, 419ext, 500, 522A, 522EXT, 540, 544, 544A, 530, 724C
97	Anand Lok	Malviya Nagar	HDFCBank	413, 419ext, 500, 522A, 522EXT, 540, 544, 544A, 580, 724C
98	Udai Park	Andrews Ganj	Gate No.-l Udai Park	413, 419ext, 500, 522A, 522EXT, 540, 544, 544A, 580, 724C
99	Ayurvigyan Nagar -1	Malviya Nagar	Ayur vigyan Sansthan	540, 544, 544A, 580, 724C
100	Ayurvigyan Nagar-2	Malviya Nagar	Ayur vigyan Sansthan	413, 419EXT, 500, 522A, 522EXT
101	Ayurvigyan Nagar -1	Andrews Ganj	Infront HP Petrol Pump	413.419EXT, 500, 522A, 522EXT
102	Ayurvigyan Nagar-2	Andrews Ganj	Infront HP Petrol Pump	540, 544, 544A, 580, 724C

Delhi Transport Corporation
(Govt. of NCT of Delhi)
Traffic Deptt. Scindia House
New Delhi-110 001
Tel Nos. 01123752769-75, Fax 01123752765
E-Mail-dtc_trdeptt@yahoo.in Website-www-dtc-nic-in

No.TR/Sch/2/MLA (Malviya Nagar AC-43)/2018/1954 Dated: 30.05.2018

Shri Somnath Bharti,
Hon'ble MLA (Malviya Nagar AC-43),
NIL,-26, Malviya Nagar,
New Delhi-110017.

Sub:- Bus service from Hauz Khas to Safdarjung Hospital & then left turn on ring road.

Sir,

Please refer to your D.O. letter No. SB/3580 dt. 2.5.18 forwarding therewith copy of grievance dt. 29-1l-16 and its enclosures of Shri R.C. Gupta, C-38, Green Park, New Delhi-110016 regarding to re-introduced the service of route No. 624A from Malviya Nagar to S.J. Hospital via Green Park. Yusuf Sarai, S.J. Hospital and left turn to King Road.

The matter has been examined and necessary comments are as under:–

1. At present the service of route No.536 is operating from R.K. Puram Sector-1 to Chhatarpur Extn, which is passing through Mehrauli, Hauz Khas & S.J. Hospital. One more bus has been deployed on the said route w.e.f. 23.5.2018. Now two buses have been scheduled on the above route for operating.

2. The service of route No. 624A is being operated jointly by DTC & Cluster buses under Unified Time Table between Munirka & Anand

Vihar (ISBT). The matter regarding to start the service of route No.624A as per demand is being sent to DoT, Transport Deptt. alongwith copy of above letter dt. 2.5.1 8 and its enclosures for necessary action.

3. The area commuters may avail the existing services presently available for reaching to their destination directly or may avail change over facility to reach at any convenient point.

4. The Regional Manager (South) is being requested to monitor the operation of above routes in the area and to direct the concerned DMs to ensure regular operation of related route.

Assuring best of co-operation at all times.

Thanking you,

Yours faithfully,

(Anuj Sinha)
Dy. CGM (Traffic)

C.C. to: (1) Shri Subodh Kumar, Deputy Commissioner, (STA, Cluster & DTC Sectt.), Govt. of NCT of Delhi, Transport Deptt., 5/9, Under Hill Road, Delhi-110054. : w.r.t. point No. 2 alongwith copy of above letter dt.2-5-18 and its enclosures for necessary action.

(2) CGM (Tr.): For information please.

(3) RM (South): w.r.t. point No. 4 for necessary action.

Delhi Transport Corporation
(Govt. of NCT of Delhi)
Traffic Deptt. Scindia House
New Delhi-110 001
Tel Nos. 01123752769-75, Fax 01123752765
E-Mail-dtc_trdeptt@yahoo.in Website-www-dtc-nic-in

No.TR/Sch/2/MLA (Malviya Nagar AC-43)/2018/1051 Dated: 20.03.2018

Shri Somnath Bharti,
Hon'ble MLA (Malviya Nagar AC-43),
NIL,-26, Malviya Nagar,
New Delhi-110017.

Sub:- Provide cluster bus on route No. 765.

Sir,

Please refer to your D.O. letter No. SB/2883 dt. 16.12.18 forwarded by Secretary to Hon'ble Minister (Transport), GNCTD vide letter No. 1390 dt. 7.3.2018 alongwith copy of joint representation of the area residence of Bakkarwala, JJ Colony regarding to provide cluster buses on route No. 765.

The matter has been examined and necessary comments are as under:-

1. At present 2 trips of route No.765 are scheduled to operate in the morning at 06.40 AM & 0.820 AM from Bakkarwala JJ Colony (Lok Nayak Puram) to Hauz Khas (T) and returned one trip in the evening at 18.00 PM from Hauz Khas (T) to Bakkarwala JJ Colony (Lok Nayak Puram) for the convenience of area passengers.

2. The matter regarding to provide cluster buses on route No.765 is being sent to Deptt. of Transport, GNCTD alongwith copy of grievance for necessary action.

3. The concerned Depot Managers are being requested to ensure regular operation of related trips of route No.765.

Assuring best of co-operation at all times.

Thanking you,

Yours faithfully,

(Anuj Sinha)
Dy. CGM (Traffic)

C.C. to:

(1) Shri C.P. Singh,
Secretary to Hon'ble Minister,
Office of the Minister of Law,
Justice & Legislative Affairs,
Transport, Administrative Reforms,
Information & Technology and
Revenue, GNCTD, 8th Level,
'A' Wing,
Delhi Secretariat, I.P. Estate,
New Delhi-1 10002.
: w.r.t. letter No.1390 dt. 7.3.18 for information please.

(2) The Special Commissioner
(Transport),
Department of Transport,
Govt. of NCT of Delhi,
5/9 Under Hill Road,
Delhi-11005",
: w.r.t. point No. 2 alongwith copy of grievance for necessary action please.

(3) OSD to CMD: w.r.t. diary No. 4453 dt. 8.3.18 for kind information of CMD please.

(4) CGM (Tr.): w.r.t. diary No. 244 for information please.

(5) DMs (DKD, DWS-2 & NLD): w.r.t. point No. 3 for necessary action please.

MOST IMMEDIATE
OUT TODAY
THROUGH M.C.m.

DELHI TRANSPORT CORPORATION
(A GOVT. OF INDIA UNDERTAKING)
I.P. ESTATE: NEW DELHI

No. TR/1/l30/(Ch. Day)/86/2964 Dated : 13.11.86

Sub: Free travel to children upto the age 5 years.

It is notified for the information and necessary action by all concerned that as decided by the ETC Board vide Resolution No. 161/86 dated 10.11.86 and approved by the Central Govt., children upto the age of 5 years shall be allowed to travel free in DTC buses on city routes w.e.f. 14.11.86; the "Children's Day". The DTC will, however, continue to charge the same tariff as applicable on otuer State Transport Undertakings on Inter-State routes for this age group of children.

Regional Managers & Depot Managers will instruct the Traffic Supervisory & Operational Staff that children upto the age of 5 years are allowed to travel free in DTC buses on city routes. The very purpose of a good gesture will be defeated if the orders are not carried out by the operational staff in right earnest.

These instructions may also be repeated on the public address system for information and strict compliance by the concerned staff.

(P. DUTTA)
DY. GENERAL MANAGER (T) HQRS.

All Regional Managers.
All Depot Managers.

CC to:- All HQDs.

CC to:- Secy. DTC Board, with reference to memo No. SB/Addl. G.M.(T)/149/86 dated 7.11.986.

CC to:- F.R.M.

CC to:- Central Communication Centre.

CC to:- P.S. to Chairman for information of the C.M.D.

DELHI TRANSPORT CORPORATION
(GOVT. OF N.C.T. OF DELHI)
SCINDIA HOUSE : NEW DELHI.

TR/1/FS (l0)/2002/ 3331 Dated : 26-5-02

Further to this office memo No. TR-I/(FS)/10/02/2099 dated 17.05.2002, it is hereby notified for information and necessary action by all concerned that as per the decision taken by the DTC Board vide Resolution No. 54/2002 : Item No. 42/2002 that the fare chargeable from children between the age of 5 years to 12 years will be as under:-

Distance	Fare for Adult	Fare for Children
Upto 4 Kms.	Rs. 2.00	Rs. 1.00
Upto 8 Kms.	Rs. 5.00	Rs. 3.00
Upto 12 Kms.	Rs. 7.00	Rs. 4.00.
Upto 16 Kms. & above.	Rs. 10.00	Rs. 5.00
For Green Lines & LTD' s of DTC.	Rs.10.00	Rs. 5.00

(A.K. SHARMA)
DY. CHIEF GENERAL MANAGER (O&T)

ALL HODs
ALL RMs
ALL DMs
ALL MGRS./DY. MGRS. (Tr.) CHECKING.

cc to :- Sr. Manager (Traffic).

cc to :- PS to CMD for Kind information of CMD.

cc to :- Manager (Printing Press) for taking immediate action for getting the half fare denomination tickets printed.

<u>Type of passes & Requirement for pass making</u>

The Corporation issues monthly passes to the commuters for its City Buses. Commuters willing to have DTC passes are required to fill up a Form which is available for Re. 1/- at all pass-sections of DTC. The requirements for different categories of passes are as under: [To pay Rs. 15/- for ID Card charge].

	Category	Monthly Charges	Requirements	Period of issue Pass
	1	2	3	4
Students	Destination & All Route Pass (Ordinary) (Non AC)	Rs. 100/-	The Form duly filled & a photo – both attested by the institution authorities, valid ID Card and the fee receipt issued by the Institution	Same Day
	All Route (Special) (Non AC)	Rs. 150/-		Same day
BPL/AAY Family member	All Route (Non AC)	Rs. 500/-	BPL/AAY Certification/ i.e. Food Security card AAY/PRS Cards documentation issued by competent authority of GNCTD. Residence Proof such as Ration Card or Adhar Card or Voter ID Card	Same Day

	1	2	3	4
General Public	All Route Pass (Non AC) City service	Rs. 800/-	No document required.	Same Day
	All Route Pass AC (City Service)	Rs. 1000/-		Same Day
	Interstate (NCR) Passes on non AC Buses			Same Day
	Delhi - GGN	Rs. 1500/-		Same Day
	Delhi - Bahadurgarh	Rs. 1160/-		Same Day
	Delhi - Faribabd	Rs. 1800/-		Same Day
	Delhi - Ghaziabad	Rs. 1600/-		Same Day
Media Persons	All Route (Non AC)	Rs. 100/-	Accredition Card issued by Press Information Bureau (PIB) or Directorate of Information & Publicity (DIP). Besides all City Service Buses, also valid in the DTC buses bound for Ghaziabad, Gurgaon, Faridabad, Bahadur Garh and Greater Noida.	Same Day
	All Route (AC)	Rs. 200/-		Same Day

Senior Citizen	All Route (Non AC)	Rs. 50/-	Residence proof (such as Ration Card, Election ID Card, Aadhar Card, Pass Port) any one, for Age proof Passport/ School Certificate/Driving License/ Pension Book, Radiological Report, Birth Certificate, PAN Card. (Any one)	Same Day
60 Years & (above)	All Route (AC)	Rs. 150/-		Same Day
Other Disabled Persons	All Route (AC/Non AC)	Free	Valid proof of Residence in Delhi, I.D. Card issued by the SDM, Disability Certificate issued by a Govt. Hospital. {Deaf & Dumb (60 decibel), Blinds (1/60 to 6/60 - both eyes) and Physically Handi-capped (40% or above) only are entitled. One escort is allowed to travel free with the blind & charged 50% fare}. Disability should be as defined in Persons with Disabilities Act, 1995.	Same Day
Blind Disabled Persons	All Route AC/Nort-AC in NCTD and NCR in satellite towns (issued to blind persons only)			Same Day

	1	2	3	4
Mentally Retarded and Mentally ill Persons	All Route (AC/Non AC) alongwith one attendant	Free	Valid proof of Residence in Delhi, I.D. Card issued by the SDM, Disability Certificate issued by a Govt. Hospital. Disability should be as defined in Persons with Disabilities Act, 1995.	Same Day
Freedom Fighters	All Route (Non AC City & Inter State) alongwith one attendant	Free	Pension Payment Order, for receipant of pension under "Swatantra Sainik Samman" Scheme, Bank Certificate and Valid Proof of Residence in Delhi.	Same Day
War-widows & dependents	All Route (Non AC)	Free	Certificate issued by Ministry of Defence & valid proof of residence in Delhi. (War-widows/ dependents children of the martyrs of 1962, 1965 & 1971 War only are entitled).	Same Day

National Award Winners	All Route (Non AC)	Free	Certificate of Award, valid proof of residence in Delhi. (Valid for Bharat Ratan, Padam Bhushan, Padam Vibhushan & Padam Shree only are entitled).	Same Day
International Sports Persons	All Route (Non AC)	Free	Certificate issued by Sports Authority of India and host country for representing India in any event in Asian & Olympic games. Valid proof of residence in Delhi.	Same Day
MP/MLA with attendant	All Route (Non AC)	Free	MP/MLA Identity Card	Same Day

215- Jh fxjh'k lkuh % क्या **ekuuh; ifjogu e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंगोलपुरी विधानसभा क्षेत्र में चलने वाली एसी/साधारण/क्लस्टर/प्राइवेट बसे कितनी हैं तथा किस–किस रूप पर चलाई जा रही है, पूर्ण विवरण प्रस्तुत करें;

(ख) क्या यह सत्य है कि ये बसें से चलें, यह सुनिश्चित करने के लिए दि.प.निका सतर्कता अनुभाग या कोई अन्य अथॉरिटी इसका ध्यान रखती है;

(ग) यदि हां तो जनवरी, 2018 से अब तक तत्संबंधित कितनी बार कार्रवाई की गयी; दस्तावेजी प्रमाण सहित विवरण प्रस्तुत करें; और

(घ) उपरोक्त से संबंधित मंगोलपुरी विधान सभा क्षेत्र के संबंधित अधिकारियों के नाम, पते, पद, मोबाइल नं. आदि भी उपलब्ध करायें?

ekuuh; ifjogu e=h % (क) (1) दिल्ली परिवहन निगम के अंतर्गत मंगोलपुरी विधानसभा क्षेत्र में चलने वाली नॉन एसी और एसी बसों का ब्यौरा निम्नलिखित है:—

टिर्मिनल	रूट	एसी	नॉन.एसी	कुल
1	2	3	4	5
मंगोलपुरी क्यू ब्लॉक से सफदरगंज (ट)	568	4	10	14
मंगोलपुरी क्यू ब्लॉक तिलक नगर	808	0	7	7

1	2	3	4	5
मंगोलपुरी क्यू ब्लॉक से आनंद विहार	939	6	7	13
मंगोलपुरी क्यू ब्लॉक से शिवाजी स्टेडियम	940	0	12	12
मंगोलपुरी क्यू ब्लॉक से इन्द्रपुरी	940ए	0	4	4
मंगोलपुरी क्यू ब्लॉक से निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन	966 एक्सट्रा	4	0	4
कुल बसें		14	40	54

(1) क्लस्टर सेवा के अंतर्गत मंगोलपुरी विधान सभा क्षेत्र से 3 रूटों पर 37 क्लस्टर नॉन एसी बसें चल रही हैं तथा 06 अन्य रूटों की 118 कलस्टर नॉन एसी बसें मंगोलपुरी विधान सभा क्षेत्र से होकर गुजरती है।

(2) मंगोलपुरी विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न रूटों पर चलने वाली नॉन एसी प्राईवेट मिनी स्टेज कैरिज बसें व दिल्ली मैट्रो फीडर बसों का ब्यौरा निम्नलिखित हैः—

क्र. सं.	रूट संख्या	कहां से	कहां तक	बसे
1	2	3	4	5
1.	एफ—125ए	सुल्तानपुरी	जहांगीर पुरी स्टेशन	24

1	2	3	4	5
2.	एफ–912ए	पीरागढ़ी	बवाना	12
3.	एफ–831ए	रामा विहार	रोहिणी वेस्ट मैट्रो स्टेशन	14
4.	एफ–106ए	कझांवला	पीतमपुरा मैट्रो स्टेशन	25
5.	एमएल–86	राजौरी गार्डन मैट्रो स्टेशन	सुल्तानपुरी टर्मिनल	06
6.	एमएल–26	उत्तर नगर मैट्रो स्टेशन	सुल्तानपुरी टर्मिनल	07

(ख) जी हां।

(ग) जी हां, तैनात समय पालक निरीक्षण के लिए जिम्मेवार होता हे, डिपो कार्यालय द्वारा तथा उत्तरी चैकिंग कार्यालय द्वारा नियमित जांच चालक ड्यूटी मीमो, सवांहक वेबिल तथा समय पालक सीट की जाती है तथा अधिकारियों द्वारा मासिक रूप से जनजांच (Mass Checking) की जाती है। जिसका समय और दिनांक उच्चाधिकारियों द्वारा निर्धारित किया जाता है तथा समय–समय पर संबंधित अधिकारी औचक निरीक्षण भी करते हैं। जनवरी, 2018 से वर्तमान तक दिनांक 24.07.2018 को एक रिपोर्ट बनी जिसको क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय द्वारा डिपो प्रबंधक रोहिणी डिपो–3 को भेज दिया गया है और डिपो स्तर पर विभागीय कार्यवाही जारी है जिसकी प्रतिलिपि परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(घ) संबंधित अधिकारियों के संपर्क नंबर निम्न प्रकार है;–

श्री यूठीएसत्रि, क्षेत्रीय प्रबंधक (उत्तर)– 8744073061, 01127198567

श्री विकास कुमार सचान, डिपो प्रबंधक, रोहिणी डिपो

1. 01127043698, 01127043940, 0118744073166

2. श्री राजीव लांबा, डिपो प्रबंधक, रोहिणी डिपो

3. 01127945113, 01127945123, 8744073146
श्री एम.के शर्मा, क्षेत्रीय प्रबंधक(पश्चिम) 8744073035, 01128113525
श्री रमेश सिंह, डिपो प्रबंधक, पीरागढ़ी डिपो
01125256533, 01125267599, 8744073150

परिशिष्ट–'क'

fnYyh ifjogu fuxe

¼jk-jk- {k= fnYyh ljdkj½

प्रपत्र सं. सी–880716

tkp&fjiksV

रिपोर्टर का नाम श्याम दत्त मिश्रा, ए–टी9 T.No. 43635 दिनांक 4.7.2018 बस सं. 820/रूट केरा/स्थान जहां पकड़ी मंगोलपुरी क्यू ब्लॉक समय 07.20 यात्रियों की संख्या (भुगतान किया) निशुल्क जोड़ स्थान जहां छोड़ी

चालक का नाम 8201संवाहक का नाम चालक द्वारा अभद्र व्यवहार करना एवं गाली ग्लोज देना डिपो रोहिणी डिपो–3 जोन/खंड

fo"k;

महोदय बस संख्या 8201 जोकि समय ठीक 7.20 से मंगोलपुरी क्यू ब्लॉक पर खड़ी थी चालक को पूछा बिरा बोर्ड लगाये कैसे खड़ी है, तो चलक ने मेरे साथ गाली ग्लोज की फिर 720 पर मैंने N.C.R. में D/o साहब को फोन किया जो कि NCR Report No. 90/3 है। N.C.R. ने चैकिंग जीप 7034 भेजी जो कि 8 बजे के बाद आईवह चालक 8201 का बिना बोर्ड लगाये ट्र. पोइन्ट से बस को ले गया। फिर 7034 में अधिकारी चैकिंग के आये और मेरे सीट में ट्रिप के आगे मिस पर अपने हस्ताक्षर करके चले गये उपरोक्त चालक ने मुझे कहा कि आपकी नौकरी समाप्त कर दूंगा लिखित में सूचना प्रस्तुत है।

प्रार्थी
नाम – श्याम दत्त मिश्रा
सा.या. निरीक्षक टे.न. 43635
ड्यूटी मंगापुरी ट्रर्मिनल
दिनांक 24.7.2018
चैकिंग कार्यालय आजादपुर ट्रर्मिनल

216- Jh fotsUnz xxZ % क्या **ekuuh; ifjogu ea=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बुद्ध नगर, इन्द्रपुरी तथा कृषि कुंज से संचालित की जा रही डीटीसी की बसों के रूट तथा समय सारणी की विस्तृत जानकारी प्रदान की जाए;

(ख) दिल्ली सरकार द्वारा डीटीसी की नई बसों को लाने की योजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) इस योजना के अंतर्गत कितनी नई बसें आ रही हैं; और

(घ) किन नए एवं पुराने रूटों पर नई बसों का परिचालन किया जाएगा; इसकी विस्तृत जानकारी प्रदान की जाए?

ekuuh; ifjogu e=h % (क) कलस्टर बस के अंतर्गत इन्द्रपुरी, कृषि कुंज से संचालित बस रूट निम्नलिखित हैं:—

रूट संख्या	से	तक	बसों की संख्या
78	इन्द्रपुरी (कृषि कुंज)	आजाद पुर	19
522ए	इन्द्रपुरी (कृषि कुंज)	अंबेडकर नगर	10
47ए	इन्द्रपुरी (जे.जे. कॉलोनी)	सीडब्लूएस—II तेहखंड डिपो	13

इनकी समय सारणी **lyXu ßdÞ** पर उपलब्ध है।

बुद्ध नगर, इन्द्रपुरी तथा कृषि कुंज से संचालित की जा रही डीटीसी की बसों के रूटों का अनुसूचित विवरण समय सारिणी सहित **lyXu ^[k*** पर उपलब्ध है।

(ख) दिल्ली परिवहन निगम ने 15.03.2015 को ग्लोबल टेंडर, 1000 नई स्टैंडर्ड फ्लोर बसों की खरीद के लिए किया था और 10.05.2018 को यह टेंडर खोला गया था जिसके अंतर्गत केवल एक बिड प्राप्त हुई है। तभी निपुन मल्होत्रा बनाम दिल्ली सरकार केस में स्टैंडर्ड बसों की खरीद का मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 1.6.2018 में स्टैंडर्ड फ्लोर बसों की खरीद पर रोक लगा दी थी। अगली तारीख 14.08.2018 है।

उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 01.06.18 के विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में स्पेशल लीव पिटीशन (SLP) लगायी गयी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपने ओरल आदेश दिनांक 02/08/2018 द्वारा केवल 500 क्लस्टर बसों की engagement की अनुमति प्रदान की है हालांकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का विस्तृत आदेश अभी पारित नहीं हुआ है।

(ग) इस योजना के अंतर्गत डीटीसी में 1000 स्टैंडर्ड फ्लोर (फ्लोर हाईट 900 मिमि) सीएनजी बसें आ रही है।

इसके अतिरिक्त दिल्ली परिवहन निगम की 500 (400 नॉन एसी व 100 एसी) लो फ्लोर बसों की खरीद की योजना है।

(घ) नई बसों के आने के उपरांत इसका निर्धारण किया जाएगा।

lyXu ßdÞ

Annexure 5(b) (Question no. 216): Time table of routes serving Inderpuri Krishi Kunj

Route No.	Timings of services scheduled from Inderpuri							
1	2							
Route	07:26	07:42	07:58	08:14	08:30	08:38	08:46	08:54
47A	09:02	09:18	09:34	09:50	10:06	11:26	11:42	11:58
	12:14	12:30	12:38	12:46	12:54	13:02	13:18	13:34
	13:50	14:06	15:50	16:06	16:22	16:38	16:54	17:02
	17:10	17:18	17:26	17:42	17:58	18:14	18:30	19:50
	20:06	20:22	20:38	20:54	21:02	21:10	21:18	21:26
	21:42	21:58	22:14	22:22				

1	2							
Route	07:01	07:29	07:57	08:11	08:25	08:39	08:53	09:03
522	09:11	09:14	09:28	09:32	09:42	09:53	09:56	10:10
	10:14	10:17	10:24	10:38	10:45	11:13	11:41	11:55
	12:09	12:23	12:37	12:45	12:55	12:58	13:12	13:16
	13:26	13:37	13:40	13:54	13:58	14:01	14:08	14:22
	14:43	15:11	15:39	15:53	16:07	16:21	16:31	16:35
	16:53	16:56	17:10	17:14	17:24	17:35	17:38	17:52
	17:56	17:59	18:06	18:20	18:27	18:55	19:23	19:37
	19:51	20:05	20:19	20:26	20:37	20:40	20:54	20:58
	21:08	21:19	21:22	21:36	21:40	21:43	21:50	22:04
Route	06:20	06:26	06:32	06:38	06:44	06:50	06:56	07:02
78	07:08	07:14	07:20	07:26	07:32	07:38	07:44	07:50
	07:56	08:02	08:08	08:14	08:20	08:26	08:32	08:38
	08:44	08:50	08:56	09:02	09:08	09:14	09:20	09:26
	09:32	09:38	09:44	09:50	09:56	10:02	10:14	10:20
	10:26	10:32	10:38	10:44	10:50	10:56	11:02	11:08
	11:14	11:20	11:26	11:32	11:38	11:44	11:50	11:56
	12:08	12:26	12:32	12:38	12:44	12:50	12:56	13:02
	13:08	13:14	13:20	13:26	13:32	13:38	13:44	13:50
	13:56	14:02	14:08	14:14	14:38	14:44	14:50	14:56
	15:02	15:08	15:14	15:20	15:26	15:32	15:38	15:44
	15:50	15:56	16:02	16:08	16:14	16:20	16:26	16:32

1	2							
Route	16:38	16:44	16:50	16:56	17:02	17:08	17:14	17:20
78	17:26	17:32	17:38	17:44	17:50	17:56	18:02	18:08
	18:14	18:20	18:32	18:38	18:44	18:50	18:56	19:02
	19:08	19:14	19:20	19:26	19:32	19:38	19:44	19:50
	20,02	20:08	20:20	20:26	20:38	20:44	20:50	20:56
	21:02	21:08	21:14	21:20	21:26	21:32	21:38	21:44
	21:50	21:56	22:02	22:08	22:14	22:17	22:23	22:29

IyXu ß[kÞ

Route No. 47A

Departure Time

Inder Puri to CWS-II		C.W.S.-II to Inder Puri	
1		2	
0534	1534	0622	1517
0606	1542	0638	1532
0622	1558	0726	1606
0646	1614	0758	1622
0806	1630	0814	1702
0822	1701	0830	1718
0850	1716	0838	1750
0910	1750	0854	1806
0926	1806	0942	1822

1		2	
0942	1846	0958	1838
0958	1926	1014	1909
1022	1934	1105	1926
1038	1958	1126	2006
1102	2014	1142	2038
1150	2030	1158	2102
1206	2053	1214	2118
1222	2110	1238	2150
1422	2230	1358	2214
1510		1414	

Route No. 159

Departure Time

Inder Puri to Jahangir Puri E-Block		Jahangir Puri E-Block to Inder Puri	
1		2	
0514	1434	0624	1544
0542	1502	0652	1612
0706	1516	0816	1626
0734	1530	0844	1640
0748	1544	0858	1654
0802	1558	0912	1708
0816	1612	0926	1722
0830	1626	0940	1736

1		2	
0844	1640	0954	1750
0858	1654	1008	1804
0912	1722	1022	1832
0926	1736	1036	1846
0940	1750	1050	1900
1008	1804	1118	1914
1022	1832	1132	1942
1036	1846	1146	1956
1050	1900	1200	2010
1118	1914	1228	2024
1132	1942	1242	2052
1146	2010	1256	2120
1200	2024	1310	2134
1214	2038	1324	2148
1228	2052	1338 upto Naraina	2202
1256	2120	1406	2230
1338	2140	1448	2250
1406		1516	

Route No. 310

Departure Time

Inder Puri to Jheel		Jheel to Inder Puri	
0700	1444	0826	1814
0906	1636	1046	2006
1032	1828	1210	2200
1252 upto ITO	2020	1622	

Route No. 313
Departure Time

Vivek Vihar to Inder Puri		Inder Puri to Vivek Vihar	
0850	1635 From ITO	1030	2110
0910	1900	1110	
1250		1720	

Route No. 522

Departure Time

Inder Puri to Ambedkar Nagar (T)
0930
1010
1030
1050
1120
1210
1220
1820
1830
1850
1910
1940
1950
2020
2030

Route No. 522A Spl.
Departure Time

Inder Puri to Hamdard Nagar	Hamdard Nagar to Inder Puri
0605	0800 upto Inder Puri
0720	0910 upto Inder Puri
0800	0920 upto Krishi Kunj
1420	1600 upto Inder Puri
1530	1800 upto Inder Puri
1610	

Route No. 940A
Departure Time

Inder Puri to Mangol Puri Q-Block	Mangol Puri Q-Block to Inder Puri
0735	0650
0810	0720
0945	0835
1025	0920
1550	1500
1630	1540
1750	1640
1830	1720

313 L. Special Trips

313 L.Spl.Trip (0845)	Inder Puri	Delhi Sectt.
313 L.Spl.Trip (1805)	Delhi Sectt.	Inder Puri

Route No. 78
Departure Time

Inder Puri Krishi Kunj to Azad Pur Terminal			Azad Pur Terminal to Inder Puri Krishi Kunj		
1			2		
0534	1158	1746	0630	1230	1758
0554	1201	1754	0650	1234	1802
0622	1210	1758	0706	1251	1806
0631	1213	1802	0718	1301	1814
0638	1222	1810	0730	1306	1818
0642	1234	1814	0734	1309	1822
0648	1238	1818	0738	1313	1834
0658	1242	1822	0750	1330	1838
0714	1254	1830	0806	1350	1842
0730	1310	1834	0810	1406	1850
0738	1314	1838	0814	1446	1854
0746	1350	1842	0819	1450	1858
0802	1358	1850	0826	1454	1906
0806	1418	1854	0830	1458	1910
0810	1428	1858	0834	1510	1914
0814	1430	1902	0842	1514	1918
0826	1440	1910	0846	1522	1926
0830	1446	1914	0850	1526	1930
0834	1452	1918	0858	1530	1934
0846	1454	1954	0902	1534	1938

1			2		
0854	1506	1958	0906	1542	1946
0902	1530	2002	0910	1546	1950
0906	1542	2010	0922	1550	1954
0910	1546	2014	0926	1554	1958
0915	1550	2018	0930	1602	2006
0922	1554	2026	0942	1606	2010
0926	1606	2030	0950	1610	2014
0930	1610	2034	0958	1614	2018
0938	1618	2038	1002	1622	2050
0942	1622	2046	1006	1626	2058
0946	1626	2050	1011	1630	2110
0954	1630	2054	1018	1642	2114
0958	1638	2058	1022	1646	2122
1002	1642	2106	1026	1650	2130
1006	1646	2110	1038	1702	2131
1018	1650	2114	1042	1706	2134
1022	1658	2118	1045	1714	2146
1026	1702	2126	1050	1718	2154
1038	1706	2130	1102	1722	2156
1046	1710	2134	1114	1726	2206
1054	1718		1118	1734	2210
1058	1722		1122	1738	2214
1138	1726		1134	1742	2222
1141	1738		1150	1746	2230
1150	1742		1154	1754	

Route No. 522
Departure Time

Ambedkar Nagar Terminal to Inder Puri (Krishi Kunj)			Inder Puri (Krishi Kunj) to Ambedkar Nagar(T)		
1			2		
0523	1218	1731	0600	1136	1720
0551	1225	1740	0609	1148	1731
0619	1235	1750	0617	1155	1736
0647	1245	1806	0626	1202	1745
0715	1251	1820	0636	1209	1800
0729	1258	1827	0647	1216	1823
0743	1304	1834	0655	1223	1834
0750	1314	1845	0715	1230	1841
0757	1327	1855	0725	1245	1850
0804	1335	1909	0736	1305	1900
0811	1342	1916	0743	1333	1909
0818	1347	1937	0749	1340	1922
0833	1353	1942	0755	1400	1930
0853	1400	1946	0800	1415	1944
0908	1406	1951	0805	1425	1950
0914	1422	2000	0811	1431	1958
0928	1429	2005	0818	1440	2005
0933	1436	2010	0826	1504	2012
0940	1450	2020	0835	1511	2030
0949	1508	2030	0846	1518	2047

1			2		
0956	1513	2040	0854	1525	2054
1009	1525	2045	0905	1535	2115
1024	1533	2050	0910	1540	2129
1030	1553	2100	0921	1546	
1038	1558	2108	0928	1554	
1052	1603	2123	0949	1600	
1113	1607	2130	0956	1608	
1127	1620	2140	1010	1614	
1133	1635	2155	1017	1620	
1139	1643	2203	1031	1628	
1145	1650	2210	1040	1635	
1150	1656	2225	1050	1649	
1155	1703		1111	1656	
1200	1719		1120	1703	
1205	1725		1127	1712	

Route No. 725
Departure Time

Inder Puri Krishi Kunj to Mehrauli	Maya Puri Depot to Mehrauli	Mehrauli to Inder Puri Krishi Kunj	
1	2	3	
0740	1410	0820	1940
0800	1445	0840	2020
0900	1520	0910	2100

1	2	3	
0930	1600	0935	2130
1010	1630	1030	2200
1030	1700	1100	2230
1100 upto Qutab		1230	1900
1130		1420	
1230		1450	
1310		1600	
1740		1640	
1820		1720	
1900		1800	
1940		1830	
2020			
2100			

Note:- Bold Trips means Mehrauli to Maya Puri Depot.

217- Jh fotsUnz xqIrk % क्या **ekuuh; ifjogu ea=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि केन्द्र सरकार ने टैक्सियों और स्कूटरों के ड्राइवरों के लिए कमर्शियल लाइसेंस समाप्त कर दिया है;

(ख) उपरोक्त को लेकर दिल्ली सरकार की क्या नीति है;

(ग) क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार ने उपरोक्त वाहनों के चालकों के लिए प्रति तीन वर्ष बाद लाइसेंस का नवीकरण करवाना अनिवार्य किया हुआ है;

(घ) यदि हां, तो ये किस नियम के अंतर्गत किया गया है;

(ङ) ऑटो–रिक्शा में जीपीएस लगाने को लेकर सरकार की क्या नीति है;

(च) सरकार इसको किस प्रकार सुनिश्चित कर रही है कि जीपीएस को लेकर अब ऑटो–रिक्शा चालकों का शोषण न हो; और

(छ) क्या यह सत्य है कि 70 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को दी जाने वाली पेंशन को पेमेन्ट पोर्टल से लिंक करने की आवश्यकता के कारण पेंशन धारकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है?

ekuuh; ifjogu e=h % (क) जी हां।

(ख) से (घ) इस संबंध में परिवहन विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा मोटर वाहन अधिनियम, 1988 का अनुपालन किया जाता है।

(ङ) ऑटो–रिक्शा में जीपीएस लगाना अनिवार्य है।

(च) परिवहन विभाग ने एमटीएनएल और आईडीया को ठीक मूल्य पर सिम बेचने के लिए अधिकृत किया है। ताकि GPS Activiation ठीक और उचित मूल्य पर हो सके और चालकों को परेशानी न हो।

(छ) संबंधित विभाग "समाज कल्याण विभाग, दिल्ली सरकार से सूचना एकत्रित की जा रही है। जानकारी प्राप्त होते ही संबंधित विधायक को प्रेषित कर दी जाएगी।

218- Jh euftnj ¢lg fljlk % क्या **ekuuh; ifjogu e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि निहाल विहार, केशोपुर, ख्याला तथा चांद नगर में रहने वाले लोगों के लिए टैगोर गार्डन/तिलक नगर मैट्रो स्टेशन तक पहुंचने के लिए कोई निश्चित परिवहन व्यवस्था नहीं है;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि मैट्रो स्टेशन तक पहुंचने के लिए इन लोगों के पास एकमात्र साधन ई–रिक्शा है;

(ग) क्या डीएमआरसी और राज्य परिवहन निगम की ओर से इन लोगों को फीडर बस सर्विस की सुविधा देने की सरकार की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो सुविधा कब तक प्रारंभ हो जाएगी?

ekuuh; ifjogu e=h % (क) निहार विहार, केशोपुर, तथा चांद नगर में रहने वाले लोगों के लिए निम्नलिखित नॉन एसी प्राईवेट मिनी स्टेज कैरिज बस टैगोर गार्डन मैट्रो स्टेशन/तिलक नगर मैट्रो स्टेशन पहुंचने के लिए उपलब्ध हैं।

क्र. सं.	रूट संख्या	कहां से	कहां तक	बसे
1.	एफ–847ए	निलोठी	राजा गार्डन मैट्रो स्टेशन	16

(ख) जी नहीं, उपरोक्तानुसार।

(ग) दिल्ली मैट्रो रेल कॉर्पोरेशन द्वारा मैट्रो फीडर बस सेवा राजौरी गार्डन मैट्रो स्टेशन से राजौरी गार्डन वाया रघुवीर नगर संचालित करने की योजना है।

(घ) अभी योजना प्रस्तावित है।

219- Jh euftnj flag fljlk % क्या **ekuuh; ifjogu ea=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली परिवहन निगम की रूट नं.410 की बस ख्याला से जल विहार के बीच चलती है जिसका एक स्टॉप गुरुद्वारा बंगला साहिब भी है;

(ख) क्य यह भी सत्य है कि वापसी में यह बस जब जल विहार में ख्याला की ओर जाती है तो गुरुद्वारा बंगला साहिब के स्टॉप पर नहीं रूकती है;

(ग) यदि हां, तो इसका क्या कारण है; और

(घ) क्या सरकार इस रूट की बस की गुरुद्वारा बंगला साहिब बस स्टैंड पर रोकने के तुरंत आदेश करेगी कि गुरुद्वारा बंगला साहिब आने वाले श्रद्धालु सीनियर सिटीजन को परेशानी न हो?

ekuuh; ifjogu ea=h % (क) जी हां।

(ख) जल विहार से ख्याला की ओर जाते समय भी इस रूट के वाया में गुरुद्वारा बंगला साहिब का बस स्टॉप निर्धारित है। इस बारे में जारी किये गये सर्कुलर की छाया प्रति **ifjf'k"V&d** पर उपलब्ध है।

(ग) और (घ) इस संदर्भ में दि.पि.नि. से संबंधित बस की शिकायत मिलने पर यथोचित कार्यवाही की जाती है।

fnYyh ifjogu fuxe
jk-jk-{k] fnYyh ljdkj]
;krk;krk foHkkx] flÇèk;k gkmI]
ubZ fnYyh&110001
Tel Nos. 01123752769-75, Fax 01123752765
E-Mail-dtc_trdeptt@yahoo.in, Website-www.dtc.nic.in

सं.—टी.आर/अनुसूची/2018/151 दिनांकः 08.02.2018

अवगत कराया जाता है कि रूट संख्या 410 ख्याला से जल विहार (टर्मि.) तक परिचालन में है। इस रूट का केन्द्रीय टर्मिनल से कृषि भवन के मध्य आने व जाने में अलग—अलग वाया है, जोकि निम्न प्रकार हैः—

कहां से कहां तक	वाया (केन्द्रीय टर्मिनल से कृषि भवन के मध्य)
ख्याला से जल विहार (टर्मि.) जाते समय	पंडित पंत मार्ग, एनडीपीओ, गुरुद्वारा बंगला साहब, पटेल चौक
जल विहार (टर्मि.) से ख्याला आते समय	इंतयाज खान रोड़, गुरुद्वारा रोड

अब इस रूट का वाया कृषि भवन से केन्द्रीय टर्मिनल की दिशा में जाते समय भी रेड क्रॉस रोड—संसद मार्ग से आगे पटेल चौक, गुरुद्वारा बंला साहब, एनडीपीओ, पंडित पंत मार्ग होकर किया जा रहा है।

सभी संबंधित इस रूट पर चलने वाले चालक व संवाहक को हिदायत जारी करें कि वह इस रूट की बसों का परिचालन दोनों दिशाओं में पटेल चौक, गुरुद्वारा बंला साहब होते हुए सुनिश्चित करें।

प्रबंधक (या०)

lo&lEcfèkr

1. उप–आयुक्त, परिवहन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार 5/9, अण्डर हिल रोड़, दिल्ली–54 — कृपया रूट संख्या 410 पर चल रही कलस्टर बसों का परिचालन भी उपरोक्त के अनुसार करवाने हेतु।

2. ओएसडी (सीएमडी कार्यालय), कृपया अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक महोदय के सूचनार्थ हेतु प्रेषित।

3. मुख्य महाप्रबंधक (परिचालन)
4. मुख्य महाप्रबंधक (या.)
5. उप मुख्य महाप्रबंधक (या.)

(3–5) जानकारी हेतु।

6. उप मुख्य महाप्रबंधक (जन सम्पर्क)
7. उप मुख्य महाप्रबंधक (आईटी) आईपी मुख्यालय

(5–7) जानकारी एवं आवश्यक कार्यवहाी हेतु

8. प्रभारी (ग्राफिक सैल):– उपरोक्त के अनुसार रूट प्लेटों के बदलाव करेंगे।

220- Jh txnh'k iekku % क्या **ekuuh; ifjogu e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि ओला और ऊबर जैसी प्राइवेट टैक्सी सर्विसिस के लिए दिल्ली सरकार की कोई नीति निर्धारित नहीं है;

(ख) अब तक कोई नीति निर्धारित न करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार इनके लिए कोई नीति निर्धारित करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो ये नीति कब तक तैयार हो जाएगी?

ekuuh; ifjogu e=h % (क) जी नहीं, City Taxi Scheme 2015 के अनुसार Aggregators को लाइसेंस लेना जरूरी है। नीति निर्धारित है।

(ख) और (घ) अन्य राज्यों की टैक्सियां ओला, उबर इत्यादि, एग्रीगेटरस के माध्यम से चल रही है जिनको रेगुलेट करने के लिए City Taxi Scheme 2015 के स्थान पर नए Licensing and Regulations of App based aggregators rules बनाए गए है। उसको अन्तिम रूप देने के लिए मुख्यमंत्री के आदेश से High Powered Committee का गठन किया गया है, उसकी रिर्पोट आना बाकी है। रिपोर्ट आने के बाद नियम लागू किए जाएंगे।

221- Jh iadt iq"dj % क्या **ekuuh; ifjogu e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली मैट्रो फीडर बस के कुल कितने रूट स्वीकृत हैं;

(ख) अभी कितने रूटों पर बसें चल रही हैं;

(ग) मैट्रो फीडर बसों की कमी के लिए कौन जिम्मेदार है;

(घ) कब तक इनकी कमी पूरी हो जायेगी;

(ङ) क्या यह सही है कि 1 अप्रैल, 2010 से 31 मार्च, 2014 के बीच परिवहन विभाग द्वारा वजीराबाद गांव के लिए बस का संचालन किया गया था;

(च) यदि हां, तो बस नंबर और उसका रूट एवं प्रतिदिन लगने वाले चक्करों की संख्या क्या थी; और

(छ) क्षेत्र की आबादी बढ़ने के बावजूद इस सेवा को क्यों और कब से बंद किया गया?

ekuuh; ifjogu e=h % (क) वर्तमान में मैट्रो फीडर बस के 104 रूट परिवहन विभाग द्वारा स्वीकृत है।

(ख) वर्तमान में दिल्ली मैट्रो फीडर की 32 रूटों पर संचालित है।

(ग) दिल्ली मैट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने 300 नॉन एसी मिडी बसों के लिए M/s Rajdhani Coach Cluster Services एवं 100 नॉन एसी मिडी बसों के लिए M/s Prasanna Purple Mobility Solution Pvt. Ltd. से अनुबंध किया था। संसाधनों के अभाव में M/s Rajdhani Coach Cluster Services ने 149 बसों तथा M/s Prasanna Purple Mobility Solution Pvt. Ltd. ने 25 बसों को चलाया है। बाकी बसें नहीं लाने के कारण उपरोक्त अनुबंध को परिचालित बसों तक ही सीमित कर दिया है।

(घ) दिल्ली मैट्रो रेल कॉर्पोरेशन द्वारा 427 एसी मिनी सीएनजी/इलैक्ट्रिक बसों को चलाने की योजना प्रस्तावित है।

(ङ) जी नहीं। इस दौरान वजीराबाद गांव के लिए मैट्रो फीडर की बस सेवा संचालित नहीं हुई।

(च) उपरोक्तानुसार।

(छ) उपरोक्तानुसार।

222- duy noUnz lgjkor % क्या **ekuuh; ifjogu e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कापसेहड़ा बार्डर पर दिल्ली परिवहन निगम एवं क्लस्टर बसों को खड़ा करने के लिए परिवहन विभाग की क्या योजना है;

(ख) दिल्ली परिवहन निगम एवं क्लस्टर की कुल कितनी बसें कापासेहड़ा बॉर्डर से चलाई जा रही है या यहां तक आ रही हैं; और

(ग) ग्रामीण सेवा के रूप में चलाई जा रही गाड़ियों को उचित स्थान से न चलाये जाने पर परिवहन विभाग क्या कार्यवाही कर रहा है?

ekuuh; ifjogu e=h % (क) वर्तमान में कापासेहड़ा बॉर्डर पर दिल्ली परिवहन निगम तथा क्लस्टर सेवा की बसें रोड साईड टर्मिनल से चलाई जाती है तथा वर्तमान में स्थाई टर्मिनल बनाने की कोई योजना प्रस्तावित नहीं है।

(ख) वर्तमान में कापासेहड़ा बॉर्डर से 8 रूटों पर दिल्ली परिवहन निगम की 88 बसें तथा क्लस्टर की 4 रूटों पर 92 बसें अनुसूचित हैं।

(ग) परिवहन विभाग की प्रवर्तन शाखा मोटर वाहन अधिनियम 1988 तथा इसके अंतर्गत बने नियमों के तहत समय समय पर ऐसी ग्रामीण सेवाओं के विरुद्ध कार्यवाही करती रहती है। 01.05.2018 से 30.06.2018 के दौरान की गई कार्यवाही का विवरण निम्नलिखित है।

वाहन विवरण	कुल वाहन	कुल	कुल
ग्रामीण सेवा	479	498	347

223- Jh fxjh'k lkuh % क्या **ekuuh; ifjogu e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि मादीपुर विधानसभा क्षेत्र में 20 से भी अधिक बस शेल्टर या तो खराब है या फिर पूरी तरह से बंद हो गए हैं;

(ख) क्या विभाग द्वारा इन बस शेल्टर्स को बदलने की कोई योजना है;

(ग) क्या यह सत्य है कि सरकार की मादीपुर सब्जी मंडी में बने 917 बस स्टैंड की मरम्मत करने की कोई योजना है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

ekuuh; ifjogu e=h % (क) जी हां। मादीपुर विधानसभा क्षेत्र में दिल्ली परिवहन निगम द्वारा पूर्व में बनाए गए बस–शेल्टर के पुनः निर्माण की आवश्यकता है।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, हां। दिल्ली में 1397 बीक्यूएस को बनाने की प्रक्रिया को पुनः आरंभ करने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा आंतरिक एवं बाह्य विशेषज्ञों की एक समिति गठित की गई थी। समिति द्वारा लागत ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, सार्वभौमिक मानव आराम, लागत प्रभावशीलता और सशक्त डिजाइन को ध्यान में रखते हुए निविदा आमंत्रित करने के लिए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है। सरकार से अनुमोदन के पश्चात शीघ्र ही निविदाएं आमंत्रित की जाएंगी। निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात जैसे ही सफल निवेदक का चयन हो जाता है, मादीपुर सब्जी मंडी में पुराने बने 917 बस स्टैंड के स्थान पर आधुनिक बस शैल्टर बनाने की कार्य शुरू हो जाएगा।

(घ) उपरोक्तानुसार लागू नहीं है।

224- Jh iou dqekj 'kekZ % क्या **ekuuh; ifjogu e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खस्ताहाल पड़े आजादपुर बस टर्मिनल के नवनिर्माण की क्या कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो उसकी समयावधि क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसकी खस्ताहाल पड़े बस टर्मिनलों की पुनः निर्माण की प्रक्रिया क्या है?

ekuuh; ifjogu e=h % (क) जी, हां।

(ख) आजादपुर बस टर्मिनल को आधुनिकीकरण करने के लिए लोक निर्माण विभाग से अनुमानित समय व अनुमानित राशि भेजने के लिए निवेदन किया गया है।

(ग) उपरोक्तानुसार प्रश्न नहीं उठता।

225- Jh jkts'k xqIrk % क्या **ekuuh; ifjogu ea=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वजीरपुर विधानसभा क्षेत्र में कितनी छोटी बसें और मैट्रो फीडर बसें चल रही हैं;

(ख) क्या सरकार की इन बसों की संख्या बढ़ाने की योजना है; और

(ग) इस क्षेत्र के मौजूदा क्षतिग्रस्त बस स्टैंडस की मरम्मत की सरकार की क्या योजना है?

ekuuh; ifjogu ea=h % (क) वर्तमान में वजीरपुर विधानसभा क्षेत्र में छोटी और मैट्रो फीडर बस सेवा परिचालन में नहीं है।

(ख) भविष्य में वजीरपुर विधानसभा में एक नई मैट्रो फीडर रूट जो कि आजापुद मैट्रो स्टेशन से शालीमार बाग मैट्रा स्टेशन वाया बारा बाग, गुजरावाला टाउन, सत्यवती कॉलेज, अशोक विहार बीएल, दीप मार्किट, ईपीएफओ ऑफिस, शालीमार बाग, कुल आठ बसों द्वारा चलाने की योजना प्रस्तावित है।

(ग) दिल्ली में 1397 बीक्यूएस को बनाने की प्रक्रिया को पुनः आरंभ करने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा आंतरिक एवं बाह्य विशेषज्ञों की एक समिति गठित की गई थी। समिति द्वारा लागत ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, सार्वभौमिक

मानव आराम, लागत ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, सार्वभौमिक मानव आराम, लागत प्रभावशीलता और सशक्त डिजाइन को ध्यान में रखते हुए निविदा आमंत्रित करने के लिए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है। सरकार से अनुमोदन के पश्चात शीघ्र ही निविदाएं आमंत्रित की जाएंगी। निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात जैसे ही सफल निवेदक का चयन हो जाता है, वजीर पुर विधानसभा क्षेत्र में मौजूदा क्षतिग्रस्त बस स्टैंडस के स्थान पर आधुनिक बस शैल्टर बनाने का कार्य शुरू हो जाएगा।

226- Jh l|[kohj ¢lg nyky % क्या **ekuuh; ifjogu e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि समाज कल्याण विभाग के विभिन्न जिलों में स्थित कार्यालयों में जब कोई पैंशनभोगी अपना बायोमैट्रिक स्कैन व अन्य दस्तावेज जमा कराता हे तो उसे उनकी पावती नहीं दी जाती;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ऐसी व्यवस्था करने पर विचार कर रही है;

(ग) बायोमैट्रिक स्कैन व अन्य दस्तावेज जमा कराने के बाद पैंशनभोगी के बैंक खाते में पैंशन राशि कितनी समयावधि में पहुंच जाती है;

(घ) जिन पैंशन भोगियों (वृद्धावस्था व विकलांग पैंशन) की पैंशन रोक दी गई है, ऐसे सभी पैंशनभोगियों का नाम, पेंशन आईडी, पता, खाता संख्या, आधार संख्या, पेंशन रोके जाने का कारण, व पुनः पेंशन चालू किए जाने की प्रक्रिया की जानकारी उपलब्ध कराएं;

(ङ) बैंक खातों के साथ आधार लिंकिग और आधार मैपिंग में क्या अंतर है;

(च) बैंक खातों के साथ आधार लिकिंग और आधार मैकिंग और आधार मैपिंग में से क्या वांछित है;

(छ) अनाथ बच्चों के लिए क्या योजना है;

(ज) मुंडका विधानसभा क्षेत्र में वृद्धावस्था पेंशनभोगियों की संख्या क्या है;

(झ) मुंडका विधानसभा क्षेत्र में कितने पेंशनभोगियों की वृद्धावस्था पेंशन रोकी गई है;

(ञ) पेंशन रोके जाने के क्या कारण हैं;

(ट) संबंधित विधायकों के कार्यालय में वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा को देखते हुए बायोमैट्रिक स्कैन की सुविधा क्यों उपलब्ध नहीं कराई जाती है;

(ठ) मुंडका विधानसभा क्षेत्र के ऐसे वृद्धावस्था तथा विकलांग पेंशनभोगियों की संख्या क्या है जो नॉर्थ वेस्ट–1, रोहिणी सेक्टर–4 के कार्यालय के अतिरिक्त किन्ही अन्य जिला कल्याण कार्यालयों में पंजीकृत हैं; और

(ड) अन्य जिलों से नॉर्थवेस्ट–1 जिले में उपर्युक्त बदलाव के संबंध में समाज कल्याण विभाग ने क्या कार्रवाई की है?

ekuuh; ifjogu e=h % (क) जी हां, विभाग के कुछ जिला कार्यालयों में पेंशन भोगियों द्वारा जमा किए दस्तावेजों की पावती देने में अनियमितताएं प्रकाश में आई हैं तथा विभाग द्वारा यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं कि लाभार्थियों को जमा किए दस्तावेजों की पावती नियमानुसार मिल सके एवं एक बार में ही उनकी सभी दस्तावेजों संबंधी समस्याओं का निराकरण किया जा सके।

(ख) विभाग में बॉयोमैट्रिक प्रमाणीकरण की प्रक्रिया विभिन्न जिला कार्यालयों में शुरू की गई थी, ताकि आधार का संग्रहण एवं डाटा शुद्धिकरण किया जा सके परंतु भारत सरकार द्वारा निर्देश दिए गए कि कोई भी विभाग

आधार डेटा का हस्तांतरण किसी भी प्रयोजन के लिए स्वीकृत नहीं होगा। अतः CSC द्वारा विभाग को कोई डाटा उपलब्ध नहीं कराया गया अतः उपरोक्त प्रक्रिया स्वतः की निरस्त हो गई।

भविष्य में विभाग उपरोक्त प्रक्रिया को पुनः संचालित करने हेतु विचार कर रहा है।

(ग) पेंशन भेजने की प्रक्रिया PFMS माध्यम से होती है और दिए गए दस्तावेजों के आधार पर लाभार्थियों का पेंशन रिकॉर्ड PFMS पोर्टल पर चढ़ाया जाता है और रिकॉर्ड सफलतापूर्वक स्वीकृत हो जाने के बाद उनकी पेंशन अधिकतम एक महीने के अंदर प्रेषित कर दी जाती है।

(घ) विभाग द्वारा किसी भी लाभार्थी ककी पेंशन रोकी नहीं जाती, अपितु बैंक द्वारा निम्न कारणों से लाभार्थी की पेंशन विभाग को वापस कर दी जाती है, जो कि लाथार्थियों द्वारा विभाग में संपर्क करने पर आवश्यक सुधार के बाद बकाया राशि सहित उनके बैंक खातों में पुनः प्रेषित कर दी जाती है।

dkj.k&

1. बैंक खाता बंद/स्थानांतरित होने पर।
2. बैंक खाता उपलब्ध न होने पर।
3. बैंक खाते का मिलान न होने पर।
4. विविध।
5. आधार निष्क्रिय होने के कारण।
6. आधार डाटावेस में उपलब्ध न होने के कारण।
7. आधार अवैध होने के कारण।

(ङ) पेंशन भोगियों के बैंक में आधार संख्या खाते में दर्ज होना लिंकिंग होता है तथा खातें में आधार संख्या का NPCI साथ संबद्ध हो जाना मैपिंग है।

(च) बैंक खाते में पेंशन आने के लिए आधार लिंकिंग एवं मैपिंग दोनी ही वांछनीय है।

(छ) अनाथ बच्चों संबंधी गतिविधियां एवं कार्यक्रम दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत आते हैं। अनाथ बच्चों को किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 के तहत बालकों की देखरेख और संरक्षण श्रेणी के अंतर्गत डाला गया है।

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 14 बाल गृह कार्यरत हैं जिसमें निराश्रित, अनाथ, बालभिक्षु, अपरिपक्व, विपदाग्रस्त व विशेष संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों को रखा जाता है जिसमें कि उनकी भोजन, आवास, शिक्षा, चिकित्सा, मनोरंजन, व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि की सुविधाएं प्रदान की जाती है।

विभाग द्वारा दस बाल कल्याण समितियां कार्यरत हैं। बाल कल्याण समिति ऐसी ईकाई है जो कि निराश्रित, अनाथ बच्चों से संबंधित निर्णय लेने हेतु किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 के तहत सक्षम समिति हैं।

बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग पांचवा तल आईएसबीटी, बिल्डिंग का गठन किया है जो कि बच्चों के अधिकार से संबंधित मामलों पर कार्यवाही करता हैं तथा बाल अधिकार संरक्षण के लिए समय–समय पर बनाए गए किसी भी कानून द्वारा और उसके तहत मुहैया कराए गए सुरक्षा उपायों की जांच

तथा पुनः निरीक्षण करके और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए माप दंडों की सिफारिश करता है।

दिल्ली सरकार के द्वारा समेकित बाल संरक्षण योजना भी चलाई जा रही है जिसका उद्देश्य कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों के कल्याण और उन परिस्थितियों तथा गतिविधियों की सुभेद्यता में कमी लाने में योगदान देना है।

इसके अतिरिक्त 87 गैर सरकारी बाल गृह एवं 13 ओपन शेल्टर होम भी कार्यरत हैं जिसके अंतर्गत बच्चों को भोजन, आवास, शिक्षा, चिकित्सा तथा सुरक्षा की सुविधाएं दी जाती हैं।

(ज) मुंडका विधानसभा क्षेत्र में वृद्धावस्था पेंशनभोगियों की कुल–9370 संख्या है।

(झ) और (ञ) मुंडका विधानसभा क्षेत्र में 552 पेंशनभोगियों की वृद्धावस्था पेंशन उपरोक्त वर्णित 'घ' में उल्लिखित अनेक कारणों से विलंबित है। मंत्री परिषद् द्वारा अभी हाल ही में निर्णय लिया गया है कि आधार संख्या का बैंक खाते के साथ संबद्ध न होने के कारण जो बढ़ी हुई रोकी जाती हैं उनको जारी कर दिया जाएगा।

सभी योग्य लाभार्थियों की पेंशन PFMS के माध्यम से सुचारू रूप से प्रेषित की जा रही है।

(ट) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ठ) और (ड) विभाग के संज्ञान में ऐसे अनेक मामले आए हैं जिनमें वृद्धावस्था एवं विकलांग पेंशनभागी अन्य जिलों के क्षेत्र अंतर्गत पेंशन लाभ ले रहे हैं। विभाग द्वारा शीघ्र ही इस तरह की दिक्कतों को अन्य विभागों के साथ तालमेल कर दूर करने के प्रयास किए जाएंगे।

यह एक टैक्नीकल समस्या है। वर्तमान सॉफ्टवेयर (software) में ऐसे केसों को छांटने की सुविधा उपलब्ध नही है।

विभाग द्वारा लाभार्थी सत्यापन प्रक्रिया के दौरान ऐसे सभी केसों को लाभार्थियों के क्षेत्रानुसार विसंगतियों को समायोजित कर लिया जाएगा।

227- Jh vkn'k 'kkL=h % क्या **ekuuh; lekt dY;k.k e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि अनु.जा./अनु.ज.जा/अपिव./अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में एसी–33 (द्वारका विधान सभा क्षेत्र) में विकास कार्यों के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो उनका विवरण उपलब्ध कराए; और

(ग) उक्त कार्यों के क्रियान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है?

ekuuh; lekt dY;k.k e=h % (क) जी हां। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम से डीएसआर–2014 के अनुसार बनाये हुए 6 प्रस्ताव अपूर्ण वांछित दस्तावेजों के साथ प्राप्त हुए थे लेकिन डीएसआर 2016 के लागू होने के कारण उन्हें दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को संशोधित कर वांछित दस्तावेजों के साथ पुनः प्रेषित करने हेतु वापस भेज दिया गया है। संशोधित प्रस्ताव अभी तक लंबित हैं।

(ख) विवरण अनुलग्नक 'क' में दिया गया है।

(ग) इस विभाग में प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात् स्वीकृति की प्रक्रिया आरंभ की जाएगी।

AC-33 Name of MLA Sh. Adarsh Shastri (Dwarka)

Sl. No.	Details of Proposal	Name of Executing Agency	Executing Agency (I& FC/ DUSIB)
1.	Improvement Development of road and Drain by pdg CC Exec from H.No. to H.No.A-81 and H.No. 100 to H.No. B-99 in Nasipur Harijan Basti in Ward No. 33-S Manglapuri.	South Delhi Municipal	The Executive Engineer, (M-II) NGZ Near M.C. Pry.
2.	Improvement Development of Road and Drain by pdg CC from H No. A-21 to 80A and H.No. A2/35 to A2/22 in Nasirpur Harijan Basti in ward no. 33-S Manglapuri.		
3.	Improvement Developement of Road and Drain by pdg CC from H.no. B-71 to B-83 and H.No. B-127 to B-140 in Nasipur Harijan. Basti in Ward No. 33-S Manglapuri		
4.	Improvement Development of road and Drain by pdg CC from H.No. B-183 to B-181 and A-161 to A-193 in Nasirpur Harijan Basti in ward no. 33-S Manglapuri,		
5.	Improvement Developement of road and Drain by pdg CC from BSESPLMD655 to H.No.14 in Nasipur Harijan Basti in Ward No. 33-S Manglapuri.		
6.	Improvement Development of Road and Drain by pdg CC from H.No. 30 to 223 and H.No. 50B to 41B in Nasipur Harijan Basti in ward no 33-S Manglapuri.		
			Total

vu|yXud ßdÞ

CD	Estimated Cost (in Lakh)	Financial Years/ Month	Date of receipt of Proposal	Reasons for Pendency	Remarks
South MCD, M-II	87.32	2017-18/ March	12.03.18	A Letter has been forwarded Executive Engineer on dated 12/04/2018. 1. Enumeration block numbers to ascertained the fact that population of SC person is more than 33% in the area is not on unauthorised colony on Govt. Land. 2. Certificate that area is not on unauthorised colony on Govt. Land. 3. Estimates are to be submitted as per instructions issued by finance department GNCT of Delhi i.e. on the basis of DSR 2014 (-12%), contingency third party quality control labour cess and at work (wherever necessary) shall be continued to be charged @ 1% each bifurcated). 4. Each & every page of estimates should be attested by concerned officer with stamp.	Proposal return in original to A1 for submission of estimates as per according to Finance Department 14.05.2018 alongwith required infromation under the scheme of "Improvement Basties".
	87.32				

228- Jh egUnz xk;y ¼ क्या **ekuuh; lekt dY;k.k ea=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि रिठाला विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में वृद्धावस्था पेंशन के नये आवेदन नहीं लिये जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) रिठाला विधानसभा क्षेत्र के लिये वृद्धावस्था पेंशन के नये आवेदन कब से लेने आरंभ किये जाएंगे;

(घ) क्या यह सत्य है कि पिछले वित्त वर्ष में रिठाला विधानसभा क्षेत्र में वृद्धावस्था पेंशन के 1900 आवेदन लिये गये थे;

(ङ) यदि हां, तो वर्तमान में उन सभी आवेदनों की क्या स्थिति है;

(च) क्या यह सत्य है कि विधवा महिला को मिलने वाली आर्थिक सहायता उन स्थितियों में नहीं मिलती जिसमें उसके पति की मृत्यु 60 वर्ष की आयु के बाद होती है;

(छ) क्या यह सत्य है कि विकलांग पेंशन के लिये आवेदनकर्ता की उम्र 60 वर्ष से कम होनी चाहिए;

(ज) विभाग को दिनांक 22.03.18 से दिनांक 09.08.18 तक रिठाला विधानसभा क्षेत्र से कुल कितने विधवा आर्थिक सहायता के आवेदन प्राप्त हुए; और

(झ) उन आवेदन पत्रों की वर्तमान स्थिति क्या है; पूर्ण जानकारी दें?

ekuuh; lekt dY;k.k ea=h ¼ (क) जी हां।

(ख) वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या की निर्धारित क्षमता सीमा (Capping Limit) पूर्ण हो जाने के कारणा एवं रिक्तियां उपलब्ध न होने के कारण नए आवेदन नहीं लिए जा रहे हैं।

(ग) वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर अतिरिक्त कोटा सभी विधानसभा क्षेत्रों को प्रदान करने का प्रस्ताव अनुमोदित हो चुका है एवं निर्देश जारी करने की प्रक्रिया चल रही है।

(घ) जी हां।

(ङ) वर्तमान में प्राप्त आवेदनों की स्थिति निम्नानुसार हैः—

कुल प्राप्त	—	1900
अपूर्ण	—	190
स्वीकृत	—	1498
अस्वीकृत	—	17
स्वीकृति की प्रक्रिया में	—	200

(च) जी हां।

(छ) जी हां।

(ज) विभाग को दिनांक 22.03.18 से दिनांक 09.08.18 तक रिठाला विधानसभा क्षेत्र से कुल—109 विधवा आर्थिक सहायता (दिल्ली पारिवारिक लाभ योजना) के आवेदन प्राप्त हुए।

(झ) वर्तमान में प्राप्त आवेदनों की स्थिति निम्नानुसार हैः—

कुल प्राप्त	—	109
अपूर्ण	—	0
स्वीकृत	—	04
अस्वीकृत	—	0
स्वीकृति की प्रक्रिया में	—	105

229- Jh lqjUnz Çlg % क्या **ekuuh; lekt dY;k.k e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत वृद्धावस्था/विधवा/विकलांग पेंशन एवं आर्थिक सहायता नए पेंशन आवेदकों को आवेदन करने के पश्चात कितने दिनों में प्राप्त होती है; उसका पूर्ण विवरण दें;

(ख) समाज कल्याण विभाग में आवेदन स्वीकृत करने के कितने चरण हैं और उन चरणों में क्या क्या कार्यवाही की जाती है; उसका पूर्ण विवरण दें;

(ग) समाज कल्याण विभाग के माध्यम से ईडब्लूएस/एससी/एसटी/ओबीसी आदि श्रेणी के व्यक्तियों को क्या क्या सुविधाएं प्राप्त होती हैं; उसका पूर्ण विवरण दें; और

(घ) समाज कल्याण विभाग एवं महिला बाल विकास विभाग से शादी के लिए आर्थिक सहायता एवं विधवा आर्थिक सहायता किन लोगों को प्रदान की जाती है; उसका पूर्ण विवरण दें?

ekuuh; lekt dY;k.k e=h % (क) 45 दिन की समयावधि में पेंशन आवेदनों का निपटान किये जाने का प्रावधान है। योग्य पाए गए स्वीकृत आवेदनों को पेंशन राशि आवेदन प्राप्त होने के अगले माह से बकाया राशि सहित प्रेषित की जाती है।

(ख) समाज कल्याण विभाग में आवेदन स्वीकृत करने के चरण निम्न प्रकार हैं–

1. ऑपरेटर लेवल पर आवेदनों की एंट्री की जाती है।
2. वेरीफॉयर लेवल पर आवेदनों एवं संलग्न दस्तावेजों की जांच की जाती है।
3. अधीक्षक लेवल पर योग्य पाए गए आवेदनों की अनुशंसा की जाती है।
4. जिला कार्यालय अधिकारी द्वारा आवेदन स्वीकृत किए जाते हैं।

(ग) समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाई जा रही वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत एससी/एसटी/अल्पसंख्यक वर्ग के लाभार्थियों को 500 रुपए की अतिरिक्त राशि प्रदान की जाती है।

(घ) विधवाओं, विवाह विच्छेद, तलाकशुदा, अलग/असहाय या परित्यक्त महिलाओं की पुत्री की शादी के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।

अनाथ लड़की के अभिभावकों जिसमें गृह/संस्था अथवा पोषक माता–पिता अथवा अनाथ लड़की को उसके विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

230- Jh fxjh'k lkuh % क्या **ekuuh; lekt dY;k.k e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वृद्ध एवं विकलांग पेंशन किस विभाग के अधीन आती है;

(ख) पिछले वर्ष मादीपुर विधानसभा वृद्ध एवं विकलांग पेंशन के कितने आवेदन फॉर्म विभाग को प्राप्त हुए;

(ग) प्राप्त पेंशन आवेदन पत्रों में से कितने आवेदकों को पेंशन जारी की जा चुकी है; उनका पूर्ण ब्यौरा दिया जाये;

(घ) किन आवेदकों को पेंशन अभी तक जारी नहीं की गयी है, उनमें देरी के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या यह सत्य है कि पेंशन जारी न करने का विशेष कारण बैंक से आधार कार्ड का लिंक न होना भी है; और

(च) ऐसी स्थिति में विभाग द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं, उसकी विस्तृत जानकारी दी जाये?

ekuuh; lekt dY;k.k e=h % (क) वृद्ध एवं विकलांग पेंशन समाज कल्याण विभाग के अधीन आती है।

(ख) और (ग) पिछले वर्ष (2017–18) मादीपुर विधानसभा से वृद्ध एवं विकलांग पेंशन के कुल प्राप्त आवेदनों का विवरण निम्न प्रकार है–

योजना	कुल प्राप्त आवेदन	जारी की गई पेंशन
वृद्धावस्था पेंशन	1200+70 (MCD)	789
विकलांग पेंशन	60+8 (MCD)	35

(घ) 481 वृद्ध एवं 33 विकलांग पेंशन के आवेदकों को पेंशन जारी करने में देरी के निम्न मुख्य कारण हैं–

1. ऑनलाइन अपलोड किए गए दस्तावेज अपूर्ण होने पर।
2. दस्तावेज स्पष्ट न दिखाई देने के कारण।
3. आवेदक ने केवल पंजीकरण किया किंतु दस्तावेज अपलोड नहीं किए गए।
4. दस्तावेजों में त्रुटि पाये जाने पर आवेदक द्वारा समय पर सही दस्तावेज उपलब्ध न कराए जाने के कारण।
5. सरकार के निर्णयनुसार ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा हेतु यूजर आईडी पासवर्ड दिल्ली के सभी सांसदों, विधायकों, निगम पार्षदों, जिला कार्यालयों को दिया गया तथा साथ ही व्यक्तिगत रूप रसे सीटिजन लॉगिन के माध्यम से आवेदन करने की सुविधा प्रदान की गई, जिस कारण बड़ी संख्या में आवेदन विभाग के जिला कार्यालयों में सत्यापन एवं स्वीकृति के लिए एक साथ प्राप्त हुए जिस कारण समयबद्ध तरीके से आवेदनों का निपटारा संभव नहीं हो पाया।
6. बैंक से आधार कार्ड का लिंक न होना।
7. अंतिम स्वीकृति के लिए केवल जिला समाज कल्याण अधिकारी ही नियमानुसार अधिकृत है। जिला अधिकारी अपनी क्षमता अनुसार ही आवेदनों का निपटारा कर पाते हैं।

(ङ) जी, हां।

(च) ऐसी स्थिति में विभाग द्वारा संबंधित बैंकों से समन्वय कर समस्या का निपटान किए जाने का प्रयास किया जा रहा है।

आधार नंबर को बैंक खाते से लिंक कराने संबंधी होने वाली कठिनाइयों से बचने के लिए मंत्री परिषद् ने आधार लिंकिंग की अनिवार्यता को खत्म करने का निर्णय लिया है।

231- Jh vkn'k 'kkL=h % क्या **ekuuh; lekt dY;k.k ea=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समाज कल्याण के क्षेत्र में सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों में किस प्रकार की नयी योजनाएं नलाई गयी;

(ख) इन योजनाओं से कितनी आबादी लाभान्वित हो रही है;

(ग) क्या यह सत्य है कि सरकार भविष्य के लिए किसी महत्वकांक्षी परियोजना पर विचार कर रही है; पूर्ण विवरण दे;

(घ) द्वारका विधानसभा क्षेत्र में समाज कल्याण के माध्यम से किन किन योजनाओं का लाभ आम जनता को दिया जा रहा है;

(ङ) इन योजनाओं से लाभान्वित अलग–अलग समूहों का विवरण क्या है;

(च) द्वारका विधानसभा में कुल कितने लोगों को विधवा पेंशन, बुजुर्ग पेंशन व विकलांग पेंशन दी जा रही है;

(छ) द्वारका विधानसभा के अंतर्गत पिछले वर्षों में कितने नए पेंशन धारकों को इसका लाभ दिया गया;

(ज) पेंशन बनाने की लंबी कागजी कार्यवाही से बुजुर्ग और विकलांग

लोगों को होने वाली परेशानी को दूर करने के लिए इस प्रक्रिया को सरल करने के क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(झ) क्या यह सत्य है कि पिछड़ी आबादी, गरीब आबादी और खासकर किशोरी महिलाओं कि स्थिति को देखते हुए इनके जीवन में कुछ सकारात्मक परिवर्तन लाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है; और

(ञ) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है?

ekuuh; lekt dY;k.k e=h % (क) समाज कल्याण के क्षेत्र में सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों में कोई नई योजना नहीं चलाई गई है।

(ख) उपरोक्त 'क' के अनुसार।

(ग) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचारधीन नहीं है।

(घ) द्वारका विधानसभा क्षेत्र में समाज कल्याण के माध्यम से निम्न योजनाओं का लाभ आम जनता को दिया जा रहा है।

1. वृद्धावस्था पेंशन
2. विकलांग पेंशन
3. दिल्ली पारिवारिक लाभ

(ङ) परिवहन योजनाओं से लाभान्वित समूहों का विवरण निम्न प्रकार हैः—

1. वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष से अधिक आयु के महिला एवं पुरुष वृद्धवजन।
2. विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत 0—60 वर्ष से के बीच की आयु वर्ग के विकलांग बच्चे, महिला एवं पुरुष।
3. दिल्ली पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत महिला एवं पुरुष।

(च) द्वारका विधानसभा में दी जा रही विधवा पेंशन, बुजुर्ग पेंशन व विकलांग पेंशन का विवरण निम्न प्रकार है:—

योजना	लाभार्थी
वृद्धावस्था पेंशन	4939
विकलांग पेंशन	934
विधवा पेंशन	2075

(छ) द्वारका विधानसभा के अंतर्गत पिछले वर्षों में जिन नए पेंशन धारकों को लाभ दिया गया उनका विवरण निम्न प्रकार है:—

योजना	लाभार्थी
वृद्धावस्था पेंशन	68370
विकलांग पेंशन	5432

(ज) पेंशन बनाने की लंबी कागजी कार्यवाही से बुजुर्ग और विकलांग लोगों को होने वाली परेशानी को दूर करने के लिए इस प्रक्रिया को सरल करने के लिए आवेदन ऑनलाइन लिए जा रहे हैं;

आधार नंबर को बैंक खाते से लिंक कराने संबंधी होने वाली कठिनाइयों से बचने के लिए मंत्री परिषद् ने आधार लिंकिंग की अनिवार्यता को खत्म करने का निर्णय लिया है।

(झ) और (ञ) दिल्ली सरकार की विभिन्न एजेंसियां जैसे कि महिला एवं बाल विकास विभाग, श्रम विभाग, DUSIB आदि अनेक योजनाएं लक्षित

जनसंख्या हेतु चलाई जा रही हैं जो कि संबंधित विभागों की वेबसाइटों पर उपलब्ध है।

232- Jh lkeukFk Hkkjrh % क्या **ekuuh; lekt dY;k.k e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में वृद्ध तथा विकलांग पेंशन भोगियों तथा विधवाओं को दी जाने वाली एकमुश्त सहायता प्राप्त करने वालों की पूरी जानकारी उनकी पेंशन प्रारंभ होने की तिथि, नाम, पते, मोबाइल नंबर वर्तमान स्थिति पेंशन/एकमुश्त सहायता की राशि, यदि पेंशन की राशि कम है या बंद कर दी गई है तो उसके कारणों सहित उपलब्ध कराएं;

(ख) वृद्धावस्था तथा विकलांग पेंशन/विधवाओं को दी जाने वाली एकमुश्त सहायता राशि के आवेदन के लिए विभाग की मानक प्रक्रिया की चरणबद्ध जानकारी और प्रत्येक चरण के लिए नियत समयावधि संबंधित अधिकारी का पदनाम व संपर्क–ब्यौरे का विवरण उपलब्ध कराएं;

(ग) क्या यह सत्य है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक नीति की घोषणा की थी जिसके अंतर्गत विभाग का कोई अधिकारी क्षेत्रीय विधायक के कार्यालय में पेंशन/एकमुश्त सहायता राशि संबंधी उक्त कठिनाइयों के निवारण के लिए सप्ताह में एक बार जाएगा;

(घ) यदि हां, तो क्या यह नीति अभी भी लागू है;

(ङ) इस योजना से कितने विधायक लाभ उठा रहे हैं;

(च) क्या यह सत्य है कि एक बार ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन जमा हो जाने के बाद, चाहे वह आवेदक आवेदन जमा करने की तिथि से ही योजना से प्राप्त होने वाले लाभों का पात्र हो जाता है;

(छ) कोई संपन्न व्यक्ति इस पेंशन योजना का अनुचित लाभ न उठा सके इसके लिए विभाग की ओर से क्या सावधानियां बरती जाती हैं;

(ज) ऐसे कितने लोगों को चिन्हित किया गया है और क्या ऐसे लोगों द्वारा अनुचित तरीके से ली गई धनराशि की वापसी के लिए कोई कदम उठाए गए हैं; और

(झ) सरकार ऐसे दलित और उपेक्षित व्यक्तियों की सहायता के लिए किन उपायों पर विचार कर रही है जो अत्यंत निर्धन और अपने अधिकारों से अनभिज्ञ हैं और जो अपेक्षित समयावधि 5 वर्ष से भी अधिक समय से दिल्ली में रह रहे हैं परंतु उनके पास विभाग द्वारा दी जाने वाली पेंशन व अन्य सुविधाओं के लिए अपने दावे की पुष्टि के लिए कोई दस्तावेज नहीं हैं?

ekuuh; lekt dY;k.k e=h % (क) मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में सभी योग्य पाए गए वृद्ध तथा विकलांग पेंशन भोगियों तथा विधवाओं को दी जाने वाली एकमुश्त आर्थिक सहायता (दिल्ली पारिवारिक लाभ योजना) नियमित रूप से प्रेषित की जा रही है जिनका पूर्ण ब्यौरा सीडी में संलग्न है।

(ख) वृद्धावस्था तथा विकलांग पेंशन/विधवाओं को दी जाने वाली एकमुश्त सहायता राशि के आवेदन के लिए विभाग की मानक प्रक्रिया की चरणबद्ध जानकारी निम्न प्रकार है–

o`)koLFkk isa'ku ;kstuk dh ik=rk&

- आयु 60 वर्ष से इससे अधिक हो।
- प्रार्थी आवेदन करने से पूर्व दिल्ली का कम से कम पांच वर्ष का निवासी हो

- परिवार की आय 1 लाख रुपए वार्षिक से अधिक न हो।
- प्रार्थी अन्य किसी संस्था से पेंशन प्राप्त नहीं कर रहा हो।

fodykx i'ku ;ktuk dh ik=rk&

- आयु सीमा 0 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिये।
- प्रार्थी गत 5 वर्ष से दिल्ली का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- प्रार्थी की विकलांगता 40 प्रतिशत से कम न हों।
- परिवार की सभी स्त्रोतों से वार्षिक आय 1 लाख रुपए से अधिक न हो।
- प्रार्थी अन्य किसी संस्था से पेंशन प्राप्त नहीं कर रहा हो।

fnYyh ikfjokfjd ykHk ;ktuk dh ik=rk&

- मृतक की आयु सीमा 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिये।
- प्रार्थी गत 5 वर्ष से दिल्ली का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- परिवार की सभी स्त्रोतों से वार्षिक आय 1 लाख रुपए से अधिक न हो।

उक्त योजनाओं के अंतर्गत ऑनलॉइन आवेदन e-district पोर्टल पर किया जाता है।

45 दिन की समयावधि में पेंशन आवेदनों का निपटान किये जाने का प्रावधान है। योग्य पाए गए स्वीकृत आवेदनों को पेंशन राशि आवेदन प्राप्त होने के अगले माह से बकाया राशि सहित प्रेषित की जाती है।

योजना के अंतर्गत सक्षम अधिकारी जिला समाज कल्याण अधिकारी हैं जिनका ब्यौरा संलग्न है।

(ग) जी, हां।

(घ) जी, हां।;

(ङ) इस योजना से सभी विधायक लाभ उठा रहे हैं।

(च) योग्य पाए गए स्वीकृत आवेदनों को पेंशन राशि आवेदन प्राप्त होने के अगले माह से बकाया राशि सहित प्रेषित की जाती है।

(छ) कोई संपन्न व्यक्ति इस पेंशन योजना का अनुचित लाभ न उठा सके इसके लिए विभाग की ओर से निम्न सावधानियां बरती जा रही हैं–

- सभी आवेदन ऑनलाइन लिए जा रहे हैं।
- योजना के अंतर्गत एक निर्धारित पात्रता है जिसको पूर्ण करने पर ही आवेदक लाभ प्राप्त कर सकता है।
- विभाग द्वारा समय–समय पर लाभार्थियों का वैरीफिकेशन किया जाता है।

(ज) ऐसे लाभार्थियों को चिन्हित किए जाने की जांच प्रक्रिया जारी है।

(झ) विभाग द्वारा दलित और उपेक्षित व्यक्तियों के लिए अलग से कोई योजना नहीं चलाई जा रही अपितु वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अल्पसंख्यक वर्ग के लाभार्थियों को 500 रुपए की अतिरिक्त राशि दिए जाने का प्रावधान है।

ऐसे लाभार्थी जिनके पास विभाग द्वारा दी जाने वाली पेंशन व अन्य सुविधाओं के लिए कोई दस्तावेज नहीं है, ऐसे आवेदक योजना की

नियमावली 2009 के नियम 5(च) के अनुसार आवेदन कर सकते हैं जिसका विवरण निम्न प्रकार है—

(च) यदि निवास के संबंध में प्रमाण आवेदक के पास कोई 'प्रलेखन प्रमाणन पत्र' उपलब्ध नहीं है।

(i) सामाजिक सुविधा संगम सर्वेक्षण के डाटावेस में व्यक्ति का नाम शामिल होना निवास का प्रमाण पत्र माना जाएगा।

(ii) इसके अलावा जीआरसी—एसके समन्वयक द्वारा प्रतिनियुक्त क्षेत्रस्थ स्टॉफ दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी में आवेदक के ठहरने की अवधि संबंधी क्षेत्र के कम से कम निम्नलिखित के बयान दर्ज करेगा।

(iii) यदि आवेदक सीधे ही समाज कल्याण अधिकारी को आवेदन दे रहा हो। इसी प्रकार की स्थिति में तो आवेदक डीएसडब्ल्यूओ/ डीएसडब्ल्यूओ द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्रतिनियुक्त किसी अधिकारी के सामने निम्नलिखित सूची में उल्लिखित कोई दो गवाहियां प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।

(क) जनप्रतिनिधि जैसे क्षेत्र का सांसद, क्षेत्र का विधायक,

(ख) आवासीय कल्याण संघ का अध्यक्ष अथवा महासचिव,

(ग) आवेदक के दो पड़ोसी उनके संपर्क विवरण सहित,

(घ) पंजीकृत महिला एसएचजीएस/महिला मंडल की अध्यक्ष अथवा महासचिव,

(ङ) आईसीडीएस पर्यवेक्षक/क्षेत्र के आशा कार्यकर्ता,

(च) केन्द्र/दिल्ली सरकार का राजपत्रित अधिकारी।

(iv) गवाह के बयान के साथ फोटो पहचान के लिए संबद्ध प्रलेख, निवास स्थान और गवाहों के ठहरने की अवधि आवेदन–पत्र के साथ प्रमाण भी संलग्न करने होंगे। यह भी साफ–साफ दर्शाया हो कि गवाह स्वयं अनेक वर्षों से उसी क्षेत्र में रह रहे हैं जितने वर्षों से उन्होंने आवेदक को जानने का दावा किया है। यह सब पर लागू होगा, क्षेत्र के सांसद, क्षेत्र के विधायक जैसे जन–प्रतिनिधियों के अलावा।

I;yXud

Name & Address of District Social Welfare Officers of the Deptt.

DSWO, North
20-21, Gulabi Bagh Shopping Complex, (Near Super Bazaar),
Gulabi Bagh, Delhi-110007
2365 5002 *dswnorth@gmail.com*

DSWO, East
Silai Kadhai Kendra, Block 10, (Near Shmashan Ghat),
Geeta Colony, New Delhi-110031
2208 5003 *doeastdsw@gmail.com*

DSWO, North East
Sanskar Ashram, (Near GTB Hospital), Dilshad Garden,
New Delhi-110 093
2212 4176 *dswone2000@gmail.com*

DSWO, North West-II
NPS for Deaf Complex,
(Near Vishram Chowk Petrol Pump),
Sec-4, Rohini, New Delhi-110085
2705 5275, 2705 8471 *donw2nd@gmail.com*

DSWO, Central
GLNS Complex,
(Behind Ferozeshah Kotla Stadium),
Delhi Gate, New De;hi-110 002
2331 8323 *docendsw@gmailcom*

DSWO, South
Kasturba Niketan, (Near Jal Vihar Terminal),
Lajpat Nagar-II, New Delhi-110024
2981 9812, 2981 0892 *dswosouth@gmail.com*

DSWO, West
Training-cum-Production Centre (TCPC)
Behind Santpura Gurudwara (Near Punjab & Sind Bank),
Tilak Nagar, New Delhi-110 018
2513 8885 *dswowcst@gmail.com*

DSWO, North West-I
NBS for Deaf Complex,
(Near Vishram Chowk Petrol Pump),
Sec-4, Rohini, New Delhi-110 085
2704 0844 *districtnwl@gmail.com*

DSWO, South West (for Cno 36, 38, 44, 45)
C- 23-24, Udyog Sadan, (Behind Qutub Hotel),
Qutub Institutional Area, New Delhi-110 067
2952 8175 *dosouthwest@gmail.com*
For c.no. 32, 33, 34, 35, 37
Camp Office, SDM Office Complex, Tuda
Mandi, Najafgarh, New Delhi-110 043
2632 4210 *dosouthwest@gmail.com*

DSWO, New Delhi
Type IV Staff Quarters, GLNS Complex,
(Behind Ferozeshah Kotla Stadium),
Delhi Gate, New Delhi-110 00,
dsw.dond09@gmail.com

233- Jh lnhi dqekj % क्या **ekuuh; lekt dY;k.k e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सुल्तानपुर माजरा विधानसभा से वृद्धावस्था/ विधवा/विकलांगता पेंशन प्राप्त करने के लिए कुल कितने व्यक्तियों ने आवेदन किया;

(ख) वृद्धावस्था/विधवा/विकलांगता पेंशन के कितने मामले अभी तक लंबित हैं;

(ग) मामलों के लंबित रहने के क्या क्या कारण हैं;

(घ) लंबित मामलों के निपटान हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(ङ) आवेदन के उपरांत प्राप्त आवेदनों को निपटने की समयावधि क्या है;

(च) क्या यह सत्य है कि ऑनलाइन अप्लीकेशन के बावजूद वृद्ध व्यक्तियों को पेंशन ऑफिस के चक्कर क्यों लगाने पड़ते हैं;

(छ) यदि हां, तो सरकार वृद्ध व्यक्तियों को परेशानियों से बचाने के लिए क्या कदम उठा रही है;

(ज) लंबित मामलों की सूची संबंधित विधायक को प्रदान करने की सरकार की कोई योजना है;

(झ) यदि नहीं, तो क्या सरकार ऐसी कोई योजना लाने पर विचार कर रही है; और

(ञ) क्या योजना के अमल में आने तक सरकार पेंशन कार्यालय के कर्मचारियों को महीने में एक दिन विधायक कार्यालय आने के आदेश जारी करने पर विचार करेगी?

ekuuh; lekt dY;k.k e=h ¼ (क) सुल्तानपुर माजरा विधानसभा में पेंशन हेतु निम्न व्यक्तियों ने आवेदन किया–

(1) वृद्धावस्था पेंशन – 1300

(2) विकलांग पेंशन – 240

(3) विधवा पेंशन – 179

(ख) वृद्धावस्था/विधवा/विकलांगता पेंशन के कुल लंबित मामले–

(1) वृद्धावस्था पेंशन – 266

(2) विकलांग पेंशन – 165

(3) विधवा पेंशन – 03

(ग) आवेदन लंबित होने के निम्न कारण हैं–

1. ऑनलाइन अपलोड किए गए दस्तावेज अपूर्ण होने पर।
2. दस्तावेज स्पष्ट न दिखाई देने के कारण।
3. आवेदक ने केवल पंजीकरण किया किंतु दस्तावेज अपलोड नहीं किए गए।
4. योजना हेतु निर्धारित पात्रता के योग्य न पाए जाने के कारण।
5. दस्तावेजों में त्रृटि पाये जाने पर आवेदक द्वारा समय पर सही दस्तावेज उपलब्ध कराए जाने के कारण।

(घ) विभाग द्वारा सभी योग्य पाए गए स्वीकृत ऑनलाइन आवेदकों की पेंशन तत्परता से भेजी जा रही है। इसके अतिरिक्त जिन आवेदनों में किसी प्रकार की त्रुटि पाई गई उसके त्वरित समाधान हेतु संबंधित जिला कार्यालयों

ने आंगनवाड़ी कार्यकताओं को घर घर भेजकर आवश्यक दस्तावेज एकत्रित करवाए एवं यथासंभव त्रुटियों का निवारण करके बकाया राशि सहित पेंशन प्रेषित की जा रही है।

(ङ) 45 दिन की समयावधि में पेंशन आवेदनों का निपटान किये जाने का प्रावधान है। योग्य पाए गए स्वीकृत आवेदनों को पेंशन राशि आवेदन प्रापत होने के अगले माह से बकाया राशि सहित प्रेषित की जाती है।

(च) और (छ) जी नहीं। अन्य कोई विकल्प न होने की स्थिति में ही केवल ऐसे वृद्ध लाभार्थियों को पेंशन ऑफिस में बुलाया जाता है जिनके दस्तावेजों में किसी प्रकार की कमी पाई जाती है।

वृद्ध व्यक्तियों को परेशानियों से बचाने के लिए जिला कार्यालयों द्वारा अनेक कदम उठाए जा रहे है जैसे कि SMS के माध्यम से सूचित करना, यदि आवश्यकता होती है तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं/अथवा कम्रचारी द्वारा भी उनके घर पर संबंधित दस्तावेज एकत्रित करने हेतु दौरा किया जाता है।

(ज) और (झ) विभाग द्वारा सभी विधायकों को समय–समय पर ई–मेल के द्वारा एवं उनके कार्यालय पर कर्मचारियों द्वारा जानकारियां प्रेषित की जाती हैं। विभाग द्वारा भविष्य में बेहतर तालमेल एवं जनसंपर्क हेतु प्रयास किए जाएंगे।

अभी हॉल ही में माननीय मंत्री समाज कल्याण विभाग द्वारा अनेक जिला कार्यालयों का दौरा किया गया है तथा संबंधित जनप्रतिनिधियों के साथ विस्तृत चर्चा की गई है।

(ञ) पहले से ही विभाग द्वारा कार्यालय के कर्मचारियों को महिने में एक दिन विधायक के कार्यालय जाने का आदेश दिया जा चुका है।

234- Jh fotUnz xxZ % क्या **ekuuh; lekt dY;k.k e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समाज कल्याण द्वारा नई वृद्धावस्था पेंशन का कोटा कब तक लाया जाएगा;

(ख) जिन व्यक्तियों की पेंशन रूकी हुई है, उनको पेंशन का भुगतान कब तक शुरू कर दिया जायेगा; और

(ग) पेंशन के अलावा समाज कल्याण विभाग द्वारा और कौन–कौन सी आर्थिक एवं सामाजिक योजनाएं चलाई जा रही हैं; उनकी विस्तृत जानकारी प्रदान की जाएं?

ekuuh; lekt dY;k.k e=h % (क) नई वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत सक्षम अधिकारी की अनुमति से उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर अतिरिक्त कोटा सभी विधानसभा क्षेत्रों को प्रदान करने का प्रस्ताव अनुमोदित हो चुका है एवं निर्देश जारी करने की प्रक्रिया चल रही है।

(ख) विभाग द्वारा लाभार्थियों की रूकी हुई पेंशन को शीघ्रअतिशीघ्र जारी करने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। मंत्री परिषद् ने यह निर्णय लिया है कि पेंशन लाभार्थियों के आधार संख्या उनके बैंक खातों में संबद्ध न होने के कारण जो बढ़ी हुई पेंशन नहीं मिल पा रही थी उनकी पेंशन जारी कर दी जाएगी तथा बैंक खातों में आधार संख्या दर्ज करने का कार्य साथ ही साथ जारी रहेगा।

सभी योग्य लाभार्थियों को PFMS माध्यम से पेंशन नियमित रूप से प्रेषित की जा रही है। इसके अतिरिक्त लाभार्थियों को पेंशन का भुगतान सुचारू रूप से प्रेषित किए जाने के लिए अनेक कदम उठाए जा रहे है

जैसे कि लाभार्थियों की पेंशन संबंधी किसी भी प्रकार की समस्याओं के निवारण हेतु सभी जिला कार्यालयों एवं मुख्यालय में जन संपर्क खिड़की की व्यवस्था है। सभी बैंकों के साथ बेहतर तालमेल के प्रयास किए जा रहे हैं, विभाग द्वारा सभी विधायकों के कार्यालयों में विभाग के कर्मचारी समस्या सुलझाव हेतु जाते हैं आदि।

(ग) पेंशन के अलावा समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाई जा रही अन्य योजनाओं का ब्यौरा संलग्न है।

lyXu

lkekftd lqj{kk 'kk[kk

¼1½ euksjatu dsUnz

इस समय वृद्धों के मनोरंजन हेतु 111 वरिष्ठ नागरिक मनोरंजन केन्द्र चलाये जा रहे हैं। मनोरंजन केन्द्रों में वृद्धजनों के मनोरंजन के सामान व खेल सामग्री के अलावा स्वास्थ्य कैम्प, पुस्तकालय, योगा, सालाना दो पर्यटन यात्रा हेतु सुविधाएं भी दी जाती हैं। मनोरंजन केन्द्रों की स्थापना करने का एकमात्र उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को उनके खाली समय में तनावमुक्त रहने और सामाजिक कार्यक्रमों की सुविधा प्रदान करना है। ये सुविधायें वरिष्ठ नागरिकों को उनके परिवार से जोड़े रखती है और दिन में जब उनके परिवार के लोग अपने कार्य तथा व्यवसाय के लिए जाते हैं तब वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल की जिम्मेवारी उनके परिवार के लिए एक समस्या के रूप में नही रह जाती है।

euksjatu dsUnz [kksyus gsrq ;ksX;rk,¡&

1. वृद्ध नागरिक संस्था/आवासीय कल्याण संस्था अथवा वे एनजीओ जो केवल वृद्ध कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत हैं।

2. संस्था को चाहिए कि उसके पास तीन साल पहले का सोसायटी से पंजीकृत रजिस्ट्रेशन होना चाहिए।

3. संस्था के पास कम–से–कम 50 पंजीकृत सदस्य होने चाहिए।

lgk;rk dk rjhdk&

xSj vkorhZ vuqnku& एकमुश्त 75000/– रुपए का अनुदान उन संगठनों को जिनके पास स्थान उपलब्ध है आवश्यकता के अनुसार कुर्सी, टेबल, कपबोर्ड, टेलीविजन, आंतरिक खेल मदों, कुलर, पानी के कूलर, पर्दे आदि खरीदने के लिए दिया जाता है।

vkorhZ vuqnku& 20,000/– रुपए का अनुदान भूउपयोग के पचालनात्मक, जिनमें सेवकों का भुगतान, किराया, स्वामित्व वाले भवन के मामले में छोटी–मोटी मरम्मत, स्वास्थ्य शिविरों/योगा शिविरों, चर्चा और संगोष्ठियों, राष्ट्रीय व क्षेत्रीय त्यौहारों के आयोजन, समाचार पत्रों, मैंगजीन, पत्रिकाओं की खरीदी पानी व बिजली प्रभार के भुगतान और अन्य आनुषंगिक व्यय के लिए दिया जाता है। आवर्ती अनुदान निम्नलिखित उपशीर्ष के अंतर्गत किया जा सकता है:–

1. कर्मचारियों के वेतन/किरपाया/पानी व बिजली प्रभार के भुगतान।
2. स्वास्थ्य शिविर/योगा शिविर/पोषण संगोष्ठियों और कार्यशालाओं, त्यौहारों के उत्सव, समाचार पत्रों, मैगजीन आदि की खरीदी।
3. टूर/दौरों आदि के आयोजन।
4. कोई अन्य आनुशंगिक व्यय।

आवर्ती अनुदान उपशीर्ष–वार अनुबंधित नहीं है और ऊपर उल्लिखित

किसी भी या सभी उपशीर्षों के ऊपर खर्च किया जा सकता हैं जिन गैर सरकारी संगठनों के पास स्वयं का स्थान उपलब्ध नहीं है उन्हें केवल 10,000/– रुपए प्रतिमाह का आवर्ती अनुदान उपर दिये सभी घटकों के विक्रय के लिए दिया जाता है।

¼2½ o`)kJe%&

दिल्ली सरकार द्वारा चलाए जा रहे वृद्धाश्रमों में रहने, खाने–पपीने, मनोरंजन व स्वास्थ्य संबंधी सभी सुविधाएं दी जाती है। दिल्ली सरकार द्वारा दो वृद्धाश्रम चलाए जा रहे हैं:–

1. तिलक विहार स्थित वृद्धाश्रम। वर्तमान में यह वृद्धाश्रम बिन्दापुर स्थानांतरित हो गया है।

2. लामपुर स्थित वृद्धाश्रम, जिसे गैर सरकारी संस्था दिल्ली ब्रदरहुड सोसायटी पब्लिक प्राईवेट साझेदारी के तहत चलाया जा रहा है।

वर्तमान में दिल्ली सरकार द्वारा 10 नये वृद्धाश्रम खोलने का प्रस्ताव स्वीकृत किया जा चुका है। इसके लिये विभाग को दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में भूमि आबंटित कर दी गई है। 10 नये वृद्धाश्रम की वर्तमान स्थिति संलग्न है।

¼3½ eUVsusal ,oa vihyhV fVªC;wuy%&

दिल्ली भरण–पोषण तथा माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिक कल्याण नियमावली 2009 के अंतर्गत बच्चों या रिश्तेदारों द्वारा देखभाल न मिलने व संपत्ति विवाद की स्थिति में वरिष्ठ नागरिकों के लिए मेन्टेनेंस एवं अपीलेट ट्रिब्यूनल 11 जिलों में चलाए जा रहे हैं।

lk'ky fMQsl ckp] lekt dY;k.k foHkkx

कुष्ठ पुनर्वास केन्द्र योजना (RCL Scheme) 1981 में प्रारंभ की गई थी। यह योजना दिल्ली में रहने वाले कुष्ठ रोगियों को राशन भत्ता दिये जाने से संबंधित है। इस योजना के अंतर्गत दिल्ली में रहने वाले 494 कुष्ठ रोगियों को रुपए 1800/– प्रति माह राशन भत्ता के रूप में दिया जाता है।

इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा 11 भिक्षु गृह चलाए जाते हैं, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा बंबई भिक्षावृत्ति अधिनियम 1959 के अंतर्गत सजा किए गए भिक्षुओं को एक या अधिक वर्ष के लिए रखा जाता है। इन भिक्षु गृह में भिक्षुओं को खाना, रहना एवं चिकित्सा सुविधाएं आदि निशुल्क दी जाती हैं। इसके अलावा भिक्षु गृह में भिक्षुओं के पुनर्वास के लिए उन्हें रोजगार प्रशिक्षण दिया जाता है।

fodykax dY;k.k 'kk[kk

;kstuk dk fooj.k&

1. समाज कल्याण विभाग की विकलांग कल्याण शाखा, निशक्त जन हेतु "नेशनल प्रोग्राम फॉर रिहैबिलिटेशन ऑफ पर्सन्स विद डिसबिलिटीस" (एनपीआरपीडी) के अंतर्गत सामान्य विकलांगता शिविर, सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं के सहयोग से आयोजित करता है। इस शिविर के द्वारा विकलांग व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती हैं जैसे–

   - विकलांगता प्रमाण पत्र नोटिफाइड क्षेत्रीय अस्पतालों द्वारा जारी किया जाता है।

- विकलांगता प्रमाण पत्र क्षेत्रीय जिला आयुक्त के द्वारा जारी किया जाता है।
- इंटीग्रेटेड स्कूलों में पंजीकरण करने की सुविधा की जानकारी शिक्षा विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा प्रदान की जाती है।
- सहायत उपकरणों का वितरण गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा किया जाता है।
- समाज कल्याण विभाग के वित्तीय सहायता योजना के फॉर्म वितरण

वर्ष 2016–17 में विभाग द्वारा कुल 11 सामान्य विकलांगता शिविर आयोजित किए गए थे।

2. समाज कल्याण विभाग द्वारा स्टेट प्रोग्राम ऑफ इवेन्टस फॉर सोशली एंड फिजिकली डिसएडवान्टेज पर्सन्स योजना के तहत अंतर्राष्ट्रीय दिवस 03 दिसंबर को वर्ष 2015 से स्टेट अवार्ड देना शुरू किया है। गत् वर्ष 2017–18 अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस 2 दिसंबर को मनाया गया था, जिसमें 7 विकलांग व्यक्तियों को जो विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धि के लिये स्टेट अवार्ड दिये गये।

3. पीडब्ल्यूयू एक्ट 1995 के तहत समाज कल्याण विभाग द्वारा उन संस्थाओं का पंजीकरण किया गया है जो विकलांगता के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। अभी तक कुल 83 गैर सरकारी संस्थाओं को समाज कल्याण विभाग द्वारा पंजीकरण किया जा चुका है।

4. दिल्ली अनुदान योजना के अंतर्गत, विभाग, गैर सरकारी संस्थाओं, संगठनों को जो विकलांगता के क्षेत्र में कार्य कर रहीं है, को अनुदान देती है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में कुल 7 एवं 2017–18 में कुल 6 एनजीओ को अनुदान दिया गया है।

5. सुगम्य भारत अभियान का क्रियान्वयन केन्द्रीय सरकार ने 3 दिसंबर, 2015 को शुरू की जिसके तहत, इमारतों, यातायाता व संचार के साधनों में विकलांगों के लिए सुगम्यता बढ़ाई जाए। अभियान के पहले चरण के अंतर्गत दिल्ली की 23 इमारतों का ऑडिट किया गया। जिनमें से 19 इमारतें दिल्ली सरकार की हैं। ऑडिट के अनुसार केन्द्र सरकार ने 18 इमारतों में सुधार व सुगम्य बनाने के लिए 13.93 करोड़ रुपए देने की स्वीकृति दे दी है। यह पैसे संबंधित पीडब्ल्यूडी शाखा को भेजने के लिये वित्तीय विभग द्वारा कार्य चल रहा है। दूसरे चरण के तहत आयुक्त (पीडब्ल्यूडी) इमारतों का चयन कर रहे हैं, जिनका ऑडिट किया जा सके।

6. समाज कल्याण विभाग द्वारा मानसिक बीमारी से ग्रस्त लोगों के लिए 5 हाफ–वे–होम शुरू किए जा रहे हैं, जिसमें से अब तक 4 हॉफ वे होम क्रियान्वित किए गए हैं। इनमें से 2 होम महिलाओं के लिए एवं 2 होम पुरुषों के लिए हैं।

7. यूडीआईडी (UDID)- केन्द्र सरकार के इस प्रोजेक्ट जो कि दिल्ली में शीघ्र ही लागू होने वाली है के अंतर्गत विकलांग व्यक्तियों को ऑनलाइन विकलांगता प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे तत्पश्चात् उन्हें स्मार्ट कार्ड/यूनिक आईडी कार्ड जारी किया जाएगा, जो पूरे देश में मान्य होगा। इस संदर्भ में सचिव (समाज कल्याण) द्वारा संबंधित विभागों के साथ मीटिंग 13.07.2017 को हुई जिसमें स्वास्थ्य विभाग, राजस्व व आईटी ने भाग लिया। इस प्रोजेक्ट के तहत दिल्ली राज्य के लिए स्टेट कॉर्डीनेटर की नियुक्ति 07.06.2018 को की गई। स्वास्थ्य, राजस्व वे समाज कल्याण विभागों के अधिकारी/कर्मचारीगण के इस प्रोजेक्ट के सॉफ्टवेयर में प्रशिक्षण दिनांक 01.08.18, 02.08.18, 03.08.18 को भारत सरकार की टीम द्वारा दिया गया।

8. नया RPwD Act 2016 यह कानून 19.04.2017 को लागू किया जा चुका है। इस अधिनियम के तहत विकलांगों के अधिकार क्षेत्र को विस्तृत किया गया है और विभागों के कार्यों एवं जिम्मेदारियों को बढ़ाया गया है। इस विभाग द्वारा नए अधिनियम के तहत दिल्ली के नियमों का प्रारूप बनाकर संबंधित विभागों को उनके सुझाव और टिप्पणियों हेतु भेजा चुका है ताकि उन सुझावों को प्रारूप नियमों में शामिल कर अधिसूचित किया जा सके। ड्राफ्ट नियमों को दिनांक 25.05.18 के दिल्ली के गजट में निकाला गया ताकि पब्लिक व एनजीओ अपने सुझाव/टिप्पणी दे सकें जिसके लिए एक माह का समय दिया गया था। प्राप्त सुझावों का अध्ययन किया जा रहा है ताकि नियमों को अंतिम रूप दिया जा सके।

9. समाज कल्याण विभाग द्वारा उन गैर सरकारी संस्थाओं को संस्तुति भारत सरकार को की जाती है जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की विभिन्न योजनाओं जैसे कि दीन दयाल रिहैबिलिटेशन स्कीम (डीडीआरएस), अवेयरनस जनरेशन प्रोग्राम (एजीपी), असिस्टेंश टू डिसअब्ल्ड पर्सन फॉर पर्चेसिंग/फीटिंग ऑफ एड्स/एप्लीएंसिस स्कीम्स (एडीआईपी) और स्कीम फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ पर्सन्स विद डिसअबिलिटी एक्ट (एसआईपीडीए) के तहत आवेदन करते हैं। वर्ष 2016—17 में विभाग द्वारा 23 एवं 2017—18 में 12 संस्थाओं को अनुदान देने हेतु संसुति दी गई।

10. समाज कल्याण विभाग द्वारा मूक बधिर छात्रों के लिए पांच स्कूल, दृष्टिबाधित के लिए एक स्कूल हॉस्टल के साथ, एक हॉस्टल दृष्टिबाधित कॉलेज जाने वाले लड़कों के लिए, छः संस्थाएं मानसिक रूप से विकलांग लोगों और एक स्कूल मानसिक रूप से विकलांग बच्चें के लिए दिल्ली की विभिन्न जगहों पर चलाए जा रहे हैं।

विभाग द्वारा मूक बधिर के लिए चलाए जा रहे पांच स्कूलों में मुफ्त शिक्षा किताबें, यूनिफॉर्म, मध्याह्न भोजन दिया जाता है और यातायात सुविधा 40 रुपए प्रति बच्चे प्रति महीना लिया जाता है। स्कूलों का विवरण निम्नलिखित हैः—

- गवर्नमेंट सैकेंडरी स्कूल फॉर डेफ कालकाजी, दिल्ली — 400 विद्यार्थी
- गवर्नमेंट लेडी नायस सीनियर सैकेंडरी स्कूल फॉर डेफ, दिल्ली गेट, दिल्ली — 644 विद्यार्थी
- नर्सरी प्राइमरी स्कूल फॉर डेफ, नेहरु विहार, दिल्ली — 169 विद्यार्थी
- नर्सरी प्राइमरी स्कूल फॉर डेफ, मयूर विहार, दिल्ली — 71 विद्यार्थी
- नर्सरी प्राइमरी स्कूल फॉर डेफ, रोहिणी, दिल्ली — 200 विद्यार्थी

विभाग द्वारा इन दृष्टिबाधित स्कूल्स व हॉस्टल में मुफ्त ब्रैल पेपर, किताबें, पढ़ने का सामान, जूते, छड़ी चश्मे दिये जाते हैं। मुफ्त हॉस्टल सुविधा में रहना, खाना, स्वास्थ्य सुविधाएं व अन्य सुविधाएं दि जाती हैं। दृष्टिबाधित स्कूल व हॉस्टल का विवरण निथ्नलिखित हैः—

- गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल फॉर ब्लाईंड बॉयज, सेवा कुटीर कॉम्पलेक्स, किंग्सवे कैंप, दिल्ली—123 विद्यार्थी
- हॉस्टल फॉर कॉलेज गोइंग ब्लाईंड बॉयज, सेवा कुटीर कॉम्पलेक्स, किंग्सवे कैंप, दिल्ली—103 विद्यार्थी

मानसिक रूप से विकलांग लोगों के लिए विभाग द्वारा चलाई जा रही संस्थाओं व स्कूल का विवरण निम्नलिखित हैः—

- होम फॉर मेंटली चैलेंज्ड पर्सन्स (वयस्क पुरुष), आशा किरण परिसर, अवंतिका, रोहिणी दिल्ली—277 संवासी
- विकासिनी होम फॉर मेंटली रिटारटिड पर्सन्स (अवयस्क लड़के), आशा किरण परिसर, अवंतिका, रोहिणी दिल्ली—251 संवासी
- प्रगति इंस्टीट्यूशन फॉर सेवियर एंड प्रोफाउंड मेंटली चैलेंज्ड पर्सन्स (महिलाएं), आशा किरण परिसर, अवंतिका, रोहिणी दिल्ली—279 संवासी
- सुखांचल स्कूल एंड होम फॉर मेंटली रिटारटिड (महिलाएं), आशा किरण परिसर, अवंतिका, रोहिणी दिल्ली—247 संवासी
- आशादीप होम फॉर मेंटली चैलेंज्ड पर्सन्स (वयस्क महिलाएं), निर्मल छाया परिसर, हरि नगर, दिल्ली—57 संवासी
- स्कूल फॉर मेंटली रिटारटिड चिल्ड्रन मयूर विहार, दिल्ली—64

235- Jh fotsUnz xqIrk % क्या **ekuuh; lekt dY;k.k ea=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत विधानसभा की बैठक के उपरान्त वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं, विकलांगों पेंशन धारकों के हित में क्या—क्या कदम उठाए गए हैं?

(ख) क्या यह सत्य है कि सरकार ने पेंशन की शिकायतों के समाधान के लिए कॉल सेन्टर खोलने का ऐलान किया था;

(ग) यदि हां तो क्या ऐसा काल सेन्टर खोल कर उसका नंबर जारी कर दिया है;

(घ) क्या पेंशन धारकों के मार्गदर्शन और सहायता के लिए स्टॉफ संख्या में वृद्धि की गई है;

(ङ) यदि हां तो इसकी जानकारी दें?

ekuuh; lekt dY;k.k e=h % (क) • पेंशन PFMS के माध्यम से बैंकों द्वारा सत्यापित (वैरिफाइड) खातों में प्रेषित की जा रही है।

• जिला कार्यालयों में कर्मचारियों की कमी होने के कारण विभाग द्वारा अन्य कार्यालयों से सत्यापन हेतु 55 कर्मचारियों को अपने कार्य के अतिरिक्त इस कार्य के लिए नियुक्त किया गया जिससे कि आवेदनों का सत्यापन शीघ्रतापूर्ण किया जा सके।

• जिन आवेदनों में किसी प्रकार की त्रुटि पाई जा रही है उसके त्वरित समाधान हेतु संबंधित जिला कार्यालयों द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकताओं को घर–घर भेजकर आवश्यक दस्तावेज एकत्रित करवाए जा रहे हैं एवं यथासंभव त्रुटियों का निवारण करके बकाया राशि सहित पेंशन प्रेषित की जा रही है।

• विभाग समय–समय पर समाचारपत्रों में विज्ञापन के माध्यम से तथा प्रचार कैंप आदि लगवाकर Pamphlet/Poster आदि द्वारा लाभार्थियों को अपने बैंक खाते को आधार से लिंक करवाने की हिदायत दे रहा है।

- प्रत्येक जिला समाज कल्याण कार्यालयों में लिखित रूप से यह सूचना दर्शायी गई है कि सभी लाभार्थी अपने बैंक खातों को सब्सिडी हेतु आधार से लिंक कराएं।

- नए ऑनलाइन आवेदनों की स्वीकृति एवं पेमेंट की स्थिति संबंधी जानकारी समय–समय पर क्षेत्रीय विधायकों को भी दी जा रही है।

- लाभार्थियों की पेंशन संबंधी किसी भी प्रकार की समस्याओं के निवारण हेतु सभी जिला कार्यालयों एवं मुख्यालय में जन संपर्क खिड़की की व्यवस्था है।

- इसके अतिरिक्त विभिन्न माध्यमों जैसे– आरटीआई, पीजीएमएस, ईमेल, वीआईपी रेफरेंसेस इत्यादि से प्राप्त पेंशन संबंधी शिकायतों/समस्याओं का समयबद्ध तरीके से समाधान कर दिया जाता है।

- आधार नंबर को बैंक खाते से लिंक कराने संबंधी होने वाली कठिनाइयों से बचने के लिए मंत्री परिषद् ने आधार लिंकिंग की अनिवार्यता को खत्म करने का निर्णय लिया है।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, हां।

(घ) जी, हां।

(ङ) पेंशन धारकों के मार्गदर्शन और सहायता के लिए स्टॉफ संख्या में वृद्धि की गई है जिसका ब्यौरा संलग्न है।

lyXu

Name of Office	Welfare Officer	Sr. Asstt,	Jr. Asstt.	Data Entry Operator
FAS branch /HQ	03	02	01	04
North District	-	01	-	02
North East District	-	01	-	04
North West-I District	-	-	-	02
North West-II District	-	-	-	02
East District	-	01	-	02
West District	01	-	-	02
South District	-	-	-	01
South West District	01	-	-	02
Central District	-	01	-	03
New Delhi District	01	01	-	01

236- Jh euftnj flag fljlk% क्या **ekuuh; lekt dY;k.k e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन एवं ओल्ड एजे पेंशन लाभार्थियों को प्रतिमास समय पर नहीं मिल पाती;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) लाभार्थियों को नियमित रूप से बिना किसी विलंब के पेंशन मिलती रहे, यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है;

(घ) कितने पेंशनधारी 70 वर्ष की आयु के उपरांत 2500/– रुपए की पेंशन के हकदार हो गए हैं;

(ङ) उनमें से कितनों को बढ़ी हुई पेंशन नहीं मिल रहीं है; इसकी विस्तृत जानकारी दें;

(च) क्या यह सत्य है कि आधार कार्ड को बैंक द्वारा नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से लिंक न हो पाने के कारण हजारों वयोवृद्ध पेंशनधारियों को बढ़ी हुई पेंशन नहीं मिल पा रही है;

(छ) पेंशनधारियों को बढ़ी हुई पेंशन सुचारू रूप से मिल सके, इसके लिए सरकार उपरोक्त समस्या से निपटने के लिए क्या कदम उठा रही है; और

(ज) क्या यह सत्य है कि काफी कोशिशों के बावजूद भी आधार कार्ड नेशनल पेंमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से लिंक नहीं हो पाने के कारण पेंशन से वंचित लाभान्वितों को सरकार पिछली तिथि से पेंशन देने पर विचार कर रही है?

ekuuh; lekt dY;k.k e=h % (क) जी हां।

(ख) और (ग) कुछ तकनीकी कारणों से (जैसे–PFMS पोर्टल आदि) प्रतिमाह पेंशन जारी करने में विलंब हो जाता है जबकि विभाग का प्रयास सभी तरह की पेंशन को समयबद्ध तरीके से लाभार्थियों तक पहुंचाने का प्रयास रहता है। विभाग वर्तमान में दो मास के अंतराल पर पेंशन जारी कर रहा है तथा भविष्य में सुनिश्चित किया जाएगा की विभाग प्रतिमाह पेंशन जारी कर सके।;

इसके अतिरिक्त बढ़ी हुई पेंशन राशि प्राप्त करने हेतु विभाग समय–समय पर समाचारपत्रों में विज्ञापन के माध्यम से तथा प्रचार कैंप आदि लगवाकर Pamphlet/Poster आदि द्वारा लाभार्थियों की अपने बैंक खाते को आधार से लिंक करवाने की हिदायत दे रहा है।

आधार नंबर को बैंक खाते से लिंक कराने संबंधी होने वाली कठिनाइयों से बचने के लिए मंत्री परिषद् ने आधार लिंकिंग की अनिवार्यता को खत्म करने का निर्णय लिया है, ताकि लाभार्थियों को बढ़ी हुई पेंशन का लाभ बिना किसी कठिनाई के प्राप्त हो सके।

(घ) और (ङ) 70 वर्ष की आयु के पेंशनधारियों का विवरण निम्न प्रकार है–

योजना	कुल लाभार्थी (70 वर्ष व उससे अधिक आयु के)	बढ़ी हुई पेंशन प्राप्त कर रहे लाभार्थी	पुरानी दर से प्राप्त कर रहे लाभार्थी
वृद्धावस्था पेंशन	242326	187384	54942

(च) जी, हां।

(छ) सरकार द्वारा बढ़ी हुई पेंशन सुचारू रूप से मिलती रहे इसके लिए बैंकों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। विभाग में पेंशन योजना को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए तकनीकी तथा कार्मिक सुधार किए जा रहे हैं।

आधार नंबर को बैंक खाते से लिंक कराने संबंधी होने वाली कठिनाइयों से बचने के लिए मंत्री परिषद् ने आधार लिंकिंग की अनिवार्यता को खत्म

करने का निर्णय लिया है, ताकि लाभार्थियों को बढ़ी हुई पेंशन का लाभ बिना किसी कठिनाई के प्राप्त हो सके।

(ज) जी हां, हाल में मंत्री परिषद् ने निर्णय लिया है कि जिन लाभार्थियों के आधार नंबर उनके खातों से संबद्ध नहीं हैं उनको भी बढ़ी हुई पेंशन का लाभ दिया जाएगा तथा साथ ही साथ उनके आधार नंबर को भी उनके बैंक खातों से संबद्ध कराने की प्रक्रिया सुचारू रूप से जारी रहेगी।

237- Jh euftnj ¿lg fljlk % क्या **ekuuh; lekt dY;k.k e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूरी दिल्ली में कितने लोग फुटपाथ पर रहते है;

(ख) उनके लिए विभाग द्वारा क्या—क्या योजनाएं चलाई जा रही है पूर्ण विवरण दें;

(ग) यदि फुटपाथ पर रहने वाले किसी भी व्यक्ति को इन विभागीय योजनाओं का लाभ मिल रहा है तो विवरण दें;

(घ) पूरी दिल्ली में कितने लोग भीख मांगने का कार्य कर रहे है और

(ङ) इनके पुनर्वास के लिए विभाग क्या प्रयास कर रही है;

ekuuh; lekt dY;k.k e=h % (क) ऐसे कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

(ख) इनके लिए स्लम विभाग (DUSIB) योजनाएं चलाता है। वर्तमान में समाज कल्याण विभाग द्वारा ऐसे व्यक्तियों के लिये कोई योजना उपलब्ध नहीं है।

(ग) ऐसे कोई आंकड़े नहीं है।

(घ) दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क (DU) 2006 में सर्वे के अनुसार उस समय भीख मांगने वालों की संख्या 55000 थी। वर्तमान में कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

(ङ) यदि भिक्षावृति न्यायालयों द्वारा भिक्षुओं को संरक्षित संस्थानों में उचित देखभाल एवं पुनर्वास हेतु रखने के आदेश दिये जाते हैं, तो इस प्रकार भेजे गये व्यक्तियों को भोजन, निवास व चिकित्सा सुविधा विभाग द्वारा संचालित संस्थानों में निशुल्क प्रदान की जाती है। संरक्षित भिक्षुओं का बागवानी, सफाई सिलाबुनाई–, पाकशाला, विद्युत उपकरणों की मरम्मत व चित्रकारी व पेंटिंग इत्यादि का व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है।

238- Jh iou dqekj 'kekZ ¼ क्या **ekuuh; lekt dY;k.k ea=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र की वृद्धावस्था पेंशन कब से बंद है;

(ख) इसे पुनः आरंभ किये जाने पर क्या निर्णय लिया गया है; और

(ग) विधानसभा क्षेत्र वाइज पेंशन कोटा निर्धारित करने की प्रक्रिया व मापदंड क्या है?

ekuuh; lekt dY;k.k ea=h ¼ (क) वृद्धावस्था पेंशन का भुगतान सभी लाभार्थियों को नियमित रूप से किया जा रहा है, परंतु रिक्तियों के अभाव में नए आवेदन लेने की प्रक्रिया वर्तमान में बंद है।

(ख) प्रस्ताव स्वीकृत हो गया है, आवश्यक निर्देश जारी किए जा रहे हैं।

(ग) दिल्ली सरकार की कैबिनेट द्वारा इस संदर्भ में समय–समय पर नीति निर्धारित की जाती है।

239- Jh Hkkouk xkM+ % क्या **ekuuh; lekt dY;k.k e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पालम विधानसभा क्षेत्र में वृद्धावस्था पेंशन अप्रैल, 2015 से पहले कितने लोगों को दी जा रही थी, उसका ब्यौरा क्या है?

(ख) 2015 से लेकर अब तक वृद्धावस्था पेंशन का लाभ जिन लोगों को मिल रहा है, उसकी संख्या सहित नाम व संपूर्ण ब्यौरा क्या है;

(ग) वृद्धावस्था पेंशन के कितने केस अभी पाइपलाइन में हैं;

(घ) बाकी बची हुई पेंशनों का कार्य कब तक पूरा हो जायेग?

ekuuh; lekt dY;k.k e=h % (क) पालम विधानसभा क्षेत्र में वृद्धावस्था पेंशन अप्रैल, 2015 से पहले 5236 लाभार्थियों को दी जा रही थी।

(ब्यौरा सीडी में संलग्न है।)

(ख) 2015 से लेकर अब तक वृद्धावस्था पेंशन का लाभ कुल 6506 लाभार्थियों को मिल रहा है, उनकी संख्या सहित नाम व संपूर्ण ब्यौरा सीडी में संलग्न है।

(ग) कुल 465 वृद्धावस्था पेंशन के केस अभी पाईपलाईन में हैं।

(घ) लाभार्थियों द्वारा आवश्यक दस्तावेज जमा कराने के पश्चात सभी योग्य पाए गए आवेदकों को पेंशन प्रेषित कर दी जाएगी।

240- Jh lkseukFk Hkkjrh % क्या **efgyk ,o cky fodkl foHkkx e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में विधवा पेंशन भोगियों तथा बेटी

के विवाह के लिए एकमुश्त सहायता प्राप्त करने वाली विधवाओं के पेंशन प्रारंभ होने की तिथि, नाम, पते, मोबाइल नंबर (यदि हो), वर्तमान स्थिति पेंशन/एकमुश्त सहायता की राशि, यदि पेंशन की राशि कम है या बंद कर दी गई है तो उसके कारणों सहित उपलब्ध कराएं;

(ख) विधवा पेंशन/बेटी के विवाह के लिए एकमुश्यत सहायता राशि के आवेदन के लिए विभाग की मानक प्रक्रिया की चरणबद्ध जानकारी और प्रत्येक चरन के लिए नियत समयावधि, संबंधित अधिकारी का पदनाम व संपर्क–ब्यौरे का विवरण उपलब्ध कराएं;

(ग) क्या यह सत्य है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक नीति की घोषणा की थी जिसके अंतर्गत विभाग का कोई अधिकारी क्षेत्रीय विधायक के कार्यालय में पेंशन/एकमुश्त सहायता राशि संबंधी उक्त कठिनाइयों के निवारण के लिए सप्ताह में एक बार जायेगा;

(घ) यदि हां, तो क्यह नीति अभी भी लागू है;

(ङ) इस योजना से कितने विधायक लाभ उठा रहे है;

(च) क्या यह सत्य है कि एक बार ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन जमा होने के बाद, चाहे वह आवेदक आवेदन जमा करने की तिथि से ही योजना से प्राप्त होने वाले लाभों का पात्र हो जाता है;

(छ) कोई संपन्न व्यक्ति इस पेंशन योजना का अनुचित लाभ न उठा सके इसके लिए विभाग की ओर से क्या सावधानियां बरती जाती है;

(ज) ऐसे कितने लोगों को चिन्हित किया गया है और क्या ऐसे लोगों द्वारा अनुचित तरीके से ली गयी धनराशि की वापसी के लिए कोई कदम उठाये गए है;

(झ) यदि किसी मुस्लिम व्यक्ति, जिसकी एकाधिक पत्नियां है, की मृत्यु हो जाती है तो उसकी किस पत्नी को विधवा पेंशन मिलेगी, और यदि उसकी सभी पत्नियां विधवा पेंशन के पात्र है तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी। क्यूंकि सामान्यतः मृत्यु प्रमाण पत्र में केवल एक पत्नी का नाम ही लिखा जाता है;

(ञ) सरकार ऐसे दलित और उपेक्षित व्यक्तियों की सहायता के लिए किन उपायों पर विचार कर रही है जो अत्यंत निर्धन और अपने अधिकारों से अनभिज्ञ है और जो अपेक्षित समयाविधि 5 वर्ष से भी अधिक समय से दिल्ली में रह रहे हैं परंतु उनके पास विभाग द्वारा दी जाने वाली पेंशन व अन्य सुविधाओं के लिए अपने दावें की पुष्टि के लिए कोई दस्तावेज नहीं है; और

(ट) यदि किसी विधवा की आयु 60 वर्ष से अधिक है या पेंशन प्राप्त करते हुए वह 60 वर्ष की आयु को पार कर लेती है तो क्या वह विधवा पेंशन ही प्राप्त करती रहेगी या उसे वृद्धावस्था पेंशन की अधिकारी हो जायगी अथवा उसे स्वयंमेव वृद्धावस्था पेंशन योजना में स्थानांतरित कर दिया जायेगा, क्योंकि वृद्धावस्था पेंशन राशि 500 रुपए है जो विधवा पेंशन से अधिक है?

क्या **ekuuh; efgyk ,o cky fodkl e=h%** (क) सभी नियमित विधवा पेंशन लाभार्थियों का डाटा जून 2018 तक महिला और बाल विकास विभाग की वेबसाइट *(http:/wcddel.in/index.html)* पर उपलब्ध है। सभी विधवा पेंशन लाभार्थियों को प्रति माह @2500/- रुपए के हिसाब से पेंशन दी जाती है तथा विधवा की पुत्री के विवाह हेतु 30000/— रुपए केवल

दो पुत्रियों के विवाह की सहायता के लिए दिए जाते है। विधवाओं की पुत्री के विवाह की सहायता से संबंधित जानकारी की सूची संलग्न है।

(ख) जिला कार्यालय (दक्षिण), महिला एवं बाल विकास विभाग, दिल्ली सरकार, कस्तूरबा निकेतन परिसर, लाजपत नगर 2, नियर जल विहार टर्मिनल दिल्ली–24, फोन नंबर–011–29819812।

ifØ;k d pj.k&

1. आवेदन प्राप्ति
2. सत्यापन
3. आवेदन स्वीकृति
4. मुख्यालय द्वारा PFMS Portal और NPCI द्वारा आधार लिंक खाते में धनराशि का प्रेषण

ifØ;k dk le;&

- विधवा पेंशन – 45 दिन
- विधवा की पुत्री के विवाह की सहायता के लिए – 60 दिन

(ग) और (घ) महिला एवं बाल विकास विभाग को ऐसा कोई उल्लेखित आदेश प्राप्त नहीं हुआ है परंतु जिला स्तर पर समय–समय पर विधायकों के कार्यालय में संपर्क किया जाता है।

(ङ) इस योजना से सभी विधायक लाभ उठा रहे है।

(च) सभी आवेदन केवल उचित दस्तावेजीकरण के साथ स्वीकार किए जाते हैं। अधिसूचना के अनुसार 45 दिनों के उपरांत आवेदकों को योजना का लाभ प्रदान किया जाता है।

(छ) आवेदन जमा करते वक्त आवेदक से एक शपथ पत्र लिया जाता है कि उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है एवं उनकी सालाना आय एक लाख से कम है। सामाजिक जांच रिपोर्ट द्वारा संदिग्ध मामलों की पुष्टि की जाती है।

(ज) अनुचित तरीके से पेंशन लेने वाले आवेदक की पेंशनबंद कर दी जाती है तथा वसूली की जाती है। अप्रैल से जुलाई तक सभी जिलों में 55 आवेदकों से वसूली कर ली गई है।

(झ) प्रत्येक विधवा महिला आवेदन कर सकती है।

(ञ) विधवा पेंशन के अधिसूचना के अनुसार निम्न दस्तावेज लाभार्थी को कार्यालय में विधिवत भरा आवेदन पत्र निम्नलिखित प्रलेखों सहित प्रस्तुत कर सकते हैः—

- राशन कार्ड,
- वोटर कार्ड
- पासपोर्ट
- ड्राइविंग लाइसेंस
- दिल्ली नगर निगम/पंजीयक— जन्म एवं मृत्यु द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र

- दिल्ली नगर निगम/पंजीयक– जन्म एवं मृत्य द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र
- बिमा पॉलिसी कागजात
- परिवार के किसी सदस्य का टिकाकरण कार्ड
- दिल्ली में उपचार का चिकित्सीय अभिलेख
- बिजली का बिल
- पानी का बिल
- टेलीफोन का बिल
- गैस कनेक्शन की रसीद
- बैंक की पासबुक
- दिल्ली में जाति प्रमाण पत्र
- विद्याथी पहचान पत्र
- सार्वजनिक/प्राइवेट सेक्टर कंपनी/स्थापित संस्थान का सेवा पहचान कार्ड
- संपत्ति दस्तावेज
- कोई अन्य प्रलेख जो दिल्ली में कम से कम 5 वर्ष निवास दर्शाता हो।

(ट) जी हां, विधवा पेंशन ही प्राप्त करती रहेगी जिसकी राशि 2500/– रुपए प्रति माह है।

lyXu

List of Financial Assistance to Poor Widows for performing the marriage of their daughters and Orphan Girls cases

Sl. No.	Name in English	Husband's Name	Category	Daughter Name
1	Rab1ya Begum	Am1nddd1n Khan	General	Wazia Wazmeen
2	Kamlesh	Giyan Chand	SC	Jyoti
3	Sagiran Khatoon	Rasid Khan	General	Zaheeda Par Veen
4	Neelam	Tej Singh	General	Jyoti
5	Husan Bano	Nural Husan	General	Sabeena Khatoon
6	Nazra Begum	Gulam Gas	General	Huma
7	Shayda Begum	Makbool Ahmad	General	Tarannum Parveen
8	Raj Bala	Dhanpal	General	Preeti
9	Suresh	Hart Chand	General	Deepali
10	Gyan Wati	Sukhbir Singh	General	Lalita
11	Ruksana	U Zakir	General	Nazmeen
12	Raj	Veerpal	General	Komal

241- Jh fotsUnz xqIrk % क्या **ekuuh; lekt dY;k.k ea=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली सरकार द्वारा चलाए जा रहें आशा किरण में मंद बुद्धि बच्चों के लिए कितनी क्षमता है?

(ख) इस समय कितने बच्चे इस केन्द्र में रखे जा रहें है?

(ग) क्या कारण है कि इस केन्द्र में क्षमता से अधिक बच्चे रखे जा रहे हैं?

(घ) क्या अधिक क्षमता के अनुरूप स्टॉफ और बजट में वृद्धि की गई?

(ङ) यदि हां, तो कितनी?

(च) क्या यह सत्य है कि क्षमता से अधिक बच्चों की अन्यत्र रहने की व्यवस्था की जा रही है?

(छ) यदि हां, तो किन–किन स्थानों पर?

(ज) यह व्यवस्था कब तक पूरी हो जाएगी

(झ) जहां इन्हें स्थानांतरित किया जाना है क्या वहां वह अतिरिक्त बच्चों को रखने कि व्यवस्था कर दी गयी है? और

(ञ) क्या कारण है कि क्षमता से अधिक बच्चों के रहने कि अब तक अन्यत्र व्यवस्था नहीं हो पाई

ekuuh; lekt dY;k.k ea=h % (क) आशा किरण परिसर में मंद बुद्धि बच्चों को रखने की क्षमता 272 है तथा मंद बुद्धि वयस्कों को रखने की क्षमता 238 है। कुल क्षमता 510 है।

(ख) वर्तमान में कुल 373 बच्चे व 683 व्यस्क इस परिसर में रह रहे हैं।

(ग) दिल्ली के अतिरिक्त कई अन्य राज्यों से भी मानसिक रूप से विकलांग बच्चे एवं वयस्क दिल्ली में आ जाते हैं/दिल्ली की सड़कों पर छोड़े जाते हैं। ऐसे बच्चे और वयस्क माननीय बाल कल्याण समिति एवं न्यायालय के आदेशानुसार संस्था में प्रवेश पाते हैं। अतः उन्हें रखने से मना नहीं किया जा सकता है।

(घ) हां, बजट में वृद्धि हुई है और सृजित पदों पर स्टॉफ की नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है।

(ङ) (i) सन् 2013—14 में बजट 11.72 करोड़ था जो कि अब बढ़कर सन् 2017—18 में बढ़कर 13.64 करोड़ हो गया है।

(ii) सन् 2017—18 में 243 पदों का सृजन किया गया है जिन पर नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है।

(च) जी हां।

(छ) लामपुर में विशेष गृह बनना विचाराधीन है। इसके अतिरिक्त दल्लूपुरा और उस्मानपुर में विशेष गृह निर्माणधीन है।

(ज) व्यवस्था पूरी करने कि प्रक्रिया जारी है। लामपुर में विशेषगृह करीब 600 संवासियों के लिए एक वर्ष की अनुमानित अवधि में कार्यान्वित करने की योजना विचाराधीन है।

(झ) उपरिलिखित निर्माणधीन व विचाराधीन विशेष गृहों में बच्चों व वयस्कों के रहने की व्यवस्था की जा रही है।

(ञ) यह सत्य नहीं है कि व्यवस्था नहीं हो पाई है। क्षता से अधिक बच्चों और व्यस्कों को अन्यत्र ठहराने/रखने कि जो व्यवस्था अब तक की गई है उसका विवरण निम्नलिखित हैः—

(i) आशा दीप होम, नरेला जिसमें 100 वयस्क पुरुषों को रखने कि क्षमता है।

(ii) आशा ज्योति होम, निर्मल छाया परिसर, जेल रोड, हरी नगर, दिल्ली जिसमें 60 वयस्क महिलाओं को रखने कि क्षमता है। इसके अतिरिक्त 60 और संवासियों को रखने की क्षमता का प्रावधान किया गया है। जिनमें पर्याप्त स्टॉफ के आने पर संवासियों को रखा जाएगा।

(iii) क्षमता से अधिक बच्चों व वयस्कों के रहने के लिए आशा किरण परिसर में अतिरिक्त dormitory बनाई जा रही है जिसमें 80 संवासियों को रखा जा सकता है।

संख्या अधिक होने के कारण यह है कि न्यायालय एवं बाल कल्याण समिति समय—समय पर अन्य मंद बुद्धि बच्चों एवं वयस्कों को भेजते रहते हैं। लामपुर में विचाराधीन विशेषगृह की क्षमता 600 संवासियों की होगी जिससे यह अनुमानित किया जा रहा है कि आशा किरण परिसर में वर्तमान की क्षमता से अधिक संवासियों के निवास की समस्या पूरी तरह से सुलझ जाएगी। इसके अतिरिक्त दल्लूपूरा और उस्मानपूर में बनाए जा रहे विशेषगृह और अधिक संवासियों को सेवा प्रदान करेंगे।

242- Jh i:dt i|"dj % क्या **ekuuh; lekt dY;k.k e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूरी दिल्ली में कितनी महिलाएं एवं बच्चे फुटपाथ पर रहते हैं;

(ख) क्या फुटपाथ पर रहने वाले बच्चों और गर्भवती महिलाओं को विभाग द्वारा दी जा रही सुविधाओं या योजनाओं का लाभ मिल रहा है;

(ग) यदि हां, तो पूर्ण विवरण दें; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

ekuuh; lekt dY;k.k e=h % (क) इस विभाग द्वारा महिलाओं के फुटपाथ पर रहने संबंधी सर्वेक्षण नहीं किया गया है। अतः इस संदर्भ में आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

(ख) और (ग) जी हां, फुटपाथ पर रहने वाली गर्भवती महिलाओं को विभाग द्वारा दी जा रही सुविधाओं या योजनाओं का लाभ मिल रहा है।

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा महिलाओं के उत्थान के लिए वर्तमान में जिन योजनाओं का संचालन किया जा रहा है उनका विवरण निम्नवत हैः—

xHkorh ,oe Lruiku djku okyh ¼fujkfJr½ efgykvk gr vkJ; xg %& महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा वाईडब्लूसीए, एनजीओ के माध्यम से गर्भवती एंवम स्तनपान कराने वाली (निराश्रित) महिलाओं हेतु आश्रय गृह का संचालन किया जा रहा है। इन संस्थाओं में निराश्रित गर्भवती महिलाओं के साथ—साथ बलात्कार पीड़िता गर्भवती महिलाएं जिन्हें पुनर्वास की आवश्यकता है को भी आवासीय सुविधा प्रदान की जाती है।

orleku e ,lh nk lLFkk, g%&

अ. मातृत्व छाया, सामुदायिक भवन ए ब्लॉक, जहांपुरी पूरी दिल्ली।

दूरभाष संख्याः— (9971802416 011—27633148), ईमेल आईडीः *pwwh@ywcaofdelhi.org. mci@ycaofdelhi.org*

ब. मातृत्व छाया, सामुदायिक भवन चन्द्र शेखर आज़ाद कॉलोनी, सराय रोहिल्ला दिल्ली। दूरभाष संख्याः— (9971802146, 9971802415, 011—23694147), ईमेल आईडीः *pwwh@ywcaofdelhi.org. mci@ycaofdelhi.org*

इस विभाग के अंतर्गत निम्न सरकारी संस्थाएं भी महिलाओं को आश्रय प्रदान करने का कार्य कर रही हैंः—

अ. निर्मल छाया :— 1988 से चल रही, 100 महिलाओं की क्षमता के लिये अनुमोदित इस आवासीय संस्था को पूर्णतया अनैतिक व्यापार रोकथाम उन्मूलन अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु चयनित किया गया है, और इसे एक सुरक्षात्मक व सुधारात्मक संस्था के रूप में घोषित किया गया है।

इसमें निम्नांकित श्रेणियों की महिलाओं को आवासीय सुविधा प्रदान की जाती है।

1. वेश्यालयों से बचा कर लायी गयी महिलायें व लड़कियां
2. नैतिक संकट में फंसी महिलायें व लड़कियां
3. भारतीय दंड संहिता की अनुभाग 363, 366 व 376 की पीड़ित महिलायें व लड़कियां।

ब. अल्पावास सदन :— संकट में फंसी महिलाओं, गर्भवती महिलाओं को शीघ्र ही अंशकालिक रूप से आवासीय सुविधा प्रदान करने

के उद्देश्य से इन संस्थाओं की नींव रखी गयी है। यह 24 घंटे उपलब्ध सुविधा है, जहां एक स्त्री व महिला को तब तक रखा जाता है, जब तक उसके पुर्नसमायोजन, घर वापसी, बहाली या किसी अन्य उपयुक्त संस्था में रहने की व्यवस्था नहीं हो जाती है।

इन संस्थाओं में निम्नलिखित महिलाओं को आवासीय सुविधा प्रदान की जाती है।

1. महिलायें जो पारिवारिक कलह, घरेलू हिंसा व दुर्वव्यवहार इत्यादि की शिकार है।

2. आवासरहित निराश्रित, गर्भवती महिलाएं, निष्काषित वे महिलायें जिन्हें तत्काल सुरक्षा की आवश्यकता है।

3. असुरक्षित व नैतिक संकटग्रस्त महिलायें व लड़कियां।

इसके अतिरिक्त निम्न अल्पावास (एनजीओ द्वारा संचालित) हैः—

1. स्नेहालय c/o महिला समिति, डी—2/45, किदवई नगर (पश्चिम), संस्था का पता—31 X, कड़कड़डुमा नई दिल्ली—23 दूरभाष—22375113

2. बापनूघर c/o आल इंडिया वूमेन कॉनफ्रेंस 6, भगवानदास रोड नई दिल्ली, दूरभाष—23381377, 23384092

इन संस्थाओं में महिलाओं को पुलिस, कोर्ट आदेश, महिला हेल्पलाइन (दिल्ली महिला आयोग या अन्य द्वारा संचालित) या स्वयं महिला के आवश्यकतानुसार आश्रय नहीं होने पर आश्रय सुविधा प्रदान की जाती है।

(घ) मान्य नहीं है।

(क) इस विभाग द्वारा फुटपाथ पर रह रहे बच्चों से संबंधी सर्वेक्षण नही किया गया है। अतः इस संदर्भ में आकड़े उपलब्ध नहीं है

(ख) व (ग) जी, हां फुटपाथ पर रहने वाले बच्चों को विभाग द्वारा दी जा रही सुविधाओं या योजनाओं का लाभ मिल रहा है;

फुटपाथ पर रह रहे बच्चों को किशोर न्याय (बालकों की देख–रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत बालकों की देखरेख और संरक्षण श्रेणी के अंतर्गत डाला गया है, परंतु इस प्रकार के बच्चे बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाते है और ये समितियां बच्चों के मामलें में उपरोक्त एक्ट के अंतर्गत निर्णायक अधिकारी है।

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 14 बाल गृह कार्यरत है जिसमें निराश्रित, अनाथ, बालभिक्षु, अपरिपक्व, विपदाग्रस्त व विशेष संरक्षण की जश्रयत वाले बच्चों को रखा जाता है जिसमें कि उनकी भोजन, आवास, शिक्षा, चिकित्सा, मनोरंजन, व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि की सुविधाएं प्रदान की जाती है।

(2) विभाग द्वारा दस बाल कल्याण समितियां कार्यरत है। बाल कल्याण समिति ऐसी इकाई है जो कि निराश्रित, अनाथ बच्चों से संबंधित निर्णय लेने हेतु किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 के तहत सक्षम समिति हैं।

(3) बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग पांचवा तल आईएसबीटी, बिल्डिंग का गठन किया है जो कि बच्चों के अधिकार से संबंधित मामलों की कार्यवाही करता

हैं तथा बाल अधिकार संरक्षण के लिए समय–समय पर बनाए गये किसी भी कानून द्वारा और उसके तहत मुहैया कराए गए सुरक्षा उपायों की जांच तथा पुनः निरीक्षण करके और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए माप दंडों की सिफारिश करता है।

(4) दिल्ली सरकार के द्वारा समेकित बाल संरक्षण योजना भी चलाई जा रही है, जिसका उद्देश्य कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों के कल्याण और उन परिस्थितियों तथा गतिविधियों की सुमेद्यता में कमी लाने में योगदान देना है तथा समेकित बाल संरक्षण स्कीम के तहत योजनाओं को कार्यरत करना है।

(5) इसके अतिरिक्त 87 गैर सरकारी बाल गृह, एवं 13 ओपन शेल्टर होम भी कार्यरत है जिसके अंतर्गत बच्चों को भोजन, आवास, शिक्षा, चिकित्सा तथा सुरक्षा की सुविधाएं दी जाती है। इन संस्थाओं में भी बाल कल्याण समिति के आदेश से बच्चों को प्रवेश दिया जाता है।

(घ) लागू नही होता।

243- Jh egUnz xks;y % क्या **ekuuh; lekt dY;k.k ea=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग से रिठाला गांव स्थित हरिजन चौपाल के निर्माण हेतु कई वर्षों से फंड कीमांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य में देरी के क्या कारण हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों में एससी/एसटी विभागों को कितना फंड मिला व विभाग द्वारा किन–किन कार्यों पर कितना फंड खर्च किया गया; पूर्ण विवरण दें;

(घ) पिछले तीन वर्षों एससी/एसटी विभाग द्वारा रिठाला विधानसभा क्षेत्र पर खर्च किये गये फंड का विवरण दिया जाए;

(ङ) दिल्ली सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों को दी जाने वाली स्कीमों की पूर्ण जानकारी दी जाए;

(च) दिल्ली में अल्पसंख्यक बोर्ड में वर्तमान में कुल कितने सदस्य है; और

(छ) इस बोर्ड में कितने सदस्य बनाये जा सकते हैं; पूर्ण जानकारी दें?

ekuuh; lekt dY;k.k e=h % (क) जी, हां।

(ख) इस संबंध में कार्यकारी एजेंसी को पत्र लिखा गया था कि इस चौपाल को तोड़ने की अनुमति के लिए संबंधित नगर निगम से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करें क्योंकि यह चौपाल एमसीडी द्वारा निर्मित है।

उपरोक्त के अतिरिक्त इस कार्य से संबंधित प्रस्ताव डीएसआर–2014 के अनुसार प्राप्त हुआ था लेकिन डीएसआर 2016 के लागू होने के कारण उन्हें सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग को संशोधित कर वांछित दस्तावेजों के साथ पुनः प्रेषित करने हेतु वापस भेज दिया गया है। संशोधित प्रस्ताव अभी तक लंबित है।

(ग) :

वित्तीय वर्ष	2015—16	2016—17	2017—18
1	2	3	4
कुल स्वीकृत बजट (रुपए हजारों में)	399,72,00	40,37,00	368,75,00
एससी/एसटी/ओबीसी स्कॉलरशिप से संबंधित योजना पर कुल व्यय (रुपए हजारों में)	257,65,87	88,82,84	221,51,77
एससी/एसटी बस्ती के सुधार से संबंधित योजना पर व्यय (रुपए हजारों में)	36,97,19	25,96,07	48,45,83
एससी/एसटी के कल्याण से संबंधित विभाग की अन्य योजनाओं पर व्यय (रुपए हजारों में)	27,37,22	15,58,09	16,88,26
कुल व्यय	322,00,28	130,37,00	286,85,86

(घ) वित्तीय वर्ष	स्वीकृत धनराशि
2015—16	0
2016—17	रुपए 1,14,28,000/—
2017—18	रुपए 24,02,000/—

(ङ) • राजस्व विभाग, दिल्ली द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार केन्द्र की निम्नलिखित योजनाएं चलाई जा रही है।

1. अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करना।
2. अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को प्रतियोगिता परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग प्रदान करना।

• दिल्ली सरकार के अनु.जाति/अनु.जनजाति/अ.पि.व. विभाग द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित छात्रवृत्ति योजनाएं चलाई जा रही हैं।

1. अनु.जाति/अनु.ज.जाति/अ.पि.व./अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों (कक्षा 1 से 12 तक) को स्टेशनरी (लेख सामग्री) खरीदने के लिए वित्तीय सहायता।
2. अनु.जाति/अनु.ज.जाति/अ.पि.व./अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों (कक्षा 1 से 12 तक) को छात्रवृत्ति/योग्यता छात्रवृत्ति।
3. अनु.जाति/अनु.ज.जाति/अ.पि.व./अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को ट्यूशन फीस की अदायगी।
4. कॉलेज और व्यावसायिक संस्थानों में अध्ययनरत अनु.जाति/अनु. ज.जाति/अ.पि.व./अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को योग्यता छात्रवृत्ति।
5. डा. बी.आर. अंबेडकर टॉपर्स पुरस्कार।

(च) राजस्व विभाग, दिल्ली द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार दिल्ली में अल्पसंख्यक आयोग में वर्तमान में 2 सदस्य हैं।

(छ) राजस्व विभाग, दिल्ली द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार दिल्ली

अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1999 की धारा 3(2) के तहत आयोग के अंदर एक अध्यक्ष एवं दो सदस्य नामांकित किए जा सकते है।

244- Jh lnhi dekj % क्या **ekuuh; lekt dY;k.k e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि बाहर से दिल्ली में पढ़ने के लिए आने वाले छात्रों के लिए सरकार ने छात्रावास बनाया है;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि सरकार उनके लिए ऐसे छात्रावास बनाने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो उसका पूरा विवरण क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है?

ekuuh; lekt dY;k.k e=h % (क) जी नहीं अ.जा./अ.ज.जा/ अ.पि.वि. विभाग दिल्ली सरकार द्वारा संचालित दोनों छात्रावास (दिलशाद गार्डन) में प्रथम प्राथमिकता स्थानीय विद्यार्थियों को दी जाती है, तत्पश्चात बची हुई सीटों के लिए लॉटरी पद्धति से दिल्ली में बाहर से पढ़ने के लिए आए विद्यार्थियों को भी प्रवेश दिया जाता है।

(ख) जी नहीं।

(ग) उपरोक्त ख के अनुसार लागू नहीं होता।

(घ) उपरोक्त (ख) और (ग) के अनुसार लागू नहीं होता।

245- Jh lnhi dekj % क्या **ekuuh; lekt dY;k.k e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार की दिल्ली में अनुसूचित जाति/जनजाति/अ.पि.व व अल्पसंख्यक वर्ग के उत्थान के लिए टेक्नीकल हब बनाने की योजना है।

(ख) यदि हां तो क्या सरकार द्वारा अब तक कोई हब बनाया गया है।

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है?

ekuuh; lekt dY;k.k e=h % (क) जी, नहीं।

(ख) उपरोक्त क के संदर्भ में प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) क्योंकि टैक्निकल हब बनाना इस विभाग के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है।

246- Jh duly noUn ÇIg Igjkor % क्या **ekuuh; lekt dY;k.k e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्राम महिपालपुर, रंगपुरी, समालखा, कापसहेड़ा, बामनौली, भरथल, धूलसिरमस, शाहबाद मोहम्मदपुर, बागडोला, ईसापुर खेड़ा, सालापुर, राजनगर और नंगल देवात में अंतिम बार एससी चौपाल के लिए राशि कब जारी की गई थी;

(ख) विगत दो वर्षों से अनेक बार अनुरोध किए जाने के बाद भी इस संबंध में कोई राशि क्यों नहीं जारी की गई; और

(ग) बिजवासन विधानसभा क्षेत्र में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग के लिए वर्ष 2015 के बाद से क्या कार्य किए गए हे, संपूर्ण विवरण उपलब्ध कराएं?

ekuuh; lekt dY;k.k e=h % (क) विवरण अनुलग्नक 'क' में वर्णित है।

(ख) विगत 2 वर्षों में विभाग में सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग से DSR-2014 के रेट पर 7 अपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त हुए थे जिन्हें DSR-2016 के लागू होने तथा योजना के दिशा–निर्देशों पर आधारित न होने के कारण सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग को संशोधित कर पुनः प्रेषित करने को कहा गया है।

(ग) विवरण अनुलग्नक 'ख' में वर्णित है।

List of Chaupals sanctioned by this Department in the AssemblyConstituency No. 36 (Bijwasan)

Sl. No.	Name of MLA	Name of Work
1	2	3
1	Col Devinder Sehrawat	Construction of Additional floor in Julaha Chaupal at Village Bamnoli in Najafgarh Block
2	Col Devinder Sehrawat	Construction of additional floor in Balmiki Chaupal at Village Bamnoli in Najafgarh Block
3	Col Devinder Sehrawat	Demolishing & Reconstruction of Julaha Chaupal at Village Kapashera in Najafgarh Block
4	Col Devinder Sehrawat	Construction of SC Chaupal in Harijan Basti under 20 Point Samalkha in NG Block + Revised scheme for construction of SC Chaupal under 20 Point Programme colony at Village Samalkha in NG Block + Construction of Boundry wall of existing SC/ST Chaupal in Ambedkar Colony at Village Samalka in Bijwasan AC
5	Col Devinder Sehrawat	Construction of SC/ST Chaupal at Village Dhoolsiras in Mahipal Pur Assembly Constituency in Najafgarh Block
6	Col Devinder Sehrawat	Demolition and resconstruction of SC Chaupal (Kabir Ashram) at Raj Nagar, Part-II, Palam Construction of Additional Hall, Room & Toilet Block in Dr. Ambedkar Chaupal at Raj Nagar Extn. Part-II, Palam colony

vu|yXud ßdÞ

Sanction	Sanction Date	Financial Year	Executive Agency I & FC Deptt./DUSIB
4	5	6	7
11.17	17.09.2007	2007-08	1 & FC, Department
10.84	17.09.2007	2007-08	1 & FC, Department
36.31	31.01.2008	2007-08	I & FC, Department
31.88	31.01.2008	2007-08	I & FC, Department
39.31	30.09.2009	2009-10	
34.29	11.08.2011	2011-12	
35.31	28.07.2008	2008-09	1 & FC, Department
74.37	18.09.2008	2008-09	I & FC, Department
31.78	25.04.2011	2011-12	

1	2	3
7	Col Devinder Sehrawat	Construction of additional floor on SC/ST Chaupal No.2 in village Bharthal in Najafgarh Block
8	Col Devinder Sehrawat	Construction of additional floor on SC/ST Chaupal in village Bharthal in Najafgarh Block
9	Col Devinder Sehrawat	Construction of additional Floor or in SC/ST Chaupal No.2 at Village Shahbad, Mohammad Pur, in Najafgarh Block (ward-55 EB No. 58 of Bijwasan AC-36
10	Col Devinder Sehrawat	Construction of Additional floor in SC Chaupal NO-1 at Village Shahbad Mohammad Pur in Najafgarh Block (EB NO-58 ward NO-55)
11	Col Devinder Sehrawat	Construction of SC Chaupal in Kh. NO. 68/23/2 at village Bijwasan in NG Block
		Repair of Balmiki Chaupal at village Rangpuri in NG Block of Bijwasan (AC-36).
12	Col Devinder Sehrawat	Repair of Balmiki Chaupal at Village Rangpuri in N.G. Block of Bijwasan [AC-36)
13	Col Devinder Sehrawat	Demolishing & re-construction of SC Chaupal at Village Smalkha in N.G Block
14	Col Devinder Sehrawat	Construction of Additional Floor in SC/ST Chaupal at Village Bijwasan in N.G, Block (AC-36).
15	Col Devinder Sehrawat	Construction of Jatav Chaupal at Village Dhool Siras
16	Col Devinder Sehrawat	Construction of Community Hall Chaupal at Village Kapsashera
17	Col Devinder Sehrawat	Construction of SC Chaupal in Kh. No. 835 at Village MahiDal our in N.G. Block
18	Col Devinder Sehrawat	Construction of Kitchen on 2nd Floor at Harijan Chaupal (Kabir Ashram) at Raj Nagar-II Palam in Bijwasan Constituency.

4	5	6	7
14.61	22.09.2008	2008-09	I & FC, Department
10.26	22.09.2008	2008-09	1 & FC, Department
24.15	03.08.2010	2010-11	I & FC, Department
11.92	08.01.2010	2010-11	I & FC, Department
81.95	15.10.2010	2010-11	Executive Engineer, I & FC, CD-I,
7.89	15.07.2011	2011-12	
17.37	15.07.2011	2011-12	Executive Engineer, CD U&FC
34.27	10.12.2010	2010-11	I & FC
17.37	15.07.2011	2011-12	Executive Engineer. I & FC, CD-I,
101.47	14.03.2013	2012-13	DUSIB, CD-IV
174.48	14.03.2013	2012-13	DUSIB.CD-IV
29.66	06.08.2013	2013-14	I & FC, CD-I
17.81	18.08.2017	2017-18	I & FC, CD-I

vuyXud ß[k

List of Sanctioned issued by this Department in the Assembly Constituency (AC-36)

Sl. No.	AC No./ Name of Assembly	Name of MLA	Executive Avency I&FC Deptt. & DUSIB	Ex. Agency	Details of Work(s)	Financial Year	Sanctioned Amount (Rs. in Lakh)	File No. & Date of Sanction
1.	36 (Bijwasan)	Shri Devinder Sehrawat, Hon'ble MLA Bijwasan	The Executive Engineer CD-I I&FC Deptt. Govt. of Delhi, Opp Basidarapur New Delhi-27	CD-I, I&FC	Construction of Kitchen on 2nd Floor at Harijan Chaupal (Kabir Ashram) at Raj Nagar-II Palam in Bijwasan Constituency.	2017-18	1781000	No. F-3 (5)2017-18/ DSCST (impl.) /5883-95 dated 18.08.17
						Total	1781000	

247- Jh vkn'k 'kkL=h % क्या **ekuuh; lekt dY;k.k ea=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि अनु.जाति/अनु.जन कल्याण विभाग ने मेन सागरपुर में एक बारातघर का निर्माण किया है;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि सरकार ने दिनांक 18.09.2015 को एसडीएम (द्वारका) के आदेश के द्वारा इसके रखरखाव, साफ–सफाई तथा तिथियों के आबंटन/बुकिंग आदि में ब्लॉक डेवलपमेंट अधिकारी (दक्षिण पश्चिम) की सहायता हेतु पहले ही नागरिकों के एक ग्रुप का गठन किया है;

(ग) क्या नागरिकों के उक्त ग्रुप ने बारातघर का चार्ज ले लिया है, यदि नही तो कारण बताएं;

(घ) इस संबंध में स्पष्ट नीति होने के बावजूद सरकार उस बारात घर का कब्ज़ा अभी तक क्यों नहीं ले सकी है;

(ङ) क्या उक्त बारातघर के संबंध में कोई मुकदमा चल रहा है;

(च) यदि हां, तो उसका विवरण दें; और

(छ) इस बारातघर से संबंधित मुकदमें के लिए अब तक वकीलों को कितनी राशि का भुगतान किया जा चुका है व इसकी कितनी सुनवाइयां हो चुकी हैं?

ekuuh; lekt dY;k.k ea=h % (क) जी हां। इस विभाग द्वारा ईस्ट सागर पुर में सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के माध्यम से बाराघर का निर्माण करवाया गया है।

(ख) जी, नहीं (राजस्व विभाग, दिल्ली सरकार से प्राप्त सूचना के आधार)।

(ग) उत्तर संख्या ख के संदर्भ में लागू नहीं (राजस्व विभाग, दिल्ली सरकार से प्राप्त सूचना के आधार)।

(घ) इस विभाग द्वारा चौपालों तथा सामुदायिक भवनों के रखरखाव से संबंधित नई मार्गदर्शिका जारी की गई है क्योंकि इस चौपाल का भू–स्वामित्व दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड का है इसीलिए नई मार्गदर्शिका के अनुसार दिल्ली शहरी आश्रय सुधार सुधार बोर्ड को उपरोक्त बारात घर का प्रबंधन अपने अधीन लेने हेतु पत्र जारी किया जा चुका है।

(ङ) जी, हां (राजस्व विभाग, दिल्ली सरकार से प्राप्त सूचना के आधार)।

(च) राजस्व विभाग, दिल्ली सरकार से प्राप्त सूचना के आधार पर उपरोक्त बारातघर के संबंध में मुकदमा सिविल सूट संख्या 228/2015, पटियाला हाऊस कोर्ट में चल रहा है।

(छ) राजस्व विभाग, दिल्ली सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार कुछ भी भुगतान नहीं हुआ है, अब तक कुल 18 सुनवाईयां हुई है।

248- lJh Hkkouk xkM+ % क्या **ekuuh; lekt dY;k.k e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्ण जनसंख्या के आधार पर पालम विधानसभा क्षेत्र में कितनी प्रतिशत आबादी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की है;

(ख) कालोनीवाईज उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) 33 प्रतिशत से अधिक की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की आबादी किस किस कॉलोनी की है;

(घ) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में कौन–कौन सी जातियां शामिल हैं और उसका पूरा ब्यौरा क्या हैं?

ekuuh; lekt dY;k.k e=h % (क) जनगणना कार्य निदेशालय

दिल्ली से प्राप्त सूचना के अनुसार जनगणना कार्य निदेशालय द्वारा वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़े वार्ड वाइज उपलब्ध है तथा विधानसभा वाइज आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

(ख) जनगणना कार्य निदेशालय, दिल्ली से प्राप्त सूचना के अनुसार निदेशालय द्वारा अनुसूचित जाति एव अनुसूचित जनजाति की आबादी का कॉलोनीवाईज ब्यौरा नहीं रखा जाता है।

(ग) जनगणना विभाग द्वारा जारी किए गये 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार पालम विधानसभा क्षेत्र के जिन प्रंगणक ब्लॉकों (E.B.No.) में अनुसूचित जाति/जनजाति की आबादी 33 प्रतिशत से अधिक है उन प्रंगणक ब्लॉकों का विवरण अनुलग्नक 'क' में वर्णित है।

(घ) दिल्ली में 36 अनुसूचित जातियों को केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रपति की अधिसूचना 1951 के तहत केन्द्र शासित प्रदेश दिल्ली होने के नाते यथावत अधिगृहित किया गया है और इसमें किसी जाति को सम्मिलित अथवा हटाने हेतु संसद सशक्त है। (अनुसूचित जाति के अंतर्गत अधिसूचित जातियों की सूची अनुलग्नक 'ख' में वर्णित है)

अनुसूचित जनजाति दिल्ली में अधिसूचित नहीं है।

vuyXu ßdÞ

37-(Assembly) Palam

Ward No.	Name of Area
145	Palam
146	Sadh Nagar
147	Mahavir Enclave
148	**Madhu Vihar**

Ward No. 145

Sl. No.	Ward No.	Name of Town/ Census Town/ Village	Name of District	Name of Tahsil	Enumeration Block No.
1	2	3	4	5	6
1	0145	DMC (U) 7001	South West 08	Najafgarh 001	0005-1
2	0145	DMC (U) 7001	South West 08	Najafgarh 001	8
3	0145	DMC (U) 7001	South West 08	Najafgarh 001	33
4	0145	DMC (U) 7001	South West 08	Najafgarh 001	38
5	0145	DMC (U) 7001	South West 08	Najafgarh 001	52
6	0145	DMC (U) 7001	South West 08	Najafgarh 001	53
7	0145	DMC (U) 7001	South West 08	Najafgarh 001	63
8	0145	DMC (U) 7001	South West 08	Najafgarh 001	64
9	0145	DMC (U) 7001	South West 08	Najafgarh 001	71
10	0145	DMC (U) 7001	South West 08	Najafgarh 001	0074-1
11	0145	DMC (U) 7001	South West 08	Najafgarh 001	75
Ward No. 146					
1.	0146	DMC (U) 7001	South West 08	Najafgarh 001	B.NO-0033
2.	0146	DMC (U) 7001	South West 08	Najafgarh 001	B.NO-0084
3.	0146	DMC (U) 7001	South West 08	Najafgarh 001	B.NO-0085

Extent of the Population Enumeration Block	Top-P	SC-P	% SC
7	8	9	10
Sadh Nagar - Part-II, Gali No. 1-6, Ram Chander Public School, CN-434 to CN-524	505	174	34.46
Raj Nagar-I, CN-1 to CN-100	311	113	36.33
Palam Village, CN-414 to CN-516	559	258	4615
Palam Village, CN-943 to CN-1048	458	308	67.25
Palam Extn. Harijan Basti, CN-1 to CN-123	594	340	57.24
Palam Extn. Harijan Basti, CN-124 to CN-237	521	182	34.93
Palam Extn. Harijan Basti, CN-1127 to CN-1204	335	150	44.78
Palam Extn. Harijan Basti, CN-1205 to CN-1307	629	238	37.84
J.J. Sec.-7, Dwaraka Block-A, CN-111 to CN-220	626	326	52.08
J.J. Sec.-7, Dwaraka Block-C, CN-1 to CN-67	468	162	34.62
J.J. Sec.-7, Dwaraka Block-C, CN-136 to CN-273	478	176	36.82
SADH Nagar CN-3476-3580	770	270	35.06
Rajiv Gandhi Camp CN 1-105	370	204	55.14
Rajiv Gandhi Camp CN 106-222	390	206	52.82

Ward No. 147

1	2	3	4	5	6
1	0145	DMC (U) 7001	South West 08	Najafgarh 001	0060
2	0145	DMC (U) 7001	South West 08	Najafgarh 001	0096-1
3	0145	DMC (U) 7001	South West 08	Najafgarh 001	0096-2
4	0145	DMC (U) 7001	South West 08	Najafgarh 001	0098
5	0145	DMC (U) 7001	South West 08	Najafgarh 001	0099
6	0145	DMC (U) 7001	South West 08	Najafgarh 001	0100
7	0145	DMC (U) 7001	South West 08	Najafgarh 001	0101-1
8	0145	DMC (U) 7001	South West 08	Najafgarh 001	0102-1
9	0145	DMC (U) 7001	South West 08	Najafgarh 001	0101-2
10	0145	DMC (U) 7001	South West 08	Najafgarh 001	0103

7	8	9	10
Mahavir Enclave, Sector-1 Pocket-13 Harijan Basti, CN 171-249	579	508	87.74
Mahavir Enclave, Harijan Basti Part-II Palam, Plot No. CN 1-59	583	385	66.04
Mahavir Enclave, Harijan Basti Part-II Palam, Plot No. CN 60-118	435	324	74.48
Mahavir Vihar, A-B Block Pappan Kalan Dwarka Sector-1, CN 136-220 & CN 1-48	684	251	36.7
Mahavir Enclave, B Block Pappan Kalan Dwarka Sector-1, CN 49-178	717	452	63.04
Mahavir Enclave, C Block Pappan Kalan Dwarka Sector-1, CN 1-130	823	446	54.19
Mahavir Enclave, C&D Block Pappan Kalan Dwarka Sector-1, CN 131-147 & CN 01-73	414	175	42.27
Mahavir Enclave, D&E Block Pappan Kalan Dwarka Sector-1, CN 163-242	359	164	45.68
Mahavir Enclave, C&D Block Pappan Kalan Dwarka Sector-1, CN 74-162	473	203	42.92
Mahavir Vihar, E-Block Pappan Kalan Dwarka Sector-1, 37-198	698	348	49.86

vuyXud ß[kÞ

[1]THE CONSTITUTION (SCI IEDULED CASTES)[2] [(UNION TERRITORIES)] ORDER 1951 CO. 32

In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 341 of the Constitution of India, as amended by the Constitution (First Amendment) Act, 1951, the President is pleased to make the following Order, namely:-

1. This Order may be called the Constitution (Scheduled Castes)[2] [(Union Territories)] Order, 1951.

2. Subject to the provisions of this Order, the castes, races or tribes or parts of, or groups within, castes or tribes, specified in [3][Parts 1 to III] of the Schedule to this Order shall, in relation to the [2][Union territories] to which those parts respectively relate, be deemed to be Scheduled Castes so far as regards member'; thereof resident in the localities specified in relation to them respectively in those Parts of that Schedule.

[4][3. Notwithstanding anything contained in paragraph 2, no person who professes a religion different from the Hindu, [5][the Sikh or the Buddhist] religion shall be deemed to be a member of a Scheduled Caste]

[6][4. Any reference in this Order to a Union territory in Part I of the Schedule shall be construed as a reference to the territory constituted as a Union territory, as from the first day of November, 1956, any reference to a Union territory in Part II of the Schedule shall be construed as a reference to the. territory constituted as a Union territory as from the first day of November, 1966 and any reference to a Union territory in Part III of the Schedule shall be construed as a reference to the territory constituted as a Union territory as from the day appointed under clause *(b)* of section 2 of the Goa, Daman and Diu Reorganisation Act, 1987]

[2][THE SCHEDULE
PART I.-*Delhi*

Throughout the Union territory:–

1. Adi-Dharmi
2. Agria
3. Aheria
4. Balai
5. Banjara
6. Bawaria
7. Bazigar
8. Bhangi
9. Bhil
10. Chamar, Chanwar Chainar, Jatava or Jatav Chamar, Mochi, Ramdasia, Ravidasi, Raidasi, RehgarhorRaigar
11. Chohra (Sweeper)
12. Chuhra (Balmiki)
13. Dhanak or Dhanuk
14. Dhobi
15. Dom
16. Gharranmi
17. Julaha (Weaver)
18. Kabirpanthi
19. Kachhandha
20. Kanjar or Giarah
21. Khatik
22. Koli
23. Lalbegi
24. Madari
25. Mallah
26. Mazhabi
27. Meghwal
28. Naribut

[7][29. Nat (Rana), Badi]

30. Pasi
31. Perna
32. Sansi or Bhedkut
33. Sapera
34. Sikligar
35. Singiwala or Kalbelia
36. Sirkiband.]

---

1. Published with the Ministry of Law Notification No. S.R.O. 1427A, dated the 20th September, 1951, Gazette of India. Extraordinary, I951, Part-II, Section 3, page 1198.
2 Subs. by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Lists (Modification) Order, 1956.
3. Subs. by Act 18 of 1987, s. 19 and the First Sch., for "Parts I to IV" (w.e.f. 30.5.1987).
4 Subs. by Act 63 of 1956, s. 3 and the Second Sch.
5 Subs. by Act 15 of 1990, s. 3, for "or the Sikh".
6, Subs. by Act 18 of 1987, s. 19 and the First Sch., for paragraph 4 (w.e.f. 30-5-1987).
7. Subs. by Act 61 of 2002, s. 2 and Second Sch.

249- Jh fxjh'k lkuh % क्या **ekuuh; i;ZVu e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार दिल्ली में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किसी नई योजना पर कार्य कर रही है।

(ख) यदि हां, तो उनके लिए किन किन स्थानों का चयन किया गया है; उसका विवरण दिया जाये; और

(ग) यह कार्य जमीनी स्तर पर कब तक हो पायेगा, उसकी समय सीमा बताई जाए?

ekuuh; i;ZVu e=h % (क) जी हां।

राजधानी दिल्ली में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग, दिल्ली सरकार के अंतर्गत डीटीटीडीसी के द्वारा अनेक गतिविधियां एवं कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं, जिन्हें समय–समय पर अपग्रेड किया जाता है। डीटीटीडीसी के द्वारा आयोजित प्रमुख कार्यक्रम और गतिविधियां निम्नलिखित हैं–

(1) पर्यटकों को सुविधा प्रदान करने के लिए पर्यटन सूचना केन्द्रों की स्थापना दिल्ली, कलकत्ता एवं चेन्नई में की गई है, जहां से आवश्यकता अनुसार उन्नत सूचना सामग्री का वितरण किया जाता है।

(2) दिल्ली में आईएनए, पीतमपुरा और जनकपुरी में दिल्ली हॉट तथा सैदुल्लाजाब में गार्डन ऑफ फाइव सेंसेंज की स्थापना की गयी है, जहां पर पर्यटको की मनोरंजन के लिए समय–समय पर विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक और हैरिटेज कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं।

(3) एडवेंचर गतिविधियों जैसे नौकायन और एडवेंचर पार्क आदि का परिचालन किया जाता है।

(4) पर्यटक संबंधी सेवाएं प्रदान करने के लिए होप–ऑन–होप–ऑफ बस सेवा शामिल है जो दिल्ली के मुख्य पर्यटक स्थलों का भ्रमण करवाती है।

(5) दिल्ली पर्यटन स्थानीय व अन्य राज्यों के लिए टूर पैकेज और एयर टिकटिंग सेवा भी प्रदान करता है।

(6) पर्यटकों और आगंतुकों को बेहतर मनोरंजन प्रदान करने के लिए नेचर बाजार की स्थापना भी की गई है जहां पर स्थानीय हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए देश के विभिन्न स्थानों से आए शिल्पकार अपनी कला का प्रदर्शन करते है।

(7) प्रमुख वार्षिक आयोजनों में गार्डन टूरिज़्म फेस्टिवल, आम महोत्सव, पतंग महोत्सव, विश्व पर्यटन दिवस आदि शामिल है।

(8) शहर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का अनुभव प्रदान कराने के लिए इंटेक और दिल्ली वॉक के साथ मिलकर रिक्शा टूर, नई दिल्ली व पुरानी दिल्ली और महरौली में साइकिल टूर का आयोजन किया गया।

vU; xfrfofèk;k%

- दिल्ली सरकार की ओर से विषय आधारित कैलेंडर और डायरी का प्रकाशन।
- पर्यटकों के बीच निःशुल्क वितरण हेतु प्रचार साहित्य सामग्री का प्रकाशन।

- दिल्ली हॉट आईएनए में कलाम स्मारक।
- विशेष कार्यक्रमों का आयोजन जैसे– राज्य शिक्षक पुरस्कार, दिल्ली में जीएसटी परिषद सदस्यों के लिए रात्रिभोज और सांस्कृतिक कार्यक्रम।
- दिल्ली हॉट जनकपुरी में 800 व्यक्तियों की क्षमता वाला वातानुकूलित ऑडिटोरियम।
- दिल्ली हॉट आईएनए में अंतर्राष्ट्रीय गणमान्य व्यक्तियों को प्रदत्त सुविधाएं।
- दिल्ली पर्यटन की वेबसाइटस और सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर के माध्यम से दिल्ली का ब्रांड के रूप में प्रचार।
- दिल्ली को एक लोकप्रिय पर्यटक स्थल के रूप में पुरस्कृत करने वालों में मुख्य प्रकाशन जैसे– Conde Nast India, Lonely Planet और मुख्य संस्थाएंः– विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद, पब्लिक रिलेशंस कॉनसिल ऑफ इंडिया शामिल है।

(घ) उपरोक्तानुसार।

(ङ) उपरोक्तानुसार।

250- Jh vke idk'k 'kek % क्या **ekuuh; i;Vu e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार ने गत वर्ष के बजट में घोषणा की थी कि दिल्ली को विश्वस्तरीय पर्यटक शहर के रूप में विकसित करने

का काम जारी रखते हुए उसने यमुना नदी के किनारों के विकास की योजना बनाई है;

(ख) गत डेढ़ वर्ष के दौरान सरकार ने इस दिशा में कौन–कौन से विकास कार्य किये हैं;

(ग) क्या यह सत्य है कि सरकार ने 5 किलोमीटर का वर्ल्ड क्लास इकॉलोजिकल रिवर फ्रंट वजीराबाद के अपस्ट्रीम में बनाने का प्रस्ताव पेश किया था; और

(घ) गत डेढ़ वर्ष के दौरान सरकार ने इस दिशा में कौन–कौन से विकास कार्य किये हैं?

ekuuh; i;Vu e=h % (क) जी, हां।

(ख) यमुना नदी के किनारों के विकास की योजना के लिए डीडीए मुख्य एजेंसी है। यमुना नदी का अधिकार क्षेत्र पर्यटन विभाग, दिल्ली सरकार के पास नही है अभी तक इस संदर्भ में कोई कार्य नहीं दिया गया है।;

(ग) जी हां।

(घ) 'ख' के अनुसार।

251- Jh vke izdk'k 'kekZ % क्या **ekuuh; i;Vu e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार ने वर्ष 2017 में पेश किये गए बजट में दिल्ली को पर्यटकों के आकर्षण का विश्वस्तरीय केन्द्र बनाने और दिल्ली पर्यटन के लिए ढांचा और अन्य सुविधाओं को प्रोत्साहित करने के लिए पर्यटन नीति और मास्टर प्लान तेयार करने की घोषणा की थी;

(ख) उपरोक्त पर्यटन नीति और मास्टर प्लान के बारे में विस्तृत जानकारी दें;

(ग) क्या यह सत्य है कि सरकार ने दिल्ली को फिल्म शूटिंग के रूप में प्रोत्साहित करने के लिए सिंगल विन्डो मंजूरी व्यवस्था प्रारंभ कर दी है;

(घ) यदि हां, तो इसकी विस्तृत जानकारी दें?

ekuuh; i;Vu e=h % (क) जी हां।

(ख) पर्यटन विभाग, दिल्ली सरकार, द्वारा दिल्ली में पर्यटन सुधारने और पर्यटन का बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए पर्यटन नीति और मास्टर प्लान तैयार करने के लिए सलाहकार एजेंसी नियुक्त की है।

1. पर्यटन नीति और मास्टर प्लान का कार्य तीन चरणों में पूर्ण किया जाना है। इस संदर्भ में प्रथम चरण की स्थापना रिपोर्ट फरवरी 2017 में अनुमोदित कर दी गयी है।
2. दूसरे चरण की मसौदा अंतरिम रिपोर्ट सलाहकार द्वारा अगस्त 2017 में प्रस्तुत की गयी थी जो मंजूरी के लिए सरकार के विचाराधीन है।
3. दूसरे चरण की रिपोर्ट (अंतरिम रिपोर्ट) की स्वीकृति के बाद, परियोजना का अंतिम व तृतीय चरण सरकार से अनुमोदन के उपरांत, शुरू किया जाएगा।
4. इस योजना के लिए 36.75 लाख रुपए का प्रावधान रखा है।

(ग) जी, हां।

फिल्म निर्माताओं की सुविधा हेतु पर्यटन विभाग, दिल्ली सरकार के दिल्ली पर्यटन में फिल्म शूटिंग सुविधा सेल बना दिया गया है। इस संदर्भ में यह जानकारी महत्वपूर्ण है कि हिस्सेदार 16 एजेंसियों में केवल दो एजेसियां/विभाग दिल्ली सरकार के अधीन है जबकि 5 एजेंसियां/विभाग केन्द्र सरकार व अन्य एजेंसी/विभाग विभिन्न निकायों के अधीन है।

(घ) उपरोक्तानुसार।

252- Jh jkt'k xIrk % क्या **ekuuh; i;Vu e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार हैदरपुर नहर और उसके पास जमीन का पर्यटन के उद्देश्य से प्रयोग करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसका रखरखाव और विकास हरियाणा या दिल्ली सरकार में से कौन करेगा?

ekuuh; i;Vu e=h % (क) हैदरपुर नहर और उसके पास जमीन का स्वामित्व डीटीटीडीसी के पास नहीं है।

वर्तमान में पर्यटन विभाग, दिल्ली सरकार के पास ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

(ख) उपरोक्तानुसार।

253- Jh vkn'k 'kkL=h % क्या **ekuuh; mi e[; e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कार्यरत को–ऑपरेटिव सोसायटीज की संख्या, इनसे लाभान्वित हो रहे लोगों की संख्या क्या है;

(ख) और इन सोसायटीज के निर्माण के क्या मानक है;

(ग) कोऑपरेटिव सोसायटीज की स्थापना में सरकार की तरफ से क्या सहयोग किया जाता है;

(घ) महिलाओं और एससी/एसटी समूह के लिए इन कोऑपरेटिव सोसायटीज से किस प्रकार सहयोग किया जाता है;

(ङ) पिछले तीन वर्षों में इस प्रकार कि कितनी कोऑपरेटिव सोसायटीज का निर्माण किया गया;

(च) इनसे किसको लाभ पहुंचाया जा सका;

(छ) द्वारका विधानसभा के अंतर्गत कितनी कोऑपरेटिव सोसायटीज काम कर रही है; इनका विस्तृत विवरण दे;

(ज) बीपीएल आबादी को इन कोऑपरेटिव सोसायटीज के माध्यम से किस प्रकार लाभ पहुंचाया जा सकता है और

(झ) इसके लिए आगे की कोई विशेष योजना हो, तो उसका विवरण क्या है?

ekuuh; i;Vu e=h % (क) दिल्ली में कार्यरत को–ऑपरेटिव सोसायटीज की संख्या 5803 है इनसे लाभान्वित हो रहे लोगों की संख्या आरसीएस कार्यालय में संकलित नही है

(ख) इन सोसायटीज के निर्माण के मानक निम्न है:

अनुसूची–VI की धारा (I) के उप–नियम – 1 नियम 5 के अनुसार सोसायटीज का पंजीकरण कार्यालय सहकारी समितियों द्वारा किया जाता

है। सहायक रजिस्ट्रार जांच करेंगे कि क्या प्रमोटर वास्तविक हैं और अलग–अलग परिवार से हैं और उस क्षेत्र में उसी प्रकार का कोई अन्य सोसायटी नहीं है और इसमें सफलता की पूरी संभावना है। रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार प्रस्ताव को मंजूरी देते है और मुख्य प्रवर्तक को सूचित करते है जो अपने साथी प्रमोटरों को मंजूरी और शेयर साझा करने के बारे में सूचित करेगा, प्रवेश शुल्क मुख्य प्रमोटर द्वारा एकत्र किया जाएगा जो दिल्ली राज्य कोपरेटिव बैंक में सस्पेंस खाते में प्रस्तावित सोसायटी के नाम पर बैंक की नजदीकी शाखा में जमा किया जाएगा।

इस राशि को इकट्ठा करने के बाद, मुख्य प्रमोटर पंजीकरण प्रस्ताव की मंजूरी और प्रबंधन का चयन करने के लिए प्रमोटरों की जनरल बॉडी मीटिंग आयोजित करेगा। इस बैठक में प्रमोटर सहकारी समिति के गठन के लिए एक प्रस्ताव अपनाएंगे और नए निर्वाचित सचिव और प्रधान को रजिस्ट्रार को पेपर जमा करने और इस तरफ बाई–लाज में हस्ताक्षर, कटौती या परिवर्तन करने के लिए अधिकृत करेंगे।

Sl.No.	Class	Minimum No.
1	2	3
1.	शहरी बैंक	3000
2.	शहरी क्रैडिट सोसायटी	50
3.	उपभोक्ता स्टोर	100
4.	औद्योगिक (प्रो) सहकारी समिति	15
5.	औद्योगिक (सेवा) सहकारी समिति	15

1	2	3
6.	समूह आवास समिति	60
7.	कृषि सेवा/क्रेडिट समिति	50
8.	डेयरी/मुर्गी पालन समिति	15
9.	परिवहन समिति	15
10.	श्रम समिति	15
11.	सुरक्षा सेवा समिति	15
12.	एकीकृत विकास समिति	15
13.	बहुउद्देशीय समिति	30

(ग) कोऑपरेटिव सोसायटी का पंजीकरण Rule 5 of DCS Rules 2007 के तहत किया जाता है।

(घ) DCS ACT 2003 & DCS Rule 2007 में इस प्रकार का कोई प्रावधान नही है।

(ङ) उपरोक्त के अनुसार लागू नही है।

(च) उपरोक्त के अनुसार लागू नही है।

(छ) द्वारा विधानसभा के अंतर्गत 23 कोऑपरेटिव सोसायटीज आरसीएस कार्यालय में पंजीकृत है। इसमें से 14 शहरी क्रैडिट सोसायटी और 02 समूह आवास समिति द्वारका विधानसभा में पंजीकृत है। 07 समूह आवास समिति का का कार्यालय आरसीएस ऑफिस में द्वारका विधानसभा के अंतर्गत

पंजीकृत है, परंतु इनको जमीन का आबंटन द्वारका विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत नही हुआ है।

(ज) DCS ACT 2003 & DCS Rule 2007 में बीपीएल आबादी को इन कोऑपरेटिव सोसायटी के द्वारा लाभ पहुंचाने का कोई प्रावधान नही है।

(झ) उपरोक्त के अनुसार लागू नही है।

254-Jh d|ekjh j[kh fcMyk % क्या **ekuuh; lgdkfjrk e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंगोलपुरी विधानसभा क्षेत्र में मार्केट एसोसिएशन/एनजीओ के चुनाव कब कब करवाये जाते हैं;

(ख) उक्त को चुनाव योग्य माने जाने के क्या मानदंड हैं; पूर्ण ब्यौरा उपलब्ध करायें; और

(ग) मंगोलपुरी विधानसभा क्षेत्र में विभाग द्वारा अब तक ऐसी कितनी संस्थाओं/एनजीओ को मान्यता दी गई है एवं कितनी संस्थाओं/एनजीओ पर विचार नहीं किया गया है, पूर्ण विवरण उपलब्ध करायें?

ekuuh; lgdkfjrk e=h % (क) और (ख) राजस्व विभाग के जिलाधिकारी कार्यालय केवल एसोसिएशन/एनजीओ को पंजीकरण करते है।

(ग) मंगोलपुरी विधानसभा क्षेत्र में 206 संस्था विभाग द्वारा पंजीकृत है। जिसकी सूची अनुलग्नक 'क' पर संलग्न है।

vu|yXud ßdþ

Sl. No.	Regn No.	Society Name	Address
1	2	3	4
1	8886	Sarva Dharam Samaj Sabha Mangolpuri	H.No. M-363 Mangol Puri Delhi-41
2	9184	Gaurishanker Mandir Dharmik Sabha K Block Mangolpuri Delhi	K Block Mangol Puri Delhi
3	11862	Tenant Welfare Association Ashokvihar	U-119, DDA QRS Mangol Puri
4	23437	Shiv Narain Memorial Educational and Charitable Society	G-329, Mangol Puri
5	23493	Dhanwantri Educational Society	A-226, Mangol Puri Delhi
6	23519	Baba Saheb B.R. Ambedkar Vyayamshalla M Block Park Mangolpuri Delhi	I-1064, Mangol Puri Delhi
7	23664	Jan Jagriti Vikas Sangthan Delhi Pradesh	L-1436, Mangol Puri
8	24410	Mangolpur Kalan Traders Association	70/1/1, Mangol Puri Kalan New Delhi
9	24506	Delhi Red Line P.O. Bus Operator Kalyan Samiti	N-962, Mangol Puri New Delhi

10	24590	Dahej and Baristhachar Virodhi Manch Delhi Pardesh	D-440, Mangol Puri Delhi
11	24721	Rehri Patri Khoka Welfare Association Mangolpuri Delhi	R-714, Mangolpuri Delhi
12	24830	Homanth Shiksha Parishad	4389, Mangolpuri Delhi
13	24848	Shri Shiv Mandir Nirman Parbhandhak Kary Akarini Sabha U Block Mangolpuri Delhi	H.No.U-527, Mangol Puri Delhi
14	25957	New Rising Educational Karan Society	M-810, Mangol Puri Delhi
15	25961	Human Risources& Development	KH No 70/1/1 & New Rz 119 Mangol Purikalan Delhi
16	26099	Rishte	M-714-15, Mangol Puri Delhi
17	26165	Nishuck Mahila Ppashikshan Samiti	J-327, Mangol Puri Delhi
18	26225	Amsedkarite Youth Welfare Association	Q-5/14, Mangol Puri Delhi
19	26860	Ekta Mohammdi Masjid Committee	J-1089, Mangol Pur! Delhi
20	27088	Nagrik Vikas Sangh Mangol Puri Delhi	Q-5/75, Mangol Puri Delhi
21	27099	Udasi Ashram Mahadev Sevasamiti Mangol Puri Delhi	D-910, Mangol Puri Delhi

1	2	3	4
22	27153	Rehari Patari Subzi Vikrada Association Nangloi Dlehi	5/40, Mangol Puri Delhi
23	27269	Akhil Bhartiya Majdoor Parishad	J-1216, Mangol Puri J.J. Colony Delhi
24	27374	Nav Vikas and Dahag Unmulan Samiti Mangolpuri Delhi	No 378, Mangol Puri Delhi
25	27470	Uttara Khand Aketa Manch, Mangolpuri Delhi	New, 4/26, Mangol Puri Delhi-110003
26	27659	Masjid Fatima Aur Madersa Committee	P-5/41, Masjid Mangol Puri Delhi
27	28215	Shiv Gyaneshwar Mukta Mandal	S-301, Mangol Puri Delhi
28	29584	Mata Sunder Devi Memorial Public School	Sunder Bhawan Mangol Puri Kalan Delhi
29	30824	Mangolpuri Kalan Manufacturers Asso.	KH. No. 70/1/1 Vill., Mangol Puri Kalandelhi
30	31413	Sonkar Society	P-5/70, Mangol Puri Delhi.
31	31914	Pt.Shri Duttshonak Charitable Society	J-196, Mangol Puri New Delhi
32	32248	Akhil Bharatiya Shri Kashyap Rajpur Mahasahasabha	M-714, Mangol Puri Delhi

33	32392	Mahila Va Vidhava Welfare Society Delhi	D-50, Mangol Puri New Delhi
34	32657	The DSIDC SES Enterpreneurs Association	C-6, DSIDC Engg Complex Mangol Puri Delhi
35	32695	New Zakhira Traders Association	BA-42, Mangol Puri Industrial Area Phase-II Delhi
36	32891	Baha Rupia Natya Manch Cultural Society	Q-3/2, Mangol Puri New Delhi
37	33456	Ambedkar Bal Vyayamshala 7 Block J J Cly Mangol Puri Delhi	H.No.Y-201, Mangol Puri New Delhi
38	34489	Foundation For Sustainale Development	F-307, Mangol Puri Delhi
39	34750	Anzuman Faizam Welfare Association	R-1297, Mangolpuri Delhi
40	36747	Dharamarth Social Justice Society	M-156, Mangol Puri Delhi-83
41	37024	Bihar Lok Kalyan Sabha, Delhi Pardesh	L-793, Mangol Puri Delhi
42	37258	Dsidc 72 Work Centre Asson	66 Blk G Mangol Puri Delhi
43	37641	Bhagwan Maharishi Balmiki Mandir Nirman Sabha	P-3/21, Mangolpuri Delhi
44	38225	Society For Integrated Social Approach	K-1275, Mangol Puri Delhi-110083

1	2	3	4
45	38328	Mahila World Fame Society	1353, Mangol Puri Delhi 83
46	42107	Itwari Lal Memorial Educational and Social Welfare Society	F-329, Mangol Puri Delhi
47	42716	Kosis	A/140, Mangol Puri Delhi 83
48	43194	Pal And Pal Celphone and Digital Communication Research Society	O-229, Mangol Puri Ist Floor Delhi
49	45394	Sadar Educational Society	K-316 J.J. Colony Mangol Puri New Delhi
50	45702	Dashrath Prakash Shamim Educatonal and Welfare Society	B-447, Mangol Puri Delhi 83
51	46191	Garib Kalyan Samiti	M-311, Mangol Puri Delhi 83
52	46289	Chhitiz Mahila Vikas Samiti	G-41, Mangolpuri Delhi 83
53	46576	Deep Amar Jyoti	Y-90, Mangol Puri Delhi 83
54	46615	New Waqt Club Ramlila Committee Mangol Puri	Y-842, Mangol Puri Delhi
55	46971	Maya Educational & Social Welfare Society	X-559, Mangol Puri Delhi

56	47025	Jan Jagrati Resident Welfare Association	B-448, Mangol Puri Delhi-83
57	47329	Jeevan Sarita Edcuational Society	T-308, Mangol Puri Delhi-83
58	47396	Poorvanchal Yuva Welfare Society	M-4, Mangol Puri New Delhi
59	47578	Smt Susheela Devi Educational and Welfare Society	E-366, Mangol Puri New Delhi
60	47698	Swargiya Shanti Devi Foundation	F-2/44, Mangol Puri New Delhi-83
61	47970	Khatik Samaj Shiv Shakti Utthan Sewa Samiti	1/367, Mangol Puri Delhi
62	47981	Vishwakarma Samaj Kalyan Samiti	P-L/62, Mangol Puri Delhi-83
63	48102	Mangolpuri Development Welfare Society	Y-672, Mangol Puri New Delhi
64	48424	Divya Education And Cultural Society	A-128, Mangol Puri New Delhi
65	48463	Sarvjan Kalyan Samiti J.J. Colony Mangolpuri Delhi-83	M/526, Mangol Puri J J Cly Delhi-83
66	48569	F	M-186, Mangol Puri Delhi-83
67	48583	Society For Hospital Social Services Mangolpuri Delhi	X-567, Mangol Puri Delhi-83
68	49450	Yuva Samaj Sudhar Jan Kalyan Samiti Mangolpuri Delhi-83	J-654, Mangol Puri Delhi-83

1	2	3	4
69	50189	Lakshya Badte Kadam	Plot No.J-1129 J J Colony Mangol Puri Delhi-83
70	50324	Aadi Shakti Mahila Kalyan Samiti	U-311, Mangol Puri Delhi-83
71	50627	Metro Panorma Educational & Public Welfare Society	L-544, Mangol Puri New Delhi-83
72	51122	Om Shree Sai Mahila Kalyan Samiti	A-762, Mangol Pur! Delhi
73	51219	Janhit Chatth Samiti Delhi	Q-4/70, Mangol Puri Delhi
74	52187	Nivaran Jan Kalyan Society	N-76, Mangol Puri New Delhi-83
75	52246	Socioeconomic Progress and Friendship Society	Y-562, Mangol Puri Delhi-83
76	52525	Citizen Charter	P-3/73, Mangol Puri New Dlehi-83
77	53058	Shiv Sewa Mitra Mandal, "Mangolpuri"	M-293, Mangol Puri New Delh-83
78	53120	Welfare Association of Life Insurance Corporation's Scheduled Castes Scheduled Tribes and Buddhists Employees/Officers	C-624, Mangol Puri Delhi-83
79	53456	Mahila Sewa Avam Samajik Vikas Samiti	M-298, Mangol Puri New Delhi-83

80	54127	Sampark Bharti Educational and Welfare Society	G-303, Mangol Puri New Delhi-83
81	54501	Pratham Khushi	C-24/D Avantika Enclave Mangol Puri Delhi-110083
82	54934	Maithili Lok Rang	S-138, Mithila Vihar Mangol Puri Delhi-110009
83	55569	Pragati Jyoti	H.No. C-156, Mangol Puri New Delhi-82
84	55618	Nav Yuvak Ekta Sangthatv	Y-2305, Mangol Puri Delhi 1100s3
85	55949	Samanupatik Sahbhagita Samiti	F-1/187, Mangol Puri Delh
86	56151	Shree Shyam Kutumb Society	X-327 328, Mangol Puri Delhi 83
87	56389	Nav Jeewan Social Welfare Samiti	J-567, Mangol Puri Delhi-83
88	56868	The Navyuvak Mandal Sewa Welfare Association	8995, T Block Mangol Puri Delhi
89	56872	Shiv Hari Dharmic Sewa Samiti U Block Mangol Puri	228, Mangolpuri Delhi
90	56966	Kamal Nayan Society	E-175, Mangol Puri Delhi
31	57541	New Era Friends Society	P-5/70, Mangol Puri Delhi-83

1	2	3	4
92	58416	Baba Udasin Ashram Mahadev Mandir Sewa Samiti Mangol Puri Delhi-83	Udasin Ashram Mahadev Kali Mandir Samadhi Baba Bagh Mangolpuri Delhi-83
93	58539	Association for Social Research Reforms and Action	L-635, Mangol Puri Delhi-83
94	59062	Dedicated Youth Association Rural Area (Dayra)	B-301, Mangol Puri New Delhi-83
95	59085	Jan Kalyan Sewa Samiti R Block Mangolpuri Delhi-83	R-1095, Mangol Puri Delhi-83
96	59366	Mata Usheshwari Devi Educational Society	L-579, DDA Flat Mangol Puri Delhi-83
97	59499	Jeevan Dataa	D-923, Mangol Puri New Delhi 83
98	59862	Kranti Samajik Karya Samiti	B-1130, Mangol Puri New Delhi-83
99	60054	Panah Drig-De-Addition Rehabilitation & Social Welfare Society	K-589, Mangol Puri Delhi
100	60454	Dhikka Sewa Samiti	J-696, Mangol Puri Delhi-S3
101	60497	Diksha Educational & Social Upliftment Society	F-20, Mangol Puri Delhi

102	60536	Naya Manch For Disabled	B-301, Mangol Puri New Delhi-83
103	60540	Mange Ram Educational Welfare Society	F-1/13, Mangol Puri Delhi-83
104	61953	Anjuman Barkate Naria Nizama	L-396, Mangol Puri Delhi-83
105	63362	Balgopalram Lilasamiti	F-314, Mangol Puri Delhi
106	65620	Assam Rifles Ek Servicemen's Welfare Association	E-607, Mangol Puri Delhi
107	66156	Hashmi And Social Welfare Society	S-428, Mangol Puri Nfw Delhi
108	66381	Sarva Mangal Kamna Samiti	Shop-5, Shri Mandir Market-Blk Mangol Puri New Delhi-83
109	66455	Onshi Sports & Cultural Foundation	A-5, Phase-II Mangol Puri Indl. Area IInd Floor N Delhi
110	66580	Nirmalchayadrug De Adiction & Social Welfare Society	E-85, Mangol Puri Delhi-83
111	66674	Jan Sewa Samiti Mangol Puri	Y-112, Mangol Puri Delh
112	67188	Pranav Foundation (Ngo)	A-866, Mangol Puri Delhi
113	67226	Khushalandprayangi Foundation	G-332, Mangol Puri. New Delhi
114	67893	Prathvi Educational & Welfare Society	Y-520, Mangol Puri Delhi
115	68094	Tabeal Mission	F-1/3, Mangol Puri New Delhi

1	2	3	4
116	68298	Jan Sahyata Kalyan Samiti	A-931, Mangol Puri Delhi
117	68987	Rainbow Human Life Foundation	Blk K Mangol Puri Delhi
118	69113	Sun Welfare & Development Society	G-499, Mangol Puri Delhi
119	69144	Shiv Shakti Sanatan Dharm Mandir Sewa Samiti J.J. Colony Mangolpuri	AR-190, J.J. Cly. Mangol Puri Delhi
120	69206	Disabled Youth Welfare Development Association	6-332, Mangol Puri Delhi
121	69379	Divya Jyoti Welfare Society	Y-1255, Mangol Puri Delhi
122	69392	Peter De Souza Welfare Society	G-499, Mangol Puri Delhi
123	15/2010	Pal Group of Educational Welfare Society	O-232, Mangol Puri New Delhi-110083
124	19/2010	Super Sports and Cultural Society	J-173, Mangol Pun New Delhi-110083
125	43/2010	Bimukt Dhumant and Ardh Dhumantu Janjati Association	B-211, Mangol Pun Delhi-110083
126	43A/2011	Jyoti Education (Jef)	O-234, Mangol Puri, Delhi
127	46/2010	Munshi Ram Memorial Educational Society	E-18, Mangol Puri New Delhi-110083

128	49A/2011	Mangol Puri J.J.Colony Development & Welfare Association	C-150, Mangol Puri, Delhi-110083
129	53/2010	Sanjay Kumar Educational & Cultural Progressive Society	A-580, Mangol Puri Delhi-110083
130	57A/2011	Magadh Welfare Society	Y-2093, Mangol Puri, New Delhi-110083
131	72/2010	Mangol Puri Viklang Village Yuva Club	G-332, Mangol Puri New Delhi-110083
132	74A/2011	Prachin Hanuman Sewa Samiti	K-327, Mangol Puri Delhi-110083
133	88/2010	Navvidya Society For Education Research & Training	Y-2093, Mangol Puri, New Delhi-110083
134	122A/2011	Mansa Devi Educational Social Welfare Society	R-505, Mangol Puri Delhi
135	143A/2010	Shree Shyam Parivar Narela	Ho.No.855-856, Block-H, Mangol Puri, Delhi-110083
136	144/2010	Suraj Enclave Residential Welfare Association	Amar Nath Ho.No.2227, Block-Y, Mangol Puri Delhi-110083
137	145/2011	Raigar Samaj Vikas Samiti Rohini	M-23D, Mangol Puri Delhi
138	166/2010	Peacock Management & Educational Foundation	B-301, Mangol Puri, New Delhi-110083

1	2	3	4
139	171/2010	Chirag Jyoti	F-91, Mangol Puri, Delhi
140	226/2011	North Computer Training and Education Forum	36, Mangol Puri, Delhi-110083
141	228A/2011	Nishpaksh Youth Club	M-4, Mangol Puri, New Delhi-110086
142	276/2010	Agarwal Vikas Sabha Sector-24, Rohini Delhi-110085	I-Block, 599, Mangol Puri, New Delhi-110083
143	296A/2010	Country Wide Private Secuirty Agence Association	K-604, Mangol Puri, Delhi-110083
144	317/2010	Arsh	A-727, Mangol Puri, Delhi-110083
145	327a/2010	Sultan Puri Development Resident Welfare Association (RWA)	A-838, Mangol Puri, Delhi-110083
146	384/2011	Muhim Bhrasthachar Virodhi and Paryavaran Suraksha Morcha	Village Mangoi Puri, Kalan New Delhi-110085
147	396/2011	Dewdrops Welfare Society	J-675. Mangol Puri, Delhi-110083
148	406/2011	Vishwa Nagari Vigyan Sansthan	S-24, Block-S, Near Agarwal Sweet Shop. Mangol Puri, Delhi-110083
149	407/2011	Adarash Viklang Sahara Samity	909, Block-D, Mangol Puri, Delhi

150	424/2011	Ranger Club Society	F-91, Mangol Puri Delhi
151	477/2011	Shri Sat Guru Ravi Dass Samaj Samiti Sultan Puri Delhi	H.No. 909, D-Block, Mangol Puri, Delhi-110083
152	530/2011	Suprabhat Social Welfare Society	A-580, Mangol Puri Delhi
153	532/2011	Resident Welfare Association Mubarik Bagh Mcd Falt Model Town-1 Delhi-110009	A-580, Mangol Puri Delhi
154	540A/2011	Navodaya Residents Welfare Association Metro Vihar	F-697, DDA Flats Mangol Puri Delhi-110083
155	551/2011	Geetanjali Foundation for Education and Research	H.No. 93, Block-P-2.Mangol Puri Delhi-110083
156	620/2011	Moti Masjid Mangement Samiti E-Block Jhahangir Puri Delhi-110033	B-2/20, Mangol Puri Delhi-110083
157	832/2011	Swaroop Nagar-Gurudwara Shir Guru Singh Sabha	Y-2006-07, Mangol Puri Delhi-110083
158	844/2011	Mata Maharani Durga Mandir Santhan Dharam Sangthan	10, Q-1 Block, Mangol Puri New Delhi-110083
159	877/2011	Foundation of Health Care Technologies Society	G-332, Mangol Puri Delhi-110083

1	2	3	4
160	952/2012	See Many Animals Yap Laf (Smayl)	S-165, Sanjay Gandhi DDA Mini Market Mangol Puri Delhi-110083
161	960/2012	Everest Resident Welfare Association Pocket-4, Sector-25, Rohini Delhi-110085	H.No. K-516, 2nd Floor, Landmark Near Sanjay Gandhi Hospital J.J. Colony Mangol Puri New Delhi-110083
162	974/2012	A-Tech Sofrware Hardware & Networking Institute	P-4/145-146, Jaipure Jewellary House Mangol Puri Delhi-110083
163	977/2012	Shri Adarsh Dharmik Ramlila Committee	K-227, Mangol Puri Delhi-110083
164	978/2012	Society for Divyanshu Jute Craft	A-866, Mangol Puri New Delhi-110083
165	1001/2012	Society for Masjid Noori Arebiya Nurululoom and Welfare Society	A-814, Mangel Puri Delhi
166	1009/2012	Butterfly Educational Society	B-60, Mangol Puri, Delhi-110083
167	1032/2012	Surat Nagar Residents Welfare Association	993, Block-S, Mangol Puri, New Delhi-110083
168	1037/2012	Nai Udaan	K-1023, Mangol Puri Delhi-110083
169	1074/2012	DSIIDC Residents Welfare Association Sector-3 Bawana	H.No, 480, 2nd Floor, Block-R, Mangol Puri, New Delhi-110083

170	1090/2012	Perfect Computer & Education Academy	H.No. 1928, Block-Y, Land Mark Near Chunni Lal Hotel Madrasi Mandi Road Mangol Puri Delhi-110083
171	1093/2012	Needan Foundation for Prevention of Female Foeiticide and Gender Sensation	F-2/197, Near North Gate Rajiv Gandhi Park Mangol Puri Delhi-110083
172	1153/2012	Sakshi Shikchha and Sewa Samiti	K-809, Mangol Puri, Delhi-110083
173	1181/2012	One Step Foundation	Shop No. 145, Ground Floor, Block P- 4, Mangol Puri, Near Sanjay Gandhi Hospital, Delhi-110083
174	1196/2012	Nav Disha Disabled Welfare Society	G-499, Mangol Puri, New Delhi-110083
175	1333/2012	Punjabi Sewa Mitra Mandal	House No. 85, Block-G, Mangol Puri Delhi-110083
176	1335/2012	Sumanglam Mahila Club	H.No 630, Block-L, Mangol Puri Delhi-110083
177	1933/14	Jeevan Vigyan Ashram Trust Society	Plot No. T-1241, First Floor, Mangol Puri, Delhi-83
178	2005/14	Shivam'educational and Welfare Association, Called Sewah helpage	F-2/47, Mangol Puri, Delhi-83
179	2036/14	Samyak Sangh	S-52, Mangol Puri, New Delhi-110083

1	2	3	4
180	2092/14	Kunwar Pal Phool Wati Educational & Charitable Society	S-1077, Mangol Puri, New Delhi-110083
181	2140/14	Senior Citizen Welfare Sangthan Mangolpuri, Delhi	B-900, Ground Floor, Mangol Puri, New Delhi-110083
182	2168/15	Waqt Club Ekta Manch	H.N0.851, Block-I, Landmark Near Gurudwara and Shiv Mandir, Mangol Puri, Delhi-110083
183	2199/15	Bhagirath Rishi Gurukal Research Computer Coaching Sanstha (B.G.R.C.C.S)	H.No. 54, First Floor, Block-P-2, Landmark Near Barat Ghar Mangol Puri, New Delhi-110083
184	2326/15	Jan Sangharsh Vikas N.G.O	Plot No-20-21, 2nd Floor, J.J. Colony Blk-1, Mangol Puri, Delhi-110083
185	2374/15	Shikhar Dhawan Cricket Academy (SDCA)	H.No-910, BLK-D, Mangol Puri, New Delhi-83
186	2393/15	Mangolpuri Dharmik Samiti	H.No-709, BLK-R, Landmark NA, Mangolpuri, Delhi-83
187	2399/15	Ek Nayi Pahal	H.No-893, 894, Floor 1st, Blk-5, Mangol Puri, New Delhi-83
188	2401/15	Jai Shree Shyam Kutumb	H.No-327, BLK-X, Mangol Puri, New Dlehi-83

189	2443/15	Bhagwan Maharshi Balmiki Mandir Samiti	H.No-688, Block-S, Mangol Puri, Delhi-83
190	2450/15	The Twinkles Star Educational Society (A Sparkling Star)	H.No-392, Block-H, Mangol Puri, New Delhi-83
191	2461/16	Paavana Educational & Welfare Society	H.No-15, Block-E, Mangol Puri, Delhi-83
192	2482/16	Resident Welfare Association Y-Block, JJ Cluster Mangol Puri Delhi-110083	Jhuggi No-73, Ground Floor, Blk-Y, J.J. Colony, Mangol Puri City, Delhi-83, Landmark Back Side of Silai Centre
193	2484/16	Jai Dakshineshwari Maa	H.No-P-8/120, Floor 1st, Landmark Near Primary School, JJ Colony, Mangol Puri, Delhi-110083
194	2486/16	Dr. Vatsa Rogniwaran Sanstha	H.No-49, BLK-M, Mangol Puri, New Delhi-110083
195	2508/16	Samta Mission	Jhuggi No-UT-35, Mangol Puri, New Delhi
196	2514/16	Buland Hosle	Plot No-1129, 1st Floor, Blk-J, J.J. Colony, Mangol Puri, New Delhi-83
197	2564/16	Delhi Social Care	H.No. 397 (Ground Floor), Block-T, Mangol Puri, New Delhi-110086

1	2	3	4
198	2618/16	Kashish Or Arsh Mahila Bal Vikas	Juggi No-CN-5, Ground Floor, Block-Y, Mangol Puri, Near Mother Dairy, Delhi-110083
199	2633/16	Youngage India Club (YIC)	H.No-394, BLK-H, Mangol Puri, New Delhi-110083
200	2654/16	Block-B,D,E, F and P, S Resident Welfare Association, Mangol Puri, Delhi	H.No. 2/20, Block-B, Mangol Puri City, Delhi-110083.
201	2671/16	Laghu Udhyog Sewa Samiti	H.No. 24, Block-P-2, Mangol Puri, Delhi-110083
202	2716/16	Avantika Enclave Welfare Association Flat 384	Flat No. B-15a, Ground Floor, Slum Flat, Mangol Puri Near Pole Star School, Delhi-110083
203	2913/17	Pasban Welfare Society	H.No. 1373 Block-Y, Mangol Puri New Delhi-110083
204	3006/17	Kiran Sewa Sanstha	L-193, Mangol Puri Delhi-110083
205	3044/17	Punjabi Camp (Rwa) F-Block Mangolpuri	H.No. B-58, First Floor, Outer Ring Road, BLK-F, Punjabi Camp, Mangol Puri, Delhi-110083
206	3073/2018	Jatav Samaj Jagrook Samiti	N-204, Mangol Puri, Delhi-110083

255- Jh i|dt i|"dj % क्या **ekuuh; mi e|[; e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सतर्कता विभाग के अंतर्गत दिल्ली सरकार के विभिन्न प्राधिकारियों/विभागों की 1993 से अब तक लंबित जांचों का और पूरी कर दी गई जांचों का विभागवार तथा वर्षवार विवरण क्या है; कृपया विस्तृत सूची उपलब्ध करवाएं; और

(ख) उक्त अवधि की पूरी कर दी गई सभी जांचों में से कितने मामलों में कोई अनुशासनात्मक या दंडात्मक कार्यवाही हुई; ड्डपया विभागवार तथा वर्षवार विस्तृत सूची के साथ विवरण उपलब्ध करवाएं?

ekuuh; mi e|[; e=h % (संबंधित विभाग से प्रश्न का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।)

256- Jh l|[kohj ç|lg nyky % क्या **ekuuh; mi e|[; e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डीएएसएस (द्रास) ग्रेड–II की भर्ती (पोस्ट कोड–90/09) के संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) डीएएसएस (द्रास) ग्रेड–II (पोस्ट कोड–90/09) के संबंध में फाइल नोटिंग व अन्य संबद्ध दस्तावेजों की प्रति उपलब्ध कराएं;

(ग) क्या बी.टेक/होटल मैनेजमेंट/बीबीए के स्नातक डीएएसएस (द्रास) ग्रेड–II (पोस्ट कोड–90/09) में चयनित होने के पात्र हैं;

(घ) डीएसएसएसबी के विज्ञापन 04/2017 में विज्ञापित समस्त पदों के लिए परीक्षा की तिथि क्या है;

(ङ) उक्त विज्ञापन में विज्ञापित प्रत्येक पोस्ट कोर्ड के लिए कितने उम्मीदवारों (श्रेणी–वार) ने आवेदन किया है;

(च) दिल्ली उच्च न्यायालय में डीएएसएस (द्रास) ग्रेड–II (पोस्ट कोड–90/09) से संबंधित केस को देख रहे वकील का नाम क्या है;

(छ) रा.रा.क्षे.दि. सरकार के विभिन्न विभागों में ग्रेड–4, ग्रुप–4 (चतुर्थ श्रेणी) के कितने पद रिक्त पड़े हैं; और

(ज) इन पदों को भरने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

ekuuh; mi e[; e=h % (संबंधित विभाग से प्रश्न का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।)

257- Jh txnh'k ièkku % क्या **ekuuh; mi e[; e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दास एवं स्टैनो कैडर की रिस्ट्रक्चरिंग कमेटी की रिपोर्ट की क्या सिफारिशें हैं;

(ख) इन सिफारिशों को लागू करने में क्या अड़चने आ रही हैं;

(ग) दिल्ली सरकार का इसको लेकर क्या रूख है;

(घ) दास एवं स्टैनो कैडर कन्ट्रोलिंग अथॉरीटी कौन है; और

(ङ) रिपोर्ट का नवीनतम स्टेट्स क्या है?

ekuuh; mi e[; e=h % (संबंधित विभाग से प्रश्न का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।)

258- duy noUn lgjkor % क्या **ekuuh; mi e[; e=h** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एसडीएम कार्यालय कापसहेड़ा जिला दक्षिण–पश्चिम में, पिछले दो सालों में कितने अधिकारियों को एसडीएम पद का कार्यभार सौंपा गया, विस्तृत विवरण प्रदान करें;

(ख) एसडीएम कापसहेड़ा के पद पर कार्य करते हुए अधिकारियों के अत्यधिक स्थानान्तरण के क्या कारण है; और

(ग) क्या इस स्थानातंरण प्रक्रिया से जनता के कार्यों को करने में विलंब होता है?

उप मुख्य मंत्री: (संबंधित विभाग से प्रश्न का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।)

सदन पटल पर प्रस्तुत कागजात

माननीय अध्यक्षः अब माननीय मंत्री श्री कैलाश गहलौत जी दिल्ली मैट्रो रेल कॉपोरेशन लि. के वार्षिक प्रतिवेदन (2016–17) की हिंदी–अंग्रेजी प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करेंगे।

परिवहन मंत्री: Hon'ble Speaker Sir with your permission I hereby lay copies of the Annual Report of Delhi Metro Rail Coporation Limited for the year 2016-17 (Hindi and English)[5] on the Table of the House.

विशेष उल्लेख (नियम–280)

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद। नियम 280, सुश्री अलका लाम्बा। प्रार्थना है आज बहुत ही वर्किंग निकला है जो लिखकर दिया है, उसी को कृपा पढ़ेंगे।

सुश्री अलका लांबाः धन्यवाद अध्यक्ष जी, नियम 280 के तहत् में चांदनी चौक विधानसभा के नगर निगम और डीडीए के पार्कों के बारे में यहां मुद्दा उठाना चाहती हूं। मेरी चांदनी चौक विधानसभा में बहुत कम जगह है लेकिन जितने भी पार्क हैं, वे डीडीए और नगर निगम के अधीन हैं। अधिकतर पार्क जो हैं, वो या तो जुए के, नशे के अड्डे बने हुए हैं या अवैध वहां

[5]पुस्तकालय में संदर्भ संख्या आर–आर–20425 पर उपलब्ध।

पर पार्किंग–रिक्शा पार्किंग और बना दी गई है। मेरा निवेदन है कि एमएलए निधि से इन पार्कों के विकास के लिए लगातार दिल्ली नगर निगम को लिखा जा रहा है लेकिन किसी तरह का कोई रिस्पोंस नहीं आ रहा। मुझे यह लगता है कि दिल्ली नगर निगम बीजेपी के दबाव में विधायक निधि से नगर निगम के इन पार्कों के विकास को रोक रही है। मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, या तो दिल्ली नगर निगम खुद अपने इन पार्कों को दुरूस्त करे; इन्हें नशे के अड्डे, जुए के अड्डे बनाने से रोके। नहीं तो कम से कम विधायक निधि, अब तो दिल्ली सरकार ने विधायक निधि का जो फंड है, वो चार करोड़ से दस करोड़ कर दिया है। किसी तरह के पैसे की कमी नहीं है विकास के लिए। तो आपसे निवेदन है, क्योंकि हमारे विधायकों ने कुछ नहीं दिखाया है कि कितना हम लोगों ने विकास नगर निगम के पार्कों में करवाया, बैंचेज लगवाए, लेकिन उन्हें तोड़ दिया गया है। तो मेरी यही चिंता है कि हम कोशिश यह कर रहे हैं कि विधायक निधि से इन पार्कों का विकास हो। लेकिन यह भी सुनिश्चित करना चाहते हैं कि किसी तरह का इन संपत्तियों का कोई भी नुकसान न किया जाए। तो निवेदन करती हूं; नॉर्थ दिल्ली नगर निगम से कि एमसीडी के पार्कों को नशे से मुक्त कराकर यहां के विकास कार्यों को विधायक निधि से करने के लिए सुनिश्चित किया जाए, धन्यवाद, जयहिंद।

ekuuh; vè;{k% अखिलेशपति त्रिपाठी जी।

vf[kys'kifr f=ikBh% धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने 280 के तहत् मेरी विधान सभा का बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने का मौका दिया।

यह मुद्दा है हमारे क्षेत्र में एक नैनी लेक है, जो अपनी सुंदरता के लिए पूरे उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत सबसे सुंदर स्थान और झील

था। जहां पर लोग आकर के थोड़े समय के लिए बैठते थे और बच्चों के लिए मनोरंजन का केन्द्र भी था। यह उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत था और दिल्ली टूरिज्म को 2010 से 2012 के बीच में दिया गया कि इसका सौन्दर्यीकरण करे और रख–रखाव करे। इसका संचालन करें और दिल्ली टूरिज्म इसको बखूबी निभाने भी लगा था और काम भी होने लगा था। मैं जीतकर आया तत्कालीन मंत्री तोमर जी, टूरिज्म के थे, उनको लेकर भी गया। उन्होंने भी बहुत सारे आदेश दिए कि वहां का जो जल साफ नहीं था, उसको साफ करने के लिए एटीपी प्लांट लगाने के लिए धन निर्गत किया गया और उसकी सुन्दरता के लिए और भी पैसे दिए कि उसकी सुन्दरता बढ़ाई जाए काम करके और ये काम होने भी लगे थे, तभी इसकी सराहना होने लगी कि दिल्ली सरकार जबसे झील को ली है, खूब अच्छे काम हो रहे हैं। लोगों के अच्छे मनोरंजन का केन्द्र बन गया है। ये चीज एमसीडी को रास नहीं आई और उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने ये झील वापस अपने पास ले ली; ये कहकर के कि अब इस झील का रख–रखाव और सौन्दर्यीकरण हम करेंगे। चलो भई, आप ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आज ढाई साल हो गए जबसे उत्तरी दिल्ली नगर निगम के पास ये झील गई है, एक पैसे का काम नहीं हुआ वहां। जल का सड़ांध इतना हो गया है कि लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। मछलियां–जानवर उसमें जो हैं; कछुए मर–मर के ऊपर आ रहे हैं। बीमारियों से बुरा हाल हो रहा है लोगों का। वहां के लोगों का रहना मुश्किल हो रहा है। एक समय हुआ करता था कि उस क्षेत्र में लोग आकर के रहने के लिए उत्सुक हुआ करते थे। प्रापर्टीज के दाम बहुत ज्यादा हुआ करते थे कि वहां की झील की फेसिंग है। आज हालत है कि झील की वजह से वहां पर लोग घर छोड़कर के जाने को मजबूर हो रहे हैं। ये उत्तरी दिल्ली नगर निगम की वजह से हो रहा है और आज ढाई साल

के बाद वहां पर न कोई बोट है जो बोटिंग हमारी दिल्ली टूरिज्म चलाती थी, उसे भी निकालकर के इन्होंने बाहर करने का आदेश दे दिया कि आप लेकर चले जाओ। वो लावारिस वैसे ही पड़ा हुआ है। लोगों के मनोरंजन का, सुख–सुविधा का साधन जो बना हुआ था, लोगों के आराम का साधन बना हुआ था जो जगह, उसको आज बदत्तर स्थिति में पहुंचा दिया गया है।

ekuuh; vè;{k % अखिलेश जी, जो लिखा है, उसी पर सीमित रहिए, जो लिखा है प्लीज।

vf[kys'kifr f=ikBh th % मैं उसी पर ले जा रहा हूं अध्यक्ष जी, एक भी शब्द इधर–उधर नहीं बोल रहा हूं।

ekuuh; vè;{k % मैं देख रहा हूं, तभी बोला मैंने।

vf[kys'kifr f=ikBh th % तो मेरा आज इस सदन में यही कहना है कि अध्यक्ष जी, इस पर संज्ञान लें कि मेरे क्षेत्र के लोग बहुत परेशान हैं। उत्तरी दिल्ली नगर निगम जो दिल्ली सरकार को चिट्ठी लिखकर भी दी थी कि इस झील को हम बहुत साफ करेंगे; एटीपी प्लांट लगाएंगे; इसको साफ–सुथरा करके इसमें बोटिंग चलाएंगे और लोगों के लिए बहुत सुंदर स्थान बनाएंगे; घूमने टहलने का, वो आज तक नहीं कर रही है। लोग बहुत परेशान हैं। इसको संज्ञान में लें और कमिशनर को इसके लिए एक बार सम्मन करें कि ये कैसे ठीक होगा। क्यों वादा–खिलाफी किया उन्होंने दिल्ली सरकार से? ये झील किस साजिश के तहत लिया गया क्यों नहीं चाहते कि क्षेत्र में विकास हो, लोगों को और मनोरंजन के केन्द्र मिले?

ekuuh; vè;{k % भई अखिलेश जी, हो गया प्लीज।

vf[kys'kifr f=ikBh th % लोगों को अच्छी जगह मिले तो मेरा निवेदन है अध्यक्ष जी, कि आप मॉडल टाउन के लोगों को इस टूरिज्म का एक क्षेत्र था बना हुआ, उसको फिर से दिल्ली टूरिज्म को दिया जाए ताकि उसका विकास पहले जैसे हो रहा था, वैसे हो पाए। ये बदले की भावना से जो नगर निगम ने, जो भाजपा शासित है, जो वापस लिया है, वो दिल्ली सरकार को दिया जाए ताकि हम उसका विकास कर पाएं, धन्यवाद, अध्यक्ष जी।

ekuuh; vè;{k % माननीय मंत्री जी उत्तर देना चाह रहे हैं।

ekuuh; 'kgjh fodkl e=h ¼Jh lR;sUnz tSu½ % अध्यक्ष महोदय, मैं इसका उत्तर नहीं दे रहा हूं, मैं दूसरी बात कहना चाह रहा हूं। एमएलए लैड फंड के अंदर बहुत सारे विधायकों के बहुत सारे प्रश्न आज भी थे, कल भी थे; मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि एमएलए लैड फंड में जो भी नई आइटम्स डलवाना चाहते हैं या कोई भी सुझाव देना आप चाहते हैं, एमएलए लैड फंड से रिलेटेड के भई इसके प्रोसीजर में कोई चेंज करने की जरूरत है या कल ओम प्रकाश शर्मा जी भी कह रहे थे कि भई एजेंसी अलग भी होनी चाहिए तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा; कल तक मुझे अपने लैटर हैड पर लिखित में दे दें ताकि उसको हम जल्द से जल्द रिवाइज कर सकें।

ekuuh; vè;{k % धन्यवाद, श्री विजेन्द्र गुप्ता जी।

Jh fotsUnz xqIrk % अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बंगलादेशी घुसपैठियों से उत्पन्न स्थिति की ओर दिलाना चाहता हूं। दिल्ली में जिसके कारण अपराध बढ़ रहे हैं क्योंकि मेरी---

---¼O;oèkku½

ekuuh; vè;{k % भई पढ़ लेने दीजिए और सदस्यों का रह जाएगा।

Jh fotUn xIrk % दिल्ली में जिसके कारण अपराध बढ़ रहे हैं मेरी सरकार से मांग है कि दिल्ली में रह रहे घुसपैठियों की पहचान, उनकी रोकथाम और निष्कासन पर बिल लेकर आए और ये मांग हम पिछले चार दिन से लगातार कर रहे हैं। दिल्ली में अपराध की घटनाओं की रोकथाम के लिए बंगलादेशी घुसपैठियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए जिसके लिए आवश्यक हे कि वोटर पहचान पत्र और राशन कार्डों की गहन जांच कर घुसपैठियों को चिन्हित किया जाए। इनके नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाएं और राशन कार्ड रद्द किए जाएं। हर जिले के डीसीपी कार्यालय में एक एक बंगलादेशी सैल का पुनर्गठन किया जाए। घुसपैठियों के पास राशन कार्ड सहित...*(व्यवधान)* इन घुसपैठियों के पास राशनकार्ड सहित तमाम दस्तावेज उपलब्ध हैं जो उनको स्थानीय नागरिक बताने के लिए काफी हैं। मेरी अध्यक्ष महोदय के माध्यम से सरकार से मांग है कि दिल्ली में रह रहे घुसपैठियों की पहचान, उनकी रोकथाम और निष्कासन पर बिल लाएं।

अध्यक्ष जी, आप सरकार अप्रत्यक्ष रूप से वोटों की खातिर बंगलादेशी घुसपैठियों को संरक्षण दे रही है। मेरी ये मांग है कि नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन दिल्ली में लागू किया जाए और वोटों की खातिर आम आदमी पार्टी की सरकार बंगलादेशी घुसपैठियों को संरक्षण देना बंद करे; ये अप्रत्यक्ष रूप से संरक्षण दिया जा रहा है।

ekuuh; vè;{k % विजेन्द्र जी हो गया।

Jh fotUn xIrk % और उसके कारण दिल्ली के अंदर...

ekuuh; vè;{k % आपने लिखके दिया है वो पढ़ लिया है। जो आपने लिखकर दिया था, उससे ज्यादा हो गया।

Jh fotUn xIrk % अध्यक्ष जी, और भी लोग बोले हैं।

ekuuh; vè;{k % नहीं, उससे ज्यादा हो गया।

Jh fotUn xIrk % बाकी लोग भी तो बोले हैं।

ekuuh; vè;{k % न मैं बिलकुल नहीं अलाउ कर रहा, किसी को भी।

Jh fotUn xIrk % जिस तरह से दिल्ली में बंगलादेशियों की संख्या दिन–प्रतिदिन बढ़ रही है, जब तक आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में रहेगी बंगलादेशियों की संख्या बढ़ेगी, अपराधियों की संख्या बढ़ेगी।

ekuuh; vè;{k % मेरे पास 15 मिनट का समय है मुझे पूरे करने हैं, आदर्श शास्त्री जी।

Jh fotUn xIrk % अपराध बढ़ेंगे। अपराधों को रोकने के लिए जरूरी है...

ekuuh; vè;{k % नहीं विजेन्द्र जी, हो गया, बैठिए अब, बैठिए प्लीज।

Jh fotUn xIrk % आम आदमी पार्टी की सरकार को समाप्त करना और एक नई सरकार दिल्ली में आए।

---¼0;oèkku½

Jh fotUn xIrk % बंगलादेशी घुसपैठियों को बाहर निकालो, बाहर निकाला, क्या दिक्कत है आपको? बंगलादेशियों से आपको क्या प्रेम है? क्यों घुसपैठ हो रही है यहां? क्या दिक्कत है? आपको नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन के लिए एनआरसी में क्या दिक्कत है, आप बताइए।

ekuuh; vè;{k % जो आपने लिखकर दिया, उससे दुगना पढ़ लिया, उससे डबल बोल चुके हैं।

Jh fotsUnz xqIrk % दिल्ली में बंगलादेशी जो हैं; दस लाख बंगलादेशी उनको संरक्षण दे रहे हो आप। क्यों आम आदमी पार्टी की सरकार उन्हें संरक्षण देना चाहती है, हमको ये बताइए। मैं ये जानना चाहता हूं अध्यक्ष जी, सरकार से कि बंगलादेशी घुसपैठ पर सरकार मौन क्यों धारण करे हुए है। इस चर्चा से क्यों भाग रही है?

---½0 ; oèkku½

ekuuh; vè;{k % देखिए, जगदीश जी, जितना लिखकर दिया उससे तीन गुना बोल चुके हैं, बैठिए। श्री आदर्श शास्त्री जी।

Jh vkn'kZ 'kkL=h % धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय।

ekuuh; vè;{k % श्रीमान आदर्श शास्त्री जी।

Jh vkn'kZ 'kkL=h % धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से

---½0 ; oèkku½

ekuuh; vè;{k % नहीं, ओम प्रकाश जी, मेरी बात सुनिए। जितना लिखकर दिया है अगर उससे ज्यादा बोलेंगे... नहीं दे रहे हैं तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है।

---½0 ; oèkku½

(सत्ता पक्ष तथा विपक्ष के सभी सदस्य वैल में आ गए)

ekuuh; vè;{k % मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूं कृपया बैठ जाएं।

---½0 ; oèkku½

ekuuh; vè;{k % हाउस सवा चार बजे तक के लिए एडजोर्न किया जाता है। टी ब्रेक; सवा चार बजे तक के लिए एडजोर्न किया जाता है।

(सदन की कार्यवाही चायकाल हेतु सवा चार बजे तक के लिए स्थगित की गई)

सदन अपराह्न 4.27 बजे पुनः समवेत हुआ।

ekuuh; vè;{k (श्री रामनिवास गोयल) *पीठासीन हुए।*

ekuuh; vè;{k % जो 280 नियम के अंतर्गत जिन्होंने अपने लगाए थे 280 में, ये पढ़े हुए माने जाएं, इनके उत्तर आएंगे। अनुदानों की पूरक मांगें जो उप मुख्य मंत्री 2018–2019 के लिए सप्लीमैंटरी डिमांडस पेश करेंगे।

vuijd vunku ekxk dk iLrdhdj.k] fopkj ,o ikj.k

ekuuh; mi e[; e=h % Hon'ble Speker Sir, I present First Batch of Suplementary Demands for Grants for the year 2018-2019 before this House.

ekuuh; vè;{k % यह प्रस्ताव सदन के सामने हैः
जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें;
जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें;
(सदस्यों के हां कहने पर)
हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता,

प्रस्ताव पारित हुआ।

सप्लीमैंटरी डिमांडस नं.–1 जो रेवेन्यू में 1 लाख रुपए है, पारित हुई।

डिमांड नं.–2.. अच्छा, प्रस्तुत नहीं हुई, अच्छा प्रस्तुत नहीं करेंगे? ठीक है।

ekuuh; mi e[; e=h % प्रस्तुत हो गयी, वो आपको डिमांड्स.

ekuuh; vè;{k % जिसमें रेवन्यू में 104 करोड़ 24 लाख रुपए हैं, सदन के सामने हैः

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें;
जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें;
(सदस्यों के हां कहने पर)
हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता,

प्रस्ताव पारित हुआ।

सप्लीमैंटरी डिमांडस नं.–2 पास हुई।

डिमांड नं.–3 (एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस) जिसमें रेवेन्यू में 5 करोड़ 13 लाख तथा कैपिटल में 15 करोड़ रुपए हैं, कुल राशि 20 करोड़ 13 लाख, सदन के सामने हैः

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें;
जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें;
(सदस्यों के हां कहने पर)
हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता,

सप्लीमैंटरी डिमांडस नं.–3 पास हुई।

डिमांड नं.–4 (फाइनेन्स) जिसमें रेवेन्यू में 10 करोड़ रुपए हैं, सदन के सामने हैः

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें;
जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें;
(सदस्यों के हां कहने पर)
हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता,

सप्लीमैंटरी डिमांडस नं.–4 पास हुई।

डिमांड नं.–5 (होम) जिसमें रेवेन्यू में 01 करोड़ रुपए हैं, सदन के सामने हैः

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें;
जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें;
(सदस्यों के हां कहने पर)
हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता,

सप्लीमैंटरी डिमांडस नं.–5 पास हुई। डिमांड नं.–6 (एजुकेशन) जिसमें रेवेन्यू में 07 लाख और कैपिटल में 150 करोड़ रुपए हैं, कुल राशि 150 करोड़ 07 लाख रुपए सदन के सामने हैः

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें;
जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें;
(सदस्यों के हां कहने पर)
हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता,

सप्लीमैंटरी डिमांडस नं.–6 पास हुई।

डिमांड नं.–7 (मेडिकल एड पब्लिक हेल्थ) जिसमें रेवेन्यू में 40 करोड़

5 लाख रुपए हैं, और कैपिटल में 35 करोड़ रुपए हैं कुल राशि 75 करोड़ 5 लाख रुपए सदन के सामने हैः

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें;
जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें;
(सदस्यों के हां कहने पर)
हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता,

सप्लीमैंटरी डिमांडस नं.–7 पास हुई।

डिमांड नं.–8 (सोशल वेलफेयर) जिसमें रेवेन्यू में 04 करोड़ 34 लाख 50 हजार रुपए सदन के सामने हैः

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें;
जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें;
(सदस्यों के हां कहने पर)
हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता,

सप्लीमैंटरी डिमांडस नं.–10 पास हुई।

डिमांड नं.–11 (अर्बन डेवलपमेंट एंड पब्लिक वर्क्स) जिसमें कैपिटल में 975 करोड़ रुपए हैं, सदन के सामने हैः

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें;
जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें;
(सदस्यों के हां कहने पर)
हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता,

सप्लीमैंटरी डिमांडस नं.–11 पास हुई।

हाउस ने कुल मिलाकर रेवेन्यू में 1 अबर 69 करोड़ 58 लाख 95 हजार रुपए एवं कैपिटल में 11 अबर 75 करोड़ रुपए कुल राशि 13 अबर 44 करोड़ 58 लाख 95 हजार की रुपए सप्लीमैंटरी डिमांडस को मंजूरी दे दी है।

अब माननीय उप मुख्य मंत्री दिल्ली एप्रोप्रिएशन (नं.–3) बिल, 2018 (बिल नं.–4 ऑफ 2018) को House में इन्ट्रोड्यूस करने की परमिशन मांगेंगे।

ekuuh; mi e|[; e|=h % Hon'ble Speaker Sir, I seek permission of the House to introduce 'Appropriation (No.3) Bill, 2018 (Bill No.04 of 2018)' to the house

ekuuh; vè;{k % उप मुख्यमंत्री जी का प्रस्ताव सदन के सामने है:

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें;
जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें;
(सदस्यों के हां कहने पर)
हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता,

प्रस्ताव पास हुआ।

अब माननीय उप मुख्य मंत्री बिल को सदन में इन्ट्रोड्यूस करेंगे।

ekuuh; mi e|[;e|=h % Hon'ble Speaker Sir, the House may now please pass. The Appropriation Bill (No.3) of 2018.

vè;{k egkn; % अब बिल पर क्लॉज–वाइज विचार होगा।

प्रश्न है कि खंड–2, खंड–3 व शेड्यूल बिल का अंग बनें:

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें;
जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें;
(सदस्यों के हां कहने पर)
हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता,

खंड–2, खंड–3, एवं शेड्यूल बिल का अंग बन गए।

प्रश्न है कि खंड–1, प्रिएम्बल और टाइटल बिल का अंग बनें:

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें;
जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें;
(सदस्यों के हां कहने पर)
हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता,

खंड–1, प्रिएम्बल और टाइटल बिल का अंग बन गए।

अब माननीय उप मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि 'दिल्ली एप्रोप्रिएशन (नं.–3) बिल, 2018 (बिल नं.04 ऑफ 2018)' को पास किया जाए।

mi e[;e=h % Hon'ble Speaker Sir, the House may now please pass 'The Delhi Appropriation Bill (No. 3) of 2018.

ekuuh; egksn; % अब माननीय उप मुख्यमंत्री जी का प्रस्ताव सदन के सामने है:

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें;
जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें;
(सदस्यों के हां कहने पर)
हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता,

'द दिल्ली एप्रोप्रिएशन (नं.–3) बिल, 2018 (बिल नं.04 ऑफ 2018)' पास हुआ।

vYidkfyd ppk ¼fu;e&55½

श्री आदर्श शास्त्री जी द्वारा दिनांक 7 अगस्त, 2018 को प्रारंभ दिल्ली की चुनी हुई सरकार की शक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के संबंध में अल्पकालिक चर्चा में सदस्य भाग लेंगे। श्री सुखबीर सिंह दलाल जी।

श्री सुखवीर सिंह दलाल जी। अध्यक्ष जी, आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। मेरे को देख के बच्चे दो–तीन हंस रहे हैं विधायक जी। अध्यक्ष जी यह कहना चाह रहे हैं; मेरे को बता रहे हैं, कहते हैं, बूढ़े आदमी में जो है न करंट कई दिन तक नहीं रहता। कहता है उस दिन करंट था जो शायद आज दिखाई नहीं दे रहा दलाल साहब। तो इसलिए मैं आपसे गुजारिश है, जब वो हों तो मेरे को मौका दे दिया करो। ये हंस रहा है मेरे सामने इसी बात को कह कर।

ekuuh; vè;{k % राम चद्र जी भी हंस रहे हैं। चलिए, शुरू करिए।

Jh l[kohj Çlg nyky % अध्यक्ष जी, मैं आपके सामने बड़े गंभीर मुद्दे पर जो पिछले कई सालों मैं ही नहीं एलजी साहब के माध्यम से दिल्ली की जनता पर मोदी सरकार के अत्याचारों के गवाह, दिल्ली की जनता ही नहीं पूरा देश है और इस अत्याचार की पुष्टि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में चार जुलाई को कर के दिया है, उसी से लगता है कि भई दिल्ली की जनता पर एलजी के माध्यम से कितना अत्याचार हो रहा है लेकिन इसके बाद भी एलजी साहब कहें या मोदी सरकार को लज्जा नहीं आती। माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत ढंग से परिभाषित करके इसको भी नहीं माना जा रहा है। ये बहुत ही

एक अप्राकृतीय वो है उनकी, वो क्या बोलते हैं, दुष्कर्म ही लगाओ इसको, दुष्कर्म है जो हमारी जनता के साथ हो रहा है।

अध्यक्ष जी, मैं आपको एक और फैसला सुनाना चाहता हूं, सन् 1974 की बात है। इस देश के दो अदालतें हैं— एक तो हमारी ज्यूडिशियरी है, एक जनता की अदालत भी है। एक बार शायद आपको न पता होगा, 1974 में एक इलाहाबाद की हाई कोर्ट ने भी एक ऐतिहासिक फैसला दिया था, तत्कालीन प्रधानमंत्री के खिलाफ लेकिन उस प्रधानमंत्री ने उस फैसले को नकार कर और इस देश में आपातकालीन की स्थिति पैदा कर दी थी, लगा दी थी लेकिन जैसे ही आपातकालीन की स्थिति खत्म हुई, जनता की अदालत में जब वो गई, उसका सूपड़ा साफ हो गया और उसकी जगह जनता दल आया और उसी से वो आया जिससे ये पता लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के हमारे भी इस फैसले को अगर ये सरकार नहीं मानती तो हमारी जनता की सरकार इसको 2019 में जरूर सबक सिखाएगी। ये मैं आपको वादा करता हूं इसके सामने विधान सभा से पूरी जनता को अवगत कराना चाहता हूं कि इस फैसले का हमारे एलजी साहब जो हमारी सर्विस डिपार्टमेंट को लेकर जो हमारे साथ पूरी दिल्ली की जनता के साथ ये धोखा किया जा रहा है, 2019 में इसका न्याय मिलेगा।

अध्यक्ष जी, ये लोकतंत्र नहीं वोटतंत्र के उद्देश्य मोदी सरकार द्वारा न्याय पालिका... कहते हैं मोदी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके इस वोट तंत्र की राजनीति से दिल्ली का विवाह जिसकी आंखों में तरक्की के सपने, दिल्ली की महिलाएं, जिनके दिल मे असुरक्षा का माहौल है और बुजुर्ग जो अपने को आगे बढ़ाने का सपना देखना चाहते हैं, हल पल उनकी इस राजनीति से पिसते जा रहे हैं और उनको बरसों पीछे धकेला जा रहा है। मोदी सरकार की छाया में ही सर्विस विभाग में उच्च अधिकारी जो

सरकार के माध्यम से जनता की सेवा के लिए थे लेकिन आज खुद ही सरकार बन बैठे हैं; आज ज्यादातर उच्च अधिकारी जनता की सेवा में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं और सरकार सहित उन प्रतिनिधियों को इस कदर दरकिनार कर रहे हैं जैसे हम लोग यहां गैर कानूनी तरीके से प्रतिनिधि बन कर आए हैं। लेकिन जैसे हम लोग बार—बार अनुरोध करने पर भी ये अधिकारी किसी भी उस लैटर का जवाब देना जरूरी नहीं समझते; ये एक षडयंत्र नहीं बल्कि संविधान का उल्लंघन भी है। यह अफसरों और एलजी साहब के माध्यम से मोदी सरकार द्वारा संविधान की हत्या है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि संविधान के 69 वे एमेंडमेंट के अनुसार दिल्ली को एक विशेष दर्जा प्राप्त हुआ था जिसके तहत दिल्ली की अपनी खुद की चुनी हुई सरकार होगी और संविधान के आर्टिकल 239 ए के सब सैक्शन (4) के अनुसार दिल्ली के एलजी साहब इसी चुनी हुई सरकार के साथ विचार—विमर्श कर फैसले लेंगे। आर्टिकल 239 में बड़ी सोच समझ के बाद 1956 से 1966 तक जो शब्द चले आ रहे थे, 'असिस्ट एंड ऐडवाइज' उसको हटाकर ऐडवाइस किया गया था लेकिन एलजी साहब का सरकार के साथ मिलकर जरूरी हो जाए लेकिन आर्टिकल 239 ए जनता की आवाज बुलंद कने के लिए संविधान में शामिल किया गया था लेकिन देखिए, इस भारत में क्या हो रहा है! भारत के लोकतंत्र में इस बात को ऐडवोकेट श्री गोपाल सुब्रह्मंयम जी ने कोर्ट के सामने रखा और कहाः

'The amendment of 69 of the constitution in 1991 gave a special status to the Delhi with its own Legislative Assembly sub sectiion 4 of Article 239AA of the constitution mandates that the council of ministers shall aid and advice to the LG i his functioning. The purpose of article 239AA was to provide a voice to

the people. This amendment was based on the equality and fundamental equilibrium.' *Saath hi advocate chidambram saheb ne bhi supreme court ke saamne kaha:* 'LG is not the viceroy of the Delhi out simply an agent of the President of India whose powers depend on the pleasure of the president. His job is to allow smooth functioning of the Govt. not creating the obstruction.' और इन्हीं तथ्य को सुप्रीम कोर्ट ने माने हुए और इस संदर्भ में एलजी साहब को निर्देश भी दिए लेकिन एलजी साहब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पिछले तीन साल में जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, जब से एलजी साहब के दफ्तर में विचार–विमर्श का रास्ता छोड़कर एनार्की और डिक्टेटरशिप का रास्ता अपना लिया है। जनता के हित की फाइल्स एलजी साहब के अफसरों और दफ्तरों मे कई–कई महीने तक सड़ती रहती है अभी हमारे मंत्री जी ने एक छोटा सा वो बताया कि ह्यूमन राइटस कमिशन की जो फाइल थी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में 2016 में एलजी साहब के दफ्तर में आज तक उस फाइल का अता पता नहीं है। हमारे माननीय मंत्री जी ने परसों जब मैंने बताया, मैंने सोचा, "मैं झूठ ही बोल रहा हूंगा" लेकिन जब विधान सभा में उन्होंने भी बताया तो मैं कन्फर्म हो गया कि हमारे साहब जो हमारे साथ वो कर रहे हैं, जो जनता की फाइलें निकलवाने के लिए सरकार की कुछ नहीं चलती, सर्विस डिपार्टमेंट एलजी साहब ने तानाशाही से कब्जा लिया है। अब अफसर सरका और विधायकों को आंख दिखाकर कहते हैं अफसर कि वे लोग सरका के प्रति जवाबदेह नहीं है बल्कि एलजी साहब के प्रति जवाबदेह हैं इसी के लिए हमारा जन लोकपाल, मोहल्ला क्लीनिक, होम स्टैप डिलीवरी और सर्विस मोहल्ला, महिला सुरक्षा, सीसीटीवी कैमरा, अनऑथोराइज कालोनी का विकास, गैस्ट टीचर का पक्का करना आदि पता नहीं कितनी फाइल्स एलजी साहब और अफसरों की लाल फीताशाही के कारण इजना लेट हो चुकी

हैं कि आज उनका कोई वो नहीं है कि वो कब तक लागू हों। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा भी कह चुके हैं...

ekuuh; vè;{k % दलाल जी, कन्क्लूड करिए, कन्क्लूड करिए प्लीज।

Jh l|[kohj çlg nyky % ठीक है सर, एक मिनट और लूंगा,

'LG has no independent power.' एलजी और दिल्ली सरकार के बीच difference of opinion authentic होना चाहिए; लाल फीताशाही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस चंद्रचूड भी कह चुके हैंः 'Real power and accountability is with the elected govt.'

अध्यक्ष जी, मैं इन सभी अफसरों को याद दिलाना चाहूंगा कि आप सब लोग जनता को जवाबदेह हैं और जनता की चुनी हुई सरकार होती है, न कि एलजी साहब की। लगता है, मोदी जी की छत्र–छाया में ये अफसर भी एलजी साहब की तरह अपनी जिम्मेदारी भूल गए हैं। साथ ही संविधान के सैक्शन 44 गर्वनमेंट ऑफ एमसीडी दिल्ली एक्ट 1991 में भी साफ लिखा हैः 'एलजी साहब को दिल्ली सरकार से विचार विमर्श करकर ये काम करना चाहिए।'

ekuuh; vè;{k % दलाल जी, कन्क्लूड करिए, प्लीज कन्क्लूड करिए प्लीज।

Jh l|[kohj çlg nyky % ठीक है सर। अभी करता हूं। भारत फैडरल देश है साहब। दिल्ली... एलजी साहब और उसकी विटो पॉवर नहीं है इसमें आज दिल्ली सरकार के संविधान में ये लिखा हुआ है कि दिल्ली की जनता एलजी साहब से हक मांगते हैं और मांग करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जाए और हमें बार बार जनता के काम

करने के लिए जो हम आए हैं, हमें काम करने दिया जाए, न कि कोर्ट के धक्के। हम पिछले तीन साल से सिर्फ हमारा एक ही काम है; हमारे नेता जी जब भी देखते थे, वो कोर्ट की तारीख होती है। जनता के काम करने के लिए हम भी समय मांगते हैं लेकिन कोर्ट का काम जरूरी होता है। हमें टाइम भी नहीं मिल पाता कि हम अपने मंत्री जी से या उनसे बात करें तो हर रोज हमें सुप्रीम कोर्ट के कभी हाई कोर्ट के छोटे से काम में भी हमें कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते हैं जिस तरह अभी ये चार तारीख का जो फैसला था, उसमें क्लीयरकट लिखा हुआ है कि दिल्ली सरकार के पास लैंड, पुलिस और लैंड को छोड़कर सारे के सारे काम दिल्ली की चुनी हुई सरकार कर सकती है लेकिन उसमें भी सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करते हुए हमारा सर्विस डिपार्टमेंट जो एक महत्वपूर्ण है, जिसकी वजह से हमारे काम सारे अटके हुए हैं, उनको हमें दुबारा कोर्ट जाना पड़ रहा है और शायद आज भी उसकी डेट थी... जब हमें विधान सभा में होना चाहिए लेकिन हमारे नेताओं को वहां कोर्ट में भी पहुंचना जरूरी होता है..

ekuuh; vè;{k % दलाल जी, अब हो गया प्लीज, बैठिए।

Jh l|[kohj Çlg nyky % इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस चीज के लिए हमें पूरे विधान सभा की तरफ से ये पास करना चाहिए कि भई, हमें एलजी साहब की न चलकर दिल्ली की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात एड एंड एडवाइस की तरह एलजी साहब को माननी चाहिए और इसी के साथ धन्यवाद।

ekuuh; vè;{k % धन्यवाद।

---¼0;oèkku½

Jh fotUn xIrk % अध्यक्ष जी, अभी.**--¼0;oèkku½** अन्याय जो हुआ, मैं लिखकर लाया हूं....

---¼0;oèkku½

ekuuh; vè;{k % नहीं, आप मुझे बाद में, चेम्बर में..

---¼0;oèkku½

ekuuh; vè;{k % नहीं चेम्बर में दीजिएगा, प्लीज।

---¼0;oèkku½

Jh fotUn xIrk % आप लीजिए।

ekuuh; vè;{k % हां, लाइए।

---¼0;oèkku½

Jh fotUn xIrk % मारने की कोशिश की गई**---¼0;oèkku½**

ekuuh; vè;{k % लाइए लाइए, दीजिए। सदन तो कम से कम शांतिपूर्वक चले। श्री शिव चरण गोयल जी।

Jh fotUn xIrk % इसमें कोई..

ekuuh; vè;{k % कोई बात नहीं।

Jh fotUn xIrk % मतलब अगर अपोजीशन... एक पार्टी के सारे मेंबर आकर**---¼0;oèkku½**

ekuuh; vè;{k % बैठिए अब।

---¼0;oèkku½

Jh fotsUnz xqIrk % अपोजीशन के मैम्बरों को...

---¼O;o/kku½

ekuuh; v/;{k % अब बैठिए प्लीज, बैठिए। श्री शिव चरण गोयल जी।

---¼O;o/kku½

Jh fotsUnz xqIrk % गाली गालौज करा है।

ekuuh; v/;{k % शिवचरण गोयल जी।

Jh f'ko pj.k xks;y % धन्यवाद अध्यक्ष जी।

---¼O;o/kku½

Jh fotsUnz xqIrk % इस पर आप उन सदस्यों को कुछ नहीं कहेंगे।

ekuuh; v/;{k % आपने मुझे लिखकर दिया ना।

Jh fotsUnz xqIrk % हां जी।

ekuuh; v/;{k % मैं डिसीजन लूंगा, जो लेना है। शिव चरण जी।

Jh f'ko pj.k xks;y % आज सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद चार जुलाई के बाद भी हमारी स्थिति जस के तस है और यह कोई आज हमारे साथियों ने सबने डिटेल्स में बताया है कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला जिसमें पूरी तरह से क्लीयर है कि सारी पॉवर अब दिल्ली सरकार के पास हैं और उसके बावजूद भी दिल्ली के अफसर काम नहीं कर पा रहें। आप कहीं न कहीं अब जब वो 2014 में बीजेपी की सरकार आई पूर्ण बहुमत से और सातों सांसद दिल्ली में बीजेपी के आए और उसके नौ महीने बाद एक आम आदमी पार्टी की सरकार आई। 70 में से 67

सीटें... वो आज तक नहीं पचा पा रहे। एक छोटी सी बात में ही पूरी बात कर दूंगा—

'बस इतनी सी बात समुद्र को खल गई,
एक इत्ती सी नाव मेरे ऊपर कैसे तर गई।'

आज तक वो पचा नहीं पा रहे कि वो समुद्र आज तक नहीं पचा पा रहा कि एक आम आदमी मेरे ऊपर जब मैं पूरा देश जीतकर आ रहा था और दिल्ली में रोका गया, वो कुचक्र आपका चलना शुरू हो गया, कौरवों के शकुनी अपने पासे फेंकने शुरू कर देता है जैसे आप महाभारत के अंदर देखेंगे; सेम उसी तरह से, कभी एलजी के माध्यम से, कभी पुलिस कमिशनर बस्सी के माध्यम से हमारे से आकर डिबेट करो, कभी 21 पार्लियामेंट सेक्रेटरी के, कभी हॉस्पीटल के चेयरमैन, हर वक्त एक सिस्टम चलता गया कि दिल्ली की सरकार गेरी जाए। कभी भी उन्होंने विकास की बात करने नहीं दी। एक ही प्रोग्राम रहा कि इनको गेरना है जैसे हमारे जैन साहब कहते है, 'अड़ंगी लगानी है। आगे काम नहीं करना और अड़ंगी लगाना है।' हर जगह अड़ंगी... अड़ंगी लगाते गए, हमें ये मजबूत करते गए। हम यहां कहीं भी झुके नहीं। इनकी अड़ंगी ना लगती तो हम मजबूत नहीं बनते और प्रोग्राम चलते गए, हम अपने काम करते गए और आज पूरे संसाद के अंदर कहीं न कहीं ऐसा लगने लगा कि हम कहीं न कहीं एक छाप छोड़ रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, एमसीडी के इलैक्शन से पहले भी हमारा एक साथी जयचंद पैदा हुआ, उसके बाद फिर और आगे चला। एमसीडी के इलैक्शन के बाद एक शोर शुरू हुआ, लाफ्टर चैनल, एक शोर शुरू हुआ, डेली कोई न कोई कमेंट्स पास करता था। आज हमारे सीएम ने ये किया, हमारे सत्येन्द्र जैने ने ये किया। उसने मेरे ऊपर भी तोहमत लगाई कि... गोयल साहब का मैं उसका शुक्रगुजार मानता हूं कि कम से कम भी नहीं उसने

टीवी के अंदर डेढ़ घंटा लगातार हर चैनल के ऊपर नाम आया, शिव चरण गोयल ने... 18 कंपनियां हैं। 18 कंपनियां हैं। मुझे नहीं पता आज तक, मेरी कितनी कंपनियां हैं? मैं जिस समय जीतकर आया, मेरे पास एक कंपनी नहीं थी लेकिन उस लाफ्टर चैनल के पास 18 कंपनियां थी। कम से कम भी झूठ का इतना लंबा पिटारा, कम से कम भी फेंको तो ढंग से तो फेंको। झूठ का झूठ चलता गया, चलता गया और इसका मैंने शुक्रिया अदा किया। मैंने उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैंने कहा, मैं उस साथी का धन्यवाद करता हूं कि उसकी वजह से मुझे पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और मैं उसका बार—बार धन्यवाद करूंगा कि वो 18 कंपनियां कम से कम वो मुझे नाम तो बता दे, शायद मुझे इसमें कहीं ना कहीं मेरा नाम झलक जाए। आज तक भी वो, ये जो झूठ के पुलिंदें हैं चलते गए लेकिन वो अरविन्द केजरीवाल, जितना उसको दबाया गया वो उतना चट्टान की तरह खड़ा हुआ और वो खड़ड्ड रहा और आज उसका सितारा पूरे दिल्ली में, पूरे भारत में क्या पूरे संसार में चमक रहा है। आज पूरी इंडिया के अंदर दिल्ली के स्कूल्स, दिल्ली के हॉस्पीटल्स.. आप कहीं देखें, जितना विकास दिल्ली में हुआ, आज पूरे भारत में नहीं हुआ। हमें तो जितना दबाएंगे, हम उतना निखरेंगे और यहीं हम रूकने वाले नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को फैसला चाहे जितना मर्जी आया हो, हम यहां भी रूकेंगे नहीं, आगे अपने मकसद पर हम कामयाब होंगे। लेकिन ये जितना मर्जी कुछ कर लें, बस मैं अपनी बात, छोटी सी बात करके खत्म करूंगा, 'कोई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वो ही होता है जो मंजूरे खुदा होता है।' बहुत—बहुत शुक्रिया, बहुत—बहुत धन्यवाद।

ekuuh; vè;{k % अखिलेश त्रिपाठी जी।

vf[kys'k ifr f=ikBh % बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी कि इस महत्वपूर्ण

विषय पर बोलने का मौका दिया। आज हम लोग चर्चा कर रहे थे; सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है और उस निर्णय के बाद जिस तरीके का अतिवादी तरीका लोकतंत्र को कुचलने का, जो पुराना इतिहास भारतीय जनता पार्टी का रहा है, वो देखने को मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के इतने साफ डिसीजन के बाद उस निर्णय को धता बताते हुए जिस तरीके से अभी कहा जा रहा है कि फलाना चीज तो लिखा ही नहीं गया है। अरे भई! उस निर्णय में तो लिख दिया गया बहुत साफ—साफ कि आपके पास एन्ट्री—1 लैंड, एन्ट्री—2 पब्लिक ऑर्डर और एन्ट्री—18 पुलिस, इसको छोड़कर के सारे विषय दिल्ली सरकार के पास होगा।

मेरे साथी बैठे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के, और कोई विषय होता हो तो उनकी जानकारी में है तो सदन को बता दें। अब इससे ज्यादा बेशर्मी क्या हो सकती है कि कोर्ट ये कह देता है कि इसके बाद कुछ नहीं बचता, फिर भी अधिकारी, एलजी, भारतीय जनता पार्टी, केन्द्र की इनकी सरकार, ये कहते हैं; इसमें तो लिखा ही नहीं है। इनके बहुत बड़े वकील हैं; केन्द्र में मंत्री हैं। मैं तो समझ रहा था कि बड़े विद्वान आदमी है, सबसे पहले उन्हीं का ट्वीट आया था कि ये तो लिखा ही नहीं है कि सर्विसेज है कि नहीं, मैं उन्हीं से पूंछूगा कि ये बताइए हाई कोर्ट के निर्णय में कहां लिखा हुआ है कि सर्विसेज आपके पास है। ये भी तो कहीं नहीं लिखा था। ये लिखा थाकि एलजी बॉस होंगे, यही तो निर्णय दिया था हाई कोर्ट ने और ये तो उससे ज्यादा साफ—साफ दे दिया, उसके बाद भी ये इस तरीके का रवैया!

उसके बाद भी जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अध्यक्ष जी, कि जो भी पॉवर होना चाहिए निर्णय लेने का, वो पॉवर इलेक्टेड गवर्नमेन्ट को होना चाहिए। अब इससे क्या जानना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बारे में, यानी

कि ट्रांसफर पोस्टिंग करने का भी पावर, निर्णय लेने का पॉवर चुनी हुई सरकार को होनी चाहिए। ये भी कह दिया, फिर भी नहीं माने। फिर कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि आप जो काम करोगे एलजी साहब, आज के बाद मंत्रिमंडल के, मुख्यमंत्री के सलाह पर काम करोगे; एंड एंड एडवाइस पर। फिर भी नहीं शम आई, कहते हैं, 'नहीं लिखा हुआ।'

फिर कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कि जो संविधान है, संविधान की जो व्याख्या होनी चाहिए समय—समय पर वो प्रगतिशील व्याख्या होनी चाहिए जिससे लोकतंत्र और निखरता हो, लोकतंत्र का आकार बड़ा होता हो, जनता को अधिकार और मिलते हों, निर्वाचित सरकार के अधिकार बढ़ते हों; ऐसा निर्णय दिया। उसके बाद भी कहते हैं, सर्विसेज नहीं लिखा गया। उसके बाद भी कहते हैं कि उसमें एसीबी नहीं लिखा गया है। अरे! आप बताओ, हाई कोर्ट के निर्णय में कहां लिखा है, कहां लिख है कि सर्विसेज आपके पास होगा? आपने कब्जा किया। कुचलने का काम कर रहे है लोकतंत्र को आप! आपको याद होगा, याद कर लेना, इस देश में वो ही कांग्रेस पार्टी थी जो इंदिरा जी के शासन में सबसे ज्यादा सीटें जीत कर आयी थी और वही सरकार थी जब अतिवाद की, अतिवाद की तरह बढ़ी, लोकतंत्र को कुचलने को कोशिश किया, उसी जनता ने उठा करके उनको सदन से बाहर करने का काम कर दिया था। वही काम मत करो, आपका भी अंत आने वाला है, छोड़ेगी नहीं जनता, आपको पच नहीं रहा है दिल्ली की हार। दिल्ली की जनता से बदला लेना चाहते हो बैक डोर से। आपको दिल्ली की जनता नहीं पसंद करती, आपको हरा दिया। तीन सीटों पर रह गए कंधो देने वाले भी नहीं बचते थे। कोई बात नहीं, ऐसे में सहयोग कर देंगे लोग। लेकिन अगर ये अतिवादी तरीका रहा, इस तरीके से लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश की, जनादेश को कुचलने की

कोशिश की आपने, तो याद रखना ये तीन भी नहीं मिलेंगे फिर पड़ोसियों से और लोगों से भी सहायता करने की जरूरत पड़ेगी। अब हो गए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इनका पहले भी बहुत झूठ बोलने का, जुमला फेंकने का आदत रहा इन लोगों का, कभी अपने किसी एजेंडे पर ये कायम नहीं रहे, अपने ये पार्टी भारतीय जनता पार्टी; चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा रहा हो, 370 का मुद्दा रहा हो, चाहे इनका 15 लाख का मुद्दा रहा हो, काला धन का मुद्दा रहा हो और जब—जब चुनाव आता है तो बोतल में से...पूर्ण राज्य का मुद्दा रहा हो और जब जब चुनाव आता है तो राम भी याद आते हैं, 370 भी याद आता है और अभी फिर चुनाव आ रहा है इनको हो सकता है दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा भी याद आ जाएगा। हालांकि इन्होंने.

ekuuh; vè;{k % करिए कन्क्लूड करिए, अखिलेश जी।

Jh vf[ky'kifr f=ikBh % बस, दो मिनट और। हर अपने एजेंडे में, हर अपने मैनिफेस्टो में लिखा दिल्ली के जितने भी चुनाव हुए चाहे वे केन्द्र सरकार के हों, दिल्ली के हों, एमसीडी के हों, सब में लिखा दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। दिल्ली होगा पूर्ण राज्य, 'अब की बार, अब की बार इन्होंने जुमलों की सरकार,' हो गयी। शर्म करो आप लोग और मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का बहुत स्वागत करता हूं और फिर से सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस निर्णय से ये साबित किया है कि जब—जब, जब—जब देश में लोकतंत्र को, जनमत को कुचलने की कोशिश होगी, तब—तब सुप्रीम कोर्ट एक प्रहरी के रूप में खड़ा है। चाहे वो उत्तराखंड का मामला रहा हो, चाहे अरुणाचल का मामला हो, चाहे हिमाचल का मामला हो, चाहे मणिपुर का मामला हो, आप हर जगह मुंह की खाए हो याद रखना और यहां भी मुंह की खाए हो और याद रखो आने वाला चुनाव 2019

का इंतजार कर रही है दिल्ली की जनता, जिस तरीके से दिल्ली की जनता के सीसीटीवी कैमरा रोकने का काम किया आपने, जिस तरीके से दिल्ली के लोगों का डोर स्टेप डिलिवरी, जो सर्विसेज का था, उसको रोकने का आपने पाप किया है, जिस तरीके से गरीब जनता को जो डोर स्टेप पर राशन मिलना था, उसे रोकने का काम किया है, जिस तरीके से आप लोगों ने सरकार के निर्णय लेने के हर पहलू पर आपने अपना पहरा बैठाने का कोशिश किया है, दिल्ली की जनता आपके इस पाप को माफ नहीं करेगी, चुन–चुन के आपसे बदला लेगी, चुन–चुन के बदला लेगी और साफ करके छोड़ेगी। 2019 में याद रखना।

इसी शब्दों के साथ मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया, अध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद।

ekuuh; vè;{k % सरिता सिंह जी नहीं हैं। जगदीप जी नहीं हैं। सौरभ जी, राजेश गुप्ता जी।

Jh jkt:'k xqIrk % धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने इस विषय पर मुझे बोलने का मौका दिया।

अध्यक्ष जी, सुप्रीम कोर्ट का ये जो जजमैंट आया है, उस दिन हममें से बहुत सारे साथी अपने टीवी के आस पास नजर गढ़ाए बैठे थे और यकीन मानिएगा कुछ फैसले का इंतजार उस किस्म से था जैसे हमारे को चुनाव का रिजल्ट आ रहा था क्योंकि जो चुनाव हम जीते थे, वे माननीय हाई कोर्ट के एक ऑर्डर से लगभग ऐसा हो गया कि हम चुनाव जीते ही नहीं हैं, किसी पॉवर में नहीं हैं, कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन हमारा विश्वास था और हमारे नेता माननीय अरविंद केजरीवार जी का ये बहुत प्रबल विश्वास था कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा, वो हर हाल

मे दिल्ली की जनता के पक्ष आएगा। किसी भी तरीके से ये जो केस था, इसको दिल्ली सरकार वर्सेज कुछ नहीं देखना चाहिए बल्कि मेरा मानना है कि ये जो केस था, वो दिल्ली की जनता के जो अधिकार थ, उनके वर्सेज केन्द्र में बैठी हुई एक दमनकारी सरकार के खिलाफ था। केन्द्र में बैठी हुई एक ऐसी सरकार जो सिर्फ इस तरीके से नए—नए तरीके निकालना चाहती है कि किस तरीके से दिल्ली के अंदर जो चुनी हुई सरकार है, उसके कामों को रोका जाए। सारी दुनिया इस बात को जानती है कि. ..मेरा तो बल्कि आगे इस बात का कहना है कि बहुत सारे पत्रकार भाई हमेशा यहां पर होते हैं। नयी—नयी खबरें रोज छपती हैं, अलग—अलग तरीके से छापी जाती हैं। मेरा मानना.. कितनी देर लगनी है ये पता करने के अंदर कि दिल्ली में एसीबी किसके पास थी। अगर किसी को नहीं पता है तो जरा गूगल करके देख लें। विजय गोयल जी ने क्या कहा एसीबी के बारे में, किसके पास में थी। सर्विसेस किसके पास में थी। लगातार चर्चा के अंदर हम भाग लेते हैं। कभी टीवी पर बात करते हैं या कभी किसी के पार्क में आप जाके बात करें तो कहते हैं कि जी, 15 साल कांग्रेस ने भी चलाई। अरे भाई! पता तो कर लो कांग्रेस के बाद में एसीबी थी, नहीं थी सर्विसेस थी, नहीं थी। विपक्ष के साथियों को तो वो पता है, लेकिन मेरा पत्रकारों से एक अनुरोध है कि कल जब वो खबरों को छापें, जो जरा ये बताएं कि अरविंद केजरीवाल की सरकार से किन किन शक्तियों को छीन लिया गया क्योंकि हम जब कहते हैं तो एक अलग बात होती है, लेकिन पत्रकार जब उसे लिखता है तो बहुत सारे लोगों तक बहुत आसानी से वो चीज पंहुचती है कि वो पॉवर किसके पास में थी। एसीबी किसके पास में थी या फिर सर्विसेस किसके पास में थी। लेकिन उन पॉवर को हमसे छीन लिया गया। हमको ये तो कह दिया गया कि ये काम नहीं कर रहे, लेकिन करने भी नहीं दिया गया। हमारी सारी पॉवर

को छीनें, हमारे हाथ पैरों को बांध दें और फिर हमसे कहें कि हाथ पैर चलाओ, चल के दिखाओ, दौड़ के दिखाओ और हालात कुछ ऐसे बना दिए कि हमारे पास में कोई और चारा नहीं बचा, कोर्ट में जाने के अलावा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब थोड़ा सा समय लिया तो भी मैं आपको बता दूं कि ये जगह—जगह जा के फैला रहे थे विपक्ष के साथी हमारे, कि भई कोर्ट में भी हमारा पूरा इख्तियार है। हमने कोर्ट को भी सेट कर रखा है। ये फैसला देंगे ही नहीं। लेकिन ये देख के अंदर देरी तो हो सकती है लेकिन अंधकार नहीं है। देर है लेकिन अंधरे नहीं है। कोर्ट ने अपना फैसला दिया, नौ महीने का इंतजार जरूर लगा और जब वो फैसला आया तो मेरे बहुत सारे साथियों ने, मेरे साथ ही बैठे थे; जब हम आईटीओ आफिस पर बैठे, दफ्तर में बैठे थे। एक एक फैसले की एक एक लाइन, ऐसा लग रहा था कि जैसे केन्द्र सरकार के मुंह पे तमाचा पड़ रहा हो। एक एक लाइन। उस सब के बावजूद जो रिएक्शन्स थे, हमारे बीजेपी के साथियों के बड़े बजर्दस्त थे। उन्होंने.. कह रहे थे कि ये तो जो फैसला आया, से तो दिल्ली सरकार के ऊपर एक तमाचा है। पता नहीं ये सुनते नहीं हैं, पढ़ते नहीं या पहले से सोच के बैठे थे कि क्या कहना है। मसखरे हैं। नितिन भाई कहते हैं कि मसखरे हैं कि भई, मजाक में उड़ाने की कोशिश करो, लेकिन खैर! जो फैसला आया उसके बाद में जिस तरीके से 10—15 दिन के अंदर माननीय मुख्यमंत्री ने और हमारे बाकी मंत्री साथियों ने जिस तरीके से काम को तेजी से बढ़ाया, बागडोर संभाली और बिना सर्विसेस के भी जो करके दिखाया, की अगर आप दिल्ली की जनता के अंदर कोई भी सर्वे करके देख लिया हालांकि बीजेपी का अपना सर्वे है, वो भी जानती है कि भई दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल को कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता, कुछ भी कर लें। सिर्फ दस दिन के अंदर ही इतने फैसले ले लिए गए कि दिल्ली की जनता ने कहा कि

भई, ये फैसले तो पहले ही ले लेते, इनको तो रोका जा रहा था, इनकी सारी की सारी शक्तियों को रोक लिया गया, लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन तीन चीजों को छोड़ के जिसके लिए हमारे सारे साथी आपके साथ चर्चा कर चुके हैं विधान सभा में सब सुन चुके हैं, उन तीन पावर्स को छोड़ के पब्लिक ऑर्डर, लैंड्स और पुलिस इन तीनों को छोड़ के सारी चीजें दिल्ली सरकार के पास में, चुनी हुई सरकार के पास में है। लेकिन उसमें एक लकूना ढूंढ लिया कि भई सर्विसेस के बारे में बात नहीं हुई और कमाल की बात ये है कि बड़ी बेशर्मी से इन लोगों को कहते हैं कि ये भी हमने रुकवा दिया है जी। अभी भी ये कहते हैं। मैं तो कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट भी इस बात के ऊपर ध्यान दे, संज्ञान ले कि लोगों के अंदर क्या फैलाते फिरते हैं। ये कहते हैं, 'वो भी सर्विसेस हमने ऐन टाइम पे रुकवा दिया।' हम जब... आएगा तो उसको जुड़वा देंगे दिल्ली के अंदर। इन्होंने सर्विसेस को रुकवाया या ये कह लीजिए कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस एक चीज को छोड़ा और शायद उसके लिए कुछ गहन चिंतन की जरूरत थी तो उन्होंने कहा कि डीबी इसका फैसला करेगी, लेकिन वे डीबी में दो चार साल नहीं लगने वाले। जहां तक मेरा ख्याल है; इस एक महीने में या अगले महीने के अंदर उसका फैसला आ जाएगा कि दिल्ली की सर्विसेस किसके पास में हैं और जिस तेजी से काम हो रहे हैं; सर्विसेस जैसे माननीय उप मुख्य मंत्री जी कल उन्होंने चर्चा करी थी कि भई, हम सर्विसेस इसलिए नहीं चाहते कि हमें ट्रांसफर पोस्टिंग करनी है। इस सरकार का ये झगड़ा कभी रहा ही नहीं है। मुख्य मंत्री अगर कभी धरने पर बैठे तो इसलिए नहीं बैठे कि उनके बेटे की नौकरी लग जाए या भतीजे की ट्रांसफर कहीं पे हो जाए या किसी का कमीशन बंट जाए। यहां विधायक इसलिए नहीं घूमते, सिर्फ और सिर्फ मकसद एक ही है कि अगर कोई आदमी काम नहीं करता है तो उसपे

कैसे नकेल कसी जाए और कोई आदमी काम करता है तो उसको कैसे प्रोत्साहन दिया जाए, वो भी जरूरी है। एक आदमी जो अच्छा काम करता है उसको ए अंडमान—निकोबार भिजवा देते हैं। कि भेजो भई ये तो अच्छा काम कर रहा है और जो खराब करता है उसको ये बहुत अच्छी तरीके से तरक्की दे देते हैं। तो क्योंकि सारी चीजों पे बात हो चुकी है और समय की अपनी मर्यादा है। मेरा ये कहना है कि जो ये फैसाला आया है और अभी जो एक डीबी में फैसला आना है। मेरा विपक्ष के साथियों से एक अनुरोध है, हम सब राजनीति में आए तो उसकी दो वजह होती हैं; एक आदमी की अपनी पर्सनल महत्वकांक्षा होती है कि वो नाम कमाना चाहता है अपने लिए, समाज के लिए और एक होती है कि हम देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, हम कोई भी काम करते हैं तो हमें खुशी होती है कि हमने किसी गरीब के लिए, किसी जरूरतमंद के लिए कुछ करा। लेकिन हम अपनी राजनीतिक महत्वकांक्षाओं में इतना न खो जाएं कि हम सब कुछ ये देखने लगें कि भई राजनीति कैसे बढ़े, हमारे आका हमसे कैसे खुश हों, हमको टिकट कैसे मिले, हमको लोकसभा की टिकट कैसे मिल जाए; अगर हम ज्यादा चिल्लाएंगे तो मिल जाएगी, शोर मचाएंगे तो मिल जाएगी। इन चीजों पे ध्यान न देते हुए कहीं—कहीं अपनी आत्मा में झांक के देखें के दिल्ली को पूर्ण राज्य दिलवाने के अब दर्जे के करने की मांग बहुत बाद में अरविंद केजरीवाल ने या राजेश गुप्ता ने या इन विधायकों ने करी आपने बहुत पहले करी है, बार—बार करी हे और बीसो—तीसों सालों से आप करते चले आ रहे हैं। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के आज मेरा अनुरोध है कि इसके बारे में जरा सोचें और दिल्ली को जो उसका हक है, वो जरूर दें। आपने बोलने का मौका दिया, बहुत—बहुत धन्यवाद।

ekuuh; vè;{k % बहुत—बहुत धन्यवाद। श्री महेन्द्र गोयल जी।

Jh egUn xk;y % धन्यवाद अध्यक्ष जी, जो आपने मुझे इस... कन्क्लूड तो 2019 में कर देंगे, आपको पहले ही बता रखा है, इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का मौका दिया।

अध्यक्ष जी, मेरे साथियों ने सर्विसेस के बारे में बहुत कुछ कहा। मैं उन्हीं बातों को नहीं दोहराऊंगा। ये सर्विसेस दिल्ली सरकार को क्यों नहीं देना चाहते, उसका खुलासा कर रहा हूं। आज आपके पास... चीफ सैक्रेटरी साहब सुप्रीम होते हैं; ऑफिसरों के ऊपर जितने भी सैक्रेटरीस होते हैं, उनसे बड़ा तो कोई नहीं है। जब चीफ सैक्रेटरी के पास एक खुद विधायक एक लैटर लिखता है कि यहां–यहां पर गड़बड़ हो रही है ओर उस नाम से मैंने अपने एरिए के दो सब–रजिस्ट्रारों के नाम लिखकर कहते हो तो मैं ये लैटर पूरा पढ़ के सुना देता हूं एक बार.. उपरोक्त विषय अनुसार रिठाला विधान सभा के अंतर्गत रोहिणी सैक्टर–16 स्थित सब–रजिस्टार श्री अनिल मलिक व श्री संदीप डबास के खिलाफ कई शिकायतें मिल रही हैं कि इस क्षेत्र में अतिक्रमण करके बनायी गई संबंधित विभाग द्वारा बुक की गई संपत्ति का भी यह पंजीकरण कर रहे हैं और नियमानुसार ऐसी संपत्ति की मूल प्रति के ऊपर लाल स्याही की एक स्टैंप लगती है। लालस्याही की स्टैंप का मतलब होता है कि ये बुक प्रापर्टी है। ये लीगल तरीके से बनी गई है। ये कोई बैंक लोन नहीं दे सकता लेकिन वो कार्यालय इस कार्य को कर रहा है जिन्हें चिन्हित किया जाता है और बैंक का ये रास्ता भी है। ये एक बहुत बड़ा स्कैन्डल है। देश की अर्थ–व्यवस्था के साथ जैसे आपने पीछे पंजाब नेशनल बैंक के एक घोटाले के बारे में सुना। ये पूरा का पूरा डिपार्टमेंट इस कार्य के अंदर मिला हुआ है इसलिए दिल्ली सरकार को ये सर्विसेस नहीं देना चाहते। जब एक क्षेत्र का विधायक लिखित में शिकायत दे रहा है। और खुद जाकर चीफ सैक्रेटरी साहब से मिल रहा

है और पूरी की पूरी कहानी बता दी और मैंने कहा है कि मेरे पास उसके प्रूफ भी हैं; मैं प्रूफ भी दे रहा हूं। ये नहीं कि आरोप लगा रहा हूं। प्रूफ देने के बावजूद उन ऑफिसरों को नहीं हटाया जाता जब कि मुझे आश्वासन दिया गया था कि दो दिन के अंदर–अंदर ये ऑफिसर हटा दिए जाएंगे। जब वो नहीं हटे; मैंने फोन किया साहब, ये क्या हुआ? बोला, “अभी मैंने इंक्वायरी के लिए लिखा है। इंक्वारयरी होने दो।” मैंने कहा, “कोई बात नहीं।” मैंने कहा, “कितने दिन में हो जाएगी? बोला, ”दो से तीन दिन का टाइम आपसे मांग रहा हूं; ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ता।“ “मैंने कहा, “कोई बात नहीं।” क्योंकि सब्र है हमें। हमारे सब्र का इम्तेहान लेते हैं तो सब्र का इम्तेहान देने में हम कहीं पीछे नहीं हटते। उसके अनुसार मैंने फिर से मेल डाली उनके पास; सर, “क्या हुआ?” कोई उसका जवाब नहीं। मैंने फिर फोन मिलाया, जवाब आया कि इंक्वायरी चल रही है और यदि उनको हटाऊंगा तो किसको लगाऊंगा मैं। ये गंभीर मामला है। इसका मतलब पूरा का पूरा डिपार्टमेंट क्या चोर है और आप सरगना हैं क्या इसके? ये आपके सामने मैंने 20/6 को ये लैटर लिखा है। 23 तारीख को मैं जाके उनको मिला हूं; उसके बाद 30 जून को लैटर लिखा है, फिर जुलाई के अंदर लैटर लिखा है और अब ये लास्ट लैटर 2 अगस्त को लिखा है। जिसके अंदर मैंने अपने नोट के अंदर बकायदा लिख के बोला है, “मान्यवार ऐसे क्या कारण हैं कि इतनी बार मेल डालने के बावजूद भी आप इन अफसरों को हटा नहीं रहे हैं? कोई जवाब नहीं है। सर्विसेस इसीलिए दिल्ली गवर्नमेंट को नहीं दी जाती क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट एक ही चाहती है कि ईमानदारी से काम करना और देश के अंदर ईमानदार राज्य की स्थापना करनी है।

ekuuh; vè;{k % हां कन्क्लूड करिए महेन्द्र जी, अब।

Jh egUnz xks;y % कन्क्लूड तो मैंने कह दिया कि 2019 में कर ही देंगे। आपको वचन दे रखा है मैंने।

ekuuh; vè;{k % चलिए।

Jh egUnz xks;y % इस बात में तो कोई दो राय नहीं है। क्या मेरे साथी सहमत हैं इस बात से।

lelr lnL; % हां।

Jh egUnz xks;y % 2019 में कन्क्लूड कर देंगे ना?

ekuuh; vè;{k % धन्यवाद।

Jh egUnz xks;y % अध्यक्ष जी, मेहनत से उठें हैं,

मेहनत का दर्द जानते हैं,
आसमान से ज्यादा जमीन की कद्र जानते हैं,
आसमान से ज्यादा जमीन की कद्र जानते हैं।
लचीले पेड़ हैं हम जो झेल जाते हैं आंधियां,
वरना मगरूर दरख्तों का हश्र जानते हैं,
हम मगरूर दरख्तों का हश्र जानते हैं,
हम मगरूर दरख्तों का हश्र जानते हैं।

ये जनता काट के रख देगी। ये अखिलेश भाई कह रहा था; ये तीन बच गए।

जब हम चुनाव जीते थे तो पत्रकारों ने पूछा था मुझसे उस समय। गोयल साहब, बोले, दिल्ली के अंदर तो आपकी सारी सीटें आ गईं, ये तीन कैसे बच गईं? तो मैंने उस समय पत्रकारों का जवाब दिया था, "झाडू कितनी भी कस के लगा लो, कुछ न कुछ कूड़ा बच जाता है। और आपको यकीन दिलवाता हूं अब की बार ये कूड़ा भी नहीं बचने देंगे। क्योंकि दिल्ली

सरकार ने वो–वो आयाम रचे हैं कि पानी फ्री दे रहे हैं। बिजली के रेट आधे कर दिए। दवाइयां फ्री कर दीं। बुजुर्गों के लिए बसों के अंदर सर्विस फ्री कर दी और इनको भी यहां से दिल्ली से फ्री करके कहीं, ये दूसरों पे कहते हैं; पाकिस्तान जाने की बात इनको तो पाकिस्तान में भी जगह नहीं मिलेगी; ये हाल बता रहे हैं।

ekuuh; vè;{k % चलिए कन्क्लूड करिए महेन्द्र जी। महेन्द्र जी कन्क्लूड करिए, प्लीज।

Jh egUnz xks;y % अध्यक्ष जी मैं कंक्लूड कर रहा हूं। जो चीजें ये मैंने दी हैं। मैं आपके इस पटल पर भेज रहा हूं। इसकी इंक्वायरी करवाए कि ए सब–रजिस्ट्रार, ये सर्विसेज के बारे में जो ये काम चल रहा है, इसकी आप इंक्वायरी करवा दीजिए। या तो ये मेलें मैंने झूठी लिख रखी हैं तो मेरी इस सदस्यता को निरस्त करें। यदि मैं किसी के ऊपर झूठे आरोप लगा रहा हूं और या फिर उनके खिलाफ ये विधान सभा कार्रवाई करे जो ये कार्य कर रहे हैं; जो सर्विसेज को दिल्ली गवर्नमेंट को नहीं दे रहे, ये कार्य होना चाहिए।

ekuuh; vè;{k % ये सारा लिख के दे दीजिए मुझे।

Jh egUnz xks;y % ये मैं आपके पास भेज रहा हूं।

ekuuh; vè;{k % हां, मुझे लिख के दीजिए।

Jh egUnz xks;y % क्योंकि मैं जो बात कहता हूं, सत्यता के साथ कहता हूं, प्रमाणित करता हूं।

ekuuh; vè;{k % चलिए।

Jh egUn xk;y % और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, मैं शपथ लेता हूं यदि ये बातें झूठी मिलेंगी तो मैं इस विधान सभा के अंदर आने का मुझे कोई हक नहीं है या फिर उनको सर्विस में रहने का हक नहीं है। ये कार्य आप कर दीजिए।

ekuuh; vè;{k % बहुत बढ़िया, ठीक है धन्यवाद, महेन्द्र जी।

Jh egUn xk;y % जय—हिन्द, जय भरत कंक्लूड... 2019 में

ekuuh; vè;{k % धन्यवाद श्री विजेन्द्र गुप्ता। श्री विजेन्द्र गुप्ता जी नहीं। चलिए माननीय मंत्री महोदय, राजेन्द्र जी।

ekuuh; lekt dY;k.k e=h ¼Jh jktUn iky xkre½ : अध्यक्ष महोदय, सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट क्यों आई। कौन से वो हालात थे, कौन से वो कारण थे जिस वजह से केन्द्र की सरकार ने दिल्ली की सरकार को कमजोर करने की, दिल्ली के जनता के कामों को रोकने की ये साजिश रची। जब तक उस बैकग्राउंड को नहीं समझेंगे तब तक इस पूरे षड़यंत्र का खुलासा करना बड़ा मुश्किल होगा। मैं पूरे सदन का ध्यान, जब 49 दिन की सरकार बनी थी, उस ओर ले जाना चाहता हूं। मैं तब एक वकील था और सोशल वर्कर था, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कभी नहीं जुड़ा था, लेकिन जो 49 दिन की सरकार जिस दिन बनी और ओथ हुई मैं भी पब्लिक के रूप में उसमें शामिल हुआ और ऐसा एहसास हो रहा था, जैसे पता नहीं दिल्ली की जनता ने ऐसा क्या पा लिया! उस ओथ के लेने के तुरंत बाद दिल्ली का माहौल ही अलग था। दिल्ली के अंदर किसी भी विभाग के कर्मचारी, चाहे एमसीडी हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो या रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं थी कि कोई किसी से रिश्वत मांग ले और दिल्ली के अंदर

काम में बड़ी तेजी से गति आ गई थी। ऐसे लगने लगा था जैसे दिल्ली ने ऐसा इतिहास रचा है कि जो पूरे देश के अंदर राजनीति का बदलना निश्चित हो गया है। उससे पहले जब मंत्रीगण कहीं जाते थे, तो पूरा काफिला होता था, लालबत्ती होती थी और उस समय की 49 दिन की सरकार ने जो लालबत्ती हटाने का सिलसिला शुरू हुआ। जो रिश्वत का जड़—मूल नाश करने का जो सिलसिला शुरू हुआ। रिश्वत लेने वाले अधिकारियों को रंगे हाथों पकड़कर जिस तरह जेल में डाला गया और कितनी अनियमितताओं के खिलाफ जिस तरह जांच शुरू हुई और उसके बाद एंटीकरप्शन ब्रांच में, केन्द्रीय एक मंत्री विरप्पा मोइली जी के खिलाफ पूर्व दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी के खिलाफ, रिलाएंस के मालिक मुकेश अंबानी के खिलाफ, दिल्ली की उस वक्त की सरकार ने, जो एंटीकरप्शन ब्रांच में मुकदमा दर्ज कराया, उससे केन्द्र में बैठी हुई सरकार हिल गई और उसके बाद जो केन्द्र में सरकार चुनके आई, उस सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में एक के बाद एक जिस तरह पूरे देश के अंदर राज्यों में चुनाव जीतना प्रारंभ किया और जब दिल्ली के अंदर उनकी जीत का रथ, जिस प्रकार सिकंदर की जीत का रथ, पोरस ने भारत में रोका, उसी तरह नरेन्द्र मोदी जी की जीत का रथ दिल्ली के अंदर, दिल्ली की जनता ने रोका। तो मोदी जी को ये बात समझ में आ गई कि पूरे देश में जीत मिलने के बाद ऐसे कौन से कारण है कि देश की राजधानी दिल्ली के अंदर उनके जीत का रथ रूक गया और उनको समझ आया कि ये सब इसलिए हुआ कि पूरे देश में दिल्ली पहला राज्य है जहां 49 दिन की सरकार में रिश्वत लगभग खत्म हो गई थी; गुंडागर्दी लगभग खत्म हो गई थी और पुलिस के द्वारा उत्पीड़न लगभग खत्म हो गया था। उन्हें लगा कि दिल्ली की जनता उस 49 दिन की सरकार के टाइम को नहीं भूली है, इसीलिए मोदी लहर के अंदर भी दिल्ली के अंदर 70 में से 67

सीट आम आदमी पार्टी को दे के दिल्ली की जनता ने न केवल इतिहास रचा बल्कि उस आशा को जन्म दिया कि अगर देश की राजनीति बदल सकती है, अगर गुंडागर्दी बदल सकती है, अगर पुलिस की ज्यादती खत्म हो सकती है, अगर रिश्वत खत्म हो सकती है तो वो केवल अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली के अंदर खत्म हो सकती है। इस बात से वो इतने घबरा गए कि उन्होंने तभी एक षड़यंत्र रचा; वो षड़यंत्र ये था कि वो दो कारण हैं जिसकी वजह से अरविंद जी और उनकी पार्टी की पब्लिक के अंदर ख्याति बढ़ी, लोगों ने उसको पसंद किया। उसमें पहला कारण की ये निडर हैं, जनता के हक में फैसले लेने से डरते नहीं है। तो ऐसा किया जाए... एन्टीकरप्शन ब्रांच को इनसे छीन लो। तो वे तो हमारे चुनाव से पहले ही, उन्होंने केन्द्र में आने के बाद 23 जुलाई, 2014 को एन्टीकरप्शन ब्रांच को दिल्ली की सरकार से, केन्द्र के जो ऑफिसर्स थे, जो केन्द्र के अधीन थे या दिल्ली सरकार के अधीन नहीं थे उनको अलग कर दिया और हमारी सरकार बनने के बाद पूरी तरह से एंटीकरप्शन ब्रांच पर उन्होंने कब्जा कर लिया। दूसरा, उन्होंने गृह मंत्रालय से... दूसरा, एक और नोटिफिकेशन निकाला 21/5/2016 को जिसके माध्यम से सर्विसेज डिपार्टमेंट को दिल्ली सरकार से छीन लिया। कोई भी विभाग हो, दिल्ली सरकार के किसी भी विभाग को आप उठाके देख लें, क्या वो सर्विसेज के बिना चल पाएगा। अगर सरकार को पंगु करना है, चूंकि ये जो ब्यारोक्रेटस जो हैं, ये बहुत ही तेज दिमाग वाले लोग होते हैं, इन्होंने अपने ब्रेन का इस्तेमाल किया और केन्द्र की सरकार को उन्होंने सजेशन दिया कि दिल्ली सरकार को या दिल्ली के अंदर जो, जिसकी सरकार है; आम आदमी पार्टी की, अगर पूरे देश में उसको रोकना है तो इसको कमजोर कर दो। इसको ऐसा कर दो की ये स्थिर ना रह पाए, ये जनता के बारे में फैसले तो ले सके पर उनको लागू ना कर पाए, चूंकि अल्टीमेटली

क्रियान्वयन का काम तो ब्यूरोक्रेसी का है और ब्यूरोक्रेसी जो सर्विस डिपार्टमेंट है, वो अगर दिल्ली सरकार से छीन लिया जाएगा तो ब्यूरोक्रेसी इनके इशारे पे काम नहीं करेगी, दिल्ली के चुने हुए प्रतिनिधियों के कहने पर काम नहीं करेगी, बल्कि चूंकि वो... जब होम मिनिस्टरी ने उसको ले लिया तो फिर वो होम मिनिस्टरी के इशारे पे काम करेगी। इस साजिश के तहत दिल्ली सरकार से एंटीकरप्शन ब्रांच और सर्विस डिपार्टमेंट को छिना गया।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं; आगे बढ़ने से पहले, अगर 49 दिन की सरकार के टाइम पे कितने मुकदमें एंटीकरप्शन ब्रांच में दर्ज हुए और दुबारा जब 2015 में हमारी सरकार बनी, 14 फरवरी को ओथ हुई उसके बाद एंटीकरप्शन ब्रांच छिनने तक, वो जो पुलिस वाले को, जो रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा था, तब तक कितने मुकदमें एंटीकरप्शन ब्रांच में दर्ज हुए; रिश्वत के। और हमसे लेने के बाद से, जब से ये केन्द्र ने एंटीकरप्शन ब्रांच पे कब्जा किया, इसके आंकड़े भी सरकार के द्वारा सामने आने चाहिए। हमारे सदन को उसकी जानकारी मिलनी चाहिए कि उसके बाद टोटल कितने मुकदमें एंटीकरप्शन ब्रांच में दर्ज हुए और उनपे क्यों कार्रवाई हुई, कितने लोग अरेस्ट हुए। आप जानकर हैरान होंगे, शायद आम आदमी पार्टी के एमएलएज या मंत्रीज के खिलाफ हुई एफआईआर से अलग, शायद एफआईआर की गिनती दस तक भी नहीं पहुंच पाएगी। पूरे तरीके से एंटीकरप्शन ब्रांच को इन्होंने एकदम से टूल के रूप में इस्तेमाल किया पोलिटिकल टूल बना दिया और उसके द्वारा जो लगाम लगती थी रिश्वत पर काफी हद तक वो लगाम ढीली हो गई। तत्पश्चात् मजबूरी में जो हाईकोर्ट में हम लोग को जाना पड़ा और हाईकोर्ट में, किस दबाव में मैं ये तो नहीं कहूंगा, चूंकि कोर्ट एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, स्वतंत्र है, तीन जो सरकार के अंग होते हैं, उनमें तीनों इंडिपेंडेंट होते हैं तो किस वजह से वो निर्णय आया, मैं व्यक्तिगत किसी जजेज पर कहने की बजाय, मैं ये

जरूर कहूंगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं नहीं मान सकता कि हमारे केन्द्र की सरकार में बैठे हुए लोगों को या एलजी साहब को या ब्यूरोक्रेट्स को ये न पता हो कि 239एए के अंदर कौन सी पॉवर दिल्ली की चुनी हुई सरकार को दिल्ली की असैंबली को मिली है। कौन से जो एन्ट्री–वन, टू और एटीन की बात है, वो सबको पता है, कोई भी पढ़ा–लिखा आदमी अगर उसको पढ़े तो उसको समझ आ जाता है कि ये तीन सब्जेक्ट छोड़कर बाकी सारे सब्जैक्ट दिल्ली की असेंबली के अधीन आते हैं। लेकिन जानबूझकर एक षड़यंत्र के तहत दिल्ली की सरकार को कमजोर करने के लिए दिल्ली की जनता से बदला लेने के लिए और कहीं आम आदमी पार्टी पूरे देश में अपने इस जुझारू कार्य–शैली की वजह से न फैल जाए, उसको रोकने के लिए षंड़यंत्र रचा गया।

ekuuh; vè;{k % गौतम जी, कन्क्लूड करिए, प्लीज।

ekuuh; lekt dY;k.k e=h % ये सारा षडयंत्र आम आदमी पार्टी को देश में आगे बढ़ने से रोकने की एक साजिश के तहत लिया गया और उसके बाद जो जजमेंट 4 जुलाई को आया; जजमेंट अपने आप स्पष्ट है। वैसे उस पर बोलने को तो सारे सदस्यों ने उलट ही बोला है। जजमेंट क्लीयर है, दिल्ली की जनता की उसमें जीत हुई है, कानून की जीत हुई है, भारत के संविधान की जीत हुई है जो अनाधिकृत चेष्टा करके उन्होंने दिल्ली की सरकार के अधिकार पर जो कब्जा किया, उसको पूरी तरह कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया। उसके बाद जान–बूझकर उसके बावजूद भी अगर सर्विसेज डिपार्टमंट पर इन्होंने कब्जा करके रखा है। वैसे तो ये कंटैम्ट ऑफ कोर्ट है लेकिन बड़ा ही दुःखद है जो नहीं होना चाहिए। वो सब हमारे देश के अंदर हो रहा है और देश दिल्ली ही नहीं, पूरे देश की जनता आने वाले समय में उसका जवाब इनको देगी। लेकिन एक प्रश्न जरूर

होता है; मैं अपनी बात खत्म करने से पहले ये जरूर सदन के सामने रखना चाहूंगा कि ये प्रश्न जरूर पैदा होता है कि इस तीन–सवा तीन साल का टाइम जो दिल्ली की सरकार का दिल्ली की जनता का जो इन्होंने वेस्ट किया है। इसका खामियाजा कौन भुगतेगा? दिल्ली की जनता ने खामियाजा भुगता लेकिन क्या ऐसे लोगों को भी कोई सजा मिलेगी; क्या कोई जवाबदेही सुनिश्चित होगी? क्या बहुत बड़ी हैवी पैनल्टी सुप्रीम कोर्ट को नहीं लगानी चाहिए थी कि उन्होंने दिल्ली की सरकार के काम को लगभग साढ़े तीन–सवा तीन साल तक रोक दिया है? दिल्ली की प्रोग्रेस ही नहीं रोकी बल्कि दिल्ली के होने वाले बड़े–बड़े कामों को उन्होंने अड़चन पहुंचाई और ये तो संविधान के तहत जो चुनाव लड़ता है; जीतता है। सरकारें बनती है, सरकारें आती हैं, जाती है। सरकारों के काम में अगर इस तरह इल विल से कोई सेन्टर में बैठी हुई सरकार अगर अड़चनें पैदा करेगी तो इससे फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉस्टिट्यूशन तो डैमेज होता है, इससे विकास रूकता है इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए कि वो कौन से कारण हैं, कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, उनकी भी जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ... चूंकि बाकी ज्यादातर मुद्दों पर हमारे सम्मानित सदस्यों ने अपनी बात रखी है, मैं उसको नहीं दोहराऊंगा, मैं सदन का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूं, बहुत–बहुत धन्यवाद, जय हिन्द।

ekuuh; vè;{k % धन्यवाद, गौतम जी, श्री विजेन्द्र गुप्ता जी।

Jh fotUn xIrk % अध्यक्ष जी, कल आपने ओम प्रकाश जी का भी नाम लिया था।

ekuuh; vè;{k % भई देखिए, तीनों को मैं बुलवा नहीं सकता।

Jh fotUn xIrk % ये तो आपको तय करना है। नेता विपक्ष जो है...

ekuuh; vè;{k % अब ये समझे आज आपने नाम दिया तो सलाह करके...

---¼O;oèkku½

Jh fotUn xIrk % उसको अगर सत्ता में पार्टी का नहीं आएगा इस विषय पर...

ekuuh; vè;{k % ऐसा है, विजेन्द्र जी, परसों थे नहीं। मैं तो दो ही लोगों को लूंगा। आज आपकी स्लिप आई; विजेन्द्र जी की आ गई। ये 67 लोग...

Jh fotUn xIrk % मेरी स्लिप की जरूरत भी नहीं है।

ekuuh; vè;{k % आपने बोलना है तो बोलिए, नहीं मैं अगला नाम बोल रहा हूं। प्लीज, टाइम वेस्ट मत करिए सदन का। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं।

Jh fotUn xIrk % अध्यक्ष जी, सदन में किसी विषय पर चर्चा हो रही है और विपक्ष का..

ekuuh; vè;{k % देखिए परसों मैंने... आपने बोलना है तो बोलिए, मैं समय दे रहा हूं।

Jh fotUn xIrk % हमारा ये कहना है कि जब आपने नाम घोषित किया था तो सदस्यों को बुलवाना चाहिए।

ekuuh; vè;{k % मैं बोल रहा हूं ओम प्रकाश जी को, आप बैठ जाइए। आपका नाम घोषित नहीं किया था मैंने। नहीं, विजेन्द्र जी, आपने बोलना है तो बोलिए।

Jh fotUn xIrk % आप इसको ऐसे अंडरमाइन कैसे कर रहे हैं?

ekuuh; vè;{k % नहीं, आपको बोलना है या नहीं बोलना है; ये बताइए।

Jh fotUn xIrk % एक इतने महत्वपूर्ण विषय पर अगर ऑफिशियल व्यू हमारा नहीं आएगा तो कैसे होगा?

ekuuh; vè;{k % मैंने विजेन्द्र जी को बोलने का, आपको मौका दिया। आपकी स्लिप आई। या ओम प्रकाश जी बोल लीजिए या आप बोल लीजिए।

Jh fotUn xIrk % ये ठीक नहीं, आपने नाम तो अनाउंस तो कर दिया था, आपने जब नाम अनाउंस किया था कल, उसके बावजूद आप नहीं करते आप अनाउंस।

ekuuh; vè;{k % आप बोलिए।

Jh fotUn xIrk % आपने किया था तो इसलिए मेंबर को बुलवाना चाहिए।

ekuuh; vè;{k % आपको स्लिप नहीं देनी चाहिए थी मुझे आज। आज मैंने किसी की स्लिप एक्ससेप्ट नहीं की है।

Jh fotUn xIrk % अध्यक्ष जी, मैं चाहूंगा कि विपक्ष का इस विषय में एक विधिवत वक्तव्य यहां रिकॉर्ड होना चाहिए। लेकिन देखा जाता है कि सदन में सत्तारूढ़ दल के सदस्य विपक्ष की भावनाओं को यहां पर सही प्रकार से व्यक्त करते वक्त टोका—टाकी करते हैं। तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप इनको रोकिए। क्योंकि एक गंभीर मामला है। अगर ये गंभीर है इस पर चर्चा पर तो गंभीरता से विषय जनता के बीच में जाना

चाहिए। उसको रोकने के लिए बार–बार इनके साथ हुआ, आज मेरे साथ हुआ। अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अपनी बात कहने में दिक्कत आएगी। अध्यक्ष जी, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आप मुझे सीमित समय में पूरा मौका देंगे कि मैं अपनी बात पूरी कर लूं।

चार जुलाई को सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया और वो आदेश कांस्टिट्यूशनल बैंच का था, पांच जजों की बैंच जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया स्वयं उसका हिस्सा थे। वास्तविकता में वो आदेश भारत के संविधान की धारा 239एए की व्याख्या है। हम सब जानते हैं कि ये 239एएए 110वां जो मुझे एक्जैक्ट नहीं है, कौन सा संशोधन है लेकिन उस संशोधन के तहत 239एए को जोड़ा गया 1992 में और 1991–92 में जब उसको जोड़ा गया तो दिल्ली का ये विशेष दर्जा 239एए से प्रारंभ हुआ। 239एए दिल्ली को विशेष दर्जा देता है जिसमें ये असेंबली दी गई और उसको कहा गया कि अगर उसकी कम शब्दों में दो–तीन शब्दों में कहना चाहूंगा तो यूनियन टेरिटरी विद असेंबली। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में दो बात बहुत महत्वपूर्ण कही गई और भी बहुत सारी महत्वपूण की गई। लेकिन जो सत्ता पक्ष को ध्यान में रखने की जरूरत है; पहला कि दिल्ली केन्द्रशासित क्षेत्र है और इसे पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये बात कही और दूसरा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रजातंत्र में अराजकता के लिए कोई स्थान नहीं है। तो ये दो बातें विशेष रूप से सत्तारूढ़ दल को समझने की जरूरत है कि वो एक मुद्दे के लिए और अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए वो कृपया करके लोगों को गुमराह न करे। क्योंकि 1993 से लगातार इसी व्यवस्था के तहत दिल्ली में इससे पहले भी पांच बार विधान सभा का गठन हुआ था और ये छठी विधानसभा का गठन हुआ और इससे पहले भी सरकारों ने काम किए हैं। जबकि केन्द्र में और दिल्ली

में पहले 10 वर्ष लगभग 1993 से... और ये स्थिति 2004 तक 11 साल दिल्ली में स्थिति ऐसी थी कि केन्द्र में एक पार्टी की सरकार थी और दिल्ली में दूसरी पार्टी की सरकार थी। लेकिन कभी इस तरह का संवैधानिक संकट उत्पन्न नहीं हुआ। अब बात आती है कि कान्स्टिट्यूशनल बैंच का जो फैसला है वो 239एए की व्याख्या है लेकिन उससे पहले मैं अध्यक्ष जी, आपको माध्यम से कहना चाहता हूं कि 21 मई, 2015 को भारत सरकार का एक नोटिफिकेशन आया था और उस नोटिफिकेशन में किसके क्या अधिकार हैं या क्या गाइडलाइंस है; उस पर एक स्पष्ट व्यू दिया था और वो डायरेक्शन जो है, वो नोटिफिकेशन जो है, वो लागू हो गया था। उस नोटिफिकेशन के विरुद्ध दिल्ली की सरकार हाईकोर्ट गई थी, ये हमको समझना पड़ेगा। हाईकोर्ट में उस पर लगभग एक वर्ष से अधिक समय तक उस पर विचार—विमर्श हुआ; सभी पक्षों ने अपनी बात कही और सितंबर 2016 को हाईकोर्ट ने 21 मई का जो नोटिफिकेशन था जिसमें सर्विसेज भी विषय था, जिसमें एसीबी भी विषय था और जिसमें और भी बहुत सारी चीजें थी। उस 21 मई, 2015 के आदेश को हाईकोर्ट ने अपहेल्ड किया, सही ठहराया और दिल्ली की सरकार हाईकोर्ट में उस केस को हार गई अर्थात् 21 मई, 2015 का नोटिफिकेशन स्थापित रहा। चार जुलाई को जो 239एए में व्याख्या की गई है; उसमें सुप्रीम कोर्ट ने 21 मई, 2015 के नोटिफिकेशन पर कोई फैसला नहीं दिया; ये मैं अंडरलाइन करके कह रहा हूं और हाईकोर्ट में दिल्ली की सरकार उसको हार चुकी है यानी कि 21 मई, 2015 का आदेश हाईकोर्ट में अपहेल्ड किया और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कोई कॉग्निजेंस नहीं लिया और पैरा 278.. सुप्रीम कोर्ट जजमेंट का पैरा 278 में एक सिंगल लाइन में क्योंकि ऐसे नौ मामले हैं जो सुप्रीम कोर्ट... जो हाईकोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जिन पर फैसले होने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली कहा; उन नौ के नौ मामले जिसमें सर्विसेज का इश्यू कहिए

है, आप एसीबी का कहिए, है उसमें आप जो सर्कल रेट डिसाइड होने है, उसका विषय कहिए। उसमें लिखा जो रेफरेंस को लेकर के सुप्रीम कोर्ट दिल्ली की सरकार गई थी, उसके बारे में लिखा थाः 'रेफरेंस इज आन्सर्ड ऐऑर्डिंगली'; यानी कि जो मामला हमारे समक्ष था उसको और हमने the reference is answered accordingly, matter be placed before appropriate regular bench अर्थात् जो मामला हमारे सामने आया, वो उस पर हमने पूरा रिप्लाई कर दिया है। जो मैटर्स हैं वो अप्रोप्रिएट रेगुलर बैंच जो है; सुप्रीम कोर्ट की, वो उसको सुनेगी और उस पर फैसला देगी। लेकिन सवाल ये है कि जब तक एक तरफ दिल्ली की सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है और मेंशन करती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने कि आप जो रेगुलर बैंच है, वो जल्दी सुनवाई करें; सर्विसेज के मामले पर डिसाइड करे। ये खुद दिल्ली की सरकार ने वहां जाकर बोला है। एक तरफ आप अदालत में कहते हैं कि उन मामलों को डिसाइड करिए और दूसरी तरफ आप जनता के बीच में ये कहते हैं कि हमें सर्विसेज दे दिया गया है। ये जो गुमराह करने की राजनीति है, मैं इसका विरोध करता हूं। कभी आप अधिकारियों को दोष देते हैं, कभी आप उपराज्यपाल को दोष देते हैं, कभी आप भारत सरकार को दोष देते हैं, कभी आप उपराज्यपाल को दोष देते हैं, कभी आप भारत सरकार को दोष देते हैं। आपके कितने मामले ऐसे हैं जिनका कोई कभी भी.. जिसका कोई, अब जैसे आज सीसीटीवी कैमरे का भी... उपराज्यपाल की इसमें भूमिका ही नहीं है। आपने अगर आज अप्रोप्रिएशन ऑफ... ये जो बिल पास किया है तो ये क्या है? ये आपका अधिकार है, आप पास करते हैं और फाइनेंस का मामला है तो वो जहां भी जाएगा, वो एक सिस्टम है; एक रेगुलर रूटिन है। लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को तोड़–मरोड़ कर जनता की बीच में पेश करना जो जिम्मेदारियां दिल्ली की सरकार की

थी और उनके अधिकार क्षेत्र में था, उस पर अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए सरकार ने बार–बार गुमराह करने की कोशिश की है। पूरे मामले में जिम्मेदारी से व्यवहार करने की जरूरत है दिल्ली की सरकार को और इस पूरे मामले में हमें अपने संवैधानिक व्यवस्थाओं का समान करना चाहिए और उसी के अनुसार दिल्ली की सरकार को दिल्ली के लोगों के लिए काम करना चाहिए, धन्यवाद।

ekuuh; vè;{k % आज विजेन्द्र जी उस फ्लों में नहीं बोल पाए हैं जिसमें वो हमेशा बोलते हैं। आदरणीय सत्येन्द्र जैन जी।

ekuuh; LokLF; e=h ¼Jh lR;Un tu½ % आदरणीय अध्यक्ष महोदय...

---¼O;oèkku½

ekuuh; vè;{k % नहीं अब कुछ नहीं। नहीं प्लीज। वो माननीय मंत्री बैठे हैं, विश्वास होना चाहिए आपको उन पर।

ekuuh; LokLF; e=h % अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता ने अभी जो दलीलें दी, आपकी बात से मैं सहमत हूं कि उन्हें भी अंदर तक पता है कि सारी खोखली दलीलें हैं। सुप्रीम कोर्ट का कांस्टिट्यूशन बैंच ने जो फैसला किया, जो व्याख्या की संविधान की उसको अब कोई भी का मतलब. .. कोई भी उसको बदल नहीं सकता है और व्याख्या के अंदर उनके पास जो रेफरेंस गया था। उनको रेफरेंस ये गया था कि बताया जाए; दिल्ली की स्थिति क्या है। कांस्टिट्यूशन के संदर्भ में क्या स्थिति है और उन्होंने व्याख्या करके अच्छी तरह बता दिया; क्या स्थिति है। मैं दो चीजें बस बताना चाहूंगा कि सर्विसेज के बारे में क्या इश्यू है, क्यों नहीं मान रहे हैं। आज ये कहते हैं कि हाईकोर्ट का ऑर्डर लागू है। हाईकोर्ट के ऑर्डर में कहा गया था; एलजी साहब की कंकरेंस जरूरी है। एलजी साहब के

ऊपर एड एंड एडवाइज बाइंडिंग हैं। 4 जुलाई, 2018 के बाद से वो कंडीशन तो खत्म हो गई। अगर हाई कोर्ट का ऑर्डर लागू था तो वो कंडीशन खत्म कैसे हो गई; समझ नहीं आया। एलजी साहब ने खुद मुख्य मंत्री जी को पत्र लिखके एक्सेप्ट किया कि जी ये जीचें मैं मानता हूं, पर सर्विसेज नहीं छोड़ सकता। क्यों नहीं छोड़ सकता? उसका कारण है। मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा। मेरी कुछ अधिकारियों से बात होती है, कुछ पूर्व अधिकारियों से बात होती है। मैंने उनसे कहा कि भई आप सरकार के आदेशों का पालन क्यों नहीं कर रहे? आप कन्टेंप्ट ऑफ कोर्ट क्यों कर रहे हैं? साफ साफ कंटेंप्ट हैं। बहुत जगह उन्होंने लिख लिखके भी कन्टेंप्ट किया। कई जगह कैसे किया है। कहते हैं, "जो, we are bound to act on the directions of the superiors." मैंने कहा, "भई सुपीरियर तो हम हैं, सरकार हैं। आपको डायरेक्शन दे रहे हैं, आप मानते क्यों नहीं हैं?" उन्होंने मुझे चार बातें बताई; पहली बात कि सर जी, हमारी एसीआर कौन लिखता है; अल्टीमेटली एलजी साहब लिखते हैं। विजिलेंस डिपार्टमेंट किसे पास है; एलजी साहब के पास है। एसीबी किसके पास है जो हमें उठा के पकड़ सकती है; वो एलजी साहब के पास है और तो और कहते हैं ट्रांसफर—पोस्टिंग भी एलजी साहब के पास है। अगर ये सारी की सारी पॉवर उनके पास है तो सर चाहे सही और चाहे गलत हो; लीगल हो या इल्लीगल हो, बात तो उनकी माननी पड़ेगी आपकी बात मानना संभव नहीं है। जो डायरेक्शन वहां से आएगी वो डायरेक्शन हमें माननी बाध्य हैं। मैं इस बारे में ये ही कहूंगा कि अधिकारियों की इतनी गलती नहीं है जितनी कि पॉलिटिकल लोगों की है। वो उनको मजबूर कर रहे हैं। उनको कह रहे हैं कि भई आपको देखिएगा, हम काले पानी भेज देंगे। हम आपकी सीआर खराब कर देंगे। हम आपको एसीबी से पकड़वा देंगे। हम आपको ट्रांसफर कर देंगे, वो सारे डरों की वजह से वो ऐसा का करे हैं। नेता

प्रतिपक्ष ने अभी कहा कि हमारी सरकार बनने से पहले 20 साल से सरकारें चल रही थी। वो अपने दिल पे हाथ रखकर कहें कि पहले 20 सालों के अंदर सर्विसेज की पॉवर, ट्रांसफर—पोस्टिंग की पॉवर, एसीबी की पॉवर किसे पास थी। ये सारी की सारी पावर्स 2015 के अंदर नोटिफिकेशन करके केन्द्र सरकार ने गलत तरीके से हड़पने की कोशिश की। ये उनको पता है। कह रहे हैं; सरकार तो पहले भी चलती थी। अरे भाई साहब, चलती तो थी, कभी ऐसा नहीं हुआ सदन के प्रश्नों के जवाब नहीं आए हों और मना कर दिए गए हों कि हम जवाब देंगे ही नहीं। आप एक और निकलवा लीजिएगा; एमसीडी ने कभी जवाब न दिए हों, डीडीए न दिए हों, पुलिस ने न दिए हों। सबने जवाब दिए थे पहले। आज कोई जवाब देने को तैयार नहीं। कहते हैं, "हम जवाब नही देंगे क्योंकि हमें डायरेक्शन है, हम जवाब न दें।"

एक डिसक्शन चल रहा था स्कॉलरी डिसक्शन चल रहा था। एक बहुत ज्ञानी हैं विजेन्द्र गुप्ता जी के जैसे हैं। अच्छी नॉलेज है उनको। बाकी मैं इज्जत करता हूं नॉलेज की, जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया तो उनसे मैंने कहा कि देखो जी, अब तो ऑर्डर आ गया। अब तो मानना चाहिए आप लोगों को। वो कह रहे हैं, "सर, चीज बताओ। इस ऑर्डर के अंदर एक चीज बता दीजिएगा जो संविधान में पहले से लिखी नहीं थी। 'रेप्रजैनटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी' हमारे संविधान का मूल मंत्र है। हमारे संविधान के अंदर जनता चुनती है अपने प्रतिनिधियों को और वो प्रतिनिधि सरकार बनाते हैं और उससे सरकार चलती है। ये पहला मंत्र है, इसके बिना तो कुछ है ही नहीं। वो ही तो सील है संविधान की। डायरेक्ट इलेक्शंस कहते हैं, दिल्ली की असेम्बली के डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं नोमिनेटिड मेंबर नहीं है एक भी। पॉडिचेरी के अंदर डायरेक्ट इलेक्शन होते

हैं नोमिनेटिड मेंबर नहीं है एक भी। पॉडिचेरी के अंदर डायरेक्ट इलेक्शन एंड नोमिनेशन दोनों होते हैं। जहां पर डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, वहीं पर रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी होती है। कहते हैं, 'ये भी पहले से लिखा हुआ है।' संविधान में लिखा हुआ हैः 'Responsible government, Responsible form of goverhnment.' हमारे संविधान के अंदर साफ–साफ लिखा गया है कि केन्द्र जो हमारी सरकार बनेगी वो जनता के प्रति रेस्पोंसिबल है; लेजिस्लेचर के थ्रू; विधायकों के थ्रू; अपने रिप्रेंजेटेटिव के थ्रू, वो उनके प्रति जवाबदेह है। अगर वो अपनी रेस्पॉन्सिबिल्टी का पालन ठीक से नहीं करते हैं जनता के हित में, कानून नहीं बनाते हैं, जनता के हित की पॉलिसीज नहीं बनाते हैं तो जनता उनको बदल देगी। ये उसके अंदर साफ–साफ लिखा हुआ है। उन्होंने और बताया कि उसके अंदर लिखा हुआ है। कन्करेंस कहां लिखा है कि एलजी की कन्करेंस चाहिए? कहीं नहीं लिखा हुआ। एड एंड एडवाइस साफ–साफ लिखा है; 239एए के अंदरः 'There will be a council of ministers to aid and advice Lt. Governor of Delhi.' 239एए" के अंदर साफ–साफ लिखा हैः 'There will be a council of ministers जो एलजी को एंड ऐण्ड एडवाइस देगी।' और एंड ऐण्ड एडवाइस क्या है? इसका लिटरली मीनिंग ये नहीं है कि एलजी साहब के पास एडवाइस देंगे और वो मानेंगे या नहीं मानेंगे। इसका मतलब ये होता है कि एलजी साहब के नाम से काम किया जाएगा। जैसा कि गवर्नर के नाम से काम किया जाता है; जैसा कि राष्ट्रपति के नाम से काम किया जाता है; और यही हमारी डेमोक्रेसी का मंत्री है। सारी की सारी एक्जीक्यूटिव पॉवर की बात करते हैं हम। सारी की सारी एक्जीक्यूटिव पॉवर राष्ट्रपति के नाम केन्द्र में होती है। राज्यों के अंदर सारी की सारी एक्जीक्यूटिव पॉवर गवर्नर के पास होती है और दिल्ली के अंदर सारी एक्जीक्यूटिव पॉवर एलजी के पास होती है परंतु उस एक्जीक्यूटिव पॉवर को यूज करने का तरीका संविधान

में बखूबी बताया है। केन्द्र के अंदर काउन्सिल ऑफ मिनिस्टर्स सारी एक्जीक्यूटिव पॉवर एक्सरसाइज करती है, स्टेट्स में भी काउन्सिल ऑफ मिनिस्टर्स करती है और दिल्ली के अंदर भी काउन्सिल ऑफ मिनिस्टर्स को सारी एक्जीक्यूटिव पॉवर दी गयी है; एक्सेप्ट तीन सब्जेक्ट को छोड़कर जिसके लिए हमारी एसेम्बली को पॉवर नहीं दी गयी है। वो है एक पब्लिक ऑर्डर, आईटम नंबर—1, दूसरा पुलिस और 18 लैंड। इन तीन मैटर्स के अंदर सारी की सारी एक्जीक्यूटिव पॉवर राष्ट्रपति के पास है और उनकी डेलीगेटेड पॉवर एलजी के पास है। इतना सब कुछ क्लीयर लिखा हुआ है। संविधान के अंदर लिखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने सबको क्लेरिफाइ कर दिया। वो बोले मुझसे... अधिकारी थे कि जो संविधान में लिखा था, वही सुप्रीम कोर्ट ने आपको दुबारा से बता दिया और उसको भी हम नहीं मानते। भई, जो पहले था अभी भी वहीं है। उसको भी हम नहीं मानते। पहले आपके साढ़े तीन साल खराब कर दिए। तीन—चार महीने और खराब कर देंगे। कहते हैः "कहते हैः "दिस इज राइटिंग ऑन द वाल" कि क्या फैसला है; सबको पता है। कहते हैं दो—चार महीने खराब करने हैं ताकि आगे लोक सभा के इलेक्शन आ जाएं। इलेक्शन आएंगे। आचार संहिता लग जाएगी। फिर कहेंगे, "देखो, काम नहीं करने दिया।" एक ही बात है। अभी हमारे वकील साहब ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सर, मुझे 15 मिनट का समय चाहिए बस। अर्ली हीयरिंग कर लीजिएगा। केन्द्र सरकार के वकील बोले, "हमें तो कई दिन चाहिए जी।" क्यों चाहिए? कहते हैं, "सर, उलझाना ही तो है।" सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टीट्यूशन बेन्च ने लंबी सुनवाई के बाद फैसला दिया है। लंबी सुनवाई के बाद 565 पेज का कांक्रीट डिसीजन है। पांचों जजेज ने कांक्रीट डिसीजन दिया है। पांचों ने सहमति दी है और पांचों ने कहा है कि दिल्ली के अंदर लोकतंत्र है। जैसा कि पूरे देश

के अंदर लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र को, मैं समझता हूं, इस लोकतंत्र के मंदिर में हमें अपहेल्ड करना चाहिए और मैं सबके सामने कहना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश पारित किया है, वो लोकतंत्र की बहुत ही खूबसूरत व्याख्या है। मैं सभी सदस्यों से कहूंगा कि इस डाक्यूमैंट को शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ें। लोकतंत्र की समझ आएगी। पता लगेगा, लोकतंत्र क्या है। और हमें यह माना पड़ेगा जैसा कि अखिलेश जी ने बताया; संविधान सिर्फ शब्द नहीं है। शब्दों से भी बहुत आगे है। एक छोटी सी बात को कहना चाहूंगा, एनी जो प्रवाइजो हैं। प्रवाइजो क्या कहता है कि एलजी साहब अगर काउन्सिल ऑफ मिनिस्टर के किसी डिसीजन से सहमत नहीं है तो उस डिसीजन को राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं, दैट इज अ प्रोविजो, उसके बारे में व्याख्या की गयी है। ऑर्डर के अंदर कम से कम दस पेज के अंदर। उसमें कहा गया है कि ऐनी डज नॉट मीन एवरी। एनी का मतलब हर केस को नहीं भेज सकते आप। सिर्फ एक्सेप्शनल केसेज को भेज सकते हैं जिसका कि कोई रेलेवेन्स बनता हो। अदरवाइज जिसका संबंध केन्द्र सरकार से और राष्ट्रनीति से हो। रोज—रोज के मैटर्स आप नहीं भेज सकते हैं। इतनी व्याख्या की और उन्होंने कहा कि लोकतंत्र सबसे बड़ी बात क्या है। आदमी है, अगर उसके अंदर जीवन है, आत्मा है तो जीवन है नहीं तो नहीं है; अरे! मरे हुए आदमी के ऊपर कुछ नहीं कर सकते आप। ये जीवित लोकतंत्र है। जीवित संविधान है। इस जीवित संविधान की आत्मा क्या है लोकतंत्र है। हमें लोकतंत्र को लागू रखना चाहिए और मैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश का बहुत—बहुत स्वागत करता हूं और मैं मान के चलता हूं कि देर आये, दुरूस्त आये। हमारे साथियों को भी समझ में आ ही जाएगा थोड़े दिनों के अंदर, जय हिन्द, जय भारत।

ekuuh; vè;{k % आदरणीय उप मुख्य मंत्री श्री मनीष सिसौदिया जी।

ekuuh; mi eq[; ea=h % धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले एक छोटा शेर सुनाना चाहता हूं विजेन्द्र गुप्ता जी को:

2014 में बड़ी हवा थी,
भले बुझाने की जिद पर हवा अड़ी हुई है,
मगर चिराग की लौ और भी बढ़ी हुई है।
हमने सुना था 2014 में कोई हवा थी,
थी, सारे देश ने माना, उसी हवा के मुखातिब ये शेर था कि:
भले ही बुझाने की जिद पर हवा अड़ी हुई है,
मगर चिराग की लौ और भी बढ़ी हुई है।

खूब जिद करिए। खूब कोशिश करिए। ऐसी हवा कभी अंग्रेजों की भी थी अध्यक्ष महोदय। कहते है, 'उनके राज में कभी सूरज नहीं डूबता था।' उनकी तो ऐसी हवा थी। ऐसे नक्शे पर दिखाते थे वो। उस वक्त टी. वी. चैनल नहीं थे लेकिन अंग्रेजों को भी शौक था नक्शे दिखाने का। ये देखो, मुल्क, दुनिया के ग्लोब के हिस्से में हमारा इस हिस्से में हमारा। इस हिस्से में हमारा। और बैठ के, नक्शा देखके अभिभूत रहते थे। अब अभी है न भूत है। आज अंग्रेजों का नामलेवा नहीं है यहां पर। मैं इसलिए कह रहा हूं अध्यक्ष महोदय, क्योंकि उन अंग्रेजों को लगता था कि हमारा तो सूरज कहीं डूबता नहीं है और हम तो कुछ भी कर सकते हैं दुनिया में। हमेशा हमारी चलेगी दुनिया में। कोई हमारी हुकूमत को हिला नहीं सकता। लगता था हम दुनिया के पैदाइशी बादशाह हैं और दुनिया के अंतिम

बादशाह भी अब अंग्रेज ही बनेंगे लेकिन आज जब अंग्रेजों भारत छोड़ो की सालगिरह पर भी हमने आपने यहां पर जिक्र किया उस दिन, मैं कहना चाहता हूं कि क्योंकि अंग्रेजों भारत छोड़ो का तब 1942 में चला था तब भी उन अंग्रेजों को लगता था कि ये चार सौ—पांच सौ लड़के और एक ये धोती वाला वकील! क्या करेंगे ये? हमारी तो हवा है हवा। नक्शे पर हमारा राज; देखो, कहां—कहां है। इस ग्लोबल नक्शे पर राज देखो। ये ही अहंकार होता था उनको। आज इस अहंकार में वो हवा भी है जो लगी हुई है कि कोई चिराग जलके दिखाएं हम बुझा देंगे। इस 67 चिराग यहां जले हुए हैं इनको बुझा के तो दिखाता चार साल के अंदर। 66 रह गए कोई बात नहीं। अजी, एक को खरीद लिया आपने, नहीं तो बुझा तो वो भी नहीं था। हां, बता देंगे। चलिए, तो अध्यक्ष महोदय, इतिहास गवाह है कि उस फूल प्रूफ नक्शे वाले अंग्रेज जो पूरे देश पर ऐसे ही लहराते थे। पूरी दुनिया पर ऐसे ही लहराते थे। 1942 भी आया जिसका जिक्र आज हने किया। 1947 भी आया, जब देश को आजादी मिली। 1950 भी आया, जब देश में संविधान बना। 1952 भी आया, जब देश में पहला चुनाव लड़ा गया और जब 1950 आया। ये ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि मैंने कहा न कि 1950 आया और संविधान बना। 1935 भी आया था बीच में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना था। और उन्होंने कहा एक्ट—वैक्ट बना दो, पर लागू नहीं होने देंगे। ठीक से चलेगी हमारी। सब कुछ चलेगी। वाईसराय की चलेगी। वहां महारानी की। फिर उसके बाद 1947 भी आया और 1950 भी आया। 1952 भी आया; तारीख गवाह है अध्यक्ष महोदय, मै.. इसी संविधान का जिक्र किया, लीडर ऑफ अपोजिशन ने। पर मैं... उससे पहले मैं उस पर आऊंगा। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर भी मैं दो—चार बात रखना चाहता हूं। पर उससे पहले मैंने 4 अप्रैल, 2018 को सदन के समक्ष एक डाक्यूमैंट पेश किया था और वो डाक्यूमैंट था; एलजी का रिपोर्ट कार्ड।

1993 के बाद जब से विधान सभा बनी है। एलजी और विधान सभा चुनी हुई सरकार दोनों इन्स्टीट्यूशन एग्जिस्ट करते रहे तीनों लेकिन पहली बार इस विधान सभा में एलजी का आउटकम रिपोर्ट कार्ड पेश किया गया था। उसमें मैं कुछ रेफ्रेन्सेज देना चाहता हूं। उसमें मैंने कहा था कि माननीय उप राज्यपाल महोदय के पास संविधान के तहत तीन प्रमुख विभाग है; पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड। ट्रांसफर सब्जेक्ट में यानी बाकी सब्जेक्ट ट्रांसफर्ड हैं। सब्जेक्ट ट्रांसफर्ड में माननीय उप राज्यपाल महोदय की कोई सीधी भूमिका नहीं है। वो चुनी हुई सरकार के पास में है। उनका काम है चुनी हुई सरकार के काम पर सहमति देना या असहमत होने की स्थिति में डिफेन्स ऑफ ओपिनियन होना, देना और उसको राष्ट्रपति महोदय के पास भेजना। यही बात कही थी हमने; पूरा एलजी इस्टीट्यूशन है। उसका एक परसेन्ट, दो परसेन्ट हिस्से का काम है। ये सब जो मैंने जिक्र किया था एलजी के आउटकम में और 99 परसेन्ट काम है उनका पुलिस, लैंड और पब्लिक ऑर्डर। मैंने इस रिपोर्ट कार्ड में बताया था अध्यक्ष महोदय, कुछ चीजें में उल्लेख करूंगा कि कैसे ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट क्यों महत्वपूर्ण है। इस विधानसभा में क्यों चर्चा होनी चाहिए इस पर। क्यों अच्छा हुआ ये चर्चा हुई। हमने लोन स्कीम लागू की थी। मैं सिर्फ रिकलैक्ट कर रहा हूं उस भाषण से कुछ चीजें.. हमने लोग स्कीम लागू की थी दस लाख रुपए की, दिल्ली के होनहार बच्चों के लिए कि जो पढ़ना चाहते हैं आगे, गरीबी की वजह से पढ़ नही पाते। उसमें केलकुलेट करके मैंने बताया था, अध्यक्ष महोदय, कि एलजी साहब ने उस पर लिख दिया। हमने जब सारा प्रपोजल एलजी साहब के पास भेजा तो संविधान के तहत एलजी के पास पॉवर तो नहीं थी कि वो किसी प्रपोजल को लॉ डिपार्टमेंट को भेजे लेकिन जब कैबिनेट ने सारा अप्रूवल करके, क्योंकि संविधान की व्याख्या के तहत हमको फोर्स किया जाता था कि आप भेजिए और हाई कोर्ट के आर्डर

के बाद फोर्स किया जाता था कि आप भेजिए फाइलें, जब हमने फाइल भेजी तो एलजी साहब ने उस पर लिखकर भेजा लॉ डिपार्टमेंट इस पर क्वेश्चन करे, एलजी साहब के पास पॉवर नहीं थी। जब मैंने प्रैस कॉफ्रेंस करी और बहुत जोर–जबर्दस्ती करके जोर से मैंने कहा कि आप दिल्ली के बच्चों के भविष्य के साथ क्यों खेलना चाहते हैं, उसके बाद एलजी साहब ने वो फाइल क्लियर कर दी। लेकिन इसमें करीब 400 दिन लग गए, इस स्कीम कोबनाकर इसको इम्प्लिमेंट करवाने में। 400 दिन वेस्ट किए दिल्ली के बच्चों के। हम कोई काम करते थे, कोई फाइल लेकर आते थे; इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भेज दो, इसे लॉ डिपाटमेंट को भेज देता हूं मैं। इस पर फलाना भेजो, इस पर ढिकना भेजो, मैंने बहुत सारे उदाहरण दिए थे। 402 दिन लगे थे लोन वाली स्कीम पर। ऐसे मैंने कई और एग्जाम्पल दिए मौहल्ला क्लिनिक का सत्येंद्र जी ने बताया था। मौहल्ला क्लिनिक हमने बनाने के लिए भेजा कि एक हजार मौहल्ला क्लिनिक सरकार बनाना चाहती तो एलजी साहब ने लिखकर भेजाः 'Some comlaints about functioning of mohalla clinics related to hiring of private premises have been received.' इसलिए मौहल्ला क्लिनिक नहीं बनने दूंगा मैं। उसके बाद हमारे बहुत सारे विधायक साथी जाकर धरने पर बैठे, फिर वो कंप्लेंट पता नहीं कहां चली गई।, उसके बाद में मौहल्ला क्लिनिक का प्रपोजल भी आगे बढ़ा। 101 दिन लगे मौहल्ला क्लिनिक वाले प्रपोजल में।

इसी तरह से रोगी कल्याण समिति, एलजी साहब ने लिखकर भेजा दिया, ये सब ऐसे हैं जो तीन–तीन, चार–चार, छह–छह, आठ–आठ महीने तक, एक–एक साल तक प्रपोजल चले। रोगी कल्याण समितियां बनाई, उस पर लिखकर भेज दिया उन्होंने, इतनी सारी जन–स्वास्थ्य समितियों नहीं बनाई जा सकती। क्या महत्व है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का और क्या फायदा

मिल रहा है माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर का? 78 दिन तक बैठे रहे। कोई इन्होंने हॉस्पिटल की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करने के लिए सैंट्रल गाइड लाइन्सलागू की, उस पर एलजी साहब ने लिखकर भेज दियाः I am not sure that this is such a good idea. Chief Secy., Health Secretary may discuss with me' मंत्री से नहीं पूछा, सैंट्रल गाइड लाइन्स बन रही है हॉस्पिटल्स के लिए। सैंट्रल गाइड लाइन्स को अडोप्ट किया जा रहा था हॉस्पिटल के लिए, एलजी साहब लिखकर भेज रहे हैं क्योंकि उससे फायदा होना था। एलजी साहब लिखकर भेजते थे I am not sure this is such a good idea.' इन्होंने स्वास्थ्य बीमा की योजना बनाई, उस पर उन्होंने पूछा इसका रेशनल क्या है? अब सैंट्रल गवर्नमेंन्ट भी बनाने जा रही है; उस पर अब कोई नहीं पूछता रेशनल क्या है? अब तो हम भी बनाएंगे उसको। अब हमारे पास, सरकार के पास पॉवर है लेकिन उस वक्त उन्होंने फाइल लौटा दी, रेशनल क्या है इसका? इंप्लीमेन्टेशन ऑफ हैल्थ स्कीम थ्रू ऑटोनोमस सोसायटी। ऐसी बहुत सारी चीज थी जो मैंने रखा। मौहल्ला क्लिनिक में, इनकम क्राइटेरिया रखो, कैसे–कैसे आइडियाज आते थे वहां से। किसी में कहते थे इनकम क्राइटेरिया लगा दो। तो यह मैंने पूरी स्पीच निकलवाई थी कि मैंने किस तरह से, शहीद परिवारों का हमने भेजा कि शहीदों के परिवारों को मदद दी जाए तो उसमें उन्होंने कहा कि इस पर ऐसा करो, होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विस वेलफेयर वगैरह से ओपिनियन ले लो सैंट्रल गवर्नमेंट की। अरे! दिल्ली के लड़के, नौजवान जाकर देश के लिए शहीद हो रहे हैं, दिल्ली पुलिस के जवान शहीद हो रहे हैं अगर उनके परिवारों को सरकार इमीडिएट मदद करना चाहती है तो इसमें होम मिनिस्ट्री क्या करेगी? इसमें डिफेंस मिनिस्ट्री क्या करेगी, पर क्योंकि संविधान का मिस–इंटरप्रेटेशन करके, जान–बूझकर दिल्ली के कामों

को रोकने की साजिश रची जा रही थी, इसलिए अध्यक्ष महोदय, इस सरकार को सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा।

अब मैं आता हूं संविधान, जिसका इन्होंने जिक्र किया और जिसके बारे में हमें कहने जाना पड़ा कि साहब, सुप्रीम कोर्ट हमें क्यों जाना पड़ा। ये कह रहे थे 239एए (4), यह कहता है, दो पैराग्राफ हैं। अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से पढ़ देता हूं, मैं, There shall be a council of ministers consisting of not more than ten percent of the total number of Assembly with the Chief Minister at the head of... at the head to aid and advice the Lt. Governor in the exercise of his function.' एक मंत्रिमंडल होगा, मुख्यमंत्री उसके मुखिया होंगे और वो एंड ऐण्ड एडवाइज करेगा लेफ्टिनेंट गवर्नर को। यह संविधान में सारी जगह, जहां–जहां राज्य सरकारें हैं, वहां भी यह लिखा हुआ है; गवर्नर के बारे भी यह लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री होंगे एड ऐण्ड एडवाइज करने के लिए होंगे, यह कोई नई भाषा नहीं थी।

'In the exercise of his functions in relations to matters with respect to which the legislative Assembly has power to make law except in so far as he is or by under any law required to act in his discretion. वो तो अलग हो गई जैसे चांसलर का पद है या उनको तीन अलग से मिले हुए हैं, विभाग, अब यहां आया; 'Provided that in the case of difference of opinion between the Lt. Governor and his ministers on any matter, the LG shall refer it to the President for decision.' बाकी उसमें आगे हैं:

'According to the decision given to by precedent at law.' आगे आ गए 'any matter aid and advice or any matter....' इस पर सारा झगड़ा था। प्रोविजो, कि एलजी साहब जो है, यह बाकी राज्यों में नहीं है, बाकी राज्यों में भी

लिखा यही हुआ है; भाषा राज्यों में यही है कि राज्यपाल होंगे, मुख्यमंत्री होंगे और ये होंगे, मंत्रिमंडल होगा, राज्यपाल जो है मंत्रिमंडल की एक ऐंड एडवाइज पर काम करेंगे। यही लिखा हुआ है सारी जगह। इसमें प्रवाइजो और डाल दिया कि एनी मैटर पर डिफरक्स ऑफ ओपीनियन होगा तो एलजी साहब; नजीब जंग साहब जिनके पास हम जाते थे उस वक्त, जब से यह झगड़ा शुरू हुआ, वो कहते थे, 'नहीं, एनी मैटर का मतलब तो, क्योंकि मुझे तो सारे मैटर पर चैक करना पड़ेगा, सारे मैटर हैं इसलिए सारी फाइलें मेरे पास आएंगी। मैं इसको इसी तरह से इंटरप्रिटेट करता हूं।' ऐसा उन्होंने कहा। हमने हाथ जोड़े, उनसे गिड़गिड़ाए कि साहब, यह इंटरप्रेटेशन संविधान का ठीक नहीं है। संविधान एनी मैटर कह रहा है। एनी मैटर का मतलब सब मामले नहीं हैं। संविधान कह रहा है चुनी हुई सरकार होगी, इलैक्शन कमीशन है, व्यवस्था है, लोकतंत्र है, डेमोक्रेटिक संविधान है, चुनी हुई सरकार को राइट दे रहा है संविधान, आप एनी मैटर को एवरी मैटर इंटरप्रिटेट मत करिए.

---¼0 ; oèkku½

ekuuh; mi e[; e=h ½ आ रहा हूं मैं, सुन लीजिए। मैं बता रहा हूं। एक मिनट सुन लीजिए। हम कहते थे बार–बार कि साहब यह एनी मैटर है, एवरी मैटर मत कहिए। बोले नहीं, नहीं हर फाइल मेरे पास आएगी, मैं ही सरकार हूं, एंड ऐंड एडवाइज का कोई मतलब नहीं है। आप लोग जो भी करो, एनजीओ टाइप में कोई जिडसिजन ले लो और उसके बाद में मेरे को भेज यिा करना, मैं तय करूंगा। उसी के तहत ये इतने सारे... 'This is not a good idea.' होम मिनिस्ट्री को भेज दो, फाइनेंस मिनिस्ट्री को भेज दो, डिफेंस मिनिस्ट्री को भेज दो, डिफेंस मिनिस्ट्री को भेज दो, लॉ सेक्रेटरी मेरे से आकर मिल लें, at his convenience. मिनिस्टर से नहीं

पूछेंगे, रेशनल क्या है?ये सब उसी तहत.. कहां हम बार–बार कहते रहे कि साहब दिल्ली की जनता ने चुनकर भेजा है, जो जनता चुनकर भेज रही है, उसके लिया हमें काम करने दो। बोले, "नहीं, नहीं, काम तो मैं करूंगा, संविधान मुझे पॉवर देता है काम करने की। तुम तो सिर्फ जो है डिसिजन लेकर मेरे पास भेजते रहो, मैं पूछ लूंगा रेशनल क्या है? मैं बताऊंगा इसको डिफेंस मिनिस्ट्री भेजो कि नहीं भेजो।" हम बार–बार कहते रहे, "साहब, इसके काम रुक रहे हैं, आप मान जाइए भारत सरकार में भेजने का।" नहीं माने जी। तब जाकर हमें कोर्ट जाना पड़ा। तब इसकी व्याख्या के लिए कोर्ट जाना पड़ा। अब इस पूरी लड़ाई का हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में जो भी परिस्थितियां रहीं, वहां जो भी इंटरप्रेटेशन रही लेकिन उनसे हम सहमत नहीं रहे। उसकी असहमति के बाद हम सुप्रीम कोर्ट गए। कोर्ट ने बड़े खूबसूरत शब्दों में और संविधान पीठ में बड़े खूबसूरत शब्दों में बोल दिया हैः 'The provision of constitution यह 239एए (4) the provision of constitution intend to provide for the capital a directly elected legislative assembly which shall have legislative power over matters falling within the state list and the concurrent list barring those excepted and mandate upon the Lt. Governor to act on the aid and advice of the council of ministers except when he decides to refer the matter to President.' यानी कि कनकरंट लिस्ट में और स्टेट लिस्ट में जितने मैटर्स हैं सब पर कानून बनाने के लिए, सब पर पॉलिसी बनाने के लिए लेजिस्लेटिव पावर्स इस विधान सभा के है। यह माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, अब ये तीन मैटर एक्सेप्टेट कह रहा है, विजेन्द्र गुप्ता जी, संविधान में लिखा हुआ है।

इस संविधान में लिस्ट हैं, लिस्ट में लिखा हुआ है; पहली लिस्ट मतलब एक तो सेंट्रल लिस्ट हो गई, स्टेट लिस्ट में पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंट्री

नंबर दो और एंट्री नंबर 18, लैंड इसके अलावा संविधान में यह लिखा हुआ है कि इन तीन को छोड़कर बाकी सब होगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर ने यही कहा बारिंग जो निकाली गई है। अब ये पूछ रहे हैं कि ऑर्डर में कहां लिखा हुआ है सर्विसे है।

ये विजेन्द्र जी, इसमें मेरे ख्याल से 66 हैं। शायद नहीं, मैं कह रहा हूं 66 एंट्रीज हैं इसमें। इनमें से तीन को छोड़ के बाती सबके बारे में कानून बनाने की पॉवर इस विधान सभा के पास में है और इसमें 41 नंबर एंट्री भी है जिसमें लिखा हुआ है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन...

---¼O;oèkku½

ekuuh; mi&eq[;ea=h ¾ नहीं , स्टेट बोल रहा है वो।

Jh fotsUnz xqIrk ¾ हां, तो स्टेट के लिए है ना।

ekuuh; mi&eq[;ea=h ¾ यही तो इसी में कह रहा है। उसने कहा. .. नहीं, उसने कहा है; यूटी है इसलिए।

ekuuh; vè;{k ¾ कब तक कन्फ्यूजन रखेंगे दिल्ली की जनता के साथ?

ekuuh; mi&eq[;ea=h ¾ अध्यक्ष महोदय, संविधान यूटी बोल ही इसलिए रहा है। संविधान भी यूटी बोल रहा है, कांस्टिट्यूशन बेंच भी यूटी बोल रही है; यूटी विद लेजिस्लेचर लेकिन वो कह रहे हैं कि एक, दो और अट्ठारह तीन सब्जेक्ट को छोड़ के कहीं कोई प्रतिबंध नहीं है। इकतालिकस नंबर एंट्री जिसका ये जिक्र कर रहे हैं, उससे यूटी नहीं होता है। फिर तो कोई भी यूटी हो सकता हैं एक, दो, अट्ठारह की वजह से

यूटी है बाकी सब में स्टेट की तरह से काम करने की पॉवर है। ये कह रहा है। ये बाकी सब में कानून बनाने की पॉवर है।

---¼0;oèkku½

ekuuh; mi&e[;e=h % अब जा रहे हैं न कोर्ट, उसके लिए भी जा रहे हैं, चिंता मत करो। ये इन्टरप्रेटेशंस मत बनाइए यहां पर। ये जबरदस्ती की इन्टरप्रेटेशंस में ही तो एलजी साहब मारे गए, अंग्रेज भी मारे गए थे, इसी इन्टरप्रेटेशंस में। सावधान रहिए थोड़ा सा।

Jh fotUn xIrk % ठीक है, आप बनवाओ हम तो आपके साथ हैं।

ekuuh; mi e[; e=h % आप साथ होते तो बात ही क्या थी! आप जहां हो वहां तो बता ही रहे हैं। आप साथ हो न हो; ये संविधान हमारे साथ है, आप चिन्ता मत करो और जनता साथ है। अध्यक्ष महोदय, ये अभी भी जबरदस्ती दादागिरी करके बोले, "नहीं जी, 41 एंट्री भी है। 41 कहां से आग गई भई?" एक, दो, अट्ठारह—एक, दो, अट्ठारह, हर जगह लिखा हुआ है; जबरदस्ती करके कर रहे हैं। 'Legislative Assembly of Delhi has also power to make law over those subjects which figure in the concurrent list and all but three excluded subjects.' नंबर भी बता दिया, अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो कि चौथा सब्जेक्ट भी कोई हो सकता है, तो कांस्टिट्यूशन बेंच ने बोल भी दिया कि कानून बनाने की पॉवर है; 'बट थ्री एक्सक्लूडेड सब्जेक्ट्स' तो चौथे के जोड़ने की गुंजाइश भी नहीं छोड़ी उन्होंने कि कोई चौथा अपनी तरफ से जोड़ सके। मैं इसलिए कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट... माननीय कांस्टिट्यूशन बेंच ने जैसे कहते हैं न घुमा—घुमाकर मारा है; घुमा—घुमाके। पटक—पटक के धोया है, पटक—पटक के। इसी को

कहते हैं, अगर न समझ में आता हो; एक्सेप्ट वाला तो बारिंग थ्री... लिख दिया कि तीन को छोड़के।

'Executive power of council of ministers Delhi spend over all subjects in the concurrent list enrolled but three excluded subjects.' कहीं ये बाद में कहने लगें क्योंकि इनका कुछ भरोसा.. माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अनुभव देखा कि अंग्रेजों की तरह से कैसे जबरदस्ती वॉयसरायगिरी हो रही है; इसलिए एक पैरा में लिखा है एक्सपक्टेड दूसरे में लिखा है; तीन को छोड़ के; विधान सभा के पास पॉवर है फिर भी उनको लगा होगा कि ये तो बड़े बद्तमीज हैं, मानेंगे नहीं। हो सकता है, थोड़े दिन बाद कहने लगे कि विधान सभा के पास पॉवर है, सरकार के पास नहीं है। ये भी कह सकते थे। ये इनकी समझदारी पर पूरा यकीन था। वहां इसलिए उन्होंने लिखा, 'दिल्ली सरकार कि चुनी हुई सरकार के पास भी तीन सब्जेक्ट को छोड़कर सबके पास पॉवर है; संख्या लिख दी तीन।' अपने इनके पास नहीं है।... आपस में बांट लो। ये तीन ही ले डूबेंगे।

---½0 ; oèkku½

ekuuh; mi e[; e=h % हां, चिन्ता मत करिए। अध्यक्ष महोदय, द मीनिंग; उन्होंने लिखा। क्योंकि कहा गया, 'Aid and device does not mean... हाईकोर्ट के ऑर्डर में कहा गया था, Aid and advice is binding....sorry, LG is not bound to follow aid and advice.' उसमें लिखा गया था; हाईकोर्ट के ऑर्डर में, वहीं से उठाके माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लिखा : "The meaning of aid and advice employed in the article 239AA(4) has to be construected to mean that the Lt.Governor, Delhi, is bound by the aid and advice of the council of ministers. bound... ये बाउं लिखा। Lt. Governor has not been entrusted with

any independent decision making power.' ये जो लिखते थे न, बार–बार इसका रेशनल क्या है; दिस इज नॉट अ गुड आइडिया; भारत सरकार को भेज दो; डिफेंस मिनिस्ट्री को भेज दो; शहीदों के परिवारों को पैसा देने से योजना को.. इसलिए उन्होंने लिखा।

Jh fotsUnz xqIrk % कोर्ट तो अभी भी...**¼O;o/kku½** दे रहा है।

ekuuh; mi eq[;ea=h % कोर्ट ने ही तो दिया है।

Jh fotsUnz xqIrk % वही तो कह रहा हूं।

ekuuh; mi eq[;ea=h % आपके तो पूरे कुनबे ने छीनने की कोशिश कर ली; वो तो कोर्ट है इस देश में।

...¼O;o/kku½

ekuuh; mi eq[;ea=h % यही तो हम हाथ जोड़ के पहले से कह रहे थे, "हजूर पॉवर रहने दो, पॉवर हमारे पास है; चुनी हुई सरकार के पास है।" ये कहते थे, नहीं, एलजी है मुखिया दिल्ली का। हम कहते थे, 'डिसीजन मेकिंग पॉवर दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास है।' हम कोई नई पॉवर मांगने नहीं गए थे। हम तो कह रहे थे, "साहब, इस संविधान में लिखा हुआ है, "चुनी हुई सरकार काम करेगी। चुनी हुई सरकार के पास डिसीजन मेकिंग पॉवर होगी।" ये लोग कुछ बद्तमीजी कर रहे हैं; इनको ठीक कर दो। कांस्टिट्यूशन बेंच ने बता दिया और घुमा–घुमा के दिया, घुमा–घुमाके दिया। नहीं, लिखा है, ऐनी मैटर प्रोविजो... जब लिखा है कि ऐनी मैटर तो उन्होंने लिखा, can not be inferred to mean every matter यही बात हम कहे रहे थे। मैं इसको एलजी के रिपोर्ट कॉर्ड में मैंने कम से कम दस बार ये बात कही थी, 'ऐनी मैटर डज नाट मीन एवरी मैटर।'

आगे वो लिखते हैं, द डिफरेंस ऑफ ओपीनियन अगर डिफरेंस ऑफ ओपीनियन भी होगा, विजेन्द्र गुप्ता जी...

Jh fotUn xIrk % बाउंड की बात हम मना नहीं कर रहे थे..

ekuuh; mi e[; e=h % हो रही है।

Jh fotUn xIrk % बाउंड ही कहा गया था ना, उसके बाद आगे पढ़ो ना।

ekuuh; mi e[; e=h % This is bound by the aid and advice of the... एक मिनट, एक मिनट, मैं पूरा पढ़ देता हूं: The meaning of aid and advice is employed in Article 239AA has to be constituted to mean that the Lt. Governor of Delhi is bound by aid and advice of the council of ministers and this position holds true so long as the Lt. Governor does not exercise his power under the proviso..

Jh fotUn xIrk % आखिरी लाइन पढ़ो।

ekuuh; mi e[; e=h % प्रोविजो... हां, अब प्रवाइजो का बताया न उन्होंने।

Jh fotUn xIrk % यही जो...

ekuuh; mi e[; e=h % तो प्रवाइजो ये नहीं कहता..

---¼O;oèkku½

ekuuh; mi e[; e=h % तो प्रवाइजो ये नहीं... एक मिनट आप ऐसे बीच में..

---¼O;oèkku½

ekuuh; mi e[; e=h ½ वही तो पढ़ा था, आप सुन तो रहे नहीं हो। पूरा पढ़ा था।

---¼0;oèkku½

ekuuh; mi e[; e=h ½ अरे यार! कोई बात नहीं, लोकसभा से भी कितने दिन हैं? चिन्ता मत करो, वो महेन्द्र भाई बता ही रहे हैं; कन्क्लूड हो गया, वहां से। पूरा सुन लो।

ekuuh; vè;{k ½ वो पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं भइया, पढ़ रहे हैं।

ekuuh; mi e[; e=h ½ शोर मचाने से कुछ नहीं होगा, जो लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है। मैं पहले भी पढ़ चुका हूं, फिर से पढ़ देता हूं। रिकॉर्डिंग... एक मिनट क्योंकि देखिए, इनको शोर मचाने का मामला है। उसमें लिखा हुआ है, "Does not exercise his power under provision, the Lt. Governor has not been entrusted with any independent decision making power." आगे ये लिखा हुआ है, समझ गए। इंडिपेंडेंट अब आप बहस..

ekuuh; vè;{k ½ और इससे ज्यादा क्या होगा?

ekuuh; mi e[; e=h ½ इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग पॉवर आपके चुने हुए आपके प्यादे के पास में है, माफ कीजिएगा।

ekuuh; vè;{k ½ विजेन्द्र जी, इससे ज्यादा क्या होगा?

ekuuh; mi e[; e=h ½ आपके प्यादे के पास में कोई इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग पॉवर नहीं है, उसके आगे यही लिखा हुआ है।

---¼0;oèkku½

Jh fotUn xIrk ½ वही तो हम कह रहे हैं कौन सा... है? देखिए, मैं... आप जो बोल रहे हैं, वो बोलना नहीं चाह रहा हूं।

ekuuh; mi e[; e=h % आप बोलना नहीं चाह रहे, पर बोल रहे हैं। अब आपके पास बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है।

---¼O;oèkku½

Jh fotUn xIrk % के सामने जो बातें पढ़ी हैं न जी, वो बताइए; उसमें बड़ा साफ है काउन्सिल ऑफ मिनिस्टर्स है उनकी एंड ऐण्ड एडवाइस पर ही एलजी काम करेंगे।

ekuuh; mi e[; e=h % is bound, bound, bound...

Jh fotUn xIrk % एक, दो का जो प्रवाइजो है, वो उसको एक्सरसाइज कर सकती है।

ekuuh; mi e[; e=h % हां कर सकती है।

Jh fotUn xIrk % ये है कि जो डिफरेंस है वो ओपीनियन होगा, डिफरैंस ऑफ ओपीनियन होगा तो वो प्रेजीडेंट के पास भेजा जाएगा।

ekuuh; mi e[; e=h % वो तो लिखा ही हुआ है। ...*(व्यवधान)*

ekuuh; mi e[; e=h % एक मिनट सुन लो।

Jh fotUn xIrk % मेरी बात तो कोई रिकॉर्ड पर नहीं आ रही न, लेकिन एलजी को जो डिसीजन होगा, वो इम्प्लीमेंट होगा। अब आपने जो लास्ट लाइन पढ़ी है कि एलजी को कोई भी इंडीपेंडेंट जायजा लेने का अधिकार नहीं है; यही है ना?

ekuuh; mi e[; e=h % हां।

Jh fotUn xIrk % तो ये कौन सा इंडीपेंडेंट फैसला हुआ; वो मुझे बताइए ना। बिना आपके फाइल भेजे, बिना आपके फाइल भेजे एलजी ने कोई इंडीपेंडेंट फैसला तीन सब्जेक्टों पर किया हो, वो बताइए?

ekuuh; mi e|[; e=h % बहुत बढ़िया! अध्यक्ष जी, रिकॉर्ड में ले लो। इस देश में। दिल्ली में ऐसे लीडर ऑफ अपोजिशन क्यों हुए थे; इसका सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ये इंटरप्रेटेशन देते हैं; रिकॉर्ड में रख लीजिए। अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, एक मिनट।

ekuuh; vè;{k % अब विजेन्द्र जी, बैठिए।

---¼0;oèkku½

ekuuh; mi e|[; e=h % जिस कांस्टीट्यूशन का था इंटरप्रेटेशन; अब यहां पर आया है। आपकी मिसइन्टरप्रेटेशन की गुंजाइश खत्म कर दी।

ekuuh; vè;{k % विजेन्द्र जी, अब बैठिए आप प्लीज।

ekuuh; mi e|[; e=h % अध्यक्ष महोदय, He has to act on the aid and advice or sent the matter to president; दो ही पॉवर हैं उसके पास, यही मैं बोल रहा था कि एलजी के पास केवल दो पॉवर हैं या तो वो चुनी हुई सरकार का फैसला मानेंगे और अगर चुनी हुई सरकार के फैसले से असहमत हैं तो रिजेक्ट भी नहीं कर सकते। वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजीडेंट के पास भेज सकते हैं। उनके पास उसके अलावा कोई पॉवर नहीं है। वो भी रीजन लिख के।

---¼0;oèkku½

अध्यक्ष महोदय, आगे और घुमाया की प्रवाइजो में भी कहीं ऐसा न हो कोई कन्फ्यूजन हो जाए।

---¼0;oèkku½

ekuuh; vè;{k % विजेन्द्र जी।

ekuuh; mi e|[; e=h % Any matter does not mean every matter आगे लेकिन इन्टरप्रेटेशन और बड़ी इन्टरेस्टिंग है। आब्जर्वेशन इन्टरप्रेटेशन तो ये हो गई। "The difference of opinion between the Lt. Governor...

ekuuh; vè;{k % सदन का समय साढ़े छः बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है।

ekuuh; mi e[; e=h % the council of ministers should have a sound rational, the difference of opinion between LG and cabinet should have a sound rational and there should not exposition of the phenomenon of an obstructionist.' ये जितने उदाहरण दिए हैं मैंने, सारे ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट के उदाहरण थे, रैशनल नहीं हैं। एलजी साहब के उस एक्ट को, उस एक्शन जो बार–बार प्रवाइजो के नाम पर ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट की भूमिका निभाई गई थी, उसको ऑन रिकॉर्ड माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दर्ज किया है कि एलजी ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट की भूमिका डिफरेंस ऑफ ओपीनिएयन को यूज नहीं करेंगे। फिर आगे भाषा लिखी है; उसमें एक जगह और लिखा है, इनको कहीं लगा कि कहीं और मिस इन्टरप्रेटेशन टीबीआर का न कर दें। टीबीआर में भी लिखा हुआ है कि एलजी शेल बी इन्फॉर्म्ड। तो कहीं इन्फॉर्म्ड का मतलब ये न हो कि कहीं एलजी से परमिशन लेनी पड़ेगी। क्योंकि कांस्टिट्यूशन में 239AA में एड ऐण्ड एडवाइज को क्लीयर कर दिया। प्रवाइजो में ऐनी मैटर को क्लीयर कर दिया। ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट नहीं बनेंगे, ये साफ–साफ कह दिया। उसके बावजूद हरकतों को देखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया होगा कि कहीं न कहीं, सारी चीजें हमने रखीं है सामने कि साहब, कहीं से भी किसी भी गली से कोई सिरा पकड़ कर लाते हैं; फिर झुनझुना बजाने लगते हैं, देखो जी, हमारे पास पॉवर है। तो उन्होंने कहा... माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अच्छा बोला। उन्होंने लिखा है कि इन्फॉर्म्ड जहां लिखा गया है कि इन्फॉर्मेशन दी जाएगीः The scheme that has been conceptualized by the insertion of Article 239A, 239AB read wityh the provision of Act and corresponding TBR indicates that the Lt. Governor being the administrative head shall be kept informed with such All... with respect to all the decision

taken by ministers the terminology send a copy thereof to Lt. Governor या forward to the Lt. Governor या submitted to the Lt. Governor या caused to be furnished to the LG implied in the said rules leads to the only possible conclusion that the decision of the council of ministers must be communicated to the Lt. Governor but this does not mean that the concurrence of Lt. Governor is required. इस कन्करेंस की जरूरत नहीं है। खाली इन्फॉर्मेशन देनी है और इतने सारे शब्द है जो क्लॉज इनका कहीं मिस इन्टरप्रेटेशन फिर से मत कर देना; मिस इन्टरप्रेटेशन के उस्ताद हो इसलिए ये लिखा गया है, मिस इन्टरप्रेटेशन न कर देना। तो अध्यक्ष महोदय मैं कुल मिलाकर कहना ये चाहता हूं कि जिस चीज को हम बहुत हाथ जोड़—जोड़कर समझाते रहे एलजी साहब को, "साहब, संविधान में लिखा है, चुनी हुई सरकार को काम करने दीजिए।" तीन—तीन, चार—चार, छःछः महीने तक जान—बूझ कर प्रोजेक्ट अटकाए गए और सिर्फ एक वजह से। आम आदमी पार्टी इतनी इर्म्पोटेंट नहीं है। अरविन्द केजरीवाल इर्म्पोटेंट नहीं हैं ये जो तानाशाही मानसिकता है ना कि अच्छा, देखें जरा इस दिल्ली की जनता ने हिम्मत कैसे जुटा ली किसी और को चुनने की। हम इसको बर्बाद करके छोड़ेंगे। ये दिल्ली से, जनता से बदला लेने की जो साजिश थी, उसलिए उसके तहत ये सारी साजिशें की गई हैं। तो इन साजिशों को तमाम को दरकिनार करने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीशों की बैंच ने कांस्टिट्यूशन बेंच ने जो इसको एक्सप्लेन किया है, इन्टरप्रेट interprate किया है; जनहित में मुझे लगता है ये बहुत ऐतिहासिक फैसला है और इसके लिए तहे दिल से दिल्ली सरकार की ओर से, दिल्ली विधान सभा की ओर से, दिल्ली की जनता की ओर से मैं बहुत तहे दिल से आभारी हूं माननीय सुप्रीम कोर्ट का। बहुत आस्था उन्होंने लोकतांत्रिक मूल्यों में की कि कभी भी कोई बहुत बड़ा तानाशाह भी आकर खड़ा हो जाए तो एक तरफ इस दिल्ली

की जनता है, देश की जनता है। जो लोकतंत्र बचाने के लिए काम करती है और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्थाएं है जो लोकतंत्र बचाने के लिए काम करती हैं। ये बहुत ऐतिहासिक फैसला था। मैं फिर से इस सदन का बहुत—बहुत धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने इस पर चर्चा की और इतनी बढ़िया चर्चा की। क्योंकि ये सदन के रिकॉर्ड में... बार—बार सदन में ये बाते आई थी; सदन के रिकॉर्ड में ये भी रहे कि फैसले में क्या आया और क्यों आया और उसके पीछे क्या था। इसको मैंने जवाब देने की कोशिश की है। मुझे आपने चर्चा में जवाब देने का अवसर दिया, धन्यवाद।

ekuuh; vè;{k % माननीय सदस्यगण, मैंने दिनांक 07.08.2018 को भी आपको सूचित किया था और अब पुनः याद दिला रहा हूं कि कल दिनांक 10 अगस्त 2018 को प्रातः 11.00 बजे सदन में पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी तथा पूर्व राष्ट्रपति डा. एपीजे अब्दुल कलाम के चित्रों का अनावरण करने के अवसर पर समारोह आयोजित किया जाएगा।

माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे कल प्रातः ठीक 10 बजकर 45 पर अपना स्थान ग्रहण करें। इस समारोह के बाद दोपहर के भोजन की व्यवस्था होगी और तत्पश्चात कल सदन की बैठक अपराह्न 3.00 बजे शुरू होगी, बहुत—बहुत धन्यवाद। अब सदन की कार्यवाही शुक्रवार दिनांक 10.8.2018 को अपराह्न 3.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है, बहुत—बहुत धन्यवाद।

(माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार सदन की कार्यवाही शुक्रवार दिनांक 10.8.2018 को अपराह्न 3.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।)